मतादर्श

सामाजिक विज्ञान, मानविकी एवं वाणिज्य की शोध पत्रिका

प्रधान संपादक

डॉ० प्रसून दत्त सिंह

प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी

संपादक

डॉ० रितेश भारद्वाज

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, श्यामलाल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

मेखला प्रकाशन

एफ-3/139, सेक्टर-16, रोहिणी

वर्ष : 16 **अंक** : 4 ❑ अक्टूबर–दिसम्बर, 2024

मतादर्श

मतादर्श भारत में समाचार पत्रों के निबंधक (आर.एन.आई.) द्वारा अनुमोदित है।

संपादक मंडल

डॉ॰ आर. एन. कुंअर

डॉ॰ बामेश्वर सिंह

डॉ॰ विद्या भूषण श्रीवास्तव

डॉ॰ रवीन्द्रनाथ राय

डॉ॰ अमरकान्त सिंह

डॉ॰ लक्ष्मेश्वर ठाकुर

फोन : 011–35522994, 40564514, 22753916

e-mail : matadarsh.journal@gmail.com

मुद्रक एवं प्रकाशक अलका सिंह द्वारा एफ–3/139, सेक्टर–16, रोहिणी दिल्ली–110089 से प्रकाशित तथा बी. के. ऑफसेट, नवीन शाहदरा दिल्ली–32 से मुद्रित

नोट: पत्रिका में प्रकाशित लेखकों के विचार अपने हैं। उसके लिए पत्रिका/संपादक/संपादक मंडल को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। पत्रिका से सम्बंधित किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

Editorial

Ensuring Healthy Food for the Masses: Fortification of Rice with Minerals is not the Right Way

Poverty is generally the main cause of malnutrition. Due to inadequate purchasing power of the poor, they remain deprived of nutrients like protein and vitamins. Despite free distribution of food grains by the government, poor people generally suffer from many micronutrient deficiencies. Fortification of rice with minerals and other micronutrients was being seen in government circles as a major step to address nutrient deficiencies, but a recent article by a member of the Prime Minister's Economic Advisory Council (PMEAC) has revealed that the push for fortification was from donor agencies, many of which are of foreign origin. He has cautioned that "an important driver of fortification-heavy strategy is advocacy by international donors and NGOs" and suggested that "much stronger evidence supporting different kinds of fortification" was needed.

The Prime Minister Economic Advisory Council (PMEAC) analyzed the latest household consumption survey data and showed that prevalence of anemia among children and women was associated with poor dietary diversity of iron sources. The analysis flagged "the limited impact" of universal fortification of cereals to improve iron and zinc intake and reduce anemia in India. The analysis based on survey data for 2022-23 and 2011-12 was done by Shamika Ravi (another member of PMEAC) and several experts from the Indian Statistical Institute.

It's true that a large population in our country is deprived of sufficient nutrition. Mainly nutrient deficiency (which we commonly call malnutrition) is at the root of this problem. The concern of policy makers about the problem of nutrient deficiency is understandable. Policy makers need to develop ways and means to fill this gap, so that adequate nutrients can be ensured in the food plate. We need to develop a judicious mix of policies to eliminate poverty and make nutritious food available to the common people. In such a situation, efforts can be made to solve this problem through various measures. It is generally said that a large part of Indian women suffer from iron deficiency i.e. anemia. Similarly, a large number of children in the country are stunted and wasted compared to their age and height. This is also because they do not get adequate nutrients in childhood. Similarly, due to many reasons, especially due to low intake of nutrients, people suffer from vitamin deficiency too. Scientists believe that the most effective way to deal with malnutrition is to have adequate nutrients in the food plate.

Food adequacy and nutrition are two different things. For a nutritious meal, the food plate should contain adequate amounts of carbohydrates, proteins, minerals, vitamins, etc. It is possible that even if the population gets enough food with required calories, it is not necessary that all its nutritional requirements are met. Usually carbohydrates are obtained from food grains, but the protein requirement is mostly met by pulses, fruits and vegetables, dry fruits, milk and eggs, meat, etc. Potatoes, leafy vegetables, chillies, fruits, cereals, fats, meat, fish, mushrooms, etc. contain numerous nutrients. Some food items contain more than one type of nutrients. That is, it can be said that if all the nutrients' requirements are to be fulfilled, then we need a balanced diet and not just cereals.

Real income growth of the poor population has now made it possible for them to consume a wide range of food items including food grains, fruits and vegetables, milk and milk products, eggs, nuts, meat and fish to some extent, making it possible to fulfill their nutritional needs, better than before. But there is no dearth of people who suggest that nutritional problems can be solved quickly, through fortification of food and providing nutrient supplements. They say that to take care of anaemia and other micronutrient deficiencies, we can fortify food grains with minerals and other micronutrients. Heeding to their suggestions, the Government of India has already started fortifying rice distributed under the Public Distribution System on a large scale, with a recent budgetary provision of Rs 17000 crore by fortifying rice with minerals and other micronutrients.

On the one hand reports have questioned the efficacy of fortification in fixing the problem of nutrients' deficiency, on the contrary, the government's press release republic, "Food fortification has been used globally as a safe and effective measure to address anaemia and micronutrient malnutrition in the vulnerable population."

Since the country's statistical data does not support a solution through fortification with minerals and micronutrients; and many nutritionists argue that fortification is actually a lobbyists' game at the global level, which is misleading the nutrition policies and schemes not only in India, but across the world, we need to adopt such means which can solve the nutrition problem in the country efficiently and effectively, and not fall prey to the wrong advice of profit-hungry corporates and NGOS. If we see, it is actually the traditional Indian food thali that ensures complete nutrition. Our traditional food contains adequate amounts of numerous nutrients. For example, the availability of cereals, pulses, fruits and vegetables, green vegetables, milk and milk products, eggs, fish and meat, fats makes our food rich in nutrients. Adopting the so-called modern and western lifestyle has started affecting our food habits, pushing us to unbalanced food, not only deficient in nutrients, but also harmful food. Ultra-processed food containing excess sugar, salt and saturated fats is not only creating imbalance in our diet but also causing many non-communicable diseases.

Poverty is generally the main cause of malnutrition. Due to inadequate purchasing power of the poor, they remain deprived of nutrients like protein and vitamins. Despite free distribution of food grains by the government, poor people generally suffer from many micronutrient deficiencies. Perhaps this is the reason why the government was falling prey to advice by some agencies, trying to overcome micronutrient deficiencies through fortification. Its effectiveness, however, is questionable. More than poverty, lack of information about balanced and nutritious food is also leading to micronutrient deficiencies in a large population. Therefore, malnutrition must be attacked with a three-pronged approach, avoiding misleading advice. First, the income and purchasing power of the poor must be increased through inclusive policies to support farmers, workers, the poor, women and youth.

Employment incentives and support to low-income households by supporting their enterprises will be needed. Secondly, we must discourage low-nutritional diets by educating people about eating a balanced, nutritious diet and encouraging people to avoid ultra-processed foods. Third, special efforts and programmes must be designed to help people access nutritious food at affordable prices by promoting the production of milk and milk products, fruits and vegetables, especially green vegetables, eggs, pulses and nutritious millets. We must reject the approach of fortification, which is an expensive and ineffective way to achieve nutritional goals.

Instead, freshly cooked nutritious and balanced diets are the natural and cost-effective way to improve nutrition. India's 'Poshan Track' and other data indicate that government-supported Anganwadi and Mid Day Meal programmes are far more effective. Instead of fortification programmes, effective nutrition measures must be promoted.

—Editor

इस अंक में

हिन्द महासागर में मालद्वीव की आड़ में चीन की सक्रियता: भारत सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ –अजय चौधरी; (डॉ०) मो० अलाउद्दीन अजीजी 7
भारत-चीन संबंधों का आर्थिक इतिहास (प्राचीनकाल से वर्तमान तक)–पिंकू कुमार 11
जम्मू- कश्मीर और लद्दाख में हिंसा की राजनीति और वैश्विक आतंकवाद के मुद्दें: एक अध्ययन–किरण कुमारी 16
दौसा जिलें में परिवार कल्याण योजनाओं का जनसंख्या पर प्रभाव–तुलसी राम सैनी; डॉ० जगफूल मीना 23
शाकम्भरी के चाहमान: एक अध्ययन–मीरा कुमारी 29
स्वास्थ्य पर आर्थिक स्थिति का प्रभाव–डॉ० नीलिमा दुबे 36
भारतीय संस्कृति और भारत बोध–डॉ० सुधा त्रिपाठी; हिमांशु तिवारी 40
महिलाओं का राजनैतिक सशक्तिकरण-एक समाजशास्त्रीय अध्ययन–डॉ० प्रतिभा सिंह 45
वैश्वीकरण का राजनीतिक संदर्भ: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन–महंथ माँझी 49
भारतीय धर्म पर स्वामी दयानन्द सरस्वती के विचार: एक अवलोकन–राजकुमार 53
गाँधी दर्शन की व्यापकता: एक अवलोकन–अनुराग प्रताप सिंह 58
वैश्वीकरण के दौर में अंतरराष्ट्रीय बाजार का परिवर्तित स्वरूप: एक अवलोकन–डॉ० सुलेखा कुमारी 67
स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों की चुनौतियाँ और वर्तमान स्थिति: मध्यप्रदेश के इंदौर संभाग का विश्लेषण –डॉ० कुभन खंडलवाल; प्रतीक खत्री 72
केदारनाथ की कविताओं का आलोचनात्मक अध्ययन–डॉ० नीलू रानी 83
आमेर-जयपुर रियासत की आर्थिक स्थिति एवं सांस्कृतिक अध्ययन (16वी से 20वी शताब्दी के विशेष संदर्भ में) –मोहम्मद मोहसिन खान 89
बालक और अभिभावक सम्बन्ध: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन–अनुजा कुमारी 94
बच्चों के देखभाल में महिला शिक्षा की भूमिका (बिहार के सन्दर्भ में): एक अवलोकन–पूनम कुमारी 100
गाँधी दर्शन में खादी का महत्व: एक अध्ययन–किशोर कुमार पासवान 103
डॉ0 सतीश कुमार राय की शोध-दृष्टि–रितु प्रिया 110
सुर साहित्य में भक्ति: एक अवलोकन भक्ति: सुर- साहित्य के परिप्रेक्ष्य में–राम स्नेही राम 113
निर्गुण काव्यधारा में संत साहित्य: साहित्य में कबीर दास जी का योगदान–अजय कुमार शर्मा 118
उराँव जनजाति के बालिकाओं में शिक्षा की चुनौतिया एवं समस्या का अध्ययन: जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर (छ.ग.) के विशेष संदर्भ में–डॉ० नीरज कुमार खरे 122
फणीश्वर नाथ रेणु और रामधारी सिंह दिवाकर की कहानियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन–सुनील कुमार 127
बालक के विकास पर खेल का महत्त्व–श्रीमती ममता आर. देव 131
श्री हरदर्शन सहगल के उपन्यास 'टूटी हुई जमीन' का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण–डॉ० अंजली पारीक 133
भारतीय लौकिक संस्कृत साहित्य–श्री नरोत्तम लाल सोनल 135
बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का महिला अधिकार विषयक चिंतन: एक अवलोकन–प्रदीप कुमार 141
भारत में कुटीर उद्योग एवं ग्राम विकास–उत्तम कुमार चन्द्राकर 144
उत्तर मध्यकालीन भारत: समाज एवं आर्थिक गतिविधियां–डॉ० रंजीत कुमार 148
बुद्ध काल: आर्थिक क्रियाकलाप एवं सामाजिक संरचन–डॉ० सुप्रिया कुमारी 152
मुस्लिम समुदायों में पिछड़ापन का कारण–डॉ० विवेकानंद कुमार 155
नैतिक मूल्यों का खजाना रामराज्य–डॉ० राजेश मईड़ा; डॉ० मीनाक्षी नोरके 157
सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं में दिव्यांगों के उत्थान के लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन–अनिल कुमार; डॉ० विवेक प्रकाश सिंह 161
गुप्त काल में कला एवं संस्कृति: एक ऐतिहासिक अवलोकन–डॉ० अवध नारायण 166
जी-20 की अध्यक्षता: भारत के समक्ष चुनौतियाँ और संभावनायें–प्रेमशंकर सिंह 169
महाभारत काल में महिलाओं की स्थिति: एक अध्ययन–डॉ० सूर्य नारायण मंडल 174
कृषि विकास पर मजदूरों के पलायन से पड़ते प्रभाव–डॉ० सरोज कुमार (भूगोल शिक्षक); डॉ० जमील अहमद (RTD) 179
अष्टांग योग एवं भगवद्गीता के समत्व योग द्वारा तनाव मुक्त जीवन पर चिंतन–डॉ० पूजा सिन्हा 182
हरियाणवी लोककाव्य में भाव-सौन्दर्य–सुमेधा शर्मा; डॉ० बाबू राम 186
शिक्षा में तकनीकी का हानिकारक होता उपयोग–डॉ० दीपक कुमार 191
आधुनिक व वैज्ञानिक कृषि–डॉ० हिमांशु शेखर; अजय कुमार 194
आधुनिक काल में हिंदी उपन्यास और मजदूर वर्ग–डॉ० काजल कुमारी 199
'न भूतो न भविष्यति' उपन्यास में जीवन दृष्टि और संवेदना–कृष्ण देव 201
सिंधु घाटी सभ्यता में रसायन विज्ञान का विकास: एक अध्ययन–विकास कुमार 204
शासकीय और अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों के जिज्ञासा पर टीम टीचिंग के प्रभाव का अध्ययन –ममता त्रिपाठी; डॉ० हिमानी उपाध्याय 207
भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति, समस्याएँ व चुनौतियाँ का समीक्षात्मक अध्ययन–श्रीकान्त तिवारी 212
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम: एक अवलोकन–अभिषेक कुमार सिंह; प्रो० (डॉ०) आफताब आलम 220
मध्ययुगीन बोध: साहित्यिक संदर्भ–सुमेधा शर्मा 224
2014 से भारत की विदेश नीति: हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के विशेष संदर्भ में–शिवांगी; डॉ० भारती सेहता 228
भारत के पडोसी राष्ट्र पाक-चीन संबंध: एक अध्ययन–डॉ० रीशू राज 233
हिन्दी उपन्यासों में तृतीय लिंगी का लैंगिक दुखाभास'–पूजा विश्वकर्मा 237
बिहार में आधुनिक शिक्षा की दिशा और स्थिति–डॉ० नीलम कुमारी 241
व्यावसायिक शिक्षा एवं रोजगार–डॉ० चन्द्रकेश कुमार 246
भोटिया जनजाति में सामाजिक आर्थिक गतिशीलता से उत्पन्न चुनौतियां–डॉ० अनीता बिष्ट; श्री नरेश सिंह ग्वाल 252
नारी शिक्षा और आर्थिक प्रगति (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ मे)–आरती राय; डॉ० पी० पी० गोस्वामी 256

वर्तमान में राष्ट्र निर्माण में भारत सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं: गाँधीवाद के संदर्भ में–डॉ० दीपक सिंह 259
हिंदी कविता में आलोकधन्वा के समकालीन समस्या और यथार्थ–डॉ० प्रियंका कुमारी 263
रामदरश मिश्र की कविताओं में ग्रामीण जीवन की छवियाँ–कविता अप्रेती 268
बालश्रम: एक अवलोकन–डॉ० हेमेंद्र कुमार सेन 271
औद्योगिकीकरण के नकारात्मक प्रभाव एवं उद्योग जन्य समस्याओं के निदान हेतु उपाय (छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ में) –रामनारायण खूटे; डॉ० अर्चना शुक्ला 274
मृच्छकटिकम् के प्रमुख पात्रों की अभिरुचियाँ और विकास–जितेन्द्र कुमार द्विवेदी; बृजेश कुमार मिश्र 281
राहुल सांकृत्यायन की भाषा शैली और आज की हिन्दी–डॉ० तानाबाई पाटिल 285
झारखंड के जनजातियों की भाषा एवं साहित्य–डॉ० गौतम रंजन दास 288
अवसाद नियंत्रण मे संगीत चिकित्सा की भूमिका–रूचिका श्रीवास्तव; डॉ० निशा कुमारी 292
भारत-चीन व्यापारिक संबंधों का तुलनात्मक विश्लेषण: मोदी युग में–संजू देवी; डॉ० ब्रह्म प्रकाश 295
भारत की स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की आदिवासी जनजातियों की भूमिका–अनुप कुमार यादव 300
भारतीय जनजाति महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति तथा मानवाधिकार–मीना कुमारी 304
मौर्योत्तरयुगीन विदेश व्यापार: विशेषकर भारत-रोम के संदर्भ में–विकास कुमार 308
हहरी गेलो ँ छै -संस्मरण–दिलीप कुमार 311
राजस्थान के त्योहार-गीतों का विवेचनात्मक अध्ययन–डॉ० जितेन्द्र कुमार सिंह 314
'तितली' उपन्यास में नारी चेतना: एक अवलोकन–डॉ० चित्रा यादव 321
मिडील स्कूल में कक्षा आठवी के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय के पाठ्यपुस्तक के संदर्भ में अध्ययन–श्रीमती दमयंती पटेल; डॉ० सिद्धेश्वर मिश्रा 326
"संस्कृत साहित्य में प्रकृति-चित्रण की सौन्दर्यपरक एवं दार्शनिक व्याख्या : लघुत्रयी के विशेष संदर्भ में"–डॉ० राहुल कुमार 329
Trend and Pattern of Rural Female Work in India: Challenges and Way Forward in IndiaμDr. Neelam Kumari 1
Assessing Gullies Erosion in Sub humid Climate of Tons Alluvial Plain, M.P., India—Mr. Naman Krishna 8
Navigating Child Rights in India: Insights from the Universal Periodic Review (UPR)—Pooja 14
A Study on Customer Satisfaction on e-banking Services in Regional Rural Bank with Special Reference to Indore District—Nitin Patidar; Dr. Kumbhan Khandelwal 22
An Analysis of Health Challenges of Domestic Female Migrant Laborers in Patna (Bihar) —Saleheen; Prof. (Dr.) Kumari Rupam 27
Role of Subhash Chandra Bose in Indian Freedom Struggle—Ravinder Singh; Dr. Ram Singh Gurna 34
The Archetype of Light and Darkness in South Asian Literature—Bam Dev Adhikari 37
Changing Variation in the Study of Social Exclusion in Indian Society—(Mrs) Divya Priyadarshini Dubey; Prof. (DR) Rajan Misra 43
The Influence of The Reserve Bank Of India's Monetary Policy Declarations on Government Bond Yields: Insights Derived From The Pandemic—Dr. Sanish Kumar 51
Merger of Banks In Relation To Central Government Initiatives—Dr. Rajan Kumar Singh 56
Artificial Intelligence Importance in Economic Development of India: A Critically Analysis —Dr. Sohit Ram; Dr. Niraj Kumar; Purnima Kumari 61
Exploring Advantages, and Evolving Trends in Demat Accounts and Online Trading in India —Dr. Sandeep Poddar 67
Branding Tourism Destination for Manipur: An Analysis—Dr. Irengbam Rubita 76
Impact of Covid-19 Pandemic on Integrated Area Development Programme in Hulasganj and Ghosi Blocks of Jehanabad District—Dr. Chandan Kumar 81
The Role of Nature in Romantic Poetry—Dr. Vandana Kumari 87
Gender Oppression and Patriarchy in The Dark Room by R.K Narayan—Raja Yayathi 94
"Theories of Punishment in Light of Post-conviction Insanity"—Apoorva Sharma 98
A Study on the Impacts of Work From Home Among It Employees During Covid-19 —Abhishek Kumar Singh; Prof. Sunil Kumar 106
Electronic Commerce : A Study on Benefits and Challenges—Md. Amjad 112
A Study on Integrated Teachers Training Program—Sukina Purohit 116
Geomorphic Landscape of the Burhi Gandak Drainage Basin in Muzaffarpur District of Bihar —Prof.(Dr.) Ram Pravesh Yadav; Smt. Abhilasha Kumari 120
A Study On The Present Scenario Of E-commerce In India—Dr. Raju Kumar 128
Geographical importance of the Ganges River in the 17th Century: Special Reference on Bihar —Dr. Pushpalata Kumari 133
Cost of Capital Theory and Firm Value: Conceptual Perspective—Dr. Jitendra Kumar 136
Factors Affecting Mutual Fund Investment Returns: Data from Indian Individual Investors —Atul Kumar Shukla; Prof. (Dr.) Rameshwar Singh 141
A Geographical Study of Solid Waste Management and Rules concerned in Muzaffarpur town, Bihar —Prof.(Dr.) Ram Pravesh Yadav; Smt. Anamika Kumari 153
Impact of Internet addiction on Emotional Competence of Adolescents: A Literature Review—Manoranjan Pathak 163
War and Peace: A Multidimensional Exploration—Dr. Navneet Kaur 171
Human Values in Psychological Perspective: Theories, Measurements, and Contemporary Trends—Amandeep Singh 177
Role of Education in Economic Development- A Conceptual and Empirical Analysis–Dr. Shyam Lal Nirala 184
Education in Motion: Nai Talim as a Catalyst for Tribal Women's Empowerment in Jharkhand—Shahina Naaz 190
Revisiting the Revival Legacy of Khadi - Muslin: Redefining Tradition Through Contemporary Approach —Sidharth Mallick; Dr. Isha Bhatt 196

हिन्द महासागर में मालद्वीव की आड़ में चीन की सक्रियता: भारत सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ

अजय चौधरी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

(डॉ०) मो० अलाउद्दीन अजीजी

शोध निदेशक, प्रोफेसर एंव विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग, शांति प्रसाद जैन महाविद्यालय, सासाराम

शोध सार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जून 2019 को मालद्वीव की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान मालद्वीव की संसद को संबोधित करते हुए कहा, भारत और मालद्वीव के बीच संबंध इतिहास से भी पुराने हैं। अनादि काल से, नीले पानी ने हमारे तटों को धोया है। उन्होंने यह भी कहा, पड़ोस पहले हमारी प्राथमिकता है और पड़ोस में, मालद्वीव प्राथमिकता है। इसलिए, यह कोई संयोग नहीं है कि मैं आज आपके बीच खड़ा हूं। उन्होंने आगे कहा कि 'कुछ महीने पहले, मालद्वीव के लोगों ने सामूहिक रूप से पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र का एक शानदार उदाहरण पेश किया था। आपकी वह यात्रा चुनौतियों से भरी थी। लेकिन मालद्वीव ने दिखाया, आप सभी ने दिखाया, कि अंत में जीत लोगों की होती है। यह कोई साधारण सफलता नहीं थी। आपकी यह उपलब्धि पूरी दुनिया में लोकतंत्र के लिए एक बड़ी ताकत का स्रोत है और मालद्वीव की इस उपलब्धि पर सबसे ज्यादा खुश तथा गर्वित कौन हो सकता है?

मूल शब्दः- राजनीति, लोकतंत्र, आर्थिक, सैन्य, द्विपक्षीय, समझौते।

प्रस्तावना

भारत-मालद्वीव के बीच ऐतिहासिक संबंध मैत्रीपूर्ण और सामरिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग में घनिष्ठ रहे हैं। मालद्वीव ने 1965 में अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त की और भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, जो मालद्वीव को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। तब से, भारत-मालद्वीव ने घनिष्ठ सामरिक, सैन्य, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध विकसित किए हैं। भारत ने क्षेत्रीय मुद्दों और संघर्षों को खुद से दूर रखने की मालद्वीव की नीति का समर्थन किया है और मालद्वीव ने भारत के साथ मित्रता को सहायता के स्रोत के साथ-साथ श्रीलंका के प्रति संतुलन के रूप में देखा है. जो द्वीप राष्ट्र और उसके सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के निकट है। दोनों देशों के बीच संबंध पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुए हैं, जो भू-राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक विचारों से प्रभावित हैं। भारत और मालद्वीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों और दोनों देशों के बीच हुई गड़बड़ी को उजागर करना है।

भारत-मालद्वीव आर्थिक तथा सैन्य संबंध

भारत-मालद्वीव ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध साझा करते हैं, जिसकी विशेषता मजबूत व्यापारिक संबंध और पारस्परिक निर्भरता है, क्योंकि उन्होंने 1981 में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसी तरह, दोनों देश दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता हैं। चूंकि पर्यटन और मछली पकड़ना मालद्वीव के लिए प्राथमिक राजस्व स्रोत हैं और देश अधिकांश वस्तुओं के लिए आयात पर निर्भर करता है, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि द्विपक्षीय व्यापार मुख्य रूप से भारतीय निर्यात से बना है। भारतीय कंपनियों शिक्षा, आतिथ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, अपशिष्ट प्रबंधन तथा समुद्री उत्पादों सहित विभिन्न क्षेत्रों में मालद्वीव में तेजी से निवेश कर रही है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन के दौरान, भारत मालद्वीव आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, विशेष रूप से 2018 में राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के चुनाव से चिह्नित, जिन्होंने भारत पहले नीति अपनाई। इस बदलाव ने कुल द्विपक्षीय व्यापार में पुनरुत्थान की सुविधा प्रदान की, जो 2019-2020 में 232.57 मिलियन डॉलर से चौगुना होकर 2023-2024 (अप्रैल-मार्च) में 978.56 मिलियन डॉलर हो गया और इन वर्षों के दौरान व्यापार संतुलन हमेशा भारत के पक्ष में रहा, वर्ष 2022, 2023 को छोड़कर। इसके अलावा, 2020 में कार्गो पोत सेवा के शुभारंभ और 2022 में भारतीय व्यापारिक आगंतुकों के लिए वीजा-मुक्त प्रवेश योजना के कार्यान्वयन जैसी पहलों से इस वृद्धि को और बल मिला। भारत मालद्वीव के लिए चावल, गेहूं, चीनी और निर्माण सामग्री सहित आवश्यक वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बन गया है, जबकि मालद्वीव मुख्य रूप से भारत को स्क्रैप धातु और समुद्री भोजन निर्यात करता है। भारत सरकार ने मालद्वीव में बुनियादी ढांचे के विकास में भी भारी निवेश किया है, जिसमें कुल 14

बिलियन डॉलर की प्रतिबद्धताएं हैं, जिसमें विभिन्न परियोजनाओं के लिए 500 मिलियन डॉलर की ऋण रेखा शामिल है। उल्लेखनीय पहलों में इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल का निर्माण और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना शामिल है, जिसका उद्देश्य राजधानी और आसपास के द्वीपों के बीच परिवहन संपर्क बढ़ाना है।

क्षेत्र में चल रही प्रमुख बुनियादी ढांचा और उच्च प्रभाव अनुदान परियोजनाओं के माध्यम से मालद्वीव के साथ भारत का विकास सहयोग 2023 में नई ऊंचाइयों को छूएगा। भारत स्वास्थ्य शिक्षा, क्षमता निर्माण, संस्कृति और खेल के क्षेत्रों में 65 से अधिक उच्च प्रभाव वाली अनुदान परियोजनाओं और आयात-निर्यात (EXIM) बैंक की रियायती लाइन-ऑफ-क्रेडिट के तहत 07 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन कर रहा है। भारत ने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा ऋण सहायता भी दी है और 2024 में भारत ने मालद्वीव में 500 आवास इकाइयों के निर्माण के लिए 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की है, जो दोनों देशों के बीच घनिष्ठ आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। उपरोक्त के अलावा, भारतीय कपनियां म्प्ड बैंक की क्रेता ऋण योजना के तहत मालद्वीव में 4000 सामाजिक आवास इकाइयों का निर्माण कर रही हैं। प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। भारत ने मालद्वीव को विदेशी मुद्रा संकट से उबरने में मदद करने के लिए दिसंबर 2009 में मालदीवियन मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बॉन्ड की सदस्यता के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान की है।

इसके अलावा, भारत का प्रभाव आर्थिक संकट से आगे बढ़कर रक्षा और सुरक्षा सहयोग को भी शामिल करता है, जो 1980 के दशक के उत्तरार्ध से संबंधों की आधारशिला रहा है। भारत ने मालद्वीव के रक्षा बलों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की है, जिससे उसकी रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई है। भारत ने मालद्वीव के राष्ट्रीय रक्षा बलो (MNDF) को रक्षा और सुरक्षा सहायता प्रदान की है। इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम, सैन्य उपकरणों का निर्यात, क्षमता निर्माण पहल, संयुक्त गश्त, हवाई चिकित्सा शिविर संयुक्त अभ्यास और समुद्री निगरानी शामिल हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी क कार्यकाल के दौरान, भारत-मालद्वीव सैन्य संबंध महत्वपूर्ण रहे हैं, जो व्यापक सहयोग और रणनीतिक जुड़ाव की विशेषता है, विशेष रूप से राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के नेतृत्व में, जिन्होंने 2018 में पदभार संभाला था। भारत ने मालद्वीव की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खास तौर पर चिकित्सा निकासी और खोज एवं बचाव कार्यों सहित मानवीय मिशनों के लिए हेलीकॉप्टर और डोर्नियर निगरानी विमान संचालित करने के लिए भारतीय सैन्य कर्मियों की तैनाती के माध्यम से। यह उपस्थिति हिंद महासागर में क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए भारत की व्यापक प्रतिबद्धता का हिस्सा थी। इस बीच नवंबर 2023 में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के चुनाव के साथ राजनीतिक परिदृश्य एक बार फिर नाटकीय रूप से बदल गया, जिन्होंने एक ऐसे मंच पर अभियान चलाया जिसमें मालद्वीव से भारतीय सैन्य कर्मियों को हटाना शामिल था। इसने पिछले प्रशासन की "भारत पहले" नीति से प्रस्थान को चिह्नित किया और मालद्वीव के चीन के साथ बढ़ते गठबंधन के बारे में चिंता जताई। 2024 की शुरुआत में, मुइजू के निर्देशों का पालन करते हुए, भारत ने अपने सैन्य कर्मियों की वापसी शुरू कर दी, मई 2024 तक यह प्रक्रिया पूरी हो गई। इस वापसी को मुइजू के अभियान के वादे की पूर्ति के रूप में तैयार किया गया था और मालद्वीव सरकार ने इसे संप्रभुता की बहाली के रूप में मनाया था।

चीन की सक्रियता

इस बीच, चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) भारत-मालद्वीव संबंधों में एक महत्वपूर्ण कारक बन गई है, खासकर तब जब राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के नेतृत्व में मालद्वीव ने चीन के साथ खुद को तेजी से जोड़ा है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल जिसका उद्देश्य बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के माध्यम से देशों के बीच संपर्क में सुधार करना है. ने मालद्वीव तक अपनी पहुँच का विस्तार किया है. जिससे क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर भारत में चिंताएँ बढ़ गई हैं। हिंद महासागर में मालद्वीव का रणनीतिक स्थान इसे भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है, और भारत और चीन दोनों द्वीप राष्ट्र में प्रभाव के लिए होड़ कर रहे हैं। भारत. जिसके पारंपरिक रूप से मालद्वीव के साथ घनिष्ठ संबंध रहे हैं, ने मालद्वीव के चीन के साथ बढ़ते संबंधों को आशंका के साथ देखा है, खासकर मार्च 2024 में दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद। वास्तव में, चीन के साथ मालद्वीव के बढ़ते संबंध क्षेत्र में भारत के प्रभाव के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करते हैं। मालद्वीव में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल परियोजनाएँ, जिनमें बुनियादी ढाँचा विकास और पर्यटन क्षेत्र में निवेश शामिल हैं. हिंद महासागर में शक्ति संतुलन को बदलने की क्षमता रखती है। इसके अलावा, भारत के समान शर्तों के बिना मालद्वीव को वित्तीय सहायता प्रदान करने की चीन की इच्छा ने इसे मालद्वीव सरकार के लिए एक आकर्षक भागीदार बना दिया है। मालद्वीव द्वारा द्वीपों से भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के अनुरोध से

भारत और मालद्वीव के बीच तनाव और बढ़ गया है इस कदम को पिछले प्रशासन की "भारत पहले" नीति से अलग माना जा रहा है।

द्विपक्षीय संबंधों में उतार-चढ़ाव

भारत-मालद्वीव संबंधों में हाल के दिनों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं, जिसमें कूटनीतिक तनाव, राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव और क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंताएं शामिल है। जनवरी 2024 में मालद्वीव के कैबिनेट मंत्रियों द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंद महासागर में एक भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी के बाद विवाद शुरू हुआ। इस टिप्पणी से भारत में व्यापक आक्रोश फैल गया, जिसमे कई लोगों ने मालद्वीव में छुट्टिया मनाने का बहिष्कार करने का आह्वान किया। इस विवाद के कारण मालद्वीव के एक युवा किशोर की मौत भी हो गई, जो एयर एंबुलेंस के जरिए इलाज के लिए भारत ले जाए जाने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसके परिवार के निकासी के अनुरोध को मालद्वीव के अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिया था।

इस तनाव का पता 2023 के मालद्वीव के राष्ट्रपति चुनाव से लगाया जा सकता है, जिसमें मोहम्मद मुइज़ू एक ऐसे मंच पर सत्ता में आए, जिसमें द्वीपसमूह से भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी और चीन के साथ घनिष्ठ संबंध शामिल थे। मुइज़ू का "इंडिया आउट" अभियान वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की इंडिया फर्सट नीति के विपरीत था, जिसका उद्देश्य भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना था। चुनाव को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भारत और चीन के बीच एक प्रतियोगिता के रूप में देखा, जिसमें मुइज़ू को चीनी समर्थक और सोलिह को भारत समर्थक माना गया। पदभार ग्रहण करने के बाद से, मुइज़ू ने मालद्वीव में भारत के प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह के अगले दिन एक भारतीय मंत्री के साथ बैठक के दौरान औपचारिक रूप से भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी का अनुरोध करना शामिल है। मालद्वीव सरकार ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण सौदे को नवीनीकृत नहीं करने का भी फैसला किया है. यह निर्णय मुइज़ू की विदेशी दलों. विशेष रूप से भारत के साथ सभी समझौतों को समाप्त करने की चुनावी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। भारत इस कदम को चीन के आसपास के समुद्रों के समुद्री सर्वेक्षणों का समर्थन करने के लिए डिजाइन की गई कार्रवाई के रूप में व्याख्या करता है, जो इसकी पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत के प्रभाव को कम करने के प्रयासों के बावजूद, भारत मालद्वीव में अपनी रणनीतिक उपस्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि व्यापक हिंद महासागर रणनीति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

भारत द्वीपों में भारतीय सैनिकों की तैनाती के संबंध में चल रहे विवाद के समाधान की उम्मीद जताता रहता है. जैसा कि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है। हालांकि, चीन के साथ मालद्वीव के बढ़ते संबंध इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं। दोनों देशों ने मार्च 2024 में एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके विवरण का अभी भी इंतजार है. लेकिन सूत्रों से पता चलता है कि चीन मालद्वीव में सैन्य उपस्थिति स्थापित करने की संभावना है। इस बीच, इन घटनाक्रमों पर भारत की प्रतिक्रिया बहुआयामी रही है। जबकि इसने मालद्वीव के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, भारत सरकार ने आपसी सम्मान और सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया है। द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए मालद्वीव के विदेश मंत्री की भारत यात्रा सहित उच्च-स्तरीय बैठकें, मुइज़ू के प्रशासन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद संबंधों को स्थिर करने के लिए चल रहे प्रयास को दर्शाती हैं। हालांकि, इन तनावों के बावजूद, मुइज़ू ने भारत-मालद्वीव संबंधों में सामान्यता की भावना को बहाल करने की इच्छा का भी संकेत दिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद अपने पहले साक्षात्कार में, उन्होंने कहा कि भारत मालद्वीव का सबसे करीबी सहयोगी बना रहेगा। मालद्वीव ने भारत और श्रीलंका के साथ द्विवार्षिक "दोस्ती" त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास में भी भाग लिया, जिसमें साझा समुद्री सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए तट रक्षकों के बीच अधिक सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया। हालांकि भारत की पडोसी पहले नीति अपने विदेशी संबंध रणनीति की आधार शिला बनी हुई है. जिसका उद्देश्य अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ संपर्क और सहयोग बढ़ाना है। जून 2024 में मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति मुइज़ू को दिया गया निमंत्रण एक महत्वपूर्ण संकेत था. जो बढ़ते तनावों के बीच भी कूटनीतिक जुड़ाव बनाए रखने के भारत के इरादे का संकेत देता है। यह निमंत्रण भारत की मजबूत समुद्री साझेदारी और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के संदर्भ में तैयार किया गया था, जैसा कि इसके क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR) दृष्टिकोण में व्यक्त किया गया है।

निष्कर्ष

भारत-मालद्वीव संबंधों का विकास ऐतिहासिक संबंधों, रणनीतिक हितों और क्षेत्रीय भू-राजनीति के परस्पर संबंधों को रेखांकित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दावा कि भारत और मालद्वीव के बीच संबंध इतिहास से भी पुराने हैं। औपचारिक राजनयिक संबंधों से पहले के गहरे सबंधों को उजागर करता है। 1965 में मालद्वीव की स्वतंत्रता के बाद पारस्परिक मान्यता द्वारा चिन्हित यह संबंध

रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य आयामों में फला-फूला है। 1976 की समुद्री संधि और 1981 का व्यापक व्यापार समझौता शुरुआती मील के पत्थर थे, जिन्होंने मजबूत द्विपक्षीय जुड़ाव की नींव रखी। इस विकसित होते रिश्ते में एक महत्वपूर्ण क्षण मालद्वीव में 1988 का तख्तापलट का प्रयास था, जिसमें स्थिरता बहाल करने के लिए भारत का निर्णायक सैन्य हस्तक्षेप देखा गया. जिसने क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपनी भूनिका को मजबूत किया। इस हस्तक्षेप ने रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए आधार तैयार किया जिसमें भारत ने मालद्वीव राष्ट्रीय रक्षा बलों (MNDF) को सैन्य प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान किए। आर्थिक सहयोग भी बढ़ा, खास तौर पर राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के कार्यकाल के दौरान, जिनकी "भारत पहले" नीति ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में पुनरुत्थान की सुविधा प्रदान की, जिसमें बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भारतीय विकास सहायता शामिल है। दुर्भाग्य से, 2023 में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के चुनाव ने सोलिह के भारत समर्थक रुख से हटकर चीन की ओर झुकाव को चिह्नित किया। चीन के बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) के साथ मालद्वीव के संरेखण द्वारा रेखांकित इस बदलाव ने भारत-मालद्वीव संबंधों में नई जटिलताएँ पेश की हैं। भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी के लिए मालद्वीव के अनुरोध और मालद्वीव के कैबिनेट मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों ने द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया। इन चुनौतियों के बावजूद, उच्च-स्तरीय जुडाव और संयुक्त अभ्यासों में निरंतर भागीदारी इन अशांत जल में नेविगेट करने के चल रहे प्रयासों को दर्शाती है। भारत की प्रतिक्रिया, इसकी "पड़ोसी पहले" नीति और क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास_SAGAR) दृष्टिकोण पर आधारित है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग पर जोर देती है। मोदी के प्रशासन ने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को प्राथमिकता देना जारी रखा है, जो मालद्वीव में महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

संदर्भ सूची

1. "मालद्वीव की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान पीपुल्स मजलिस को प्रधान मंत्री का संबोधन, माले, 08 जून, 2019,
2. भारत सरकार. "भारत मालद्वीव रिलेशन्स" मई 2014।
3. 'आर .दीदी, "भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मालद्वीव की रस्साकशी" कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, 21 नवंबर, 2022,
4. सुमेदा. "भारत मालद्वीव संबंधों में बदलाव को उजागर करना। द हिंदू, 12 जनवरी, 2024।
5. "निर्यात आयात डेटा बैंक, देश-वार, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2024।
6. इंडिया टुडे. "रक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, कैसे भारत ने दशकों तक मालद्वीव को एक आदर्श पड़ोसी के रूप में स्थापित किया है" इंडिया टुडे, 8 जनवरी, 2024
7. "वार्षिक रिपोर्ट 2023, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग, 2024, पृष्ठ 27.
8. "रेवी, वी. "भारत मालद्वीव संबंध: सामान्यता की भावना को बहाल करना? ऑब्जर्वर रिसर्च सनडेटियन, 27 जनवरी, 2024.
9. "साजेन, 5. "भारत मालद्वीव संबंधों का भविष्य।" द डेली स्टार, 23 जनवरी, 2024.
10. "पोखरना, बी. "भारत मालद्वीव संबंध शांतिपूर्ण जल में अशांति।" मॉडर्न डिप्लोमेसी, 28 मई, 2024,
11. "रेवी, वी. "भारत मालद्वीव संबंध: सामान्यता की भावना बहाल करना?" ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, 27 जनवरी, 2024.
12. "द इकोनॉमिक टाइम्स, 6 मई, 2024,

भारत-चीन संबंधों का आर्थिक इतिहास (प्राचीनकाल से वर्तमान तक)

पिंकु कुमार

शोध छात्र, इतिहास विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

शोध सार:- इस शोध अध्ययन का मुख्य विषय भारत-चीन संबंधों का आर्थिक इतिहास प्राचीनकाल से वर्तमान तक का अध्ययन करना है। इसमें इस बात का अध्ययन किया गया है कि किस तरह भारत व चीन के मध्य प्राचीन काल से मधुर रहे लेकिन 1962 के भारत-चीन युद्ध के पश्चात् संबंधो में तनाव देखने को मिल रहा है दोनों देशों के मध्य व्यापार असंतुलन तथा समस्याओं के बावजूद भी व्यापार के क्षेत्र में संभावानाएँ व उम्मीद भी काफी अधिक है। दोनों देशों के मध्य बढ़ते व्यापार का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि जहाँ कई क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धाएँ है वही कई क्षेत्रों में एक दुसरे के पूरक भी है। आर्थिक क्षेत्र को और बेहतर बनाने के लिए दोनों देश के प्रतिनिधि आपस में कार्यरत है। तथा व्यापार संतुलन को अच्छा बनाने के लिए प्रयासरत है। तथा आर्थिक तथा व्यापारिक क्षेत्रो को एक नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है जिससे दोनों देशो का भविष्य और मजबूत हो।

मूल शब्द:- भारत, चीन, आर्थिक, वैश्वीकरण

पृष्ठभूमि

भारत और चीन के मध्य आर्थिक तथा व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से रहे हैं जैसे- जैसे सभ्यता का विकास होता गया वैसे-वैसे इस क्षेत्र में संबंधों के साथ उत्तरोतर बढ़ने के साथ-साथ नया आयाम मिलता गया। भारत व चीन के मध्य हमेशा वस्तुओं के दोहरे आवागमन एवं आध्यात्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में आदान-प्रदान होते रहा है। दोनों देशों के मध्य व्यवसायिक लेन-देन का अधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड 1460 ई0 पूर्व से 1220 ई0 पूर्व के बीच का है। इसके अतिरिक्त भारत-चीन तथा चीन-यूरोप का रेशम मार्ग जिसे पश्चिमी रास्ता के नाम से जाना गया इसके अतिरिक्त मध्य एशिया पूर्वी तथा दक्षिण रास्ता वर्तमान के म्यांमार से होकर गुजरता था। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था इसमें आर्थिक मामलों का विस्तारपूर्वक चर्चा किया गया है। दोनों देशों के मध्य आर्थिक संबंधों को विशेष तौर पर तीन भागों में बॉटा जा सकता है।

1. प्राचीन एवं मध्य युग
2. आधुनिक युग
3. वर्तमान युग

प्राचीन एवं मध्य युग

भारत व चीन के मध्य संबंधों का इतिहास अति-प्राचीन है दोनों देश विश्व की पुरानी सभ्याताएँ के तौर पर माना जाता है। जिस तरह भारतीय सभ्यता का उद्भव सिंधु तथा गंगा नदियों के किनारे हुआ तथा जिसका प्रभाव क्षेत्र दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया पर था उसी तरह चीन के सभ्यता का उद्भव भी किसी नदी के तट पर ही हुआ है जैसे ह ह्वागहों तथा यांग्टसी नदी तथा इसका प्रभाव उत्तर तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया पर है। पड़ोसी देश होने के वजह से दोनों देशों के मध्य प्राचीन समय से ही सांस्कृतिक व व्यापारिक क्षेत्र में आदान-प्रदान होते रहा है। प्राचीन समय से ही यह प्रथा चलती आ रही है कि भारत से उन सब वस्तुओं का आयात चीन करता था जिस वस्तु की मॉग वहॉ थी। जो केवल भारत में उपलब्ध था वह चीन को भेजी जाती थी। उनमें कुछ महत्वपूर्ण जैसे- मूँगा, मोती, कॉच, इत्र इत्यादि शामिल थे। ऐतिहासिक स्रोतों के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है भारत व चीन के मध्य सांस्कृतिक तथा व्यापारिक आदान-प्रदान पुरातन काल से होता रहा है चीन के साहित्यिक ग्रंथो में भारत के कई बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है जैसे- महाबलिपुरम, मालाबार, नागपट्टनम्, गोवा, बाम्बे आदि। इन सब बंदरगाहों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत व चीन के मध्य आर्थिक संबंध सुदृढ़ थे। भारत के कालीकट तथा कोचीन (केरल) बंदरगाह का विकास मिंग वंश के शासनकाल में हुआ था।

भारत व चीन के मध्य व्यापार लद्दाख (भारत) तथा कश्मीर क्षेत्रों में और रेश्म मार्ग से होते हुए चीन के जिनजियांग में काशगर के मध्य काराकोरम दर्रा एवं गिलगित व हुंजा घाटी से होकर यात्रा करते थे। भारत के साथ व्यापार को बड़ा समर्थन मिला जब हान वंश का शासन था हान शासक जनरल हांग कियांग ने अपने सहायकों को भारत दौरे पर भेजा जिससे दोनों देशो के मध्य व्यापार-वाणिज्य को बढ़ावा मिल सके। भारत से चीन को निर्यात किया जाने वाले वस्तुएँ जैसे- कपास, अफीम, मसाले, भारतीय चाय,

चीनी, नील तथा जो वस्तुएँ चीन से भारत भेजा जाता था उसमें प्रमुख था जैसे- सोना-चाँदी, चरस, ऊनी शाल, कालीन, चीनी मिट्टी के वर्तन, चमड़ा के समान, कच्चा रेशम, रत्न, घोड़ा तथा खच्चर इत्यादि था।

18वीं शताब्दी का जब दौर आया तो उस समय भारत पर ब्रिटिशों का पूर्णत: अधिपत्य स्थापित हो गया इस समय अगर चीन की स्थिति देखे तो चीन में समाज की स्थिति अर्धसंघीय एवं अर्द्ध औपनिवेशिक था। इसके बावजूद भी भारत व चीन के मध्य संबंध कई शताब्दियों तक अच्छा बना रहा। दोनों देशों के आंतरिक संघर्षो व खराब स्थिति के में एक-दुसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण सहयोग की भावना बनी रही। इतना ही नहीं दोनों देशों के मध्य क्रांतिकारियों के मध्य भी संबंध भी बहुत अच्छे रहे। इस तरह प्राचीन समय से मध्य काल के अंतिम चरण तक भारत व चीन के मध्य आर्थिक क्षेत्रों में संबंध अच्छे रहे।

आधुनिक काल

अगर भारत-चीन आर्थिक संबंधों में आधुनिक काल की बात करें तो इस दौर में दोनों देशों के मध्य संबंधों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। अंग्रेजो ने भारत को आर्थिक तौर पर लूटने का कुचक्र जाल का सहारा लिया भारत को पहले अप्रत्यक्ष तरीके से शासन अपने नियत्रंण में लिया, वहीं दूसरी ओर चीन में राजा के साथ मिलकर व्यापार करने का ढोंग रचकर अप्रत्यक्ष तरीके से शासन करने लगा। ब्रिटिश अधिकारियों ने 1847 ई0 में याकूब के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जिसके तहत यह कहा गया कि इस क्षेत्र में निम्न शुल्क दरों पर व्यापार करने की स्वतंत्रता की बात कही गई। इस अवधि के दौरान भारत और जिनजियांग क्षेत्र के मध्य लद्दाख और जिनजियांग क्षेत्रों को बॉटने वाले ऊँचे पर्वत शिखरों पर व्यापार घोड़ों और खच्चरों की पीठ पर होता था।

भारत की स्वतंत्रता एवं चीन ने सांस्कृतिक क्रांति के बाद दोनों देशों के मध्य आर्थिक व व्यापारिक क्षेत्र में उल्लेखनीय तौर पर वृद्धि देखी गयी। जब चीन की स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो उसके पश्चात् चीन के कम्युनिष्टो के दो मुख्य लक्ष्य थे सामंतवाद और आर्थिक आधुनिकीकरण। चीन की आंतरिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस समय संक्रमणकालीन तथा अस्थिरता से गुजर रही थी। इस दौरान कम्यूनिष्ट पार्टी की प्राथमिकता थी कि अब सामाजिक क्रांति से आर्थिक विकास किया जाय इस क्रम में दोनों देशों के मध्य संबंध मित्रतापूर्ण और परम सीमा पर पहॅूच गया।

लेकिन दोनों देशो के बीच मित्रतापूर्ण संबंध लंबा दौर तक चल न सका। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के अंतर्गत भारत के लगभग 50,000 मील भूमि पर अपना दावा प्रस्तुत किया और आंतरिक मतभेद के कारण चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण कर दिया। इससे दोनों के मध्य आर्थिक व व्यापारिक क्षेत्र अवरूद्ध हुआ। लेकिन कुछ समय पश्चात् दोनों देश धीरे-धीरे अपने संबंधों को सुधारने के लिए प्रयासरत रहा। लेकिन जैसे ही संबंधो में कुछ अच्छा दिखने लगा जब 1976 में भारत ने के0आर0 नारायणन को अपना राजदुत नियुक्त किया। कुछ दिनों पश्चात् चीन ने भी ऐसा ही कदम उठाया और राजनयिक क्षेत्र में संबंधो का पुन: नया आयाम मिला।

इसके पश्चात वर्ष 1986 में भारत व चीन के मध्य 140 मिलियन डॉलर का व्यापार हुआ लेकिन यह व्यापार चीन के पक्ष में हुआ क्योंकि इस व्यापार में भारत केवल 21 मिलियन डॉलर का हिस्सा रहा। इसके बाद भारत व चीन के मध्य 27 मई 1987 को एक व्यापार संबंधी समझौता पर हस्ताक्षर किया गया जिसमें दोनों देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाकर 250 मिलियन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके बाद राजीव गॉधी ने वर्ष 1988 में चीन की यात्रा कर सीमा संबंधी को अलग रखते हुए व्यापार और वाणिज्य को खोलने का साहस किया। इस यात्रा के दौरान इसने भारत व चीन के मध्य आर्थिक संबंध, व्यापार, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त कार्यदल की नियुक्ति का निश्चय किया। इसके साथ-साथ सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंधो को बढ़ाते हुए सितंबर 1989 में व्यापारिक आलेख पर हस्ताक्षर किया। इसी यात्रा तथा व्यापार संबंधी समझौता का परिणाम यहा निकला कि 1980 के दौर में चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ने की दर 5.52 प्रतिशत रही वही भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी 5.7 प्रतिशत को देखने को मिला। जो चीन की तुलना में अच्छा है। इसी अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में एक अर्थशास्त्री आर्मत्य सेन ने कहा कि भारत के उपर चीन की यह बढ़ोतरी उसके सुधार काल के बजाय सुधारपूर्व के प्रयासों का परिणाम थी।

वैश्वीकरण के पश्चात् भारत और चीन के मध्य आर्थिक संबंध

वर्ष 1991 में भारत ने वैश्वीकरण अपनाया और अपने बाजार व्यवस्था को खुलापन प्रदान किया। इससे भारत की अर्थव्यवस्था में बेहताशा बढ़ोतरी देखने को मिला। भारत की अर्थव्यवस्था में भारत की न्युनतम सकल घरेलू में वार्षिक वृद्धि दर के अर्थशास्त्री द्वारा 'हिन्दु वृद्धि दर' शब्द का प्रयोग किया जाता है सीमा रेखा को पार कर नई उॅचाईयों को छूने लगी। वर्ष 1979 में ही चीन ने आर्थिक उदारीकरण की शुरूआत की थी। तथा इससे भारत व चीन के मध्य आर्थिक क्षेत्रों में बढ़ोतरी देखने को मिला तथा दिसंबर 1991 में चीन के प्रधानमंत्री ली-पेंग की भारत यात्रा में आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापार से संबंधित तीन समझौता किया गया।

1. बंबई (भारत) और शंघाई (चीन) में वाणिज्यिक दूतावास खोलना।
2. आंतरिक तथा तकनीकी क्षेत्र में समझौता।
3. सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापारिक समझौता।

इस समझौता के अतिरिक्त व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में बल दिया गया इसके अंतर्गत भारत से चीन को कच्चा लोहा, कच्चा क्रीम, चाय, तंबाकू, रसायन, इंजीनियरिंग का समान, गहना, हीरा, नायलान आदि निर्यात किया जाएगा। दुसरी तरफ भारत चीन से कच्चा रेश्म, धातु, खनिज, किचेन का समान, रसायन, पेट्रोलियम उत्पाद पदार्थ, अखबारी कागज का आयात करेगा। इस यात्रा से व्यापारिक एवं विश्वास बढ़ाने वाले प्रयासों को बल मिला।

भारतीय प्रधानमंत्री पी0वी0 नरसिम्हा राव वर्ष 1993 में चीन दौरा पर गये और कहा कि सीमा विवादों को दरकिनार करते हुए अन्य क्षेत्रों में संबंध को मैत्रीपूर्ण बनाया जाय। 6 जनवरी 1993 में पीकींग में हुए एक व्यापार संबंधी समझौते में भारत द्वारा चीन को चालू वर्ष में लगभग 32 वर्षो के बाद 16 जूलाई 1994 से दोनों देशों के मध्य सीमा व्यापार को पुनः प्रारंभ किया गया। यह व्यापार शिपकिला दर्रा से प्रारंभ हुआ। भारत जब से वैश्वीकरण को अपनाया तब से 1998 तक व्यापार में सतत् रूप से बढ़ोतरी देखने को मिला। लेकिन 1998 के भारत द्वारा जब परमाणु परीक्षण किया गया तो इससे संबंधो में कुछ समय के लिए ठहराव देखने को मिला।

वाजपेयी युग में भारत-चीन संबंधों को एक नया आयाम मिला तथा ऊँचाईयॉ छूने लगा। इस युग में यात्राओं के आदान-प्रदान एवं परिवर्तित क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का दोनों देशों के आर्थिक, सामरिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों पर बहुत प्रभाव पड़ा। इसके साथ-साथ भारत-चीन व्यापार को 2 विलियन डॉलर से अधिक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्ष 2000 में बीजींग में संपन्न हुआ व्यापार, विज्ञान व प्रौधोगिकी तथा आर्थिक संबंधो पर संयुक्त कार्यदल की बैठक में भारत व चीन के मध्य बुनियादी क्षेत्रों जैसे ऊर्जा, शक्ति, परिवहन, सुविधा तथा दूरसंचार आदि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त किया गया। वर्ष 2003 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन दौरा पर गये। इस यात्रा के दरम्यान द्विपक्षीय संबंधो संबंधी बात-विमर्श किया गया जिसके अंतर्गत दोनों देशों ने सीमा के रास्ते आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए नाथुला दर्रा (सिक्किम) को खोलने पर सहमति जतायी गयी। भारत इसके लिए कई वर्षो से प्रयासरत था। नाथुला दर्रा को व्यापार वाणिज्य के लिए खोला गया। इस व्यापार समझौते से स्पष्ट रूप से साफ होता है कि सिक्किम के रास्ते सीमा व्यापार किया जाएगा।

वाजपेयी युग में आर्थिक क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाये गये थे-

1. भारत व चीन के मध्य व्यापार संबंधी संयुक्त कार्यदल प्रचालन समूह की स्थापना करना। (वर्ष 2003 में)।
2. भारत-चीन के बीच लौह इस्पात संबंधी संयुक्त कार्य प्रचलन समूह की स्थापना (फरवरी, 2000 में)।
3. व्यापक व्यापारिक तथा आर्थिक सहयोग के लिए भारत-चीन के मध्य संयुक्त अध्ययन समूह। (जून, 2003 में)

प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में आर्थिक तथा व्यापार-वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए भारत तथा चीन में समय-समय पर मेला और प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। दिसंबर 2000 में चीन के इंजीनीयरिंग उत्पादों का एक व्यापार मेला नई दिल्ली में आयोजित किया गया। फरवरी, 2003 में 15 वॉ इंजीनियरिंग व प्रौधोगिकी से संबंधित मेला का आयोजन नई दिल्ली में संपन्न हुआ जिसमें चीन के उत्पादों को दिखाया गया। इस मेला में लगभग 70 चीनी कंपनियों ने भाग लिया, इसका परिणाम यह निकला कि चीन की कंपनियों को भारत में अच्छा प्रोत्साहन मिला। केवल चार दिन इस मेला में चीन के कंपनियों ने लगभग 200 मिलियन डॉलर के मूल्य संबंधित समझौता किया।

अक्टूबर 2003 में इसी क्रम में भारत के कंपनियों ने भी चीन में भारत में निर्मित उत्पादों को मेले और प्रदर्शन के माध्यम से दिखाया, इसका आयोजन बीजींग में किया गया। इसी मेला व प्रदर्शनियों में भारत के वाणिज्य व उद्योग मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर भाग लिया। इस प्रदर्शनी को चीन में प्रदर्शन करने का मुख्य उद्देश्य चीन के जनता को भारत की आर्थिक प्रगति से परिचय करना था।

मनमोहन सिंह ने 2004 में भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता संभाला। इन्होंने वर्ष 1991 में जब वित्त मंत्री थे जो उस समय भारत में आर्थिक क्रांति की शुरूआत की थी। इनके शासनकाल में भारत व चीन के मध्य आर्थिक संबंध सुदृढ़ थे। देश में विदेशी पूँजी का आना शुरू हो गया, शेयर बाजार में उछाल आया जो पहले दुगुना थे इस समय तीन गुना उछाल किया। वर्ष 2005 में सकल घरेलू उत्पाद में 9 प्रतिशत का उछाल आया। अंततः भारत इस समय आर्थिक तौर पर उछाल करने आया। और इस बार पश्चिमी जश्न में शामिल होने के लिए इच्छुक था वह भारत के साथ मिलकर आर्थिक क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार था।

वर्ष 2005 के मार्च में चीन के प्रधानमंत्री वेन जियावाओ ने भारत की यात्रा की तथा तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह को प्रस्ताव दिया कि भारत तथा चीन मिलकर यूरो की तर्ज पर एशिया की ऐसी समान्य मुद्रा का प्रचलन शुरू करे के विश्व के अन्य देशों को स्वीकार्य हो, लेकिन इस तरह के मुद्रा की रूपरेखा को अभी खाका ही तैयार किया गया था बल्कि प्रारंभिक अवस्था में ही था। अप्रैल 2005 में चीनी प्रधानमंत्री वेन जियावाओ और भारत के प्रधानमंत्री ने परस्पर समझौता के अंतर्गत दोनों देशों के व्यापार को बीस अरब डॉलर की ऊँचाईया तक पहुँचाने के लिए सहमति जतायी। उस समय व्यापार चीन के पक्ष में रहा क्योंकि द्विपक्षीय व्यापार में भारत की भागीदारी 65543 करोड़ था तथा जबकि चीन का कारोबार 78180 करोड़ रूपये का था। दोनों देश इस बात का एहसास किया कि अगर साथ मिलकर कार्य करे तो अपने अपने देशों में गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का समाधान किया

जा सकता है। तथा यह भी कहा गया कि दोनों देश की वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा स्थिरता को बनाये रखने के लिए विकसित तथा विकाससील देशों के मध्य कम करने के लिए दोनों देश को एक मंच पर आना आवश्यक है।

भारत के प्रधानमंत्री ने चीन की यात्रा की तथा चीनी प्रधानमंत्री वेन जियावाओ से 21वीं सदी के महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया। इस दस्तावेज में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि परमाणु उर्जा के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करने पर बल दिया गया इसी क्रम में भारत ने चीन को भारतीय निर्यात पर लगे अवरोधों को हटाने पर आग्रह किया। इसके अलावा दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2010 में 40 अरब डॉलर पहुँचाने का फैसला किया गया। इसके साथ-साथ भारत व चीन ने विभिन्न क्षेत्रों में 12 समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। यह समझौता रेलवे, आवास, भू-विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान, भू-संसाधन आदि क्षेत्रों में किया गया। तथा द्विपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया।

वर्ष 2010 में भारत-चीन संबंधो की राजनीतिक सालगिरह की 60वीं वर्षगांठ मनाया गया इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 23 से 31 मई 2010 को चीन यात्रा पर गये। इस यात्रा के लिए निमंत्रण चीनी राष्ट्रपति हू-जिनताओं ने दिया था। व्यापारिक संबंधो को आगे बढ़ाने के लिए बीजींग में बैठक आयोजित किया गया। वर्ष 2009 में भारत व चीन के मध्य 44 अरब डॉलर के कुल द्विपक्षीय व्यापार में चीन से भारत का आयात लगभग 30 अरब डॉलर का तथा भारत से चीन के निर्यात 14 अरब डॉलर के थे।

जब 29 मार्च 2012 को ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में संपन्न हुआ इस दौरान चीनी राष्ट्रपति ने भाग लिया। समापन के पश्चात् भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बात विमर्श किया गया और पुनः 2012 में चीन भारत मित्रता वर्ष घोषित किया गया इस वार्ता में व्यापार का पक्ष चीन के पक्ष में होने के का मामला उठाया और इस पर हू-जिन्ताओं ने अपना बयान दिया कि चीन अपनी कंपनियों को भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इच्छुक है।

नरेन्द्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो इनका मुख्य ध्यान आर्थिक व व्यापारिक क्षेत्र पर अधिक केंद्रित रहा। इस क्षेत्र में इनका रिकार्ड उज्जवल रहा। अगर चीन के संदर्भ में देखे तो भारत-चीन व्यापार लगभग 100 बिलियन डॉलर हो चुका है लेकिन इसके साथ-साथ व्यापार घाटा पर भी ध्यान देना आवश्यक है। व्यापार घाटा वर्ष 2017 में 46.56 बिलियन डॉलर हो चुका था। नरेन्द्र मोदी ने चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग के निमत्रंण पर चीन की यात्रा पर गये। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं से बातचीत हुई तथा इस बात पर सहमति बनी की सीमा विवाद को दरकिनार करते हुए आर्थिक व व्यापारिक क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने पर सहमत हुए। नरेन्द्र मोदी ने चीन के कंपनियों को भारत के इनोवेटिव प्रोग्राम 'मेक इन इंडिया' में भाग लेने के लिए आह्वान किया तथा वित्तिय क्षेत्रों के नियामकों के मध्य सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। दोनों देशों के मध्य क्षेत्रीय व्यापक समझौता, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, औधोगिक जोन की स्थापना तथा आर्थिक कॉरिडोर आदि सकरात्मक दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

आर्थिक सहयोग व व्यापार संबंधी बाधाएँ व चुनौतियाँ

भारत-चीन आर्थिक संबंध लगातार बढ़ रहा है। दोनों देश का द्विपक्षीय व्यापार 70.8 अरब डॉलर तक पहूँच चुका है चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया। आर्थिक क्षेत्र में बढते सहयोग के साथ कुछ बाधाएँ एवं चुनौतियाँ है जो निम्नलिखित है-

1. चीन इस बदलते राजनीतिक संदर्भ में भारत के महत्व को समझते हुए भारत के साथ आर्थिक संबंध को मजबूत करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए।
2. चीन के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने के अतिरिक्त मुक्त व्यापार को भी अपनाना चाहिए, इससे चीन को भले ही कुछ लाभदायक है पर चीन के लिए 'गोल्डेन स्पून' साबित होगा।
3. दोनों देशों के मध्य जलमार्ग के संबंधों के अभाव के वजह से व्यापार में अधिक कठिनाई आती है। यद्यपि दोनों के बीच सीमा मार्गों को व्यापार के लिए खोला जाएगा। परन्तु वर्तमान समय में थल मार्ग सीमा विवाद के कारण से व्यापारिक गतिविधियाँ के उपयोग में नहीं लाये जा सकते।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध को पूरा करने के लिए विश्लेषात्मक वर्णात्मक तथा अनुभावात्मक विधि को उपयोग में लाया गया है। संपूर्ण शोध विधि द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है तथा द्वितीय क शोध सामाग्री का उपयोग किया गया है। जिसमें विभिन्न पुस्तकालयों का भ्रमण, इंटरनेट एवं शोध संस्थानों के अतिरिक्त प्राचीन संदर्भ ग्रंथों को एकत्र कर शोध को पूरा किया गया है। इसके अलावा समाचार पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं, राजनैतिक दलों के घोषणा पत्र इत्यादि का उपयोग किया गया है।

निष्कर्ष

निष्कर्षत: कहा जा सकता है भारत व चीन के मध्य व्यापार व आर्थिक क्षेत्र अच्छा रहा लेकिन समय परिवर्तन के साथ उतार-चढ़ाव के दौर से गुजरता रहा। इस क्षेत्र में विकास के लिए आधारभूत संस्थागत ढॉचा के विकास के साथ-साथ दोनों देशों के सरकारों को बहुत से कदम उठाना पड़ेगा जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगा। दोनों देशों के मध्य मतभेद अवश्य है तथा भविष्य में सुधार की व्यापक संभावनाएँ है तथा इसके साथ-साथ संबंधों को समान्यीकरण के लिए प्रयासरत है।

संदर्भ सूची

1. वी. आर. दीपक, इंडिया-चाईना रिलेशन्स इन द फर्स्ट हॉफ द टवेन्टी सेन्चुरी, नई दिल्ली, 2001, पृ0 1-5
2. संजय कुमार शर्मा, भारत-चीन संबंध बदलता परिदृष्य, छत्तीसगढ़, 2020, पृ0 70
3. महेश रंजन देवाता, चीन-भारत संबंधों में जिनजियांगकारक, नई दिल्ली, 2013, पृ0 82
4. केशव मिश्रा, प्रवीण भारद्वाज, बीसवीं सदी में भारत-चीन संबंधनई दिल्ली, 2016, पृ0 27
5. वी.एन. खन्ना, लिपाक्षी अरोड़ा, भारत की विदेश नीति, नई दिल्ली, 2009, पृ0 139-141
6. राघव बहल, सुपर पावर? भारतीय कछुआ या चीनी खरगोश, नई दिल्ली, 2010, पृ0 129
7. संजय कुमार शर्मा, भारत-चीन संबंध बदलता परिदृश्य, छत्तीसगढ़, 2020, पृ0 78
8. जॉच चेरियन, झू रोंगजी इन इंडिया, फ्रंट लाइन, 2022, पृ0 122-125
9. दैनिक नवज्योति, जयपुर 18 सितंबर, 2016
10. विजय कोंडा, भारत-चीन रक्षा समझौता का नया दौर, राजस्थान पत्रिका, 7 जून, 2006
11. अशोक कुमार द्विवेदी, भारत-चीन संबंधों की गति चुनौतियॉ एवं अवसर, नई दिल्ली, 2012, पृ0 87
12. रिपोर्ट, व्यापार और आर्थिक संबंध, भारत का दूतावास, बीजींग, चीन
13. रिपोर्ट ऑफ इन इंडिया-चाइना ज्वांइट स्टडी ग्रुप ऑन कॉप्रिहेंसिव ट्रेड एण्ड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, 2005, पृ0 13

जम्मू- कश्मीर और लद्दाख में हिंसा की राजनीति और वैश्विक आतंकवाद के मुद्दें: एक अध्ययन

किरण कुमारी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय छपरा

शोध -सार

14 फरवरी 2019 को भारत प्रशासित जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले में एक वाहन-जनित तात्कालिक विस्फोटक उपकरण हमले में 44 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की जान चली गई, तथा कई अन्य घायल हो गए। बिना किसी देरी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद ने कश्मीर घाटी में दशकों में हुए सबसे बड़े आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस घटना के कुछ महीने बाद ही 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था, साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू- कश्मीर और लद्दाख और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। भारत सरकार के यह फैसला आतंकवाद के चेहरे पर एक तमाचा जैसा था। जिसको आतंकवादी संगठन सहन नही कर पा रहें हैं और आज भी इन क्षेत्रों में अस्थिरता बनाये रखना चाहतें हैं। प्रस्तुत लेख में जम्मू- कश्मीर और में हिंसा की राजनीति और वैश्विक आतंकवाद के मुद्दें का अध्ययन करना है।

मूल शब्दः जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिंसा, राजनीति, वैश्विक आतंकवाद

प्रस्तावनाः

कालानुक्रमिक दृष्टिकोण से, यह लेख भारतीय प्रशासित जम्मू- कश्मीर और लद्दाख में हिंसा की उत्पत्ति और परिवर्तन को समझाने का प्रयास करता है, तथा इसके प्रस्थान बिंदु के रूप में 1987 में कथित रूप से धांधली वाले चुनावों को लेता है। फिर भी, इस आम धारणा के विपरीत कि इस क्षेत्र में आतंकवाद को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, यह वास्तव में एक गुप्त पाकिस्तानी षड्यंत्र था - जिसे ऑपरेशन टोपैक के रूप में भी जाना जाता है - जिसने पहले से ही सुलग रहे कश्मीर में आग लगा दी। आतंकवाद का यह पहला चरण, जो 1980 के अंत और 1990 के दशक के प्रारंभ में शुरू हुआ, शुरू में जम्मू- कश्मीर और लद्दाख लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के नेतृत्व में था और इसकी विशेषता कश्मीर की आजादी के लिए प्रचारित नारे थे, भले ही उनकी विरोधाभासी प्रकृति कुछ भी हो, क्योंकि जेकेएलएफ को पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान द्वारा वित्तपोषित और समर्थित किया गया था और यह उसके इशारे पर काम करता था। हालांकि, ये झूठे सपने भी तब टूट गए जब पाकिस्तान ने मौजूदा धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता समर्थक समूहों को त्याग दिया और इसके बजाय कट्टरपंथी धार्मिक विचारधाराओं को अपनाने वाले संगठनों को विकसित करना शुरू कर दिया। इससे धार्मिक आतंकवाद और भारतीय राज्य द्वारा लागू किए गए कठोर आतंकवाद विरोधी उपायों का युग शुरू हुआ। कश्मीर में समकालीन आतंकवाद सहस्राब्दी के दशक के बाद, इंटरनेट के बाद के युग में पनपा, जहां डिजिटल तत्वों ने हिंसा के पिछले चरणों से अलग पहचान बनाई। सोशल मीडिया के माध्यम से, चतुर भर्ती पैटर्न और वैचारिक अनुनय का उपयोग करके, आतंकवादी संगठनों द्वारा कमजोर कश्मीरी युवाओं का शोषण किया जाता है। इस लेख में प्रस्तुत तर्क यह है कि कट्टरपंथ और आतंकवाद के समकालीन रूपों के अनुरूप उचित प्रतिक्रियाएँ तैयार करने के लिए, जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद की समग्र घटना के लिए जिम्मेदार ऐतिहासिक चरों की पहचान करना और उनकी जाँच करना अनिवार्य है। केवल सुरक्षा उपायों के माध्यम से हिंसा को दबाने के बजाय, भारतीय अधिकारियों को उन मूल कारणों की जाँच करने से लाभ होगा, जिन्होंने कश्मीर घाटी में इस नए आतंकवाद को पनपने में योगदान दिया है।

जम्मू और कश्मीर में 1987 में कथित धांधली वाला चुनाव

1986 में, फारूक अब्दुल्ला ने राजीव गांधी की कांग्रेस के साथ एक समझौता किया और पार्टी के साथ गठबंधन करके सत्ता में वापस आ गए। इसने कई कश्मीरियों के बीच पहले से मौजूद असंतोष की भावना को और तीव्र कर दिया - जो मोहभंग और भ्रम की स्थिति में थे - सांप्रदायिक दंगों के साथ विश्वासघात की अपनी गहरी भावना और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट (MUF) के लिए बढ़ते समर्थन को व्यक्त किया। हालाँकि 1986 में घाटी में मुसलमानों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि MUFk~ कई कट्टरपंथी समूहों से अत्यधिक प्रेरित था, जिसमें इस्लामी एकजुटता और धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों की बहाली पर उनका विशेष ध्यान शामिल था। वास्तव में, ये वे अवधारणाएँ थीं जिन्हें MUFk~ ने 1987 के

चुनावों में संगठित किया - मुस्लिम भाईचारे की पहचान, कश्मीरी पहचान और एक इस्लामिक राज्य की विचारधारा को रेखांकित किया। फिर भी, 38.2% वोट पाने के बावजूद, एमयूएफ और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी से बना विपक्ष 43 निर्वाचन क्षेत्रों में से मुश्किल से 4 में जीत दर्ज कर सका, जिससे परिणामों की वैधता को लेकर संदेह की भावना पैदा हुई (चौधरी, 2009)। कथित रूप से धांधली वाले चुनावों के कारण पैदा हुए राजनीतिक आक्रोश के कारण न केवल हड़तालें और हिंसा की घटनाएं हुईं, बल्कि कई कश्मीरी युवाओं में लोकतांत्रिक अभ्यास के प्रति आस्था की स्थायी हानि भी हुई, जिन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। इस बात पर आम सहमति है कि दोषपूर्ण चुनावों ने कट्टरपंथ और आतंकवाद के लिए उत्प्रेरक का काम किया, जो अगले वर्ष तक जारी रहा। फिर भी, इस लोकप्रिय दृष्टिकोण के विपरीत कि युवाओं ने केवल एक अलोकतांत्रिक लोकतांत्रिक राजनीतिक अभ्यास के जवाब में अपनी बंदूकें उठाईं, यह पाकिस्तान द्वारा आयोजित एक सतत साजिश थी जिसने अंततः हिंसा के चक्र को जन्म दिया।

'ऑपरेशन टोपैक': एक पाकिस्तानी साजिश

हालाँकि आतंकवाद की उत्पत्ति के लिए अक्सर 1987 में हुए कथित रूप से दोषपूर्ण विधानसभा चुनावों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन यह धारणा गलत है। दरअसल, यह पाकिस्तान की गुप्त साजिश - ऑपरेशन टोपैक - का क्रियान्वयन था, जिसे 1982 में ही तैयार किया गया था और 1988 में भारत प्रशासित जम्मू- कश्मीर और लद्दाख में लागू किया गया था, जिसने तबाही मचाई। पाकिस्तानी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) द्वारा रची गई और जनरल मुहम्मद जिया-उल-हक द्वारा अधिकृत इस मैकियावेलियन योजना का मुख्य उद्देश्य भारत प्रशासित जम्मू- कश्मीर और लद्दाख में आतंकवाद को भड़काना और छद्म युद्ध छेड़ना था। अधिक विशेष रूप से, जैसा कि 'जम्मू और कश्मीर में जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता: एकता और मतभेद पर धारणाएँ - कश्मीरियत का अंत' में रेखांकित किया गया है, ऑपरेशन टोपैक के उद्देश्य तीन गुना थे: सबसे पहले, भारत प्रशासित जम्मू- कश्मीर और लद्दाख के युवाओं को हथियार प्रशिक्षण लेने के लिए नियंत्रण रेखा पार करने के लिए राजी करने में सफल होना। इसके बाद, प्रशिक्षित युवाओं से बड़े पैमाने पर विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने की उम्मीद की गई थी, जो बदले में आतंक का माहौल पैदा करेगी और भारतीय प्रशासन को और अधिक हतोत्साहित करेगी। तीसरा, कश्मीर घाटी में मुस्लिम बहुसंख्यकों को "आजाद" करना था और उन्हें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनाना था। ऑपरेशन का पहला चरण 1988 में शुरू हुआ, जब बड़ी संख्या में युवा कश्मीरी पुरुष - क्रोध और आजादी की भोली उम्मीदों से प्रेरित होकर - नियंत्रण रेखा पार करके पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित जम्मू और कश्मीर में घुस गए। उग्रवाद में शामिल होने की प्रक्रिया बहुत तेज थी, जिसमें रंगरूट कई दिनों तक मुश्किल इलाकों, जंगलों और ऊंचाइयों से गुजरते रहे- साथ ही, एलओसी के पास आतंकी प्रशिक्षण शिविरों की भरमार हो गई (शाह, 2020)। रंगरूटों को कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा और उन्हें कठोर, व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा - कुछ स्रोत, जिनमें पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल (सेवानिवृत्त) परवेज मुशर्रफ द्वारा 2019 में किया गया दावा भी शामिल है, बताते हैं कि ये छह महीने से लेकर एक साल तक चल सकते हैं और अफगान मुजाहिदीन और पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर चलाए जा सकते हैं। इसके बाद, युद्ध में कठोर हो चुके कई युवा सफलतापूर्वक हथियार हासिल कर घाटी लौट आए - उनके भ्रष्ट दिमाग और दिल विद्रोह शुरू करने के लिए तैयार थे। ऑपरेशन के शुरुआती दौर में, आईएसआई ने जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) जैसे समूहों का समर्थन किया, जिसकी स्थापना 1977 में यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। अमानुल्लाह खान के नेतृत्व में, जेकेएलएफ ने खुद को एक स्व-घोषित धर्मनिरपेक्ष सशस्त्र संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध किया, जो भारत से जम्मू और कश्मीर के अलगाव की वकालत करता था। बढ़ती हिंसा के मंच पर इसकी पहली उपस्थिति 31 जुलाई 1988 को हुई, जब संगठन ने भारत प्रशासित जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में विस्फोटक उपकरण रखे। इसके बाद, समूह ने केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी डॉ. रुबिया सईद का अपहरण कर लिया और अन्य आतंकवादियों की रिहाई की मांग की। दबाव के आगे झुकते हुए, भारत सरकार ने मांग मान ली, जिससे जेकेएलएफ का आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ा। फिर भी, 1990 के दशक की शुरुआत में, पाकिस्तान जेकेएलएफ और इसकी स्पष्ट और प्रचारित स्वतंत्रता समर्थक प्रकृति से चिंतित हो गया था, जो जम्मू और कश्मीर के लिए पूर्व की कट्टरपंथी योजनाओं का पालन नहीं करता था। पाकिस्तान का समर्थन खोने के बाद, जेकेएलएफ धीरे-धीरे हाशिए पर चला गया और बाद में यह कमजोर हो गया; इसके क्वार्टर या तो तितर-बितर हो गए, नष्ट हो गए या अन्य समूहों में समाहित हो गए, जिसके परिणामस्वरूप 1993 तक यह आंदोलन समाप्त हो गया।

जम्मू-कश्मीर में आतंक का उदय

जेकेएलएफ को अपना समर्थन वापस लेने के बाद, पाकिस्तान ने अपना ध्यान दूसरे आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन पर केंद्रित कर दिया, जिसका पाकिस्तानी दृष्टिकोण समान था: पहला, भारत प्रशासित जम्मू- कश्मीर और लद्दाख का पाकिस्तान में विलय; और दूसरा, जिहाद की शुरुआत के साथ इस्लामी व्यवस्था की स्थापना। जम्मू- कश्मीर और लद्दाख में आतंकवादी संगठनों के जन्म

लेने में ज़्यादा समय नहीं लगा, जिन्होंने अपने संघर्ष का उद्देश्य कश्मीर का 'इस्लामीकरण' घोषित किया। हिज्ब-ए-इस्लामी, हरकत-उल-अंसार, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हरकत-उल-मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन - जो सभी कट्टरपंथी विचारधाराओं के ईंधन से प्रशिक्षित और संचालित हैं - घाटी में घुसने लगे। अनिवार्य रूप से, आतंकवादी संगठनों के प्रसार के साथ, कई लोग जगह और प्रभुत्व के लिए संघर्ष करने लगे, जिससे एक क्रूर आंतरिक संघर्ष हुआ (शाह, 2020)। उदाहरण के लिए, जेकेएलएफ का नारा, 'कश्मीर बनेगा खुदमुख्तार' ('कश्मीर संप्रभु होगा') हिज्बुल मुजाहिदीन के नारे - 'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान' ('कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा') के विपरीत था, इसलिए इस संगठन ने स्वतंत्रता के पक्ष में लोगों को मारने का अभियान शुरू किया (बोस, 2011)। राजनीतिक प्रतिक्रिया 1993 में पाकिस्तान की प्रमुख खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) द्वारा बनाए गए एक राजनीतिक मोर्चे, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस (एपीएचसी) की स्थापना के रूप में सामने आई, जैसा कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असद दुर्रानी ने समझाया और स्वीकार किया है, जिन्होंने इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के महानिदेशक और पाकिस्तानी सेना के सैन्य खुफिया महानिदेशक के रूप में अपनी पुस्तक, द स्पाई क्रॉनिकल्स: रॉ, आईएसआई एंड द इल्यूजन ऑफ पीस' में 2018 में प्रकाशित किया था। एक छत्र संगठन के रूप में गठित, राजनीतिक समामेलन आतंकवाद में भाग लेने वालों को एकता की भावना और आम दिशा देने का आदेश आंतरिक संघर्ष में शामिल होने के बजाय (स्कोफील्ड, 2000)। तब से, पाकिस्तान द्वारा भारत प्रशासित जम्मू- कश्मीर और लद्दाख पर अपने दावे पर वैधता स्थापित करने की कोशिश में इस मिश्रण को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। आतंकवाद के मद्देनजर, जिहाद और इस्लामवाद की अवधारणाएँ कश्मीरी समाज में उभरीं, जो ज्यादातर सांप्रदायिक हिंसा के प्रकोप में खुद को व्यक्त करती हैं। कश्मीरी पंडित, जो हिंदुओं का एक कुलीन समूह है, आतंकवादियों के खास निशाने पर आ गए, जिसके तहत स्थानीय समाचार पत्रों में लेख प्रकाशित करके, नारे लगाकर और मस्जिदों में प्रवचन देकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य नफरत और पूर्वाग्रह को बढ़ावा देना था। मौत की धमकी के साथ, पंडितों को अंतिम चेतावनी दी गई, जिसमें उन्हें घाटी छोड़ने के लिए कहा गया। इसके परिणामस्वरूप 1989-1990 में लगभग 350,000 कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, जिसमें स्थानीय मुसलमानों ने भी इस कृत्य का विरोध किया, जिन्हें इस्लामी आतंकवादियों और भाड़े के सैनिकों द्वारा अत्याचारों का खामियाजा भुगतना पड़ा।

कश्मीरी समाज का धीरे-धीरे 'इस्लामीकरण'

हिंसा का भारतीय अधिकारियों द्वारा भारी सामना किया गया, जैसा कि पाकिस्तान द्वारा समर्थित सीमा पार आतंकवाद की परिभाषाओं का सामना किया गया। भारत सरकार ने कश्मीर घाटी में सैन्यीकरण करने का फैसला किया और आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई के लिए स्थानीय पुलिस बल में शामिल होने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) नामक एक संघीय अर्धसैनिक इकाई को भेजा गया। बाद में जुलाई 1990 में, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) के रूप में जाना जाने वाला एक विशेष अधिनियम भारतीय सरकार द्वारा उस बढ़ते हिंसक माहौल से निपटने के लिए पारित किया गया था जो पनप रहा था। 1996 की गर्मियों में, आतंकवादियों की ताकत और गति कम हो गई थी, जिससे भारतीय सुरक्षा बलों ने श्रीनगर और अन्य प्रमुख शहरों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया था, और चुनाव आयोजित किए गए थे (बोस, 2011)।

कश्मीरी समाज पर आतंकवाद और भारतीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी का नकारात्मक प्रभाव लगभग अपरिहार्य था। 1990 के दशक की पहली छमाही में, कश्मीर में शिक्षा प्रणाली कमजोर हो गई थी, क्योंकि स्कूल अक्सर खुले रहने की बजाय बंद रहते थे (देवदास, 2018% 50)। लोगों के लिए जीवन आतंकवाद और विद्रोह के बीच एक निरंतर संघर्ष था; भय और अनिश्चितता के बीच। 'क्रैकडाउन' - कश्मीरियों द्वारा आमतौर पर घेराबंदी और तलाशी अभियान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द जिसके माध्यम से भारतीय सेना आतंकवादियों और हथियारों के ढेरों का पता लगाने की कोशिश करती थी - ने आम परिवारों में आघात और भय पैदा किया। इसका परिणाम यह हुआ कि बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन हुआ, जिसके तहत पैन-इस्लामवाद की प्रवृत्ति धीरे-धीरे कश्मीर घाटी में घुसने लगी - खुद को कमजोर और असहाय युवाओं के लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में पेश किया। घाटी में अराजकता फैलाने की संभावना को समझते हुए पाकिस्तान ने अवसर का लाभ उठाते हुए एक योजना तैयार की, जिसके तहत वह बंदूक के डर से बहुभाषी और बहु-सांस्कृतिक कश्मीरी संस्कृति को अफगानिस्तान की तर्ज पर कट्टर इस्लामी समाज में परिवर्तित कर देगा। जमात-ए-इस्लामी उग्रवादी विंग, हिजबुल मुजाहिदीन, कट्टरपंथी महिला विंग दुख्तरान-ए-मिल्लत, जमीयतुल-मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टूडेंट लीग, जिया टाइगर्स और कई अन्य समूहों सहित विभिन्न इस्लामी समूहों ने अपने संघर्षों का लक्ष्य सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का इस्लामीकरण, जम्मू और कश्मीर का पाकिस्तान में विलय और एक इस्लामी खिलाफत की स्थापना करना बताया। इसके अलावा, क्षेत्र के तालिबानीकरण के प्रयासों में शामिल थे मस्जिदों को धार्मिक उपदेशों के लिए मंच में बदल दिया गया, जिसमें प्रशिक्षित इस्लामी विद्वानों (मुल्लाओं) द्वारा दिए जाने वाले उग्र राजनीतिक भाषण शामिल थे, जिन्हें पाकिस्तान के केंद्रीय सरकारी अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता था। कश्मीर, जो पारंपरिक रूप से विभिन्न धर्मों और जातीय समूहों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए जाना जाता था,

धीरे-धीरे व्यापक, सामाजिक परिवर्तनों का अनुभव करने लगा था। इस्लामी नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहन - और कभी-कभी धमकियाँ - जैसे कि इस्लामी ड्रेस कोड का पालन करना, सिनेमाघरों पर प्रतिबंध और शराब पर प्रतिबंध, 1990 के दशक में कश्मीरियों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। सहस्राब्दि के मोड़ पर कश्मीर

जैसे-जैसे सहस्राब्दि के मोड़ के करीब पहुँचते गए, जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र शांति और हिंसा के दौर के बीच फँसता गया। उदाहरण के लिए, 1996 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों - हालाँकि आतंकवादी समूहों द्वारा बहिष्कार किया गया - ने एक बार फिर लोकतंत्र की बहाली की उम्मीद जगाई, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। फिर भी, क्षेत्र में व्याप्त अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण अवधि से उपजी कोई भी उम्मीदें '1998 वंधामा नरसंहार' के मद्देनजर अचानक बिखर गईं, जब 23 कश्मीरी पंडितों को आतंकवादियों ने मार डाला। यह घटना, जो फारूक अब्दुल्ला के निर्वाचन क्षेत्र में एक राष्ट्रीय उत्सव की पूर्व संध्या पर की गई थी, पाकिस्तान द्वारा समर्थित कट्टरपंथी आतंकवादी संगठनों की सरासर दुष्टता की दर्दनाक याद दिलाती है। इसके साथ ही, भारत ने कश्मीर के संबंध में अपनी दो-आयामी रणनीति पर काम करना जारी रखा: सबसे पहले, इसने अपने सैन्य नियंत्रण को मजबूत किया और नियंत्रण रेखा पर बाड़बंदी को बेहतर बनाया, जिससे आतंकवादी समूहों के लिए पहाड़ी परिधि के बाहर के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण संख्या में काम करना अधिक कठिन हो गया। इस कदम ने सीमा पार हथियारों की तस्करी की प्रक्रिया को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया। रणनीति का दूसरा पहलू राजनीति पर केंद्रित था, जो जल्दी ही भारत के पक्ष में हो गया। हालाँकि 2000 के दशक की शुरुआत में जम्मू और कश्मीर की पहेली अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों से गायब हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कश्मीर वैश्विक विश्व व्यवस्था की उथल-पुथल से अप्रभावित रहेगा।

9/11 के हमलों के बाद, भारत ने पाकिस्तान को कमजोर करने का अवसर देखा, जिसके तहत उसने कश्मीर में आतंकवाद को भड़काने और उसका समर्थन करने में पाकिस्तान की भूमिका को रेखांकित किया। जैसा कि भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने हमलों के तुरंत बाद कहा, "आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई 11 सितंबर को शुरू नहीं हुई, हम वर्षों से अकेले ही यह लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को जन्म दिया, प्रोत्साहित किया और बनाए रखा ह" (गुल, 2004% 70)। अचानक, अमेरिका ने जनरल परवेज मुशर्रफ - 1999 के कारगिल संघर्ष के मुख्य वास्तुकार - पर कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के सैन्य समर्थन को रोकने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। जबकि समर्थन वापस लेना निश्चित रूप से दबाव का परिणाम था - सुरक्षा प्रतिष्ठान के बीच हृदय परिवर्तन के बजाय - संबंधों में खटास के परिणामस्वरूप जम्मू- कश्मीर और लद्दाख में आतंकवाद से संबंधित हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई (स्टैनिलैंड, 2013% 940)। इसके अलावा, फिदायीन (आत्मघाती) हमलों की दर - विभिन्न भारतीय सेना और अर्धसैनिक शिविरों को निशाना बनाकर - काफी कम हो गई। ऐसा लगता है कि वैश्विक राजनीति और प्रभावी आतंकवाद विरोधी उपायों के माध्यम से अस्थायी रूप से शांति बहाल हो गई थी।

'कश्मीर में आक्रोश की पीढ़ी'

हालाँकि बाहरी दुनिया के लिए, नई सहस्राब्दी के पहले दशक में कश्मीर में आतंकवाद में कमी आई थी, लेकिन वास्तव में अशांति सतह के नीचे ही सुलग रही थी। 2008 की गर्मियों में, यह अशांति अमरनाथ भूमि हस्तांतरण विवाद की प्रतिक्रिया के रूप में भड़की थी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा घाटी में 99 एकड़ वन भूमि को हिंदू अमरनाथ तीर्थस्थल को हस्तांतरित करने का निर्णय शामिल था, जिसका उद्देश्य हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए अस्थायी आश्रय और सुविधाएँ स्थापित करना था। इसके बाद कश्मीर घाटी में 1994 के बाद से सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें सैकड़ों हजारों लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। फिर भी, सड़कों पर दौड़ने वाले हजारों पत्थरबाजों में कुछ अलग था; जबकि उनके पूर्ववर्तियों ने एके-47 उठाई थी, इन मुख्यत: किशोर लड़कों और युवाओं का हथियार पत्थर था। नई दिल्ली में सामाजिक विज्ञान संस्थान के प्रतिष्ठित फेलो डेविड देवदास दो अलग-अलग पीढ़ियों की तुलना करते हैं, एक 1990 के दशक में पैदा हुई और दूसरी नई सहस्राब्दी में पैदा हुई (राजराशेश्वरी, 2019)। सुनवाई में कहा गया है कि पहली पीढ़ी, जिसने राज्य के खिलाफ हथियार उठाए थे, ने 1990 के दशक के दौरान नियंत्रण की राज्य की रणनीति को देखा था। इनमें 'क्रैकडाउन' और यादृच्छिक तलाशी शामिल थी, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं थी, जिन्हें अपमानजनक माना गया और जिसके परिणामस्वरूप पीढ़ी दर पीढ़ी आघात और भारतीय सत्ता के खिलाफ नाराजगी पैदा हुई। देवदास का तर्क है कि यह वास्तव में भारतीय अधिकारियों द्वारा कश्मीर में स्थिति का कुप्रबंधन था, साथ ही अर्धसैनिक बलों द्वारा अपमान की भावना और नियंत्रण के विभिन्न साधनों ने 'क्रोध' से भरी एक पीढ़ी को जन्म दिया। वह सैनिकों द्वारा एक नागरिक से पूछताछ करने और उसे अपना फेरन (कोट) उठाने के लिए मजबूर करने का उदाहरण देते हैं, यह दिखाने के लिए कि कोई छिपा हुआ हथियार नहीं था। "सशस्त्र बलों के लिए, यह 1990 के दशक की तुलना में न्यूनतम उत्पीड़न था। जिन कश्मीरियों को 1990 के दशक के दमन की स्पष्ट याद है, उन्हें भी लगता है कि इससे परेशानी और अपमान में काफी कमी आई है। लेकिन 1990 के दशक की बहुत कम याद रखने वाले, लेकिन आत्म-सम्मान की एक मुखर नई भावना वाले युवा कश्मीरियों के लिए, यह बर्दाश्त करने योग्य था"- देवदास, डी. (2018) कश्मीर में क्रोध की पीढ़ी। इस सहस्राब्दी पीढ़ी

को उनके पूर्ववर्तियों की तुलना में बहुत अलग प्रभावों, अनुभवों और आकांक्षाओं द्वारा आकार दिया गया है; इस पीढ़ी ने कनेक्टिविटी में वृद्धि, बढ़ती वैश्विक इस्लामी चेतना और वैश्विक स्तर पर कट्टरपंथी विचारधाराओं के उदय जैसी प्रक्रियाओं का अनुभव किया था (देवदास, 2018)। जबकि कश्मीर को संभालने में भारतीय राज्य की कुछ कमियों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, जहाँ तक इसके सैन्यीकरण प्रयासों को जारी रखने की बात है, नए आतंकवाद के उदय को केवल इन कमियों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। बल्कि, पिछले दशकों के दौरान, पैन-इस्लामवाद और राजनीतिक इस्लाम की वैश्विक ताकतों ने घाटी में जड़ें जमा ली हैं। यह कट्टरवाद के साथ तीव्र धार्मिक कट्टरपंथ की लहर के रूप में प्रकट हुआ है, जिसने बदले में आतंकवादियों की एक नई पीढ़ी को पोषित किया है। जिहाद, इस्लाम और धार्मिक पहचान की चेतना के बारे में उनकी समझ क्रोध के प्रकरणों के दौरान बढ़ जाती है, जो बदले में आतंकवाद की एक निश्चित अनुमति - यदि बढ़ावा नहीं - के रूप में प्रकट होती है। जून 2010 में आंसू गैस के गोले दागने के कारण कश्मीरी स्कूली छात्र तुफैल मट्टू की आकस्मिक मृत्यु के बाद, सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज के नेतृत्व में सर्वदलीय हुर्रियत सम्मेलन आयोजित किया गया था।

उमर फारूक ने भारतीय प्रशासित जम्मू- कश्मीर और लद्दाख के पूर्ण विसैन्यीकरण का आह्वान किया। लेकिन अलगाववादी राजनेताओं के राजनीतिक एजेंडे के अलावा, कोई भी व्यक्ति यह देख सकता है कि इस्लामवादी विचारधारा किस तरह से राजनीतिक चर्चाओं में अधिक प्रमुखता से उभरी है, जिसने 1980 के दशक के उत्तरार्ध से बचे किसी भी प्रत्यक्ष अर्ध-धर्मनिरपेक्ष तत्व को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया है। वास्तव में, "आजादी बराय इस्लाम" (शरिया शासित इस्लामी कश्मीर या वैश्विक इस्लामी खिलाफत के एक हिस्से के रूप में कश्मीर) का कथानक एक प्रमुख कथानक बन गया है, जिसने "आजादी बराय कश्मीर" (स्वतंत्र कश्मीर) और "आजादी बराय पाकिस्तान" (कश्मीर का पाकिस्तान में शामिल होना) की पिछली बयानबाजी को खत्म कर दिया है (पंड्या, 2020)। जून 2016 में भारतीय अर्धसैनिक बलों द्वारा हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की हत्या के बाद इस नए धार्मिक बयानबाजी की ताकत और परिमाण स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। बुरहान की मौत, जिसे कुछ लोगों ने "कश्मीर में नए युग के उग्रवाद का पोस्टर बॉय (जिसने) खिलाफत और शरिया शासित कश्मीर के विचार का महिमामंडन किया" (पंड्या, 2020:16) के रूप में वर्णित किया, के परिणामस्वरूप घाटी के सभी 10 जिलों में बड़े पैमाने पर नागरिक अशांति फैल गई। अचानक, आतंकवाद के लिए स्वीकृति बढ़ गई, जो घरेलू आतंकवाद में वृद्धि के रूप में प्रकट हुई। जैसा कि देवदास तर्क देते हैं: "जबकि 2010 में निर्दोष लोगों को उग्रवाद में शामिल किए जाने पर संकट की चीख-पुकार मची थी, 2016 में उग्रवाद का समर्थन देखा गया" (देवदास, 2018% 35)। फिर भी, आतंकवाद के इस नए रूप में अनेक विशेषताएं विद्यमान हैं, जो इसके पूर्ववर्ती में काफी हद तक अनुपस्थित थीं - जैसा कि अगले भाग में बताया गया है, यह डिजिटलीकरण के उभरते रूपों का शोषण करता है।

'साइबर जिहाद' का युग

एक केंद्रीय घटना जिसने अंतत: आतंकवाद की गतिशीलता को बदल दिया - न केवल जम्मू और कश्मीर में, बल्कि दुनिया भर में - नई सहस्राब्दी के पहले दशक में मोबाइल फोन का आविष्कार और प्रसार था। कश्मीर के संदर्भ में, 2002 में लगभग एक हजार मोबाइल नंबरों की अनुमति दी गई थी - 2007 तक, यह संख्या एक मिलियन को पार कर गई थी। अंतत:, 2010 में 3जी कनेक्टिविटी में भारी वृद्धि हुई, जिसका उस वर्ष बाद में हुई हिंसा के दौरान आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा (देवदास, 2018%14-15)। कनेक्टिविटी में वृद्धि ने युवा कश्मीरियों को वैश्विक आख्यानों से अवगत कराया, जिसमें अमेरिका के 'आतंकवाद के खिलाफ युद्ध' के अंतर्निहित उद्देश्यों के बारे में संदेह व्यक्त किया गया, साथ ही बढ़ते मुस्लिम विरोधी धुरी के बारे में षड्यंत्र के सिद्धांत भी शामिल थे। इसके अलावा, इन संचार नेटवर्क ने धर्म के बारे में भ्रामक विचार फैलाना शुरू कर दिया, जो विचार मुख्य रूप से कट्टरपंथी संगठनों द्वारा प्रचारित किए गए थे। समकालीन युग में, अंतहीन रूप से विकसित हो रही तकनीकों ने कुख्यात आतंकवादी संगठनों को प्रचार प्रसार, और ऑनलाइन कट्टरता और भर्ती की कला में महारत हासिल करने में सक्षम बनाया है। अब तक, इनमें से कई प्रक्रियाएँ सुव्यवस्थित हो गई हैं। वास्तव में, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भीड़ में नाटकीय वृद्धि ने 'साइबर जिहाद' के रूप में जानी जाने वाली चीज की शुरुआत को चिह्नित किया है। हालांकि सबसे कुख्यात उदाहरण निस्संदेह इस्लामिक स्टेट (आईएस) का है, जिसने दुनिया भर के लोगों को अपने जिहाद में शामिल करने के लिए लुभाने के प्रयास में उपरोक्त सभी प्लेटफार्मों का सफलतापूर्वक फायदा उठाया, लेकिन भारत प्रशासित जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र इस नई खतरनाक घटना से बच नहीं पाया है।

जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में तथाकथित 'व्हाट्सएप योद्धाओं' का उदय यह दर्शाता है कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हथियारीकरण के माध्यम से आतंकवादी संगठन कमजोर युवाओं को हिंसा में भाग लेने के लिए लुभाने में सफल रहे हैं। संक्षेप में, 'व्हाट्सएप योद्धाओं' की घटना में आम तौर पर घेराबंदी किए गए आतंकवादी शामिल होते हैं - जो पकड़े जाने की प्रक्रिया में होते हैं - स्थानीय क्षेत्र में व्हाट्सएप समूहों को संदेश भेजते हैं, यह रेखांकित करते हुए कि वे बेनकाब हो गए हैं और लड़ाई आसन्न है।

नतीजतन, भावुक युवा पत्थरबाजी करके और तबाही मचाकर सुरक्षा अभियान को बाधित करने के उद्देश्य से स्थान पर पहुंचते हैं, अंतत: आतंकवादियों को भागने में मदद करने के उद्देश्य से। भाईचारे की भावना और इस्लामी कारण के लिए लड़ाई को विभिन्न आतंकवादी संगठनों द्वारा लगातार प्रचारित किया जाता है; इससे न केवल युवा, मूर्ख पुरुषों को आतंकवादियों के लिए मानव ढाल के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, बल्कि उन्हें हथियार उठाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है (भट्ट, 2018)। आतंकवादी प्रचार और चरमपंथी विचारधारा से घिरे, बढ़ते आक्रोश की भावना के साथ, युवाओं को हिंसा की ओर और अधिक धकेला जाता है। कलाश्निकोव राइफलों को दिखाना और उनकी तस्वीरों को ऑनलाइन अपलोड करना उनके दृढ़ संकल्प की घोषणा बन जाता है। अधिक वास्तविक रूप से, 'शहादत' की संस्कृति का महिमामंडन बढ़ गया है, जो आतंकवाद और हिंसा के लिए नई प्रेरक कथा का निर्माण करना शुरू कर रहा है (क्लिक, 2019)।

निष्कर्ष

इस लेख में 1980 के दशक के अंत से लेकर आज तक भारत प्रशासित जम्मू- कश्मीर और लद्दाख में आतंकवाद के इतिहास को संक्षेप में बताने का प्रयास किया गया है। हालाँकि आतंकवाद की उत्पत्ति को अक्सर 1987 में हुए कथित दोषपूर्ण विधानसभा चुनावों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन यह दावा गलत धारणा पर आधारित है। वास्तव में, यह पाकिस्तान की साजिश - ऑपरेशन टोपैक - का साकार चरण था, जो जम्मू- कश्मीर और लद्दाख को स्थायी घाव देने में सफल रहा। कश्मीर के युवाओं को आजादी के झूठे सपनों के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित जम्मू- कश्मीर में ले जाया गया, जहाँ उन्हें पाकिस्तानी राज्य द्वारा वित्तपोषित हथियार प्रशिक्षण दिया गया। इसने 1990 के दशक की शुरुआत में आतंकवाद को पनपने का मौका दिया, जिसका जवाब भारतीय राज्य के अधिकारियों ने सख्त आतंकवाद विरोधी उपायों के साथ दिया, जिससे घाटी में भय और आक्रोश की गंध फैल गई।

जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में मोबाइल फोन और इंटरनेट के आगमन और प्रसार से उत्पन्न वैश्वीकरण की अपरिहार्य शक्तियों ने अंतत: आतंकवाद की गतिशीलता को बदल दिया। नई सहस्राब्दी के पहले दशक के दौरान, युवा कश्मीरियों को दुनिया भर से आने वाली कहानियों और विचारधाराओं से अवगत कराया गया, जिससे कई लोगों ने कश्मीर की स्थिति को वैश्विक चश्मे से देखना शुरू कर दिया, और इसे गलत तरीके से फिलिस्तीन जैसे मामलों के साथ तुलना करना शुरू कर दिया। इसके अलावा, आतंकवादी संगठनों द्वारा पैन-इस्लामवाद और वैश्विक जिहाद की विचारधाराओं का तेजी से प्रचार किया गया, जिसका बदले में युवा कश्मीरियों के संवेदनशील दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ा। बढ़ी हुई डिजिटल कनेक्टिविटी के प्रभाव, साथ ही भारतीय अधिकारियों के प्रति बढ़ती नाराजगी, 'नए उग्रवाद' की प्रकृति में स्पष्ट रूप से व्यक्त हुई, जो नई सहस्राब्दी के दूसरे दशक में पनपने लगी। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत, जिन्होंने गहन हथियार प्रशिक्षण लेने के लिए पाकिस्तान प्रशासित जम्मू और कश्मीर की यात्रा की थी, इन मुख्य रूप से किशोर लड़कों और युवाओं ने पत्थरों को अपने हथियार के रूप में चुना था।

डिजिटलीकरण के युग में, आतंकवादी संगठन न केवल युवाओं को सड़क पर हिंसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि आतंकवाद और वैचारिक युद्ध के विचार को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का भी फायदा उठाते हैं, जो इस नए ऑपरेशनल थिएटर में लड़ा जा रहा है। हालांकि, भारतीय अधिकारियों द्वारा किए गए आतंकवाद विरोधी प्रयासों के प्रभावों को पूरी तरह से नजरअंदाज करना भोलापन होगा - विशेष रूप से, कश्मीर में सैन्यीकरण के कुप्रबंधन को - फिर भी इस 'नए आतंकवाद' के पनपने में चरमपंथी प्रचार की शक्ति को रेखांकित करना आवश्यक है। ऐसे युग में जहां इस्लामी आतंकवादी नए रोल मॉडल के रूप में विकसित हुए हैं और 'शहादत' का महिमामंडन ऑनलाइन सर्वव्यापी है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कमजोर कश्मीरी युवा निराश हो गए हैं। भारत प्रशासित जम्मू- कश्मीर और लद्दाख में आतंकवाद का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि 5 अगस्त 2019 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से कई लोगों को उम्मीद की किरण दिखी होगी। हालाँकि जम्मू- कश्मीर और लद्दाख के अर्ध-स्वायत्त दर्जे को समाप्त करने के बाद आर्थिक औचित्य सामने आए - आतंकवादी कथा को आर्थिक-विकास कथा में बदलने का एक स्पष्ट प्रयास - यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद राज्य की मुख्य चिंता थी, इसके अलावा भाजपा ने इस कदम के माध्यम से (लंबे समय से वांछित) राजनीतिक जीत हासिल की। जैसा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 9 अगस्त 2019 को एक साक्षात्कार में आत्मविश्वास से पुष्टि की: "यह जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद का अंतिम चरण होने जा रहा है" (आहूजा, 2020)। दर्जा रद्द करने से पहले, गृह मंत्रालय ने जम्मू- कश्मीर और लद्दाख में हजारों अर्धसैनिक बलों की तैनाती को मंजूरी दी थी, जिसके बाद केबल टीवी, लैंडलाइन, सेलफोन और इंटरनेट को बंद करने सहित संचार ब्लैकआउट का आदेश दिया गया था। 2016 में बुरहान वानी की हत्या के बाद बड़े पैमाने पर हुए प्रदर्शनों का हवाला देते हुए हिंसा को रोकने के लिए इन पहलों को उचित ठहराया गया था। स्वाभाविक रूप से, इस प्रतिबंध का आतंकवाद के आंकड़ों पर असर पड़ा है; हाल के महीनों में, कई अखबारों ने कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों को 'आतंकवाद मुक्त' घोषित किया है (द टाइम्स ऑफ इंडिया, 2020; इंडियन एक्सप्रेस, 2020)। फिर भी, यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि एक बार जब उपाय कमजोर पड़ने लगेंगे तो परिणाम क्या होंगे;

आतंकवादी समूहों में शामिल होने और कट्टरपंथी विचारधाराओं को अपनाने वाले कश्मीरी युवाओं की बहुत बड़ी संख्या एक गंभीर खतरा बनी हुई है, खासकर जब पाकिस्तान में सर्वोच्च राजनीतिक कार्यालयों द्वारा इसे प्रोत्साहित किया जाता है। कट्टरपंथी विचारधाराओं को दबाने की कोशिश करने के बजाय, या कहें – 'मन में आतंकवाद' को, केवल सुरक्षा प्रिज्म और कानून व्यवस्था उपायों के माध्यम से, भारतीय अधिकारियों को मोहभंग की अंतर्निहित भावना और दुर्जेय ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा के बुनियादी ढांचे को पहचानना चाहिए, जिसने कुछ युवा कश्मीरियों को बंदूक उठाने के लिए प्रेरित किया है। युवाओं के लिए लक्षित कट्टरपंथ को खत्म करने के प्रयासों के साथ-साथ शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों में निवेश निश्चित रूप से न केवल भारतीय राज्य के लिए, बल्कि जम्मू और कश्मीर की पूरी भावी पीढ़ी के लिए फायदेमंद होगा।

सन्दर्भ सूचि

1) LINK: https://en.wikipedia.org/wiki/Social_movement_in_India
2) LINK: https://www.britannica.com/topic/social-movemen
3) LINK:http://study.com/academy/lesson/social-movement-definitionsalternative-redemptive-reformative-revolutionary.html
4) LINK:https://en.wikibooks.org/wiki/Introduction_to_Sociology/Social_Move ments
5) LINK: http://www.yourarticlelibrary.com/india-2/social-movements-inindia-meaning-features-and-other-details/32941/
6) https://www.publicationsdivision.nic.in
7) https://www.jk.gov.in
8) http://www.jammukashmir.nic.in
9) https://jammu.nic.in
10) https://www.jkhome.nic.in

दौसा जिलें में परिवार कल्याण योजनाओं का जनसंख्या पर प्रभाव

तुलसी राम सैनी

शोधार्थी, भूगोल विभाग, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविधालय, अलवर, राजस्थान

डॉ० जगफूल मीना

आचार्य, भूगोल विभाग, राजकीय महाविधालय राजगढ़, अलवर, राजस्थान

सारांश

किसी भी देश की वास्तविक सम्पति उस देश के निवासी होते है। ये लोग ही देश के विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते है तथा नीतियों का निर्माण करते है। किसी भी देश के विकास के लिए जनसंख्या व संसाधनों में संतुलन होना आवश्यक है। जनाधिक्य स्थिति होने के कारण उपलब्ध संसाधनों पर भार बनता है। तथा जन मानस तक मूलभूत सुविधाएँ जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण इत्यादि नहीं पहुँच पाती है। जनाधिक्य की स्थिति देश के विकास में अवरोध उत्पन्न करती है। इस प्रकार जनाधिक्य को नियंत्रित करने के लिए परिवार कल्याण योजना को चलाकर जनसंख्या को नियंत्रित किया जा रहा है।

जनमानस तक शिक्षा के माध्यम से परिवार नियोजन के प्रभाव तरीके सुनिश्चित किये जाते रहे है। विभिन्न संगठन, एनजीओं तथा राजकीय कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक, जागरूकता, सामाजिक चेतना व शिक्षा के माध्यम से सीमित परिवार की संकल्पना पर जोर दिया जा रहा है। परिवार नियोजन के साधनो जैसे कण्डोम, नसबंदी, कलेन्डर उपाय, कॉपर-टी, ऑरल पिल्स, स्किन एवं वजाइनल रिंग विधि, गर्भ निरोधक गोलियॉ, तापमान विधि, म्युकस विधि तथा अन्य उपाय जनसंख्या को नियंत्रित करने में सहायक हैं।

शब्दकोशः परिवार नियोजन साधन, स्वास्थ्य सुविधाएँ, शिक्षा, जनजागरूकता, बिमारियाँ, जनसंख्या स्थिरीकरण, टीकाकरण, स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा जन्म दर व मृत्यु दर।

प्रस्तावना

स्वास्थ्य राष्ट्र की समृद्धि के लिए अनिवार्य घटक है। इसका राष्ट्र के विकास एवं आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान है। स्वास्थ्य आबादी दीर्घायु का महत्वपूर्ण सूचक होती है। यह एक महत्वपूर्ण मानव विकास सूचकांक को दर्शाती है। किसी राष्ट्र के विकास के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य जीवन प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बुनियादी निर्विवाद मानवाधिकार है। यह एक ऐसा अधिकार है जो सरकार के लिए बिना किसी भेदभाव के सभी जाति वर्ग के लिए उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरूआत 1952 से हो चुकी थी। परिवार नियोजन एक कार्यक्रम है। जिसके अन्तर्गत बढती हुयी जनसंख्या को रोकने के लिए प्रत्येक परिवार को अपने बच्चो की संख्या को निर्धारित करना होता है, जिसमें परिवार में बच्चो की संख्या माता-पिता का स्वास्थ्य गर्भधारण के बीच की अवधि आदि पर महत्वपूर्ण बल दिया जाता है।

भारत दुनिया का पहला देश है जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरूआत की। परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रकार की योजनाएँ देश के कोने-कोन में चलायी जा रही है। परिवार नियोजन कार्यक्रमों ने ग्रामीण क्षेत्र के पीएचसी तथा एससी, परिवार कल्याण केन्द्रो व प्रसव केन्द्रो में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। उच्च तकनीकी से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण तथा शिक्षा के प्रचार-प्रसार से जन्म दर व मृत्यु दर में गिरावट हुयी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की दशकीय वृद्धि दर में कमी दर्ज की गयी है। विभिन्न नीतिगत 2002, और एनआरएचएम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में वर्णित परिवार कल्याण कार्यक्रमों के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को पूरा करने तथा भारत सरकार की वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए परिवार नियोजन प्रभाग के लक्ष्यों कार्यनीतिय, कार्यकलापों तथा उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार की गयी। तथा इनको प्रचालित किया गया।

उद्देश्य

1. धार्मिक जनसंख्या पर परिवार कल्याण योजनाओं के प्रभाव को जानना।
2. जनसंख्या पर शिक्षा के प्रभाव का विश्लेषण करना।
3. जनसंख्या को नियंत्रित करने में परिवार नियोजन के साधनो की व्याख्या करना।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मुख्यतः द्वितीयक आँकडों पर आधारित हैं। अतः आँकडों का संकलन विभिन्न कार्यालय से प्राप्त दस्तावेज, प्रलेखो, पुस्तकों एवं अन्य प्रकाशनों से किया गया हैं।

अध्ययन क्षेत्र पर प्रभाव

अध्ययन क्षेत्र राजस्थान राज्य का दौसा जिला हैं जिसकी अवस्थिति 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 76 डिग्री 53 मिनट से 78 डिग्री 16 मिनट पूर्वी देशान्तर तक फैला हुआ हैं। दौसा जिलें को जयपुर से पृथक कर 10 अप्रैल 1991 को नया जिला बनाया गया। दौसा जिलें का कुल क्षेत्रफल 3432 वर्ग किलोमीटर हैं। इस जिलें के उत्तर में अलवर, उत्तर-पूर्व में भरतपुर, पूर्व में करौली- सवाईमाधोपुर, दक्षिण टोंक एवं पश्चिम में जयपुर जिलें से सीमा लगती हैं। जिलें में 2023-24 में 11 उपखण्ड तथा 15 तहसील हैं। जिलें में गाँवों की कुल संख्या 1166 हैं जिनमें 1140 ग्राम आबाद तथा 26 ग्राम गैर आबाद हैं। जिलें में पंचायत समिति 11, ग्राम पंचायत सितम्बर 2024 तक 279 तथा नगर परिषद/नगर पालिका 2024 तक 11 हैं तथा कुल कस्बों की संख्या 5 हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने व स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढाँचे में गुणवत्तापूर्ण बदलाव लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना की है। इस मिशन का गठन सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 12 अप्रेल, 2005 को किया गया।

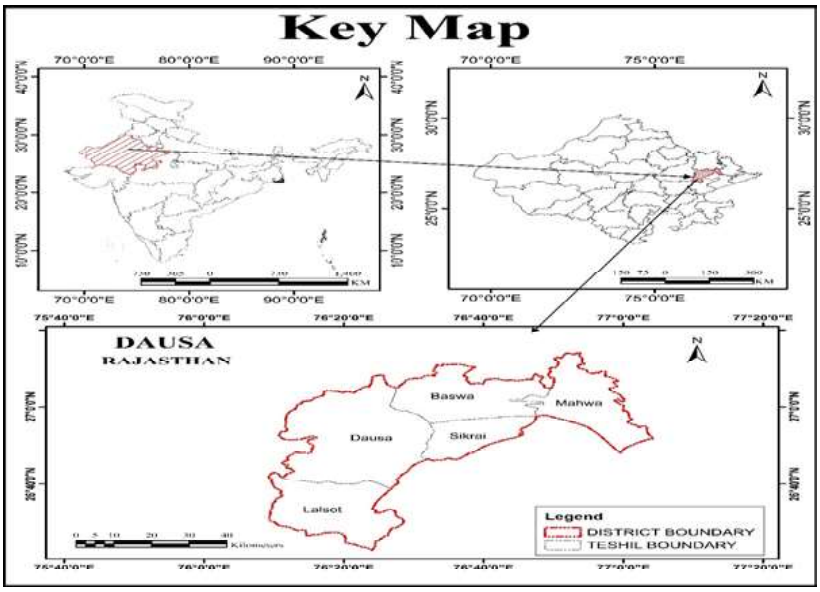

राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना

राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना के लागू होने के बाद अब सरकारी अस्पतालों में प्रसव के समय वांछित जांचें, दवाईयाँ, रक्त (ब्लड), सिजेरियन ऑपरेशन, भोजन एवं परिवहन सुविधाएं मुफ्त दी जा रही हैं साथ ही बीमार शिशुओं के लिए 30 दिनों तक चिकित्सा सेवा मय आने जाने के खर्चे के सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवायी जा रहा है। 12 सितम्बर, 2011 को यह योजना राज्य में आरम्भ की गई।

राजस्थान जननी -शिशु सुरक्षा योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राजस्थान जननी-शिशु सुरक्षा योजना के तहत माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना प्रमुख लक्ष्य रहा है। माता एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने तथा संस्थागत प्रसवों में वृद्धि हेतु एवं 30 दिवस तक की उम्र के बीमार नवजात शिशुओं तथा प्रसुताओं के चिकित्सा खर्च के बोझ को कम करने के उद्देश्य स्वरूप राजस्थान जननी-सुरक्षा योजना की शुरूआत 12 सितम्बर 2011 को राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से किया गया।

बालिका सम्बल योजना

बालिका सम्बल योजना का प्रारम्भ राज्य में गिरते लिंगानुपात को रोकने के उदेश्य से की गई है। इस योजना का प्रारम्भ 1 अप्रैल 2007 को किया गया है।

ज्योति योजना

योजना का संक्षिप्त परिचय पुत्र रहित केवल एक या दो बालिकाओं के पश्चात् स्वेच्छा से परिवार कल्याण का स्थाई साधन (नसबन्दी ऑपरेशन) अपनाने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता देने हेतु ज्योति योजना तैयार की गई है। 1 अप्रैल 2011 को ज्योति योजना की शुरूआत की गई हैं।

तालिका संख्या 01: गर्भ निरोधक उपकरण (पंचायत समिति) जिला दौसा (संख्या)

पंचायत समिति	2020–2021				2023–2024			
	वितरण		उपयोगकर्ता		वितरण		उपयोगकर्ता	
	कण्डोम	ऑरल पिल्स	कण्डोम	ऑरल पिल्स	कण्डोम	ऑरल पिल्स	कण्डोम	ऑरल पिल्स
दौसा	162150	12240	1410	1020	93856	7620	738	631
लालसोट	140672	12552	1256	1046	77826	7116	784	594
बांदीकुई	137943	10104	1179	842	92214	5352	756	447
सिकराय	176755	14424	1537	1202	14300	1452	143	137
महवा	132944	7680	1187	640	92180	6744	743	441
लवाण	0	0	0	0	64736	6984	578	482
बैजुपाडा	—	—	—	—	24530	2028	223	169
नांगल राजावतान	—	—	—	—	12880	1444	315	137
रामगढ पचवारा	—	—	—	—	89980	4536	643	398
सिकन्दरा	—	—	—	—	11648	1080	104	90
बसवा	—	—	—	—	101043	3792	427	316
योग	750464	57000	6569	4750	574150	48148	5454	3842

स्त्रोतः- कार्यालय उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प. क.), दौसा।

तालिका संख्या 01 गर्भ निरोधक उपकरण (पंचायत समिति) जिला दौसा की प्रगति को दर्शाती हैं। वर्ष 2020-2021 के दौरान जिला दौसा में कण्डोम 750464 तथा ऑरल पिल्स 570000 का वितरण किया गया। वर्ष 2020-2021 के दौरान जिलें में कण्डोम 6569 तथा ऑरल पिल्स 4750 का उपयोगकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया गया। वर्ष 2023-2024 के दौरान जिला दौसा में कण्डोम 574150 तथा ऑरल पिल्स 48148 का वितरण किया गया। वर्ष 2023-2024 के दौरान जिलें में कण्डोम 5454 तथा ऑरल पिल्स 3842 का उपयोगकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया गया। वर्ष 2020-21 व वर्ष 2023-24 के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता हैं कि वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2023-24 में कण्डोम व

आरेख 01

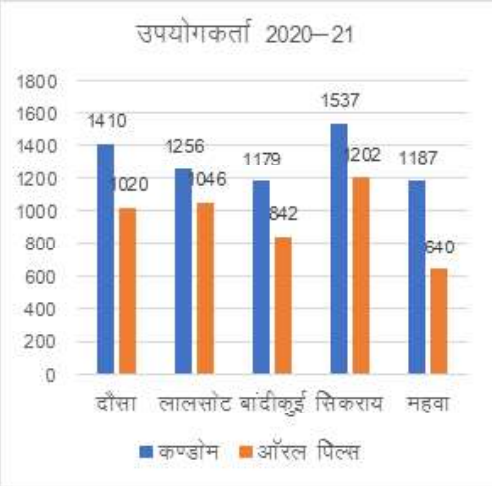

आरेख 02

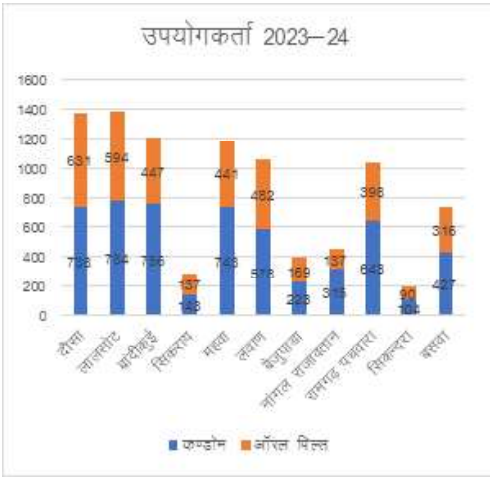

ऑरल पिल्स का वितरण में कमी हुयी हैं तथा उपयोगकर्ताओं द्वारा कण्डोमों व ऑरल पिल्स का कम इस्तेमाल किया गया हैं। कण्डोम व ऑरल पिल्स का किये गये वितरण की तुलना में बहुत ही कम इस्तेमाल किये गये हैं। कण्डोम व ऑरल पिल्स के कम उपयोग के कारण जैसे- जनचेतना का अभाव, कण्डोम व ऑरल पिल्स के प्रति उदासीनता, लोगो में शर्म, शिक्षा का अभाव, गरीबी व दरिद्रता इत्यादि।

परिणामस्वरूप यह कहा जा सकता हैं कि व्यक्ति कण्डोम व ऑरल पिल्स का इस्तेमाल कर रहे है जोकि परिवार नियोजन के साधन हैं। अत: परिवार नियोजन के साधन जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं।

तालिका संख्या 02: धार्मिक जनसंख्या का तहसील वितरण जिला दौसा (प्रतिशत)

धर्म/वर्ष	2001					2011 तहसील				
	बसवा	महवा	सिकराय	दौसा	लालसोट	बसवा	महवा	सिकराय	दौसा	लालसोट
हिन्दु	98.62	94.63	98.73	95.89	96.92	98.62	94.28	98.54	96.13	96.52
मुस्लिम	1.12	4.69	1.13	3.66	2.76	1.11	5.05	1.18	3.45	3.09
सिख	0.04	0.05	0.02	0.06	0.03	0.02	0.02	0.01	0.03	0.01
जैन	0.18	0.61	0.08	0.35	0.29	0.11	0.51	0.08	0.25	0.22
ईसाई	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.04	0.03	0.01	0.04	0.02
बौद्ध	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00
धर्म नहीं बताया	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.08	0.11	0.17	0.09	0.15

स्त्रोत:-1. जनगणना 2011 डेटा-censusindia.gov.in

2. जनगणना प्रतिवेदन 2011, राजस्थान

तालिका संख्या 02 धार्मिक जनसंख्या का तहसील वितरण जिला दौसा को दर्शाती हैं। वर्ष 2001 के अनुसार तहसील बसवा में हिन्दु 98.62 प्रतिशत, मुस्लिम 1.12 प्रतिशत, सिख 0.04 प्रतिशत, जैन 0.18 प्रतिशत, ईसाई 0.03 प्रतिशत तथा धर्म नही बताने वाले 0.02 प्रतिशत निवास करते हैं। तहसील महवा में हिन्दु 94.63 प्रतिशत, मुस्लिम 4.69 प्रतिशत, सिख 0.05 प्रतिशत, जैन 0.61 प्रतिशत तथा ईसाई 0.03 प्रतिशत निवास करते हैं। तहसील सिकराय में हिन्दु 98.73 प्रतिशत, मुस्लिम 1.13 प्रतिशत, सिख 0.02 प्रतिशत, जैन 0. 08 प्रतिशत, बौद्ध 0.02 प्रतिशत तथा धर्म नही बताने वाले 0.02 प्रतिशत निवास करते हैं। तहसील दौसा में हिन्दु 95.89 प्रतिशत, मुस्लिम 3.66 प्रतिशत, सिख 0.06 प्रतिशत, जैन 0.35 प्रतिशत तथा ईसाई 0.03 प्रतिशत निवास करते हैं। तहसील लालसोट में हिन्दु 96.92 प्रतिशत, मुस्लिम 2.76 प्रतिशत, सिख 0.03 प्रतिशत, तथा जैन 0.29 प्रतिशत, निवास करते हैं। वर्ष 2011 के अनुसार तहसील बसवा में हिन्दु 98.62 प्रतिशत, मुस्लिम 1.11 प्रतिशत, सिख 0.02 प्रतिशत, जैन 0.11 प्रतिशत, ईसाई 0.04 प्रतिशत तथा धर्म नही बताने वाले 0.08 प्रतिशत निवास करते हैं। तहसील महवा में हिन्दु 94.28 प्रतिशत, मुस्लिम 5.05 प्रतिशत, सिख 0.02 प्रतिशत, जैन 0.51 प्रतिशत, ईसाई 0.03 प्रतिशत तथा धर्म नही बताने वाले 0.11 प्रतिशत निवास करते हैं। तहसील सिकराय में हिन्दु 98.54 प्रतिशत, मुस्लिम 1. 18 प्रतिशत, सिख 0.01 प्रतिशत, जैन 0.8 प्रतिशत, ईसाई 0.01 प्रतिशत तथा धर्म नही बताने वाले 0.17 प्रतिशत निवास करते हैं। तहसील दौसा में हिन्दु 96.13 प्रतिशत, मुस्लिम 3.45 प्रतिशत, सिख 0.03 प्रतिशत, जैन 0.25 प्रतिशत, ईसाई 0.04 प्रतिशत तथा धर्म नही बताने वाले 0.09 प्रतिशत निवास करते हैं। तहसील लालसोट में हिन्दु 96.52 प्रतिशत, मुस्लिम 3.09 प्रतिशत, सिख 0.01 प्रतिशत, जैन 0.22 प्रतिशत, ईसाई 0.02 प्रतिशत तथा धर्म नही बताने वाले 0.15 प्रतिशत निवास करते हैं। तालिका के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता हैं कि जिलें की सभी तहसीलों में हिन्दु धर्म की जनसंख्या में कमी हुयी हैं। मुस्लिम धर्म की जनसंख्या महवा, सिकराय तथा लालसोट तहसील में वृद्धि हुयी हैं तथा बसवा व दौसा की जनसंख्या में आंशिक कमी हुयी हैं। सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध तथा अन्य धर्मो की जनसंख्या में कमी हुयी हैं। अत: परिणामस्वरूप सभी धर्मो में परिवार कल्याण योजनाओं का प्रभाव देखने को मिला हैं।

तालिका संख्या 03: दौसा जिले की तहसीलों की साक्षरता दर 2001 तथा 2011(प्रतिशत)

तहसील	2001	2011	(–+)अन्तर
बसवा	66.6	70.11	3.51
महवा	65.9	68.59	2.69
सिकराय	61.3	66.22	4.92
दौसा	61.3	68.62	7.32
लालसोट	54.9	66.81	11.91
जिला दौसा	61.8	68.16	6.36

स्त्रोतः- जनगणना प्रतिवेदन-2001 तथा 2011, राजस्थान।

तालिका संख्या 03 दौसा जिले की तहसीलों की साक्षरता दर 2001 तथा 2011 को प्रदर्शित करती हैं। वर्ष 2001 में तहसील बसवा में 66.1 प्रतिशत साक्षरता दर थी जो वर्ष 2011 में बढकर 70.11 प्रतिशत हो गयी हैं। वर्ष 2001 में तहसील महवा में 65.9 प्रतिशत साक्षरता दर थी जो वर्ष 2011 में बढकर 68.59 प्रतिशत हो गयी हैं। वर्ष 2001 में तहसील सिकराय में 61.3 प्रतिशत साक्षरता दर थी जो वर्ष 2011 में बढकर 66.22 प्रतिशत हो गयी हैं। वर्ष 2001 में तहसील दौसा में 61.3 प्रतिशत साक्षरता दर थी जो वर्ष 2011 में बढकर 68.62 प्रतिशत हो गयी हैं। वर्ष 2001 में तहसील लालसोट में 54.9 प्रतिशत साक्षरता दर थी जो वर्ष 2011 में बढकर 66. 81 प्रतिशत हो गयी हैं। वर्ष 2001 में जिला दौसा में 61.8 प्रतिशत साक्षरता दर थी जो वर्ष 2011 में बढकर 68.16 प्रतिशत हो गयी हैं। साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि लालसोट तहसील में 11.91 प्रतिशत तथा दौसा तहसील में 7.32 प्रतिशत हुयी हैं। साक्षरता दर में न्यून वृद्धि महवा तहसील में 2.69 प्रतिशत प्रतिशत हुयी हैं।

परिणामस्वरूप दौसा जिलें की सभी तहसीलों में वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में

आरेख 03

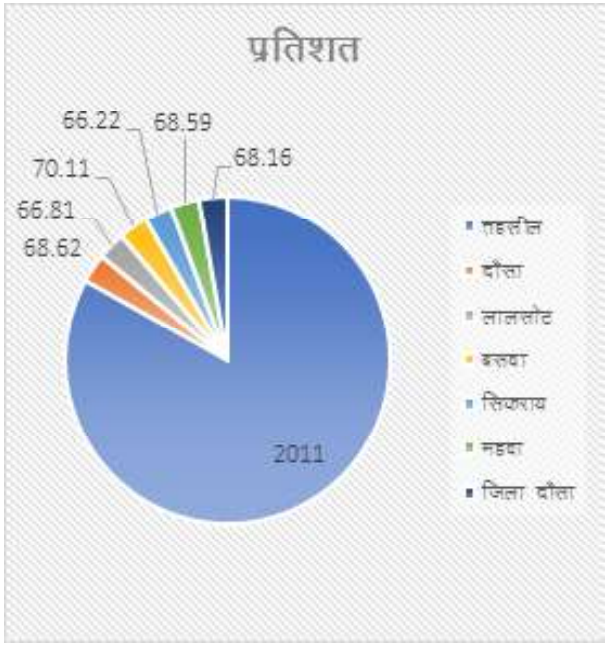

आरेख 04

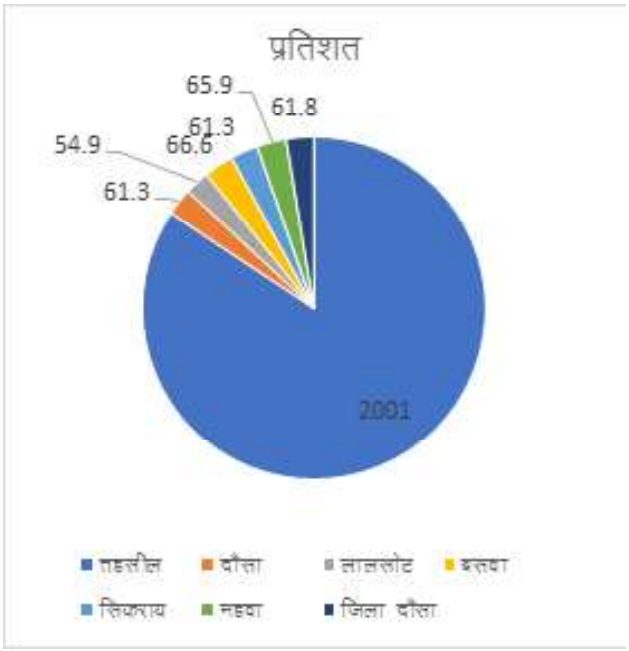

साक्षरता की दर में वृद्धि हुयी हैं। इससे स्पष्ट होता है कि क्षेत्र के निवासियों में शिक्षा के प्रति अच्छा दृष्टिकोण हैं। सभी तहसीलों की साक्षरता दर में वृद्धि हुयी हैं। अतः साक्षर व्यक्ति जनसंख्या को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता हैं।

सुझाव एवं उपाय

अध्ययन क्षेत्र में परिवार कल्याण योजनाओं का जनसंख्या पर प्रभाव तो पडा हैं परन्तु अपेक्षानुरूप परिवर्तन नही हुआ हैं। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर में कमी हुयी हैं। धार्मिक रूप से जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर में कमी हुयी हैं। अत: जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने परिवार कल्याण योजनाएँ सहायक हैं। परन्तु आज के परिपेक्ष्य में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाना अत्यन्त आवश्यक हैं।

1. प्रिवार कल्याण योजनाओं का जनमानस तक प्रचार-प्रसार करना।
2. शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।
3. जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न संकटों के बारे में जनमानस में चेतना फैलाना।
4. पर्यावरण शिक्षा को जनमानस तक प्रचार-प्रसार करना।
5. बच्चा एक ही अच्छा के अभियान के तहत् सरकार द्वारा एक बच्चे की नीति वाला कानून लागू करना चाहिए।
6. प्रत्येक ग्राम स्तर पर परिवार नियोजन केन्द्र खोले जाने चाहिए।
7. परिवार नियोजन के साधनों जैसे कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियाँ, नसबंदी (पुरूष व महिला) कॉपर-टी, कलेन्डर उपाय इत्यादि का बडे स्तर पर प्रचार-प्रसार करना।
8. पुरूष व महिला नसबंदी के लिए समाज को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
9. मनेरंजन के साधन उपलब्ध करवाना चाहिए।
10. रोजगार उपलब्ध करवाना

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. राजस्थान जनगणना रिपोर्ट, 2001 व 2011
2. दौसा सांख्यिकीय विभाग, दौसा।
3. राज्य आर्थिक समीक्षा प्रतिवेदन, 2016-17
4. सांख्यिकी रूपरेखा 2024, जिला दौसा।
5. लाल, हीरा. 1993. जनसंख्या भूगोल, वसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर, पृ. 404.
6. http://en.wikipedia.org/wiki/dausa-district
7. www.rajseasthya.nic.in
8. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग प्रगति प्रतिवेदन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, वर्ष 2013-14
9. परिवार कल्याण विभाग प्रगति प्रतिवेदन, 2014-15

शाकम्भरी के चाहमानः एक अध्ययन

मीरा कुमारी

शोध छात्रा, इतिहास विभाग, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

सारांश

शाकंभरी के चाहमान (IAST: चाहमान), जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में सांभर के चौहान या अजमेर के चौहान के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय राजवंश थे जिन्होंने छठी से बारहवीं शताब्दी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में वर्तमान राजस्थान और पड़ोसी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। उनके द्वारा शासित क्षेत्र को सपादलक्ष के नाम से जाना जाता था। वे चौहान राजपूत वंश के सबसे प्रमुख शासक परिवार थे।

चाहमानों की मूल राजधानी शाकंभरी (वर्तमान सांभर झील शहर) थी। 10वीं शताब्दी तक, उन्होंने प्रतिहार जागीरदारों के रूप में शासन किया। जब त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद प्रतिहार शक्ति का पतन हुआ, तो चाहमान शासक सिंहराज ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में, अजयराज द्वितीय ने राज्य की राजधानी अजयमेरु (आधुनिक अजमेर) में स्थानांतरित कर दी। इस कारण से, चाहमान शासकों को "अजमेर के चौहान" के रूप में भी जाना जाता है।

मूल शब्दः शाकंभरी के चाहमान, सांभर, चौहान, अजमेर, भारतीय राजवंश

प्रस्तावना

सोमेश्वर के 1170 ई. के बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, प्रारंभिक चाहमान राजा सामंतराज का जन्म अहिच्छत्रपुरा में ऋषि वत्स के गोत्र में हुआ था। इतिहासकार आरबी सिंह का मानना है कि चाहमानों ने संभवतः अहिच्छत्रपुरा (नागौर से पहचाना जाने वाला) के छोटे शासकों के रूप में शुरुआत की, और जैसे-जैसे उनका राज्य बढ़ता गया, उन्होंने अपनी राजधानी शाकंभरी (सांभर) में स्थानांतरित कर दी। बाद में, वे शाही प्रतिहारों के जागीरदार बन गए।

राजवंश की उत्पत्ति के कई पौराणिक विवरण भी मौजूद हैं। राजवंश के शुरुआती शिलालेखों और साहित्यिक कार्यों में कहा गया है कि राजवंश का पूर्वज चाहमान नामक एक महान नायक था। वे अलग-अलग बताते हैं कि यह नायक इंद्र की आंख से, ऋषि वत्स के वंश में, सौर वंश में और/या ब्रह्मा द्वारा किए गए अनुष्ठान बलिदान के दौरान पैदा हुआ था। एक लोकप्रिय मध्ययुगीन विवरण राजवंश को चार अग्निवंशी राजपूत कुलों में वर्गीकृत करता है, जिनके पूर्वजों के बारे में कहा जाता है कि वे बलि की आग से निकले थे। इस किंवदंती का उल्लेख करने वाले शुरुआती स्रोत पृथ्वीराज रासो के १६वीं शताब्दी के संस्करण हैं। कुछ औपनिवेशिक युग के इतिहासकारों ने इस मिथक की व्याख्या राजवंश की विदेशी उत्पत्ति का सुझाव देने के लिए की, यह अनुमान लगाते हुए कि विदेशी योद्धाओं को हिंदू समाज में अग्नि अनुष्ठान के माध्यम से शुरू किया गया था।

चाहमान शासक विग्रहराज चतुर्थ का सिक्का, लगभग 1150- लगभग 1164। अग्रभागः बाईं ओर खड़े राम, धनुष थामे हुए

चाहमानों ने अपने पड़ोसियों के साथ कई युद्ध लड़े, जिनमें गुजरात के चौलुक्य, दिल्ली के तोमर, मालवा के परमार और बुंदेलखंड के चंदेल शामिल थे। 11वीं शताब्दी के बाद से, उन्हें मुस्लिम आक्रमणों का सामना करना पड़ा, पहले गजनवी और फिर घुरिद द्वारा। 12वीं शताब्दी के मध्य में विग्रहराज चतुर्थ के अधीन चाहमान साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। राजवंश की शक्ति प्रभावी रूप से 1192 ई. में समाप्त हो गई, जब घोर के आक्रमणकारी मुहम्मद ने विग्रहराज चतुर्थ के भतीजे पृथ्वीराज चौहान को हराया और मार डाला।

शासन क्षेत्र

चाहमानों का मुख्य क्षेत्र वर्तमान राजस्थान में स्थित था। इसे सपादलक्ष (IAST: सपादलक्ष) या जांगला-देश (IAST: जांगलादेश) के नाम से जाना जाता था।

शाकंभरी के चाहमानों का अनुमानित क्षेत्र लगभग 1150-1192 ई.पू.

जंगलदेश ("ऊबड़-खाबड़ और शुष्क देश") शब्द पुराना प्रतीत होता है, जैसा कि महाभारत में उल्लेख किया गया है। पाठ में इस क्षेत्र के सटीक स्थान का उल्लेख नहीं है। बाद के संस्कृत ग्रंथों, जैसे कि भाव प्रकाश और शब्दकल्पद्रुम कोष से पता चलता है कि यह एक गर्म, शुष्क क्षेत्र था, जहाँ कम पानी की आवश्यकता वाले पेड़ उगते थे। इस क्षेत्र की पहचान बीकानेर के आसपास के क्षेत्र से की जाती है।

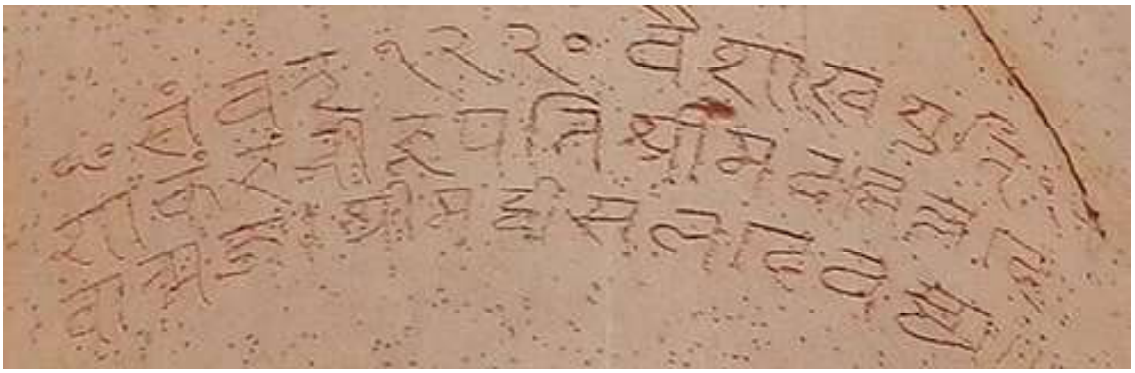

दिल्ली-टोपरा स्तंभ पर विशालदेव शिलालेख, 12वीं शताब्दी।

सपादलक्ष (शाब्दिक अर्थ "सवा लाख" या 125,000) शब्द क्षेत्र में बड़ी संख्या में गांवों को संदर्भित करता है। यह चाहमान शासनकाल के दौरान प्रमुख हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह शब्द मूल रूप से बीकानेर के पास आधुनिक नागौर के आसपास के क्षेत्र को संदर्भित करता था। इस क्षेत्र को 20वीं शताब्दी के अंत में सावलक (सपादलक्ष का स्थानीय रूप) के रूप में जाना जाता था। प्रारंभिक चाहमान राजा सामंतराज अहिच्छत्रपुरा में स्थित थे, जिसे आधुनिक नागौर के साथ पहचाना जा सकता है। नागौर का प्राचीन

नाम नागापुरा था, जिसका अर्थ है "सर्प का शहर"। अहिच्छत्रपुरा का भी कुछ ऐसा ही अर्थ है: "वह शहर जिसका छत्र या रक्षक सर्प है"।

जैसे-जैसे चाहमानों का क्षेत्र विस्तृत होता गया, उनके द्वारा शासित पूरा क्षेत्र सपादलक्ष के नाम से जाना जाने लगा। इसमें बाद की चाहमान राजधानियाँ अजयमेरु (अजमेर) और शाकंभरी (सांभर) शामिल थीं। यह शब्द चाहमानों द्वारा कब्जा किए गए बड़े क्षेत्र पर भी लागू होने लगा। प्रारंभिक मध्ययुगीन भारतीय शिलालेखों और समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों के लेखन से पता चलता है कि निम्नलिखित शहर भी सपादलक्ष में शामिल थे: हांसी (अब हरियाणा में), मंडोर (अब मारवाड़ क्षेत्र में) और मंडलगढ़ (अब मेवाड़ क्षेत्र में)।

इतिहास

हर्षनाथ मंदिर का निर्माण चाहमान शासकों द्वारा करवाया गया था।

सबसे पहला ऐतिहासिक चाहमान राजा 6वीं शताब्दी का शासक वासुदेव है। पृथ्वीराज विजया के एक पौराणिक विवरण के अनुसार, उन्हें एक विद्याधर (अलौकिक प्राणी) से उपहार के रूप में सांभर साल्ट लेक प्राप्त हुई थी। उनके तात्कालिक उत्तराधिकारियों के बारे में बहुत कम जानकारी है। 8वीं शताब्दी के चाहमान शासक दुर्लभराज प्रथम और उनके उत्तराधिकारियों को जागीरदार के रूप में गुर्जर-प्रतिहारों की सेवा करने के लिए जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में, वाक्पटिराज प्रथम ने गुर्जर-प्रतिहार आधिपत्य को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया, और महाराजा ("महान राजा") की उपाधि धारण की। उनके छोटे बेटे लक्ष्मण ने नड्डुला चाहमान शाखा की स्थापना की। वाक्पटिराज के बड़े बेटे और उत्तराधिकारी सिंहराज ने महाराजाधिराज ("महान राजाओं के राजा") की उपाधि धारण की,

सिंहराज के उत्तराधिकारियों ने गुजरात के चौलुक्यों और दिल्ली के तोमरों सहित अपने पड़ोसियों के साथ युद्ध करके चाहमान शक्ति को मजबूत किया। राजवंश का सबसे पुराना शिलालेख (973 ई.) विग्रहराज द्वितीय के शासनकाल का है। वीर्यराम के शासनकाल (लगभग 1040 ई.) के दौरान, परमार राजा भोज ने चाहमान साम्राज्य पर आक्रमण किया और संभवत: कुछ समय के लिए उनकी राजधानी शाकंभरी पर कब्जा कर लिया। चामुंडराज ने चाहमान शक्ति को बहाल किया, संभवत: नड्डुला चाहमानों की मदद से।

बाद के चाहमान राजाओं को कई गजनवी छापों का सामना करना पड़ा। अजयराज द्वितीय (शासनकाल १११०-११३५ ई.) ने गजनवी हमले को विफल किया और परमार राजा नरवर्मन को भी हराया। उन्होंने राज्य की राजधानी शाकंभरी से अजयमेरु (अजमेर) स्थानांतरित की, एक शहर जिसे उन्होंने या तो स्थापित किया या काफी विस्तार किया। उनके उत्तराधिकारी अर्नोराजा ने तोमर क्षेत्र पर छापा मारा और अजमेर के पास तुरुश्काओं के वध में गजनवी शासक बहराम शाह को भी हराया। हालांकि, उन्हें गुजरात के चौलुक्य राजाओं जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल के खिलाफ असफलताओं का सामना करना पड़ा और उनके अपने बेटे जगदेव ने उन्हें मार डाला।

बिसलदेव मंदिर का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ द्वारा करवाया गया था

अर्णोराजा के छोटे बेटे विग्रहराज चतुर्थ ने चाहमान क्षेत्रों का काफी विस्तार किया और तोमरों से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उन्होंने विग्रहराज चतुर्थ के मुसलमानों के खिलाफ पहले युद्ध में गजनवीड राजा खुसरो शाह को भी हराया। उनके राज्य में वर्तमान राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्से शामिल थे। इसमें संभवत: पंजाब का एक हिस्सा (सतलज नदी के दक्षिण-पूर्व में) और उत्तरी गंगा के मैदान का एक हिस्सा (यमुना के पश्चिम में) भी शामिल था। उनके ११६४ ईस्वी के दिल्ली-शिवालिक स्तंभ शिलालेख का दावा है कि उन्होंने हिमालय और विंध्य के बीच के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और इस तरह आर्यावर्त में आर्यों का शासन बहाल किया। हालांकि यह एक अतिशयोक्ति है, यह पूरी तरह से निराधार नहीं है। शिलालेख मूल रूप से शिवालिक पहाड़ियों (हिमालय की तलहटी) के पास टोपरा गांव में पाया गया था इस प्रकार विग्रहराज का प्रभाव, कम से कम नाममात्र के लिए, हिमालय से विंध्य तक फैला हुआ था।

राजपूतों का अंतिम मोर्चा, 1192 में गौरीद साम्राज्य की सेनाओं के खिलाफ तराइन के दूसरे युद्ध को दर्शाता है।

विग्रहराज के बाद उनके बेटे अमरगंगेय और फिर उनके भतीजे पृथ्वीराज द्वितीय ने गद्दी संभाली। इसके बाद, उनके छोटे भाई सोमेश्वर ने गद्दी संभाली।

राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय था, जिसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। उसने 1182-83 में चंदेला शासक परमर्दि सहित कई पड़ोसी राजाओं को हराया, हालाँकि वह चंदेला क्षेत्र को अपने राज्य में नहीं मिला सका। 1191 में, उसने तराइन के पहले युद्ध में गौर के गौरीद साम्राज्य के राजा मुहम्मद को हराया। हालाँकि, अगले वर्ष, वह तराइन के दूसरे युद्ध में मुहम्मद गौर से हार गया और बाद में मारा गया।

मुहम्मद गौर ने पृथ्वीराज के बेटे गोविंदराज चतुर्थ को जागीरदार नियुक्त किया। पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने उसे गद्दी से उतार दिया और अपने पैतृक राज्य के एक हिस्से पर फिर से कब्जा कर लिया। हरिराज को 1194 ई. में घुरिदों ने हरा दिया। गोविंदराज को घुरिदों ने रणथंभौर की जागीर दे दी। वहाँ, उन्होंने राजवंश की एक

नेमिनाथ की प्रतिमा (जैन धर्म), चाहमान वंश, नरहड़, राजस्थान, 11वीं शताब्दी ई. राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली।

चाहमानों ने कई हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें से कई को पृथ्वीराज तृतीय की हार के बाद घुरिद आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया।

हर्षनाथ मंदिर के निर्माण में कई चाहमान शासकों ने योगदान दिया, जिसका निर्माण संभवत: गोविंदराज प्रथम ने करवाया था। पृथ्वीराज विजय के अनुसार

- सिंहराज ने पुष्कर में एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया
- चामुंडराज ने नरापुरा (अजमेर जिले में आधुनिक नरवर) में एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया
- पृथ्वीराज प्रथम ने तीर्थयात्रियों के लिए सोमनाथ मंदिर के रास्ते पर एक खाद्य वितरण केंद्र (अन्न-सत्र) का निर्माण किया। विग्रहराज चतुर्थ कला और साहित्य के संरक्षण के लिए जाने जाते थे और उन्होंने खुद हरिकेली नाटक की रचना की थी। संरचना जिसे बाद में अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद में बदल दिया गया था, उसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी।

चाहमान शासकों ने जैन धर्म को भी संरक्षण दिया। विजयसिम्हा सूरी की उपदेशमालावृत्ति (1134 सीई) और चंद्र सूरी की मुनिसुव्रत-चरित (1136 सीई) में कहा गया है कि पृथ्वीराज प्रथम ने रणथंभौर में जैन मंदिरों के लिए स्वर्ण कलश (कपोलस) दान किए थे। खरतारा -गच्छ - पट्टावली में कहा गया है कि अजयराज द्वितीय ने जैनियों को अपनी राजधानी अजयमेरु (अजमेर) में अपने मंदिर बनाने की अनुमति दी थी, और पार्श्वनाथ मंदिर को एक स्वर्ण कलश भी दान किया था। सोमेश्वर ने रेवना गांव को पार्श्वनाथ मंदिर के लिए प्रदान किया।

विजय दृश्य, चाहमानस राजवंश, सीकर, राजस्थान, 10वीं शताब्दी ई. राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली।

प्रमुख शासकों की सूची

पृथ्वीराज तृतीय, राजवंश के सबसे प्रसिद्ध शासक

शाकम्भरी और अजमेर के चाहमान शासकों की सूची, उनके शासनकाल की अनुमानित अवधि सहित, आर.बी. सिंह द्वारा अनुमानित है:

#	शासक	शासनकाल (ई.पू.)
1	चहामाणा	(पौराणिक)
2	वसु-देव	लगभग 551 ई. (विवादित)
3	सामंत-राजा	684–709
4	नर-देव	709–721
5	अजय-राजा प्रथम	721–734
6	विग्रह-राजा प्रथम	734–759
7	चन्द्र-राजा प्रथम	759–771
8	गोपेन्द्र-राजा	771–784
9	दुर्लभराजा प्रथम	784–809
10	गोविंदा-राजा प्रथम उर्फ *गुवाका प्रथम*	809–836
11	चन्द्र राजा द्वितीय	836–863
12	गोविंदराजा द्वितीय उर्फ *गुवाका द्वितीय*	863–890
१३	चंदना-राजा	890–917
14	वाक्पति-राजा	917–944
15	सिंह-राजा	944–971
16	विग्रह-राजा द्वितीय	971–998
17	दुर्लभ राजा द्वितीय	998–1012
18	गोविंदा राजा तृतीय	1012–1026
19	वाक्पति-राजा द्वितीय	1026–1040
20	वीर्यराम	1040 (कुछ महीने)
21	चामुंडा-राजा	1040–1065
22	दुर्लभ-राजा तृतीय उर्फ *दुशाला*	1065–1070
23	विग्रह-राज तृतीय उर्फ *विशाल*	1070–1090
24	पृथ्वीराज प्रथम	1090–1110
25	अजय-राजा द्वितीय	1110–1135
26	अर्नो-राजा उर्फ *एना*	1135–1150
27	जगद-देव	1150
28	विग्रह-राजा चतुर्थ उर्फ *विशालदेव*	1150–1164
29	अपरा-गंगेय	1164–1165
30	पृथ्वीराज द्वितीय	1165–1169
३१	सोमेश्वर	1169–1178
32	पृथ्वीराज तृतीय (राय पिथौरा)	1177–1192
33	गोविंदा राजा चतुर्थ	1192
34	हरि-राजा	1193–1194

शाकम्भरी के चाहमान और मुख्य दक्षिण एशियाई राजव्यवस्थाएँ 1175 में

निष्कर्ष

चौहान वंश (चाहमान वंश) एक भारतीय राजवंश था जिसके शासकों ने वर्तमान राजस्थान, गुजरात एवं इसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर ७वीं शताब्दी से लेकर १२वीं शताब्दी तक शासन किया। उनके द्वारा शासित क्षेत्र 'सपादलक्ष' कहलाता था। वे चरणमान (चौहान) कबीले के सबसे प्रमुख शासक परिवार थे। मध्ययुगीन किंवदंतियों के अनुसार वे अग्निवंशी थे जो बाद में राजपूत समूह में मिल गए।

चौहानों ने मूल रूप से शाकंभरी (वर्तमान में सांभर लेक टाउन) में अपनी राजधानी बनाई थी। 10वीं शताब्दी तक, उन्होंने राजपूत प्रतिहार जागीरदारों के रूप में शासन किया। जब त्रिपिट्री संघर्ष के बाद राजपूत प्रतिहार शक्ति में गिरावट आई, तो चमन शासक सिमरजा ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में, अजयराजा II ने राज्य की राजधानी को अजयमेरु (आधुनिक अजमेर) में स्थानांतरित कर दिया। इसी कारण से, चम्मन शासकों को अजमेर के चौहानों के रूप में भी जाना जाता है।

चालुक्य, तोमर,परमारों और चंदेलों सहित, कई लोगों ने अपने पड़ोसियों के साथ कई युद्ध लड़े। 11 वीं शताब्दी के बाद से, उन्होंने मुस्लिम आक्रमणों का सामना करना शुरू कर दिया, पहले गजनवी द्वारा, और फिर गोरी द्वारा। १२ वीं शताब्दी के मध्य में विग्रह राजा चतुर्थ के तहत चम्मन राज्य अपने आंचल में पहुँच गया। वंश की शक्ति प्रभावी रूप से 1192 CE में समाप्त हो गई, जब घुरिड्स ने पृथ्वीराज तृतीय को हराया।

संदर्भ

- अल्फ हिल्टेबेइटेल (1999). भारत के मौखिक और शास्त्रीय महाकाव्यों पर पुनर्विचार: राजपूतों, मुसलमानों और दलितों के बीच द्रौपदी। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस। आईएसबीएन 978-0-226-34055-5.
- अनीता सुदान (1989)। राजस्थान के चाहमान शिलालेखों का अध्ययन। शोध। OCLC 20754525।
- सिंथिया टैलबोट (2015)। द लास्ट हिंदू एम्परर: पृथ्वीराज कौहान एंड द इंडियन पास्ट, 1200-2000। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। आईएसबीएन 9781107118560.
- दशरथ शर्मा (1959). प्रारंभिक चौहान राजवंश। एस चंद/मोतीलाल बनारसीदास. आईएसबीएन 9780842606189
- हर बिलास सारदा (1935)। भाषण और लेखन हर बिलास सारदा। अजमेर: वैदिक यंत्रालय.
- इक्तिदार आलम खान (2008)। मध्यकालीन भारत का ऐतिहासिक शब्दकोश। बिजूका प्रेस. आईएसबीएन 9780810864016.
- आरबी सिंह (1964)। चाहमानों का इतिहास। एन किशोर। ओसीएलसी 11038728।

स्वास्थ्य पर आर्थिक स्थिति का प्रभाव

डॉ० नीलिमा दुबे

असिस्टेंट प्रोफेसर, गृह विज्ञान विभाग, हवाबाग कॉलेज, जबलपुर

सारांश

स्वास्थ्य लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति (SES) और जीवनशैली से जुड़ा हुआ है। इस अध्ययन में उत्तरदाताओं के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर SES के प्रभाव की जांच की गई। इसके अलावा, हमने SES और स्वास्थ्य के बीच संबंधों पर जीवनशैली के संभावित मध्यस्थ प्रभाव का पता लगाया। परिणामों ने संकेत दिया कि SES का लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर SES का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं था। जीवनशैली का शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य दोनों पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके अलावा, जीवनशैली ने SES और स्वास्थ्य के बीच संबंधों की मध्यस्थता की। यह शोध SES जीवनशैली और स्वास्थ्य के बीच संबंध और मध्यस्थता तंत्र की बेहतर समझ हासिल करने में सहायक है। यह अनुशंसा की जाती है कि भविष्य में अनुदैर्ध्य डिजाइन और व्यापक संकेतकों के साथ शोध किया जाए।

मूल शब्दः सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जीवनशैली, शारीरिक स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य

परिचय

सामाजिक-आर्थिक स्थिति (एसईएस) और स्वास्थ्य के बीच संबंधों का अध्ययन लंबे समय से किया जा रहा है। 1960 के दशक में, शिक्षाविदों का आमतौर पर मानना था कि चिकित्सा प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के साथ, कम से कम विकसित देशों में स्वास्थ्य असमानता कम हो जाएगी। हालांकि, 1980 के दशक में, ब्लैक ने पाया कि ब्रिटेन में स्वास्थ्य असमानता न केवल कम हुई है, बल्कि वास्तव में बढ़ी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में किए गए अध्ययनों ने भी इस निष्कर्ष का समर्थन किया है, अर्थात, उच्च एसईएस वाले समूह की स्वास्थ्य स्थिति स्पष्ट रूप से निम्न एसईएस वाले समूह से बेहतर है। इन अध्ययनों ने स्वास्थ्य पर एसईएस के गहन प्रभाव की पुष्टि की; हालांकि, इस घटना के पीछे का तंत्र बहस का विषय रहा है। विद्वानों ने दो अलग-अलग दृष्टिकोणों का प्रस्ताव दिया है: सामाजिक कारण सिद्धांत और स्वास्थ्य चयनात्मक सिद्धांत। इसके विपरीत, उत्तरार्द्ध का तात्पर्य है कि अच्छे स्वास्थ्य वाले लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं और इस प्रकार उनका एसईएस अधिक होता है। इन तर्कों के बावजूद, इस बात पर सहमति बढ़ती दिख रही है कि स्वास्थ्य पर एसईएस का प्रभाव लोगों की जीवनशैली से निकटता से जुड़ा हुआ है। अधिक ठोस संदर्भ में, व्यक्तियों के प्रयासों और स्वस्थ जीवनशैली विकल्पों के माध्यम से स्वास्थ्य को बनाए रखा जाता है और बेहतर बनाया जाता है।

स्वास्थ्य के निर्धारकों में शामिल हैं:

- सामाजिक और आर्थिक वातावरण,
- भौतिक वातावरण, और
- व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताएं और व्यवहार।

लोगों के जीवन का संदर्भ उनके स्वास्थ्य को निर्धारित करता है, और इसलिए खराब स्वास्थ्य के लिए व्यक्तियों को दोषी ठहराना या अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्हें श्रेय देना अनुचित है। व्यक्तियों के स्वास्थ्य के कई निर्धारकों को सीधे नियंत्रित करने में सक्षम होने की संभावना नहीं है। इन निर्धारकों या चीजों, जो लोगों को स्वस्थ या अस्वस्थ बनाती हैं- में उपरोक्त कारक और कई अन्य शामिल हैं:

- आय और सामाजिक स्थिति - उच्च आय और सामाजिक स्थिति बेहतर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। सबसे अमीर और सबसे गरीब लोगों के बीच जितना ज्यादा अंतर होगा, स्वास्थ्य में अंतर उतना ही ज्यादा होगा।
- शिक्षा - निम्न शिक्षा स्तर खराब स्वास्थ्य, अधिक तनाव और कम आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है।
- भौतिक वातावरण - सुरक्षित जल और स्वच्छ हवा, स्वस्थ कार्यस्थल, सुरक्षित घर, समुदाय और सड़कें सभी अच्छे स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। रोजगार और काम करने की स्थितियाँ - रोजगार में लगे लोग स्वस्थ होते हैं, खासकर वे लोग जिनका अपने काम करने की स्थितियों पर अधिक नियंत्रण होता है
- सामाजिक सहायता नेटवर्क - परिवारों, मित्रों और समुदायों से अधिक समर्थन बेहतर स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। संस्कृति - रीति-रिवाज और परंपराएँ, और परिवार और समुदाय की मान्यताएँ सभी स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं।
- आनुवंशिकी - विरासत जीवनकाल, स्वास्थ्य और कुछ बीमारियों के होने की संभावना को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्तिगत व्यवहार और सामना करने के कौशल - संतुलित भोजन, सक्रिय रहना, धूम्रपान, शराब पीना, और हम जीवन के तनावों और चुनौतियों से कैसे निपटते हैं, ये सभी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

- स्वास्थ्य सेवाएँ – रोगों की रोकथाम और उपचार करने वाली सेवाओं तक पहुँच और उपयोग स्वास्थ्य को प्रभावित करता है
- लिंग – पुरुष और महिलाएं अलग-अलग उम्र में अलग-अलग प्रकार की बीमारियों से पीड़ित होते हैं।

स्वस्थ जीवन शैली

एक स्वस्थ जीवन शैली व्यवहार पैटर्न की एक श्रृंखला को संदर्भित करती है जिसके माध्यम से व्यक्ति कुछ निश्चित प्रेरणाओं, मानदंडों, क्षमताओं और ज्ञान के आधार पर अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं और बढ़ावा देते हैं कि स्वस्थ, तनाव से राहत देने वाले या आनंददायक व्यवहार क्या हैं। जीवनशैली में स्वास्थ्य जोखिम व्यवहार, जैसे धूम्रपान, शराब पीना और गतिहीनता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले व्यवहार, जैसे शारीरिक व्यायाम, पारस्परिक संपर्क, तनाव प्रबंधन और आध्यात्मिक विकास शामिल हैं। शोध के निष्कर्षों ने संकेत दिया है कि स्वास्थ्य सामाजिक संदर्भों की एक विस्तृत श्रृंखला में लोगों की जीवन शैली से निकटता से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए , संयुक्त राज्य में किए गए एक जांच से पता चला है कि मृत्यु दर के वास्तविक प्रमुख कारण व्यवहार जोखिम कारक हैं, जैसे धूम्रपान, खराब आहार और शारीरिक निष्क्रियता। अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि जीवनशैली से संबंधित व्यवहार कारक लगभग 40% मौतों के लिए जिम्मेदार हैं मां-बच्चे के जोड़ों के एक अध्ययन ने सुझाव दिया कि अगर 0–3 साल के बच्चे की मां की जीवनशैली स्वस्थ है, तो बच्चे के स्वस्थ होने और वही जीवनशैली अपनाने की संभावना 27% अधिक होती है। शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा, जीवनशैली को मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ पाया गया है। अस्वस्थ जीवनशैली वाले व्यक्तियों में आमतौर पर स्वस्थ जीवनशैली वाले लोगों की तुलना में मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। उदाहरण के लिए, धूम्रपान जैसे जोखिम व्यवहार को खराब मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा बताया गया है; इसके विपरीत, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले व्यवहार, जैसे शारीरिक व्यायाम करना, अवसाद को दूर करने के लिए एक प्रभावी हस्तक्षेप के रूप में सुझाया गया है। हाल ही में, न्यूजीलैंड के वयस्कों को लक्षित करके किए गए एक बड़े सामाजिक सर्वेक्षण से पता चला है कि जो लोग स्वस्थ जीवनशैली अपनाते हैं, उनका इष्टतम कल्याण होने की संभावना अधिक होती।

जीवनशैली और एसईएस दृढ़ता से संबंधित हैं। जैसा कि मैक्स वेबर ने उल्लेख किया है, व्यक्ति मौजूदा विकल्पों में से एक निश्चित जीवनशैली चुन सकता है, लेकिन संभावित विकल्पों की सीमा काफी हद तक व्यक्ति के एसईएस और अन्य सामाजिक निर्धारकों द्वारा निर्धारित होती है। इसी तरह, कॉकरहम के अनुसार, जीवनशैली मौलिक रूप से सामाजिक पदानुक्रम और व्यक्ति की रहने की स्थिति से विवश होती है। इसके अलावा, एक अध्ययन ने संकेत दिया कि स्वास्थ्य पर सामाजिक-आर्थिक स्थिति के समग्र प्रभाव से जीवनशैली के प्रभाव को बाहर करने से उत्तरार्द्ध में काफी कमी आएगी। इसलिए, जीवनशैली एसईएस और स्वास्थ्य को जोड़ने वाले मध्यवर्ती तंत्रों में से एक हो सकती है। यह उल्लेखनीय है कि हालांकि साहित्य एसईएस, जीवनशैली और स्वास्थ्य के बीच एक मजबूत संबंध का सुझाव देता है, उनके रिश्ते की प्रकृति अच्छी तरह से निर्दिष्ट नहीं है। एक ओर, पिछले अध्ययनों ने नियमित रूप से एकल व्यवहार या जीवनशैली व्यवहार के छोटे उपसमूहों (विशेष रूप से जोखिम व्यवहार, जैसे शराब पीना और धूम्रपान) पर ध्यान केंद्रित किया दूसरी ओर, एसईएस और जीवनशैली पर मौजूदा कई अध्ययनों ने लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया है। हालाँकि, स्वास्थ्य के आधुनिक निर्माण में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य दोनों शामिल हैं।

वर्तमान अध्ययन में एसईएस और स्वास्थ्य के बीच संबंधों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सर्वेक्षण डेटा का उपयोग किया गया, और जीवनशैली की संभावित मध्यस्थ भूमिका का पता लगाया गया।

विशेष रूप से, हमने एसईएस के संकेतक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक सूचकांक (आईएसईआई) और जीवनशैली के संकेतक के रूप में कई स्वास्थ्य-प्रचार व्यवहारों को अपनाया। इसके अलावा, इस अध्ययन में स्वास्थ्य की एक व्यापक अवधारणा पर विचार किया गया जिसमें न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य भी शामिल है।

चित्र 1. वैचारिक ढांचा

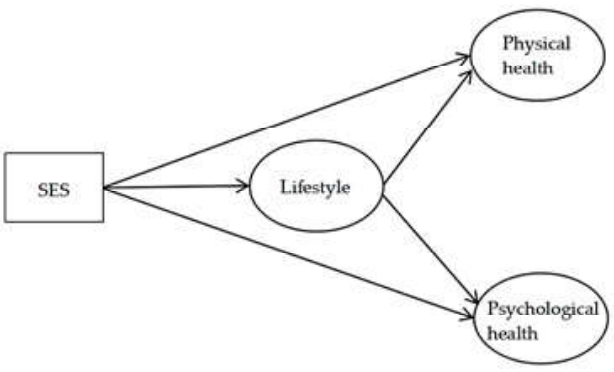

इस अध्ययन ने स्वास्थ्य पर जीवनशैली के महत्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डाला। इस प्रकार, लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संवर्धन कार्यक्रमों में जीवनशैली हस्तक्षेप को शामिल करने की रणनीति अपनाई जा सकती है।

वर्तमान अध्ययन की कुछ सीमाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सबसे पहले, हालांकि हमने चरों के बीच संबंधों की जांच करने के लिए संरचनात्मक समीकरण मॉडलिंग का उपयोग किया, लेकिन अध्ययन की क्रॉस-सेक्शनल प्रकृति के कारण, कारण संबंधी निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। दूसरे, इस अध्ययन में इस्तेमाल किए गए डेटासेट में, कुछ उत्तरदाता बेरोजगार थे; इसलिए उनके ISEI की गणना नहीं की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में मान गायब हो गए। अंत में, वर्तमान अध्ययन में इस्तेमाल किया गया जीवनशैली पैमाना मुख्य रूप से स्वास्थ्य-प्रचार व्यवहार पर केंद्रित था; यदि अधिक व्यवहार संकेतक (जैसे, धूम्रपान, शराब पीना, आदि) अपनाए जाते, तो परिणाम अधिक विश्वसनीय होते।

नौकरियाँ, शिक्षा और सामाजिक सहायता स्वास्थ्य और समानता में कैसे सुधार ला सकती हैं?

स्वास्थ्य का मतलब डॉक्टर के दफ्तर में होने वाली चीजों से कहीं ज्यादा है - यह कई तरह के कारकों से प्रभावित होता है। हम जिस जगह रहते हैं, सीखते हैं, काम करते हैं और खेलते हैं, हमारे पास जो अवसर हैं और हम जो चुनाव करते हैं, वे सभी हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए मायने रखते हैं। अच्छे स्कूल, स्थिर नौकरी और मजबूत सामाजिक नेटवर्क जैसे सामाजिक और आर्थिक अवसर लंबे और स्वस्थ जीवन को प्राप्त करने के लिए आधारभूत हैं। ये अवसर स्वस्थ विकल्प चुनने, चिकित्सा देखभाल और आवास का खर्च उठाने और तनाव को प्रबंधित करने की हमारी क्षमता को प्रभावित करते हैं।

हर किसी के पास स्वस्थ रहने के साधन और अवसर नहीं होते। पूरे देश में, उन समुदायों के निवासियों के लिए सामाजिक और आर्थिक अवसरों में सार्थक अंतर हैं, जिन्हें निवेश से वंचित किया गया है या जिन्होंने भेदभाव का सामना किया है। अवसरों में ये अंतर असमान रूप से रंग के लोगों को प्रभावित करते हैं - विशेष रूप से बच्चों और युवाओं को।

लागू की गई नीतियों और प्रथाओं ने जनसंख्या समूहों और समुदायों को हाशिए पर डाल दिया है, जैसे कि रंग के लोग, उन्हें पनपने के लिए आवश्यक संसाधनों और सहायता से दूर रखा है। अवसरों तक सीमित पहुंच स्वास्थ्य में असमानताएं पैदा करती है, जिससे यह प्रभावित होता है कि हम कितने अच्छे और कितने लंबे समय तक जीवित रहते हैं। अवसरों में ये अंतर कम हो सकते हैं, अगर खत्म नहीं हो सकते, अगर हम अधिक न्यायसंगत समुदाय बनाने के लिए निरंतर, सार्थक कदम उठाते हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध लेख में स्वास्थ्य पर एसईएस के प्रभाव की जांच की गई और जीवनशैली की मध्यस्थ भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। निष्कर्ष बताते हैं कि एसईएस शारीरिक स्वास्थ्य से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ था, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य से नहीं; जीवनशैली का शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य दोनों पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव था; और जीवनशैली ने एसईएस और स्वास्थ्य के बीच संबंधों की मध्यस्थता की। ये निष्कर्ष एसईएस, जीवनशैली और स्वास्थ्य के बीच संबंधों और मध्यस्थ तंत्र की हमारी समझ को बढ़ाते हैं। यह अनुशंसा की जाती है कि भविष्य में एक अनुदैर्ध्य डिजाइन और व्यापक संकेतकों के साथ अनुसंधान किया जाए।

संदर्भ

1. विंकलेबी एम.ए., जटुलिस डी.ई., फ्रैंक ई., फोर्टमैन एस.पी. सामाजिक-आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य: शिक्षा, आय और व्यवसाय किस तरह से हृदय रोग के जोखिम कारकों में योगदान करते हैं। अमेरिकी जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ। 1992;82:816-820. doi: 10.2105/AJPH.82.6.816.
2. स्मिथ जी.डी., बार्टले एम., ब्लेन डी. स्वास्थ्य में सामाजिक आर्थिक असमानताओं पर 10 साल बाद की ब्लैक रिपोर्ट। ब्रिटिश मेड. जे. 1990;301:373-377. doi: 10.1136/bmj.301.6748.373.
3. हार्पर एस., लिंच जे. अमेरिकी राज्यों में वयस्क स्वास्थ्य व्यवहार में सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के रुझान, 1990-2004. पब्लिक हेल्थ रिप. 2007;122:177-189. doi: 10.1177/003335490712200207.
4. मैकेनबैक जेपी, इरीना एस., रोस्कम एजेआर, शाप एमएम, ग्वेन एम., मॉल एल., कुन्स्ट एई 22 यूरोपीय देशों में स्वास्थ्य में सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ। एन. इंग्ल. जे. मेड. 2008;358:2468-2481. doi: 10.1056/NEJMsa0707519.
5. जॉन इवर ई., स्टीनर के. सामाजिक कारण, स्वास्थ्य-चयनात्मक गतिशीलता, और समय के साथ सामाजिक-आर्थिक स्वास्थ्य असमानताओं का पुनरुत्पादन: वयस्क पुरुषों का पैनल अध्ययन। सोक. साइंस. मेड. 2003;57:1475-1489. doi: 10.1016/s0277-9536(02)00514-2.
6. डाहल ई. सामाजिक गतिशीलता और स्वास्थ्य: कारण या प्रभाव? ब्रिटिश मेड. जे. 1996;313:435-436. doi: 10.1136/bmj.313.7055.435.
7. वेस्ट पी. स्वास्थ्य असमानताओं के लिए स्वास्थ्य चयन स्पष्टीकरण पर पुनर्विचार। सोक. साइंस. मेड. 1991;32:373-384. doi: 10.1016/0277-9536(91)90338-D.
8. सिमंडन डी. सामाजिक वर्ग और सामाजिक गतिशीलता के स्वास्थ्य परिणामों पर पुनर्विचार। सोक. साइंस. मेड. 2018;200:258-261. doi: 10.1016/j-socscimed.2017.11.037.

9. कॉकरहम डब्ल्यू.सी. स्वास्थ्य जीवनशैली सिद्धांत और एजेंसी और संरचना का अभिसरण। जे. हेल्थ सोक. व्यवहार। 2005;46:51-67. doi: 10.1177/002214650504600105.
10. एडलर एनई, बॉयस टी., चेसनी एमए, कोहेन एस., फोल्कमैन एस., काहन आरएल, सिमे एसएल सामाजिक आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य। ग्रेडिएंट की चुनौती। अमेरिकी मनोविज्ञान। 1994;49:15-24. doi: 10.1037/0003-066X.49.1.15.
11. वॉकर एस.एन., सेक्रिस्ट के.आर., पेंडर एन.जे. स्वास्थ्य-प्रचार जीवनशैली प्रोफाइल: विकास और मनोवैज्ञानिक विशेषताएँ। नर्स. रेस. 1987;36:76-81. doi: 10.1097/00006199-198703000-00002.
12. रोहरर जेई, पियर्स जूनियर जेआर, ब्लैकबर्न सी. जीवनशैली और मानसिक स्वास्थ्य। प्रीव. मेड. 2005;40:438-443. doi: 10.1016/j.ypmed.2004.07.003.
13. लोरेंट वी., डेलीज डी., ईटन डब्ल्यू., रॉबर्ट ए., फिलिपॉट पी., एन्सेउ एम. अवसाद में सामाजिक आर्थिक असमानताएँ: एक मेटा-विश्लेषण। अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडेमियोल। 2003;157:98-112. doi: 10.1093/aje/kwf182.
14. कोंटोयनिस पी., जोन्स ए.एम. सामाजिक-आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और जीवनशैली। जे. हेल्थ इकॉन. 2004;23:965-995. doi: 10.1016/j.jhealeco.2004.02.001.
15. चीनी राष्ट्रीय सर्वेक्षण डेटा संग्रह। [(6 अक्टूबर 2018 को अभिगमित)]; ऑनलाइन उपलब्ध: http://cnsda-ruc-edu-cn/
16. सुब्रमण्यन एस.वी., सुब्रमण्यम एम.ए., सेल्वराज एस., कवाची आई. क्या विकासशील देशों में स्वास्थ्य और रुग्णता की स्व-रिपोर्टें भ्रामक हैं? भारत से साक्ष्य। सोक. साइंस. मेड. 2009;68:260-265. कवप: 10.1016/j.socscimed.2008.10.017.

भारतीय संस्कृति और भारत बोध

डॉ० सुधा त्रिपाठी

सहायक आचार्य, हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

हिमांशु तिवारी

शोधार्थी, हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

भारतीय संस्कृति एवं समाज विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति में परंपरा और आधुनिकता का सम्मिश्रण है। भारत की पहचान उसकी सामासिक संस्कृति, सांस्कृतिक बहुलता, सर्वधर्म समभाव एवं वसुधैव कुटुंबकम को अपने मूल में स्थापित किए हुए है। इसकी सर्व समावेशी दृष्टि ने विश्व को अनेक आदर्श प्रदान किए हैं। अध्यात्म से लेकर संस्कृति तथा चतुर्थ पुरुषार्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के माध्यम से हम भारत बोध की पहचान कर सकते हैं।

भारतबोध शब्द अपने सूक्ष्म अर्थों में संसार के मूल को समेटे हुए है। हजारों वर्षों तक भारत प्रकृति का पालना रहा है। संपूर्ण मानवता को एक परिवार की तरह देखने वाली यह भूमि सांस्कृतिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक वैभव से परिपूर्ण हो कर विश्व को एक आदर्श मार्ग दिखलाती रही है। भारत की अद्‌भुत बनाने वाले और उसको वैश्विक पहचान देने वाले तत्व हैं धार्मिक सहिष्णुता, संस्कृतियों की बहुलता, प्रकृति प्रेम, लोकसंपृक्त परंपराएं, सांस्कृतिक विरासत और आदर्श मानवीय दृष्टि के साथ- साथ अनेकों ऐसे तत्व है जो भारत की पहचान भारत का बोध कराने में सक्षम तथा सहायक है।

भारतबोध शब्द अपने सूक्ष्म अर्थों में संसार के मूल को समेटे हुए है। हजारों वर्षों तक भारत प्रकृति का पालना रहा है। संपूर्ण मानवता को एक परिवार की तरह देखने वाली यह भूमि सांस्कृतिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक वैभव से परिपूर्ण हो कर विश्व को एक आदर्श मार्ग दिखलाती रही है। भारत को अद्‌भुत बनाने वाले और उसको वैश्विक पहचान देने वाले तत्व है धार्मिक सहिष्णुता: कृतियों की बहुलता, प्रकृति प्रेम, लोकसंपृक्त परंपराए, सांस्कृतिक विरासत और आदर्श मानवीय दृष्टि के साथ-साथ अनेकों ऐसे तत्व हैं जो भारत की पहचान भारत का बोध कराने में सक्षम तथा सहायक है।

भारत भौगोलिक दृष्टि से एक उपमहाध्द्वीप की श्रेणी में आता है। जिसकी सीमाएं उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तथा पूर्व में कटक से लेकर पश्चिम में अटक तक विस्तृत हैं। भारत भूमि अनेक विभिन्नताओं से परिपूरित है। उसमें वानस्पतिक विभिन्नता, भारत भूमि में निवास करने वाले लोगों के आकार रूप रंग की विभिन्नता के साथ-साथ राजनीतिक एवं आर्थिक विभिन्नता विद्यमान है। भारत की यह विभिन्नता ही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है जिस पर विचार करते हुए डॉ राधा कुमुद मुखर्जी लिखते हैं, "भारत को मतों तथा पंथों, प्रथाओं तथा संस्कृतियों, धर्म तथा भाषाओं, विभिन्न जातियों एवं सामाजिक संस्थाओं का अजायबघर कहा जा सकता है। परंतु यह मृतक वस्तुओं का भौतिक पदार्थों का नहीं अपितु जीवित संप्रदायों तथा आध्यात्मिक व्यवस्थाओं का अजायबघर है।"[1]

भारतीय समाज में आघ्द्योपांत विभिन्नताओं के बावजूद भी एकता के सूत्र दिखाई देते हैं, इसी एकता के फलस्वरूप भारतीय समाज सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से समरस है। भारत देश प्रांतीय विभिन्नता के बावजूद राज्यों का संघ है ऐसी व्याख्या भारत का संविधान करता है। इस संदर्भ में डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी के विचार उल्लेखनीय हैं, "भारत के भीतर यद्यपि प्रांतीय भेदों के लिए अनेक क्षेत्र मौजूद हैं लेकिन इन तमाम विभिन्नताओं को समेट करके भारत को एक पूर्ण देश बनाने का काम भी हमारे भूगोल ने ही किया है। भीतर से कुछ-कुछ बटा हुआ और बाहर से बिल्कुल एक भारत की विशेषता बहुत पुरानी है।"[2]

भारत की प्राचीन भौगोलिक एवं सांस्कृतिक सीमा विस्तृत थी। भौगोलिक दृष्टि से भारत प्राचीन काल में आज के वर्तमान समय के बांग्लादेश, पाकिस्तान अफगानिस्तान तक विस्तृत था। प्राचीन भारत में भारतीय संस्कृति के आख्यान वेद, पुराण और उपनिषद थे जिसका अध्ययन संपूर्ण भारतवर्ष में अगाध श्रद्धा और संपूर्ण मनोयोग के साथ किया जाता था। वैदिक वांग्मय शैक्षिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण थे। वैदिक वांग्मय के माध्यम से लोक के साथ-साथ पारलौकिक सत्ता का भी ज्ञान ऋषि-मुनियों द्वारा कराया जाता था तथा वह वांग्मय मानवीय मूल्यों के उत्कर्ष में सहायक सिद्ध होते थे। प्राचीन भारत में शैक्षिक उन्नयन का पता प्राचीन विश्वविद्यालय विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा से होता है जहां विदेशी भी आकर अध्ययन किया करते थे। राजा, चाहे कोई भी हो शैक्षिक सांस्कृतिक प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना एवं भारतीय एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करना उसका प्रथम कर्तव्य माना जाता था। भारत की लोक परंपरा, उत्सव के माध्यम से देश में एकता की भावना का विकास हुआ।

विविधता संपन्न भारतीय समाज परंपरा एवं आधुनिकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारतीय समाज ने स्वयं को सतत परिवर्तनशील बनाए रखा। भारत की प्राचीन परंपराएं जो भारत बोध को सुनिश्चित करती है वह कभी नष्ट नहीं हुई बदघपि परिवर्तनशील थी आश्रम ग्राम से लेकर नगर सभ्यता का विकास क्रमश होता गया। भारतीय समाज आर्थिक दृष्टि से कुटीर उद्घ्योग तथा कृषि पर आधारित था। कार्यों का विभाजन वर्ण आधारित होने से सामाजिक समरसता बनी हुई थी। सामाजिक विखराव की स्थिति भारतीय समाज में नहीं पाई जाती है।

भारत में इसी सामाजिक स्थिरता और समन्वय से भारत के प्रति लोगो के प्रेमभाव की पृष्ठभूमि का विकास हुआ तथा भारतीय समाज में भारतीयता का भी विकास होता चला गया। भारतीय संस्कृति एवं भारतीय आध्यात्मिक मूल्यों में भारत का वर्णन नगर व राज्य तक सीमित नहीं है अपितु वह अपने मूल में विराट भारत को समाए हुए हैं जिसके कण कण में वह सत्य बोध है जिससे भारत की पहचान होती है। भारत बोध का स्वरूप एक दिन में निर्मित नहीं हुआ बल्कि इसके निर्माण में हजारों वर्षों की जन भावना और संस्कृति का सम्मिश्रण है। भारतीय मनुष्य के आचरण से लेकर वैचारिक दृष्टि रहन-सहन तक की चर्चा वेदों में की गई है। भगवत गीता में उल्लेख है-

"प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुरः।
न शौच नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते।।"[3]

भारतबोध की अवधारणा संश्लेषण पर नहीं विश्लेषण पर आधारित है। भारतीय दर्शन प्रत्येक वस्तु को समष्टि रूप से जोड़कर देखता है अलग करके नहीं। भारतीय साहित्य केवल मात्र अभिव्यक्ति का साधन नहीं है अपितु उससे आत्म साक्षात्कार भी होता है। भारतीय दर्शन प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य, अध्यात्म, जीवन दर्शन को एक साथ समेटकर देखने का आदी रहा है। संस्कारों की एक बहुत लंबी परंपरा का प्रबल बंधन भारतीय जनमानस को गहराइयों से बांधे रहता है, उतना और किसी को नहीं। भारतीय दर्शन की वर्तमान समय में गलत व्याख्या इन्हीं चीजों को समझ न पाने के कारण हुई है। भारतीय दर्शन में सत्य को ही अंतिम लक्ष्य माना जाता है। भारतीय चिंतन का प्रभाव भारतीय जनमानस के विभिन्न आचार विचार में परिलक्षित होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सोलह संस्कार, चतुर्थ पुरुषार्य, वर्णाश्रम व्यवस्था, कर्म फल इत्यादि भारतीय चिंतन की लोकोत्तर विचारधारा पर आश्रित हैं। भारतीय चिंतन में भौतिकता को उतना स्थान नहीं दिया गया है. जितना आध्यात्मिक चेतना को।

इतिहास को अगर माने तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है, कि जिन उपनिवेशवादी सत्ता ने भारतीय संस्कृति सभ्यता को नष्ट किया, उसी ने ऐतिहासिक माध्यम से अथवा भारतीय इतिहास को भारत के समक्ष लाकर भारतीय अतीत से भारतीय जनमानस को परिचित कराने का प्रयास भी किया। भारत बोध के समक्ष जो भी चुनौतियां उपस्थित रहीं मूलतः इसी उपनिवेशवादी संस्कृति का परिणाम है। उपनिवेशवादी विचार प्रणाली का एक अंग ऐसी मिथ्या चेतना है जिसकी अभिव्यक्ति बंकिमचंद्र चटर्जी के साहित्य में अनेक रूप में हुई है। पश्चिमी विचारधारा में भारत भारतीयों के लिए अभिशप्त देश था। पाश्चात्य संस्कृति में भारत का बोध पाश्चात्य रूप से पश्चिमी संस्कृति के माध्यम से कराया गया अर्थात पश्चिम ने भारत बोध का अपना एक अलग मॉडल तैयार किया। ऐतिहासिक स्वर्णिम गौरव बोध हो या फिर भावी भविष्य के प्रति अतीत की आशा रूपी कोपल ही भौतिकतावाद के विरुद्ध आध्यात्मिकता की स्थापना हो या फिर अपनी स्थिर संस्कृति और भारतीय मनीषा के उन कवच कुंडलों का सुरक्षा चक्र हो, यह सब उपनिवेशवादी संस्कृति के विरुद्ध भारतीय अस्मिता की रक्षा के अस्त्र साबित हुए हैं। जातीय अस्मिता से संदर्भित अनेकों प्रश्न जिन्हें स्वाधीन चेतना की उपज माना जाता है, वस्तुतः पाश्चात्य संस्कृति के सन्धि के फलस्वरूप उत्पन्न अथवा पाश्चात्य संस्कृति से आयातित थे।

भारत बोध अनेक ऐसे पदार्थ का मिश्रण है, जिसमें अनेक अलग-अलग सत्ता मौजूद है, हर पदार्थों का अपना अलग-अलग गुण है और वह एक विशिष्ट प्रक्रिया से परिपूर्ण है उसकी निर्मिति का विशिष्ट ढंग है। प्राचीन काल से ही विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा देने वाला भारत देश समन्वय की उस विराट चेतना का परिणाम है जो समस्त संस्कृतियों को अपने उदर में पचाये हुए हैं। भारतीय संस्कृति की सहनशीलता और समायोजन के गुण के कारण ही अनेक संस्कृतियां यहां पर आई और यही की होकर रह गई। अनेक संस्कृतियों के आगमन के फलस्वरूप यहां की संस्कृति का क्षरण नहीं हुआ अपितु वह और विकसित और नवीन होती गई। आत्मसातीकरण की इसी प्रक्रिया और विविधता के बावजूद भी भारतीय संस्कृति में एकता के तत्व विद्यमान हैं। भारतीय समाज शारीरिक, मानसिक भाषायी, वेशभूषा, रीति रिवाज अनेक मापदंडों पर विविध है. परंतु उसकी चेतना एक रूप है। इन्ही विचारों की झलक हरवर्ट रिजले के कथन में दिखाई देती है, "शारीरिक, सामाजिक प्रकार, भाषा, रीति-रिवाज और धर्म की बहुविध विविधता के भीतर देखने वालों को आश्चर्यचकित कर देने वाली जीवन की वह एकरूपता भी मौजूद है जिसे आसानी से हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक देखा जा सकता है।"[4]

आध्यात्मिकता, प्रकृति प्रेम एवं स्वच्छता के प्रति लगाव की भावना भारतीय संस्कृति में विविधता के साथ परिलक्षित है। भारतीय संस्कृति के मूल तत्व कभी भी नष्ट नहीं होने वाले हैं जो उसके परंपरा प्रकृत पूजा, खानपान, रहन-सहन में निरंतर दिखाई देते हैं। यह सब भारतीय संस्कृति के तत्त्व परंपरा एवं नैतिक व्यवहार से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि उन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता है।

सत्यमेव जयते और अहिंसा परमो धर्मः को अपने जीवन का लक्ष्य मानकर चलने वाले भारतीय समाज ने अपने शासन व्यवस्था से लेकर अनेक अनेक व्यवहारों तक इसको प्रयोग में लाया हुआ है।

सांस्कृतिक राष्ट्रीयता ही भारत की पहचान रही है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के बोधक चार शक्तिपीठ, चार धाम, द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं जो कि देश के विभिन्न भागों में स्थित है। उत्तर में अमरनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक तथा पश्चिम में द्वारिका से लेकर पूर्व में जगन्नाथपुरी तक भारतबोध के प्रमाण हैं।

भारतबोध के समझने के लिए उसके दर्शन को समझना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय दर्शन के आधारभूत तत्व सत्य, अहिंसा, ब्रम्हचर्य, अस्वाद, अपरिग्रह और अभय हैं। व्यक्ति और समाज के बीच की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक सभी समस्याओं का हल भारतीय दर्शन के इन्हीं मूलभूत तत्वों के आधार पर निकालने का प्रयास किया जाता है। सत्य के लिए बिना अहिंसा के जो आग्रह किया जाता है उसे ही सत्याग्रह कहते हैं।

भारतबोध किसी राजनीतिक या आर्थिक परिस्थिति के फलस्वरूप जन्मा नहीं है अपितु भारत बोध लाखों वर्षों तक भारतीय जनमानस के आत्मबोध और अनुभवों का परिणाम है जो किसी एक विचारधारा किसी एक वाद को लेकर नहीं चलती है। भारतीय चिंतन की विचारधारा की परंपरा अनेकों ऋषि-मुनिर्यो कपिल, कणादि, गौतम पतंजलि, कौटिल्य के विचारों से पल्लवित हुई है। इन सभी ऋषि-मुनियों के विचार अलग होने के बावजूद भी लक्ष्य की दृष्टि से एक ही हैं और उनका लक्ष्य है, उन शाश्वत मूल्यों का विकास करना जिसके माध्यम से जीवन के स्तर को उच्च बनाया जा सके एवं उनमें मानवीय मूल्यों का विकास किया जा सके क्योंकि भारतीय जीवन दर्शन सत्य के प्रति आग्रह एवं अहिंसा को नकारने वाला तथा नवीन ज्ञान की वृद्धि और ईश्वर के साक्षात्कार को अपना अंतिम लक्ष्य मानता है।

महात्मा गांधी जी के विचार जोकि गांधीवाद के नाम से प्रचलित है, को हम को हम भारत के मूल में पाते हैं। गांधीवादी दर्शन मानवतावादी दर्शन है, जिसमें विश्व बंधुत्व की भावना, सत्य अहिंसा के प्रति आस्था पर बल दिया गया है। गांधीवादी दर्शन मूलतः भारतीय दर्शन का निचोड़ है जिसमें भारतबोध के बिखरे हुए तत्वों को एक स्थान पर लाकर रख दिया गया है। पाश्चात्य विश्व के विध्वंसकारी और मानवता के लिए संकट उत्पन्न करने वाले स्वरूप के लिए गांधीवादी दर्शन एक आदर्श दर्शन है। मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था रखने वाले संपूर्ण विश्व के देशों में गांधी दर्शन के प्रति महत्व की स्वीकारोक्ति है।

भारत बोध को समझने के लिए अन्य सबसे महत्वपूर्ण पहलू समाजवाद है। जिसे भारत की विचारधारा लेकर की चलती है. समाजवादी विचारधारा किसी भी क्षेत्र में अति को महत्त्व नहीं देती है। कार्य के अनुरूप लाभ ही समाजवाद का मूल मंत्र है, जिस का जितना उत्पादन उतना ही उससे लाभ। लेनिन और मार्क्स का साम्यवाद एवं समाजवाद अति के कारण ही विफल हुए परंतु भारत ने हमेशा बीच का मार्ग अपनाया। भारतीय दर्शन की मूल संस्कृति वित्त संग्रह में रुचि रखने वाली नहीं रही है, इसी वजह से व्यक्ति मोह और लोभ को त्याग कर आत्म कल्याण से ऊपर उठकर विश्व कल्याण को बात करता है।

भारतीय दर्शन सैद्धांतिक रूप से व्यक्तिवादी है, किंतु व्यावहारिक रूप से समष्टिवादी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य को है लेकिन कोई भी निर्णय किसी भी संवैधानिक संस्था द्वारा अगर ले लिया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को उस निर्णय के साथ चलने की बाध्यता समष्टि को दर्शाती है। मार्क्सवाद में जनता को वैचारिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, अपितु संघ का अंधानुकरण और प्रशस्ति गीत गाते रहना आवश्यक है, न तो वहां विचारशील बुद्धिजीवियों के लिए कोई स्थान है और न ही कर्मशील मनुष्य का आलस्य व्यक्तियों के सम्मुख कोई सम्मान। सभी का मूल्य समान है। जिस भारत बोध की कल्पना की जाती है वह वायवीय नहीं, अपितु आंतरिक है वह तो भारत के लोगों की धमनियों में खून की तरह दौड़ता है। उसका बहुत जान हमें ऐतिहासिक गौरव गाथा से होता है, जिसका उद्धार हम बाहरी विकृतियों से लड़कर कर सकते हैं। प्रश्न यह उठता है कि हम उन विकृतियों को जानेंगे कैसे? यहां पर हमें पाश्चात्य कसौटी पर खुद को कसना पड़ेगा। ऐतिहासिक नियम है कि सभ्यता का निर्माण होता है विध्वंस होता है नवीन सभ्यताएं जन्म लेती हैं और प्रत्येक सभ्यताएं हमें कुछ ना कुछ नए मूल्य देकर के जाती हैं. संकटकाल में एक सभ्यता के दिए हुए मूल्यों को दूसरी सभ्यता में कसौटी पर कसा जाता है। अनेकों उपलब्धियों के बावजूद भारतीय संस्कृति में कुछ विकृतियां भी रही हैं। भारतीय संस्कृति की कमी के कारण भारतीय समाज को अनेक कुरीतियों जिनमें सती प्रथा से लेकर अस्पृश्यता तक का दंश झेलना पड़ा। इन कुरीतियों के विरुद्ध भारतीय चिंतन परंपरा में बुद्ध का आगमन हुआ, उन्होंने इसके विरुद्ध प्रयास किया परंतु धीरे-धीरे बुद्ध का प्रभाव भी मिट गया। गांधी विवेकानंद का भी प्रभाव क्षीण हो रहा है। महान संस्कृति की गहराइयों में ऐसी ऐसी कमी क्यों रह गई? यह चिंतनीय है।

भारतबोध की चेतना हमारे संस्कार से ऐतिहासिक रूप से जुड़ी हुई हैं। भारत बोध जीवन के उन आधारभूत मूल्यों के नींव पर प्रतिष्ठित हुआ है, जो अभी तक क्षीण नहीं हुए हैं। जिसे भारत के प्रमुख साहित्य में देखा जा सकता है इसी कारण भारत में दुखांत नहीं अपितु सुखांत नाटक की परंपरा रही है. सुखांत साहित्य की परंपरा रही है। किसी भी पुत्र द्वारा अपनी मां को वैश्या कह कर घर से निकाला नहीं गया है। जिस तरह से पाश्चात्य में इलेक्ट्रा और इडीपस से प्रभावित होकर मां का पुत्र के साथ संभोग तथा बेटी का

पिता के साथ संभोग की बात कही गई है. ऐसी धारणाएं भारतीय चिंतन धारा में नहीं मिलती हैं।

भाषा का संस्कार समाज के साथ साथ होता है इसलिए भारतबोध भाषाई स्तर से अछूता नहीं है। भारत बोध के अंतर्गत और सभी तत्त्वों को सम्मिलित किया जा सकता है जिन्होंने अतीत से लेकर वर्तमान तक भारतीय समाज को प्रभावित किया है। वर्तमान समय में भारत बोध का अर्थ अतीत की स्वर्णिम स्मृतियों के साथ-साथ वर्तमान के बोध से भी है परंतु उस वर्तमान बोध को हमें संपूर्णता में स्वीकारना होगा। अतीत की विकृतियों को हम गलत ठहरा सकते हैं परंतु आरतीय विरासत का हिस्सा होने के कारण हम उनको अलग नहीं कर सकते। अर्थात अच्छाई और बुराई को समान दृष्टि से लेकर चलना ही भारत बोध होगा।

भारतीय सभ्यता आखिर है। क्या वह वेद, उपनिषद, गीता, अरण्यक के सूक्ष्म विचार अन्वेषण, महान साहित्य, जातीय विभेद, धर्माधता सांप्रदायिकता लेखक किस का अनुसरण करें भारतीय सभ्यता कोई जड़ अवधारणा नहीं है, कोई बुना बुनाया वल्कल वस्त्र नहीं है। जिसे कोई रचनाकार पहन ले। किसी भी देश की सभ्यता संस्कृति उस देश का संस्कार बनकर उसके परिवेश को विचार को प्रभावित करती है। और उसी में सांस लेकर कोई भी रचनाकार बड़ा होता है। लेकिन लेखक होने के नाते वह उसका प्रचारक नहीं होता. इस तरह से कोई भी लेखक अपने देश की सभ्यता का अग्रगामी या पश्चगामी नहीं होता।

यदि हमें भारत की आत्मा का अनुसंधान करना है तो हमें उसको राजनीतिक एवं आर्थिक पहलू पर न रख कर उसके सांस्कृतिक दृष्टिकोण का बोध करना होगा। आरत बोध की अभिव्यक्ति राजनीति के द्वारा नहीं अपितु संस्कृति के द्वारा होगी, यदि हम ऐसे मूल्यों की खोज करें जो कि शाश्वत हैं। जिन्होंने विश्व को कुछ आदर्श दिए हैं। जिनके द्वारा भारत की पहचान विश्व में अतीत से लेकर आज तक बनी हुई है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वह मूल्य हैं सांस्कृतिक सहिष्णुता एवं कर्तव्य परायण होकर जीवन को जीने की संस्कृति। राजनीति अथवा अर्थनीति नहीं। चतुर्थ पुरुषार्थ में धर्म को प्रमुख मानना, भोग के स्थान पर त्याग की भावना, एवं अधिकार की अपेक्षा कर्तव्य की भावना, तथा संकुचित असहिष्णुता के स्थान पर विशाल सहिष्णुता प्रकट की है। इन्हीं मूलभूत तत्व के आधार पर हम वैश्विक धरातल पर गौरव की अनुभूति करते हैं।

प्राचीन के प्रति गौरव एवं भविष्य के प्रति उत्सुकता के मध्य की स्थिति ही भारत बोध है। भारत में विभिन्न वर्गों, धर्मो भाषा, जाति का सकारात्मक सामंजस्य बना रहा है। जो नवीन भारत के नींव को मजबूत कर रहा है। जब भी भारत की बात की जाती है तो यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत 29 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ एक बहु सांस्कृतिक देश है। इसकी बहु संस्कृति को बनाए रखना ही भारत बोध के साथ न्यायोचित होगा। अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता है जिसका वर्णन इतनी बार हो चुका है कि वह पुरानी सी हो गई है लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि यही हमारी संस्कृति का मूल है। हमको इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं अपितु अंतर ग्रहण भी कर लेना चाहिए की भारतीय संस्कृति संश्लेषण पर आधारित है। अनेक मूल संस्कृति को अगर बलपूर्वक एकत्र करने की चेष्टा की जाए तो सामाजिक भटकाव की स्थिति पैदा हो जाती है, तथा समाज अपने प्रजातीय पहचान और अस्मिता को लेकर सचेत हो जाता है। फलस्वरूप अलगाववाद और उग्रवाद का कारण बनता है। विश्व इतिहास को अगर हम देखें तो वहां भी जब जब किसी भी विचार को दूसरों पर थोपने की कोशिश की गई है. तो अनेक विकृतियों ने जन्म लिया है। भारत में नागालैंड से लेकर गोरखालैंड तक की मांग, कश्मीर और तिब्बत को लेकर पाकिस्तान और चीन के साथ संघर्ष की घटनाएं इन्हीं की उपज हैं।

राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना के लिए सभी धर्म सभी संप्रदाय को साथ में लेकर के चलना होगा एवं सहअस्तित्व की भावना का विकास करना होगा भारतीय संस्कृति वैविध्य पूर्ण है। विविधता ही इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। जिसकी ओर संकेत करते हुए विद्यानिवास मिश्र लिखते हैं, "यह अनेक मूल संस्कृति है. एक मूल नहीं"[5] इस प्रकार भारतीय समाज अनेक संस्कृतियों के सामूहिक योगदान से निर्मित हुआ है इस संस्कृति में द्रविड़, आर्य, हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, पारसी इत्यादि धर्मों का योगदान है।

वस्तुतः हम कह सकते हैं कि भारत में निवास करने वाले मनुष्य विशुद्ध रूप से किसी एक संस्कृति एक मजहब एक धर्म के नहीं है अपितु वे उन समस्त धर्मों और संस्कृतियों की सामुदायिक उपज है, जो संस्कृतियों भारत में आई और यहीं की होकर रह गई। संस्कृतियों के इस समय मिश्रण को हम अनेक क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं. चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो अथवा वह साहित्य, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, एवं चित्रकला हो। भारतीय संस्कृति इन सभी तत्वों का एक ऐसा रासायनिक मिश्रण है जोकि अलग नहीं की जा सकती। सहिष्णुता भारतीयों के रग रग में रची बसी है. इसीलिए यह जीवन का अंग बन गई है जिसके प्रति किसी सचेतता की आवश्यकता सरकार को नहीं लगती बल्कि विश्व के अन्य देशों में सहिष्णुता के प्रति चेतना की भावना का विकास ना होने के कारण सहिष्णुता मंत्रालय का गठन कर सरकार द्वारा वहां के नागरिकों को सहिष्णुता के प्रति सचेत किया जाता है। सहिष्णुता की इसी भावना का विकास रविंद्र नाथ टैगोर के निबंध 'राष्ट्रवाद' में उल्लिखित है, "भारतवर्ष की इस विषय में प्रशंसा करनी होगी कि यह विविधता उसकी अपनी बनाई हुई नहीं है। उसे तो अपने इतिहास के आरंभ से ही इसे एक सच्चाई के रूप में स्वीकार करना पड़ा था।"[6]

भारतीय जीवन के मूल में उसकी संस्कृति होने के कारण प्राचीन समय में जो भी संघर्ष हुए वह भारतीय संस्कृति और धर्म को बचाने के लिए ही हुए और इन्हीं संघर्षो के कारण ही भारत विश्व फलक पर प्रतिष्ठित हुआ। हमने अनेकों साम्राज्य को जोकि बहुत बड़े-बड़े थे उनको पराभूत होते हुए देखा परंतु भारतीय संस्कृति भारतीय साम्राज्य भौतिक तत्वों से न निर्मित होकर सांस्कृतिक नींव पर खड़ा हुआ था इसीलिए अनेकों आक्रमण के बावजूद हम अपने वजूद को बचाए रख सके। मध्ययुगीन जितने भी आक्रमण भारत ने झेले उसका बहुत बड़ा कारण सांस्कृतिक अस्मिता की सुरक्षा करना था। महाराणा प्रताप से लेकर शिवाजी तक ने भारतीय राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिए भी युद्ध किया। सिर्खा ने अपनी धार्मिक अस्मिता को बचाए रखने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिये, परंतु राजनीतिक गुलामी का चोला नहीं पहना। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक सत्ता को हम अपने भौतिक सुख का कारण मात्र मानते हैं संपूर्ण जीवन का मूल नहीं।

भारतीय जनमानस में सुबोध की भावना का विकास करना तथा अपने संस्कृति और दर्शन के प्रति आस्था की भावना का विकास करना ही भारत बोध के असल स्वरूप से परिचित कराना होगा भारतीय जनमानस को जागृत करने के लिए विवेकानंद आकुल आह्वान करते हैं "अलग-अलग पंथो को स्वीकार करना या न करना ठीक है किंतु राज्य किसी भी पंथ का नहीं है इसी संदर्भ में यह कहना होगा कि हमने पंथनिरपेक्ष कहने की बजाय धर्मनिरपेक्ष कहना शुरू कर दिया है और जो राज्य समाज धर्म से निरपेक्ष हो जाता है उसका तो कोई भविष्य ही नहीं है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, धर्म का अर्थ है स्वार्थ, अब यदि हम अपने कर्तव्य से निरपेक्ष हो गए तो समाज का क्या होगा?"[7]

भारत को अभी बहुत प्रगति करनी है और वह प्रगति सांस्कृतिक दृष्टि पर आधारित होगी जोकि वास्तव में भारत का बोध कराएगी भारत को अविष्य में प्राचीन और वर्तमान दोनों को साथ लेकर चलना होगा। अध्यात्म के प्रति आस्था के साथ साथ विज्ञान के प्रति तर्क का दृष्टिकोण ही रखना होगा। किसी एक को छोड़कर के हम वर्तमान भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं भारतीय लोगों की प्रतिभा और निष्ठा का इस्तेमाल विज्ञान और अध्यात्म के सहज भाव से करना होगा। इसके लिए चाहे वाम पंथ का रास्ता हो या दक्षिण पंथ का या फिर मध्य पंत का इन सभी को केंद्र में रखकर हम नवीन भारत की कल्पना कर सकते हैं। भारतबोध की जो संकल्पना वर्तमान समय में क्षीण होती जा रही है उसको पुनः स्थापित करना होगा। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। वर्तमान समय में जो हीन आवना भारतीय जनमानस में फैली हुई है जिसे भारतीय समाज द्वारा अपनी संस्कृति को अपनी परंपरा को पिछड़ेपन के पहचान के रूप में चिन्हित कर अफसोस किया जाता है उस हीन भावना को हमें दूर करना होगा नहीं तो हमारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। पंथ मजहब की दृष्टि से मतभेद हो सकते हैं किंतु राष्ट्र की दृष्टि से हमेशा एक मत होना चाहिए।

सन्दर्भ सूची-

1. भारतीय संस्कृति का विकास- एस. एल. नागौरी, प्रकाशक-मलिक एंड मलिक कंपनी, जयपुर, प्रथम संस्करण 1991, पृष्ठ संख्या-8
2. संस्कृति के चार अध्याय- रामधारी सिंह दिनकर, प्रकाशक राजपाल एंड संस दिल्ली, द्वितीय संस्करण दिसंबर 1956, पृष्ठ संख्या-659
3. भगवत गीता कृष्ण कृपा मूर्ति, प्रकाशक भक्तिवेदांता बुक ट्रस्ट- मुंबई, सत्रहवां संस्करण, पृष्ठ संख्या-532
4. भारतीय संस्कृति की अस्मिता, चंद्र मोहन अग्रवाल, पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ-18
5. भारतीय संस्कृति के आधार, विद्यानिवास मिश्र, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली 2010, पृष्ठ-10
6. राष्ट्रवाद, रवीन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, 2014, पृष्ठ-57
7. सिंघवी लक्ष्मी मल आलेख, अभिव्यक्ति वेब पत्रिका

महिलाओं का राजनैतिक सशक्तिकरण-एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ० प्रतिभा सिंह

विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

सारांश

महिलाएँ हमारी आबादी का आधा हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें अभी भी समाज में उन्हें समान अधिकार नहीं मिलते हैं। शोषण, कन्या भ्रूण हत्या, और दहेज प्रथा जैसी समस्याएँ जारी हैं। भारत में महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने 50 प्रतिशत सीटें पंचायतों और जिला परिषदों में आरक्षित की हैं, जिससे बड़ी संख्या में महिलाएँ चुनावी पदों पर चुनी जा रही हैं और उनके अधिकारों में सुधार हो रहा है। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास और निर्णय निर्माण में भागीदारी बढ़ी है। हाल में संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण कानून बना, जिससे उनकी भागीदारी और हितों की रक्षा में सुधार होगा। पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी ग्राम स्वराज और समानता का एहसास करवा रही है।

प्रस्तावना-

वर्तमान में आधी दुनिया महिलाओं की है। यह सच है कि आज ऐसे कोई क्षेत्र नहीं है, जहाँ पुरुषों की भाँति महिलाओं ने अपनी शक्ति, मेहनत, क्षमता का परचम न फहराया हो। बावजूद इसके हम महिला सशक्तिकरण की बात इसलिए करते है कि महिलाओं को आज जिस मुकाम पर होना चाहिए था, वहाँ नहीं है। अभी भी महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है। वे अभी भी शिक्षा, सम्पति, सामाजिक, राजनैतिक अधिकारों से वंचित है। कभी धर्म के नाम पर कभी परम्परा निर्वहन के नाम पर, कभी शारीरिक निर्बलता के नाम पर पुरुषों द्वारा महिलाओं का शोषण जारी है। ऐसी स्थिति में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए आवाज उठाई जा रही हैं। प्रस्तुत आलेख महिलाओं के रानीतिक सशक्तिकरण से सम्बन्धित है।

महिलाओं का राजनीतिक विकास क्या है? इसकी जानकारी के लिए हमें प्रसिद्ध विचारक लूसियन पाई ने जो अवधारणा विकसित की है, उसके अनुसार राजनीतिक विकास को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। इस क्रम में हमें महिलाओं की दृष्टि से तीन बातों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना है।

- समानता के लिए संवेदनशीलता,
- राज्य और समाज व्यवस्था को प्रमाणित करने की क्षमता एवं
- राज्य व्यवस्था की इकाइयों से महिलाओं का सम्बन्ध।

इन आधारों या बातों पर किया जाने वाला प्रत्येक विश्लेषण महिलाओं के राजनीतिक विकास के स्तर सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से महिलाओं का विकास तभी संभव है, जब सम्पूर्ण देश की महिलाएँ देश के समग्र विकास की प्रक्रिया में भाग लें।

संयुक्त राष्ट्र संघ विकास क्रार्यक्रम द्वारा वर्ष 1994 में बीजिंग में हुए विश्व महिला सम्मेलन से पहले जारी की गई मानव निकाय रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व की संसदों में महिलाओं का और संख्या पुरूषों की तुलना में मात्र 10 प्रतिशत थी और मंत्री स्तर की स्थिति तो और भी दयनीय बताई गई थी। इसमें तो महिलाओं का औसत 6 प्रतिशत ही था। राजनीतिक विकास के मुख्य रूप से चार पक्ष है।

1. राजनीतिक जागरूकता.
2. राजनीति में भागीदारी,
3. राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त करना।
4. नेतृत्व प्राप्त कर निर्णयों को प्रभावित करना।

महिलाओं को राजनैतिक क्षेत्र में उचित भागीदारी देने के लिए भारतीय संविधान के 73 वें एवं 74 वें संविधान संशोधनों द्वारा देश भर की पंचायतों एवं जिला परिषदों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया जो भारतीय स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थानों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का एक सराहनीय कदम है। इसके बाद इस बात की जरूरत समझी गई कि आधी आबादी को बराबरी का दर्जा देने के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इसी सोच के साथ वर्ष 2006 में बिर से शुरू हुआ महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का सिलसिला विभिन्न राज्यों तक पहुँचा जिस बाद में बढ़ाकर तमाम राज्यों

में 50 प्रतिशत कर दिया गया। इन संविधान संशोधनों से पंचायत की सत्ता संरचना में और निर्णय की प्रक्रिया में महिलाएँ भागीदार हुई। इतना ही नहीं इससे महिलाओं की राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ेगी और वह अपनी शक्ति का सामाजिक विकास में तथा राजनैतिक क्रियाकलापों में लगा सकेंगी और एक सुदृढ लोकतंत्र की स्थापना कर सकेंगी। इससे कई रचनात्मक परिणाम सामने आएँगे। राजनीति में भागीदारी से महिलाओं में जागृति उत्पन्न होगी और निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उनकी हिस्सेदारी से उनमें आत्म विश्वास और स्वाभिमान, समानता एवं स्वायतता के अधिकार का अहसास होगा और वह नीति निर्धारण व क्रियान्वयन में अपनी प्रभावी व रचनात्मक भूमिका निर्वहन करेगी। ये सब महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी।

समाजशास्त्री एच. हर्नेस ने महिलाओं की आनुपातिक प्रतिनिधित्व के पक्ष में तीन तक दिए हैं। वे विषय की गम्भीरता तथा महत्ता को समेटे हुए हैं। उनके अनुसार,

1. प्रजातंत्रीय सिद्धांत के अनुसार महिलाओं को आनुपालिक प्रतिनिधित्व देकर न्याय की अवधारणा को पुष्ट किया जाए।
2. वर्ग, जाति, लिंग, धर्म आदि विभाजनों से महिलाएँ एकडित समूह हैं, जिनके अपने निश्चित सामान्य हित हैं जो बहुरूपी पितृसतात्मक व्यवस्था से उपजते है। और उनकी सुरक्षा का निर्धारण महिलाएँ ही कर सकती है।
3. महिलाएँ समाज के लिए संसाधन अथवा सम्पदा स्वरूप है, अर्थात् महिलाओं की विशिष्ट प्रतिभा ऐसी बहुमूल्य अन्तः शक्ति है जिसका उनकी प्रभावी राजनीतिक सहभागिता द्वारा उपयोग किया जा सकता है।

घोषणाओं की अपेक्षा सामाजिक तथा व्यक्तिगत सोच तथा समझ को बदलने की समाजव्यापी दीर्घकालीन प्रक्रिया एवं प्रयासों द्वारा ही निदान की और अग्रसर हो सकता है। किन्तु प्रजातंत्र शासन की ऐसी विधा है, जो मानवीय स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय के सिद्धांत को आत्मसात करने की सम्पूर्ण संभावनाओं से युक्त है। ऐसे समाजों में समाजिक परिवर्तन का प्रश्न राजनीति से विलग नहीं हो सकता राजनीतिक दल अध्यादेश जारीकर देने मात्र से भले ही सामाजिक जीवन में स्वीकृत न होता हो, किन्तु एक प्रक्रिया का आरम्भ अवश्य कर देता है जो अंततः उसे समाजीकरण की ओर ले जाती है। विशेषकर महिलाओं की राजीनतिक सहभागिता महिलाओं को राजनैतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए. लोकतंत्र की सफलता में निर्वाचनों में मताधिकार के समय राजनैतिक संस्कृति के विकास के लिए अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के बोध करने में राजनीतिक चेतना का विकास करने में और राजनैतिक समाजीकरण की प्रक्रिया की घोषणा और प्रेरणा देने में राजनैतिक सहभागिता महत्त्वपूर्ण और अनिवार्य है। साथ ही महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

तथ्य विश्लेषण

पंचायत व्यवस्था में सहभागी ज्यादातर महिलाएँ अशिक्षित हैं। 39 प्रतिशत महिलाएँ पहली बार पंचायत व्यवस्था में सहयोगी हुई और वे अपने पति या परिवार के वजह से आई।

पंचायत में अपनी भूमिका के बारे में 38 प्रतिशत महिलाओं को जानकारी है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण, नई सड़कों का निमार्ण गृह उद्योग और कुटरी उघोग के बारे में प्रशिक्षण देने का शिक्षा का प्रसार-प्रचार कृषि सुधार के लिए सिंचाई की व्यवस्था, उत्तम बीज की व्यवस्था आदि विकास के कार्य किए।

अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को पंचायत व्यवस्था में काम करने में निम्न परिवार निम्न सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थान की वजह से हीन भावना का अहसास है। इससे कई महिलाएँ अपने कार्य में संकोच, भय और कम आत्म विश्वास रखती है।

एकाकी परिवार की महिलाओं को कार्य कारने में सरलता होती है। युवा महिलाओं को कार्य करने में चरित्र का प्रश्न बाधक है। 27 प्रतिशत महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में कोई रूचि नहीं है। इसलिए उनकी भूमिका प्रभावकारी नहीं हैं। उनका पूरा कार्य और आम सभाओं का सम्बोधन उनके पति या परिवार के अन्य शिक्षित सदस्य करते हैं।

44 प्रतिशत महिलाओं के परम्परागत सामजिक स्थान में बदलाव आया है। चर्चा के दौरान कुछ महिलाओं ने स्वीकार किया कि अब उनके विचारों की परिवार में स्वीकृति होती है। साथ ही उन्हें महिला संगठन एवं स्थानिक समुदाय मान और प्रतिष्ठा देते हैं।

घर की चारदीवारी तक सीमित रहने महिलाएँ, चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित सभी महिलाएँ सामने आयी, कोई चुनाव लड़ने तो कोई वोट देने। पंचायती राज व्यवस्था ने महिलाओं को हाशिए से उठकार राजनीतिक की मुख्यधारा में जोड़ दिया। निम्न स्तर की महिलाएँ भी जीतकर स्वशासन में आयी हैं, जो महिला जागरूकता और सशक्तिकरण का सूचक है।

30 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि पुरुष सहयोगी उनके नेतृत्व को मानसिक स्तर पर स्वीकार नहीं करते और महिलाओं की प्रति नकारात्मक विचार रखते हैं एवं पंचायत में अपने हित के विरूद्ध निर्णय लेने में बाधक बनते हैं। इसलिए पंचायत व्यवस्था में कार्य करने में महिलाओं को कई पुरुष सदस्यों का व्यवहार सहयोग पूर्ण नहीं दिखाई दिया। कुछ महिलाओं का कहना है कि पंचायत व्यवस्था में

संलग्न अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का उनके प्रति बर्ताव अच्छा नहीं है। उन्होने बताया कि कई बार सरल प्रश्न की प्रस्तुति को अधिकारी हंसी-मजाक में लेते हैं और संतोषप्रद उत्तर नहीं देते। इससे अशिक्षित महिलाओं में संकोच और भय बढ़ता है और कार्य करने का उत्साह कम हो जाता है।

केन्द्र सरकार की ओर से महिलाओं को पंचायत स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था देने के बाद अब संसद में भी 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई। क्योंकि पंचायत स्तर पर महिलाओं ने जिस तरह से भागीदारी निभायी है, उसके उत्साहजनक परिणाम आए हैं। देश में ग्राम स्वराज का सपना ही साकार नहीं हो रहा है। बल्कि बराबरी का अहसास भी दिख रहा है। यही वजह है कि केन्द्र सरकार संसद में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना चाहती है। नारी शक्ति वन्दन अधिनियम, 2023 को नरेन्द्र मोदी सरकार ने पारित कर दिया जिसमें संसद और राज्य की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। संसद में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी होने से देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी महिलाओं को भागीदारी मिलेगी। यहाँ महिला हितों की रक्षा होने के साथ ही महिलाओं के कल्याण के लिए बनने वाली योजनाएँ पहले की अपेक्षा और बेहतर हो सकेंगी।

सुझाव

ज्यादातर महिलाएँ अशिक्षित हैं। इस बजट से उनको पंचायत का लेखा पत्र, नियम पढ़ने या लिखने में दिक्कत होती है। इसलिए महिला नेताओं को शिक्षा देनी अति आवश्यक है। कारण कि शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास, अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता तथा अन्याय से लड़ने की नैतिक शक्रि पैदा होती है। वे अपने प्रति हो रहे सामाजिक एवं आर्थिक भेदभाव को पहचानकर उसके प्रतिकार करने योग्य बन सकती हैं। शिक्षा और जागरूकता के बढ़ने पर ही महिलाएँ कानून द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठा सकती है।

पहली बार चुनाव जीतकर आने वाली महिलाएं पंचायत के क्रियाकलापों से अनभिज्ञ होती है। उन्हें इससे अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण शिविर चलाने चाहिए। साथ ही साथ उनके राजीतिक अधिकार क्या है? सामाजिक दायित्व कौन-कौन से है? इस बारे में जागरूक करने के लिए महिला प्रशिक्षण तथा महिला सम्मेलन का आयोजन करना चाहिए।

पारिवारिक उत्तरदायित्वों में सिर्फ महिलाओं की भूमिका प्रमुख है। हमारी सामाजिक संरचना एवं परम्पराएँ भी उसकी समर्थक हैं जिससे महिलाओं को पंचायत के कार्यों के लिए कम वक्त मिलता है। इसलिए पारिवारिक उत्तरदायित्वों में महिलाओं की भूमिका के साथ पति का सहकार एवं भागीदारी भी इतनी ही जरूरी है, जिससे महिलाओं को पंचायत के कार्य करने में पूरा वक्त मिल सकें।

सम्पूर्ण सशक्तिकरण में आर्थिक आत्म निर्भरता की अहम् भूमिका है। आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर महिलाएँ अपने अधिकारों के लिए जागरूक होते हुए भी उनका उपयोग नहीं कर पाती हैं। वह स्वंय को पुरूषों की तुलना में निम्न श्रेणी का ही माननी है। आय एवं व्यय की जिम्मेदारी न होने के कारण वह अपने को दीन, हीन एवं अयोग्य समझती है जिससे वह दूसरों के सामने अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाती है। इसलिए महिलाओं की आर्थिक आत्म निर्भरता बढ़ानी चाहिए महिला नेताओं का इस हेतु कुछ वेतन देना चाहिए ताकि उनके पंचायत से संबंधित कार्य या अन्य कार्य करने में बाधा न आए।

पंचायतों के पास अपना वित्तीय स्त्रोत होना भी जरूरी है। अधिकांश सरकारी कार्यक्रमों का व्यय केन्द्र या राज्य सरकारें वहन करती हैं। ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ तथा बहुमुखी होनी चाहिए कि कोई भी पंचायत स्वंय की नीतियों में कार्यक्रमों तथा योजनाओं का वित्त पोषण कर सके। ग्रामीणों द्वारा दिया गया कर जब उन्ही के विकास कार्यों में लगेगा तो स्वत: ही आम लोग पंचायत को कर देना स्वीकार करेंगे। इससे पंचायतो को वित्तीय स्त्रोत मिल जाएगा जिससे ग्राम विकास में आर्थिक मदद मिलेगी।

महिलाओं में नेतृत्व पैदा करने के लिए यह आवश्यक है कि वह जिस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं उसकी तकनीकी, आर्थिक, भौगोलिक, राजनैतिक एवं सामाजिक पहलुओं के बारे में सम्पूर्ण जानकारी हो। चूँकि यह जानकारी देना बिना शिक्षा के संभव नही है। अत: आवश्यकता है कि महिलाओं को नेतृत्व के लिए शिक्षित बना जाए।

महिलाएँ यह समझें कि वे महत्वपूर्ण वोट बैंक हैं। पति सहयोगी अथवा अन्य किसी पर निर्भरता का त्याग कर स्वयं कार्य करने की पहल करें और आत्म विश्वास से कार्य करें।

राजनीतिक माहौल में अपराधिकरण आतंकवाद, कालाधन, चरित्र लांछन जैसे दुर्गुण हैं, जिनसे महिलाएँ सार्वजनिक रूप में अलग रहती हैं क्योंकि उन्हे सामाजिक अप्रतिष्ठा का भय बना रहता है। इसलिए राजनेताओं और राजनैतिक दलों द्वारा इस दूषित वातावरण में परिवर्तन लाना जरूरी है ताकि महिलाएँ राजनीति में अपना योगदान दे सकें।

महिलाएँ सार्वजनिक जीवन में कई सालों के बाद पहली बार आयी हैं इसलिए उनमें भय, संकोच एवं ज्यादा घबराहट हैं। उनमें साहस और त्याग की भावना का विकास करना होगा। साथ ही साथ उनमें आत्मविश्वास पैदा करने की भी आवश्यकता है।

आज का युग प्रतियोगिता का युग है महिलाओं को मात्र कानूनी अधिकार दिए जाने से वे समान अधिकार का उपयोग नहीं कर सकतीं। आवश्यकता इस बात की है कि समाज में सामाजिक परिवर्तन हो, समाज का नजरिया बदलना होगा। एवं महिलाओं को अपने

मन में हीन भावना का अन्त करना होगा। महिलाओं में राजनितिक जागरूकता उत्पन्न की जाए। इस सम्बन्ध में बुद्धिजीवी वर्ग, दार्शनिक एवं देश के नेता इस समस्या की तहतक जाकर उसका निराकरण करें।

परिवार और समाज में स्त्री-पुरुष दोनों एक--दूसरे के सहयोग से अपने दायित्वों का निर्वाह करें, यह भावना विकसित करना आवश्यक हैं।

विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में आने के लिए उत्साहित किया जाए एवं प्रत्येक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए राहत कोष की स्थापना की जानी चाहिए। साथ ही उन्हें दिशा निर्देश देने हेतु हर स्तर पर महिला आयोग एवं सलाहकार बोर्ड स्थापित किए जायें। समय-समय पर महिला सम्मेलन का आयोजन किया जाए, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में आमंत्रित किया जाये जिससे वे अपना राजनीतिक विकास कर सकें।

संदर्भ ग्रन्थ

1. बोहरा, आशा रानी:- भारतीय नारी: दशा और दिशा, नेशनल पब्लिसिंग, डाउस, नई दिल्ली, 1983।
2. जोशी, गोपा: भारत में रखी असमानता: एक विमर्श, हिन्दी माध्यम कार्यन्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2006।
3. सहाय, सुषमा: एन्यावर नेंट ऑफ वीमन: एप्रोवेज एण्ड स्ट्रेटजी, डिएफजरी पब्लिसिंग, हाउस, हैदराबाद, 1998।
4. वशिष्ट, सरिता महिला सशक्रिकरण, के. के. पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2010 द्य 5. वोउवार, सीमोन द स्वी उपेक्षिता, हिन्द पॉकेट बुक्स, दिल्ली, 2002।

वैश्वीकरण का राजनीतिक संदर्भः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

महंथ माँझी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा सारण (बिहार)

रिसर्च आर्टिकल का एब्स्ट्रेक्टः

वैश्वीकरण ने विश्व राजनीति और राष्ट्रीय नीतियों पर गहरा प्रभाव डाला है। यह न केवल आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, बल्कि राजनीतिक ढांचे और शासन प्रणालियों में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। वैश्वीकरण के राजनीतिक संदर्भ में, राष्ट्र-राज्य की संप्रभुता, लोकतांत्रिक मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच संतुलन प्रमुख मुद्दे बनकर उभरते हैं। इस प्रक्रिया के तहत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन (WTO), और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), का प्रभाव बढ़ा है, जिससे छोटे और विकासशील देशों की नीतिगत स्वतंत्रता पर असर पड़ता है। वैश्वीकरण राजनीतिक रूप से एकीकृत विश्व की ओर अग्रसर है, लेकिन इसके साथ ही राष्ट्रवाद और क्षेत्रीयता की प्रवृत्तियाँ भी बढ़ रही हैं। वैश्विक शक्तियाँ राष्ट्रीय नीति-निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं और स्थानीय राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार देती हैं। वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनियों और गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका भी बढ़ रही है, जिससे राज्य की शक्ति को चुनौती मिलती है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए, वैश्वीकरण के राजनीतिक आयाम आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के संदर्भ में अवसरों और चुनौतियों का मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत आलेख वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों को संतुलित दृष्टिकोण से देखने का प्रयास अपेक्षित है, जिसमें वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में उभरती प्रवृत्तियों, क्षेत्रीय संगठनात्मक संरचनाओं और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक प्रतिक्रिया का समावेश हो सकता है।

की वर्ड्सः वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, अंतरराष्ट्रीय बाजार, विदेश नीति, आर्थिक गतिविधियां, क्षेत्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, मानवीय संसाधन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि।

इंट्रोडक्शन एंड सब्जेक्ट मैटरः

वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ है श्राष्ट्र राज्यों को एक नियम कानून के तहत इस तरह अभिलेख वद्य करना है जो सम्पूर्ण विश्व (भूमण्डलीय) एकता के अनुकूल हो। देशों की संप्रभुता के आधार पर ही भूमण्डलीय संप्रभूता की बात कही जा सकती है।[1] समसामयिक विश्व के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति वैश्वीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वैश्वीकरण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। वैश्वीकरण एक ऐसी पद्धति है जो भूमण्डलीयकरण के संदर्भ में परिवर्तन का रास्ता साफ करता है। अर्थात पद्धति है जो सम्पूर्ण विश्व के लिए एक विचारधारा या इस व्यवस्था को न्यायोचित ठहराने की उत्तम प्रक्रिया। वैश्वरीकरण कोई नई स्थिति नहीं है, बल्कि यह प्राचीन काल से चली आ रही विचारधारा या प्रथा के रूप में वर्त्तमान रहा है। जानकारी के अभाव में ऐतिहासिक अर्थों में कम जान पड़ता है। क्योंकि यह मौजूदा परिपेक्ष में वैश्वीकरण की विशेषता को मान्यता नहीं देता है।[2] वैश्वीकरण एक जटिल प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, किन्तु पूंजीवादी व्यवस्था से खतरा बना हुआ है।

विश्व के राजनीतिक क्षितिज पर एक नई प्रकार की राजनीतिक परम्परा का विकास करने के लिए अग्रसर है जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक में बदलाव पर जोर देता है। वैश्वीकरण जैसी पूंजीवादी व्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारधारा एवं उनके महत्व तथा उनकी संस्कृति को लगभग समाप्त कर दिया है अथवा समाप्त करने पर तुले हुए हैं। कल तक जो राष्ट्र विचारधारा पर एक-दूसरे से जुड़े हुए थे आज आर्थिक हितों को पूरा करने के चलते विचारधारा को छोड़ रहा है।[3] अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि वैश्वीकरण की राजनीति उन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने का प्रयास करती है जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का समर्थन करता है। जो विश्व राजनीतिक रंगमंच पर सामने आता है। अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर एक ऐसे राजनीतिक आदर्शों एवं सांस्कृतिक मूल्यों को मिलाना चाहता है जो राष्ट्रीय राजनीति के संप्रभुता को कम करने का प्रयास करता है। वैश्वीकरण के आधार पर वह विविधता एवं विभाजन को भी सही ठहराता है। सांस्कृतिक मूल्यों को मिलाना चाहता है जो राष्ट्रीय राजनीति के संप्रभुता को कम करने का प्रयास करता है। वैश्वीकरण के आधार पर वह विविधता एवं विभाजन को भी सही ठहराता है। जहाँ तक आधुनिक राजनीति में सिद्धांतों एवं मूल्यों का प्रश्न है, वहाँ आज राष्ट्र अपने विचारों, सिद्धांतों एवं मूल्यों को छोड़ रहा है और विश्व में उभरती नई राजनीतिक व्यवस्था के साथ होते जा रहे हैं। ऐसे अनेको उदाहरण दिये जा सकते हैंः- चीन साम्यवादी विचारधारा वाले देश होते हुए भी क्यूबा जैसे साम्यवादी देश के साथ नहीं होकर, पूंजीवादी देश अमरिका के समीप खड़ा है। जो वैश्वीकरण का संचालन कर्त्ता है। अतः कहा जा

सकता है कि आज के अन्तर्राष्ट्रीय परिपेक्ष में वैश्वीकरण विचारधारा को प्रभावित कर अर्थ को महत्वपूर्ण बना दिया है। ऐसे तो पहले भी राष्ट्रीय हित में राष्ट्रों के आर्थिक हित महत्वपूर्ण होते रहे हैं किन्तु सामारिक सुरक्षा संबंधी हित भी उससे अधिक महत्वपूर्ण रहे है। विगत दशकों में शीत युद्ध की समाप्ति एवं सोवियत रूस के पतन के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक परिवर्तन ने पूँजीवादी देशों के उदारीकरण को वैश्वीकरण में बदल हदिया है और यही वैश्वीकरण देशों के बीच संबंध का आधार बन रहा है। आज दुनियाँ का कोई भी देश इस वैश्वीकरण से अलग रहकर अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकता। यह कहना उचित होगा कि आज वैश्वीकरण ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के स्परूप को ही बदल दिया है। आज कोई देश अन्तर्राष्ट्रीय समझौता केवल आर्थिक हित के लिए करते है वह इस बात पर ध्यान नहीं देते है कि सामरिक हित की ओर अग्रसर है किन्तु आर्थिक लाभ की दृष्टि के लिए संधियाँ की जाय। वैश्वीकरण के कारण पाश्चात्य देशों के लचीले राजनीतिक विचार के कारण से विश्व के देशों में मुक्त कर प्रणाली अपना पूँजी निवेश करता है।[4] इस निवेश के माध्यम से राष्ट्रों को आज और कल का प्रोद्योगिक का लाभ प्राप्त होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वैश्वीकरण के कारण एक जटिल विधियों एवं व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (IFM) विश्व बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थायें (IFIS) के नियामक क्षेत्र गैट (GATT) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) सम्पूर्ण विश्व में किये गये समान नीतियाँ और कार्यक्रम लागू करने के लिए एक नये विश्व शासन व्यवस्था की ओर अग्रसर है। ये संस्थाएँ इस व्यवस्था को पूर्ण बनाने में निर्णायक की भूमिका का निर्वाह करते है। इस प्रक्रिया के माध्यम से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव यह होता है कि राष्ट्रीय सरकारों को अपने कानून बदलने के लिए दबाव डाला जाय, जिससे भूमण्डलीय राजनीतिक शासन व्यवस्था की उभरती नई प्रवृत्तियाँ विश्व के देशों के साथ तुलना कर सके। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक अथवा विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं को कभी-कभी कमजोर राष्ट्रों के आपत्तियाँ से फर्क पड़ता है।[5]

वैश्वीकरण की प्रक्रिया को जानने के लिए राजनीतिक संस्कृति को जानना भी अनिवार्य हो जाता है। मौलिक रूप में वैश्वीकरण का अर्थ मूल्यों का सार्वभौमीकरण। आज जिस रूप में विश्व की राजनीतिक संस्कृति सार्वभौमिक मूल्यों के अनुसार वदलती जा रही है यह एक भूमण्डलीय व्यवस्था है। जिस के प्रति बदलते हुए राष्ट्रों, क्षेत्रों और स्थानों के सभी मूल्यों, प्रयाओं और परम्पराओं में बदलाव की जरूरत है। वैश्वीकरण मूलत: मूल्यों एवं संस्कृतियों को मुख्यत: पश्चिम के अधिपत्य वाले देशों के राजनीतिक संस्कृतियों के साथ समांगम करने की मांग करता है।[6] अत: जब हम आर्थिक वैश्वीकरण के साथ राजनीतिमक संस्कृति के वैश्वीकरण पर दृष्टिपात करते है तो यह लगने लगता है कि पूंजीवादी बाजार के समांगम पर चलने को तैयार है या उस पर निर्भर है।

राजनीतिक संस्कृति के रूप में वैश्वीकरण सम्पूर्ण विश्व को सिकुड़ने या सम्पूर्ण विश्व की चेतना के विस्तार को बतलाता है। सुचना युग के विकास के कारण भूमण्डल के आर-पार राजनीतिक संस्कृति की प्रक्रिया को सहवर्ती घटना के रूप में देखा जाना चाहिए। वैश्वीकरण के सभी गुण अग्रलिखित रूपों में दिखाई पड़ते हैं: सामग्री आदान प्रदान स्थानीय होते है, राजनीतिक आदान-प्रदान अन्तर्राष्ट्रीय होते है तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान भूमण्डलीय होते हैं। विकसित एवं विकासशील देशों के संदर्भ में वैश्वीकरण की राजनीतिक वैश्वीकरण विकसीत देशों द्वारा स्थापित राजनीतिक विचारधारा है। वह इस बात का प्रचार करना चाहता है कि वैश्वीकरण से दोनों देशों को लाभ है। दूसरे वर्ग में विकासशील राष्ट्र है, जो वैश्वीकरण को संदेह की दृष्टि से देखता है। वैश्वीकरण के इन स्थितियों पर विचार करना अनिवार्य हो जाता है।

वैश्वीकरण के लाभ हेतु पश्चिमी देश (विकसीत राष्ट्र) अग्रलिखित विचार रखते हैं: (1.) संस्थागत और व्यक्तिगत विकास के लिए प्रचुर पूंजी निवेश उपलब्ध कराता है।[7] (2.) विकासशील देशों के लोगों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। (3.) शिक्षा के माध्यम से जन सामान्य के लिए सुधार कार्यक्रम में वृद्धि करता है।(4.) आधुनिक विकास को गति प्रदान करता है। जैसे: सड़क, शक्ति सयंत्र आधुनिक इलेक्ट्रोनिक संचार। (5.) विकसित राष्ट्रों के द्वारा विकासशील देशों को बिना किसी लागत के प्रौद्योगिक की व्यवस्था प्रदान करता है, जिससे सार्वभौमिक तौर पर एक समान मानक और मूल्य समान हो जायेगें। इसके विपरीत विकासशील देशों का यह तर्क है कि वैश्वीकरण के लिए जो विकसित देश वचनबद्ध है वह दिये गये बचन या किये गये वादे के अनुरूप काफी कम मात्रा में विकासशील देशों को उपलब्ध कराता है। इन विकासशील देशों का कहना है कि

1. वैश्वीकरण ने विकासशील देशों को उनके द्वारा इन देशों में किये गये पूँजी निवेश के उपेक्षा अधिक धन लिये जाने के कारण पूँजी रहित कर दिया है।
2. निवेश में पूँजी अधिक लगाने के बजाय कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ स्थानीय देनदारों से उधार लेती है और इस प्रकार उन दुर्लभ पूँजी संसाधनों का क्षय रही है, जिन्हें देशी व्यापारियों द्वारा उपयोग में लाया जाना चाहिए।
3. विकासशील देश के द्वारा किये गये वादे कि प्रौद्योगिक से लाभ विकासशील राष्ट्रों को कम मिलता है। विकासशील राष्ट्रों पर निर्भरता से नवीनीकरण का मार्ग अवरूद्ध हो जाता है।

4. वैश्वीरकण और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के द्वारा विज्ञापन को इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि आज के उपभोक्तावाद और विलासतापूर्ण वस्तुओं का आयातीकरण को बड़ावा देता है। वहुराष्ट्रीय कम्पनियों के द्वारा उत्पाद को बड़ावा मिलता है और घरेलू निवेश जो घरेलू आर्थिक वृद्धि की जानी चाहिए उसमें कमी आती है।
5. वैश्वीकरण में बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ विदेशों में आर्थिक सहायता देकर व्यापार पर वाणिज्यिक प्रतिबंध का विरोध कर सकती है। वास्तव में यह उन्हें व्यापार अवरोध पर काबू पाने, उत्पादन जारी रखने और विकासशील देशों की लागत पर लाभ कमाने की अनुमति देता है।[8]

इस तरह वैश्वीकरण मौजूदा अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। वैश्वीकरण एकीकृत विश्व का हवाला देता है। यह सत्य प्रतीत होता है कि विश्व दो भागों में विभाजित (गरीब और अमीर) हो रहा है और यही प्रगतिशील पश्चिम के देश मुक्त व्यापार और नई भूमण्डलीय व्यवस्था का वकालत कर मुक्त व्यापार प्रणाली का लाभ उठाता है। यह व्यवस्था उक्त देशों से पक्ष में कार्य कर रही है। इसी उपेक्षा एवं असमानता के कारण भूमण्डलीय अर्थव्यवस्था सर्वाधिक सोचनीय विषय बनता जा रहा है।

आज सम्पूर्ण विश्व दो घड़ों में विभाजित होकर अपने-अपने हित तलाशने का प्रयास कर रहा है। एक ओर विकसीत देश है तो दूसरी ओर विकासशील। वैश्वीकरण से खासकर तृतीय विश्व के वे अल्पविकसीत देश जो विकसीत देशों के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव से प्रभावित हो रहे है।[9] विकसीत देशों के वर्चस्व के कारण अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था तथा व्यापार के शर्तो पर बातचीत करने के लिए अल्प विकसीत देशों के लिए बहुत कम गुंजाइश छोड़ता है। यद्यपि बहुराष्ट्रीय कम्पनीयों का क्रिया कलाप सीमाओं से परे है। तब भी उन के हित आज भी उन्नत देशों के साथ जुड़े हुए है।

सूचना तकनीक के विकास के कारण जैसे मार्शल मैकलुहान ने कहा है सम्पूर्ण विश्व सिकुड़कर एक भूमण्डलीय गांव बन गया है।[10] इस प्रकार विकासशील देशों का पराजय के कारण पश्चिमी देशों द्वारा राजनीति और संस्कृति पर घातक प्रहार के कारण इन देशों की चिन्ता और व्यग्रता प्रस्तुत होती है। नई सूचना के साथ वे व्यवस्थाएँ एकीकृत होकर उन्नत देशों में राष्ट्र राज्यों को मजबूत होने तथा तृतीय विश्व में राज्यों के कमजोर होने की संभावना बनती है। जो वैश्वीकरण के विरोधाभास उभरती प्रवृतियाँ भूमण्डलीय व्यवस्या राष्ट्रीय राज्यों में विशिष्ट लक्षण देने जा रही है।"

राष्ट्र संप्रभुता के संदर्भ में वैश्वीकरण की राजनीति का विशेष रूप देखा जा रहा है। वैश्वीकरण के कारण राष्ट्र की संप्रभुता पर संकट लगा है। क्योंकि राष्ट्रस्तर पर स्वतंत्र रूप से काम करने की प्रवृति पर भूमण्डलीय स्तर पर बाह्य शक्ति द्वारा तथा स्थनीय स्तर पर आन्तरिक शक्ति द्वारा दवाव डाला जा रहा है। इस से विकसीत राष्ट्रों के तरह वहुआयामी होने के सवाल पर प्रश्न चिह लगता दिखाई पड़ रहा है।[11] इस तरह विकसित राष्ट्र एकीकरण के अर्यो में विकासशील राष्ट्र को स्थानीय विद्यटन के बल द्वारा बीचों-बीच फंसाकर रखा है। राष्ट्रों की वैसी स्थिति नहीं रह गयी जिस के अन्तर्गत लोग उिनके साथ विशेषाधिकार पूर्ण संबंध कायम कर रहे थे क्योंकि राज्य न तो भूमण्डलीय शक्तियों के साथ बात करने के लिए तैयार है और न अपने उन नागरिकों के मध्य एकता का बोध कायम करने की स्थिति में है जो अपना पहचान बनाकर रहना चाहता है। तृतीय विश्व के देश इस विषय पर काफी चिन्तन में है क्योंकि दोनों स्तरों पर राष्ट्रों कि योग्यता प्रबल है। लोगों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर नये संगठन की तलाश कर रहे है जिनके माध्यम से वह अपनी पहचान एवं अस्तित्व कायम रख सके।

विकासशील राष्ट्र जो अधिक संसाधनों की मांग कर रहा है कभी-कभी वह विकसीत राष्ट्रों का सहारा लेने के लिये तत्पर रहता है तो कभी उनका विनाश करने को अपने हित समझते है। इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अधिक वैधता की मांग करेगें और समर्थक देशों के हितों के दृष्टि से एकीकृत नियम की वैधता की बात रखेंगे।

वैश्वीकरण के संदर्भ में शिखर वार्ता की हाल की स्थिति से यह समझना होगा कि विकासशील समुदाय किस प्रकार सीमापार की प्रवृतियों से अपने आपको अभिभूत करने की मांग कर रहा है। मानव अधिकार ग्रुपों के वियना शिखर वार्ता महिला गुटों की बीजिंग शिखर वार्ता, पारिस्थिति की ग्रुपों की 'रियो' शिखर वार्त्ता, जातिवाद के विरूद्ध डरबन शिखर वार्ता अथवा विश्व समाज फोरम, सभी प्रजाति जाति लिंग, पारिस्थिति की मुद्दों के आधार पर राष्ट्रों की सीमाओं से परे इन देशों को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयासरत है। वह राष्ट्रों की संप्रभुता से परे सामाजिक न्याय की बात करता है और इसे वैश्वीकरण के सांचे में ढालने का प्रयास करता है।[12] मानव अधिकार के नाम पर वह किसी राष्ट्र को सहारा एवं ऋण उपलब्ध कराते है और उनके आड़ में अपने हित साधते है। अत: कहा जा सकता है राष्ट्र की संप्रभुता किस प्रकार घरेलू एवं भूमण्डलीय शक्ति के दबाव में है।

निष्कर्ष:

यह कहना गलत नहीं होगा कि इसके कुछ नकारात्मक एवं कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आयेगे। नकारात्मक इस अर्थ में कि राष्ट्रहित की जो प्रक्रिया राष्ट्र स्तर पर निर्धारित कर इन के विकास के लिए कानून का निर्माण होनी चाहिए वह वैश्वीकरण के कारण

अपने हित को अपने अनुकूल नहीं कर सकेगें। इतना ही नहीं वैश्वीकरण की व्यवस्था में अपने को शामिल कर इनकी प्रक्रियाओं से अपने आप को अलग भी नहीं रख सकेगें। वैश्वीकरण की जितने भी व्यवस्थाएँ है वह विकसीत देशों के हित में काम करती है। किन्तु इस का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि इससे सिर्फ विकसीत देशों का हित भी है। आज विकासशील देशों का तकनीकी विकास वैश्वीकरण की प्रक्रिया से ही संभव है। इस तकनीकी विकास से वह देश का राजनीतिक दिशा निर्धारित कर सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. राजनीतिक विचार और विचारधाराएँ ईग्नू ई०पी०एस० 1/11
2. वही
3. पत्र-पत्रिकाओं के आधार पर दैनिक हिन्दुस्तान 22 जुलाई, 2007 ।
4. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति डॉ० बी०एल० फाड़िया, पृष्ठ सं० 164-165.
5. वही
6. वही
7. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, डॉ० बी०एल० फाड़िया, पृष्ठ सं० 155-156
8. वही
9. वही
10. राजनीति विज्ञान, अशोक कुमार, उपकार प्रकाशन, आगरा पृष्ठ संख्या - 506
11. सोशल साइंस, जवाहर सिंह तोमर, लक्ष्मी प्रकाशन (प्रा०) लि०, बंगलोर, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या, 204-210
12. वही

भारतीय धर्म पर स्वामी दयानन्द सरस्वती के विचार: एक अवलोकन

राजकुमार

(रिसर्च स्कॉलर), राजनीति विज्ञान विभाग, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा सारण (बिहार)

शोध आलेख का सारतत्व:

स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय समाज और धर्म के पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। उन्होंने वेदों को परम ज्ञान का स्रोत मानते हुए भारतीय धर्म के मूल स्वरूप की ओर लौटने का आह्वान किया। स्वामी दयानंद का मानना था कि समय के साथ भारतीय धर्म में अंधविश्वास, कुरीतियाँ और पाखंड बढ़ गए हैं, जिससे समाज में वैमनस्य और बिखराव उत्पन्न हुआ है। उनके विचारों का मुख्य केंद्र वेदों की शुद्ध व्याख्या और धर्म के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पुनर्स्थापित करना था। दयानंद सरस्वती ने मूर्तिपूजा, जातिवाद, बाल विवाह और अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध करते हुए समाज में सत्य, धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना का संदेश दिया। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर 'वेदों की ओर लौटो' (वेदों की ओर वापसी) का नारा दिया, जो भारतीय समाज में धार्मिक और नैतिक सुधार का मार्गदर्शक बना। उनके विचारों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार आंदोलनों को भी प्रेरित किया। यह शोध आलेख स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचारों की पड़ताल करता है और यह विश्लेषण करता है कि उनके सिद्धांतों ने किस प्रकार भारतीय समाज और धर्म के परिष्कार में योगदान दिया। साथ ही, यह आलेख आधुनिक भारतीय समाज में स्वामी दयानंद के विचारों की प्रासंगिकता पर भी प्रकाश डालता है।

प्रमुख शब्दावली: सामाजिक सुधार और धर्म, आध्यात्मिक उन्नति, सामाजिक विकास, अंधविश्वास और धर्म, धार्मिक प्रगतिशीलता, लैंगिक समानता और न्याय, प्रगतिशीलता, पुनर्जागरण और धर्म सुधार आदि।

प्रस्तावना:

मानव जीवन में धर्म का विशेष महत्व है क्योंकि यह जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। धर्म मानव समाज में एकता लाता है और सामाजिक समानता का एक सशक्त स्तम्भ है। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने धर्म का व्यापक अर्थ पुरातन अन्धविश्वासों, धार्मिक पाखण्डों और परम्परागत रूढ़ियों से नहीं जोड़ा। अपितु उन नियमों से जोड़ा जो व्यक्ति, समाज और सम्पूर्ण देश के विकास में सहायक होता है। उनके धार्मिक सिद्धान्तों के व्याख्या के बाद ही उनके धार्मिक विचारों के राष्ट्रीय महत्व को समझा जा सकता है। दयानन्द सरस्वती धर्म को मनुष्य को मूल तत्व मानते हैं। धर्म के नष्ट हो जाने पर मनुष्य, मनुष्य नहीं रहता, इसी को आधुनिक शब्दावली में मनुष्यता कहते हैं। उनके अनुसार मनुष्य की जीवन नदी आध्यत्मिकता और भौतिकता इन दो तटों में मध्य प्रवहित हो रही है। यदि यह किसी एक तट को छोड़कर दूसरे तट की ओर बहना आरंभ कर दे तो उस नदी का जल इधर-उधर बिखर जायेगा और उसका नदी रूप समाप्त हो जायेगा। इसी प्रकार हमारा जीवन भी आध्यात्मिकता वा भौतिकता, किसी एक दिशा म प्रवाहित हुआ तो जीवन नष्ट हो जायेगा। यदि वह केवल आध्यात्मिकता की ओर मुड़ा तो इस संसार का न होकर किसी अन्य लोक का होगा, उसका इस संसार से कोई संबंध न होगा।[1] वह तट पर घूमते हुए उस पशु के समान होगा, जो फिसलकर पानी में जा गिरा है और अब उस पानी (संसार-सागर) से बाहर निकलने के प्रयत्न में लगा है। जगत को मिथ्या मान लेने पर जगत की उन्नति, मनुष्य में परस्पर प्रीति, विद्या आदि गुणों को प्राप्त करने में पुरूषार्थ और बद्धा सब व्यर्थ हो जाते हैं, जगत के जितने उत्तम कार्य है, वे सब नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं। अत: केवल परमात्मा में विश्वास रखना और उत्तकी उपासना में ही जीवन को खपा देने को धर्म नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार यदि वह कोरी भोतिकता की ओर चला, तो भी वह एक मनुष्य का जीवन न होकर एक एक पशुवत् जीवन होगा। वह पशु जो हमेशा ही चरता रहता है, फिर भी उसकी भूख शान्त नहीं होती। उसकी इन्द्रियों में इतनी आग है कि वह कभी बुझती नही है, परिणामत: वह हमेशा ही अतृप्ति का अनुभव करता है।[2]

दयानन्द सरस्वती ने परम्परागत मोक्ष की परिभाषा को बदल डाला। मोक्ष का परलोक से अब कोई सम्बन्ध न रहा। उनके अनुसार जीवन मुक्त होकर ही मनुष्य इस संसार में रह सकता है। महर्षि दयानन्द ने वैशेषिक दर्शन में कणाद मुनि द्वारा प्रस्तुत धर्म की इस परिभाषा को प्रस्तुत किया है। अर्थात् जिसके आचारण करने से संसार में उत्तम सुख और नि:श्रेयस अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी का नाम धर्म हैं। दयानन्द के अनुसार धर्म की यही परिभाषा वेदानुमोदित है।[3] अत: दयानन्द सरस्वती के अनुसार धर्म का प्रयोजन जहाँ आध्यात्मिक पूर्णता और पवित्रता की उच्चतम स्थिति तक पहुँचने का प्रयत्न करना है, वहाँ व्यक्ति के बौद्धिक, शारीरिक एवं अन्य

भौतिक उन्नति प्राप्त करने का प्रयत्न भी करना है। इस प्रकार दयानन्द ने कोरी ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के प्रयत्न को ही धर्म मानने की धारणा को मिथ्या सिद्ध किया है। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि धर्म का मात्र एक अंग है, धर्म नहीं यही कारण है कि दयानन्द ने गायत्री और प्राणायाम की शिक्षा के साथ-साथ व्यक्ति के व्यावहारिक होने एवं शिष्ट होने का भी उपदेश दिया है।[4] अत: धर्म वही है जो व्यक्ति, परिवार, समाज और राज्य की उन्नति में सहायक हो। दयानन्द सरस्वती की दृष्टि में धर्म इतना विस्तृत था कि मनुष्य जीवन को शोक-हर्ष आदि को छोड़कर सत्य धर्म में दृढ़ रहना चाहिए। दु:ख को सहन करना चाहिए और दु:ख का निवारण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आदि नियमों से शरीर के आरोग्य, बुद्धि का चातुर्य, बल आदि को बढ़ाना चाहिए।[5] अत: दयानन्द ने सिद्ध किया कि धर्म मात्र ईश्वर की भक्ति नहीं है। सत्य बोलना, अच्छा उपदेश करना, ईश्वर की भक्ति करना, श्रेष्ठ भोजन आदि सब कुछ धर्म है। उन्होंने गर्भ धारण को भी धर्म बतलाया।[6] उन्होंने आश्रम और वर्ण के कर्त्तव्यों को भी धर्म कहा।[7] राज्य वृद्धि, राज्य संरक्षण और राज्य व्यवस्था दयानन्द की दृष्टि में धर्म थे।[8] उनका कहना था कि शास्त्र तथा साहित्य, संगीत, नाट्य, चित्र, मूर्ति आदि कलायें धर्म से संबंधित है जिनके द्वारा मनुष्य का मानसिक तथा नैतिक विकास होता है।

स्वामी दयानंद सरस्वती की दृष्टि में ईश्वर की उपासना के साथ ही संसार की प्रत्येक उपयोगी विषय भी धर्म है। शक्ति की रक्षा करना, नियमानुसार भोजन और वस्त्र धारण करना, शुद्धाचरण से उम्र बढ़ाना, श्रेष्ठ कर्म करना आदि सभी धर्म के अन्तर्गत आते हैं।[9] परमात्मा और आत्मा पर गहरे विचार, विज्ञान की समस्याएँ, विवाह आदि सामाजिक प्रश्न, देश की दशा, राजा के कर्त्तव्य आदि सभी विषयों पर ऋषि दयानन्द अपनी सम्मति प्रकाशित किया करते थे। इनका धर्म विस्तृत था, वह केवल ईश्वर पूजा तक सीमित नहीं या और न ही डर या नीति की दृष्टि में। धर्म सर्वव्यापी और सर्वतोगामी था। मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार में धर्म का कुछ वक्तत्व है, यह ऋषि दयानन्द का सिद्धान्त था। इनके आख्यान और इनके प्रधान ग्रंथ 'सत्यार्थ प्रकाश' यह प्रमाणित करते हैं कि धर्म को वे एक मजहब, ईमान या रिलिजन नहीं समझते थे। अपितु एक व्यापी नियम मानते थे। यही कारण है कि ऋषि ने आर्यावर्त्त के प्राचीन गौरव पर बीसियों व्याख्यान दिए। अनेक प्रार्थनाओं में आर्य जाति के चक्रवर्ती राज्य की प्रार्थना की और राजा तथा प्रजा धर्म बताते हुए भारत में विदेशी शासन की कमियाँ दिखाई।[10] उन्होंने वेद से धर्म के तत्वों को लिया था। इसलिए ऋचा को उद्धृत करके उन्होंने कहा कि धर्म का पालन करने के लिए तेजस्वी अर्थात् भयरहित होकर, दीनता से दूर रहो। सुख-दु:ख, लाभ-हानि आदि की प्राप्ति में भी सत्य धर्म से दृढ़ रहो।[11] संक्षेप में, उनके अनुसार धर्म जीवन की समग्र दृष्टि है। जीवन एक पद्धति है, खाना-पीना, बैठना, बोलना भी धर्म का एक अंग है। माता-पिता, पुत्र-पुत्री आदि पारिवारिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक आदि विविध प्रकार के समस्त कर्म और कर्त्तव्य धर्म हैं। धर्म इन कर्त्तव्यों की एक ही कसौटी निर्धारित करता है और वह है जीवन के आध्यामिक एवं भौतिक पहले का संतुलन।[12] धर्म न किसी तपस्या की प्रशंसा करता है, न सांसारिक सुखों का आवश्यक त्याग उपयोगी मानता है। व्यक्ति के शरीर और भौतिक संसार की उन्नति अन्तत: मनुष्य समाज की उन्नति करती है और यह मानव उन्नति मानव का कल्याण ही सच्ची आध्यात्मिकता है और यही धर्म है।

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने धर्म के आचरण के संबंध में भी चिन्तन किया। इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि ईश्वर सब विद्याओं का मूल है, उसने वेदों में मनुष्य के लिए जो करने की आज्ञा दी है, वही धर्म, और जिसके करने की प्रेरणा न दी है, वही अधर्म है। धर्म का आचरण करने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है।[13] उनका विचार है कि यदि मनुष्य धार्मिक अनुष्ठानों की अपेक्षा अपना व्यवहार ऐसा रखे जिसमें बड़ों के प्रति सम्मान और छोटों के प्रति स्नेह हो तो वह धार्मिक कहला सकता है। यदि हम अपने व्यबहार से दूसरे के हृदय में आसानी से जगह बना सकें, तो समझिए कि हम धार्मिक हैं, हमारा जीवन धर्म है। हमें सबके प्रति सद्व्यवहार रखना चाहिए। दूसरों को हम अपने जैसा समझें। दूसरों के साथ हमारा व्यवहार ऐसा हो जैसे हम उससे या किसी से भी अपने प्रति चाहते हैं।[14] दूसरों को अपने जैसा समझने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि हम सभी एक ही परमात्मा के पुत्र हैं। अत: दयानन्द के धर्म में ऊँच-नीच की बातें नहीं थी। धर्म के द्वारा उन्होंने सामाजिक समानता की अवधारणा प्रस्तुत की। धर्म का अनिवार्य गुण उन्होंने निडरता वतलाया। जो धार्मिक व्यक्ति है, वह निडर है, निहर व्यक्ति ही अन्याय के विरूद्ध साहस और वीरता को प्रकट करता है। महर्षि के अनुसार मनुष्य को उचित है कि अन्यायकारी बलवान से भी न डरें और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। इतना ही नहीं, किन्तु सर्वसामंजस्य से धर्मात्माओं की चाहे वे महा अनाथ, निर्बल और सांसारिक गुणों से रहित क्यों न हो, उनकी रक्षा, उन्नति या प्रियाचरण, और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती, सनाथ, महाबलवान और गुणवान भी हो, तथापि उसका नाश, अवनति और अभिप्रिया चरण सदा किया करें। अर्थात् जहाँ तक हो सके वहाँ तक अन्याय कारियों के बल हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करें, इस काम में चाहे उसको कितना ही दारूण दु:ख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी चले जावें परन्तु इस मनुष्यपन रूप धर्म से पृथक कभी न होवें।[15]

स्वामी दयानन्द सरस्वती के जीवन में निडरता और साहस हमें दिखाई देता है, वह उनके सच्चे धार्मिक होने का प्रमाण है। वे हमेशा यही कहते कि में निरा संसार का ही भय करता और सर्वज्ञ परमात्मा या जिसके अधीन मनुष्य के जीवन, मृत्यु और सुख-दुख है, कुछ

भी भय न करता तो में भी ऐसे ही अनर्थक वाद-विवादों में मन दे देता, परन्तु क्या करूँ? में तो अपना तन, मन, धन सब कुछ सत्य के ही प्रकाशार्थ समर्पण कर चुका। संसार को लाभ पहुँचाना ही मेरे लिए चक्रवर्ती राज्य के तुल्य है। दयानन्द सरस्वती ने वैदिक धर्म को सर्वोपरि बतलाया और यह कहा कि वैदिक धर्म न केवल ज्ञान-विज्ञान की जड़ है, बल्कि यह निडरता, साहस और शक्ति प्रदान करता है। अत्याचार सहना भी उन्होंने पाप बतलाया और यह संदेश दिया कि निडर और साहसी बनकर सदा धर्माचरण में लीन रहना चाहिए। अपने धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का व्यापक अर्थ है। बहुत सारे आलोचक आर्य समाज को एक साम्प्रदायिक संगठन मानते हैं और दयानन्द के विचार को साम्प्रदायिकता के निकट मानते हैं। लेकिन वात ऐसी नहीं है। आर्य समाज जहाँ एक सगठन है, वहाँ एक सिद्धान्त भी है। संगठन के स्तर पर आर्य समाज महर्षि दयानन्द द्वारा निर्दिष्ट सार्वभौम के नियमों के आधार पर मनुष्य मात्र की उन्नति करने का प्रयत्न करता है। और सिद्धान्त के आधार पर संसार का कोई भी व्यक्ति किसी भी देश, जाति, सम्प्रदाय को मानने वाला हो, यदि सच्चे अर्थो में धार्मिक और सच्चरित्र है, परोपकार उसका लक्ष्य है तो वह भी आर्य समाज का ही एक अंग है।[16] आर्य समाज एक संगठन अथवा एक संस्था के अतिरिक्त एक विचार और एक जीबन दर्शन है, जिसे अपना कर मनुष्य मात्र की सेवा कर सकता है और यही धर्म है। आर्य समाज के नियम सार्वभौम नियम हैं, जिसमें परोपकार, सार्वजनिक उन्नति, सार्वजनिक शिक्षा आदि की बातें शामिल हैं।[17]

स्वामी दयानन्द सरस्वती कोई मत-मतान्तर चलाने वाले महर्षि नहीं थे। उनका कहना था कि जो सत्य है उसे स्पष्ट ग्रहण करना चाहिए, और जो असत्य है, उसका त्याग करना चाहिए। दयानन्द ने वैदिक सत्य सिद्धान्तों को ही स्वीकार किया है। वे उन सिद्धान्तों का प्रचार-प्रसार केवल हिन्दुओं में ही नहीं करना चाहते ये वरन् सभी धर्मावलंबियों में करने को उत्सुक थे। उनकी यह निश्चित मान्यता थी कि यदि वैदिक धर्म के योग्य प्रचारकों को बाहर भेजा जाये तो उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी।[18] अन्त में दयानन्द द्वारा परमात्मा से प्रार्थनाओं में धर्म का सार्वभौम रूप इस प्रकार प्रकट हुआ- "हे सब दुखों के नाश करने वाले परमेश्वर। आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि हमलोग आपस में बैर को छोड़ कर एक-दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखें। आप हमें सत्य, सुख और शुभ गुणों से सदा बढ़ाईये। इसी प्रकार में भी सब मनुष्यादि प्राणियों को अपने मित्र जानू और हानि-लाभ, सुख और दु:ख में अपने आत्मा के समतुल्य ही सब जीवों को मानूँ। हम सब लोग आपस में मिलकर सदा मित्र भाव रखें और सत्य धर्म के आचरण से सत्य सुखों को नित्य बढ़ावें, जो ईश्वर का कहा धर्म है, यही एक सब मनुष्यों को मानने योग्य है।[19]

स्वामी दयानन्द सरस्वती सम्प्रदायों के आडम्बर को पसन्द नहीं करते थे और आडम्बर को ही देश की अधोगति का कारण मानते थे। उनका कहना था कि इन पंथाई लोगों ने धर्म का मार्ग लोप कर दिया है। ये लोग अपनी प्रतिष्ठा की लालसा में अपनी-अपनी खिचड़ी अलग ही पकाते हैं। जनता को एकमत नहीं होने देते।[20] धर्म को वे शाश्वत नियम मानते थे, जो साम्प्रदायिकता को नष्ट करने बाला और मनुष्य को सदायारी और नैतिक बनाने वाला है। धर्म मनुष्य में वया, वीरता, क्षमा आदि के भाव उत्पन्न करता है। यह विवेक को जागूत करता है। प्रत्येक मनुष्य को एक ही ईश्वर का पुत्र बताकर एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के प्रति आस्था उत्पन्न करता है। धर्म की ही प्रेरणा से व्यक्ति में दुर्बल मनुष्य की सेवा करने की वृत्ति उत्पन्न होती है। इसके नियम सार्वभौम तथा सार्वकालिक होते हैं। जो सभी कालों व सभी देशों पर समान रूप से लागू होते हैं। सच्चे अर्थों में धार्मिक व्यक्ति का धर्म बिल्कुल सीधा-सादा होता है, जिसमें धार्मिक विश्वासों, धार्मिक सिद्धान्तों या दैविक तत्यों की बेड़ियों नहीं होती। यह उस आत्मा की वास्तविकता का प्रतिपादन करता है, जो काल और देश के ऊपर व्याप्त है। अत: इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, बोद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म इस प्रकार का शब्द प्रयोग गलत है। धर्म का इस प्रकार विभाग करना मूर्खता है। ही, धर्म के स्थान पर सम्प्रदाय शब्द का प्रयोग अर्थात् इस्लाम सम्प्रदाय, ईसाई सम्प्रदाय, पारसी, जैन और बौद्ध एवं सिख सम्प्रदाय, ये प्रयोग ठीक है।[21]

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने जीवन काल में भारत की जिन स्थानों की यात्रा की वहीं उन्होंने भारतीय धर्म को परिष्कृत करने के लिए लोगों से अपील की। उन्होंने 'वेदों की ओर लौटो' (GO TO VEDAS) का सिद्धान्त दिया, जिसमें वे हिन्दू धर्म की सुरक्षा पाते थे।[22] उनके गुरू विराजानन्द ने उन्हें वेद के प्रचार की शिक्षा दी थी।[23] उन्होंने मूर्तिपूजा का विरोध किया,[24] पाखंडवाद और बुरे कर्मकाण्ड उन्हें तनिक भी अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए दयानन्द ने अपनी यात्राओं में धार्मिक कुरीतियों को दूर करने के लिए लोगों से आग्रह किया और उनका धार्मिक आन्दोलन काफी प्रभावशाली रहा। हरिद्वार में कुंभ के मेले के अवसर पर उन्होंने 1867 में मूर्तिपूजा, तीर्थों और अवतारों आदि का खण्डन किया।[25] उन्होंने वेद का भी प्रचार किया और यह बतलाया कि वेदों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाणिक प्रय नहीं है।[26] आर्य जाति के संन्यासियों अर्थात् ज्ञानियों आदि की दुर्दशा का आधार उन्होंने प्रतिमा पूजन को ही बतलाया।[27] इसी प्रकार अलीगढ़ में उन्होंने मूर्तिपूजा विरोधी वातावरण तैयार किया और पुराणों का खण्डन किया।[28] काशी में ब्राह्मणों के साथ शास्त्रार्थ करके उन्होंने मूर्तिपूजा का विरोध किया और कहा कि ईश्वर प्रतिमा में निवास नहीं करते 'न तस्य प्रतिमा अस्ति'।[29] पटना, भागलपुर, छपरा,

अहमदाबाद, जौनपुर, लुधियाना, अमृतसर, मुरादाबाद, बदायूँ और अन्य कई जगहों पर स्वामी दयानन्द ने धर्मविषयक कई आयामों पर भाषण देकर देश में धार्मिक आन्दोलन पैदा किया। यद्यपि दयानन्द के विरोध में सनातन कट्टर हिन्दू नेता उठ खड़े हुए और सनातन धर्म रक्षिणी सभा[30] (1837), हिन्दू धर्म महामण्डल[31], सनातन धर्म सभा[32] तथा अन्य कई सभाओं का गठन किया गया लेकिन दयानन्द सरस्वती धार्मिक आन्दोलन का नेतृत्व करते रहे तथा धार्मिक पाखण्ड तथा अनेकेश्वरवाद और अनार्य पुस्तक की आलोचना करते रहे। स्वामी दयानन्द सरस्वती के बाद भी लाला लाजपत राय, भाई परमानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द, पंडित लेखराम, रामभजदत्त चौधरी सरीखे आर्यसमाजियों ने भारत में धार्मिक आन्दोलन को निरन्तर जारी रखा।

महर्षि दयानन्द सरस्वती की धार्मिक अवधारणा का मूलमंत्र था देश को राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए तैयार करना। नागरिकों को धार्मिक परिष्कार करके उन्हें देश की स्थिति पर सोचने के लिए बाध्य करना।[33] संक्षेप में दयानन्द सरस्वती अपनी धार्मिक अवधारणा में ईश्वर की सर्वोपरिता में विश्वास करते ये और हिन्दू धर्म का परिष्कार कर जीवन को उन्नत बनाने का संकल्प लिए थे। महर्षि दयानन्द ने धर्म के द्वारा देश में राजनीतिक जागरण पैदा करने का प्रयास किया और एक नवीन समाज बनाने की चेष्टा की।

निष्कर्ष:

स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचार भारतीय समाज और धर्म के पुनर्जागरण में मील का पत्थर साबित हुए। उन्होंने भारतीय धर्म के मूल स्रोत- वेदों- की शुद्धता और सार्वभौमिकता पर बल दिया। उनका मानना था कि भारतीय धर्म का वास्तविक स्वरूप वेदों में निहित है, और समाज में व्याप्त अंधविश्वास, मूर्तिपूजा और पाखंड वेदों के ज्ञान से दूर होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए हैं। स्वामी दयानंद के सुधारवादी दृष्टिकोण ने भारतीय धर्म को आत्मनिरीक्षण और आत्मसुधार का मार्ग दिखाया। उन्होंने जातिवाद, बाल विवाह, और सामाजिक असमानता जैसी बुराइयों का पुरजोर विरोध किया और धर्म को एक तार्किक, वैज्ञानिक और समावेशी दृष्टि से देखने की प्रेरणा दी। उनके 'वेदों की ओर लौटो' के नारे ने भारतीय समाज को न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी एक नई दिशा प्रदान की। आर्य समाज के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समाज सुधार को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय समाज में जागरूकता और समता का प्रसार हुआ। आधुनिक समय में स्वामी दयानंद के विचार विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। उनका धार्मिक दर्शन सत्य, ज्ञान और सामाजिक सुधार की दिशा में प्रेरणा देता है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्वामी दयानंद का योगदान भारतीय धर्म और समाज को न केवल पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण रहा है, बल्कि उन्होंने भारत को एक सशक्त, समतावादी और न्यायसंगत समाज की ओर अग्रसर किया।

संदर्भ:

1. प्रशांत वेदालंकार, पृ०सं०- 58
2. पूर्वोक्त.
3. ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, पृ०सं०- 115
4. सत्यार्थ प्रकाश, पृ०सं०- 41
5. यजुर्वेद- 9-11
6. ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, पृ०सं०- 117
7. उपदेश मंजरी, पृ०सं०- 224
8. अथर्ववेद, 12-5-2
9. ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, पृ०सं०- 115
10. आर्य समाज का इतिहास, भाग-2, पृ०सं०-111-12
11. ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, पृ०सं० 116-17
12. प्रशांत वेदालंकार, पृ०सं०- 65
13. ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, पृ०सं०- 116 14. प्रशांत वेदालंकार, पृ०सं० 67-68
15. स्वमन्त व्यामन्तव्य प्रकाश
16. प्रशांत वेदालंकार, धर्म का स्वरूप, पंचम अध्याय
17. सत्यार्थ प्रकाश, दशम समुल्लास
18. इन्द्रविद्या वाचस्पति, महर्षि दयानन्द, पृ०सं०-141
19. प्रशांत वेदालंकार, जीवन के पाँच स्तम्भ, पृ०सं०-77
20 श्री मदयानन्द प्रकाश, पू०सं०-385
21. प्रशांत वेदालंकार, जीवन के पाँच स्तम्भ, पृ०सं०-४०

22. रोमा रोला, द प्रोफेट्स ऑफ द न्यू इंडिया, पृ०सं०-105-106
23. बाबा छज्जू सिंह, दयानन्दाज लाईफ, पृ०सं०-77
24. जे० एन० फरक्युवर, मॉडर्न रिलिजियम मूवमेंट्स इन इंडिया, पृ०सं०-105-106
25. लेखराम, पृ०सं०-73
26. पूर्वोक्त, पृ०सं०-72
27. पूर्वोक्त, पृ०सं०-73
28. पूर्वोक्त, पृ०सं०-111-112 और 136
29. पूर्वोक्त, पृ०सं०-146
30. जे० एन० फरक्युवर, पृ०सं०-187
31. इंडियन सोशल रिफॉमर, भाग-11, पृ०सं०-935
32. प्रो धनपति पाण्डेय, द आर्य समाज, पृ०सं०-31
33 प्रो धनपति पाण्डेय का निबंध 'इंडिजेनस व्यूज ऑफ स्वामी दयानन्द', महर्षि दयानन्द युनिवर्सिटी रिसर्च जर्नल, भाग-३, अक्टूबर 1988 में प्रकाशित, पृ०स०-79-85

गाँधी दर्शन की व्यापकता: एक अवलोकन

अनुराग प्रताप सिंह

(रिसर्च स्कॉलर) राजनीति विज्ञान विभाग, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, सारण (बिहार)

शोध आलेख का सारतत्व:

महात्मा गांधी का दर्शन सत्य, अहिंसा और मानवता के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम को दिशा दी, बल्कि वैश्विक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। गांधी का जीवन और विचारधारा आत्मशुद्धि, नैतिकता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, जिसमें साधन और उद्देश्य की पवित्रता को समान रूप से महत्व दिया गया है। उनका विश्वास था कि सामाजिक अन्याय और असमानता का समाधान अहिंसक प्रतिरोध, सत्याग्रह और मानव प्रेम के माध्यम से संभव है। गांधी के आर्थिक दर्शन में स्वदेशी, कुटीर उद्योग और ग्राम स्वराज की अवधारणा शामिल है, जो आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान पर जोर देती है। उनके राजनीतिक विचारों में विकेंद्रीकरण, जनता की सहभागिता और नैतिक नेतृत्व का सिद्धांत प्रमुख था। गांधी का मानना था कि सच्चा लोकतंत्र वही है जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों की आवाज बन सकें। गांधी का दर्शन न केवल भारत के लिए, बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लिए एक प्रकाश स्तंभ की भांति है, जो शांति, सद्भाव और मानव कल्याण की राह दिखाता है।

प्रमुख शब्दावली: सत्य, अहिंसा, नैतिकता, सात्विकता, परोपकार, परमार्थ, सादगी, सदाचार, प्रेम, विश्वास, मानव कल्याण, आध्यात्मिकरण, ट्रस्टीशिप, विश्व शांति तथा अंतरराष्ट्रीयतावाद आदि।

प्रस्तावना:

महात्मा गाँधी महान नैतिक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। विश्व के बड़े-बड़े सुधारकों में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। अत: भारतवासी उन्हें, "महात्मा" कहते है, लेकिन यह बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि गाँधी जी महान् सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मनीषि भी थे।[1] उन्होने देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का गहराई से अध्ययन किया था। वे यह जानते थे कि किन परिस्थितियों में कौन-सा कदम उठाना चाहिए। उनमें यदि निर्णायक योग्यता न होती, तो देश के सामाजिक जीवन में अपने नैतिक और आध्यात्मिक सिद्वान्तों के इतने क्रांतिकारी और सफल प्रयोग वे कर ही न पाते। सभ्यता का इतिहास स्वतंत्रता प्राप्ति का इतिहास माना जाता है। मानव जीवन तीन प्रकार के अभावों से मुक्ति चाहता है। प्रथम अभाव मनुष्य का आर्थिक अभाव है। मनुष्य की दैनिक बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का न होना उसका सर्वप्रथम अभाव है। दूसरा अभाव मनुष्य की म्वेच्छा तथा स्वतंत्र चिन्तन के मार्ग में रूकावट पड़ना है। मनुष्य जीवन का तीसरा अभाव सामाजिक वैषम्य है। मानव की उन्नति और विकास का परम लक्ष्य स्वतंत्रता है। प्राचीन युग में जाति, रीति-रिवाज तथा धर्म आदि के बन्धन उसने ही बनाए, लेकिन आगे चलकर वे मानव की स्वतंत्रता प्राप्ति में बाधक सिद्ध हुए। संसार में जगह-जगह होने वाली धार्मिक क्रांतियों ने मुनष्य की विचारधारा पर सीधा प्रभाव डाला। इससे मनुष्य ने जीवन का नया मूल्यांकन किया। नया सामाजिक ढाँचा बना तथा दर्शन, साहित्य, राजनीति और कला आदि में नयी व्यवस्था का जन्म हुआ।[2] बुद्ध, ईसा तथा मुहम्मद ने परिर्वतन का आध्यात्मिक पक्ष लिया था, परन्तु जीवन का कोई भी पहलू इसके प्रभाव से अछुता नहीं रहा।[3]

मनुष्य के आर्थिक जीवन के विकास की ओर दृष्टिपात करने पर जहाँ दास प्रथा का स्वरूप सामने आता है वहाँ हम मानव के श्रम अर्थात शरीर और आत्मा दोनों का शोषण पाते हैं। इन्हीं दोनों शोषणों से मुक्ति पींना मानव का चरण लक्ष्य है।कार्ल मार्क्स ने कहा है कि मानव की सत्ता होने न होने का निश्चय उसकी ज्ञान-शक्ति नहीं करती, प्रत्युत उसकी सामाजिक सत्ता करती है। सामाजिक कला, विकास, विज्ञान, संस्कृति, दर्शन तथा मानव चरित्र का भी निर्माण करता है। मार्क्स इसीलिए पूँजीवाद, साम्राज्यवाद और राज्यों को नष्ट करना चाहता था ताकि इससे वर्ग-विहीन समाज में न्याय, समानता तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता अक्षुण्ण बनी रहे। यद्यपि मार्क्स के विचारों का इस्तेमाल प्रयोग रूप में हो रहा है, परन्तु राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों प्रकार की सत्ताओं का केन्द्रीकरण हो जाने के कारंण व्यक्ति अपनी सारी स्वतंत्रता खो देगा। समाचार पत्रों के पृष्ठों पर आने वाली छिटफुट समाचार इस सत्य के बोधक हैं।[4]

भारत की भीषण दरिद्रता के कारण निश्चय ही पश्चिमी औद्योगिक व्यवस्था, जो समृद्धि प्राप्ति का एक अत्यन्त छोटा मार्ग है, आकर्षक लगती है। परन्तु गाँधी जी उसा व्यवस्था का ज्यों-ज्यों चिन्तन करते थे, त्यों-त्यों उसको स्वीकार करने में उन्हें कोई बुद्धिमानी नहीं दिखाई पड़ी। गाँधी जी ने मार्क्स की भाँति देखाकि कि पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था स्वंय अपना नाश कर लेगी।[5] भारत की प्रधान समस्या उसके देहातों की भीषण दरिद्रता को मिटाना है, उसका हल बड़े पैमाने के उत्पादन से नहीं होगी। बड़े उद्योगों में जो उत्पादन होगा, उसको खरीदने की शक्ति अधिकांश ग्रामीण जनता में नहीं होगी। एक और देहाती जनता नंगी है, दूसरी ओर भारत के वस्त्र का

निर्यात विदेशों में हो रहा है। एक ओर पूँजीपति, उद्योगपति और अनेक राजनीतिज्ञ चाहते है कि भारत पश्चिमी ढंग के औद्योगिक प्रसार की दिशा में आगे बढे तथा दूसरी ओर गाँधी जी के अनुयायी चाहते हैं कि सरकार गाँधी जी द्वारा निर्धारित रचनात्मक कार्यक्रम का अनुसरण करे।

महात्मा गाँधी मनुष्य को सर्वोपरि मानते हैं और उनके विचार में मनुष्य स्वार्थी नहीं है। साथ ही सम्पति मानव इतिहास में बाद में उत्पन्न हुई थी। अत: मानव में क्रियाशीलता लाने के लिए सम्पति के लालच को कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें व्यक्ति का दोष है जिसने व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत अविष्कारों से वंचित कर दिया है और व्यक्ति और व्यक्ति के बीच दूरी बनायें रखने का माध्यम सम्पत्ति (अर्थ) को बना दिया है। व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखते हुए गाँधी जी ने सामाजिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए बताया कि शक्ति के प्रयोग से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं को जा सकती है। इसके लिए तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार के बन्धन न हों। उत्पादन करने और अपने आप को विकसित करने का इसे पूर्ण अधिकार है। सर्वोदय समाज में मनुष्य अपनी सुन्दर कल्पना को साकार रूप देगा। महात्मा गाँधी ने कहा था, "दुनियाँ के राष्ट्रों का असली लक्ष्य अपनी-अपनी अलग आजादी नहीं है। हमारा सभी का लक्ष्य है, अपनी इच्छा से सबका एक दूसरे पर निर्भर होना। गाँधी जी अद्वैत को मानने वाले थे। वे सभी इन्सानों की बुनियादी एकता मानते थे। गाँधी जी का कहना था कि अगर एक आदमी रूहाणी तौर पर ऊपर उठता है, तो सारी दुनिया इसके साथ उठती है और अगर एक आदमी गिरता है तो उस दर्ज तक सारी दुनियाँ गिरती है"।[6]

गाँधी जी समाज संस्कार के साथ-साथ समाज रचना का भी कार्य करते थे। उनके इस कार्य का महत्व गाँधी जी के समाज में बहुत कम लोगों ने समझा था। जिन लोगों ने उसमें भाग लिया उसमें से अधिकतर ने उसे अपने नायक की आज्ञा मानने के रूप में किया। स्वयं उनका उस ओर विशेष आकर्षण नहीं था कि उनके सामने बराबर यह प्रश्न रहता था कि अहिंसा ओर सत्य के आधार पर न्यायपूर्ण समाज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए।[7]

प्राचीन दार्शनिकों और शास्त्रकारों ने इस विषय पर खूब चिन्तन और मनन किया तथा अपनी कृतियों में प्रकाश डाला। परन्तु यह विचार बहुत कम किया गया कि समाज संगठन कैसे हो, समाज ऐग बने कि मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल वातावरण हो। गाँधी जी ने आध्यात्मिक विचारधारा को व्यक्तियों तक ही सीमित न रखकर उसका समाज-व्यवस्था और परिस्थिति निर्माण में यथेष्ट समावेश करने का समर्थन किया। श्री कृपलानी ने लिखा है "गाँधी जी का मत था कि नैतिक अच्छाई हवा में नहीं रहती, बल्कि समस्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में निहित होती है। अत: सामाजिक संगठन को अवश्य जागरूक करना चाहिए, जिससे वह नैतिक धर्म को प्रतिबिम्बित करे।"[8]

मनुष्य समाज में पैदा होता है, उसी में बढ़ता है, उसी में मरता है। मानव शरीर की भाँति उस समाज को भी ईश्वर का उपयुक्त मन्दिर बनाना चाहिए। बुद्ध ने निर्वाण करने के बाद यह आकांक्षा प्रकट की थी कि उनका तब तक फिर-फिर जन्म हो, जब तक की अन्तिम मानव का कल्याण न हो जाय और जनतंत्र के अधिकार पर व्यवस्थित और संगठित समाज में नागरिक का कर्तव्य निभाने वाले, अपनी दिनचर्या में प्रत्येक सामान्य स्त्री और पुरूष के लिए नैतिकतापूर्ण जीवन सम्भव हो सके। गाँधी जी भी सभों के उत्थान के सम्बन्ध में इसी विचारधारा से प्रभावित थे। "यद्धपि समय-समय पर कुछ सन्तों और महिलाओं आदि ने समाज में सबके सुखी होने की बात कही, पर प्राय: आदमी की नीति स्वार्थमूलक रही। उन्होंने अपना हित सोचा। अपने परिवार वालों का, अपनी जाति-बिरादरी या अपने समूह का, अपने पराये का भेद बना रहा। समाज रचना का यह दोष गाँधी जी के लिए असह्य था। उन्होंने यह घोषणा की- "मैं ज्यादा से ज्यादा संख्या के ज्यादा से ज्यादा भले के सिद्धान्त को नहीं मानता। उसे नंगे रूप में देखें तो उसका अर्थ यह होता है कि 51 फीसदी के मान लिये गये हितों पर सबका बलिदान कर दिया जाना उचित है। यह सिद्धान्त निर्दय है। और इससे मानव समाज को बहुत हानि हुई है। सबका ज्यादा से ज्यादा भला करना ही एक सच्चा गौरवयुक्त और मानवतायुक्त सिद्धान्त है और यह सिद्वान्त अधिकतर स्वार्थ-त्याग से ही अमल में लाया जा सकता है।"[9]

गाँधी जी ने समय-समय पर राज्य व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये हैं। उनके सामने भारतीय राष्ट्र के समग्र जीवन का प्रश्न था। उन्होंने राम-राज्य की परिभाषा इन शब्दों में की थी। "धर्म की निगाह में राम राज्य का मतलब है वह पूरा-पूरा लोक-राज्य जिससे अमीरी गरीबी, रंग, नस्ल या धर्म, मजहब के आधार पर किसी तरह का ऊँच-नीच का भेद-भाव नहीं रहेगा। राम-राज्य में भूमि और राज्य दोनों की मालिक जनता होगी।[10]

गाँधी जी ने यह भी कहा है कि- मैं एक ऐसे हिन्दुस्तान को लाने के लिए काम करूँगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी यह महसूस करे कि यह देश उसका देश है जिसके बनाने में उसकी भी पूरी-पूरी राय और उसका हिस्सा है। उस हिन्दुस्तान में न कोई ऊँची जाति होगी और न कोई नीची जाती होगी उसमें सब धमों के लोग पूरे-मेल मिलाप के साथ रहेंगे। इस तरह हिन्दुस्तान में छुआछूत के लिए और किसी तरह की नशे की चीजों केलिए कोई जगह नहीं हो सकती। स्त्रियों को वही अधिकार होंगे जो पुरूषों को। यह हिन्दुस्तान है जिसका में सपना देखता रहता हूँ।"[11]

महात्मा गाँधी ने जब भारत का नेतृत्व अपने हाथ में लिया, तब देश की राजनीतिक सत्ता अँग्रेजों के हाथ में थी, आर्थिक सत्ता पूँजीपतियों के तथा सामाजिक पक्ष प्रतिक्रियावादियों के हाथ में था। गाँधी जी ने अँग्रेजों के हाथ से राजनीतिक जिन्दगी को छुड़ाने के लिए सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया, आर्थिक जिन्दगी को पूँजीपतियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग का रास्ता बताया और सामजिक जिन्दगी को प्रतिक्रिया वाद से मुक्त कराने के लिए हरिजन सेवा तथा ग्राम सेवा का कार्यक्रम बताया। गाँधी जी का अहिंसात्मक तरीका वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग-परिर्वतन है। वे शोषक वर्ग को ध्वंस न कर उसे उत्पादक बनाने की अपील करते थे। सन् 1944 में जेल से लौटते हा गाँधी जी ने विषमता की इस भीषण समस्या को देख लिया था कि फौरन वर्ग-विषमता को दूर करने के लिए क्रान्तिकारी कदम न उठाया जाये, तो मानवता निराशा का शिकार बन जाएगी और वह हिंसात्मक तरीके से अपना नाश कर डालेगी। बाहर आते ही उन्होंने अखिल भारत चरखा संघ द्वारा एक नवीन क्रान्तिकारी कदम उठाया। उन्होंने चरखा संघ के सामने एक प्रस्ताव रखा कि उसकी सारी प्रवृत्ति शोषणहीन समाज रचना की दिशा में होनी चाहिए। गाँधी जी ने सन् 1945 में लिखा था "मैं सामाजिक क्रान्ति का कोई भी मार्ग नहीं बता सकता। सिवा इसके कि हम अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में इसका समावेश करें।"[12]

आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि संघर्षों तथा समझौते के क्षेत्रों के स्पष्टीकरण की लगातार कोशिश हो। आर्थिक योजनाओं और प्रजातंत्रवाद के सम्बन्धों की सैद्धान्तिक विवेचना तथा लोक सभाओं और श्रम संघों जैसी संस्थाओं का अध्ययन दोनों ही एक मात्र यही संकेत करते हैं कि हमें राजनीतिक कार्य को सहयोग के रूप में और विवादास्पद प्रश्नों को सुलझाने के लिए विचार-विनिमय करना चाहिए। यह सम्भव है कि उनके धार्मिक और सामाजिक विचारों को ठेस लगे। राजनीति को राष्ट्रों का जीवन माना जाता है। बहुत प्राचीन काल से इसका महत्व स्वीकार किया जाता रहा है। संस्कृत साहित्य में इस राज-धर्म कहा गया है। महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर से इसकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि इसी से धर्मों का पालन होता हैं। राज धर्म में ही सब त्याग है। सब विधयाएँ राजधर्म में है और सब लोक का उसमें समावेश है।

मध्यकालीन तथा आधुनिक लेखकों ने भी राजनीति का बहुत गुणगान किया है। उनका कथन है कि हमाने सामाजिक संगठन में इसका स्थान शरीर में प्राण की तरह है।

श्रीमती बारबरा बुटन ने कहा है कि किसी एक सामाजिक दल की भलाई को ही सार्वजनिक भलाई का नाम नहीं देना चाहिए। किसी भी समय सार्वजनिक भलाई केवल उन्हीं आदर्शों पर निर्मित हो सकती है जिनके सम्बन्ध में वास्तव में जन साधारण से समझौता हो।"[13] महात्मा गाँधी ने कहा कि "सर्वव्यापी और नित्य के साक्षात दर्शन करने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य ईश्वर की सृष्टि के छोटे से छोटे प्राणी से प्रेम करे, ठीक उसी प्रकार जैसे कि वह अपने आपसे करता है। जो मनुष्य इस बात का प्रयत्न करता है वह जीवन के किसी क्षेत्र से अपने आपको पृथक नहीं कर सकता। यही कारण है कि मेरी सत्य की साधना ने मुझे राजनीति के क्षेत्र में ला खड़ा किया।[14]

इस प्रकार गाँधी जी राजनीति में धर्म अथवा सत्य का समावेश करते थे। अनेक भारतीय विचारकों को यह बात बहुत अटपटी सी लगी। लोकमान्य तिलक का मत था कि राजनीति साधुओं का खेल नहीं है। गाँधी जी ने कहा कि राजनीति केवल साधुओं का काम है। साधुओं से मेरा मतलब अच्छे से अच्छे व्यक्ति से है। इसी प्रकार रबीन्द्र नाथ ठाकुर ने कहा कि- "धर्म की इस महान निधि को राजनीति की इस कमजोर नौका में जो दलबन्दी की लहरों से टकराती रहती है इसे मत रखो।" गाँधी जी ने जवाब में लिखा था कि "बिना धर्म की राजनीति एक मुर्दा है, जिसके सिवा जला देने के और कोई उपयोग नहीं हो सकता है"।[15] इस प्रकार गाँधी जी की राजनीति से अलग धर्म, और समाज नहीं हैं। महात्मा गाँधी अपनी सर्वोदय विचारधारा का क्रान्तिकारी सन्देश लेकर जनता के बीच आये थे। उन्होंने समाज रचना का नया स्वरूप और नयी योजना हमारे सामने रखी थी। गाँधी जी अन्य अर्थशास्त्रियों की भाँति "कम काम ज्यादा दाम या सस्ता खरीदो महँगा बेचो" आज के अमानवीय एकांगी रूप अपनाने वाले नहीं थे। उन्होंने मानवीय अर्थशास्त्रियों की परम्परा अपनायी है। मानव जीवन के समस्त विकास तथा उसके राजनीतिक, आर्थिक नैतिक एवं व्यक्तिगत पहलू का पूर्ण ध्यान गाँधी जी को था। गाँधीजी का कोई भी आर्थिक सिद्धान्त हवाई नहीं था। उनके सारे विचार पहले आचार से पुष्ट होकर निकले थे। गाँधी जी भारतीय परम्परा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पोषक होने के साथ-साथ पश्चिमी परम्परा के अर्थशास्त्रियों के भी पोषक थे। मानवीय अर्थशास्त्र के सृजन के लिए इन्होंने मानव के नैतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन का बड़ा सुन्दर समन्वय किया है।"[16] उन्होंने अर्थशास्त्र को एक ऐसा शास्त्र माना है, जो मानव के शारीरिक और आध्यात्मिक भूख को तृप्ति करता है। इसलिए गाँधी जी कल्याणवादी अर्थशास्त्री और सामाजिक वैज्ञानिक कहलाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति पूरी नैतिकता के साथ अपने आर्थिक सुधार की योजना स्वयं प्रस्तुत करे, यही गाँधी जी के विचार थे। "कल्याणकारी समाज का लक्ष्य मानवीय अहिंसात्मक समाज की रचना करना है। मानवीय आवश्यकताओं को न्यूनतम रखकर तथा- "सादा जीवन उच्च विचार" की भावना को गाँधी जी ने सदा आगे रखा। गाँधी जी समाजवादी अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र और मानवीय अर्थशास्त्र की कल्पना करने वाले, अर्थशास्त्र के सुलझे हुए विद्वान थे। उन्होंने अर्थशास्त्र को नया मार्ग प्रदान किया। साध्य तथा साधन की पवित्रता का सन्देश देकर इन्होंने समाज को शान्ति में ही सुख का सन्देश दिया और इस तरह से अपनी विचारधारा द्वारा गाँधी जी ने बेकारी, शोषण, दरिद्रता, वितरण की विषमता, प्रतिस्पर्धा तथा लिप्सा

के अन्त का बहुत सरल दृष्टिकोण सम्मने रखा। विश्व में गाँधी की भाँति कोई भी ऐसा अद्‌भुत पुरूष नहीं हुआ जो मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष का पण्डित हो।"[17]

महात्मा गाँधी की समाज व्यवस्था और मानव विकास का चित्र विकेन्द्रीत उद्योगों, आर्थिक तथा राजनीतिक शोषण दोनों से मुक्ति, समानता, स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र से ओत-प्रोत एक ऐसे जीवन की स्थापना है जिसमें मनुष्य सदाचारपूर्ण और आध्यात्मिक जीवन बिता सके।" गाँधी जी का कहना है कि "हमें जिस ओर जाना है हमारी दिशा भी उसी ओर होनी चाहिए। प्रतिकूल दिशा में चलकर कोई अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुँच सकता। यही कारण है कि गाँधी जी "नयी तालीम" के द्वारा जनता को उसकी आवश्यकता की पूर्ति तथा समाज की व्यवस्था दोनों के ही लिए स्वावलम्बन का अभ्यास कराकर शासन के दायरे को क्रमशः घटाना चाहते थे। इस तरीके से लाभ यह होता है कि राज्य की शक्ति क्षीण होती है तथा आर्थिक प्रगति के साथ-साथ जनता की स्वतंत्रता में प्रगति होती रहती है और अन्त में वह पूर्ण स्वतंत्र हो जाती है। मानव की आदि आवश्यकता उसकी भौतिक आवश्यकता है जिससे वह जीवित रह सके। दूसरी आवश्यकता आध्यात्मिक आवश्यकता है और इस प्रकार मानव की समग्र उन्नति ही सर्वोदय है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत।।[18] यह श्लोक गाँधी जी के दर्शन का प्राणम्य मंत्र है। अहिंसा और शान्ति के आधार पर स्थापित वर्ग-विहीन, जाति-विहीन, शोषण-विहीन, तथा एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह को सर्वांगीण विकास करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, यही सर्वोदय समाज का साध्य है"[19]

महात्मा गाँधी एक प्राणवान और निरन्तर विकासशील व्यक्ति थे। उनकी सर्जनात्मक प्रतिभा महान् थी। उनकी तमाम सार्वजनिक, राजनीतिक योजनाओं और प्रवृतियों में अखण्ड आन्तरिक एकता है और उनका विकास सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन सम्बन्धी दर्शन पर आधारित मान्यताओं से हुआ है। उनकी दृष्टि से व्यक्ति ईश्वर का अंश है और उसका प्रयास उसी दिशा में हो रहा है। इसलिए उनका लक्ष्य भौतिक नहीं, किन्तु आध्यात्मिक था। वे मानते थे कि व्यक्ति को अहिंसा, सत्य और न्याय के सिद्धान्तों पर आधारित आध्यात्मिक समाज में अपनी पूर्णता साधनी है। यद्धपि उनका यह मत था कि व्यक्ति की वृत्ति आध्यात्मिक होती है और समाज अमर है फिर भी उन्होंने देखाकि व्यक्तिगत रूप में श्रमनीति भले वह देहाती किसान हो या शहरी कारखाने का मजदूर, औद्योगिक सभ्यता और राजनीतिक बन्धन के दबाव में गरीबी, रोग और मौत की चक्की में पिस रहा हैं। वे चाहते थें कि उत्पादक और रचनात्मक शरीर श्रम पर आधारित शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की आध्यात्मिकता और समाज की अमरता को पुनर्जीवित किया जाये। वे व्यक्ति और समाज दोनों के जीवन का पुनर्रचना करना चाहते थे और उन्हें शिक्षा के द्वारा नये मूल्य देना चाहते थे। काँग्रेस में धीरे-धीरे समाजवादी मित्र अपनी विचाराधारा का प्रवेश करने लगे थे जिसमें अगुआ जवाहर लाल जी थे। गाँधी जी आर्थिक क्षेत्र में बड़े ही क्रान्तिकारी थे। उनकी दृष्टि में जो अर्थशास्त्र नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करता है, अवहेलना करता है, वह झूठा अर्थशास्त्र है। वे चाहते थे धन का समान वितरण हो। राष्ट्र को सारी सम्पत्ति पर राष्ट्र का हक है और उसी के हितार्थ उसका उपयोग होना आवश्यक है। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन गाँधी जी ने तब किया था, जब जमींदारों और राजाओं की सम्पत्ति के सम्बन्ध में समाजवादी सिद्धान्त देश के सामने आया था।[20] "धनवान लोगों के पास जिन चीजों की जरूरत उन्हें नहीं है, उनका फालतू भंडार भरा रहता है और दूसरी तरफ लाखों लोग आजीविका के आभाव में भूख से मर जाते हैं। यदि हम मानव अपनी जरूरत की चीजें हो रखें, तो किसी को कमी नहीं होगी।"[21] "आर्थिक समानता अहिंसापूर्ण स्वराज्य की मुख्य वाणी है। आर्थिक समानता के लिए काम करने मतलब है, पूँजी और मजदूरी के बीच के झगड़ों को हमेशा के लिए मिटा देना। परन्तु गरीबों का शोषण दस-बीस करोड़पतियों का हिंसा द्वारा नाश कर देने से बन्द होनेवाला नहीं है। बल्कि गरीबों का अज्ञान दूर करके उन्हें अहिंसक सहयोग सिखाने से वे गुलामी से मुक्त हो सकते हैं। गाँधी जी का कहना है दोष पूँजी में नहीं, बल्कि उसके दुरूपयोग में है"।[22]

आर्थिक समानता का अर्थ है सबके पास समान सम्पत्ति का होना यानी सबके पास इतनी सम्पति का होना जिससे वे अपनी कुदरती आवश्यकताएँ पूरी कर सके। आर्थिक विषमता मिटाने की दृष्टि से गाँधी जी ने रोज पसीने की कमाई खाने पर जोर दिया था। आठ घन्टे मेहनत करने से जो मिले उसी पर संतोष करना चाहिए, चाहे वर हो या अमीर। बाईबिल में कहा गया है कि "रोज अपना पसीना बहाकर रोटी कमाओ" इस सुत्र को गाँधी जी ने यज्ञ का स्वरूप बताया। उनके विचार से इस हाल में न तो दुनियाँ में अमीर और न कोई गरीब होंगे। और न कोई स्पृश्य और अस्पृश्य।[23]

जो लोग भूखों मर रहे हैं और बेकार हैं उनके सामने तो परमेश्वर, योग्य काम और उसकी मजदूरी से मिलने वाले अन्न के रूप में ही प्रकट हो सकता है। गरीबों के लिए तो रोटी ही अध्यात्म है। गाँधी जी का कहना है कि सच्चा समाजवाद तो हमें अपने पूर्वजों से हो प्राप्त हो गया था, जिन्होंने हमें सिखया था कि "सबै भूमि गोपाल को"। इसमें मेरी तेरी को सीमाएँ नहीं है। प्रतिदिन जीवन के लिए जितनी आवश्यकता है, उससे अधिक किसी आदमी के पास नहीं होनी चहिए। आधुनिक रूप में भूमि गोपाल के बजाय राज्य की यानी जनता की कह सकते हैं। जीवन को प्राथमिक आवश्यकताओं के उत्पादन के साधन हर एक को बिना किसी बाधा के उपलब्ध होने चाहिए। उसी तरह जैसे भगवान की दी हुई हवा और पानी हमें उपलब्ध है। किसी भी हाल में वे दूसरों के लिए चलाये जाने वाले व्यापार का वाहन न बने"।[24]

समाजवाद एक सुन्दर शब्द है। गाँधी जी का कहना है समाजवाद में समाज के सारे सदस्य बराबर होते हैं, न कोई ऊँचा और न कोई नीचा। वर्ष 1915 की जनवरी में जब महात्मा गाँधी दक्षिण अफ्रिका से भारत आये, तब से इस देश के राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में क्रान्तिकारी परिवर्तनों की शुरूआत हो गई। गाँधी जी समाज सेवा को ईश्वर की सेवा मानते थे और समाज सेवा के लिए उन्होने प्रयोग दक्षिण अफ्रिका में ही प्रारम्भ कर दिये थे। उन्होने दक्षिण अफ्रिका में डरबन में 1904 में ही फीनिक्स आश्रम की स्थापना की थी।[25] यह उनका समाज-सेवा का पहला प्रयास था। यहीं पर उन्होंने इण्डियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र भी निकाला। 1915 में भारत आने के बाद उन्होने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थाना की। 1932 में उन्होंने वर्धा के पास सेवा ग्राम आश्रम की स्थापना की। गाँधी जी द्वारा स्थापित ये आश्रम समाजसेवा, देश-सेवा तथा सादगी एवं संयम से रहने के लिए स्थपित किये गये थे। इन आश्रमों में स्त्रियों एवं पुरूषों, लड़कों एवं लड़कियों सभी को एक साथ बैठ कर एक रसोई घर में बने हुए भोजन को खाना पड़ता था। आश्रम में छुआछूत ऊँचनीच का कोई स्थान नहीं था। महात्मा गाँधी की विचारधारा के विषय में मित्र एवं सहयोगी दीनबन्धु एण्ड्ज ने लिखा था कि "दुनियाँ में ऐसी बहुत स्वयं सेवी संस्थायें हैं, जिनमें से कुछ स्त्रियों को, कुछ नवयुवकों को, और कुछ पुरूषों को आकृष्ट करती हैं। ये सभी संस्थायें विश्व शान्ति के लिए भी काफी प्रयत्नशील हैं। लेकिन पश्चिमी दुनिया में कोई ऐसा महान् आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, जो नैतिक प्रभाव से अहिंसा के आधार पर इतना बड़ा आन्दोलन चलावे और सभी आन्दोलनों को अहिंसा के द्वारा चला कर विश्व भर में सहमति प्राप्त कर सके।[26]

महात्मा गाँधी मनुष्य की प्रतिष्ठा में विश्वास करते थे और वे इस देश की आजादी इसीलिए चाहते थे कि इस देश के निवासीयों को इज्जत-प्रतिष्ठा से जीने का अवसर मिले। महात्मा गाँधी मानव जाति की एकता में विश्वास करते थे और इसीलिए वे धर्म, जाति, भाषा, राष्ट्रीयता तथ ऊँचनीच के भेद भाव में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। वे लोगों के नैतिक आचार-व्यवहार से प्रभावित होते थे तथा लोगों के सामजिक, धार्मिक, आर्थिक अथावा राजनीतिक पृष्ठभूमि में कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे। उनके लिए नैतिक आचार-विचार से रहने वाला व्यक्ति ही महत्त्वपूर्ण था।

महात्मा गाँधी स्त्रियों एवं हरिजनों के उद्धार के लिए प्रतिबद्ध थे और व उनके विरूद्ध कोई भी बात सुनने की तैयार नहीं थे, क्योंकि वे मानव जाति की एकता में विश्वास करते थे। बचपन से ही हिन्दू-मुस्लिम एकता के हिमायती थे, और वे आजीवन इस बात पर कायम रहे। महात्मा गाँधी स्वावलम्बन में विश्वास करते थे, और इसीलिए वे कहते थे मनुष्य को अपना काम स्वयं करना चाहिए। वे समाज-सेवा में भी स्वावलम्बन को ही बहुत महत्त्व देते थे। अतः उन्होंने हरिजनों के उद्धार के लिए, स्त्रियों के उत्थान के लिए, बुनियादी तालीम तथा रचनात्मक कार्यक्रम के लिए जो भी योजनाएँ बनाई उनमें स्वावलम्बन का बहुत बड़ा स्थान था। गाँधी जी आचार और व्यवहार की एकता में विश्वास करते थे। दूसरे शब्दों में वे कथनी और करनी में भेद नहीं करना चाहते थे। उनके अनुसार मनुष्य यदि अपने नैतिक बल को अपने प्रयत्न से बढ़ावे, तो वह इतनी शक्ति प्राप्त कर सकता है कि बड़े-बड़े साम्राज्य उसके आगे झुक सकते हैं। इसके लिए साधन एवं साध्य की पवित्रता आवश्यक है। उनकी दृष्टि में सत्य साध्य है और अहिंसा साधन। यदि देश की आजादी साध्य थी तो अहिंसा उसका साधन थी। इसलिए गाँधी जी अहिंसा के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे। उनको दृष्टि में हिंसा, झूठ, धोखाधड़ी, छल-कपट, और अन्याय कुछ दिनों के लिए सफल हो सकते हैं, लेकिन उनसे वास्तविक शांति और विजय नहीं प्राप्त की जा सकती।[27] उनका विश्वास था कि सत्य और अहिंसा का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए नहीं है, बल्कि राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यों में भी इनका प्रयोग हो सकता है।[28] महात्मा गाँधी विश्व के पहले नेता थे जिन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से सत्य और अहिंसा का प्रयोग भारत की आजादी की लड़ाई में किया और इससे सत्याग्रह को विश्व व्यापी लोकप्रियता प्राप्त हुई। अमेरिका में मॉर्टिन लूथर किंग ने नीग्रो लोगों को अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह का प्रयोग किया। अनेक देशों में सत्याग्रह का प्रयोग आज भी हो रहा है। गाँधी जी इस बात पर बराबर जोर देते थे कि साधन पवित्र नहीं होंगे, तो परिणाम अवश्य ही दुःखद होंगे। इसलिए साधन एवं साध्य की पवित्रता आवश्यक है। गाँधी जी की निगाह में सत्य उनके जीवन का चरम लक्ष्य था और वे सत्य को ईश्वर मानते हैं। अहिंसा सत्य को प्राप्त करने का उनका तरीका था। सत्य और अहिंसा एक ही चिकने सिक्के के दो पहलू हैं।[29]

महात्मा गाँधी के अनुसार सत्य और अहिंसा में विश्वास रखने के लिए ईश्वर में सच्ची एवं गहरी आस्था का होना आवश्यक है। उन्होंने हरिजन में लिखा था- "एक सत्याग्रही को अहिंसा में अटूट विश्वास होना चाहिए, लेकिन अहिंसा में विश्वास ईश्वर में सच्ची एवं गहरी आस्था के बिना सम्भव नहीं हैं, एक अहिंसक व्यक्ति ईश्वर की शक्ति एवं कृपा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। ईश्वर की कृपा से ही अहिंसक सत्याग्रही में यह साहस और शक्ति आती है कि वह बिना क्रोध के बिना डरे हुए तथा अपने विरोधी से बदला लेने की भावना को छोड़ कर अपने आदर्शों के लिए मरने को तैयार रहे।[30]

महात्मा गाँधी ने इस प्रकार सत्याग्रह के माध्यम से देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयत्न की इसके साथ ही उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम के द्वारा छुआ-छूत, जात-पाँत, गरीबी, निरक्षरता एवं साम्प्रदायिक विद्वेष को समाप्त कर भारत भूमि को एक सूत्र में बाँधने की कोशिश की।

महात्मा गाँधी आर्थिक क्षेत्र में देश के गाँवों को कुटीर उद्योगों द्वारा विकसित करना चाहते थे, वे बड़े कल-कारखानों के विरूद्ध थे, क्योंकि उनकी दृष्टि में बड़े-बड़े कल कारखानों के द्वारा भारत जैसी विशाल जनसंख्या को रोजी-रोटी देना सम्भव नहीं था। इसलिए उन्होंने खादी और ग्रामोद्योग पर बहुत जोर दिया। उनकी दृष्टि में पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रान्ति द्वारा बड़े-बड़े कल कारखाने स्थापित किए गए और उनके कारण वहाँ बहुत सी बुराइयाँ भी आ गई। जैसे बड़े-बड़े कल कारखानों के मालिक, मजदूरों का शोषण कर के धनी हो गये। इसलिए गाँधी जी के विचार में बड़े-बड़े कल कारखानों को स्थापना से भारत जैसे गरीब देश को आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। गाँधी जी ने भारत में आने पर अहमदाबाद और बम्बई के मिलों में काम करने वाले मजदूरों की दशा का अध्ययन किया तथा वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यहाँ भी मिलों में काम करने वाले मजदूरों की हालत अच्छी नहीं है। खास कर बम्बई को मिलों में काम करने वाली महिलाओं की दशा अत्यन्त दयनीय है।[31]

महात्मा गाँधी की दृष्टि में चरखा भी एक मशीन है, हथकरघा भी एक मशीन है। इन छोटी-छोटी मशीनों के द्वारा ग्रामोद्योग का विकास कर के गाँवों की जनता को सुखी बनाया जा सकता है। चूँकि गाँवों के किसान छः महीने बेकार बैठे रहते हैं और अधिकांश महिलायें खाना बनाने के बाद निरर्थक समय गंवाती है, इसलिए चरखा उनकी आशा है और चरखे के द्वारा इन बेकार लोगों को काम दिया जा सकता है और उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। चरखे के द्वारा कते हुए सूत से कपड़े बनाने के लिए हथकरघा उद्योग स्थापित किया जा सकता है और उसमें कई तरह के रोजगार दिए जा सकते हैं। जैसे कपड़े बुनना, रंगना और विभिन्न प्रकार की खादी तैयार करना, इसके साथ ही गाँवों में बढ़ई का काम, जूते बनाने का काम, तेल पेरने का काम आदि उद्योग-धन्धे भी खोले जा सकते हैं। बहुत से गाँवों में मुधमक्खी पालन उद्योग भी विकसित किया जा सकता है। लेकिन चरखा और खादी भारत के सात लाख गाँवों में शान्तिपूर्ण क्रान्ति ला सकते हैं। बहुत से गरीब और विधवा स्त्रियों को काम मिल सकता है। इससे स्वदेशी भावना विकसित होगी और इंग्लैंड की मिलों में बने हुए कपड़े जो भारतीय उद्योग-धन्धों को समाप्त कर चुके हैं, भारत उस विदेशी शोषण से मुक्त हो सकेगा और गाँवों की गरीब जनता आत्मनिर्भर हो सकेगी।[32]

महात्मा गाँधी की दृष्टि में खादी, ग्रामोद्योग सौरमण्डल का सूर्य है। दूसरे शब्दों में खादी के ईद-गिर्द अन्य उद्योग धन्धे पनप सकते है और विकसित हो सकते हैं। खादी के बिना दूसरे उद्योग-धन्धे पनप नहीं सकते[33] इसलिए गाँधी जी ने खादी को अपने ग्रामोद्योग की योजना के केन्द्र में प्रतिष्ठित कर दिया। ग्रामोद्योगों की स्थापना में उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि गाँव के लोगों का शोषण बन्द हो और गाँव में जो बनी हुई वस्तुएँ है, उनका पहला उपयोग गाँव में ही किया जाये और बाद में स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा उसे दूसरी जगहों में बेचा जाए जिसमें गाँव के लोगों का शोषण नहीं हो। इसलिए उनके द्वारा अखिल भारतीय स्पिनर एसोसिएशन की स्थापना की गई।

रस्किन द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़ने के बाद इसके सिद्धान्तों को अमल में लाने के लिए गाँधी जी ने फीनिक्स आश्रम की स्थापना की जहाँ प्रत्येक व्यक्ति से खेतों में भी काम कराया जाता था।[34] रस्किन बड़े-बड़े कारखानों के विरूद्ध था क्योंकि उनके द्वारा मजदूरों का शोषण होता है और सम्पति मिल मालिकों के हाथ में इकट्ठी होती जाती है। इसलिए रस्किन ने पूँजीपतियों को मजदूरों के प्रति बुद्धिमतापूर्ण पितृवत व्यवहार करने एवं विचार रखने की सलाह दी। गाँधी जी भी रस्किन की तरह मिल-मालिकों को मजदूरों का हितैषी और मित्र बनाना चाहते थे।[35] रस्किन ने मजदूरों को यह भी सलाह दी कि हथियार बनाने वाले कारखानों में काम न करें।[36] गाँधी जी की आर्थिक विचारधारा रस्किन से भी ज्यादा टाल्सटाय से प्रभावित थी। टाल्सटाय के अनुसार किसी भी जीव पर अपनी इच्छा को थोपना अपराध है। टाल्सटाय आधुनिक युग के राज्य, कचहरी, पुलिस, मिलिटरी, व्यक्तिगत सम्पति, और पूँजीवाद का विरोध करता है क्योंकि ये सारी चीजें बलप्रयोग और हिंसा पर आधारित हैं। इसलिए वह मनुष्य का नैतिक पुनर्जन्म करे के लिए शारीरिक श्रम करने के लिए किसानों के जीवन पर जोर देता है। उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की जरूरतों को पैदा करने के लिए खेतों में काम करना चाहिए।[37]

महात्मा गाँधी के जीवन पर टाल्सटाय का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में टाल्सटाय की लिखी पुस्तक ईश्वर का राज्य तुम्हारे हृदय में है, लिखी पुस्तक पढ़ी और इससे वे बहुत अधिक प्रभावित हुए। महात्मा गाँधी ने लिखा है इसी पुस्तक ने उनको अहिंसा का पक्का पुजारी बना दिया। टाल्सटाय की तरह गाँधी जी भी मानते हैं कि गाँधी जी को आर्थिक विचारधारा मूल रूप से अंग्रेज लेखक जॉन रस्किन और रूसी लेखक ताल्स्ताय से प्रभावित थी। महात्मा गाँधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, कि रस्किन द्वारा लिखित अण्डु दिस लास्ट के पढ़ने से उनके जीवन में महत्वपूर्ण रचनात्मक परिवर्तन आ गया। उन्होंने इस पुस्तक का गुजराती में अनुवाद किया और उसका नाम सर्वोदय रखा। इस पुस्तक से उनके मन में उत्तम भावना आई जो दबी हुई थी, वह जागृत हो गई और वे उसको क्रियान्वित करने लगे। आधुनिक सभ्यता हिंसा और शोषण पर आधारित है। इससे मनुष्य केवल भोग विलास में लिप्त हो जाता है। इसीलिए टाल्सटाय और गाँधी जी दोनों मानते हैं कि मनुष्य को किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा का सहारा लेना चाहिए, सादगी का जीवन बिताना चाहिए, धनसम्पति इकट्ठा नहीं करना चाहिए तथा मेहनत कर के अपनी रोजी कमानी चाहिए। गाँधी जी ने धन-संग्रह करने की आवश्यकता को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि इसी से सभी बुराइयाँ पैदा होती है। इस क्षेत्र में गाँधी जी पुराने आर्दश अपरिग्रह के सिद्धान्त को मानते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि सत्य और अहिंसा पर विश्वास करने वाले व्यक्ति

को सम्पति इक्ट्ठा करने में समय नहीं व्यतीत करना चाहिए।गाँधी जी ईश्वर को सारी सृष्टि का मालिक मानते हैं और मनुष्य अपने शरीर का भी मालिक नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए, अपना शरीर और धन ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें और अपना सब कुछ लोक सेवा में लगावें।

महात्मा गाँधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था।अपनी सम्पति को वह ईश्वर की दी हुई धरोहर माने और अपने को ट्रस्टी समझे, यही गाँधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त है। गाँधी जी के अनुसार यदि अहिंसा के द्वारा सम्भव हो, तो सब की व्यक्तिगत सम्पति ले लेनी चाहिए, क्योंकि सम्पति बिना हिसा के नही कमाई जाती। इस सिद्धान्त के अनुसार मिल मालिकों को और पूंजीपतियों को अपने को सम्पति का मालिक नहीं, बल्कि ट्रस्टी समझना चाहिए और अपनी सम्पति का उपयोग समाजसेवा के लिए करना चाहिए। इसलिए गाँधी जी की आर्थिक विचारधारा में मुनाफा कमाने को कहीं स्थान नहीं है। इसी प्रकार जिन लोंगों के पास प्रतिभा है, शारीरिक शक्ति है अथवा धन है, उन्हें उसका उपयोग समाज और देश की सेवा के लिए करना चाहिये। ट्रस्टी लोग जो भी निर्णय लें वे समाज के हितों को ध्यान में रख कर लें, व्यक्तिगत मुनाफे के लिए नहीं और उनकों इस सेवा के लिए कमीशन मिलना चाहिए।[38] मूल ट्रस्टी को अवकाश ग्रहण करने के पहले अथवा मृत्यु के पहले अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करना चाहिए, लेकिन सरकार ही अन्तिम रूप से इसमें निर्णय ले सकती है। गाँधी जी के अनुसार एक ट्रस्टी का उत्तराधिकारी ट्रस्टी ही हो सकता है। उसका अपना बेटा या बेटी नहीं, क्योंकि गाँधी जी उत्तराधिकारी के वंशानुगत होने के खिलाफ थे। गाँधी जी के अनुसार ट्रस्टी लोग ट्रस्ट की समाप्ति का दुरूपयोग करें, तो सरकार कम-से-कम हिंसा का प्रयोग कर के ट्रस्ट की सम्पत्ति जब्त कर सकती है।

महात्मा गाँधी के अनुसार समाज में सम्पति का उचित बँटवारा ट्रस्टीशिप 'के सिद्धान्त के द्वारा ही हो सकता है। इसके लिए जो लोग धनी हैं, उन्हें अपनी सम्पति को समाज के लिए उपयोग करना चाहिए क्योंकि उनलोगों के पास जरूरत से ज्यादा सम्पति है, जहाँ तक आवश्यकता से अधिक सम्पति हो, केवल अपनी जरूरत के मुताबिक रखकर समाज सेवा में उसका उपयोग करना चाहिए इस दृष्टि से धनी लोग समाज में गरीबों के संरक्षक बन जायेंगे और कोई भी व्यक्ति गरीबी या भुखमरी से नहीं मरेगा। इसी तरह मिल मालिक मजदूरों से मिलकर और उनकी सहायता से मिलों का प्रबन्ध करेंगे और मिलों से अर्जित सम्पति को वे मजदूरों की सेवा में और समाज सेवा में लगायेंगे। इससे समाज में सम्पति कुछ हाथों में नहीं कर समाज के हाथों में चली जायेगी।[39]

महात्मा गाँधी के अनुसार समाज में परिवर्तन वर्ग-संघर्ष के द्वारा नहीं, बल्कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा लाया जा सकता है। गाँधी जी वर्गविहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे जहाँ सभी व्यक्ति श्रम कर के राष्ट्रीय सम्पति को बढ़ायेंगें और किसी का भी शोषण नहीं किया जायेगा। गाँधी जी जमीन्दारों को भी ट्रस्टी मानते थे और वे आशा करते थे कि वे किसानों के हित में काम करें। उनका विश्वास था यदि पूँजीपति या मिल मालिक मजदूरों के प्रति पिता या बड़े भाई का सम्बन्ध स्थापित कर लें तथा मजदूरों को भी मिल के प्रबन्ध और उसके मुनाफे में बराबर का हक दें, तो मिल मालिक और मजदूर समाज के ट्रस्टी बन जायेंगे। गाँधी जी की दृष्टि में मजदूर ज्यादा मेहनत करते है, इसलिए उन्हें कारखानों के प्रबन्ध एवं नियंत्रण, काफी छुट्टियाँ, रहन-सहन का अच्छा जीवन, तथा अच्छी मजदूरी मिलनी चाहिए और पूँजीपत्तियों को ये चीजें खुशी-खुशी देनी चाहिए।[40] गाँधी जी ने स्वराज्य प्राप्ति के बाद अहिंसक राज्य की कल्पना की थी। इस राज्य में उनकी दृष्टि में जनता की आर्थिक दशा में समानता लाने की कोशिश की जायेगी और सामाजिक न्याय भी स्थापित होगा। इस राज्य में सामाजिक और आर्थिक समानता होगी, छुआछूत की प्रथा नहीं होगी, जातपात की प्रथा बहुत ढीली हो जायेगी तथा आर्थिक जीवन मुख्य रूप से कुटीर उद्योग पर आधारित होगा। इस व्यवस्था में सभी को आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त होंगी जैसे पर्याप्त खाना, पर्याप्त कपड़ा तथा पर्याप्त दूध, दही और मक्खन आदि भी सब को उचित मात्रा में मिलेगा और बुनियादी शिक्षा प्राप्त होगी तथा सभी का जीवन नैतिक दृष्टि से ठीक होगा। गाँधी जी की राम-राज्य की कल्पना में गरीबी को हटाना आवश्यक था।[41]

महात्मा गाँधी के अहिंसक राज्य में सभी खेतों में काम कर अपनी रोटी कमायेंगे और इसके आलावे अधिक शारीरिक या बौद्धिक परिश्रम कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। गाँधी जी ये मानते थे कि जिन लोगों के पास बहुत धन है उन्हें यह समझना चाहिए कि उनका उनका धन उनका नहीं बल्कि समाज का है और उन्हें अपनी जरूरत से ज्यादा धन का इस्तेमाल समाज सेवा के लिए करना चाहिए। गाँधी जी कार्ल मार्क्स की तरह आर्थिक समानता लाने के लिए हिंसक क्रान्ति के द्वार पूजीपतीयों का विनाश नहीं करना चाहते थे, बल्कि स्वेच्छा से पूँजीपतियों का हृदय-परिवर्तन और त्याग चाहते थे, उनकी दृष्टि में गरीबों का शोषण कुछ पूँजीपतियों का विनाश कर के नहीं हटाया जा सकता है, बल्कि पूँजीपतियों में त्याग की भावना लाने से हो सकता है। गरीबों को ये शिक्षा दी जानी चाहिए कि गरीब लोग ऐसे पूँजीपतियों से असहयोग करें जो उनका शोषण करते हैं। इसी प्रकार मजदूरों को भी समझना चाहिए की उनका श्रम भी एक पूँजी है। जिस दिन मजदूर संगठित और सुशिक्षित हो जायेंगे, पूँजीपत्ति उनका शोषण नहीं कर सकते हैं। वास्तव में पूँजीपति और मिल मजदूर भागीदार हैं, वे एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।[42]

महात्मा गाँधी वास्तव में आर्थिक समानता के रूप में समुचित बँटवारा चाहते थे, जिससे सभी को आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त हो सकें और आर्थिक विषमता बहुत ज्यादा न रहे। गाँधी जी सिद्धान्त रूप में केन्द्रीकृत उत्पादन और भारी यातायात के विरूद्ध थे क्योंकि उससे मनुष्य के शान्तिपूर्ण जीवन में बाधा पहुँचती है लेकिन वे मानते थे कि रेलवे और बड़े-बड़े कल-कारखाने स्थापित हो चुके हैं, उन्हें

वे आसानी से नहीं छोड़ सकते इसलिए गाँधी जी ने भाप एवं बिजली से सहायता लेने की अनुमति दी है, लेकिन वे मुनाफा कमाने के लिए बड़े-बड़े कल-कारखानों के खिलाफ थे। वे ऐसी मशीनों के पक्ष में थे, जो मनुष्य की रोजी-रोटी न छीने तथा मनुष्य अपनी सहायता के लिए खुशी से उसका इस्तेमाल कर सके। उनकी दृष्टि से बड़े-बड़े कल-कारखानों से ग्रामीण जीवन नष्ट हो जाता है और मजदूर मिल-मालिकों के गुलाम बन कर रह जाते हैं। इसलिए वे अमेरिका और इंग्लैण्ड के नमूने पर औद्योगीकरण नहीं चाहते थे। अमेरीका जैसी देशों में साधन अधिक है और जनसंख्या बहुत कम है, भारत एक प्राचीन देश है जहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है ओर अधिकांश जनसंख्या गाँवों में रहती है और गाँवों के लोग छः महीना बेकार रहते हैं, इसलिए उनको ऐसे काम चाहिये जिससे वे बेकार न रहें। इसीलिए यहाँ बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग की आवश्यकता है। इसलिए भारत में बड़े-बड़े कल कारखानों की स्थापना से यहाँ की बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं हो सकता।[43]

महात्मा गाँधी का यह सुनिश्चित विचार था कि गाँवों मे भी ऐसी ही मशीनों को प्रयोग किया जाए जिसको ग्रामीण जनता समझ सके और स्वयं चला सके। जैसे आज कल गोबर गैस संयंत्र स्थापित किये गये हैं। गाँवों के लोग हथकरघा चलाने में बिजली का प्रयोग कर सकते हैं।[44]

महात्मा गाँधी आर्थिक जीवन के विकेन्द्रीकरण के पक्ष में थे, वे चाहते थे कि स्वयं सेवी संस्थाएँ अथवा त्यागी व्यक्ति समाज में पैदा होने वाली वस्तुओं का उचित वितरण करें। इसके लिए सहयोग समितियाँ हो और अहिंसक राज्य भी आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए छोटे उद्योगों की स्थापना करें। अहिंसक राज्य की वन-सम्पदा, खनिज पदार्थो, ऊर्जा के साधन तथा यातायात का नियंत्रण जनता के हित में करें तथा अहिंसक राज्य ही ट्रस्टी लोगों का कमीशन तय कर उनको दिया करें, यह कमीशन ट्रस्टी लोगों के द्वारा समाज-सेवा के बदले दिया जायेगा। अहिंसक राज्य मजदूरों और किसानों को भी मिलों और गाँव के प्रबन्धन में भरपूर हिस्सा देगा और अहिंसक राज्य ग्रामपंचायतों का एक विशाल समूह होगा।[45] अहिंसक राज्य अनैतिक कामों से कोई भी आमदनी प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेगा जैसे शराब की दूकानें बन्द कर दी जायेंगी और मादक पदार्थों की बिक्री से कोई भी कर नहीं प्राप्त किया जायेगा। इसी प्रकार वेश्यालयों से लाइसेन्स देकर कोई प्राप्त नहीं किया जायेगा और स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा समुचित प्रापगैण्डा कर के वेश्यावृत्ति बन्द की जायेगी और वेश्याओं को कुटीर उद्योगों में लगाया जाएगा। इसी प्रकार अफीम, गांजा, चरस आदि मादक द्रव्यों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा और लोगों में समुचित प्रचार करके, समझाबूझा कर लोगों को इन मादक द्रब्यों से विमुख किया जायेगा।[46]

निष्कर्षः

अब तक के विवेचन से स्पष्ट है कि महात्मा गाँधी की अहिंसक विचाराधारा भी सत्य, अहिंसा, एवं नैतिकता पर आधारित थी। वे हिंसा के आधार पर किसी भी सामाजिक, अथवा आर्थिक परिवर्तन के पक्ष में नहीं थें। वे हर हालत में मनुष्य को नैतिक अहिंसक और सत्य का प्रेमी बनाना चाहते थें। इनके अनुसार यदि, देश धनी भी हो जाये और लोग अनैतिक बनाना चाहतें थे। उनके अनुसार यदि देश धनी भी हो जाये और लोग अनैतिक जीवन बितावें, तो उससे भारत की भलाई नही बल्कि उसका विनाश हो जायेगा। प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुसार वे चाहते थे कि समाज के नेता लोग सादगी का जीवन बितावें जिससे देश का खर्च कम हो और बचे हुए पैसे का उपयोग गरीब जनता की भलाई के लिए किया जा सके। उन्होंने अपने अनुयायियों एवं राजनेताओं को मंत्र दिया था। ष्कोई भी निर्णय लेने के पहले तुम यह सोचो कि देश का जो सबसे गरीब आदमी है उसका इससे क्या फायदा होगा। यदि तुम्हारे निर्णय से उस गरीब आदमी का फायदा नहीं होता है, तो तुम्हारा निर्णय बेकार है। मै तो इस देश के सभी गरीबों और दलितों की आँख का आँसू पोंछना चाहता हूँ। किसी संदर्भ में महात्मा गांधी आज पूरी दुनिया में प्रासंगिक बने हुए हैं.

सन्दर्भ ग्रंथः

1. जवाहर लाल नेहरू, ऐन आटोबायोग्राफी, (बम्बईः ऐलाएड पब्लिशर्स प्रा० लि०, 1962) पृ०83
2. पत्तू राम, गाँधी बनाम राजनीति, (लखनऊः सर्वोदय साहित्य संसद, 1956) पृ० 1
3. पत्तू राम, गाँधी बनाम राजनीति, (लखनऊः सर्वोदय साहित्य संसद, 1956) पृ० 2
4. विल्फेडवेलॉक, गाँधीः एक सामाजिक क्रान्तिकारी (काशीः अखिल भारत सर्व सेवा संघ प्रकाशन, 1956) पृ० 22
5. विपेडवेलॉक, गाँधीः एक सामाजिक क्रान्तिकारी (काशीः अखिल भारत सर्व सेवा संघ प्रकाशन, 1956) पृ० 22-24
6. पत्तूराम, गाँधी बनाम राजनीतिः एक अध्ययन, (लखनऊः सर्वोत्तम साहित्य)) पृ०१
7. वहीं, पृ०21-22 तथा गोपीनाथ धवन, दि पोलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गाँधी, (अहमदाबादः नवजीवन प्रकाशन, 1962) ५० 282-87
8. पंतू राम, गाँधी बनाम राजनीति में उद्धृत पृ० 21-22 (लखनऊः सर्वोदय साहित्य संसद, 1959)
9. यू एस. मोहन राव (संपादक एवं संग्रहकर्त्ता), दि मेसेज ऑफ महात्मा गांधी (दिल्लीः भारत सरकार, 1969) ५० 73-76
10. पत्तू राम, गाँधी बनाम राजनीति, पृ०24
11. बालकोबा भावे, गाँधी बोध वाराणसीः सर्व सेवासंघ, 1983), पृ० 91

12. शंकरराव देव, गाँधी जी और लोक स्वराज्य (वाराणसी: सर्व सेवा संघ प्रकाशन, 1983) ५०70-71
13. पत्तू राम, गाँधी बनाम राजनीति (लखनऊ, सर्वोदय साहित्य संसद, 1959) पृ० 47-49
14. यू. एस. मोहन राव, दि मेसेज ऑफ महात्मा गाँधी, पृ०19
15. आर. के. प्रभु तथा टूथ काल्ड देश डिफरेण्टलो रवीन्द्र केल्कर, (अहमदाबाद: नवजीवन ट्रस्ट, 1961) पृ० 37
16. गोपीनाथ धवन, दि पोलिटिकल फिलासफी ऑफ महात्मा गाँधी पृ० 312-13
17. गोपीनाथ धवन, दि पोलिटिकल फिलासफी ऑफ महात्मा गाँधी पृ० 315-17
18. पत्तू राम, गाँधी बनाम राजनीति में उद्धृत ५० 57
19. वही पृ० 60-61 तथा विनाबा भावे, सर्वोदय और साम्यवाद (वाराणसी: सर्व सेवा संघ प्रकाशन पृ० 34-35
20. अमर सिंह सोलंकी, बुनियादी शिक्षा में अनुबंध की कला (अहमदाबाद नवजीवन मन्दिर) पृ०44
21. हरिमाऊ उपाध्याय बापू कथा (वाराणसी प्रकाशन सर्व सेवा संघ) पृ०191
22. विनोबा भावे, सर्वोदय और साम्यवाद पृ० 35-36
23. डी. जी. टेण्डुलकर, महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास गाँधी प्रथम जिल्द (बम्बई: झावेरी ऐण्ड डी. जी. टेण्डुलकर 1951) पृ० 236-38
24. वही, पृ० 239-42
25. मो० क० गाँधी, सत्य का प्रयोग (अनु०) काशिनाथ त्रिवेदी, (अहमदाबाद: नवजीवन प्रकाशन मंदिर, 1957) पृ०260-62
26. सी. एफ, ऐण्ड्ज, महात्मा गाँधीज आइडियाज (न्यूयार्क: मैकमिलन के०, 1930) पृ० 348
27. एम. के. गाँधी, फ्रॉम चरवडा मंदिर (अहमदाबाद नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, 1980) पृ० 3-6
28. गोपीनाथ धवन, पोलिटिकल फिलासफी ऑफ महात्मा गाँधी (अहमदाबाद: नवजीवन ट्रस्ट, 1946) पृ० 48 29. एम. के. गाँधी, फॉम चरवदा मंदिर, पृ०48
30. हरिजन, 18जून 1938
31. एम. के. गाँधी, हिन्द स्वराज, (अहमदाबाद: नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, 1938) पृ० 94
32. एम. के. गाँधी, कन्सिट्रक्टिव प्रोग्राम: इट्स मीनिंग ऐण्ड प्लेस (अहमदाबाद: नवजीवन ट्रस्ट, 1941) पृ० 14
33. एम. के. गाँधी, रीबिल्डिंग आवर विलेजेज, (अहमदाबाद: नवजीवन ट्रस्ट, 1952) पृ०34
34. मो० क० गाँधी, आत्मकथा, काशिनाथ त्रिवेदी, अनु० (अहमदाबाद: नवजीवन ट्रस्ट, 1957) पृ० 259-62
35. गोपीनाथ धवन, पालिटिकल फिलासफी ऑफ महात्मा गाँधी, पृ० 31
36. वहीं, पृ० 32
37. वही, पृ० 33
38. वही, पृ० 85-86
39. यू. एस. मोहन राव, दी मेसेज ऑफ महात्मा गाँधी, पृ० 58 59
40. गोपीनाथ धवन, पोलिटिकल फिलौसफी ऑफ महात्मा गाँधी, पृ० 253-54
41. यू. एस. मोहन राव, दि मेसेज ऑफ महात्मा गाँधी, पृ० 47-48
42. यू. एस. मोहन राव, दि मेसेज ऑफ महात्मा गाँधी, पृ० 49-50
43. वही, पृ० 55-56
44. गोपीनाथ धवन, पोलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गाँधी, पृ० 314-15
45. गोपीनाथ धवन, पोलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गाँधी पृ० 315-16
46. वही, पृ० 316-17
47. यू एस. मोहन राव, दि मेसेज ऑफ महात्मा गाँधी, पृ० 62-63

वैश्वीकरण के दौर में अंतरराष्ट्रीय बाजार का परिवर्तित स्वरूपः एक अवलोकन

डॉ० सुलेखा कुमारी

असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, डॉ. एल.के. डी. वी. कॉलेज, ताजपुर, समस्तीपुर, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा (बिहार)

रिसर्च आर्टिकल का एब्स्ट्रेक्टः

वैश्वीकरण ने 21वीं सदी में अंतरराष्ट्रीय बाजार का स्वरूप पूरी तरह से बदल दिया है। यह प्रक्रिया न केवल व्यापार और निवेश के क्षेत्र में बदलाव लेकर आई है, बल्कि आर्थिक संरचनाओं, औद्योगिक उत्पादन, और सेवा क्षेत्रों में भी गहरा प्रभाव डाला है। वैश्वीकरण के चलते राष्ट्रीय सीमाएँ धुंधली हो गई हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और परस्पर जुड़ा हुआ है। तकनीकी प्रगति, इंटरनेट क्रांति, और संचार साधनों के विकास ने व्यापार को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCS) की भूमिका बढ़ी है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार हुआ है। विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग और प्रतिस्पर्धा का एक नया मॉडल उभरकर सामने आया है। भारत, चीन और ब्राजील जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएँ अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस परिवर्तनशील बाजार ने चुनौतियाँ भी प्रस्तुत की हैं। घरेलू उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और कुछ क्षेत्रों में आर्थिक असमानता बढ़ी है। इसके अलावा, पर्यावरणीय प्रभाव और सामाजिक असमानताएँ भी वैश्वीकरण के नकारात्मक पहलुओं के रूप में देखी जाती हैं। प्रस्तुत शोध आलेख में अंतरराष्ट्रीय बाजार के परिवर्तनों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों को रेखांकित किया गया है। साथ ही, भविष्य की संभावनाओं और चुनौतियों पर भी विचार किया गया है। सार रूप में, वैश्वीकरण एक अपरिहार्य प्रक्रिया है तथा यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में निरंतर परिवर्तन और विकास की संभावनाएँ उत्पन्न करता है।

की वर्डः वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, प्रतिस्पर्धा, अंतरराष्ट्रीय बाजार, विज्ञान और तकनीक, विश्व व्यापार संगठन, वैश्वीकृत शक्ति, क्षेत्रीय संगठन तथा व्यापार आदि।

प्रस्तावनाः

वैश्वीकरण ने विश्व की अर्थव्यवस्था को एकीकृत किया है तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार बाजार के स्वरूप को व्यापक रूप में परिवर्तित किया है।तकनीकी प्रगति, व्यापार बधाओं को हटाना तथा संचार के नए साधनों ने वैश्वीकरण व्यापार में नई संभावनाएं उत्पन्न कर दिया है। वैश्वीकरण के दौर में अंतरराष्ट्रीय बाजार के परिवर्तित स्वरूप के अवलोकन हेतु सर्वप्रथम वैश्वीकरण की अवधारणा का अवलोकन आवश्यक प्रतीत होता है।

वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जो आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्तरों पर राष्ट्रों के बीच बढ़ती आपसी निर्भरता और संपर्क को दर्शाती है। इस प्रक्रिया के तहत विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं, बाजार, प्रौद्योगिकी और संचार माध्यम एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिससे विश्व एक श्वैश्विक गाँवश के रूप में उभरता है। वैश्वीकरण न केवल व्यापार और निवेश को प्रभावित करता है, बल्कि विचारधाराओं, जीवनशैली, और सांस्कृतिक मूल्यों का आदान-प्रदान भी बढ़ाता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया औद्योगिक क्रांति के साथ शुरू हुई मानी जाती है, लेकिन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संचार और परिवहन के साधनों में विकास के साथ इसने गति पकड़ी। आर्थिक उदारीकरण और अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे विश्व व्यापार संगठन (WTO), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक की नीतियों ने भी वैश्वीकरण को प्रोत्साहित किया। आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट ने भौगोलिक सीमाओं को ध्वस्त कर दिया है, जिससे वैश्वीकरण की गति और भी तेज हो गई है। वैश्वीकरण के आर्थिक पहलू पर विचार करें तो यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विदेशी निवेश के विस्तार में परिलक्षित होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCS) की भूमिका इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कंपनियाँ विभिन्न देशों में उत्पादन इकाइयां स्थापित कर अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रसार करती हैं। इससे आर्थिक विकास को बल मिलता है, लेकिन साथ ही कुछ स्थानीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से वैश्वीकरण ने विभिन्न संस्कृतियों को एक दूसरे के करीब लाया है। विभिन्न देशों की भाषाएं, खान-पान, संगीत, और फैशन तेजी से प्रसारित हो रहे हैं। हालाँकि, इससे सांस्कृतिक एकरूपता और पारंपरिक मूल्यों के लोप होने का खतरा भी उत्पन्न हुआ है। पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव विशेष रूप से विकासशील देशों में देखा जा सकता है। राजनीतिक स्तर पर वैश्वीकरण ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग और कूटनीतिक संबंधों

को प्रगाढ़ किया है। वैश्विक समस्याएँ जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी के समाधान के लिए देशों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही, वैश्वीकरण के कारण कुछ देशों की संप्रभुता और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। वैश्वीकरण के सामाजिक प्रभावों पर गौर करें तो इससे विकासशील देशों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, लेकिन असमानता की खाई भी गहरी हुई है। उच्च कौशल वाले लोग वैश्वीकरण का अधिक लाभ उठाते हैं, जबकि कम शिक्षित और गरीब वर्ग इससे उतना लाभान्वित नहीं हो पाता। कुल मिलाकर, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो अवसरों और चुनौतियों दोनों को प्रस्तुत करती है। यह आर्थिक विकास और सांस्कृतिक समावेश को बढ़ावा देता है, लेकिन इसके साथ-साथ आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक वर्चस्व और पर्यावरणीय क्षरण जैसी समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं। इसलिए, वैश्वीकरण को इस तरह प्रबंधित करने की आवश्यकता है कि इसका लाभ सभी देशों और समाज के सभी वर्गों तक पहुँच सके, जिससे सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके।

अंतरराष्ट्रीय बाजार का स्वरूप समय के साथ निरंतर परिवर्तित होता रहा है। यह परिवर्तन तकनीकी विकास, राजनीतिक परिस्थितियों, आर्थिक नीतियों और वैश्विक सहयोग के माध्यम से संचालित होता है। औद्योगिक क्रांति के बाद से वैश्विक व्यापार में निरंतर वृद्धि देखी गई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों का विस्तार हुआ है। वर्तमान में, अंतरराष्ट्रीय बाजार न केवल भौतिक वस्तुओं का आदान-प्रदान करता है, बल्कि सेवाओं, डेटा, विचारों और सांस्कृतिक तत्वों का भी हिस्सा बन चुका है। प्रारंभ में, अंतरराष्ट्रीय बाजार सीमित था और व्यापार मुख्यत: स्थानीय स्तर पर या आस-पास के देशों के बीच होता था। समुद्री मार्गों और स्थलीय सिल्क रोड जैसे व्यापार मार्गों ने देशों को एक-दूसरे से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन औद्योगिक क्रांति ने इस स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेशों के माध्यम से वैश्विक बाजार का विस्तार किया और कच्चे माल के स्रोतों तथा नए बाजारों की खोज शुरू की।

बीसवीं शताब्दी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने पुनर्निर्माण की ओर कदम बढ़ाया। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई। इन संगठनों ने वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में नए नियमों और मानकों का विकास हुआ, जिससे व्यापार को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जा सका।

टेक्नोलॉजी के विकास ने अंतरराष्ट्रीय बाजार के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने व्यापार की सीमाओं को तोड़ दिया। आज, ई-कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी व्यक्ति या कंपनी वैश्विक स्तर पर व्यापार कर सकती है। अमेजन, अलीबाबा और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां डिजिटल युग के अंतरराष्ट्रीय बाजार का प्रतीक बन चुकी हैं।

तकनीकी विकास के अलावा, वैश्वीकरण ने भी अंतरराष्ट्रीय बाजार को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय सीमाओं को धुंधला कर दिया है और देशों को एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में जोड़ दिया है। इससे न केवल व्यापारिक बाधाएं कम हुई हैं, बल्कि देशों के बीच आर्थिक सहयोग और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। वैश्वीकरण ने कंपनियों को विभिन्न देशों में अपने संयंत्र स्थापित करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं का विस्तार करने का अवसर दिया है।वैश्वीकरण ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कई सकारात्मक बदलाव लाए हैं, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखे गए हैं। विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विकासशील देशों में निवेश किया है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को लाभ हुआ है, लेकिन इसके साथ ही स्थानीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है। कई बार स्थानीय उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते हैं, जिससे बेरोजगारी और आर्थिक असमानता की समस्या उत्पन्न होती है। आर्थिक असमानता के अलावा, वैश्वीकरण ने पर्यावरण पर भी प्रभाव डाला है। औद्योगीकरण और वैश्विक व्यापार के विस्तार ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। इससे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता की हानि जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।

वैश्वीकरण के प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति बढ़ी है। कंपनियां अब उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए नए-नए उत्पाद और सेवाएं विकसित कर रही हैं। नवाचार और अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश बढ़ा है, जिससे नई तकनीकों और उत्पादों का उदय हुआ है। वर्तमान में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सबसे बड़ा परिवर्तन डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT), और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकें व्यापार के नए आयाम खोल रही हैं। अब कंपनियां डेटा के माध्यम से उपभोक्ता व्यवहार का विश्लेषण कर रही हैं और उनके अनुसार उत्पादों और सेवाओं का विकास कर रही हैं।आर्थिक नीतियों और व्यापार समझौतों ने भी अंतरराष्ट्रीय बाजार के स्वरूप को प्रभावित किया है। क्षेत्रीय व्यापार समझौते, जैसे कि यूरोपीय संघ (EU), उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता (NAFTA), और एशियाई व्यापार समझौते, देशों को एक साथ लाकर व्यापारिक बाधाओं को कम करते हैं। ये समझौते व्यापार को सुगम बनाते हैं और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में राजनीतिक अस्थिरता, व्यापार युद्ध, और संरक्षणवादी नीतियां कभी-कभी बाधा उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध ने वैश्विक व्यापार में अस्थिरता पैदा की है, जिससे कई कंपनियों को अपनी व्यापारिक रणनीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ा है। भविष्य में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सतत विकास (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) की प्रवृत्ति बढ़ने की संभावना है।

कंपनियां अब न केवल लाभ कमाने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, बल्कि पर्यावरणीय और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी महत्व दे रही हैं। कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाने की दिशा में वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक नया दृष्टिकोण उभरा है। कंपनियां अब अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला बना रही हैं और स्थानीयकरण पर ध्यान दे रही हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार अधिक संतुलित होगा।

अंतरराष्ट्रीय बाजार का परिवर्तित स्वरूप यह दर्शाता है कि भविष्य में व्यापार और अर्थव्यवस्था अधिक नवाचारी, समावेशी और टिकाऊ बनने की ओर अग्रसर है। हालांकि चुनौतियां बनी रहेंगी, लेकिन तकनीकी विकास, वैश्वीकरण और सतत विकास की प्रवृत्तियां अंतरराष्ट्रीय बाजार को नए आयामों तक पहुंचाने में सहायक होंगी।

वैश्वीकरण ने उद्योग और उत्पादन क्षेत्र को गहराई से प्रभावित किया है। पहले उत्पादन मुख्य रूप से घरेलू स्तर पर केंद्रित था, लेकिन वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप उत्पादन की सीमाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक विस्तारित हो गई हैं। आज कंपनियां विभिन्न देशों में अपने संयंत्र और फैक्ट्रियां स्थापित कर रही हैं, जहां कच्चा माल और श्रम सस्ता है। यह न केवल उत्पादन लागत को कम करता है, बल्कि कंपनियों को वैश्विक बाजार तक पहुंचने का अवसर भी प्रदान करता है। वैश्वीकरण के कारण आपूर्ति श्रृंखला अधिक जटिल लेकिन कुशल हो गई है। विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक संबंधों के विस्तार से उत्पादन प्रक्रिया का विभाजन संभव हुआ है। उदाहरण के लिए, एक स्मार्टफोन के पुर्जे अलग-अलग देशों में बनते हैं और उनका असेंबल किसी अन्य देश में किया जाता है। इस प्रकार, वैश्वीकरण ने उत्पादन प्रक्रिया को अधिक वैश्विक बना दिया है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCS) के उदय ने स्थानीय उद्योगों को नई प्रतिस्पर्धा दी है। हालांकि इससे स्थानीय उद्योगों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इससे नवाचार और गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करना पड़ता है, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ती है।तकनीकी हस्तांतरण वैश्वीकरण का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव है। विकसित देशों की कंपनियां विकासशील देशों में अपने संयंत्र लगाकर तकनीक साझा करती हैं, जिससे स्थानीय उद्योगों को तकनीकी ज्ञान और कौशल प्राप्त होता है। इससे विकासशील देशों की औद्योगिक क्षमताओं में वृद्धि होती है। वैश्वीकरण ने कुछ चुनौतियां भी पेश की हैं। उत्पादन लागत कम करने के प्रयास में कंपनियां कभी-कभी पर्यावरण मानकों की अनदेखी करती हैं। इसके अलावा, अत्यधिक वैश्वीकरण के कारण कुछ देशों की अर्थव्यवस्था अन्य देशों पर अत्यधिक निर्भर हो जाती है, जिससे वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

सेवा क्षेत्र वैश्वीकरण से अत्यधिक प्रभावित हुआ है, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (IT), बीपीओ (BPO), और वित्तीय सेवाएं। वैश्वीकरण ने सेवा क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित किया है, जिससे कंपनियों को दुनिया भर में ग्राहकों तक पहुंचने का अवसर मिला है। आईटी उद्योग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारतीय आईटी कंपनियां जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस और विप्रो वैश्विक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती हैं। बीपीओ उद्योग में, वैश्वीकरण ने कंपनियों को अपनी सेवाओं को बाहरी देशों में आउटसोर्स करने की अनुमति दी है, जिससे लागत में कमी और दक्षता में वृद्धि हुई है। वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में भी वैश्वीकरण ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। अब बैंक और वित्तीय संस्थान विभिन्न देशों में शाखाएं खोलकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय लेनदेन और मुद्रा विनिमय की प्रक्रिया अधिक सुगम हो गई है, जिससे वित्तीय क्षेत्र को बढ़ावा मिला है।

वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। विकासशील देशों में बड़ी संख्या में लोग आईटी और बीपीओ उद्योग में कार्यरत हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी लाभ हुआ है। सेवा क्षेत्र में वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। अत्यधिक आउटसोर्सिंग के कारण विकसित देशों में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा, सेवा की गुणवत्ता में असमानता और सांस्कृतिक मतभेद भी एक चुनौती के रूप में सामने आते हैं।

कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वैश्वीकरण ने महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। वैश्वीकरण के माध्यम से कृषि उत्पादों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ा है, जिससे किसानों को वैश्विक बाजारों तक पहुंच मिली है। इससे कृषि उत्पादों की मांग और कीमतों में स्थिरता आई है। वैश्वीकरण के कारण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का भी विस्तार हुआ है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों में अपने प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित कर रही हैं, जिससे स्थानीय कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उन्हें वैश्विक बाजार में निर्यात किया जाता है। कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों और उपकरणों का उपयोग बढ़ा है, जो वैश्वीकरण के कारण संभव हुआ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक कृषि तकनीकों का आदान-प्रदान किसानों की उत्पादकता बढ़ाता है और कृषि क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करता है। हालांकि, वैश्वीकरण के कारण कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। विकासशील देशों के किसानों को विकसित देशों के किसानों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, जहां सरकारी सब्सिडी मिलती है। इससे स्थानीय किसानों को नुकसान हो सकता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में, वैश्वीकरण के कारण खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का पालन करना आवश्यक हो गया है। इससे उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलते हैं। हालांकि, कभी-कभी अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे कृषि उत्पादकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

पर्यटन और आतिथ्य उद्योग वैश्वीकरण के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक हैं। अंतरराष्ट्रीय यात्रा की बढ़ती प्रवृत्ति और सांस्कृतिक आदान-प्रदान ने इस उद्योग को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। वैश्वीकरण के कारण पर्यटन उद्योग में तेजी आई है, जिससे विभिन्न देशों के लोगों को नई जगहों की यात्रा करने का अवसर मिला है। पर्यटन उद्योग के विस्तार से आतिथ्य उद्योग में भी वृद्धि हुई है। होटल, रिसॉर्ट, और अन्य पर्यटन सेवाएं अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध हैं। बड़े होटल समूह विभिन्न देशों में अपनी शाखाएं खोलकर पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण पर्यटन उद्योग में निवेश बढ़ा है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होता है। पर्यटन स्थलों के विकास और संरचना में सुधार किया गया है, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। हालांकि, पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखे गए हैं। अत्यधिक पर्यटन से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग और पर्यटन स्थलों का अत्यधिक भीड़भाड़ से नुकसान हो सकता है। इसके अलावा, वैश्वीकरण के कारण पर्यटन उद्योग में सांस्कृतिक क्षरण की संभावना भी रहती है। स्थानीय संस्कृतियों और परंपराओं पर बाहरी संस्कृतियों का प्रभाव पड़ता है, जिससे सांस्कृतिक पहचान कमजोर हो सकती है।

वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नए आयाम दिए हैं। इसने देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम किया है और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया है। कंपनियों को अब वैश्विक स्तर पर व्यापार करने का अवसर मिल रहा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार की मात्रा और विविधता में वृद्धि हुई है। विभिन्न देशों के बीच व्यापार समझौतों और मुक्त व्यापार नीतियों ने व्यापार को और अधिक सुगम बनाया है। इससे उपभोक्ताओं को विभिन्न देशों के उत्पादों और सेवाओं तक आसानी से पहुंच मिली है। वैश्वीकरण के कारण व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और कीमतें कम हुई हैं। कंपनियों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनने के लिए नवाचार और अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश करना पड़ रहा है। इससे नए उत्पादों और सेवाओं का विकास हो रहा है, जो उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प प्रदान करते हैं।

विकासशील देशों को वैश्वीकरण का विशेष लाभ हुआ है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इन देशों में निवेश किया है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं और आर्थिक विकास को गति मिली है। स्थानीय उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने का अवसर मिला है, जिससे उनके उत्पादों की मांग बढ़ी है। इससे न केवल आर्थिक विकास हुआ है, बल्कि जीवन स्तर में भी सुधार आया है। तकनीकी नवाचार और ज्ञान का प्रसार भी वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। विभिन्न देशों के बीच तकनीक और ज्ञान का आदान-प्रदान हुआ है, जिससे औद्योगिक उत्पादन और सेवाओं की दक्षता में वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखे गए हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण कई छोटे और मध्यम आकार के उद्योग प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उपस्थिति के कारण स्थानीय उद्योगों को नुकसान होता है, जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। आय असमानता वैश्वीकरण का एक और नकारात्मक प्रभाव है। वैश्वीकरण के लाभ मुख्य रूप से बड़े उद्योगों और शहरी क्षेत्रों में केंद्रित होते हैं, जबकि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में विकास की गति धीमी रहती है। इससे समाज में आर्थिक असमानता बढ़ती है।

पर्यावरण पर भी वैश्वीकरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बढ़ने से औद्योगीकरण और परिवहन में वृद्धि हुई है, जिससे कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण में वृद्धि हुई है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ है, जिससे पर्यावरण असंतुलन की समस्या बढ़ी है। संस्कृति और परंपराओं पर भी वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है। विभिन्न देशों की संस्कृतियों के आदान-प्रदान से स्थानीय संस्कृतियों और परंपराओं पर बाहरी प्रभाव बढ़ा है, जिससे सांस्कृतिक पहचान कमजोर हो सकती है। वैश्वीकरण के कारण व्यापारिक निर्भरता भी बढ़ी है। यदि किसी एक देश की अर्थव्यवस्था में मंदी आती है, तो इसका प्रभाव अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ता है। वैश्वीकरण के कारण वैश्विक आर्थिक संकट का प्रभाव अधिक व्यापक और गहरा हो सकता है।

वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को तेज गति से आगे बढ़ाया है, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का बढ़ना इनमें से एक प्रमुख चुनौती है। वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों को टिके रहना कठिन हो जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विशाल पूंजी और तकनीकी श्रेष्ठता के कारण स्थानीय उद्योग पिछड़ सकते हैं, जिससे उनकी बाजार हिस्सेदारी कम हो जाती है और कई बार उन्हें व्यापार बंद करना पड़ता है। इस प्रतिस्पर्धा का समाधान स्थानीय उद्योगों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके किया जा सकता है। सरकारें नीतिगत सहयोग और सब्सिडी देकर स्थानीय उद्योगों को सशक्त बना सकती हैं। इसके अलावा, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश बढ़ाने से उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार किया जा सकता है। वैश्वीकरण से आय असमानता भी बढ़ी है। बड़े उद्योगों और शहरी क्षेत्रों में समृद्धि बढ़ती है, जबकि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। इससे समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता गहरी हो जाती है। इसके समाधान के लिए नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक है। सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना चाहिए और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाकर लोगों को सशक्त बनाया जा सकता है, जिससे वे वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन सकें। पर्यावरण पर भी वैश्वीकरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के कारण औद्योगिक गतिविधियों और परिवहन में वृद्धि हुई है, जिससे प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन बढ़ा है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया गया है, जिससे

पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न हुआ है। इसका समाधान सतत विकास की नीतियों को अपनाने में निहित है। कंपनियों को अपने उत्पादन और व्यापार प्रक्रियाओं में हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकारों को सख्त पर्यावरण मानकों को लागू करना चाहिए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना चाहिए। संस्कृति और परंपराओं पर बाहरी प्रभाव भी वैश्वीकरण की एक चुनौती है। विभिन्न संस्कृतियों के आदान-प्रदान से स्थानीय परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को खतरा हो सकता है। इसका समाधान सांस्कृतिक जागरूकता और संरक्षण के प्रयासों में है। स्थानीय संस्कृतियों और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अभियानों का आयोजन किया जाना चाहिए। वैश्वीकरण के कारण व्यापारिक निर्भरता भी बढ़ गई है। यदि किसी एक प्रमुख अर्थव्यवस्था में संकट आता है, तो इसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी ने कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया था। इस समस्या के समाधान के लिए आर्थिक विविधीकरण आवश्यक है। देशों को विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करके अपनी अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाना चाहिए, ताकि किसी एक क्षेत्र या देश पर अत्यधिक निर्भरता से बचा जा सके। इन चुनौतियों के समाधान के लिए वैश्विक सहयोग और समझौतों की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों को व्यापारिक नीतियों को संतुलित बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करने चाहिए, ताकि वैश्वीकरण का लाभ सभी देशों को समान रूप से मिल सके और इसका दुष्प्रभाव न्यूनतम हो।

निष्कर्ष:

वैश्वीकरण के दौर में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप व्यापक रूप से परिवर्तित हुआ है। व्यापारिक बाधाएं कम होने के साथ-साथ विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं आपस में अधिक जुड़ गई हैं, जिससे एक वैश्विक बाजार का निर्माण हुआ है। अब व्यापार केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवाएं, डेटा, और ज्ञान का भी मुक्त प्रवाह हो रहा है। डिजिटल तकनीक, ई-कॉमर्स और उन्नत लॉजिस्टिक्स के माध्यम से व्यापार प्रक्रियाएं अधिक सरल, त्वरित और पारदर्शी हो गई हैं। इस परिवर्तन ने उत्पादन प्रक्रिया को वैश्विक स्तर पर विभाजित कर दिया है, जहां विभिन्न देशों में उत्पादन की विभिन्न अवस्थाएं पूरी की जाती हैं। इससे लागत में कमी आई है और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विकासशील देशों में निवेश बढ़ाया है, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।वैश्वीकरण के साथ कई चुनौतियां भी उभरी हैं। स्थानीय उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिससे कुछ क्षेत्र पिछड़ सकते हैं। पर्यावरणीय क्षति, आर्थिक असमानता और सांस्कृतिक प्रभाव भी वैश्वीकरण के नकारात्मक पहलू हैं। इन चुनौतियों के समाधान के लिए संतुलित नीतियों की आवश्यकता है। सरकारों को स्थानीय उद्योगों को समर्थन देने, सतत विकास को प्रोत्साहित करने और सामाजिक-आर्थिक असमानता को कम करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप करना चाहिए। सार रूप में, वैश्वीकरण ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नई दिशा दी है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास संभव हुआ है। उचित नीतियों और सहयोग के माध्यम से वैश्वीकरण का लाभ सभी देशों और समाजों तक समान रूप से पहुंचाया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ:

1. सचिन कुमार शर्मा, (2015), 'वैश्वीकरण और अंतरराष्ट्रीय व्यापार', प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. अरविंद पानगड़िया, (2008), 'इंडिया: द इमर्जिंग जायंट', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क।
3. जगदीश भगवती, (2004), 'इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क।
4. थॉमस एल. फ्राइडमैन, (2005), 'द वर्ल्ड इज फ्लैट: अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरी', फरार, स्ट्रॉस एंड गिरौक्स, न्यूयॉर्क।
5. जोसेफ ई. स्टिग्लिट्ज, (2002), 'ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स', डब्ल्यू. डब्ल्यू. नॉर्टन एंड कंपनी, न्यूयॉर्क।
6. अमर्त्य सेन, (1999), 'डेवलपमेंट ऐज फ्रीडम', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क।
7. पॉल क्रुगमैन, (1997), 'पॉप इंटरनेशनलिज्म', एमआईटी प्रेस, कैम्ब्रिज।
8. केनिची ओहमे, (1990), 'द बॉर्डरलेस वर्ल्ड: पावर एंड स्ट्रैटेजी इन द इंटरलिंक्ड इकोनॉमी', हार्पर बिजनेस, न्यूयॉर्क।
9. मैनुअल कैस्टेल्स, (1996), 'द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी', ब्लैकवेल पब्लिशर्स, ऑक्सफोर्ड।
10. डेविड हेल्ड और एंथनी मैकग्यू, (2002), 'ग्लोबलाइजेशन/एंटी-ग्लोबलाइजेशन', पोलिटी प्रेस, कैम्ब्रिज।
11. सैमुअल पी. हंटिंगटन, (1996), 'द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन्स एंड द रिमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर', साइमन एंड शूस्टर, न्यूयॉर्क।
12. रिचर्ड बाल्डविन, (2016), 'द ग्रेट कन्वर्जेंस: इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द न्यू ग्लोबलाइजेशन', हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज।
13. पंकज घेमावत, (2011), 'वर्ल्ड 3.0: ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी एंड हाउ टू अचीव इट', हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू प्रेस, बोस्टन।
14. मार्टिन वुल्फ, (2004), 'व्हाई ग्लोबलाइजेशन वर्क्स', येल यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू हेवन।
15. सास्किया सासेन, (1991), 'द ग्लोबल सिटी: न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो', प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रिंसटन।

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों की चुनौतियाँ और वर्तमान स्थितिः मध्यप्रदेश के इंदौर संभाग का विश्लेषण

डॉ० कुंभन खंडेलवाल

प्राध्यापक, प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर

प्रतीक खत्री

शोधकर्ता, प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर

सारांश

मध्यप्रदेश के इंदौर संभाग में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों की वर्तमान स्थिति और उनकी चुनौतियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक सुरक्षा की वास्तविकता को उजागर करती हैं। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य संबंधी खर्चों से सुरक्षा प्रदान करना है। हालांकि, योजनाओं के बावजूद, पॉलिसी धारकों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जागरूकता की कमी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अधिकांश ग्रामीण लोग स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लाभ, उपयोग की प्रक्रिया, और दायरे से अनभिज्ञ हैं। इससे न केवल योजनाओं का दुरुपयोग होता है, बल्कि उनका प्रभाव भी सीमित हो जाता है। प्रीमियम भुगतान में कठिनाई, स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच, और दावों के निपटान में जटिल प्रक्रियाएँ पॉलिसी धारकों के लिए गंभीर समस्याएँ बनती हैं। सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बीच समन्वय की कमी और सेवाओं की गुणवत्ता में अंतर धारकों की समस्याओं को बढ़ाता है। हालाँकि, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएँ सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रही हैं, फिर भी इंदौर संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं का प्रभाव असमान है। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के प्रभाव को बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियानों, सरल प्रक्रियाओं, और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता है। इन योजनाओं का सही उपयोग सुनिश्चित कर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और आर्थिक सुरक्षा को मजबूती प्रदान की जा सकती है।

शब्दकुंजी- बीमा पॉलिसी धारक, चुनौतियाँ और वर्तमान स्थिति

परिचय

मध्यप्रदेश के इंदौर संभाग में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों की चुनौतियाँ और वर्तमान स्थिति का विश्लेषण ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था और आर्थिक सुरक्षा की जमीनी हकीकत को उजागर करता है। स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण समुदायों के लिए डिजाइन की गई हैं, ताकि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी खर्चों से बचाया जा सके और स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुँच प्रदान की जा सके। हालांकि, इन योजनाओं का क्रियान्वयन और प्रभाव कई चुनौतियों का सामना कर रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बीमा के बारे में जागरूकता की कमी एक प्रमुख समस्या है। अधिकतर ग्रामीण लोग इन योजनाओं के लाभों, उपयोग की प्रक्रिया, और इसके तहत कवर की जाने वाली सेवाओं से अनभिज्ञ हैं। इसके परिणामस्वरूप, पॉलिसी धारक इन योजनाओं का समुचित लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसके अलावा, बीमा पॉलिसी के तहत प्रीमियम भुगतान में कठिनाई, स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित पहुँच, और दावों की स्वीकृति में देरी जैसी समस्याएँ भी पॉलिसी धारकों के लिए चुनौती बन गई हैं। सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बीच समन्वय की कमी, जटिल दावों की प्रक्रिया, और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में असमानता ने इन समस्याओं को और अधिक गंभीर बना दिया है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने इंदौर संभाग में स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया है। इन योजनाओं ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को बढ़ावा दिया है। हालांकि, अभी भी इन योजनाओं के लाभों को प्रभावी बनाने और अधिक व्यापक पहुँच प्रदान करने के लिए कई सुधारों की आवश्यकता है। जागरूकता अभियान, सरल प्रक्रियाएँ, और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार इन योजनाओं को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। यह अध्ययन इन चुनौतियों और उनके समाधान की दिशा में एक सार्थक कदम है।

भारतीय संस्कृति और सभ्यता में बीमा की भूमिका

भारतीय संस्कृति और सभ्यता में बीमा की भूमिका एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में विकसित हुई, जो न केवल आर्थिक सुरक्षा का साधन थी, बल्कि समाज में आपसी सहयोग और जिम्मेदारी का आधार भी थी। प्राचीन भारत में बीमा की अवधारणा समाज के विभिन्न वर्गों में व्यापक रूप से प्रचलित थी, जहां बीमा केवल वित्तीय जोखिमों का प्रबंधन नहीं करता था, बल्कि यह सामूहिक सुरक्षा, आपसी सहयोग और सामाजिक स्थिरता का प्रतीक भी था। कौटिल्य के अर्थशास्त्रमें बीमा के प्राथमिक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है, जो व्यापारिक गतिविधियों और कृषि से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए सामूहिक संसाधनों के उपयोग की बात करते हैं। भारतीय समाज में बीमा की पारंपरिक प्रणालियाँ, जैसेसहकारी समितियाँऔरसाझा निधि, गाँवों और समुदायों में सामूहिक सहायता और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देती थीं। इन प्रणालियों के माध्यम से, समाज में सुरक्षा की भावना और आपसी समर्थन का तंत्र मजबूत होता था। इसके अलावा, भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएँ भी बीमा की भूमिका को मान्यता देती थीं, जहाँदान, यज्ञ, औरसंगठनोंके माध्यम से सामूहिक रूप से संकटों का सामना किया जाता था। इस प्रकार, बीमा भारतीय समाज में एक सामाजिक बंधन के रूप में कार्य करता था, जो न केवल आर्थिक सुरक्षा बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देता था।

पारंपरिक भारतीय बीमा प्रणालियाँ

भारत में बीमा की पारंपरिक प्रणालियाँ विशेष रूप से समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं के अनुरूप विकसित हुई थीं, जो प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय समाज के विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थीं। इन प्रणालियों का उद्देश्य केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना नहीं था, बल्कि यह सामूहिक जिम्मेदारी, सहयोग और सामाजिक रिश्तों को भी मजबूत करने का कार्य करती थीं। ये प्रणालियाँ मुख्य रूप से कृषि, व्यापार, समुद्री यात्रा और व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित जोखिमों को प्रबंधित करती थीं। पारंपरिक बीमा प्रणालियाँ भारतीय समाज में गहरे सामाजिक बंधनों और आपसी सहयोग की भावना को बढ़ावा देती थीं।

1. कृषि बीमा और ग्रामीण समाज

भारत के अधिकांश हिस्सों में कृषि जीवनयापन का प्रमुख साधन था, और कृषि से जुड़े जोखिमों से निपटने के लिए बीमा की विभिन्न प्राचीन प्रणालियाँ विकसित हुई थीं। प्राचीन भारतीय समाज में कृषि से जुड़े संकटों, जैसे सूखा, बाढ़, कीटों के हमले, और खराब मौसम से होने वाले नुकसान से बचने के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रणालियाँ मौजूद थीं। इन प्रणालियों का उद्देश्य किसानों को आपातकालीन परिस्थितियों में वित्तीय सहायता प्रदान करना था। कृषि बीमाके रूप में किसानों द्वारा साझा पूंजी में योगदान देना और आपसी सहायता के माध्यम से नुकसान की स्थिति में सहयोग करना एक सामान्य प्रथा थी। इन प्रणालियों में आमतौर पर गांवों में एक समग्र बंधन और समर्थन की भावना होती थी, जहां किसान एक-दूसरे की मदद करते थे। इसके अलावा, धार्मिक ग्रंथों और सामाजिक कृतियों में भी कृषि संकटों के समय सहयोग और सहमति की प्रथाएँ शामिल थीं, जो कृषि आधारित बीमा प्रणालियों के रूप में कार्य करती थीं।

2. व्यापारी बीमा और समुद्र व्यापार

प्राचीन भारत में व्यापार और व्यापारियों का बड़ा महत्व था, और समुद्र मार्गों के माध्यम से व्यापार विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। प्राचीन भारतीय व्यापारिक समुदायों ने समुद्री यात्रा और व्यापार में आने वाले खतरों से निपटने के लिए एक प्रकार के बीमा तंत्र का निर्माण किया था। इस तंत्र के अंतर्गत व्यापारी समुद्र यात्रा करने से पहले अपने सामान और जान-माल की सुरक्षा के लिए सामूहिक रूप से योगदान करते थे। यदि यात्रा के दौरान कोई अनहोनी घटित होती थी, तो इस बीमा प्रणाली के माध्यम से व्यापारी समुदाय एक-दूसरे की मदद करता था। समुद्री बीमा का यह प्रारंभिक रूप व्यापारियों को व्यापारिक जोखिमों से निपटने में सहायता प्रदान करता था, जैसे जहाज डूबना या लूटपाट की स्थिति में। इसके अलावा, व्यापारी बीमा का एक अन्य रूपसाझा पूंजीथा, जिसमें कई व्यापारी अपने-अपने संसाधनों को एकत्र करके सामूहिक जोखिम को वितरित करते थे। यह व्यवस्था व्यापारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा और आपसी सहयोग का मजबूत आधार बनाती थी।

3. बीमा के प्राचीन रूपः साझा निधि, सहकारी समितियाँ

भारत में प्राचीन काल से हीसाझा निधिऔरसहकारी समितियाँजैसे बीमा के प्रारंभिक रूप विकसित हुए थे। इन प्रणालियों के तहत, समाज के सदस्य एक निश्चित राशि को एकत्रित करते थे, जिसे संकट या आपदा की स्थिति में उपयोग में लाया जाता था। साझा निधि और सहकारी समितियाँ न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती थीं, बल्कि ये सामूहिक जिम्मेदारी और समाज में सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देती थीं। विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, ये प्रणालियाँ किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए जीवन रक्षक होती थीं, जो व्यक्तिगत स्तर पर वित्तीय संकटों से जूझते थे। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी सदस्य की फसल बर्बाद हो जाती थी, तो साझा निधि के माध्यम से उसे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। इसके अलावा, सहकारी समितियाँ भी आज के बीमा की तरह कार्य करती थीं, जिसमें समाज के लोग आपसी सहायता और पूंजी जुटाकर जोखिमों का सामना करते थे।

4. सामूहिक जिम्मेदारी और आपसी सहायता की परंपराएँ

भारत में सामूहिक जिम्मेदारी और आपसी सहायता की परंपराएँ प्राचीन काल से ही प्रचलित रही हैं। यह परंपरा समाज की स्थिरता और सहयोग को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इन परंपराओं में एक व्यक्ति के संकट में दूसरे व्यक्ति द्वारा सहायता देने की भावना निहित थी, जो बीमा के मूल सिद्धांतों से मेल खाती है। ग्रामीण समाज में, विशेष रूप से दलित और आदिवासी समुदायों में, आपसी सहायता के रूप में बीमा के कार्य करने वाली प्रथाएँ प्रचलित थीं। जब किसी सदस्य का घर जल जाता था या अन्य किसी आपदा में उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती थी, तो समुदाय के सदस्य अपने-अपने संसाधनों से मदद करते थे। यह एक प्रकार से अनौपचारिक बीमा व्यवस्था थी, जो सामाजिक बंधन और परस्पर समर्थन को बढ़ावा देती थी। इसके अलावा, यह परंपरा भारतीय समाज में एकता और सहयोग की भावना को मजबूत करती थी, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को यह विश्वास होता था कि संकट की स्थिति में वह अकेला नहीं होगा।

अनुसंधान कार्य प्रणाली

इस अनुभाग में इस अध्ययन में उपयोग की गई अनुसंधान पद्धति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। चयनित अनुसंधान डिजाइन और प्रक्रिया का उपयोग करने का तर्क विस्तार से बताया गया है। अनुसंधान के उद्देश्य और परिकल्पनाएँ, जो अनुसंधान चर (variables) का विश्लेषण करने के लिए बनाई गई हैं, इस अध्याय में प्रमुख रूप से दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, नमूना चयन विधि और प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई है। इस अध्ययन में उपयोग की गई अनुसंधान रणनीति को भी स्पष्ट किया गया है। इस अध्ययन के लिए प्राथमिक डेटा एकत्र करते समय सर्वेक्षण अनुसंधान पद्धति का उपयोग किया गया है, जैसा कि इस अध्याय में वर्णित किया गया है। इसके अलावा, इस अनुसंधान में उपयोग की गई विश्लेषणात्मक विधियों का संक्षिप्त विवरण भी यहाँ प्रस्तुत किया गया है।

अनुसंधान डिजाइन

अनुसंधान डिजाइन का उपयोग अनुसंधान को संरचित करने के लिए किया जाता है और यह दिखाता है कि अनुसंधान परियोजना के सभी प्रमुख घटक, अर्थात् नमूने या समूह, माप, उपचार, कार्यक्रम, और असाइनमेंट विधियाँ, केंद्रीय अनुसंधान प्रश्नों को हल करने के लिए कैसे एक साथ काम करते हैं (अनुसंधान डिजाइन, जो अनुसंधान उद्देश्यों का एक कार्य है, इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है- "एक सेट अग्रिम निर्णयों का, जो मास्टरप्लान के रूप में होता है और आवश्यक जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए विधियों और प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करता है" (Burns vkSj Bush 2002)। एक उपयुक्त अनुसंधान डिजाइन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह डेटा के प्रकार, डेटा संग्रहण तकनीक, नमूना चयन विधि, समय सारणी और बजट निर्धारित करता है (Hair et aस. 2003)। मुख्य रूप से, अनुसंधान डिजाइन अनुसंधान समस्याओं के साथ योजना बनाई गई पद्धति को संरेखित करने में मदद करता है।

डेटा संग्रहण एवं विश्लेषण

नमूना चयनः अध्ययन का क्षेत्र/लक्ष्य जनसंख्या

स्वास्थ्य बीमा आम जनता से संबंधित है, इसलिए अध्ययन का दायरा काफी व्यापक है। यह अध्ययन इंदौर जिले में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों की जनसंख्या को शामिल करेगा। इस जनसंख्या से उचित नमूना चयन किया जाएगा, और चयनित व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार के माध्यम से प्रश्नावली भरी जाएगी।

नमूना चयन तकनीक

नमूना चयन में हम दो प्रकार की तकनीकों का उपयोग करेंगे। प्रारंभ में, एक सुविधा नमूना चयन तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिसके तहत इंदौर संभाग के 8 जिलों में से एक-एक ग्रामीण क्षेत्र का चयन किया गया जो इस प्रकार है इंदौर जिले से बेटमा, बड़वानी जिले से राजपुर, बुरहानपुर जिले से हरदा, धार जिले से मांडव, झाबुआ जिले से मेघनगर, खंडवा जिले से ओंकारेश्वर, खरगोन जिले से महेश्वर और अलीराजपुर जिले से नानपुर ग्रामीण क्षेत्रों को चयनित किया गया। इसके बाद, चयनित क्षेत्रों से डेटा संग्रहण के लिए एक सरल रैंडम सैंपलिंग तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, जो इन क्षेत्रों की पूरी जनसंख्या से किया जाएगा।

नमूना आकार

अध्ययन की विश्वसनीयता के लिए उपयुक्त नमूना आकार चुना जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र से 100 व्यक्तियों को चुना जाएगा। अध्ययन का कुल नमूना आकार 800 होगा।

डेटा विश्लेषण और व्याख्या

डेटा विश्लेषण और व्याख्या शोध प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण हैं, जो डेटा संग्रह और सार्थक निष्कर्षों के निर्माण के बीच पुल का काम करते हैं। यह प्रक्रिया कच्चे डेटा के व्यवस्थित संगठन से शुरू होती है ताकि इसकी सटीकता, पूर्णता और जांच के लिए तत्परता सुनिश्चित हो सके। विभिन्न प्रकार की विश्लेषणात्मक तकनीकों के माध्यम से- बुनियादी वर्णनात्मक सांख्यिकी से लेकर अधिक उन्नत अनुमानात्मक या भविष्य कहनेवाला तरीकों तक- शोधकर्ता डेटा के भीतर पैटर्न, रुझान, संबंध और विसंगतियों को उजागर करने का प्रयास करते हैं। ये अंअनुसंधान उद्देश्यों को संबोधित करने, परिकल्पनाओं का परीक्षण करने और जांच के तहत विषय की जटिलताओं का पता लगाने के लिए आवश्यक हैं। विश्लेषण पूरा होने के बाद, व्याख्या चरण आता है, जिसमें परिणामों को संदर्भ में रखा जाता है और उनके निहितार्थों की पूरी तरह से जांच की जाती है। व्याख्या में विश्लेषित डेटा को मूल शोध प्रश्नों से जोड़ना, निष्कर्षों के व्यापक महत्व को समझना और यह पहचानना शामिल है कि वे मौजूदा साहित्य या सैद्धांतिक रूपरेखाओं के साथ कैसे सरेखित या विपरीत हैं। यह उन बाहरी कारकों पर भी विचार करता है जो परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि निष्कर्ष न केवल डेटा-संचालित हैं बल्कि अध्ययन के संदर्भ में गंभीर रूप से मूल्यांकन भी किए गए हैं। डेटा विश्लेषण और व्याख्या एक साथ मिलकर किसी भी शोध प्रयास की आधारशिला बनाते हैं, क्योंकि वे संख्यात्मक या गुणात्मक डेटा को कार्रवाई योग्य ज्ञान में बदलते हैं, सूचित निर्णय लेने, समस्याओं को हल करने और अकादमिक और व्यावहारिक समझ को आगे बढ़ाने के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। यह व्यापक प्रक्रिया न केवल शोध को मान्य करती है बल्कि व्यापक प्रवचन में इसके योगदान को भी सुनिश्चित करती है, जिससे यह विद्वानों और पेशेवर गतिविधियों का एक अनिवार्य घटक बन जाता है।

जनसांख्यिकीय विश्लेषण

जनसांख्यिकी विश्लेषण अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसमें जनसंख्या की विशेषताओं की जांच करना शामिल है ताकि इसकी संरचना और संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। यह विश्लेषण आयु, लिंग, शिक्षा स्तर, मासिक आय, निवास स्थान और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी रखने जैसी विशेषताओं पर केंद्रित है। इन विशेषताओं का अध्ययन करके, शोधकर्ता उन रुझानों, पैटर्न और संबंधों की पहचान कर सकते हैं जो अध्ययन के तहत जनसंख्या को समझने के लिए आवश्यक हैं।

तालिका 1

आयु की आवृत्ति और प्रतिशत वितरण

क्षेत्र	18–30 वर्ष	31–40 वर्ष	41–50 वर्ष	51 वर्ष से अधिक	कुल
बेटमा	41	35	15	9	100
राजपुर	38	37	19	6	100
हरदा	41	36	13	8	100
मांडव	38	28	16	18	100
मेघनगर	43	29	21	9	100
ओंकारेश्वर	36	36	19	9	100
महेश्वर	35	34	18	13	100
नानपुर	29	26	16	29	100
कुल	301	261	137	101	800
कुल प्रतिशत	37.63	32.63	17.13	12.63	100.00

चित्र 1

आयु की आवृत्ति और प्रतिशत वितरण

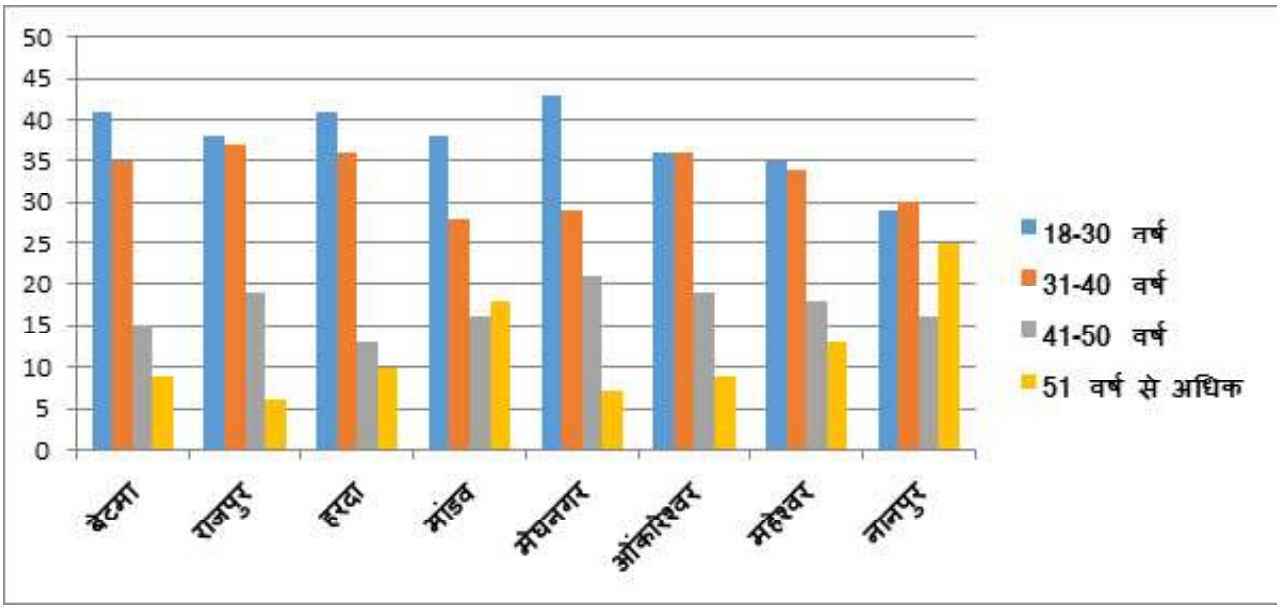

तालिका 1 आठ ग्रामीण क्षेत्रों बेटमा, राजपुर, हरदा, मांडव, मेघनगर, ओंकारेश्वर, महेश्वर और नानपुर में 800-नमूना आबादी का जनसांख्यिकीय विभाजन प्रस्तुत करती है। उत्तरदाता चार आयु समूहों में वर्गीकृत हैं: 18-30 वर्ष, 31-40 वर्ष, 41-50 वर्ष, और 51 वर्ष से अधिक। 18-30 वर्ष समूह में 301 व्यक्ति (37.63 प्रतिशत) के साथ सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है। 31-40 वर्ष समूह में 265 उत्तरदाता (33.13 प्रतिशत) हैं, जबकि 41-50 वर्ष और 51 वर्ष से अधिक समूहों में क्रमशः 137 (17.13 प्रतिशत) और 97 (12. 63 प्रतिशत) व्यक्ति हैं। मेघनगर में 18-30 वर्ष आयु वर्ग में सबसे अधिक आवृत्ति (43) है, जो इसकी युवा जनसांख्यिकीय प्रोफाइल को दर्शाता है। इस आयु समूह का प्रमुख प्रतिनिधित्व सभी क्षेत्रों में है, हालांकि प्रतिशत में अंतर है। वृद्ध आयु समूह (51 वर्ष से अधिक) का सभी क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व है, जिसमें नानपुर में अधिकतम आवृत्ति 25 है।

तालिका 2

लिंग की आवृत्ति और प्रतिशत वितरण

क्षेत्र	पुरुष	महिला	कुल
बेटमा	56	44	100
राजपुर	58	42	100
हरदा	54	46	100
मांडव	65	35	100
मेघनगर	66	34	100
ओंकारेश्वर	63	37	100
महेश्वर	56	44	100
नानपुर	52	48	100
कुल	470	330	800
कुल प्रतिशत	58.75	41.25	100.00

चित्र 2

लिंग की आवृत्ति और प्रतिशत वितरण

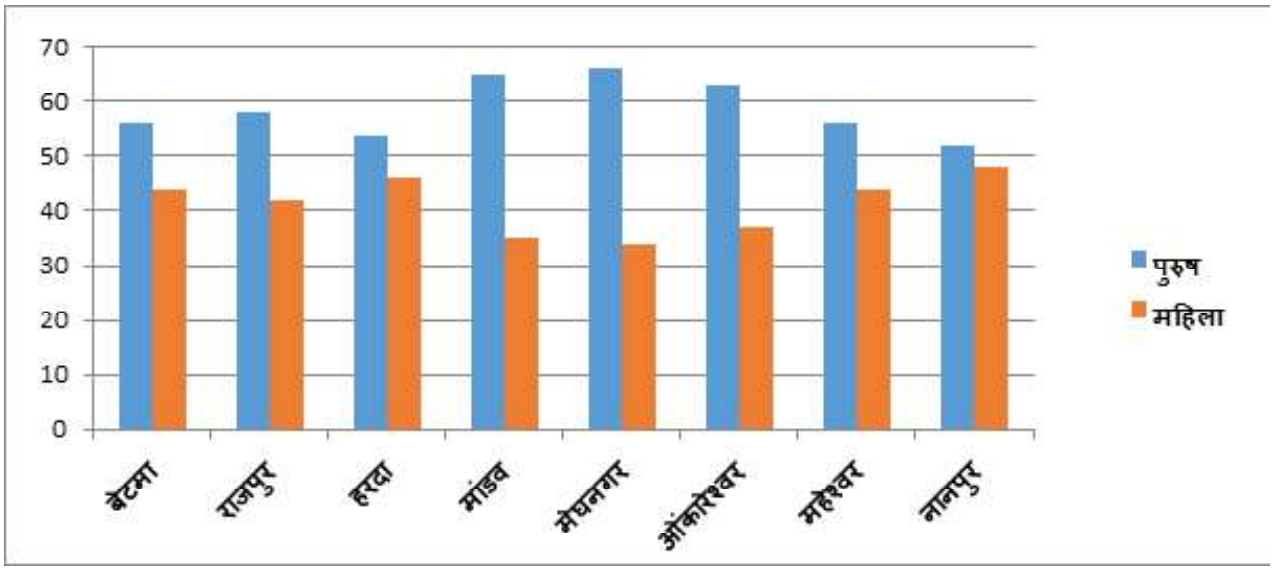

तालिका 2 आठ ग्रामीण क्षेत्रों बेटमा, राजपुर, हरदा, मांडव, मेघनगर, ओंकारेश्वर, महेश्वर और नानपुर में लिंग वितरण को प्रस्तुत करती है, जो कुल 800 व्यक्तियों के नमूने पर आधारित है। सबसे अधिक 66 पुरुष मेघनगर में और सबसे कम 52 पुरुष नानपुर में है वही सबसे अधिक 34 महिला नानपुर में और सबसे कम 34 महिला मेघनगर हैयह डेटा दर्शाता है कि ग्रामीण जनसंख्या में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व है, लेकिन महिलाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है।

तालिका 3

शिक्षा स्तर की आवृत्ति और प्रतिशत वितरण

क्षेत्र	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक	स्नातक	स्नातकोत्तर या उच्चतर	कुल
बेटमा	19	34	28	12	7	100
राजपुर	26	28	24	18	4	100
हरदा	29	26	21	19	5	100
मांडव	21	35	26	14	4	100
मेघनगर	22	29	19	21	9	100
ओंकारेश्वर	24	32	31	8	5	100
महेश्वर	17	36	30	11	6	100
नानपुर	26	34	19	14	7	100
कुल	**184**	**254**	**198**	**117**	**47**	**800**
कुल प्रतिशत	**23.00**	**31.75**	**24.75**	**14.63**	**5.88**	**100.00**

चित्र 3

शिक्षा स्तर की आवृत्ति और प्रतिशत वितरण

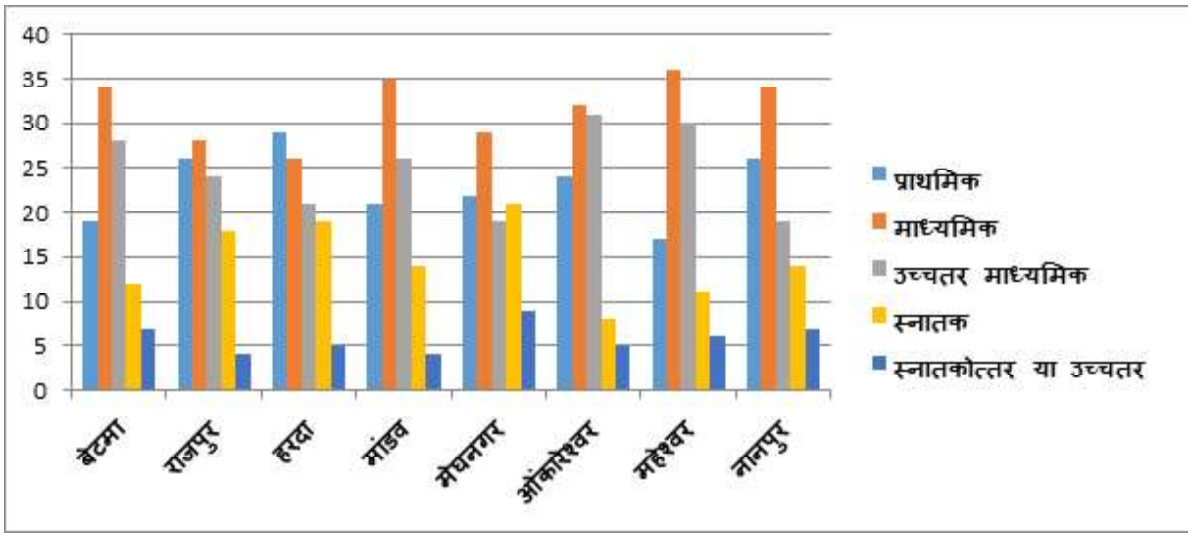

तालिका 3 में आठ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा स्तर का वितरण दिखाया गया है, जिसमें विभिन्न शैक्षिक श्रेणियों के लिए उत्तरदाताओं की संख्या और प्रतिशत दी गई है। कुल 800 व्यक्तियों के नमूने के आधार पर, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, स्नातक और स्नातकोत्तर या उच्चतर स्तर पर आबादी का वितरण प्रस्तुत किया गया है। सबसे अधिक संख्या माध्यमिक शिक्षा 254 (31.75 प्रतिशत) में है, इसके बाद उच्चतर माध्यमिक 198 (24.75 प्रतिशत) और प्राथमिक शिक्षा 184(23.00 प्रतिशत) का प्रतिशत है। स्नातक 117 (14.63 प्रतिशत) और स्नातकोत्तर या उच्चतर 47 (5.88 प्रतिशत) शिक्षा वाले उत्तरदाता कम हैं। प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा का स्तर भिन्न है, लेकिन अधिकांश आबादी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाली है। यह तालिका ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर की विविधता और प्रवृत्तियों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

तालिका 4

मासिक आय की आवृत्ति और प्रतिशत वितरण

क्षेत्र	10,000 रू. से कम	रू.10,000– रू. 20,000	रू.20,000– रू.30,000	रू. 30,000 से अधिक	कुल
बेटमा	43	32	15	10	100
राजपुर	41	38	18	3	100
हरदा	46	38	13	3	100
मांडव	55	29	10	6	100
मेघनगर	39	27	21	13	100
ओंकारेश्वर	46	34	8	12	100
महेश्वर	42	32	18	8	100
नानपुर	48	28	16	8	100
कुल	**360**	**258**	**119**	63	800
कुल प्रतिशत	45.00	32.25	14.88	7.88	100.00

चित्र 4

मासिक आय की आवृत्ति और प्रतिशत वितरण

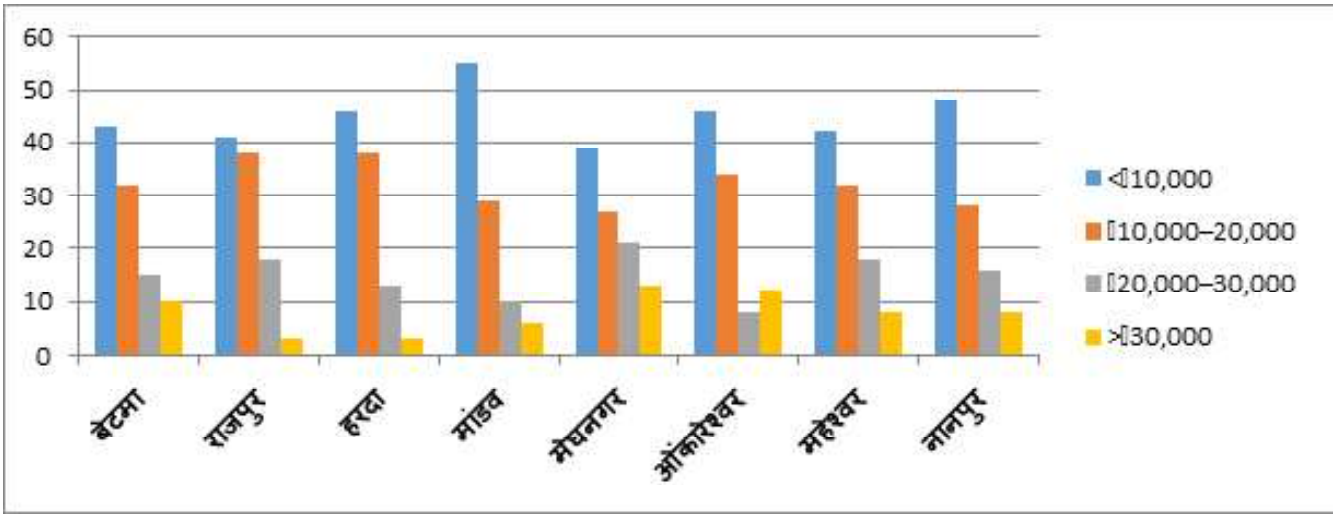

तालिका 4 में आठ ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक आय वितरण दिखाया गया है, जिसमें चार आय श्रेणियां दी गई हैं: 10,000 रू. से कम, रू.10,000- रू. 20,000, रू.20,000- रू.30,000 और रू. 30,000 से अधिक। कुल 800 व्यक्तियों के नमूने पर आधारित, सबसे अधिक की आय 10,000 रू. से कम है, इसके बाद रू.10,000- रू. 20,000 आय श्रेणी में 258 (32.25 प्रतिशत) व्यक्ति का प्रतिनिधित्व है। रू.20,000- रू.30,000 आय श्रेणी में 119 (14.88 प्रतिशत) व्यक्ति और 30,000 से अधिक श्रेणी में केवल 63(7. 88 प्रतिशत) व्यक्ति की आय है। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आय का स्तर कम है, विशेष रूप से 10,000 रू. से कम श्रेणी में, जो इन क्षेत्रों में गरीबी और सीमित आर्थिक अवसरों को दर्शाता है।

तालिका 5

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों की आवृत्ति और प्रतिशत वितरण

क्षेत्र	हाँ	नहीं	कुल
बेटमा	44	56	100
राजपुर	29	71	100
हरदा	31	69	100
मांडव	38	62	100
मेघनगर	36	64	100
ओंकारेश्वर	41	59	100
महेश्वर	39	61	100
नानपुर	34	66	100
कुल	**292**	508	800
कुल प्रतिशत	36.50	63.50	100.00

चित्र 5

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों की आवृत्ति और प्रतिशत वितरण

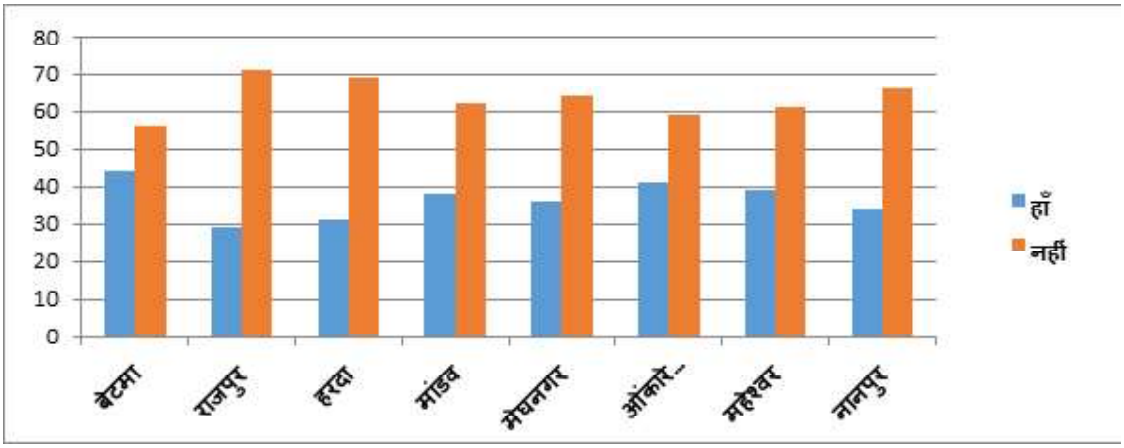

तालिका 4 में आठ ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रश्न के उत्तर का वितरण दिया गया है, जिसमें उत्तरदाताओं ने "हाँ" और "नहीं" के रूप में प्रतिक्रिया दी है। कुल 800 व्यक्तियों के नमूने के आधार पर, 292 (36.50 प्रतिशत) व्यक्ति "हाँ" कहा, जबकि 508 (63.5 प्रतिशत) व्यक्ति ने "नहीं" उत्तर दिया। क्षेत्रवार, बेटमा में सबसे अधिक 44 उत्तरदाता "हाँ" के पक्ष में हैं, इसके बाद ओंकारेश्वर 41 और महेश्वर 39 हैं। वहीं, राजपुर और नानपुर में "नहीं" का प्रतिशत अधिक है, मेघनगर में 71 और ओंकारेश्वर में 66 "नहीं" के पक्ष में हैं। कुल मिलाकर, अधिकांश उत्तरदाता ने "नहीं" उत्तर दिया, जो 55 प्रतिशत है, जबकि 45 प्रतिशत ने "हाँ" कहा। तालिका से निष्कर्ष निकला जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा का विकास अभी बहुत काम है और वर्तमान में बीमा व्यवसाय का क्षेत्र व्यापक है।

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों की वर्तमान स्थिति

स्वास्थ्य बीमा वित्तीय नियोजन का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों और परिवारों को चिकित्सा देखभाल की बढ़ती लागतों से बचाया जाए। हाल के वर्षों में, स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में स्वास्थ्य जागरूकता में वृद्धि, COVID-19 महामारी के प्रभाव और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकारी पहलों के कारण उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। आबादी की विविध स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने में इन पॉलिसियों की पहुँच, सामर्थ्य और पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीधारकों की वर्तमान स्थिति को समझना आवश्यक है।

तालिका 6

स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए वर्तमान स्वास्थ्य बीमा कवरेज की पर्याप्तता की आवृत्ति और प्रतिशत वितरण

क्षेत्र	दृढ़तापूर्वक असहमत	असहमत	तटस्थ	सहमत	दृढ़तापूर्वक सहमत	कुल
बेटमा	23	29	31	12	5	100
राजपुर	18	22	31	16	13	100
हरदा	16	21	41	15	7	100
मांडव	22	20	34	14	10	100
मेघनगर	15	31	26	21	7	100
ओंकारेश्वर	23	26	33	11	7	100
महेश्वर	21	31	31	11	6	100
नानपुर	16	26	26	14	18	100
कुल	**154**	**206**	**253**	**114**	73	800
कुल प्रतिशत	**19.25**	**25.75**	**31.63**	**14.25**	9.13	100.00

चित्र 6

स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए वर्तमान स्वास्थ्य बीमा कवरेज की पर्याप्तता आवृत्ति और प्रतिशत वितरण

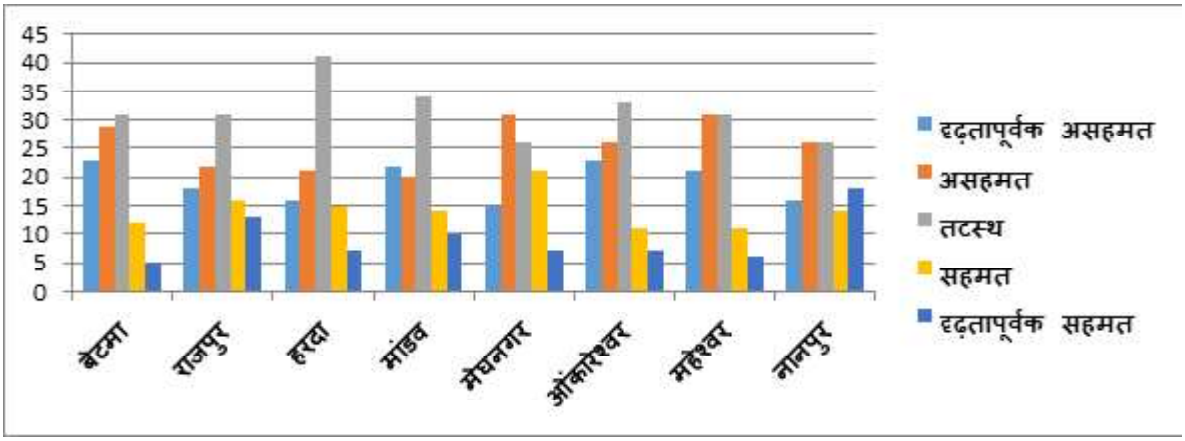

तालिका 6 विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए वर्तमान स्वास्थ्य बीमा कवरेज की पर्याप्तता की आवृत्ति और प्रतिशत वितरण प्रस्तुत करती है। तालिका में आठ स्थानों से डेटा शामिल है: बेटमा, राजपुर, हरदा, मांडव, मेघनगर, ओंकारेश्वर, महेश्वर और नानपुर, प्रत्येक स्थान से 100 उत्तरदाताओं के साथ, कुल 800 उत्तरदाता। प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में, प्रत्येक स्थान पर प्रतिभागियों का सबसे बड़ा अनुपात उनके स्वास्थ्य बीमा कवरेज की पर्याप्तता के बारे में एक तटस्थ रुख व्यक्त करता है। यह सभी स्थानों में "तटस्थ" श्रेणी में उच्चतम प्रतिशत द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें कुल 253(31.88 प्रतिशत) है। यह दर्शाता है कि पॉलिसीधारकों की एक महत्वपूर्ण संख्या को लगता है कि उनका वर्तमान स्वास्थ्य बीमा कवरेज न तो उनकी जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करता है और न ही उन्हें पूरा करने में विफल रहता है। "सहमत" और "असहमत" श्रेणियों में विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई देती हैं, लेकिन कुल मिलाकर, 187(23.38 प्रतिशत) उत्तरदाता इस बात से सहमत हैं कि उनका कवरेज स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करता है, जबकि 360(45 प्रतिशत) असहमत हैं। इससे पता चलता है कि जहाँ कुछ पॉलिसीधारक अपने स्वास्थ्य बीमा से संतुष्ट हैं, वहीं अन्य को लगता है कि यह उनकी जरूरतों के लिए अपर्याप्त है। चरम सीमा पर, उत्तरदाताओं का एक छोटा हिस्सा इस कथन से "पूरी तरह सहमत" (9.13 प्रतिशत) या "पूरी तरह असहमत" (119.25 प्रतिशत) है, जो उनके स्वास्थ्य कवरेज की पर्याप्तता के बारे में अधिक ध्रुवीकृत राय दर्शाता है। डेटा स्वास्थ्य बीमा धारणाओं में क्षेत्रीय भिन्नताओं को उजागर करता है, जिसमें राजपुर और नानपुर जैसे स्थानों में सहमति का प्रतिशत अधिक है।

निष्कर्ष

मध्यप्रदेश के इंदौर संभाग में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों की वर्तमान स्थिति और उनकी चुनौतियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावशीलता को प्रतिबिंबित करती हैं। यह स्पष्ट है कि स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजाइन की गई हैं, लेकिन उनका पूर्ण लाभ उठाने में कई बाधाएँ हैं। जागरूकता की कमी, जटिल दावों की प्रक्रिया, और स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित पहुँच पॉलिसी धारकों के सामने मुख्य चुनौतियाँ हैं। इसके अलावा, प्रीमियम भुगतान में कठिनाई और सरकारी व निजी सेवाओं के बीच समन्वय की कमी ने इन योजनाओं की प्रभावशीलता को सीमित कर दिया है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य बीमा का लाभ पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन योजनाओं ने आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को बेहतर बनाने की दिशा में प्रगति की है। फिर भी, योजनाओं की पहुंच और प्रभाव को व्यापक बनाने के लिए जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, और सरल प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि इन योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रशासनिक सुधार किए जाएँ और स्थानीय स्तर पर बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए, तो स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। इससे न केवल ग्रामीण समुदायों की स्वास्थ्य समस्याएँ हल होंगी, बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

संदर्भ

1. दुग्गल, आर. (2016). "भारत में स्वास्थ्य की राजनीतिक अर्थव्यवस्था: सार्वजनिक स्वास्थ्य बनाम स्वास्थ्य देखभाल।" आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 51(9), 52-61.
2. दुरान, ए., कुटजिन, जे., और मेनाबडे, एन. (2014)। सार्वभौमिक कवरेज चुनौतियों के लिए स्वास्थ्य प्रणाली दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है; भारत का मामला। स्वास्थ्य नीति, 114(2-3), 269-277।

3. दत्ता, ए., और सिन्हा, आर.के. (2013). "ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य बीमा का उपयोग: चुनौतियाँ और अवसर।" इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, 38(3), 151-155.
4. गर्ग, सी.सी., और करण, ए.के. (2009)। "गरीबी कम करने के लिए जेब से किए जाने वाले खर्च को कम करना: भारत में ग्रामीण-शहरी और राज्य स्तर पर एक अलग-अलग विश्लेषण।" स्वास्थ्य नीति और योजना, 24(2), 116-128।
5. गेब्रेमेधिन, टीए, मोहंती, आई., और नियोनसेंगा, टी. (2022)। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा और मातृ स्वास्थ्य देखभाल उपयोग: 2005-2012 माताओं के समूह डेटा से साक्ष्य। बीएमसी प्रेग्नेंसी एंड चाइल्डबर्थ, 22(1), 155।
6. घोष, एस. (2011). "आउट-ऑफ-पॉकेट स्वास्थ्य व्यय के कारण भयावह भुगतान और दरिद्रता।" आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 46(47), 63-70.
7. घोष, एस. (2014). भारत में स्वास्थ्य सेवा उपयोग पैटर्न में रुझान और अंतर. जर्नल ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट, 16(3), 337-363.
8. गोपालकृष्णन, एस., और इमैनुअल, ए. (2017)। ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा की प्रगति: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की आलोचनात्मक समीक्षा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, 5(1), 4-11।
9. गुम्बर, ए. (2002). अनौपचारिक क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य बीमा: समस्याएँ और संभावनाएँ। नई दिल्ली: भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद।
10. गुम्बर, ए., ललिता, एन., और धाक, बी. (2017). भारत में बढ़ती स्वास्थ्य सेवा लागत और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों का विश्लेषण, 1986-2014.
11. गुप्ता, आई., और चौधरी, एस. (2020). "ग्रामीण भारत में जेब से होने वाले खर्च को कम करने में स्वास्थ्य बीमा की भूमिका।" हेल्थ अफेयर्स, 39(1), 123-130.
12. हुड्डा, एस.के. (2017)। भारत में स्वास्थ्य सेवा के लिए जेब से किए जाने वाले भुगतान: सबसे अधिक प्रभावित कौन हैं और क्यों? जर्नल ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट, 19(1), 1-15।
13. हुड्डा, एस.के. (2020)। भारत में सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का प्रवेश और कवरेज। क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी और ग्लोबल हेल्थ, 8(4), 1017-1033।
14. जैन, एन., और कुमार, ए. (2020). "ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बीमा तक पहुँचने में चुनौतियाँ: मध्य प्रदेश से साक्ष्य।" जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, 41(4), 657-668.
15. झा, एस., और भट्टाचार्य, एस. (2018)। "स्वास्थ्य बीमा और ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य संबंधी झटकों से बचाव में इसकी भूमिका।" विश्व विकास, 110, 1-12।

केदारनाथ की कविताओं का आलोचनात्मक अध्ययन

डॉ० नीलू रानी

+2 शिक्षिका, बी.एल.इंटर स्कूल, मुरलीगंज, मधेपुरा

सार:

केदारनाथ (1902-1980) हिन्दी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, जिन्होंने आधुनिक कविता में नया दृष्टिकोण और संवेदनशीलता प्रस्तुत की। उनका साहित्यिक योगदान भारतीय समाज और उसकी जटिलताओं के गहरे अवलोकन पर आधारित है। इस आलोचनात्मक अध्ययन का उद्देश्य केदारनाथ की कविताओं के विभिन्न पहलुओं को समग्र रूप से समझना और उनका विश्लेषण करना है। केदारनाथ की कविताएँ केवल व्यक्तिगत संवेदनाओं तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि समाज, राजनीति, और धर्म के संदर्भ में भी गहरी छानबीन करती हैं। यह अध्ययन उनकी कविता में प्रकृति, प्रेम, जीवन के अनिश्चितता, और अस्तित्व के प्रश्नों पर किए गए चिंतन को उजागर करता है। इसके अलावा, केदारनाथ की कविताओं में यथार्थवादी दृष्टिकोण और कवि की आत्ममूल्यता का विषय भी प्रमुख है। वे अपने समय की सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों के प्रति संवेदनशील थे और उनका काव्य भाषा और रूप के स्तर पर नयापन प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन में उनके प्रमुख काव्यसंग्रहों जैसे 'अशांति' और 'विप्लव' की कविताओं का गहन विश्लेषण किया गया है, जिसमें उनकी कविताओं के प्रतीकात्मक और रूपक प्रयोग, विचारधारात्मक दृष्टिकोण, और उनके काव्य के संगीतात्मक गुणों पर चर्चा की गई है। इस आलोचनात्मक अध्ययन के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि केदारनाथ की कविताओं में केवल संवेदना ही नहीं, बल्कि गहरी बौद्धिकता और यथार्थ का संगम है। उनका काव्य भारतीय काव्यधारा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो साहित्यिक परंपरा से जुड़ते हुए आधुनिकता और भविष्य की संभावनाओं के बीच सेतु का कार्य करता है।

मुख्य शब्द- केदारनाथ, कविता, आलोचनात्मक अध्ययन, यथार्थवाद, सामाजिक-राजनीतिक, प्रतीकवाद, अस्तित्व, प्रेम, आधुनिक कविता।

परिचय:

केदारनाथ (1902-1980) हिन्दी कविता के महत्वपूर्ण और अनूठे कवि रहे हैं, जिनका साहित्य भारतीय समाज, संस्कृति, और जीवन के जटिलताओं का गहन और संवेदनशील चित्रण करता है। केदारनाथ का काव्य जीवन और समाज की निरंतर बदलती हुई स्थितियों पर आधारित था, जो अपनी विविधता और गहराई में भारतीय काव्यधारा में एक नया मोड़ प्रस्तुत करता है। वे एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक स्थितियों को अपने काव्य में निरंतर प्रतिबिंबित किया, और साथ ही अपनी कविताओं में उन समस्याओं, प्रश्नों और विचारों को उकेरा जो उनकी संवेदनाओं और दृष्टिकोणों से निकले थे। उनकी कविता में व्याप्त गहन यथार्थवाद, समाज की विकृतियों पर तीव्र आलोचना, अस्तित्व और मानवता के मूलभूत प्रश्न, और जीवन की अनिश्चितताओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें हिन्दी कविता के विशिष्ट कवियों में स्थान दिलवाया। केदारनाथ की कविता में प्रकृति का चित्रण केवल प्राकृतिक दृश्यात्मकता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वे प्राकृतिक रूपक के माध्यम से मानवीय भावनाओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं का अति सूक्ष्म विश्लेषण करते थे। उनके काव्य में प्रकृति, प्रेम, मृत्यु, आत्म-संघर्ष, और जीवन के भटकते रास्तों के प्रश्नों का विश्लेषण किया गया है, जो उनके समय की सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों से गहरे जुड़े हुए थे।

काव्य दृष्टिकोण और शिल्प

केदारनाथ की कविताओं का शिल्प सरल, स्वाभाविक और गहरे भावों से भरा हुआ था। उन्होंने कभी भी कविता के शास्त्रीय रूप और कथात्मकता में बंधकर नहीं लिखा। उनका काव्य प्रेम, अस्तित्ववाद, दु:ख, संघर्ष और जिजीविषा के विभिन्न पहलुओं को निरूपित करता है। उनका काव्य न केवल व्यक्तिगत अनुभव और संवेदनाओं से प्रेरित था, बल्कि समकालीन समाज और राजनीति की जटिलताओं पर भी गहरी प्रतिक्रिया था। उनकी कविताओं में व्याप्त उर्दू और हिंदी साहित्य के तत्वों का अद्‌भुत संयोजन था, जो उन्हें अपनी समकालीन कविता से अलग और विशेष बनाता था।

केदारनाथ की कविता में एक स्पष्ट यथार्थवाद था, जो समाज की सच्चाइयों, उसकी समस्याओं और उत्पीड़न को चित्रित करता था। उनकी कविता में स्पष्ट रूप से उन पीड़ाओं और संघर्षों का बयान मिलता है, जिनसे वे और उनके समकालीन गुजर रहे थे। वे केवल

समाज के बारे में नहीं, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक स्थिति और उसकी मानसिक परिघटनाओं पर भी गहरे विचार करते थे। उनके काव्य का यह पक्ष उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण को व्यक्त करता है, जहां पर वे केवल बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि अंदर की दुनिया को भी समझने की कोशिश करते थे।

केदारनाथ की कविता में प्रतीकवाद और रूपक

केदारनाथ की कविताओं में प्रतीकवाद और रूपक का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से गहरे विचारों और मनोवृत्तियों का चित्रण किया। उनकी कविता में प्रतीक और रूपक न केवल भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम बने, बल्कि वे सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों में भी विचारधाराओं को अभिव्यक्त करने के लिए उपयोग किए गए। उनका काव्य शास्त्रीय रूपों से हटकर था, जो कवि की स्वतंत्रता और व्यक्तित्व को दर्शाता था।

समाज और राजनीति के प्रति दृष्टिकोण

केदारनाथ की कविताओं का एक महत्वपूर्ण पक्ष उनकी समाज और राजनीति के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि था। वे अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक असमानताओं, सामाजिक बुराइयों और विषमताओं के प्रति जागरूक थे और उन्होंने अपनी कविताओं में इनका विरोध किया। उन्होंने संघर्षरत समाज और दलितों की आवाज को अपनी कविता में प्रमुखता दी। उनका काव्य समकालीन समय के सामाजिक संकट, आर्थिक विषमता, राजनीतिक अस्थिरता और मानवीय त्रासदी के प्रति एक विद्रोही प्रतिक्रिया था। उनकी कविता में मानवता की पुकार, समाज की दिशा और उद्देश्य पर गहरा प्रश्न था। वे न केवल राजनीतिक आलोचना करते थे, बल्कि वे उन मानसिकता और सांस्कृतिक विचारधाराओं की भी आलोचना करते थे, जो समाज को बुराई की ओर धकेलती थीं। उनके कविताओं में इस प्रकार का दर्शन था कि समाज की उन्नति और विकास का रास्ता व्यक्तिगत रूप से सही सोच और विचारधारा से होकर गुजरता है।

केदारनाथ की कविता की विशेषताएँ

भावनात्मक गहराई केदारनाथ की कविताओं में गहरी भावनात्मकता होती थी, जो जीवन की जटिलताओं, दुखों और संघर्षों को व्यक्त करती थी। उनके काव्य में आत्मसंघर्ष और अस्तित्व की भावना प्रमुख थी। यथार्थवाद उनकी कविता में यथार्थवाद का प्रभाव था। वे जीवन की वास्तविकताओं, सामाजिक बुराइयों और संघर्षों को बिना किसी आडंबर के प्रस्तुत करते थे। प्राकृतिक रूपक वे प्रकृति का रूपक बनाकर मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करते थे। उनके कविताओं में प्रकृति से जुड़ी छवियाँ गहरे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम बनती थीं। आध्यात्मिकता और धर्म उनके काव्य में धर्म और आध्यात्मिकता के प्रति एक सवालिया दृष्टिकोण था। वे अपने समय की धार्मिक और सांस्कृतिक असमानताओं को चुनौती देते थे। केदारनाथ की कविता एक गहरे और बारीक दृष्टिकोण से जीवन, समाज और मानवता को देखती है। उनकी कविता में जहां एक ओर संवेदनाओं की गहरी धाराएँ थीं, वहीं दूसरी ओर वे समाज और राजनीति के संदर्भ में व्याप्त असमानताओं और अन्याय पर तीव्र टिप्पणी भी करते थे। उनका काव्य न केवल व्यक्तिगत अनुभव से प्रेरित था, बल्कि उन्होंने अपने समय के राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य को भी अपनी कविता में स्थान दिया। उनका साहित्य न केवल एक काव्यात्मक धारा का निर्माण करता है, बल्कि समकालीन समाज और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को उजागर करने का कार्य भी करता है। केदारनाथ की कविता हिन्दी साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी है और आज भी वह पाठकों और आलोचकों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय बनी हुई है।

केदारनाथ की कविता में प्रतीकवाद और रूपक

केदारनाथ की कविताओं में प्रतीकवाद और रूपक का उपयोग एक महत्वपूर्ण काव्यात्मक उपकरण के रूप में हुआ है। प्रतीक और रूपक न केवल उनकी कविता के शिल्प को समृद्ध करते हैं, बल्कि वे गहरे विचारों, आंतरिक संघर्षों और मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करने का प्रभावी तरीका भी बनते हैं।

प्रतीकवाद

केदारनाथ की कविताओं में प्रतीक केवल साहित्यिक सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि जीवन के गहरे और जटिल अनुभवों को व्यक्त करने के लिए थे। उनका प्रतीकवाद सरल और स्पष्ट न होकर, मानवीय भावनाओं और जीवन की अनिश्चितताओं का उद्घाटन करता है। जैसे कि, उनका 'अंधकार' या 'रात्रि' का प्रतीक, संघर्ष, भ्रम और अस्तित्व की जटिलता को दर्शाता है। इसी प्रकार 'प्रकाश' या 'सपने' जीवन के नए मार्ग, आशा और परिवर्तन के प्रतीक बनते हैं।

रूपक

रूपक का प्रयोग केदारनाथ ने गहरे आंतरिक भावों को व्यक्त करने के लिए किया। उनके काव्य में रूपक प्रकृति, जीवन, प्रेम और मृत्यु के विभिन्न पहलुओं के माध्यम से आते हैं। उदाहरण के लिए, 'समुद्र' का रूपक वे जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों के रूप में प्रयोग करते थे, जबकि "वृक्ष" का रूपक जीवन की स्थिरता और जड़ता का प्रतीक होता था। इस प्रकार, केदारनाथ का रूपक उनके कविता की गहराई को दर्शाता है, और वह किसी भी सामान्य दृश्य को एक नए आयाम से जोड़कर प्रस्तुत करते थे।

समाज और राजनीति के प्रति दृष्टिकोण

केदारनाथ की कविताएँ केवल व्यक्तिगत संवेदनाओं तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे समाज और राजनीति के प्रति अपनी गहरी सोच और आलोचना को भी उजागर करती थीं। उनका काव्य समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को व्यक्त करने का माध्यम था।

सामाजिक आलोचन

केदारनाथ की कविताओं में समाज की असमानताओं और उसे प्रभावित करने वाली संरचनाओं के प्रति तीव्र आलोचना दिखाई देती है। उन्होंने अपने समय की सामाजिक विषमताओं, आर्थिक असमानताओं, और निम्नवर्गीय जीवन की त्रासदी को स्पष्ट रूप से चित्रित किया। उनका दृष्टिकोण समाज में व्याप्त अन्याय, असमानता, और अव्यवस्था के खिलाफ था। उनके लिए कविता का उद्देश्य सिर्फ सौंदर्य की प्रस्तुति नहीं था, बल्कि समाज की गहरी और विद्रूप तस्वीर को प्रस्तुत करना था।

राजनीतिक दृष्टिकोण

केदारनाथ की कविताओं में राजनीतिक दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने काव्य में समय-समय पर सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की आवश्यकता की बात की। वे न केवल स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय जागरण के समर्थक थे, बल्कि उन्होंने सामाजिक सुधारों की भी आवश्यकता महसूस की। उनके लिए, राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं था, बल्कि यह लोगों के जीवन की गुणवत्ता और उनके मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा था। वे अपनी कविता के माध्यम से समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अन्याय, और असमानता के खिलाफ आवाज उठाते थे।

आध्यात्मिक और धर्म के प्रति दृष्टिकोण

केदारनाथ ने धार्मिक विश्वासों और आध्यात्मिकता के प्रति एक सवालिया दृष्टिकोण भी रखा। वे मानते थे कि धर्म के नाम पर समाज को शोषण और असमानता की ओर धकेलने के बजाय, इसे मानवता के कल्याण और सत्य के प्रचार का साधन बनाना चाहिए। उनका धर्म और आध्यात्मिकता के प्रति दृष्टिकोण अधिकतर व्यक्तिगत और विवेकाधीन था, जिसमें वे धर्म को जीवन के अनुभव और संघर्षों से जोड़ते थे, न कि केवल शास्त्रों और परंपराओं के माध्यम से।

केदारनाथ की कविता की विशेषताएँ

केदारनाथ की कविताओं की विशेषताएँ उनके काव्य के शिल्प, विषय, और दृष्टिकोण में विविधता और गहराई को दर्शाती हैं। उनकी कविता में जिन प्रमुख विशेषताओं का अभिव्यक्तिकरण हुआ है, वे निम्नलिखित हैं।

गहन भावनात्मकता

केदारनाथ की कविता में गहरी भावनाएँ और संवेदनाएँ होती थीं। उनका काव्य केवल बाहरी घटनाओं का चित्रण नहीं करता, बल्कि मानव जीवन की जटिलताओं, मानसिक संघर्षों और अस्तित्व के संकटों को भी व्यक्त करता है। वे आंतरिक विचारों और आत्म-विश्लेषण के माध्यम से अपनी कविता में भावनाओं की गहरी परतें खोलते हैं।

यथार्थवाद

उनकी कविता में यथार्थवाद का प्रभाव स्पष्ट था। वे जीवन के कड़े और कठिन पहलुओं को बिना किसी आदर्शवादी रंग-रूप के प्रस्तुत करते थे। समाज की जटिलताओं, विषमताओं और संघर्षों को वे सच्चाई के रूप में सामने लाते थे। केदारनाथ की कविताओं में यह यथार्थवाद बिना कोई आडंबर या शृंगारीता के प्रभावी रूप में आता है, जो समाज के भीतर व्याप्त असमानताओं और अन्याय का आलोचनात्मक अवलोकन प्रस्तुत करता है।

प्राकृतिक रूपक और चित्रण

केदारनाथ ने प्राकृतिक रूपकों का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है, जिनमें प्रकृति के तत्व (जैसे आकाश, पृथ्वी, वृक्ष, और नदियाँ) मानवीय भावनाओं और जीवन के अनगिनत पहलुओं के प्रतीक के रूप में काम करते हैं। प्रकृति का चित्रण उनके काव्य में न केवल दृश्यात्मक रूप से आकर्षक होता था, बल्कि वह गहरे भावनात्मक और दार्शनिक विचारों को व्यक्त करने का भी एक प्रभावी साधन बनता था।

आध्यात्मिकता और अस्तित्व के प्रश्न

केदारनाथ की कविता का एक महत्वपूर्ण पहलू उनकी आध्यात्मिकता और अस्तित्व के प्रश्नों पर उनकी चिंतनशीलता थी। वे जीवन के अर्थ, उद्देश्य, और मानवता के स्थान पर गहरे सवाल उठाते थे। उनके काव्य में जीवन की अस्थिरता, मृत्यु का भय और आत्म-संघर्ष के विषय बार-बार सामने आते हैं, जिससे उनकी कविता जीवन और अस्तित्व के गहरे विचारों से जुड़ी रहती है।

संगीतात्मकता और भाषाशिल्प

उनके काव्य में संगीतात्मकता और शब्दों की चयन की अनोखी शैली है, जो कविता को रसपूर्ण और प्रवाहमय बनाती है। उनके काव्य में भाषा का सुंदर प्रयोग, उच्चारण की लय, और शब्दों के संयोजन से गहरी अर्थवत्ता का निर्माण होता है। यह उनके शिल्प का एक महत्वपूर्ण तत्व था, जिसने उनकी कविता को और भी प्रभावी बना दिया।

संवेदनशील सामाजिक दृष्टिकोण

केदारनाथ की कविता में एक स्पष्ट सामाजिक दृष्टिकोण था, जिसमें उन्होंने समाज में व्याप्त विषमताओं, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उनका काव्य यह दर्शाता है कि केवल व्यक्तिगत अनुभवों से आगे बढ़कर, समाज और राजनीति की बड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सकता है।

साहित्य की समीक्षा

केदारनाथ (1902-1980) हिन्दी कविता के एक प्रमुख कवि थे जिन्होंने भारतीय समाज और जीवन के विभिन्न पहलुओं को अपनी कविताओं में चित्रित किया। उनके काव्य में यथार्थवाद, प्रतीकवाद, रूपक, और अस्तित्ववाद जैसी दार्शनिक धाराओं का समावेश था। उनका काव्य केवल व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज और राजनीति की समस्याओं, अस्तित्व के सवालों, और प्रेम के जटिल रूपों पर भी गहरी छानबीन करता था। केदारनाथ की कविताओं का आलोचनात्मक अध्ययन विभिन्न साहित्यकारों, आलोचकों और शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है, जो उनकी कविताओं को सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक, और काव्यात्मक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं। इस संदर्भ में प्रमुख समीक्षाएँ और विचार निम्नलिखित हैं।

शंकर शर्मा (1995)- 'हिन्दी कविता का इतिहासरू आधुनिक काल' शंकर शर्मा की यह पुस्तक हिन्दी कविता के आधुनिक युग के महत्वपूर्ण कवियों का विश्लेषण करती है, जिसमें केदारनाथ का काव्य भी शामिल है। वे केदारनाथ की कविताओं को यथार्थवाद, प्रतीकवाद और रूपक के माध्यम से समाज के गहरे प्रश्नों को उजागर करने वाली मानते हैं। वे बताते हैं कि केदारनाथ की कविता समाज की विषमताओं, असमानताओं, और जीवन की कठिनाइयों को व्यक्त करती है, जिसमें उनकी मानवता और आलोचनात्मक दृष्टिकोण की गहरी समझ झलकती है। यह समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि केदारनाथ की कविता न केवल सौंदर्यात्मक नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।

रामनिवास सिंह (1988)- 'केदारनाथ की कविता, एक विश्लेषण' रामनिवास सिंह ने केदारनाथ की कविता के विभिन्न आयामों का विश्लेषण किया है। उन्होंने उनके काव्य में यथार्थवाद की प्रमुख भूमिका को स्वीकार करते हुए इसे सामाजिक असमानताओं और जीवन के कड़े यथार्थ का चित्रण माना है। उनके अनुसार, केदारनाथ की कविता में प्रतीकवाद और रूपक का गहरा प्रयोग है जो जीवन की जटिलताओं, अस्तित्व के संकट, और मानव जीवन के निरंतर संघर्ष को व्यक्त करता है। वे केदारनाथ की कविता को जीवन की सच्चाइयों को स्वीकार करने और उसे कलात्मक रूप में प्रस्तुत करने का एक साधन मानते हैं।

रवीन्द्रनाथ पांडेय (1992)- 'हिन्दी कविता में आधुनिकता और केदारनाथ' रवीन्द्रनाथ पांडेय के अनुसार, केदारनाथ की कविता आधुनिकता की एक सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने केदारनाथ की कविता को समकालीन समाज और राजनीति के संदर्भ में समझने की कोशिश की है। पांडेय का कहना है कि केदारनाथ ने अपने काव्य के माध्यम से न केवल जीवन के निजी पहलुओं को चित्रित किया, बल्कि उन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को भी उजागर किया जो उनके समय में प्रमुख थे। उनका काव्य सामाजिक आलोचना

और राजनीतिक जागरूकता का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता है। पांडेय के अनुसार, केदारनाथ की कविताएँ केवल व्यक्तिगत काव्यात्मक व्यक्तित्व का विस्तार नहीं, बल्कि समकालीन समय की गहरी सच्चाईयों को दर्शाती हैं।

इंद्रेश शुक्ल (2003)- 'केदारनाथ, जीवन और काव्य' इंद्रेश शुक्ल ने केदारनाथ के जीवन और उनके काव्य की गहरी समीक्षा की है। उनका मानना है कि केदारनाथ की कविताएँ आध्यात्मिक और अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से भी भरी होती हैं। वे जीवन के अर्थ, उद्देश्य और मानव अस्तित्व के प्रश्नों पर विचार करते हैं। शुक्ल ने उनकी कविता में जीवन की अस्थिरता, आत्म-संघर्ष और सामाजिक असमानता के बीच के अंतर्संबंध को उजागर किया है। शुक्ल के अनुसार, केदारनाथ की कविता में एक निरंतर आध्यात्मिक खोज और मानवीय संवेदनाएँ दिखती हैं, जो उसे एक गहरे और सोच-समझकर रचित काव्य बनाती हैं।

ममता वर्मा (2010)- 'केदारनाथ की कविता और आधुनिक काव्यधारा' ममता वर्मा ने केदारनाथ की कविताओं में आधुनिक काव्यधारा के तत्वों को उजागर किया है। वर्मा के अनुसार, केदारनाथ की कविताएँ केवल एक कवि की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नहीं हैं, बल्कि वे अपने समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थतियों पर गहरा प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं। वे समाज में व्याप्त असमानता और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कविता में कटाक्ष करते हैं। वर्मा ने उनके काव्य में प्रतीकवाद और रूपक का महत्व बताया और इस बात पर जोर दिया कि ये काव्य उपकरण केदारनाथ के गहरे विचारों और संवेदनाओं को व्यक्त करने में मदद करते हैं।

बलराज कुमार (1997)- 'हिन्दी कविता में यथार्थवाद और केदारनाथ' बलराज कुमार ने केदारनाथ की कविताओं के यथार्थवादी स्वरूप पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने यह माना कि केदारनाथ की कविताओं में जीवन की कच्ची सच्चाइयाँ और समाज की वास्तविक स्थितियाँ प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं। उनका यह भी कहना था कि केदारनाथ ने अपने काव्य के माध्यम से केवल व्यक्तिगत संघर्षों को नहीं, बल्कि सामाजिक संघर्षों को भी उजागर किया है। केदारनाथ की कविता समाज के असमान ढांचे और जीवन के कठोर यथार्थ से जूझते हुए उसे समाज में सुधार की आवश्यकता की ओर संकेत करती है।

नरेंद्र कवि (2001)- 'समाज और कविता केदारनाथ का दृष्टिकोण, नरेंद्र कवि ने केदारनाथ के काव्य में सामाजिक-राजनीतिक दृष्टिकोण का अध्ययन किया है। उनके अनुसार, केदारनाथ की कविता में समाज के संकटों और राजनीतिक असमानताओं पर गहरी प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है। वे अपनी कविता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस करते हैं और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उनका काव्य प्रतिक्रिया और संघर्ष की भावना को व्यक्त करता है, जो समाज में व्याप्त भेदभाव और असमानता के खिलाफ है।

रामचन्द्र द्विवेदी (1994)- 'केदारनाथ और उनके काव्यरू एक आलोचनात्मक दृष्टि' रामचन्द्र द्विवेदी ने केदारनाथ की कविताओं का आलोचनात्मक अध्ययन करते हुए उनके प्रतीकवाद, रूपक और काव्यशिल्प पर विचार किया है। उन्होंने यह बताया कि केदारनाथ के काव्य में न केवल व्यक्तिगत संवेदनाएँ और जीवन के प्रश्न आते हैं, बल्कि उनके कवि होने के नाते उन्होंने समाज और जीवन की गहरी सच्चाइयों को कविता के माध्यम से व्यक्त किया। द्विवेदी के अनुसार, केदारनाथ की कविता में प्रतीक और रूपक एक गहरे प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं, जो कविता को एक नया आयाम प्रदान करते हैं। केदारनाथ की कविताओं का आलोचनात्मक अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया गया है, जो उनके काव्य के बहुआयामी स्वरूप को उजागर करता है। उनके काव्य में यथार्थवाद, प्रतीकवाद, रूपक, आध्यात्मिकता, और सामाजिक-राजनीतिक दृष्टिकोण की गहरी समझ दिखती है। आलोचकों ने उनके काव्य को न केवल सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में देखा है, बल्कि उनकी कविता के अस्तित्ववादी, प्रेम और जीवन के गहरे सवालों पर भी विचार किया है। केदारनाथ की कविता समकालीन समाज और राजनीति के बृहद विश्लेषण के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

शोध के उद्धेश्य

केदारनाथ की कविताएँ हिन्दी साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान रखती हैं, और उनके काव्य में समाज, राजनीति, अस्तित्व और प्रेम के जटिल विषयों पर गहरे विचार किए गए हैं। इस आलोचनात्मक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य उनकी कविताओं के विभिन्न पहलुओं की गहराई से समीक्षा और विश्लेषण करना है। निम्नलिखित उद्देश्य इस अध्ययन के प्रमुख घटक हैं।

1. केदारनाथ की कविता में यथार्थवाद का विश्लेषण करना।
2. प्रतीकवाद और रूपक के महत्व का अध्ययन करना।
3. सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण का विश्लेषण करना।
4. अस्तित्ववाद और मानव जीवन के प्रश्नों का अध्ययन करना।
5. केदारनाथ की काव्यशैली का अध्ययन करना।
6. आधुनिक हिन्दी कविता में उनके योगदान का मूल्यांकन करना।
7. केदारनाथ की कविता में निराशा और आशा का समन्वय करना।

शोध पद्धति

केदारनाथ की कविताओं का आलोचनात्मक अध्ययन करने के लिए विभिन्न शोध पद्धतियों का उपयोग किया गया है। यह अध्ययन साहित्यिक आलोचना, सामाजिक-राजनीतिक विश्लेषण और दार्शनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस प्रकार के शोध के लिए मुख्य रूप से गुणात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धतियों का पालन किया गया है। निम्नलिखित में शोध की विभिन्न पद्धतियाँ, प्रक्रियाएँ, और तकनीकों का विवरण दिया गया है।

साहित्यिक आलोचना का तरीका क्लासिकल और आधुनिक साहित्यिक सिद्धांतों का प्रयोगरू केदारनाथ की कविताओं का विश्लेषण साहित्यिक आलोचना के विभिन्न दृष्टिकोणों जैसे यथार्थवाद, प्रतीकवाद, आधुनिकता, और अस्तित्ववाद के संदर्भ में किया गया है। आलोचना के इस दृष्टिकोण में हम उनके काव्यशिल्प, प्रतीकों और रूपकों का अध्ययन किया गया है।. सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषण

केदारनाथ की कविता में समाज और राजनीति की गहरी छाया है, और उनकी कविताओं का सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। इस विश्लेषण के अंतर्गत निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सामाजिक संरचना और असमानताएँ केदारनाथ की कविताओं में समाज की कड़ी सच्चाइयों और असमानताओं को उजागर किया गया है। इस पद्धति में उनकी कविताओं को समाज की विभिन्न समस्याओं जैसे शोषण, गरीबी, जातिवाद, और आर्थिक विषमताएँ के संदर्भ में विश्लेषित किया गया है। राजनीतिक जागरूकता उनके काव्य में राजनीतिक असमानताएँ, भ्रष्टाचार, और सामाजिक संघर्षों की आलोचना की गई है। इस प्रक्रिया में हम यह देखेंगे कि केदारनाथ ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में किस तरह के राजनीतिक परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस किया गया है।

निष्कर्ष

केदारनाथ की कविता का गहरा प्रभाव उनके समकालीन साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में पड़ा और आज भी उनकी कविता भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनकी कविता का प्रतीकवाद, रूपक, यथार्थवाद, और सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण उन्हें हिन्दी कविता के महत्वपूर्ण कवियों में स्थापित करता है। वे एक कवि के रूप में न केवल भावनाओं और अनुभवों के चित्रकार थे, बल्कि समाज और राजनीति के प्रति अपनी गहरी सोच और दृष्टिकोण को भी कविता के माध्यम से व्यक्त करते थे। केदारनाथ की कविता एक गहरे और बारीक दृष्टिकोण से जीवन, समाज और मानवता को देखती है। उनकी कविता में जहां एक ओर संवेदनाओं की गहरी धाराएँ थीं, वहीं दूसरी ओर वे समाज और राजनीति के संदर्भ में व्याप्त असमानताओं और अन्याय पर तीव्र टिप्पणी भी करते थे। उनका काव्य न केवल व्यक्तिगत अनुभव से प्रेरित था, बल्कि उन्होंने अपने समय के राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य को भी अपनी कविता में स्थान दिया। उनका साहित्य न केवल एक काव्यात्मक धारा का निर्माण करता है, बल्कि समकालीन समाज और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को उजागर करने का कार्य भी करता है। केदारनाथ की कविता हिन्दी साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी है और आज भी वह पाठकों और आलोचकों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय बनी हुई है।

संदर्भ-सूची

- शर्मा, शंकर (1995), हिन्दी कविता का इतिहास, आधुनिक काल दिल्ली, राजकमल प्रकाशन।
- सिंह, रामनिवास (1988), केदारनाथ की कवितारू एक विश्लेषण पटना, शिक्षा प्रचारक प्रकाशन।
- पांडेय, रवीन्द्रनाथ (1992), हिन्दी कविता में आधुनिकता और केदारनाथ वाराणसी, राधाकृष्ण प्रकाशन।
- शुक्ल, इंद्रेश (2003), केदारनाथ, जीवन और काव्य इलाहाबाद, हिन्दी साहित्य संस्थान।
- वर्मा, ममता (2010), केदारनाथ की कविता और आधुनिक काव्यधारा, लखनऊ साहित्य अकादमी।
- कुमार, बलराज (1997), हिन्दी कविता में यथार्थवाद और केदारनाथ दिल्ली, सागर प्रकाशन।
- द्विवेदी, रामचन्द्र (1994), केदारनाथ और उनके काव्यरू एक आलोचनात्मक दृष्टि जयपुर, राजस्थान पुस्तकालय।
- कवि, नरेंद्र (2001), समाज और कविता केदारनाथ का दृष्टिकोण बरेली, सूर्या प्रकाशन।
- भार्गव, संजय (2007), केदारनाथ की कविता, एक समालोचनात्मक विवेचना दिल्ली साहित्य गौरव।
- कुमार, शिव (2015) कविता और अस्तित्ववाद केदारनाथ के काव्य का विश्लेषण, पटना, प्रगति प्रकाशन।

आमेर-जयपुर रियासत की आर्थिक स्थिति एवं सांस्कृतिक अध्ययन (16वी से 20वी शताब्दी के विशेष संदर्भ में)

मोहम्मद मोहसिन खान

शोधार्थी

प्रस्तावना-

जयपुर वर्तमान में राजस्थान की राजधानी है। जयपुर नगर की स्थापना 1727 में कच्छवाहा शासक सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा की गई गयी थी। इससे पूर्व कच्छवाहा शासकों की राजधानी आमेर थी। जो जयपुर से उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थी। जो अब जयपुर नगर के सीमान्तर्गत ही है। जयपुर से उत्तर में एक पर्वतीय ढलान पर अवस्थित आमेर मीणा जनजाति के उत्कर्ष एवं पराभव क्षेत्र तथा कच्छवाहा शासकों की राजधानी एवं ऐतिहासिक दृष्टि से पुरातात्विक महत्व का प्राचीन नगर भी है। आमेर को साहित्यिक ग्रंथें एवं शिलालेखों में विभिन्न नामों जैसे आम्बेर, अम्बर, अम्बरीश, अम्बिकापुर आदि नामों से जाना जाता था। आमेर के नामकरण को लेकर अनेक किंवदतिया प्रचलित रही है। बताया जाता है कि अम्बा भक्त कांकिल ने इस क्षेत्र को आमेर नाम से संबोधित किया था। जनश्रुति के अनुसार अयोध्या के राजा मांधाता के पुत्र अम्बरीश ने यहां तप किया था और उन्ही के नाम पर यह नामकरण हुआ।

1657ई के मिर्जा राजा जयसिंह के एक शिलालेख जो पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान में सुरक्षित है उससे भी इसकी पुष्टि होती है। कर्नन जेम्स टॉड और एलेक्जेण्डर कनिंघम ने भी अम्बिकेश्वर से ही आमेर नामकरण माना है। कच्छवाहा वंशावलियों से पता चलता है कि अम्बिकेश्वर (शिव) की मूर्ति प्राप्त होने से यह नगर अम्बिकेश्वर कहलाया। जगदीश सिंह गहलोत के अनुसार महाराणा कुम्भा के समय के अभिलेख आमेर को आम्रदाद्रि नाम से अभिहित करते थे क्योंकि किसी समय अत्यधिक आम्र वृक्ष होने के कारण यह आम्रदाद्रि के नाम से विख्यात हुआ।

आमेर जयपुर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः-

कच्छवाहा शासकों से पूर्व आमेर के इतिहास की ठोस जानकारी नहीं मिलती है। ढूंढाड की प्राचीन राजधानी सुसावत मीणाओं से पूर्व यहां निश्चित रूप से गुर्जर प्रतिहारों का शासन या प्रभाव लक्षित था। इसकी पुष्टि कल्याण जी के जैन मन्दिर के पुरातात्विक साक्ष्यों से होता है जो प्रतिहार कालीन ह। आमेर राज्य के जगतशिरोमणी मंदिर के पीछे पहाडी पर 954 ई का सूर्य मन्दिर से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। जिसका उल्लेख सी बडेल नामक विद्वान ने किया है। अत: स्पष्ट है कि कच्छवाहा

शासक से पूर्व आमेर उन्नत अवस्था में था। दलू हराय के द्वारा ढुंढाड राज्य की स्थापना की गई। दुल्हराय ने बडगुर्जरों को हराकर ढूंढाड का शासन अपने पिता सोढदेव को सौपा तत्पश्चात दुल्हराय ने 1006 से 1035 ई तक इस क्षेत्र पर शासन किया। दौसा के बाद कच्छवाहा नरेशों ने जमवारामगढ को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। दूल्हराय ने रामगढ में अपनी कुलदेवी जमवाय माता का मंदिर बनाया इन्ही के पौते कोकिल देव ने आमेर के मीणाओं को परास्त कर अपनी राजधानी बनाई। जो कच्छवाहों की राजधानी जयपुर निर्माण तक रही। कच्छवाहा शासक पृथ्वीराज महाराणा सांगा का सामंत था जो खानवा के युद्व में सांगा की तरफ से लडा था। पृथ्वीराज ने अपने राज्य की तरफ से लडा था। पृथ्वीराज ने अपने राज्य को अपने 12 पुत्रों में विभाजित कर दिया था जो 12 कोटडी से प्रसिद्व हुए। कच्छवाहा शासक भारमल (1547 -1573) ने अपने सामंतों को अपनी और मिलाकर आमेर का शासक बन गया राजा भारमल ने मुगलों से प्रगाढ संबंध बनाने के लिए अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह मुगल सम्राट अकबर से किया।

भारमल राजपूताना का प्रथम शासक था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किये थे। भारमल की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र भगवंत दास (1573-89) आमेर की राजगद्दी पर बैठा। इसने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह शहजादा सलीम से करवाया था। राजा भगवान दास ने मथूरा में भगवान बिहारी का मंदिर बनाया। उन्होने भगवानगढ किला तथा आमेर आगरा सीकरी फतेहपुर आदि में महल भी बनवाया। भगवंतदास का उत्तराधिकारी मानसिंह प्रथम (1589-1614) आमेर का एक योग्य शासक था। उन्होने मुगलों के अधीन अनेक सैनय अभियान किया। हनुमान शर्मा ने अपनी पुस्तक जयपुर के इतिहास में लिखा है कि जयपुर पंचरंगाा ध्वज डिजाइन मानसिंह

ने बनायी थी। ज बवह काबुल का गर्वनर था। राजा मानसिंह ने पटना में बैकंटपुर का शिव मंदिर तथा आमेर के किले में शिलादेवी का एक लघु मंदिर बनवाया था। स्थापत्य कला के विकास के साथ कवियों एवं साहित्यकारों को अपने दरबार में आश्रय दिया। अकबर द्वारा इन्हें 7000 का मनसब औश्र फर्जद का खिताब का खिताब दिया गया और अकबर के नवरत्नों में इनकी गणना की जाती थी।

मानसिंह की मृत्यु के बाद भावसिंह (1614-21) आमेर का शासक बना। जहांगीर ने भावसिंह को शहजादा खुर्रम के साथ दक्षिण में मलिक अम्बर के विरूध अभियान में भेजा था।

भावसिंह की मृत्यु के बाद जयसिंह प्रथम (1621-1667) आमेर का शासक बना। इसने तीन मुगल सम्राट जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब को अपनी सेवाए प्रदान की। जयसिंह की सबसे बडी उपलब्धि मराठा शासक शिवाजी के साथ पुरन्दर की संधि थी। जयसिंह प्रथम कला एवं साहित्य को भी प्रोत्साहन देता था। उसने आमेर के महल तथा जयगढ दुर्ग का निर्माण कर अपनी वास्तुकला में रूचि प्रदर्शित की। उसके समय के प्रसिद्व कवियों में बिहारी, कुलपति मित्र, नरोतम दास आदि उल्लेखनीय थे। मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु के बाद रामसिंह आमेर का शासक बना इसके बाद बिशनसिंह शासक बना जो 1700 ई तक रहा। बिशनसिंह के दो पुत्र विजयसिंह एवं जयसिंह थे इनमें से औरगं जेब ने विजयसिंह मे जयसिंह प्रथम के गुण और प्रतिभा देखकर उसे सवाई जयसिंह की पदवी दी और छोटे भाई का नाम विजयसिंह रखा। सवाई जयसिंह द्वितीय (1700-1743 ई) के काल को आमेर एवं जयपुर के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष में उसने शहजादा आजम का पक्ष लिया था। परन्तु वह पराजित हुआ और बाद में वह मुअज्जम के पक्ष में जा किला जो बाद में बहादूरशाह प्रथम के नाम से जाना गया। बहादूर शाह ने उसे अपदस्थ कर उसके भाई विजयसिंह को आमेर का शासक बनाया। बाद में जयसिह ने मेवाड व मारवाड की सहायता से 1708 में पुनः गद्दी प्राप्त कर ली। जयसिंह द्वितीय ने मुगल सम्राट बहादुरशाह फरूर्खसियर मुहम्मदशाह आदि के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर आमेर की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया।

1727 में जयपुर नगर को बसाकर सवाई जयसिंह ने नई राजधानी बनाई। सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद सवाई ईश्वरी सिंह (1743-1750) जयपुर का शासक बना। ईश्वरीसिंह एवं उसके सौतेले भाई माधोसिहं में राज्य प्राप्ति् हेतु संघर्ष चला। ईश्वरीसिंह द्वारा आत्महत्या कर लेने पर सवाईमाधोसिंह (1750-1768) जयपुर का शासक बना। महाराजा पृथ्वी सिंह की मौत के बाद सवाई प्रतापसिंह (1778-1803) जयपुर का शासक बना। इन्ही के शासनकाल में अंग्रेज सेनापति जार्ज थॉमस ने जयपुर पर आक्रमण किया था। सवाई प्रतापसिंह ने सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया वह ''ब्रजनिधि'' उपनाम से काव्य रचना करते थे। प्रतापसिंह के दरबारी राधाकृष्ण ने संगीत ग्रंथ राग रत्नाकर पुण्डरीक विठ्ठल ने नर्तन निर्णय रागचन्द्रसेन ब्रजकला निधि, की रचना की। प्रतापसिंह के समय में 22 विभिन्न क्षेत्रों के गुणीजनों एवं संगीतज्ञों की एक संगोष्ठी थी जिसे गन्धर्वबाईसी कहा जाता था। प्रतापसिंह के बाद सवाई जगतसिंह द्वितीय (1803-1818) जयपुर शासक हुआ। जगतसिंह द्वितीय ने 1818 में मराठों एवं पिण्डारियों से राज्य की सुरक्षा हेतु ईस्ट इण्डिया कम्पनी से संधि की थी। इनकी मृत्यु के बाद जयसिह तृतीय (1818-1835 ई) गद्दी पर बैठे। सवाई रामसिंह द्वितीय (1835-1880ई) को ब्रिटिश सरकार ने 'सितार-ए-हिन्द' की उपाधि दी थी। इन्ही के समय जब प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आये तो उनके सम्मान में जयपुर शहर को गुलाबी रगं से रंगवाया था। महाराजा रामसिंह ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एण्ड क्राफट की स्थापना की थी। सवाई रामसिंह के बाद सवाई माधोसिंह द्वितीय (1880-1922) जयपुर के शासक हुए। माधोसिंह द्वितीय ने जयपुर के सिटी पैलेस में मुबारक भवन बनवाया जो हिन्दु, इस्लामिक तथा ईसाई शैलियों का खुबसुरत नमनू ा है। माधोसिंह ने नाहरगढ के दुर्ग में नौपासवानों के नाम से एक ही आकार-प्रकार के नौ सुन्दर महल बनवाये। माधोसिंह द्वितीय के बाद जयपुर रियासत के अंतिम शासक सवाई मानसिंह द्वितीय (1922-1949) बने।

शोध के उद्देश्य (OBJECTIVE OF RESEARCH)

1. प्राथमिक व द्वितीयक समसामयिक प्रकाशित व अप्रकाशित स्त्रोतों का संकलन कर उपलब्ध सामग्री द्वारा इतिहास परक शोध अध्ययन करना।
2. आमेर-जयपुर रियासत की कर प्रणाली भूमि व्यवस्था और व्यापारिक गतिविधियों का अध्ययन करना।
3. किस प्रकार के व्यापार, शिल्प और उद्योग रियासत के आर्थिक विकास में सहायक थे, यह समझना।
4. कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, फसल उत्पादन और सिंचाई साधनों की भूमिका की जांच करना।
5. आमेर जयपुर रियासत पर मुगल और मराठा शासकों का आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन पर क्या प्रभाव पडा इसका विश्लेषण किया जायेगा।
6. रियासत की सामंतवादी व्यवस्था और सामाजिक आर्थिक असमानता को समझना।
7. प्रशासनिक तंत्र का अध्ययन जिसमें राज्य के प्रमुख पदों की भूमिका और उनकी आर्थिक नीतियों शामिल है।
8. आमेर-जयपुर रियासत के समय विकसित हुई स्थापत्य कला, चित्रकला और साहित्यिक गतिविधियों का विश्लेषण।

9. हिन्दु और मुस्लिम सांस्कृतिक प्रभावों का अध्ययन और उनके रियासत के समाज पर प्रभाव।
10. रियासत की सांस्कृतिक धरोहरों का आधुनिक काल में पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव।

शोध प्रविधि (Research Methodology)

शोध विषय को क्रमबद्व व व्यवस्थित करने तथा प्रमाणिकता वस्तुनिष्ठता पारदर्शिता लाने हेतु नवीन तथ्यों का संकलन कर पूर्व ज्ञात तथ्यों की नवीन व्याख्या द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया जायेगा। शोध विषय हेतु प्राथमिक स्रोतो जैसे पुराने दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड, ऐतिहासिक पत्र और उस समय के शाही आदेश आदि का अध्ययन किया जायेगा। द्वितीय स्रोत के रूप में ऐतिहासिक पुस्तकें अन्य शोध पत्र आदि का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जायेगा। आमेर–जयपुर की राजस्व प्रणाली का विश्लेषण जैसे- कराधान व्यवस्था, कृषि उत्पादन, व्यापार और उद्योगो आदि का अध्ययन किया जायेगा। व्यापारिक मार्गो स्थानीय और अन्तराष्ट्रीय व्यापार के बारे में जानकारी एकत्रित की जायेगी। तत्कालिन मुद्रा व वित्तीय प्रणाली का अध्ययन किया जायेगा। स्थापत्य और कला निर्माण की सरंचनाओं का अध्ययन किया जायेगा। संकलित तथ्य परक सामग्री की समीक्षा करने का प्रयास किया जायेगा। व्याख्या व तुलनात्मक परीक्षण के द्वारा नवीन तथ्यों का स्थापित कर ऐतिहासिक मूल्यों की उपयोगिता अनुपयोगिता का ध्यान रख कर वैज्ञानिक पदत्ति के आधार पर नये विचारों व आयामों का उपयोग किया जायेगा।

शोध परिकल्पना (Research Hypothesis):-

आमेर–जयपुर रियासत का इतिहास सांस्कृतिक समृद्वि और आर्थिक ढांचा मध्यकालीन/आधुनिक भारत में अद्वितीय महत्व रखता था। इस शोध का उद्देश्य आमेर–जयपुर रियासत की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना और यह समझना है कि उसकी सांस्कृतिकगतिविधियों पर इसका क्या प्रभाव था। इस शोध परिकल्पना के अन्तर्गत रियासत की आर्थिक समृद्वि का सांस्कृतिक विकास और कला संरक्षण पर प्रभाव का विश्लेषण करना है। आमेर–जयपुर के व्यापारिक नेटवर्क का अध्ययन और उसकी राजस्व व्यवस्था को समझना आमेर–जयपुर की स्थापत्य कला और धार्मिक संरचनाओं की ऐतिहासिक महत्व को पहचानना

है। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक धारणाओं का सांस्कृतिक परिदृश्य पर प्रभाव का अध्ययन करना। यह शोध न केवल आमेर–जयपुर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करेगा बल्कि यह भी दर्शायेगा कि कैसे आर्थिक संसाधन सांस्कृतिक विकास का समर्थन करते है। इसके माध्यम से आमेर जयपुर के अनुठी सामाजिक संरचना व सांस्कृतिक योगदान को समझने का प्रयास किया जायेगा।

निष्कर्ष (Counclusion):

आमेर–जयपुर रियासत का 16वीं से 20वीं शताब्दी तक का कालखंड आर्थिक और संस्कृति दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण था। यह रियासत न केवल अपनी भौगोलिक स्थिति और रणनीतिक महत्व के कारण बल्कि अपनी आर्थिक संपन्नता और सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जानी जाती थी। आमेर और जयपुर की अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और हस्तशिल्प पर आधारित थी। किले और जल संरचनाओं के निर्माण ने जल प्रबंधन और कृषि उत्पादन में सुधार किया। मुगलो के साथ गठबंधन में व्यापार मार्गो को सुदृढ़ किया और रियासत आर्थिक स्थिरता प्रदान की। ब्रिटिश शासन के दौरान की अर्थव्यवस्था पर करों और व्यापार नीतियों का प्रभाव पड़ा, जिससे आर्थिक असंतुलन उत्पन्न हुआ। आमेर और जयपुर ने स्थापत्य कला, संगीत, नृत्य, साहित्य और लोक परंपराओं के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता और विविध सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा दिया, जिसका प्रमाण मंदिर, मस्जिद, सूफी दरगाहें और महल हैं। जयपुर की वास्तुकला, जैसे सिटी पैलेस, हवा महल और जंतर–मतंर, भारत की सांस्कृतिक धरोहर में अमूल्य जोड़ हैं। लोक कला और परंपराएं आज भी रियासत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक हैं। आमेर–जयपुर रियासत ने न केवल आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक सुधारों प्रशानिक नवाचारों में भी अग्रणी भूमिका निभाई। 20वीं शताब्दी में आधुनिक शिक्षा, समाज सुधार आंदोलन और प्रजाजन के अधिकारों को लेकर जागरूकता ने रियासत के सामाजिक ताने–बाने को मजबूत किया। निश्कर्षत आमेर–जयपुर रियासत की आर्थिक और सांस्कृतिक यात्रा न केवल राजस्थान बल्कि संपूर्ण भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाती है। यह अध्ययन यह दर्शाता है कि इस रियासत का प्रभाव आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूचि (Bibliography)

प्राथमिक स्रोतः-

1. खरीते
2. दस्तूर कोमवार

3. अखबारात-इ-दरबार-इ-मुअल्ला
4. खतूत अहलकारान
5. फरमान व निशान
6. फारसी व राजस्थानी वकील रिपोर्ट्स
7. अर्जिया
8. इकरारनामे
9. परवाने
10. सनदे
11. विभिन्न विभागों के स्याहा व आवारिजा
12. अडसट्टे
13. दस्तूर उल अमल
14. दीवानों के आदेश
15. याददाश्ती परगनावती
16. कागजात याददशाष्त
17. जागीर कागजात
18. नुस्खा
19. स्याह अदालती कागजात
20. न्याय सभा कागजात
21. जमांबदीया

द्वितीयक स्रोत

हिन्दी ग्रंथः-

1. जैन, डॉ. एम.एस :आधुनिक राजस्थान का इतिहास पंचशील प्रकाशन जयपुर 1995: राजस्थान का इतिहास, नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली 1982: राजस्थान का इतिहास, शिवा पब्लिकेशन उदयपुर: 19वी सदी के राजस्थान का सामाजिक आर्थिक जीवन राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी: राजस्थान का इतिहास शिवलाल अग्रवाल एण्ड क.आगरा 1984: आधुनिक राजस्थान का इतिहास: राजस्थान का इतिहास, जयपुर क्लासिक कलक्शन 2004: आधुनिक राजस्थान का आर्थिक इतिहास पब्लिकेशन स्कीम जयपुर 1998: कच्छवाहों का इतिहास, राजस्थानी ग्रंथ सागर जोधपुर 1966: जयपुर का इतिहास, कृष्णा प्रकाशन चौमू जयपुर: राजस्थान का इतिहास कोश राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी 2003
2. पनगडिया, बी.एल
3. गुप्ता, के.एस
4. शर्मा, कालुराम
5. शर्मा, गोपीनाथ
6. शर्मा, गोपीनाथ
7. गुप्ता, बेनीप्रसाद
8. शर्मा, डॉ ब्रजकिशोर
9. गहलोत, जे.एस
10. शर्मा, हनुमान
11. गहलोत, सुखवीर सिंह
12. भटट्नागर, वीरेन्द्र स्वरूप:सवाई जयसिंह, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर 1998: कच्छवाहों का इतिहास
13. मण्डावा, देवी सिंह राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर 2010

14. प्रसाद, राजीव नयन: राजा मानसिंह आमेर, राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर 2010: जयपुर राज्य का इतिहास राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर: जयपुर संभाग का जिलेवार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर 2010: जयपुर रियासत में आर्थिक प्रबंधन (1858-1956)
15. सिंह, चन्दमणि
16. गुप्ता, मोहन लाल
17. मीणा, रश्मि अप्रकाशित शोध प्रबंध राजस्थान विश्वविद्यालय
18. दिवाकर, प्रोफेसर बी.एम:राजस्थान का इतिहास, साहित्यगार जयपुर।
19. कन्छन, मंजू: 19वी शताब्दी में सामाजिक परिवर्तन पॉइन्टर पब्लिकेशन जयपुर।: उन्नीसवी सदी का राजस्थान जयपुर पब्लिशिंग हाउस जयपुर 1988
20. जोशी, डॉक्टर बसंत

बालक और अभिभावक सम्बन्धः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

अनुजा कुमारी

शोधार्थी, गृह विज्ञान विभाग, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा सारण (बिहार)

रिसर्च आर्टिकल का एब्स्ट्रेक्टः

प्रस्तुत शोध आलेख बालक और अभिभावक के बीच संबंधों के महत्व, उनकी जटिलताओं और समाज में उनके प्रभाव का विश्लेषण करता है। अध्ययन में यह अपेक्षित है कि बालक के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में अभिभावकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अभिभावक बच्चों के प्रथम शिक्षक होते हैं और उनके मूल्यों, विश्वासों और व्यवहारों को आकार देते हैं। शोध आलेख से स्पष्ट हो सकता है कि सकारात्मक अभिभावक-बालक संबंध आत्मविश्वास, नैतिकता और आत्म-अनुशासन को बढ़ावा देते हैं, जबकि असंगत या उपेक्षित संबंध बच्चों में मानसिक अस्थिरता, विद्रोह और अवसाद का कारण बन सकते हैं। संवाद की कमी, अत्यधिक नियंत्रण या लापरवाही बालकों के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इस शोध आलेख में समाधान के रूप में अभिभावकों के लिए परामर्श, संवाद कौशल और बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने की आवश्यकता पर बल दिया जाना भी अपेक्षित है। सार रूप में, स्वस्थ अभिभावक-बालक संबंध न केवल परिवार की स्थिरता को मजबूत करते हैं, बल्कि समाज में समग्र रूप से सकारात्मक योगदान देते हैं। प्रस्तुत शोध आलेख नीति निर्माताओं, शिक्षकों और अभिभावकों को बच्चों के समग्र विकास के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।

की वर्ड्सः बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, भावात्मक संबंध, अभिभावक आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, मानसिक अस्थिरता, सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण आदि।

प्रस्तावनाः

बालक का अपने अभिभावकों के साथ गहरा एवं अन्योनाश्रय सम्बन्ध होता है। वे एक- दूसरे से अन्तः संबंधित होते हैं तथा एक-दूसरे से किसी-न-किसी प्रकार से निर्भर रहते हैं। इन सम्बन्धों की जड़ें इतनी गहरी होती हैं, जितना कि सागर की गहराई भी नहीं होती। इतना ही नहीं, संबंध भावनात्मक रंगों से रंगे होते हैं। पुत्र-पुत्री का अपने माता-पिता व अभिभावकों के साथ सम्बन्ध, बालक अभिभावक सम्बन्ध कहलाता है वहीं इनका सम्बन्ध परिवार के दूसरे सदस्यों जैसे- भाई-बहनों, चाचा-चाची, दादा-दादी, भैया-भाभी, बुआ, मौसा-मौसी आदि के साथ होता है तो यह सम्बन्ध बालक पारिवारिक सम्बन्ध कहलाता है। बालक का सुन्दर ढंग से चहुँमुखी व्यक्तित्व विकास हो इसके लिए बालक-अभिभावक सम्बन्धों का सुमधुर, आनंददायी एवं प्रसन्नतापूर्ण होना आवश्यक है।[1] एक नवजात शिशु शिशु जब जन्म लेता है, तब न तो वह सामाजिक होता है और न ही असामाजिक। वह तो नितांत असहाय दशा में होता है जिसका लालन-पालन, देखरेख, सेवा- सुश्रुषा का भार माता-पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों पर होता है। इस समय यदि शिशु को यों ही छोड़ दिया जाए तो निश्चित ही उसकी मृत्यु हो जाती है और वह सदा-सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा जाता है। परन्तु जब नवजात शिशु की अच्छी परवरिश की जाती है, ठीक ढंग से लालन-पालन किया जाता है, चिकित्सा सेवायें उपलब्ध करवायी जाती हैं, पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जाता है, अच्छी शिक्षा-दीक्षा दी जाती है, तब वही शिशु शनैः शनैः बढ़कर किशोर व युवा बनता है तथा माता-पिता के कार्यों में सहयोग देने लगता है। उसके भीतर मान्यता प्राप्त व्यवहारों का विकास होने लगता है, जिससे वह सामाजिक प्राणी बनता है। सुन्दर गुणों से विभूषित होकर वह देश का कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनता है। अब वही बालक जो जन्म के समय नितांत असहाय दशा में था, वह दूसरों की सहायता करने लगता है, सहारा देने लगता है। वृद्धावस्था में वह बुढ़ापे की लाठी बन जाता है तथा माँ-पिता की सेवा-सुश्रुषा करने लगता है। वह अपने पिता के व्यवसाय/ काम-धंधे को आगे बढ़ाता है तथा देश का जिम्मेदार नागरिक बनता है।[2]

बालकों को बचपन की अवस्था से ही अच्छे निर्देशन में रखना, अच्छे गुणों का विकास करना, नैतिकता सिखाना, माता-पिता एवं परिवार के सदस्यों का परम दायित्व एवं कर्तव्य होता है। बालक तो कच्चे घड़े की भाँति होता है, जिसे सुन्दर रूप देने के लिए समय-समय पर डाँटना-फटकारना, मारना-पीटना भी जरूरी होता है। यहाँ कविता की ये पंक्तियाँ प्रासंगिक सिद्ध होती हैं, "गुरु कुम्हार है, शिष्य कुंभ, घड़ी घड़ी कादै खोट, अंतर हाथ सहार दै, बाहर-बाहर चोट।"[3] छोटे बालकों को सिखाना आसान होता है। उनमें सद्गुणों

एवं अच्छाइयों को पनपाना आसान है। प्रारंभ से ही स्नेहपूर्ण वातावरण में रखने से मनमुटाव, कलह-क्लेश, कटुता एवं संघर्ष की स्थिति के उत्पन्न होने की संभावना नगण्य हो जाती है। परन्तु यदि माता-पिता एवं परिवार के सदस्य ही आपस में लड़ते-झगड़ते रहते हैं, गाली-गलौज करते रहते हैं तथा मारपीट करते रहते हैं तो चाहे कितना ही प्रयास क्यों नहीं किया जाए उनके पुत्रों और पुत्रियों में मधुर सम्बन्ध होना दुसाध्य व कठिन ही होता है।

माता-पिता जिस तरह व्यवहार बालक के साथ करते हैं, बालक भी उन्हीं की तरह व्यवहार करना सीखता है। माता बालक की प्रथम शिक्षिका होती है और घर प्रथम पाठशाला। इस घर रूपी पाठशाला में माता रूपी शिक्षिका जो कुछ भी सिखाती है, पढ़ाती- लिखाती है, उसका अमिट छाप बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। बालक अपने माता-पिता से देखकर ही सीखता है। वह उन्हीं से अच्छे गुणों को ग्रहण करता है तथा बुरे गुणों को त्यागता है।

वर्तमान में, बालक-अभिभावक एवं पारिवारिक सम्बन्धों में हास हो रहा है। आए दिन अखबारों में, पत्र-पत्रिकाओं में पढ़ने देखने को मिल रहा है कि पैसे के लिए पुत्र ने डंडे से पीट-पीटकर पिता की जान ले ली। खेती के बँटवारे के लिए पुत्र ने पिता को कुल्हाड़ी से वार करके घायल किया। पिता ने भूमि विवाद को लेकर पुत्र को गोली मारी। पाँच बेटों की माँ ने पारिवारिक कलह से तंग आकर टाँके में कूदकर जान दे दी। शराबी पिता ने शराब के नशे में आकर पत्नी एवं पुत्री की जान ले ली। 16 वर्षीय किशोरी घर से गहने पैसे लेकर प्रेमी के संग भाग गयी। जमीन विवाद को लेकर भाई ने भाई की जान ली आदि-आदि। अतः स्पष्ट है कि बालक को अपने माता-पिता व अभिभावकों के साथ सम्बन्धों में मधुरता घट रही है, स्थिरता का हास हो रहा है तथा परिवर्तनशीलता बढ़ रही है। आज बालक अपने माता-पिता से अधिक महत्त्व अपने संगी-साथियों, यार दोस्तों, को दे रहे हैं। वे उनके साथ रहना पसंद करते हैं। फलतः बालक अभिभावक सम्बन्धों में खटास आने लगा है। उनमें आपस में समायोजन बिगड़ रहा है। इसका प्रमुख कारण माता-पिता की अभिवृत्तियाँ, बाल-पोषण की विधियाँ, प्रभुसत्तात्मक परिवार, अहम् की भावना, अधिकारवादिता आदि जिम्मेदार है। जब माता-पिता अपने बालकों को लाड़-प्यार से पालते हैं, पूरा स्नेह व संरक्षण देते हैं, आवश्यकता की सभी चीजें समय पर उपलब्ध करवाते हैं, तो बालक-अभिभावक सम्बन्ध मधुर होता है। परन्तु यदि माता-पिता अपने बालकों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, बात- बात पर गाली-गलौज करते हैं, उलाहनाएँ देते हैं, मारते-पीटते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, छोटी-छोटी गलतियों के लिए कठोर सजा देते हैं तो बालक का भावनात्मक संतुलन बिगड़ जाता है। समायोजन गड़बड़ा जाता है। प्रारंभ में बालक को यह कटुता छोटे-मोटे झगड़ों के रूप में दृष्टिगत होती है, जो बाद में चलकर एक गहरी खाई का रूप धारण कर लेती है जिसे भरना मुश्किल होता है। अतः बालक के कोमल मन को ठेस पहुँचाने का प्रयास नहीं करें। मगर हाँ! उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज नहीं करें, बल्कि उसकी गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। उनमें सकारात्मक सोच उत्पन्न करें। उन्हें पूरा लाड़-प्यार दें तथा तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों का पता करके उस पर अंकुश लगायें। हमेशा ध्यान रखें, कि छोटी-सी दरार गहरी खाई का रूप लेने न पाये।

बालक और अभिभावक सम्बन्धों को निर्धारित करने वाले कई कारक महत्वपूर्ण है। प्रथम, अभिभावकों की अभिवृत्तियाँ सबसे प्रमुख कारक है। माता-पिता एवं परिवार के सदस्यों की अभिवृत्तियाँ काफी हद तक बालक अभिभावक संबंधों को प्रभावित करती है। एस क्लेवन (S- Clavan 1968) ने अपने अध्ययनों में यह देखा कि "कम आयु वाले माता-पिता अपने बालकों के साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं और न ही उतने सुंदर ढंग से जिम्मेदारियों का वहन ही कर पाते हैं जितना कि अधिक आयु वाले माता-पिता करते हैं।" इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कम उम्र के माता-पिता अपने नवीन जिम्मेदारियों के प्रति उतना जागरूक नहीं होते हैं। विभिन्न माता-पिता अपने बालकों को पोषण हेतु अलग-अलग प्रकार की अभिवृत्तियाँ अपनाते हैं, जैसे (i) अति संरक्षण देने वाले माता-पिता (ii) अति कठोर माता-पिता (iii) पक्षपात करने वाले माता-पिता (iv) तिरस्कार करने वाले माता-पिता (v) प्रजातांत्रिक तरीके से पालने वाले माता-पिता (vi) प्रभुत्वशाली माता-पिता (vii) छूट देने वाले या अनुमतिपूर्ण माता-पिता (viii) अति संरक्षण देने वाले माता-पिता।

यह ज्ञात हो कि जो माता-पिता अपने बालकों को बहुत अधिक लाड़-प्यार व संरक्षण देते हैं, तब उनके बालकों के बिगड़ने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि माता-पिता अपने बालकों की गलतियों पर भी उन्हें डाँटते-फटकारते नहीं हैं और न ही उन्हें चेतावनी ही देते है। इतना ही नहीं, उनको नाजायज माँगों की भी पूर्ति कर दी जाती है। उन्हें अपने बच्चों की गलतियाँ दिखाई ही नहीं देती हैं। वे संतान के प्यार में इतना अधिक पागल रहते हैं कि आँख होते हुए भी वे अंधों की तरह व्यवहार करते हैं। अति संरक्षण के कारण बालकों में विशिष्ट लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इससे बालक का आत्म-विश्वास डगमगा जाता है। वे हरेक काम के लिए दूसरों पर आश्रित रहने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, अति संरक्षण के कारण बालकों में व्यग्रता, बेचैनी, उत्तेजना, शीघ्र परेशान होने की प्रवृत्ति, ध्यान लगाने की योग्यता में कमी, अति संवेदनशीलता, अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं होना आदि अनेक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इन लक्षणों के कारण बालक- अभिभावक सम्बन्ध गड़बड़ा जाते हैं।

कुछ अभिभावकों में अपने बालकों के प्रति अतिकठोरता की अभिवृत्ति होती है। वे अपने बालकों के प्रति कठोर व्यवहार अपनाते हैं। वे बात-बात पर बालकों को टोकते रहते हैं। छोटी-छोटी गलतियों पर मारते-पीटते हैं। ऐसी स्थिति में, बालकों के भीतर कुंठा, आक्रोश, कुसमागेजन, निर्देयता आक्रामकता, असत्यवादिता आदि अवगुण विकसित हो जाते हैं। वे अवज्ञावारी हो जाते हैं। उनके मन

में माता-पिता के प्रति श्रद्धा व मान-सम्मान का भाव नहीं रहता है। वे माता-पिता का कहना नहीं मानते हैं। अत: इस स्थिति में भी बालक अभिभावक संबंध अच्छे नहीं रह पाते हैं।[4]

कुछ माता-पिता अपने बालकों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं। किसी बच्चे को अधिक प्यार-दुलार करते हैं तो किसी को कम। ऐसी स्थिति में बालकों में परस्पर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता हैं। वे अपने माता-पिता से भी चिढ़ते हैं। जिस बालक को माता-पिता कम प्यार करते हैं, कम महत्त्व देते हैं वह अधिक प्यार पाने वाले बालकों से ईर्ष्या का भाव रखता है। भारतीय परिवेश में, अधिकांश परिवारों में माता-पिता अपने बेटे-बेटियों में अंतर रखते हैं। बेटों को अधिक प्यार करते हैं और बेटियों को कम। बेटों को जहाँ दूध पिलाते हैं, वहीं बेटियों को छाछ तक नहीं मिलता। वे बेटों को तो स्कूल पढ़ने-लिखने के लिए भेजते हैं तथा बेटियों से घर के कार्य करवाते हैं। इसी प्रकार वे प्रतिभाशाली व तेजस्वी बालक को अन्य बालकों की तुलना में अधिक प्यार-दुलार करते हैं। अध्ययनों में यह देखा गया है कि माँ अपने बेटों को अधिक प्यार करती हैं तथा पिता अपनी पुत्रियों को, परन्तु वय: संधि अवस्था में (At puberty Age) अधिकांश लड़कियाँ अपने पिता से चिढ़ती हैं और उनके प्रति विरोधी भाव रखती हैं। इसी प्रकार किशोरवय के बालक भी अपने पिता से विरोधी भाव रखते हैं क्योंकि उन्हें अपने पिता के द्वारा टोका-टोकी किया जाना सुहाता नहीं है।

वे माता-पिता जो अपने बालकों को उपेक्षा व तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, अपने बालकों की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति भी समय पर नहीं करते हैं। जान-बूझकर उनकी उपेक्षा करते हैं। अतिथियों के समक्ष उनका अपमान करते हैं, तब उनके आत्म-सम्मान को चोट पहुँचती है। उनका मन आहत होता है। अत: उनका भी माता-पिता के साथ मधुर संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। तिरस्कृत बालकों के मन में कुंठा, हीन भावना, ईर्ष्या, आक्रामकता, असहाय की भावना, निर्दयता, कठोरता, झूठ बोलने की प्रवृत्ति, कुसमायोजन, दिखावटीपन आदि के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण उनका अपने अभिभावकों एवं परिवार के सदस्यों के साथ मधुर सम्बन्ध नहीं रहता है।

वे माता-पिता जो अपने बालकों को प्रजातांत्रिक तरीके से पालते पोषते हैं वे न तो उनके साथ अधिक कठोर व्यवहार अपनाते हैं और न ही अधिक छूट देते हैं। न अधिक कठोर नियंत्रण में रखते हैं और न ही उन्हें बहुत ज्यादा घूमने-फिरने, उधम/उत्पात मचाने की स्वतंत्रता ही देते हैं। वे न तो उन्हें बहुत अधिक मारते-पीटते हैं या टोकाटाकी करते हैं और न ही उन्हें अधिक सिर चढ़ाते हैं बल्कि बालक के साथ संतुलित व्यवहार करते हैं। वे उन्हें संस्कारवान बनाते हैं। उन्हें अच्छे शीलगुणों से सुशोभित करते हैं, तब बालक में सृजनात्मकता का गुण विकसित हो जाता है। वे सहयोगी, सहिष्णु, परोपकारी, स्वतंत्र चिंतन वाले बनते हैं। उनमें दया, करुणा, बलिदान, त्याग, आदि मानवीय गुणों का भंडार होता है। फलत: बालक- अभिभावक संबंध मधुर बनता है।

कुछ माता-पिता प्रभुत्वशाली अभिवृत्ति वाले होते हैं। उनका स्वभाव प्राय: कठोर होता है। वे अपने बालकों को बहुत ही अधिक कठोर नियंत्रण में रखते हैं। माता-पिता जैसा चाहते हैं, बालक को वैसा ही करना पड़ता है। यदि माता-पिता बालक को विज्ञान या गणित विषय पढ़ने को कहते हैं तो बालक को विज्ञान/गणित ही पढ़ना पड़ता है भले ही इन विषयों में उनकी जरा-सा भी रुचि नहीं होती है। अत: बालक इन विषयों को पढ़कर समझ नहीं पाता है। प्रभुत्वशाली वातावरण में पलने-बढ़ने वाले बालकों में कई विशिष्ट लक्षण उत्पत्र, हो जाते हैं, जैसे-अधिक शर्मीलापन, अतिसंवेदनशीलता, हीनता की भावना, कुंठा आदि। बालकों में अपने माता-पिता के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं रहता है। वे अवज्ञाकारी हो जाते हैं। परिणामस्वरूप बालकों का अपने माता-पिता के साथ मधुर संबंध स्थापित नहीं हो पाता है।

कई अभिभावक अपने बालकों को बहुत ही अधिक छूट देते हैं। वे अपने बालकों के किसी भी कार्य या गतिविधि पर नियंत्रण नहीं रखते हैं। बालक के मन में जो आता है, वह वही कार्य करता है। सीमा से अधिक छूट मिल जाने पर बालक उदंड हो जाते हैं। फलत: उनका आचरण अनुशासनहीन हो जाता है। वह अपने माता-पिता का रहना भी नहीं मानता है। ऐसी स्थिति में, बालक-अभिभावक सम्बन्ध मधुर नहीं रह पाते हैं।[5]

माता-पिता अपने बालकों के लालन-पालन में किन विधियों का प्रयोग करते हैं, इस बात पर भी बालक अभिभावक सम्बन्ध निर्भर करता है। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि प्रजातांत्रिक तरीके से पाले-पोषे गये बालकों का चरित्र सुंदर होता है। उसमें मानवीय गुणों का सुंदर ढंग से विकास होता है। वहीं अधिक प्रभुत्वशाली, अधिक कठोर वातावरण में पलने वाले या अधिक छूट/स्वतंत्र वातावरण में पलने वाले बालकों में कई विशिष्ट लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। उनमें हीन भावना एवं कुंठा का विकास हो जाता है। साथ ही उनमें असहयोग, निर्दयता, कठोरता, दिखावटीपन, झूठ बोलने की प्रवृत्ति, समाज विरोधी प्रवृत्ति, आदि दुर्गुणों का विकास हो जाता है। अत: ये दुर्गुण बालक अभिभावक सम्बन्धों में मनमुटाव करने में बहुत अधिक मददगार सिद्ध होते हैं। जिन बालकों के लालन-पालन में बहुत अधिक स्वतंत्रता वाली अभिवृत्ति अपनायी जाती है। जिनके कार्यों एवं व्यवहारों पर कोई नियंत्रण नहीं रखा जाता है, वैसे बालक उदंड हो जाते हैं। वे स्वतंत्रता का गलत अर्थ लगाते हैं और जो जी/मन में आता है, वही करते हैं। परिणामस्वरूप बालक-अभिभावक सम्बन्ध बिगड़ जाता है।

बालक अभिभावक सम्बन्धों को प्रभावित करने वाला एक अति महत्त्वपूर्ण कारक है- "परिवार का आकार"। अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि बड़े परिवार में पलने-बढने वाले बालकों को न तो बहुत अधिक प्यार-दुलार ही मिलता है और न ही इनके लालन-पालन पर ही बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। छोटे एवं एकाकी परिवार (Nuclear Family) में पलने-बढ़ने वाले बालकों का अपने माता-पिता के साथ मधुर, सम्बन्ध होता है क्योंकि इन परिवारों में बालकों की आवश्यकताओं एवं लालन-पालन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। फलतः उनका शारीरिक, क्रियात्मक, मानसिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक आदि विकास के साथ-ही-साथ सामाजिक विकास भी अच्छा होता है। अतः उनके पारस्परिक संबंध अच्छे होते हैं। इसके ठीक विपरीत बड़े परिवारों में बालक एवं अभिभावक के बीच दूरियाँ बढ़ती जाती हैं। इस कारण माता- पिता अपने बालकों पर पूरा नजर नहीं रख पाते हैं। बालक कहाँ जा रहा है? किस दिशा में जा रहा है? क्या कर रहा है? पढ़-लिख रहा है या नहीं, आदि गतिविधियों पर माता-पिता का ध्यान नहीं जा पाता है। ऐसी स्थिति में माता-पिता का अपने बालकों के साथ मधुर संबंध स्थापित नहीं हो पाता है।

परिवार की संरचना भी बालक अभिभावक सम्बन्धों को महत्त्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। जिन परिवारों में बच्चों की संख्या 8-9 या उससे भी अधिक होती है, वहाँ बालकों पर पूरा-पूरा ध्यान नहीं दिया जति स है। क्योंकि माता-पिता का प्यार अधिक बच्चों में बँट जाता है। यदि माता-पिता किसी एक बालक को अधिक सुविधा दे देते हैं तो उनमें मनमुटाव होने की संभावना बढ़ जाती है। उन सभी बालकों पर नियंत्रण करना भी कठिन होता है। बड़े बच्चों को अधिक जिम्मेदारी वहन करना होता है। अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि मध्यम आकार का परिवार बालक अभिभावक सम्बन्धों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होता है। मध्यम आकार के परिवार में माता-पिता के अलावा 3-4 बच्चे होते हैं। उन सभी में आपस में प्यार, सौहार्द्र होता है। वे दुख-सुख में एक-दूसरे का साथ देते हैं तथा एक-दूसरे की मदद करते हैं। अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि में केवल एक ही बालक होता जिन परिवारों है वे बहुत ही ज्यादा प्यार-दुलार में पाले-पोषे जाते हैं। उन पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। साथ ही बहुत अधिक सुरक्षा एवं संरक्षण भी मिलता है। परिणामतः बालक को अपने माता-पिता से बहुत ही अधिक गाव-जुड़ाव होता है। वह बालक अपने-आपको ही अभिभावकों का प्रतिरूप मानने लग जाता है। फलतः उसका सामाजिक समायोजन भी सुन्दर ढंग से होता है। I.H.S. Bossard and E.L. ठवससे, 1960 ने इस सन्दर्भ में अपनी राय कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया है कि अकेला बालक (Single child) चुपचाप रहने वाले होते हैं तथा सह शैक्षणिक गतिविधियों में कम ही भाग लेते हैं।

परिवार में जब पहले बच्चे का आगमन होता है, तब उसे बहुत ही लाड़-प्यार से पाला-पोषा जाता है। माता-पिता एवं परिवार के सदस्य उसे खूब प्यार दुलार करते हैं। उसकी हरेक इच्छाओं की तत्काल पूर्ति कर दी जाती है। उसकी हरेक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। परन्तु जब घर में दूसरे शिशु का आगमन होता है, तब माता-पिता एवं परिवार के सदस्यों का ध्यान उस बालक के पालन-पोषण की ओर भी आकर्षित होता है। माता-पिता उस नवजात शिशु के पालन-पोषण में अपना ध्यान लगाते हैं। अतः पहला बड़ा बच्चा अपने-आपको उपेक्षित महसूस करता है। वह सोचने लगता है कि माता-पिता उसे पहले की तरह प्यार नहीं करते हैं और उसे यों ही खेलने-कूदने के लिए छोड़ देते हैं। केवल उसके दूसरे भाई बहन को ही अधिक प्यार करते हैं। ऐसी स्थिति में वह अपने भाई बहनों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखने लगता है। वह नये शिशु पर अपना क्रोध प्रदर्शित करता है और उसे येन-केन प्रकारेण चोट/हानि पहुँचाने का प्रयास करता है। परिणामतः बालक-अभिभावक सम्बन्ध खराब होते हैं। ऐसी स्थिति में बुद्धिमानी तो यह होगी कि माता-पिता बड़े बालक को भी पूरा-पूरा प्यार दें। उसे गोद में लेकर खेलायें जायें। साथ ही उसे यह समझायें कि वह उसका ही दूसरा छोटा भाई बहन है जो बड़ा होकर उसके साथ ही खेलेगा। उसके साथ स्कूल पढ़ने जाएगा और उसकी सहायता करेगा। चूँकि वह अभी छोटा है इसलिए उसे प्यार करना जरूरी है। इतना ही नहीं, बालक से स्वयं भी नवजात शिशु के छोटे-मोटे कार्य करवाये जाएँ जैसे- उसे खेलाना, उसके खिलौने उठाकर यथास्थान रखना, उसके वस्त्र लपेटना आदि। यदि माँ किसी कार्य में व्यस्त है तो कुछ समय के लिए नवजात शिशु को संभालने की भी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इस तरह के व्यवहार करने से बड़े बालक के मन में छोटे बालक के प्रति प्रेम का भाव उपजेगा। परिणामस्वरूप वह अपने से छोटे भाई-बहनों से प्यार करने लगेगा तथा बालक-अभिभावक सम्बन्ध अच्छे बने रहेंगे।

यदि पहले एवं दूसरे बच्चे के जन्म के बीच 3-4 साल का अंतराल है तो परिवार का वातावरण सौम्य एवं सुखद बना रहता है तथा बालक-अभिभावक सम्बन्ध भी मधुर बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों ही बालकों का पालन-पोषण ठीक प्रकार से होता है। बड़ा बालक स्कूल जाने लग जाता है। अब उसमें थोड़ी-थोड़ी समझ आने लग जाती है। परिणामतः वह छोटे भाई बहन की समस्या को समझने लगता है। वह उसे अपने साथ खेलाता है और उसे संभालने लगता है। फलतः बालक अभिभावक सम्बन्ध अच्छा व मधुर बनता है। परन्तु यदि दो बच्चों के जन्म में बहुत ही कम अंतर होता है तो माता-पिता का कार्य भार बढ़ जाता है। उन्हें एक साथ, एक ही समय पर दो-दो बालकों का पालन-पोषण करना पड़ता है। उन्हें पढ़ाना-लिखाना पड़ता है। परिणामतः उन पर व्यय अधिक होता है। वैसे भी दो-दो बालकों को एक साथ संभालना काफी कठिन काम होता है। अतः बालक का अपने माता-पिता के साथ संवेगात्मक मधुरता में कड़वाहट आ जाती है। अतः बालक अभिभावक सम्बन्ध बिगड़ने की संभावना प्रवल हो जाती है।

बालक-अभिभावक सम्बन्धों को प्रभावित करने वाला एक अति महत्त्वपूर्ण व प्रमुख कारक है- "परिवार का सामाजिक-आर्थिक स्तर।" निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर में पलने-बढ़ने वाले बालकों का अपने माता-पिता से बहुत अधिक मधुर व सुन्दर सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाता है क्योंकि उन्हें बाल्यावस्था से ही जीवनयापन हेतु हेतु मेहनत-मजदूरी करना पड़ता है। दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। साथ ही घरेलू कार्यों में भी सहयोग देना पड़ता है। अपने से छोटे भाई-बहनों को भी संभालना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने माता-पिता के प्रति सम्मान एवं श्रद्धा भाव नहीं उपजता है। मध्यम सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले परिवार में पलने-बढ़ने वाले गालकों पर अपने माता-पिता का अधिक दबाव होता है। माता-पिता अपने बालकों से बहुत अधिक अपेक्षाएँ (Eñpectations) रखते हैं तथा हर समय उन्हें यह सलाह व प्रशिक्षण देते हैं कि उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो सामाजिक नियमों, परम्पराओं, मूल्यों व संस्कृति के विपरीत हो। उन्हें बारम्बार सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक नियमों, आदशों व परम्पराओं को सिखाया जाता है तथा सामाजिक अनुरूपता स्थापित करने के लिए बार-बार दबाव डाला जाता है। यदि बालक कभी-कभार गलती से, कोई ऐसा व्यवहार या कार्य करता है जिससे माता-पिता के हृदय में चोट पहुँचती है अथवा समाज में उनकी बदनामी होती है तो बालक-अभिभावक सम्बन्ध कटुतापूर्ण हो जाता है। उनमें आपस में बोलचाल, आना-जाना तक बंद हो जाता है। माता-पिता अपने बालक/बालिका को घर में घुसने तक की इजाजत नहीं देते हैं।[6] यदि परिवार का सामाजिक-आर्थिक स्थिति उच्च है, तब बालक अपने माता-पिता एवं परिवार के सदस्यों पर गर्व का अनुभव करता है। ऐसी स्थिति में बालक अभिभावक सम्बन्ध मधुर बना रहता है। उच्च सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले माता-पिता अपने बालकों को सभी सुख-सुविधाएँ प्रदान करते हैं। उनके परवरिश, लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा का पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं। अच्छे से अच्छे विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण हेतु भेजते हैंश अत: उनके भीतर अच्छे गुणों का विकास होता है। फलत: बालक अभिभावक सम्बन्ध अच्छा रहता है।[7]

बालक और अभिभावक सम्बन्धों को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है- "माता-पिता के आपसी सम्बन्ध"। जिन परिवारों में माता-पिता में आपस में प्यार होता है, माता-पिता दोनों प्रेमपूर्वक साथ-साथ रहते हैं, एक-दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं। मान-सम्मान करते हैं। परिवार का वातावरण शांत, मधुर एवं खुशहाल रहता है, वहाँ बालक अभिभावक सम्बन्ध मधुर बना रहता है। इसके ठीक विपरीत जिन परिवारों में आये दिन कलह-क्लेश होता रहता है, माता- पिता आपस में लड़ते-झगड़ते रहते हैं, मारपीट होता रहता है। पिता शराब पीकर माता को गाली-गलौज करता है। तब परिवार का आंतरिक वातावरण कलह-क्लेशपूर्ण एवं विषाक्त हो जाता है। फलत: इन परिवारों में बालक-अभिभावक सम्बन्ध मधुर नहीं रह पाते हैं। कारण स्पष्ट है माता-पिता के व्यवहारों, क्रियाकलापों था आचरणों का प्रभाव निश्चित रूप से बालक के कोमल मन-मस्तिष्क पर पड़ता है।

बालक और अभिभावक सम्बन्धों में कड़वाहट लाने में टूटे परिवारों का भी बड़ा ही योगदान है। जिन पिरदारों में आपसी लड़ाई-झगड़ा या तलाक के कारण माता-पिता अलग-अलग रहते हों अथवा गंभीर बीमारी या सड़क दुर्घटना में माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो अथवा माता-पिता अपनी नौकरी अथवा व्यवसाय के कारण काफी लम्बे समय तक एक-दूसरे से अलग रहते हों तो ऐसा परिवार टूटा परिवार कहलाता है। टूटे परिवार के कारण बालक को माता-पिता का पूरा-पूरा प्यार नहीं मिल पाता है। वह माता/पिता के प्यार से वंचित रह जाता है। यदि परिवार में माँ नहीं होती है तो पिता को ही बालकों का लालन-पालन करना पड़ता है। कई बार प्राकृतिक आपदाओं या सड़क दुर्घटना के कारण माता-पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है, तब बालक को दादा-दादी, नाना-नानी, मौसा-मौसी या बुआ-फूफा ही पालते पोषते हैं। ऐसी परिस्थिति में बालकों का सुंदर ढंग से विकास नहीं हो पाता है। पिता के मृत्यु के बाद माता तो फिर भी बालक को पाल-पोषकर उसे पढ़ा-लिखाकर स्वावलंबो बना देती है, परन्तु पिता के लिए यही कार्य काफी कठिन होता है।

बालक अभिभावक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारकों में से बालकों की संवेगात्मक परिपक्वता भी एक अति महत्त्वपूर्ण कारक है।[8] जो बालक संवेगात्मक रूप से अधिक स्थिर एवं परिपक्व होते हैं उनका अपने माता-पिता के साथ मधुर संबंध होता है क्योंकि वे जल्दी क्रोधित नहीं होते हैं और न ही छोटी-छोटी बातों का उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परन्तु जो बालक संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं वे शीघ्र ही क्रोधित हो जाते हैं। बात-बात पर रूठ जाते हैं। वे हठो, जिद्दी, आक्रामक एवं ईर्ष्यालु स्वभाव वाले होते हैं। परिणामत: उनका अपने माता-पिता के साथ मधुर संबंध स्थापित नहीं हो पाता है।

बालक और अभिभावक सम्बन्ध बालकों की आयु पर भी निर्भर करता है। विभिन्न अवस्थाओं के बालकों की सोच-समझ व अभिवृत्तियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं।[9] आयु के विभिन्न स्तरों पर बालकों की समायोजन क्षमता बौद्धिक और संवेगात्मक परिपक्वता अलग-अलग होने के कारण बालक-अभिभावक संबंधों में भी भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे- शैशवावस्था में बालक अपने माता-पिता के सानिध्य में ही रहकर पलता-बढ़ता है। उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति उसके माता-पिता एवं परिवार के सदस्य करते हैं। इस अवस्था में बालक को जिस तरीके से पाला-पोषा जाता है, जिन पोषण विधियों का उपयोग किया जाता है, उसका सीधा व प्रत्यक्ष प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। बचपनावस्था में यदि बालक को अपने माता-पिता का पूरा लाड़-प्यार नहीं मिलता है, तो वह शांत प्रकृति का हो जाता है। यहाँ तक कि वह दूसरों के मुस्कान का भी कोई सुन्दर ढंग से प्रत्युत्तर नहीं देता है। यदि माता-पिता

बालक को कठोर दंड देते हैं तथा उसके पालन-पोषण में प्रभुत्वशालो को अपनाते हैं, तब बालक का स्वभाव क्रोधी हो जाता है।[10] उसमें झूठ बोलने की प्रवृत्ति पनप जाती है क्योंकि उसे हमेशा ही यह डर रहता है कि यदि वह सच बोलेगा तो माता-पिता अवश्य ही उसे डाँटेंगे व मारेंगे। इसी भय के कारण बालक झूठ बोलने लगता है, जो धीरे-धीरे उसकी आदत में परिणत हो जाती है। यदि बालक को प्रजातांत्रिक विधि से पाला-पोषा जाता है जहाँ उसकी इच्छाओं, आवश्यकताओं व मांगों का ध्यान रखा जाता है। उसे अच्छी आदतें एवं मानवीय गुणों को सिखाने के लिए माता-पिता प्रयास करते हैं। उसे न तो बहुत अधिक स्वतंत्रता दी जाती है और न ही उसे कठोर अनुशासन में ही रखा जाता है तब बालक में परोपकार, सहयोग, सहिष्णुता दया, करुणा, त्याग, बलिदान आदि गुणों का समावेश होता है। ये मानवीय गुण जीवन पर्यन्त उसके आचरणों व व्यवहारों में झलकता है।

बालक और अभिभावक सम्बन्ध अच्छे हों, इसके लिए यह जरूरी है कि बालकों की आयु के अनुसार ही उनसे कार्य करवायें। उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए उनके साथ व्यवहार करें। किशोर को प्यार से समझायें। बालक और अभिभावक सम्बन्धों को निर्धारित करने वाले कारकों में से एक महत्त्वपूर्ण कारक बालकों का बौद्धिक स्तर भी है। जिन बालकों का बौद्धिक स्तर जितना ही ज्यादा होता है वे उतनी ही शीघ्रता से परिस्थिति के अनुसार समायोजन बिठा लेते हैं। परिणामतः उनका अपने माता-पिता के साथ मधुर सम्बन्ध होता है। इसके ठीक विपरीत जिन बालकों को बुद्धि कम होती है, केन में समायोजन क्षमता का अभाव पाया जाता है। वे परिस्थिति के अनुसार अपने-आपको काल नहीं पाते हैं। अतः उनका अपने माता-पिता के साथ मधुर सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाया है।

निष्कर्षः

शोध आलेख के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बालक और अभिभावक के बीच संबंध न केवल बच्चे के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए आवश्यक हैं, बल्कि उनके सामाजिक और शैक्षणिक प्रदर्शन पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। स्वस्थ और सकारात्मक अभिभावक-बालक संबंध आत्मविश्वास, नैतिक मूल्यों और सामाजिक कौशल के विकास में सहायक होते हैं। दूसरी ओर, अस्वस्थ संबंध बच्चों में असुरक्षा, आक्रामकता और आत्मीयता की कमी को जन्म दे सकते हैं।पारिवारिक वातावरण, संचार की गुणवत्ता, अनुशासन की शैली और अभिभावकों का व्यवहार बालक के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अत्यधिक अनुशासन या लापरवाही से बच्चों में नकारात्मक प्रवृत्तियाँ विकसित हो सकती हैं, जबकि प्रेमपूर्ण और सहायक वातावरण बालकों के आत्म-स्वीकृति और आत्म-सम्मान को बढ़ावा देता है। शोध आलेख के अनुसार, अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ संवाद के नए और प्रभावी तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है। अभिभावकों द्वारा बच्चों की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझना तथा उनके दृष्टिकोण को स्वीकार करना एक मजबूत और स्वस्थ संबंध की आधारशिला है। स्पष्टतः सुदृढ़ अभिभावक-बालक संबंध न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि समाज के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

सन्दर्भ सूचीः

1. शर्मा, डॉ ओमप्रकाश (2020), बाल विकास और अभिभावक शिक्षा, राजस्थानी ग्रंथगार, जोधपुर, पृष्ठ- 82-105
2. तथैव
3. दास, डॉ श्याम सुंदर (1950), कबीर ग्रंथावली, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, पृ- 112
4. जेरी, जे बिगनर (11वां संस्करण, 2019) पैरेंट्स चाइल्ड रिलेशंसः ऐन इंट्रोडक्शन टू पैरेंटिंग, पीयरसन एडुकेशन, पृ- 64
5. तथैव पृ 61-70
6. मंगला, डॉ. एस. के.(2018), बाल विकास के सिद्धांत, अभिज्ञान प्रकाशन, आगरा। पृ- 112-120
7. मंगला, डॉ. एस. के.(2018), बाल विकासः सिद्धांत एवं व्यवहार, अभिज्ञान प्रकाशन, आगरा, पृ- 45-68
8. तथैव
9. शर्मा, डॉ.रेखा(2015), किशोरावस्थाः विकास और चुनौतियाँ, सूर्य प्रकाशन मंदिर, जयपुर, पृ- 85- 90
10. तथैव पृ- 90-95

बच्चों के देखभाल में महिला शिक्षा की भूमिका (बिहार के सन्दर्भ में): एक अवलोकन

पूनम कुमारी

शोधार्थी, गृह विज्ञान विभाग, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा सारण (बिहार)

रिसर्च आर्टिकल का एब्स्ट्रेक्ट:

बिहार राज्य ही नहीं, भारत तथा विश्व के किसी भी देश में बच्चों की देखभाल और समग्र विकास में महिला शिक्षा की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। महिलाओं की शिक्षा न केवल उनके आत्मनिर्भरता और सामाजिक उत्थान का साधन है, बल्कि यह बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और मानसिक विकास में भी सीधा योगदान देती है। प्रस्तुत शोध आलेख बिहार राज्य के विशेष संदर्भ में महिला शिक्षा और बच्चों की देखभाल के बीच के संबंधों का विश्लेषण करता है। बिहार जैसे सामाजिक और आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्य में, जहां लैंगिक असमानता और कम साक्षरता दर की समस्या है, महिला शिक्षा बच्चों की प्रारंभिक देखभाल में परिवर्तन लाने का साधन बन सकती है। शिक्षित महिलाएं न केवल अपने बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति अधिक जागरूक होती हैं, बल्कि वे परिवार में स्वच्छता, टीकाकरण और अनुशासन को भी प्रोत्साहित करती हैं। शोध में यह भी पाया गया कि शिक्षित माताएं बच्चों के शैक्षणिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाती हैं, जिससे बच्चों के स्कूल ड्रॉपआउट दर में कमी आती है। प्रस्तुत शोध आलेख से शिक्षा नीति निर्माताओं को महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, ताकि बच्चों की देखभाल और उनके उज्जवल भविष्य की नींव मजबूत की जा सके।

प्रमुख शब्दावली: महिला शिक्षा, लैंगिक असमानता, आध्यात्मिक वातावरण, भौतिक विकास, पोषण तत्व, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, मानव संसाधन आदि।

प्रस्तावना:

महिला शिक्षा किसी भी आधुनिक, सभ्य, उन्नत और विकसित कहे जाने वाले समाज अनिवार्य लक्षण है और इसके बिना प्रगति कभी भी पूर्ण और बहुआयामी नहीं हो सकती। शिक्षित महिला ही राष्ट्र की दुर्गम पच पर अनवरत यात्रा कर पाने में समर्थ होती है। शिक्षा का अर्थ अत्यन्त ही व्यापक है। फिर भी, संक्षेप में कहा जा सकता है कि शिक्षा मात्र साक्षरता नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति के मन का अनुशासन और उसके वैचारिक आयाम को द्विगुणित करता है। शिक्षा मनुष्य के पूर्ण विकास का साधन है, जिससे वह अपनी सर्वोत्तम शक्ति के अनुसार, मानवीय जीवन में भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के साथ अपना समन्वय स्थापित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। षशिक्षा वह संजीवनी है जो मानव को सम्पूर्ण रूप से प्राणवान कर देती है। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और उनकी आत्मछवि संवरती सुधरती है। साक्षरता मनुष्य के लिए वरदान है, तो निरक्षरता अभिशाप है। विश्व में सबसे अधिक निरक्षर भारत में है, जिनमें अधिकांश महिलाएं है। भारत में भी विहार एक ऐसा राज्य है जो निरक्षरता के दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। राजस्थान के बाद विहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ अशिक्षित महिलाओं का प्रतिशत सवर्वाधिक है।

समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक तथा राजनीतिक विकास में महिला शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो बच्चों की देखभाल में देखी जाती है। शिक्षित महिला का वच्चों के ज्ञानात्मक, भाषात्मक, नैतिक विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बच्चों की शिक्षा का आरम्भ भी उसकी माँ से होता है। माँ ही बच्चों की प्राथमिक शिक्षिका होती है। अत: माता को शिक्षित होना अनिवार्य आवश्यक हो जाता है। महिला शिक्षा के महत्व को महात्मा गांधी ने इस प्रकार स्पष्ट किया या "यदि आप एक पुरुष को शिक्षा दे देते है तो एक व्यक्ति को शिक्षित करते है, किन्तु यदि आप एक महिला को शिक्षा प्रदान करते है तो सम्पूर्ण परिवार को शिक्षित करते हैं।" महिला शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए किसी समाजशास्त्री ने ठीक ही कहा है कि 155 माता की गोद बच्चों के लिए प्रथम पाठशाला है।" इसी सदर्भ में शेक्सपियर का कहना था कि "एक हो स्कूलों के मास्टरों से बेहतर है एक शिक्षित माता का होना।" महिला शिक्षा का बच्चों की देख-भाल में जो भूमिका होती है उसी संदर्भ में नैतिक उत्थान के प्रणेता स्वामी विवेकानंद का कहना था कि "महिला शिक्षा का अवहेलना करना पाप है, शिक्षा के द्वारा नारी को समर्थ बनाया जा सकता है।" विवेकानंद ने तो बच्चों के नैतिक विकास में माताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। उनका मानना था कि शिक्षित माताओं के बिना बच्चों का नैतिक, मानसिक, वैचारिक तथा आध्यात्मिक विकास असम्भव है।

परिवार में अधिक बच्चों की संख्या होने के कारण उसका उचित देख-भाल नहीं हो पाता है। इसलिए परिवार का आकार छोटे होना चाहिए। परिवार के आकार को छोटा करने के लिए जन्मदर में कमी लाना होगा। छोटा परिवार के महत्व को भली भांति शिक्षित महिला ही समझ पाती है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो० अमर्त्य सेन का कहना है कि "महिला शिक्षा तथा जन्मदर के बीच सम्बन्ध विल्कुल स्पष्ट है। शिक्षित औरतों की बार-वार बच्चों की लालन-पालन में फंसने की अनिच्छा से जन्मदर पर असर पड़ता है।" शिक्षा से सोचने-समझने के दायरे का भी विस्तार होता है। साथ ही, परिवार नियोजन की जानकारी के प्रचार-प्रसार में भी मदद मिलती है। औरतों की सक्रिय भागीदारी का ही परिणाम है कि केरल में जन्मदर में भारी गिरावट आई है। जबकि, बिहार में स्थिति इसके विपरीत है। बिहार प्रान्त में महिला साक्षरता दर कम होने के कारण जन्मदर में कमी लाने में वाधाएँ उत्पन्न हो रही हैं। एक निरक्षर महिला में जहाँ प्रजनन दर 5.1 है वहीं एक साक्षर किन्तु माध्यमिक स्कूल से कम शिक्षा प्राप्त महिला में प्रजनन दर 4.5 है। स्नातक से कम शिक्षित महिला में प्रजनन दर 3.1 है और स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त महिला में प्रजनन दर 2.1 हैं। शिक्षित माता के संस्कारों कारण उनके बच्चों में भी पढ़ने की इच्छा उत्पन्न होती हैं। साथ ही, पाठशालाओं में बच्चों की उपस्थिति बढ़ती है। शिक्षित माता अपने बच्चों के स्वास्थ्य और पालन पोषण के प्रति सजग रहती है। वे वच्चों को खसरा, काली खोसी, पोलियों, बी०सी०जी०, डी०पी०टी०, एम०एम आर, विटामिन ए इत्यादि के टीका तथा खुराक के प्रति सजग रहती हैं। समय-समय पर बच्चों को टीका लगवाली है तथा खुराक पिलवाती है। जबकि, अशिक्षित महिलाओं में इस गुण का अभाव पाया जाता है। यही कारण है कि केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली इत्यादि राज्यों की तुलना में बिहार में बच्चां विभिन्न रोगों से ग्रस्त रहते हैं, जिनके परिणामस्वरूप शिशु मृत्यु दर इन राज्यों की तुलना में यहाँ अधिक है। यह भी शोध आलेख से स्पष्ट है कि बच्चों में अधिकांश बीमारी अस्वच्छता तथा गंदगी के कारण होता है। शिक्षित महिलाएं अपने बच्चों की खान-पान, कपड़ा, शरीर इत्यादि के सफाई एवं स्वच्छता का भी ध्यान देती है, जबकि अशिक्षित महिलाएँ इन बातों से अनभिज्ञ रहती है। यही कारण है अशिक्षित माताओं की बच्चें अधिक बीमार रहते हैं। यह परिस्थिति बिहार में विकसित राज्यों की तुलना में विद्यमान है।

शिक्षित महिलाओं को आहारीय पोषक तत्वों के विषय में पूर्ण जानकारी रहती है। इसलिए अपने बच्चों को विभिन्न आयु में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों को उपलब्ध कराती है। जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिनस, कैलोरी, लौह-लवण इत्यादि। लेकिन, अशिक्षित महिलाएँ अपने बच्चों के आहार में विभिन्न आयु के अनुसार पौष्टिक तत्व उपलब्ध नहीं करा पाती है, परिणामतः उनके बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते है। कुपोषण के कारण रिकेट्स, एनीमिया, क्वाशियरकर इत्यादि रोग के शिकार हो जाते है। यह हालात विकसित राज्यों की तुलना में बिहार में अधिक पाई जाती है। बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास के लिए खेल-कूद आवश्यक होता है। शिक्षित महिलाएँ ही खेल-कूद पर ध्यान देती है। लेकिन, अशिक्षित महिलाएँ इन महत्व को नहीं समझ पाती है, परिणामतः उनके बच्चों का मानसिक, शारीरिक तथा बौद्धिक विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है। यही कारण हैं। कि सम्पूर्ण भारत में बिहार के बच्चे विभिन्न खेलों में पिछड़ जाते है। इस प्रकार, शिक्षा का महत्व इस क्षेत्र में अपना प्रभाव उजागर करता है। शिक्षित महिलाओं में एक खास गुण यह होता है कि वे अपने बच्चों के साथ दोस्ताना सम्बन्ध रखती है तथा बच्चों की भावना का भी ख्याल रखती है। वे बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति उचित समय पर करती है। जिसके परिणामस्वरूप उनके बच्चे अपराध बोध के शिकार नहीं हो पाते है, लेकिन अशिक्षित महिलाओं में यह गुण का अभाव पाया जाता है। परिणामतः उनके बच्चों अपराध बोध के शिकार हो जाते है तथा गलत एवं बुरी आदतों की नकल कर लेते हैं। शिक्षित महिलाएँ अपने पारिवारिक कलह से बच्चों को मुक्त रखती है, जिसके कारण यच्चों का विकास बाधित नहीं होती हैं। साथ ही, शिक्षित महिलाएँ बच्चों के स्नेह, प्यार तथा सहानुभूति को समझती हैं। वे अपने बच्चों को पर्याप्त मात्रा में स्नेह प्रदान करती हैं। परिणामतः उनके बच्चें में असुरक्षा तथा आत्महीनता की भावना उत्पन्न नहीं होती है। जिससे बच्चों का पर्याप्त विकास होता है। लेकिन अशिक्षित महिलाओं की बच्चों में असुरक्षा तथा आत्महीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है, परिणामतः उनके बच्चों का मानसिक तया बौद्धिक विकास पर्याप्त रूप से नहीं हो पाता है और बच्चे कुंठित हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप गलत मार्गो पर चल पड़ते है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ महिला साक्षरता दर निम्न है या नहीं के बराबर उस क्षेत्र में ऐसी हालत गम्भीर रूप से देखी जाती है।

शिक्षित महिलाएँ अपने लड़कों तथा लड़कियों के पालन-पोषण तथा शिक्षा-दीक्षा में असमानता नहीं करते है, लेकिन, बिहार में महिला साक्षरता दर निम्न होने के कारण बच्चों के पालन-पोषण तथा शिक्षा के क्षेत्र में अत्समानता देखी जाती है। लड़कों के तुलना में लड़कियों के खान-पान तथा शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। लड़कियों को पराया धन समझा जाता है। यही कारण है इस प्रान्त में शिशु कन्या मृत्युदर अधिक है तथा महिला साक्षरता दर भी निम्न है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि महिला शिक्षा वच्चों की देख-भाल में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। महिला शिक्षा का इतना महत्व के बावजूद भी बिहार में इसका पर्याप्त विस्तार एवं विकास नहीं हो पाया है। आजादी के समय से ही बिहार में महिला साक्षरता दर काफी निम्न रहा है। इस प्रान्त में महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर की तुलना में काफी कम है। 1951 में विहार में महिला साक्षरता दर 4.57 प्रतिशत था जो 1991 में बड़कर 23.10 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार इससे स्पष्ट होता है कि आजादी के बाद से प्रत्येक जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता

दर राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर से कम है। वर्ष 2001 में राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर 54.16 प्रतिशत था, जबकि विहार में 33.10 प्रतिशत था।

बिहार में महिला शिक्षा की गिरावट के कई कारण मौजूद है, जिनमें गरीबी, रूढ़ीवादी मानसिकता, बाल-विवाह, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल-कॉलेज का अभाव इत्यादि प्रमुख है। आजादी के बाद बिहार में महिला शिक्षा के विकास पर ध्यान तो दिया गया लेकिन आशाजनक सफलता न मिली। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा महिला शिक्षा के विकास एवं विस्तार पर काफी जोर दिया जा रहा है। यहीं कारण है कि लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति, पोशाक तथा साइकिल इत्यादि सुविधाएँ दिया जा रहा है। हाल में केन्द्र सरकार द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है तथा इसे अनिवार्य बनाया गया है। वास्तव में, बच्चों के देख-भाल में महिला की भूमिका सराहनीय है। इसके अभाव में बच्चों का सर्वांगीण विकास असम्भव है। इसलिए बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा नैतिक विकास के लिए शिक्षित माता का होना जरूरी है जो कि महिला शिक्षा के विकास के द्वारा ही सम्भव है। इसलिए बिहार सरकार द्वारा भी महिला शिक्षा के विकास पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। मानवीय संसाधन का पूर्ण विकास, बच्चों के चरित्र निर्माण और देश के चहुंमुखी विकास के लिए महिला शिक्षा पुरूषों की शिक्षा से अधिक उपयोगी है। इसी आधार पर महिला शिक्षा को विकास का आधार स्तम्भ माना गया है। अत: महिला शिक्षा के अधिकाधिक अवसरों का सूजन एक अनिवार्य कदम माना गया है, क्योंकि सुसंस्कृति एवं पूर्ण समाज की रचना शिक्षित महिलाओं से ही सम्भव है।

निष्कर्ष:

प्रस्तुत शोध आलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि बिहार में महिला शिक्षा का बच्चों की देखभाल और उनके समग्र विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षित महिलाएं बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शैक्षणिक प्रगति के प्रति अधिक जागरूक और संवेदनशील होती हैं। बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किए गए अध्ययन दर्शाते हैं कि जिन परिवारों में माताएँ शिक्षित हैं, वहां बच्चों के टीकाकरण की दर अधिक है तथा वे बेहतर स्वास्थ्य मानकों का पालन करते हैं। महिला शिक्षा के प्रभाव से बच्चों की प्रारंभिक शैक्षणिक यात्रा भी मजबूत होती है। शिक्षित माताएं बच्चों की पढ़ाई में रुचि लेती हैं, जिससे उनकी स्कूल उपस्थिति और प्रदर्शन बेहतर होता है। इसके अलावा, बच्चों की नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक मूल्यों के विकास में भी शिक्षित माताएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रस्तुत शोध आलेख में यह भी स्पष्ट है कि बिहार के कुछ ग्रामीण इलाकों में महिला साक्षरता दर अभी भी अपेक्षाकृत कम है, जिससे बच्चों की देखभाल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। आर्थिक असमानता, सामाजिक बाधाएं और शिक्षा तक सीमित पहुंच इस स्थिति के प्रमुख कारण हैं। सार रूप में, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना बच्चों के बेहतर भविष्य की कुंजी है। सरकार और गैर-सरकारी संगठनों को महिला शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि समाज के सभी वर्गों में बच्चों की देखभाल और विकास का स्तर समान रूप से उन्नत हो सके।

सन्दर्भ सूची:

1. शर्मा, डॉ. के. के. (2001), 'भारत की जनसंख्या 2001, ऑकडे एवं तथ्य, उपकार प्रकाशन, आगरा
2. अहमद, इमत्याज एवं अहसन, कमर (1998), 'बिहार एक परिचय', नेशनल पब्लिकेशन, खजांची रोड, पटना-4
3. निशीथ, राकेश शर्मा (मार्च, 2007) 'भारत में महिला साक्षरता एक परिदृश्य', प्रतियोगिता दर्पण हिन्दी मासिक, उपकार प्रकाशन, आगरा
4. सिंह, रीना (सितम्बर, 2006), "राष्ट्र विकास के लिए जगानी होगी नारी शिक्षा की अलख", कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली-110011
5. शर्मा, डॉ. मृदुला, (2021), 'नारी शिक्षा एवं रोजगार', किंडल संस्करण, अमेजन डिजिटल सर्विसेज, स्थान उपलब्ध नहीं
6. मिश्रा, आर.सी., (2005), 'Women Education', ए.पी.एच. पब्लिशिंग, नई दिल्ली
7. सती, डॉ. रेखा, (2018), 'महिला शिक्षा और सशक्तिकरण', रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर
8. कुमार, डॉ. अजय, (2017), 'बाल विकास: सिद्धांत एवं व्यवहार', पीएचआई लर्निंग, नई दिल्ली
9. सिंह, डॉ. सुनीता, (2019), 'महिला शिक्षा: चुनौतियाँ और संभावनाएँ', अटलांटिक पब्लिशर्स, नई दिल्ली
10. गुप्ता, डॉ. रमा, (2016), 'बाल देखभाल और शिक्षा', एस. चंद पब्लिशिंग, नई दिल्ली
11. देसाई, डॉ. नीना, (2015), 'महिला शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन', हेमकुंट पब्लिशर्स, नई दिल्ली
12. वर्मा, डॉ. रेखा, (2014), 'बाल विकास और शिक्षा', विकास पब्लिशिंग हाउस, नोएडा

गाँधी दर्शन में खादी का महत्वः एक अध्ययन

किशोर कुमार पासवान

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, पी.पी.यू., पटना

शोध आलेख का सारतत्वः

गाँधी दर्शन में खादी न केवल एक वस्त्र है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, स्वदेशी आंदोलन और आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। महात्मा गांधी ने खादी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बनाया और इसे सामाजिक व आर्थिक पुनर्निर्माण का माध्यम माना। उनके अनुसार खादी गरीबों के स्वावलंबन का प्रतीक थी, जो ब्रिटिश औद्योगिक व्यवस्था के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन को मजबूती देती थी। गांधीजी ने खादी को ग्राम स्वराज का महत्वपूर्ण साधन माना। उनका विश्वास था कि यदि प्रत्येक भारतीय चरखा चलाकर खादी बुनता है, तो देश आत्मनिर्भर बन सकता है और आर्थिक विषमता को समाप्त किया जा सकता है। खादी आंदोलन ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन किया और समाज के सभी वर्गों को जोड़ा। यह आंदोलन केवल आर्थिक सुधार तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सांस्कृतिक और नैतिक पुनर्जागरण का भी हिस्सा था। खादी, गांधीजी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से जुड़ी थी। उनके लिए यह त्याग, सरलता और आत्मसम्मान का प्रतीक थी। आज भी खादी भारतीयता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनी हुई है, जो गांधी दर्शन की मूल भावना को जीवित रखती है।

प्रमुख शब्दावलीः सत्य, अहिंसा, नैतिकता, सात्विकता, परोपकार, परमार्थ, सादगी, सदाचार, प्रेम, विश्वास, अपनापन, आर्थिक स्वालंबन, आत्म संयम, आत्मनिर्भरता, सत्याग्रह आदि।

प्रस्तावनाः

वर्ष 1920–2 के असहयोग आन्दोलन के समय से ही महात्मा गाँधी ने स्वराज्य की स्थापना के लिए सत्य एवं अहिंसा का मार्ग अपनाया था। अहिंसक क्रान्ति के द्वारा भारत की जनता के उत्थान के लिए उन्होंने 1924 से बहुत बड़े पैमाने पर रचनात्मक कार्यक्रम शुरू किया था। इस रचनात्मक कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की जनता और खास कर गाँवो की जनता को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सुयोग्य बनाना था। खादी का उत्पादन एवं प्रचार–प्रसार इस रचनात्मक कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अंग था क्योंकि इसके द्वारा गाँवों की गरीब जनता को सूत काटने और खादी तैयार करने से उन्हें रोजी–रोटी मिल सकती थी। खादी के अलावा अन्य कुटीर उद्योगों के द्वारा गाँवों का उत्थान, छुआछूत की प्रथा का विनाश तथा बुनियादी तालीम इस रचनात्मक कार्यक्रम के प्रमुख अंग थे। चूँकि ब्रिटिश शासन ने भारत के लाखों गाँवों में फैले हुए कपड़ा उद्योग को नष्ट कर दिया था, इसलिए गाँधीजी ने भारत को आजादी को लड़ाई का एक महान साधन बनाया। इस उद्देश्य से उन्होंने अखिल भारतीय सूत काटने वालों का संघ "ऑल इण्डिया रिचनरर्स एसोशियसन", "हरिजन सेवक संघ", "ऑल इण्डिया विलेज इन्ट्रस्टीज एसोसियेसन", तथा "हिन्दुस्तानी तालीमी संघ" की स्थापना की थी। अँग्रेजी शासन ने कपड़ा उद्योग को नष्ट कर दिया था इसीलिए गाँधी जी खादी को स्वराज्य की लड़ाई का सबसे बड़ा प्रतीक मानते थे। उनकी दृष्टि में खादी के द्वारा भारत के गाँवो को अहिंसा तथा आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया जा सकता था।[1]

खादी स्वदेशी के सिद्धान्त का व्यावहारिक रूप था। इसलिए वे चरखा और खादी को स्वराज्य का अनमोल साधन मानते थे। उनकी दृष्टि में खादी के प्रचार से विदेशी और भारतीय मिल मालिकों को कोई घाटा नहीं होगा, बल्कि वे गरीबों के शोषण के पाप से मुक्त हो जायेगें।[2] खादी पहनने वालों को अन्य स्वदेशी वस्तुओं का भी प्रयोग करना चाहिए। खादी भारत वासियों की एकता, आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक है। खादी के साथ–साथ अन्य उद्योग भी खड़े हुए हैं जैसे–कपास पैदा करना, रूई तैयार करना उसे धुनना, सूत काटना और कपड़ा तैयार होने पर उसे रंगना। ये काम गाँवों में हो सकते हैं। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। उन्होने ऑल इण्डिया स्पिनर्स एसोसीयेशन के माध्यम से खादी की लोकप्रियता बढ़ाने पर जोर दिया। गाँधी जी सूत काटने को यज्ञ मानते थें। उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति की सूत काटने का यज्ञ प्रतिदिन एक घंटा करना चाहिए। उनका आदेश था प्रत्येक काँग्रेसी कार्यकर्ता को अपने हाथों से काटे हुए सूत से बनी हुई खादी पहननी चाहिए। चरखा अहिंसा का प्रतीक है। यदि काँग्रेस कार्यकर्ता चरखे का सहारा लें, तो भारत का प्रत्येक गाँव स्वराज्य की चमक से जगमगा उठेगा।[3]

जब ऑल इण्डिया स्पिनर्स एसोसियशन की स्थापना हुई थी, तब वह दुनिया का सबसे बड़ी सहयोग समिति के रूप में विकसित हुआ। इसमें 10 लाख रूपये की पूँजी लगाई गई और इसमें 12 करोड़ रूपये की खादी कपड़ा तैयार किया गया। इसमें 30 लाख सूत काटने वाले और 3 लाख 54 हजार कारीगर काम कर रहे थे। इसका क्राम 1510 गाँवों में फैला हुआ था।[4] सन् 1942 के "भारत छोड़ो आन्दोलन के समय अंग्रेज सरकार ने सभी खादी भंडारों को या तो बन्द कर दिया था या नष्ट कर दिया था। इसलिए खादी के उत्पादन

और बिक्री पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। 1944 में जेल से निकलने के बाद गाँधी जी ने पुनः इन्हे ठीक से चलाने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि खादी लाभ और हानि की दृष्टि से नहीं बल्कि खादी भावना में छिपे हुए आदर्शों के लिए पहननी एवं बेचनी चाहिए। अतः इस अध्याय में महात्मा गाँधी की खादी भावना और उनके द्वारा खादी के लिए किये गये प्रचार-प्रसार के प्रयत्नों का अध्ययन किया गया है। आज उस चरखे को हम स्वतंत्र भारत के नव निर्माण का साधन मानतें हैं, जो विदेशी हुकुमत के समय बगावत का हथियार रहा है। सन् 1915 में ही गाँधी जी को यकीन हो गया था कि चरखे के बिना स्वराज्य नहीं मिलेगा। सन् 1924 में उन्होंने घोषणा की कि जब तक चरखा घर-घर में नहीं पहुँचेगा, तब तक अहिंसक समाज का निर्माण नहीं होगा। गाँधी जी ने चखें में समृद्ध और स्वावलम्बी भारत का दर्शन किया था और यही सही अर्थ में आजादी थी।

भारत के लिए चरखा नयी चीज नहीं। अग्रेजों के आगमन के पहले चरखे देशभर में चलते ही थे और कपड़े बुने जाते रहे। यही नहीं, बल्कि कला के रूप में भी हमारे यहाँ का वस्त्रोद्योग काफी विकसित था और विदेशों तक यहाँ के कपड़े का प्रचार था।[5] अंग्रेजी हुकूमत ने अपने स्वार्थ के लिए हमारे यहाँ का कताई बुनाई उद्योग नष्ट कर दिया। उसे फिर से खड़ा करने में गाँधी जी को बड़ी तपस्या करनी पड़ी। स्वराज्य के संदर्भ में खादी ने नया जन्म लिया और उसने आजादी का बिगुल बजाया। आजादी की लड़ाई में चखें ने भूखों को रोटी दी, विधवाओं को सहारा दिया, प्रेम का, स्वावलम्बन का संगीत छेड़ा, लेकिन उसके इस संगीत में बगावत भी थी, क्रान्ति भी थी। वह शोषण उत्पीड़न ओर विदेशी सत्ता के प्रति विद्रोह का प्रतीक भी बना। चरखा गाँवों की समृद्धि का केन्द्र बना और, ग्राम रचना किस प्रकार हो, यह दिशा भी (संगीत से) उससे मिली। चर्खे ने एक बुनियादी सिद्धान्त पर अमल करके दिखाया कि हर श्रम का पूरा मुआवजा श्रमिक को मिलना ही चाहिए। जीवन-निर्वाह के योग्य मजदूरी न देना श्रमिक का शोषण है और वह अनीति है। कोई भी काम अपने आप में न तो बड़ा है, न छोटा बशर्ते वह समाज के लिए उपयोगी हो। चरखा उद्योग ने यह भी सिद्ध कर दिया कि व्यापार भी सत्यपूर्ण और शोषणहीन हो सकता है। चरखे के कारण सेवकों का एक समूह देश में खड़ा हुआ, जिसने सेवाधर्म का व्रत लेकर सत्ता की लालसा छोड़कर गरीबों के बीच काम करने का गौरव महसूस किया, सत्ता की ओर से किये जानेवाले अपमान को आजादी का वरदान माना और यातनाएँ सहीं।

विदेशी सरकार ने खादी उद्योग को फिर से मिटाने के कई उपाय किए बहुत पीड़ा पहुँचाई, अनेक रोड़े अटकाये; लेकिन देश की जनता ने खादी को अपनाया और शक्ति भर सहारा दिया। खादी मिट नहीं सकी, टिकी रही, तेजस्वी बनी रही।[6] जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब सरकार ने खादी-कार्य को व्यापक करने की बात सोची। देहात के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले, इस दृष्टि से खादी और ग्रामोद्योग को फैलाना सरकार ने भी जरूरी समझा। खादी की उत्पादन अधिक कठिन नहीं थी। देहात के लोग चरखा चलाना जानते थे स्वराज्य की लड़ाई के दिनों में खादी का काफी प्रचार हो चुका था। चरखें का लाभ लोग समझते थे। उनके पास रूई, चरखा आदि साधन पहुँच जाए, तो वे काटने लगेंगे और खादी बढ़ चलेगी। लेकिन जब तक बनी खादी बिक न जाये, पहनने वाले लोग आगे न आये तब तक पैदा करने का सिलसिला बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए खादी खरीदने वालों को खादी की ओर आकर्षित करना जरूरी था। इसलिए चरर्खा संघ की माँग पर खादी के दाम में कुछ छुट दी जाये, तो लोग आसानी से खरीदने लगेंगे। यह समझकर चरखा संघ की माँग पर सरकार ने एक रूपये की खादी पर तीन आने की छूट दी, खादी पैदा करनेवालों को अपनी तरफ से तीन आने की मदद देने लगी। इससे खादी पहनने वालों की संख्या काफी बढ़ी। उसी हिसाब से खादी का उत्पादन भी बढ़ा। स्वराज्य के पहले जहाँ एक डेढ़ करोड़ रूपये की खादी तैयार होती थी, वहाँ अब 14-15 करोड़ रूपये तक की खादी बनने लगी। यह रिबेट पद्धति अब तक चली। खादी आन्दोलन का अपना एक इतिहास है। गाँधी जी जिस रामराज्य की कल्पना करते थे, खादी उसका एक साधन था। खादी को आज भी उसी रामराज्य की स्थापना में अपना योग देना है। रामराज्य की प्राप्ति के लिए गाँवों को स्वावलम्बी, सेवाभावी, सहयोगी ओर समृद्ध होना है। आज सरकार से हम जो भी सहायता लें, वह ऐसी होनी चाहिए, जो गाँवों को पराश्रय से, मुक्त हाने में मददगार हो, कि पराश्रय का ही मुँहताज बनाये रखे। इस दृष्टि से खादी उद्योग को मिलनेवाली सहायता की पद्धती में परिवर्तन करना आवश्यक था। इसके साथ ही देश का संदर्भ भी बदल रहा है। इस नये-संदर्भ का उपयोग रामराज्य की सिद्धि के लिए कर लेना आवश्यक था; बदलना आवश्यक हुआ।[7] जैसे घर-घर में चूल्हा है, वैसे ही घर-घर में चर्खा होना चाहिए। जैसे घर-घर रोटी बनती है, वैसे ही घर-घर कपड़ा बनना चाहिए। रोटी बेचने के लिए नहीं बनती, खाने के लिए बनती है, कपड़ा भी बेचने के लिए नहीं, पहनने के लिए बनना चाहिए। रोटी के लिए गाँववाले शहर पर निर्भर नहीं हैं, कपड़े के लिए भी उनको शहर की मिलों और कारखानों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

मनुष्य के लिए अन्न जितना प्रमुख है, आज के युग में कपड़े का महत्व उससे भी अधिक है। एक दिन भूखा रहा जा सकता है, लेकिन बिना कपड़े के तो कुछ धण्टे भी नहीं चल सकता। हमारी संस्कृति और सभ्यताका आधार वस्त्र है। जिनको नंगा रहना पड़ रहा है वे पिछड़े कहलाते हैं। उन्हें भी कपड़ा पहनाना है। मजबूरी से नंगा रहना गौरव की बात नहीं है। कपड़े के बारे में प्रत्येक परिवार और गाँव को शहरों पर निर्भर रहना पड़े, यह उचित नहीं है।[8]

गाँधी जी ने 1924 में कहा बुनाई उत्पादन योजना के कारण गाँववाले अपना कपड़ा खुद ही बहुत आसानी से तैयार कर सकेंगे। कपड़ा उनके लिए बहुत सस्ता, लगभग मुफ्त में मिल जाएगा। खेत में कपास पैदा होती है। उसे लाकर बिनौला निकालने, धुनने और काटने में उनको कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ता। बुनकरों से बनवाने की मजदूरी अवश्य देनी पड़ती है। घर-घर में बुनाई संभव नहीं है अब इस नयी योजना के अनुसार जब बुनाई की पूरी मजदूरी सरकार देती है तो किसान को अपने कपड़े के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। धुनाई और कटाई में उसका जो समय लगा वही उस कपड़े का मूल्य समझिये।[9]

महात्मा गाँधी ने खादी भावना यो व्याख्या की है खादी भावना को समझने केलिए खादी पहनने में जो सहचारी भाव हैं, वे हमें जान लेने चाहिए। जब कभी हम सबेरे खादी का कपड़ा पहनने के लिए उठते हैं, तो हमें स्मरण कर लेना चाहिए कि हम उसे दरिद्रनारायण के नाम पर करोड़ों भूखों मे लिए पहनते हैं। अगर हममें खादी भावना है तो हमारे प्रत्येक क्षेत्र में सादापन आ जाएगा। उसमे असीम धीरज भी है। जैसे कतिने और बुनकर अपना काम बड़े धीरज के साथ करते हैं, वैसे हमें भी स्वराज्य का सूत काटने में धीरज रखना चाहिए। खादी भावना में अटूट श्रद्धा भी होनी चाहिए। जैसे काटनेवाला काटते समय असीम श्रद्धा रखता है, यद्यपि इसका खुद का काटा हुआ सूत थोड़ा सा है तथापि सबका मिलाकर वह भारत के हर एक के कपड़ा दे सकेगा, वैसे ही हमें सत्य और अहिंसा में अटुट श्रद्धा होनी चाहिए कि आखिर वे हमारे मार्ग की हर एक मुश्किल को जीत लेंगे। खादी-भावना का अर्थ है, जगत् के हर एक मनुष्य के साथ बन्धु-भावना। इसका अर्थ है जो बात किसी भी व्यक्ति को हानि पहुँचा सकती है, उसका सम्पूर्ण त्याग। खादी में यह सारी शक्ति है। लेकिन उसमें तपश्या चाहिए। उन्हें इस बात का सदा मान रहना चाहिए कि जिन्होंने अपना जीवन खादी में लगाया है, वे अगर निरन्तर जीवन की शुद्धता का आग्रह न रखेंगें, तो लोग खादी से नफरत करेंगे। गाँधी जी का मानना था कि खादी अन्य व्यापारिक चीजों की स्पर्द्धा में टिक नहीं सकती जो बातें या शर्तें, दूसरी चीजों को लागू होती हैं, वे अगर खादी पर लागू करेंगे, तो खादी टिक न सकेगी पर खादी एक ऐसी विशेष चीज है, जो अपने अन्य गुणों के कारण दूसरी चीजों को मात कर दे सकती है।[10]

पहले लगभग 3 वर्षों में यह नया आन्दोलन आर्थिक दृष्टि से स्वदेशी के रूप में चला। सन् 1919 और 1920 में देश में, राजनीतिक दृष्टि से क्रांतिकारी घटनाएँ घटी। 13 अप्रैल, 1919 को जालियाँवाला बाग का हत्या काण्ड हुआ और सारा देश व्यधित हो गया। सन् 1920 में असहयोग आन्दोलन शुरू हुआ। गाँधी जी ने उसका जो कार्यक्रम देश के सामने रखा था, उसका प्रारम्भ उनके द्वारा तो तारीख। अगस्त 1920 को ही हो चुका था, पर काँग्रेस द्वारा उसका विचार काँग्रेस के कलकत्ते के विशेष अधिवेशन में सन् 1920 के सितम्बर महीने में हुआ। 1919 के दिसम्बर महीने में जो अमृतसर में काँग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें भी गाँधी जी की प्रेरणा से स्वेदशी के अन्तर्गत हाथ कटाई और हाथ बुनाई को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव पास हो चुका था। कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव में असहयोग के कार्यक्रम की कई धाराएँ थी, जिनमे विदेशी माल के वहिष्कार के अन्तर्गत स्वदेशी और खादी विषयक अंश इस प्रकार थे। अनुशासन के और स्वार्थ त्याग के बिना कोई देश सच्ची प्रगति नहीं कर सकता और चूँकि असहयोग उसका एक साधन है और चूँकि उसकी प्राथमिक अवस्था में ही हर एक स्त्री-पुरूष और बालक को अनुशासन और त्याग के लिए मौका मिलना चहिए, यह काँग्रेस सलाह देती है कि कपड़े में व्यापक पैमाने पर स्वदेशी को अपनाना चाहिए। चूँकि हिन्दुस्तान की मौजूदा मिलें (जो देशी पूँजी से देशी नियंत्रण) में चलती हैं देश की आवश्यकता का सूत और कपड़ा नहीं बना रही है और भविष्य में भी लम्बी मुद्दत तक उतना बनाना संभव नहीं दीखता, इसलिए यह काँग्रेस घर-घर में हाथ-कताई का पुनरूज्जीवन करके और बुनकरों को हाथ बुनाई का उद्योग देकर तुरन्त ही बड़ी तादाद में कपड़ा बनाने की सलाह देती है।[11] यह प्रस्ताव अमल में लाने के लिए हिदायतें दी गयी थीं कि हाथ कटाई और हाथ-बुनाई को प्रोत्साहन देकर तथा उस कपड़े का वितरण करके स्वदेशी को महत्व दिया जाए, कार्यकर्ताओं को विशेष शिक्षा दी जाए; उच्च श्रेणी के स्त्री पुरूषों को काटने के लिए तथा हाथ सूत का ही कपड़ा पहनने के लिए प्रवृत्त किया जाए और जगह-जगह कटाई सिखाने के वर्ग खोले जाएँ। इस काम को प्रोत्साहन देने का भार गाँधी जी द्वारा चलाए हुए सत्याग्रह आश्रम साबरमती पर, जिसका प्रारम्भ पहले कोवरब में हुआ था, आया और जो कार्यकर्ता इस कार्य में लगना चाहते थे, उनको सुझाया गया कि वे आश्रम के व्यवस्थापक से लिखापढ़ी करें। इसके बाद जब काँग्रेस का मानूली अधिवेशन नागपूर में सन् 1920 के दिसम्बर महीन में हुआ, तब इस विषय के प्रस्ताव का स्वरूप निम्नलिखित था "भारत को आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र और स्वावलम्बी बनाने के लिए देश को तैयार किया जाए, जिसमें व्यापारियों से कहा जाये कि वे विदेशी व्यापार के संबंधों का क्रमशः बहिष्कार करें, हाथ कटाई और हाथ बुनाई को प्रोत्साहन दें और इस सम्बंध में काँग्रेस महासमिति द्वारा मुकर्रर की हुई विशारदों की एक समिति आर्थिक वहिष्कार की एक योजना बनाये।"[12]

अप्रैल, 1921 को विजयवाड़ा की काँग्रेस महासमिति की बैठक में निश्चय हुआ कि एक करोड़ रूपये का "तिलक स्वराजय फण्ड इकट्ठा किया जाए, काँग्रेस के एक करोड़ सदस्य बनाये जाएँ और 30 जून तक 20 लाख चरखे चालू किये जाएँ। हर एक प्रांत अपनी-अपनी लोक संस्था के परिणाम में चरखे लागू करे। 28 जुलाई को फिर से बम्बई को काँग्रेस महासमिति की बैठक में एक प्रस्ताव पास हुआ कि देश से सहानुभूति रखने वाले सभी सज्जन अपना प्रयोग इस ओर केन्द्रित करें कि 30 सितम्बर तक विदेशी कपड़े का वहिष्कार सफल हो जाय, हाथ कटाई और हाथ-बुनाई से खादी बनाने का काम बढ़ाया जाए; सब काँग्रेस वाले 1 अगस्त से विदशी कपड़े का इस्तेमाल छोड़ दें, जिन घरों में चरखे नही चलते हैं, उन घरों में वे दाखिल किये जाएँ, बुनकरों को समझाया जाए कि वे

विदेशी सूत का उपयोग करना छोड़ दें और यथासंभव हाथ-सूत का और वह न मिले, तो भारतीय मिल के सूत का इस्तेमाल करें तथा खादी, चरखें करघे और अन्य सरंजाम मुहैया करने के लिए दुकानें खोली जाएँ। काँग्रेसी संस्थाओं को सलाह दी गयी कि राष्ट्रीय शालाओं में हाथ-कटाई और हाथ-बुनाई चलाने की भरसक कोशिश की जाए। मिल मालिकों से प्रार्थना की गयी कि वे अपने कपड़ों के भाव सस्ते रखें। यहाँ यह स्मरणीय है कि असहयोग आन्दोलन का मकसद पूरा करने की मीयाद एक वर्ष की रखी गयी थी। इसलिए उसके सारे कार्यक्रम जल्दी पूरा करने की कोशिश थी। व्यापक सविनय कानून भंग के लिए यह जरूरी माना गया कि उस क्षेत्र की जनता में से बहुसंख्य लोगों को पूर्ण स्वदेशी के व्रत को अपना लेना चाहिए और अपने क्षेत्र में बनी हुई खादी ही पहननी चाहिए। सन् 1922 में यह विचार सामने आया कि व्यापक सविनय कानून-भंग चलाया जाय। बारडोली तालुके की ओर से माँग आयी कि वहाँ व्यापक सविनय कानून भंग चलाने की इजाजत दी जाय। उसके लिए गाँधी जी ने शर्ते रखीं थी कि उस क्षेत्र में सम्पूर्ण जातीय एकता स्थापित होनी चाहिए; अस्पृश्यता का नामोनिशान नहीं रहना चाहिए तथा उतने क्षेत्र में केवल खादी की ही इस्तेमाल होना चाहिए अर्थात् व्यापक वस्त्र-स्वावलम्बन हो; इतना रचनात्मक काम होने पर ही वह क्षेत्र व्यापक सविनय कानून भंग के लायक माना जा सकेगा। सन् 1922 के मई महीने में इस ओर बारडोली तालुके में जोरो से तैयारियाँ होने लगीं। अन्य बातों के साथ-साथ कपास का संग्रह करने से लेकर कटाई-बुनाई की सब प्रक्रियाएँ उस क्षेत्र में सर्वत्र हों, ऐसा प्रयत्न होने लगा और बड़ी तादाद में कार्यकर्त्ता लोग उस काम में लगें। विजयवाड़ा के कार्यक्रम में से "तिलक स्वराज्य फण्ड" तो पूरा हो गया, किन्तु स्वदेशी और खादी का कार्यक्रम वैसा पूरा नहीं होने पाया, तथापि सहयोग के लिए स्वदेशी और खादी सम्बंधी उक्त प्रकार की शर्ते होने के कारण उनको जो प्रोत्साहन और वेग मिला, उसकी छाप खादी-काम पर सदा के लिए अमिट रही।[13]

फरवरी 1921 में गाँधी जी ने सुझाया कि विद्यालयों में भी कटाई और बुनाई दाखिल की जाय। बहुत सी पाठशालाओं में सरकारी नियंत्रण था। वहाँ तो इसकी आशा ही नही थी पर यहाँ तो असहयोग आन्दोलन में सरकार से सम्बद्ध सभी पाठशालाओं के बहिष्कार का ही बात थी। कार्यक्रम का यह अंश काफी सफल रहा। जो छात्र सरकारी पाठशालाएँ छोड़कर बाहर निकलें, उनके लिए राष्ट्रीय पाठशालाएँ खुलने लगीं। उनमें कटाई को स्थान दिया गया। हमारे देश की पृष्टभूमि पर दो बातें आती हैं। पहली, वह अहिंसात्मक दर्शन जिस पर पुरातन व्यवस्था आधारित थी और दूसरी, ब्रिटिश साम्राज्यवाद। इस दोनों बातों का नतीजा हमें महात्मा गाँधी के अहिंसात्मक साधनों द्वारा स्वाधीनता की लड़ाई में दिखाई देता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आशय यह है कि व्यक्ति को उचित कार्य करने की छूट हो। अपने विचार वह स्वंय सोच सके और उन्हें प्रकट करने और इच्छानुसार अपना धंधा अपनाने को उसे अधिकार हो। मानव समाज में स्वतंत्रता का मतलब इच्छानुसार कार्य करना नहीं हुआ करता। उसका मतलब कर्तव्य, अधिकार और आत्म-दमन होता है। दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य हमारे अधिकारों को सीमाबद्ध कर देते हैं। जब यह दमन किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो हमारे समाज का आधार हिंसा होती है और उसके लिए स्थल, जल, वायुसेना और पुलिस शक्ति काम में लानी पड़ती है। लेकिन यही रोक जब भीतरी होती है, जो हमारे समाज का आधार अहिंसा और पड़ोसी के प्रति कर्तव्य होता है।[14] जिस प्रकार अच्छे शरीर के लिए संतुलित भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार समाज के ठीक होने के लिए धंधों के बँटवारे का समतोल होना भी आवश्यक है। प्रत्येक गाँव में थोड़े बहुत कारीगर रहने चाहिए, जो गाँव की जरूरतें पूरा कर सकें। आदमी को रोटी के अंतिरिक्त दूसरी चीजों की भी जरूरत पड़ती है, यद्यपि रोटी उसका मुख्य भोजन रहता है। यदि सब लोग खेती करने लग जायें, तो समाज में योग्यता का गलत बँटवारा हो जायगा और एक सामाजिक रोग उत्पन्न हो जायगा। आज भारत में यही विशेष गड़बड़ है। उदाहरणार्थ, पुराने सुनारों की प्रतिभा और कारीगरी आज सड़क के पत्थर तोड़ने के काम में लायी जा रही है। सदियों से विकसित हुई हिन्दू कारीगरों की योग्यता आज व्यर्थ नष्ट हो रही है। इससे स्वयं मानव-समाज के विकास में बाधा पड़ती है। जमाने की बदलती हुई गति के अनुरूप आज इन होशियार कारीगरों की कला को आधुनिक माँगो के अनुसार घड़ियाँ और एसी दूसरी चीजें बनानें के काम में ला सकते थे पर आज हिन्दुस्तान इन चीजों का आयात करता है जबकि उसके अपने कारीगर बेकारी के मारे भूखों मरते हैं।

महात्मा गाँधी ने खादी ग्रामोद्योग को नयी समाज रचाना का प्रतीक माना था। सन् 1944 में चरखा संघ के नव संस्करण के रूप में गाँधी जी की इस विषय की कल्पना स्पष्ट होती है। चालीस गाँव का प्रस्ताव उसी कल्पना का कार्यान्वित करने की योजना है।वर्ष 1944 में विनोवा जी ने महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत किया।[15]

गाँवों की रचना ग्रामोद्योग मूलक होनी चाहिए। उसमें खादी, ग्रामोद्योग आदि को खड़ा करना होगा। यानी गाँव में जो कच्चा माल पैदा होता है, उसके पक्के माल की अगर गाँव को जरूरत है, तो वह पक्का माल गाँव में ही बनना चाहिए। इस सूत्र पर हम चलेंगे, तो गाँव को काम मिलेगा। ग्रामोद्योग, खादी, स्वावलम्बन, यह किये बिना सोशलिस्ट स्टेट बाई पीसफुल मीन्स/शांतिपूर्ण साधनों से समाजवादी राज्य नहीं होना, यह पक्की बात है। गाँधी जी ने सुझाव दिया कि सबसे पहले ग्राम सभा बनानी होगी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के द्वारा यह काम कराना होगा। कई जगहों कारजू कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि ग्राम पंचायत एक हजार की आबादी तक सीमित हो। अगर ऐसा होगा तो अच्छा होगा। फिर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में वह (गाँधी) फर्क नहीं करेंगे। यह काम ग्रामसभा या ग्राम पंचायत के द्वारा ही होगा। इससे आगे देशा में जितना काम होगा, चाहे खादी का हो या कुछ हो, कुल का कुल ग्राम सभा

के द्वारा होगा। एक भाई ने कहा कि "स्वावलम्बन में कुछ कटु अनुभव आये हैं। इसलिए उसके बारे में सोचने के बजाय पुराना तरीका ही अच्छा है। शायद इस नये तरीके से हम बुनकरों को पूरा काम नही दे पायेंगे। साढ़े पाँच लाख देहातो में कब पहुँचा जा सकेगा गाँधी जी ने कहा कि साढ़े पाँच लाख देहातों की बात वे नहीं सोच रहे हैं। फिलहाल एक हजार गाँवों के बदले दस हजार गाँवों में बुनाई के सेंटर हों। सारा काम धीरे-धीरे क्रम से होगा।[16] गाँव के स्तर पर ग्राम दान, ग्रामोद्योग, खादी, शांति सेना यह सब करना होगा। तभी देश में समाजवाद आयेगा अन्यथा नहीं। अगर प्रयत्न करने के बाद यह अनुभव आये कि आज के जमाने के खिलाफ यह काम है, तो फिर हम उसे कबूल करेंगे और फिर राहत के तौर पर खादी रहेगी। विश्व के समाज में यह मौका आया है कि ग्रामीण क्षेत्र को हम तैयार कर सकें। खादी की योजना ग्राम स्वराज्य का अंग है। ग्राम सभा निश्चय करता है कि हमारे गाँव में हम जमीन का बँटवारा करेंगे, खादी ग्रमोद्योग चलायेंगे, न्याय गाँव में होगा। ग्राम स्वराज्य से अलग करके हम सोचेगें, तो न यह खादी टिकेगी, न पुराने ढंग की खादी टिकेगी इसलिए समग्रता से सोचना होगा।[17]

असहयोग आन्दोलन के सिलसिले में कितने लोगों को जेल जाना पड़ा उनमें कुछ ऐसे थे, जिन्होंने खादी पहनने का व्रत ले रखा था।[18] कुछ नियम-पूर्वक प्रतिदिन सूत काटते थें। जेल के मामूली नियामों के अनुसार अधिकारियों ने उनके खादी के कपड़े उतार कर उन्हें जेल के कपड़े पहनने को मजबूर किया तथा कातने के लिए तकली या चरखा देने से इनकार किया। कुछ अपने व्रत पर डटे रहे उनको अनशन करना पड़ा, जेल के नियम तोड़ने के मुद्दे पर जेल की नाना सजाएँ भोगनी पड़ी। सन् 1921-22 के बाद भी जब-जब सत्याग्रह आन्दोलन चला, तब भी ऐसे प्रश्न खड़े होते रहे। ऐसे मुद्दे के लेकर खादी व्रतियों को बहुत कष्ट भोगने पड़े। दीर्घकाल तक यातनाएँ भोगने के बाद उनके लिए कातने की या खादी पहनने की कुछ सुविधाएँ होने लगी।

फरवरी 1922 में चौरा-चौरी काण्ड के कारण असहयोग आन्दोलन स्थगित हुआ और मार्च सन् 1922 में गाँधी जी गिरफ्तार हुए। उनकी गैरहाजिरी में भी काँग्रेस कार्य समिती ने रचनात्मक काम पर जोर देकर खादी के बारे में प्रस्ताव पास करके कहा" खादी के आन्दोलन का महान् राजनीतिक मूल्य होने के अलवा वह भारत के करोड़ों को घर बैठे फुर्सत के समय का एक स्थायी गृह-उद्योग देगा; अधभूखे करोड़ों गरीबों की आज की उनकी छोटी सी आमदनी में कुछ वृद्धि करेगा और धनवान् तथा गरीबों को जोड़ेनवाली कड़ी बनेगा। इसलिए काँग्रेस कार्य समिति को आशा है कि भारत के सब दलों और प्राणियों के स्त्री-पुरूष राजनीतिक मतभेद भूलकर खादी के आन्दोलन को हार्दिक सहयोग देंगे। जून,1924 में काँग्रेस के सदस्य तन मन से काते, इसलिए एक विशेष यत्न शुरू हुआ, जो आगे चलकर उसकी सदस्यता के लिए कातना मताधिकार बनने में परिणत हुआ। 19 जून 1924 को गाँधी जी ने एक लेख द्वारा जाहिर किया कि वे काँग्रेस महासमिति के सामने उनके विचारार्थ नीचे लिखा प्रस्ताव उपस्थित करना चाहते हैं। इस बात का ख्याल करके कि स्वराज्य प्राप्त करने के लिए हाथ कताई और उससे बनने वाली खादी को अपरिहार्य और काँग्रेस द्वारा सविनय कानून भग के लिए इनका स्वीकार आवश्यक तैयारी के रूप में माने जाने के बावजुद भी देश भर की काँग्रेसी संस्थाओं ने खुद कातने में अब तक लापरवाही की है। काँग्रेस महासमिति निश्चय करती है कि काँग्रेस की प्रतिनिधि संस्थाओं के सब सदस्य, बीमारी के कारण असमर्थ होने के अथवा लगातार मुसाफिरी में न बन आने की दशा को छोड़कर अन्य समय में, हर रोज नियम पूर्वक कम से कम आधा घंटा सूत कातें और अखिल भारत खादी मण्डल के मंत्री के पास हर एक सदस्य सामान और अच्छे बट का दस तोला सूत, जो दस नम्बर के नीचे का न हो महीने की 15 तारीख तक पहुँचा दें। जिस सदस्य का स्थान इस प्रकार से खाली होगा, उसे दूसरे सामान्य चुनाव तक चुनाव में खड़े रहने का अधिकार नहीं रहेगा।[19]

30 जुलाई 1925 के 'यंग इण्डिया' में गाँधी जी ने चरखा संघ की इस कल्पना के बारे में लिखा

"काँग्रेस के प्रधानत: राजनीतिक संस्था बनाने की दशा में यह आवश्यक हो गया है कि सारे भारत के कातने वाले का एक ऐसा संघ बनना चाहिए, जो काँग्रेस के सूत मताधिकार सम्बंधी कताई भाग की व्यवस्था और विकास करें। कातनेवाले सदस्य जो सूत दें, उसे ले और केवल हाथ कताई और खादी के काम पर जोर दें, अगर ऐसा संघ स्थापित हो, तो वह शुद्ध व्यावसायिक रूप का हो, स्थायी हो और काँग्रेस की नीति में परिवर्तन होने पर भी उसमें परिवर्तन न हो। इसलिए उसका कार्यकारी मण्डल यथा सम्भव स्थायी हो। उसको खादी-सेवकों का संगठन करना हो। वह देहात का प्रतिनिधित्व करेगा और दूर-दूर के गावों तक चखें का संदेश पहुंचाकर देहात कासंगठन करेगा। इसके अलावा अब-तक जो नहीं हुई, ऐसी यह भी एक बात करेगा कि देहात से सम्पति को लाने, के बदले गाँव वालों में सम्पति का वितरण करेगा। वह देहाती जीवन में शांतिमय प्रवेश करेगा और वहाँ सच्चा राष्ट्रीय जीवन बहायेगा। वहाँ आज तक जगत् में नहीं दीखा, ऐसा सबसे प्रबल सहयोग का प्रयत्न होना चाहिए अगर योग्य मात्रा में बुद्धि मिले, योग्य मात्रा में साधारण त्याग मिले और साधारण ईमानदारी रहे तथा धनी और मध्यम वर्ग से सहायता मिले, तो उसको यश मिलना निश्चित है। देखें, भविष्य में भारत के भाग्य में क्या लिखा है।[20]

महात्मा गाँधी के मार्ग दर्शन में काँग्रेस ने अपने सदस्यों को कातने के मार्ग पर लाने में काफी कोशिश की। गाँधी जी मानते थे कि देशभर में व्यापक वस्त्र स्वावलम्बन होना चाहिए। नेता लोग स्वयं कातेंगे तो दूसरे भी कातने लगेंगे। कताई संगठन से देश की जो शक्ति बढ़ेगी, वह देश के कल्याण के लिए आवश्यक सब काम करा सकेगी। कातना उसके अन्य गुणों के साथ शारीरिक श्रम का प्रतीक

भी था। व्यावहारिक रूप में काँग्रेसजनों के सामने दो बातें आयीं एक खादी पहनना और दूसरा कातना। काँग्रेस में इन विषयों के प्रस्ताव बड़े बहुमत से पास हाते गये। उन मत देने वालों में कई निष्ठावान थे, जो ये बातें दिल से चाहते थे और करते भी थे। कुछ देखा देखी संकोच से भी पक्ष मे राय दे देते थे, पर उसे अमल में लाने के लिए जो थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, उसके लिए वे तैयार नहीं थे। कुछ ऐसे भी थे, जो इन बातों के और गाँधी जी की विचारधारा के खिलाफ थें। परन्तु काँग्रेस में प्रस्ताव पास हो जाने पर और उसे लाजिमी होने पर अनुशासन के बिचार से उनको भी यह करना पड़ता था। काँग्रेस द्वारा इस सम्बंध मे स्वीकृत प्रस्तावों के सिद्वान्त के अनुसार चलने की काँग्रेस सदस्यों के सिवा अन्य लोगों ने भी कोशिश की। पर काँग्रेसी सदस्यों का ही विचार किया जाये, जो कहना पड़ेगा कि उनमें से अनेक लोगों ने इन बातों को दिल से नहीं अपनाया। कई दोष पैदा हुए। इतनी बड़ी संख्या के कारोवार में उनको महत्व देना भी उचित नहीं। तथापि उनका यहाँ उल्लेख न किया जाय तो यह विवरण अधूरा रह जायगा, ऐसा लगता है। कातने के बारे में प्रारम्भ में दोनों बातें रखी थी कि अपना खुद का काटा हुआ या दुसरों से कतवाकर या प्राप्त करके सूत दिया जा सकता है। इसमें यह बुराई पैदा होने लगी कि सूत का केवल नाम करके उसे फिर से वापस लेकर वही सूत अनेक के नाम पर पुनः आने लगा। इसलिए आगे चलकर खुद कटा सूत देने का नियम बना पर उसमे भी किसी भी प्रकार से प्राप्त किया हुआ सूत अपना कटा हुआ कहकर दिया जाने लगा। जब अपना कता सूत देना मताधि कारी की योग्यता, बनी, तब थोड़े ही समय के बाद सदस्यों कीसंख्या काफी घटने लगी। सूत कातवाने के पीछे शारीरिक श्रम कराने की भावना भी थी, इसलिए मताधिकार में आगे चलकर सूत काटना अथवा सफाई आदि शारीरिक श्रम के दूसरे काम करना भी रखा गया। तथापि इनका भी दिल से अमल करनेवालों की संख्या नहीं बढ़ी।[21] बाद मे विकल्प में चार आने नकद देने का नियम बना। धीरे-धीर सूत काटना, शारीरिक श्रम करना उत्पाद सब बातें छूट गया और सदस्यता का आधार केवल चार आना पैसा चन्दा ही रह गया। इस प्रकार काँग्रेस के द्वारा काँग्रेस सदस्यों में सूत कातने का प्रचार बहुत अधिक नहीं हो पाया। काँग्रेस के प्रतिनिधि सदस्यों के लिए खादी पहनने की शर्त तब से अब तक लाजिमी था, तथापि कुछ तो वोट देने के समय और काँग्रेस की सभाओं में खादी नही पहनते थे।[22] जब किसी के विरूद्ध खादी न पहनने का कोई उग्र विरोध करता, तो अंग पर खादी न होते हुए भी वह कह देता था कि मैं खादी ही पहने हुए हूँ और यदि सभा का अध्यक्ष उसके पक्ष के अनुकूल रहता, तो वह यह निर्णय दे देता था कि जब सदस्य कहता है कि मेरा कपड़ा खादी है, तो उसे वैसा मान लेना चाहिए, अधिक विचार या जाँच करने की जरूरत नहीं। आगे चलकर खादी का अर्थ प्रमाणित खादी हुआ। तब भी कई काँग्रेस के सदस्य अप्रमाणित खादी पहनकर संतोष मान लेते रहे। इस प्रकार खादी के विषय को लेकर काँग्रेसी सदस्यों में कई दोष पैदा होते गये। इतनी बड़ी जमात में, जिसमें कि भिन्न-भिन्न मतवाले शामिल रहते थे, ऐसा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। फिर भी काँग्रेस के द्वारा खादी को जो प्रोत्साहन मिला, वह खादी काम को बढ़ावा देने में बहुत सहायक हुआ। उसके बिना खादी काम का इतना बढ़ना संभव नहीं था।

निष्कर्षः

गाँधी दर्शन में खादी का महत्व भारतीय समाज के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण से जुड़ा हुआ है। खादी केवल एक वस्त्र नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, स्वदेशी भावना और आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। महात्मा गांधी ने खादी को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन का आधार बनाया और इसे ग्राम स्वराज की ओर एक महत्वपूर्ण कदम माना। खादी ने न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया, बल्कि यह समाज के सभी वर्गों को एक सूत्र में बांधने का साधन बनी। इससे समाज में समानता, भाईचारा और आत्मसम्मान की भावना को बल मिला। खादी के माध्यम से गांधीजी ने यह संदेश दिया कि साधारण कार्यों के माध्यम से भी राष्ट्र निर्माण संभव है। आज भी खादी भारतीय संस्कृति और स्वावलंबन का प्रतीक बनी हुई है। यह भारत की आत्मा और विरासत से जुड़ी हुई है, जो सरलता, अहिंसा और सत्य के मूल्यों को दर्शाती है। खादी का महत्व न केवल स्वतंत्रता संग्राम में था, बल्कि यह वर्तमान में भी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। गांधीजी का यह दर्शन हमें आत्मनिर्भरता और सादगी की शक्ति का बोध कराता है।

सन्दर्भ

1. प्यारे लाल, महात्मा गाँधी दी लास्ट फेज जिल्द 1, किताब। पृ०- 52 अहमदाबाद, नवजीवन प्रकाशन, 1965
2. मोहन दास करमचंद गाँधी, फ्रॉम चखड़ा मंदिर पृ० 43 (अहमदाबादः नवजीवन पब्लिशिंग हाउस), 1980
3. मो० क० गाँधी, कान्सक्टिव प्रोग्राम, पृ० 15 (अहमदाबादः नवजीवन, 1981)
4. प्यारे लाल, महात्मा गाँधी दी लास्ट फेज, जिल्द 1, किताब पृ० 53
5. वही, पृ० 50
6. मो० क० गाँधी, गाँव की खादी, पृ० 5 वाराणसी सर्व सेवा संघ, राजघाट
7. वही, पृ० 6
8. वही, ५० 7-8

9. महादेवभाई की डायरी, गाँधीजी के साथ पच्चीस वर्ष, आठवाँ खण्ड, (वाराणसी: सर्व सेवा संघ प्रकाशन, 1970) पृ०1०
10. वही, पृ०1०
11. हरिमाऊ उपाध्याय, बापूकथा पृ० 78-79
12. श्री कृष्णादास जाजू, अखिल भारत चरखा संघ का इतिहास, पृ० 76-77 (वर्षा: अखिल भारत चरखा संघ)
13. वही, पृ० 77
14. शंकरलाल घेलाभाई बैंकर, गाँधी जी और राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ, पृ 101 (वाराणसी: सर्व सेवा संघ, 1969)
15. जे सी. कुमार का गाँव आंदोलन क्यों, पृ० 144 (सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी पृ० 144)
16. विनोवा, ग्रामाभिमुख खादी, पृ० 36-37 और महादेवभाई की डायरी, 39
17. कृष्ण कृपालानी, गाँधीजी का जीवन उन्हीं के शब्दों में पृ० 88 (अहमदाबाद: नवजीवन प्रकाशन 1983)
18. ग्रामभिमुख खादी-पृ०51 (बाराणसी: सर्व सेवा संघ, 1968) पृ० 48
19. विनोबा, ग्रामाभिमुख खादी पृ० 62-63
20. श्री कृष्णदास जाजू, चर्खा संघ का इतिहास पृ० 104 (अहमदाबाद: नवजीवन प्रकाशन)
21. यंग इण्डिया, 30 जुलाई 1925
22. श्री कृष्ण दास जाजू, चर्खा संघ का इतिहास, पृ० 114

डॉ0 सतीश कुमार राय की शोध-दृष्टि

रितु प्रिया

शोध-छात्रा, हिन्दी, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

बाबासाहेब भीमराम अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के हिन्दी विभागाध्यक्ष प्रो0 सतीश कुमार राय का व्यक्तित्व अप्रतिम एवं साहित्य जगत में कीर्तिमान का प्रतिमान है। इनकी शिक्षा और साहित्य दोनों में अप्रतिम योगदान है। चाहे शोध का क्षेत्र हो या संपादन का क्षेत्र हो, काव्यालोचन हो, कथालोचन हो या नाट्यलोचन हो साहित्य की इन तमाम विधाओं में गुण और परिणाम दोनों दृष्टियों से उनका योगदान रेखांकित करने योग्य है। इसके साथ ही पिछले लगभग तीन दशकों से वे एक विद्वान शिक्षक के रूप में अपनी एक ठोस पहचान बना चुके हैं। वे एक अत्यन्त लोकप्रिय शिक्षक के रूप में सम्मानित हैं। उनके द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी सर्जनात्मक जीवन में अनेक क्षेत्रों में देश और पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा से समाज को और संबंधित क्षेत्रों को राह और रौशनी दिखा रहे हैं।

डॉ0 राय का जन्म 1962 ई0 में पश्चिमी चम्पारण के बेतिया नगर में हुआ था। 1984 ई0 में बिहार विश्वविद्यालय से इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त करते हुए हिन्दी में एम0ए0 किया, मार्च 1990 इर्ठ0 में मगध विश्वविद्यालय सेवा के अन्तर्गत इनकी नियुक्ति हुई। दिसम्बर 1993 ई0 में ये बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में आए। डॉ0 राय की शोध के अध्ययन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इनके चार शोध ग्रन्थ प्रकाशित हैं:- (1) पश्चिमी चम्पारण की हिन्दी पत्रकारिता (2) एकांकीकार भुवनेश्वर का यथार्थ बोध (3) पत्रकार प्रेमचंद (4) परम्परा की कीर्ति-स्तंभ।

शोध एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। यह अज्ञात को ज्ञात करने और अल्प-ज्ञात को पूर्ण-ज्ञात करने की बौद्धिक प्रक्रिया है। शोध के लिए हिन्दी में अनेक शब्द प्रचलित है जैसे- अनुसंधान, खोज, अन्वेषण, अनुशीलन, गवेषणा आदि। शोध के संदर्भ में डॉ0 उदयभानु सिंह का कथन है- "शुध् धातु का अर्थ है- निर्मल होना, संदेहरहित होना। शोध या शोधन का अर्थ है- प्रमाणीकरण, परिष्करण, दोष निवारण, खोज अन्वेषण, विचारणा, छानबीनपूर्वक अवधारणा, वस्तु के वास्तविक स्वरूप का निर्धारण। शोध शब्द रिसर्च की अधिकांश विशेषताओं का वाचक है। पाठालोचक लिपिक दोषों का परिहार करके रचना विशेष के मूलपाठ का तर्कसंगत निर्धारण करता है। अत: पाठानुसंधान की अर्थ व्यंजना सर्वाधिक समर्थता शोध शब्द में ही है। आधुनिक हिन्दी में रिसर्च के लिए शोधकर्ता का और रिसर्च स्टूडेंट के लिए शोध छात्र का अबाध व्यवहार हो रहा है। थीसिस के लिए तो शोध प्रबंध शब्द पूर्णतया प्रतिष्ठित है।"[1]

सतीश कुमार राय का पहला शोध पत्र 'चम्पारण की हिन्दी पत्रकारिता' 1984 ई0 में बेतिया टाइम्स में प्रकाशित हुआ। चम्पारण में हिन्दी पत्रकारिता के सौ वर्ष पूरे होने पर परम्परा की खोज के रूप में इस लेख का प्रकाशन हुआ था। 1987ई0 में उनकी शोध पुस्तक 'पश्चिमी चम्पारण की हिन्दी पत्रकारिता' प्रकाशित हुई। यह अध्ययन भूमिका के अतिरिक्त चार अध्यायों में समायोजित था। पत्रकारिता का स्वरूप विश्लेषण करते हुए श्री राय ने लिखा है- "पत्रकारिता एक खोजपूर्ण वैचारिक यात्रा है। इस यात्रा में एक सजग पत्रकार सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं को रेखांकित करता है और उनके समाधान की खोज करता है। वह अपनी खोज का निष्कर्ष, अपना दृष्टिकोण विचार के रूप में जनता तक प्रेषित करता है और यदि लेनिन के शब्दों में कहा जाए तो- 'जनता तक पहुँचने पर विचार एक नैतिक शक्ति बन जाते हैं।' कहना ना होगा कि यह नैतिक शक्ति मानवीयता के विकास में अपनी महान भूमिका रखती है। इस प्रकार पत्रकारिता सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चेतना की महान् वाहिका है। भारतीय चेतना को जाग्रत करने में हिन्दी पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिन्दी पत्रकारिता ने ही सर्वप्रथम निराश पददलित और पराधीन भारतवासियों को विश्वास, सम्मान तथा स्वतंत्रता का संदेश दिया।"[2] चम्पारण का पहला पत्र 'चम्पारण हितकारी' 1881 ई0 में प्रकाशित हुआ। चम्पारण की पत्रकारिता के उदभव को रेखांकित करते हुए वे लिखते हैं- 'चम्पारण हितकारी' का प्रकाशन चम्पारण की तत्कालीन परिस्थितियों में काफी महत्वपूर्ण कहा जायेगा। इसका प्रकाशन उस समय हुआ जब चम्पारण की धरती निहलों के अत्याचार से आक्रान्त थी। पूरे जन-समाज में एक अजीब आतंक व्याप्त था। इसने पहली बार चम्पारण के सहमें जन-जीवन में आस्था का मंत्र फूँकने का प्रयास किया। इसके सम्पादक पं0 शक्तिनाथ झा, जो बेतिया राज के पुरोहित ही नहीं थे, एक निर्भिक एवं स्वतंत्र चेतना-सम्पन्न व्यक्ति थे। इसके नामाकरण के पीछे उनकी पैनी दृष्टि और मौलिक सूझ की भूमिका थी। जिस समय अंग्रेज अपनी शोषण नीति से चम्पारण का भीषण अहित कर रहे थे, उसी समय पं0 झा ने पत्रकारिता के माध्यम से हितकारी उपायों की खोज करने की कोशिश की। प्रारंभ में इसका प्रकाशन साप्ताहिक रूप में होता था किन्तु बाद में यह पत्रिका पाक्षिक हो गयी। कुछ दिनों के बाद आर्थिक अभाव के कारण इसका प्रकाशन बन्द हो गया।"[3]

चम्पारण के पहले पत्र का संक्षिप्त परिचय देने के बाद वे भारतेन्दु युग के प्रतिनिधि रचनाकार चन्द्रशेखर धर मिश्र द्वारा सम्पादित विद्या धर्म दीपिका के संदर्भ में कहते हैं:-

"सन् 1889 ई0 में पं0 चन्द्रशेखर धर मिश्र (1858-1946 ई0) ने मासिक 'विद्या धर्म दीपिका' का सम्पादन-प्रकाशन आरम्भ किया। पं0 चन्द्रशेखर धर मिश्र भारतेन्दुयुगीन मूर्द्धन्य साहित्यकार एवं पत्रकार थे। खड़ी बोली हिन्दी कविता के विकास के साथ हिन्दी पत्रकारिता के विकास में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।"[4]

विद्या धर्म दीपिका का उद्देश्य विद्या और धर्म का संरक्षण और सम्बर्द्धन था। यह साहित्यिक पत्रिका होने के साथ स्वास्थ्य संबंधी उपयोगी सामग्री की पत्रिका भी थी। लगभग सोलह वर्षों तक प्रकाशित इस पत्रिका ने हिन्दी क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई। डॉ0 राय लिखते हैं- 'विद्या धर्म दीपिका' का प्रकाशन चम्पारण की पत्रकारिता को ही नहीं अपितु संपूर्ण हिन्दी पत्रकारिता की एक महान् उपलब्धि रही है। इसमें देश के महान् साहित्यकारों की महत्वपूर्ण रचनाओं का प्रकाशन हुआ। इस पत्रिका के सारे अंकों की खोज करने पर भारतेन्दुयुगीन हिन्दी साहित्य के सम्बन्ध में कुछ नये तथ्य प्रकाश में आ सकते हैं। बहुत से अज्ञात किन्तु समर्थ साहित्यकारों का पता चल सकता है और बहुत से ज्ञात साहित्यकारों के विषय में नयी जानकारियाँ प्राप्त हो सकती है।"

'विद्या धर्म दीपिका' के प्रकाशन के मूल में देवकीनन्दन तिवारी द्वारा संचालित विद्या-धर्म-वर्द्धिनी सभा, जिसमें मिश्र जी सक्रिय रूप से सम्बद्ध थे, की प्रेरणा स्वीकार की जाती है। इसके अतिरिक्त भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, पं0 प्रतापनारायण मिश्र और महामना मालवीय जी का सहचर्य भी मिश्र जी को पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय करने का कारण रहा होगा। जीवन के अन्तिम समय में मिश्र जी ने वाराणसी में "आविष्कार" का सफलतापूर्वक सम्पादन किया।[5]

इन तीन पत्रिकाओं के अतिरिक्त उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में बेतिया से 'किसान सेवक' के प्रकाशन का विवरण भी ज्ञात होता है किन्तु इसके बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हो पायी है।[6]

'चम्पारण चंद्रिका' चम्पारण से प्रकाशित होने वाला तीसरा और बेतिया से प्रकाशित होनेवाला दूसरा पत्र है। डॉ0 राय इसका विवरण देते हुए लिखते हैं:-

'चम्पारण हितकारी' के पश्चात् दिसम्बर 1890 ई0 में बेतिया के चन्द्रिका प्रेस से 'चम्पारण चन्द्रिका' का साप्ताहिक रूप में प्रकाशन आरम्भ हुआ। रामनगर के राजा श्री मोहन विक्रम शाह देव, उनके सभासद पं0 देवी प्रसाद उपाध्याय, दिवान विन्ध्यवासिनी प्रसाद और बेतिया राज के कार्यालय अधीक्षक श्री महावीर प्रसाद के वित्तीय सहयोग से इसका प्रकाशन आरम्भ हुआ। इसके प्रथम संपादक मिश्र टोला, दरभंगा निवासी पं0 भुवनेश्वर मिश्र नियुक्त हुए जो पेशे से वकील थे और बेतिया में रहते थे, किन्तु उनके दरभंगा चले जाने के बाद इसका संपादन श्री महावीर प्रसाद 'वीरन'(राज स्कूल के हेड पण्डित और प्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाल के काव्यगुरू) और खड़ी बोली के आदि कवि पं0 चन्द्रशेखर मिश्र ने किया।"[7]

इन तीनों पत्रों के विवरण के बाद वे लिखते है- "इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध पश्चिम चम्पारण में हिन्दी पत्रकारिता के उद्भव और विकास का कारण है। अपने आरम्भ काल में ही इसने हिन्दी पत्रकारिता की समृद्धि और विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभिव्यक्ति के माध्यम से इसने राष्ट्रीयता, साहित्यिकता और बौद्धिकता के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। निस्संदेह 19वीं शताब्दी के अंत में पश्चिम चम्पारण में हिन्दी पत्रकारिता के उद्भव ने इस शोषित और पीड़ित क्षेत्र को एक नयी आस्था, नया जीवन और नयी चेतना प्रदान की।"[8]

बीसवीं शताब्दी में हिन्दी पत्रकारिता विकसित हो चुकी थी। भारतेन्दु युग हिन्दी पत्रकारिता की समृद्धि का युग है। बेतिया में यंत्रालय की स्थापना ईसाई पादरियों ने की। मुद्रण की व्यवस्था हो जाने के बाद उन्होंने धार्मिक पुस्तकों के साथ पत्र का भी प्रकाशन किया। डॉ0 राय के अनुसार-

"बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में ईसाई धर्म के प्रचारार्थ बेतिया मिशन के पादरियों ने 'सत्य संवाद' नामक पाक्षिक पत्र का प्रकाशन आरम्भ किया। यह पत्र लगभग चार वर्षों (1907-1911 ई0) तक प्रकाशित हुआ और इसका एक मात्र उद्देश्य ईसाई धर्म की महत्त एवं गरिमा का प्रतिपादन करना था। इसमें लोक-प्रचलित हिन्दी में बाईबिल की शिक्षाओं एवं ईसा मसीह की जीवन-लीलाओं का वर्णन रहता था। कहना गलत न होगा कि ईसाई मिशन पत्रकारिता के माध्यम से आम जनता को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहता था। इस कार्य में उसे पर्याप्त सफलता भी मिली। जहाँ उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ईसाई धर्मावलम्बियों की संख्या 1201 थी, वहीं बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में उसमें आशातीत वृद्धि हुई। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 'सत्य संवाद' अपने धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति में पूरी तरह सफल रहा"[9]

डॉ0 राय ने पत्र-पत्रिकाओं में भी अनेक शोधपरक आलेख लिखे हैं। उन्होंने 'अन्वेषक' (2000ई0), 'शोध-निकष' (2011 से), 'शोध-मनीषा' (2015, 2021) और 'शोध प्रतिमान' (2019 से) का सम्पादन किया है। इस प्रकार हिन्दी शोध को गुणवत्ता और समृद्धि देने में डॉ0 राय की भूमिका अपना एतिहासिक महत्व रखती है।

सन्दर्भ सूची:-

1. अनुसंधान स्वरूप और आयाम, सम्पादक डॉ0 उमाकांत, डॉ0 ब्रजरत्न जोशी, पृष्ठ-11
2. पश्चिमी चम्पारण की हिन्दी-पत्रकारिता, पृष्ठ-7
3. वही, पृष्ठ-12
4. वही, पृष्ठ-13
5. वही, पृष्ठ-13-14
6. वही, पृष्ठ - 12-13
7. वही, पृष्ठ-14
8. वही, पृष्ठ-11
9. वही, पृष्ठ-15

सुर साहित्य में भक्तिः एक अवलोकन भक्तिः सुर- साहित्य के परिप्रेक्ष्य में

राम स्नेही राम

सहायक प्राध्यापक (हिंदी विभाग) जामताड़ा महाविद्यालय, जामताड़ा

भूमिका

भक्ति काल की सगुण धारा के कृष्ण भक्ति के रत्न भक्त प्रवर सूरदास हिन्दी साहित्य के एक महान कवि हैं। कृष्ण भक्ति धारा के कवियों ने अपने काव्य में भावात्मकता को ही प्रधानता दी, संगीत के माधुर्य ने उनके काव्य में और अधिक निखार ला दिया। इनके काव्य में भाव तथा कला पक्ष दोनों ही को प्रौढ़ रूप में देखा जा सकता है। जिसके कारण तत्कालीन समाज व जनमानस ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और भरपूर रसास्वादन किया। कृष्ण भक्ति साहित्य में एक लंबे अरसे तक भक्त जनों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण की लीलाओं के गान कृष्ण के प्रति सख्य भावना, इत्यादि दृष्टिकोण से ही कृष्ण काव्य का महत्व नहीं है अपितु आगे चलकर राधा कृष्ण को लेकर नायक नायिका भेद, नख शिख वर्णन, इत्यादि की जो परंपरा रीतिकाल में चली, उसके बीज कहीं ना कहीं इन्हीं काव्यों में सन्निहित दीख पड़ते हैं। रीतिकालीन काव्य में ब्रजभाषा को जो अलंकृत और कलात्मक रूप मिला, वह कृष्ण काव्य के कवियों द्वारा भाषा को प्रोढ़ता प्रदान करने के कारण ही संभव हो पाया।

कुंजी शब्द- भावात्मकता, प्रौढता, प्रेमलक्ष्णा, पुष्टिमार्ग, वात्सल्य, श्रृंगार, आसक्ति, उपासना, मर्मस्पर्शी, कर्मकांड, सायुज्य बौद्धिकता, अलौकिकता।

वल्लभाचार्य के शिष्य महाकवि सूरदास को कृष्ण भक्त कवियों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। अष्ट छाप कवियों में से एक सूरदास के द्वारा रचित ग्रंथों में सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली का नाम उल्लेखनीय है। हालांकि अष्ट छाप कवियों में कवि कुंभनदास को सबसे बड़ा कहा जाता है लेकिन कवित्व की दृष्टि से सूरदास सबसे ऊपर माने जाते हैं। वल्लभ साधना मार्ग को भक्ति के क्षेत्र में पुष्टिमार्ग के नाम से जाना जाता है। सूरदास जब वल्लभ के पुष्टि मार्ग में दीक्षित नहीं हुए थे और वह एक संत थे तब उन्होंने सभी उपासना पद्धतियों, भक्ति प्रणालियों को समान भाव से देखा। उनके प्रारंभिक पदों को अगर देखा जाए तो उसका संबंध विनय, आंतरिक साधना, व गुरु के महत्व इत्यादि से संबंधित दीख पड़ता है किंतु जैसे ही सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो गए तदुपरांत जो पद उन्होंने रचे उसका संबंध प्रेमलक्षणा भक्ति से है। पुष्टिमार्ग को परिभाषित करते हुए श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंध के दशम अध्याय में कहा गया है पोषणं तदनुग्रह अर्थात ईश्वर का अनुग्रह (कृपा) ही पोषण है। एक भक्त के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति की जागृति भगवत कृपा के द्वारा ही होती है।

पुष्टि मार्ग को देखा जाए तो उसमें तीन प्रकार के जीवों की चर्चा की गई है-

(1)पुष्टि जीव- इसके अंतर्गत वैसे जीव आते हैं जो भगवान के अनुग्रह पर विश्वास करते हैं तथा उनकी नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं।

(2)मर्यादा जीव- इसके अंतर्गत वैसे जीब आते हैं जो वेद विहित मार्ग का अनुसरण करते हैं तथा स्वर्ग को प्राप्त करते हैं।

(3)प्रवाह जीव- इसके अंतर्गत वैसे ही बातें हैं जो संसार के प्रवाह में पड़कर सांसारिक सुखों में लीन रहते हैं।

उपर्युक्त तीनों प्रकार के जीवों में पुष्टि जीव को ही सर्वोपरि माना गया है। ईश्वर के अनुग्रह का अधिकारी वही जीव बनता है जो पूर्णतः ईश्वर पर निर्भर होता है और इस प्रकार का जीव है अंत में उनकी नित्य लीला में सम्मिलित होता है। पुष्टि मार्गी भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण गोपियों की प्रेम भक्ति को बताया गया है।

सूरदास की भक्ति

कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन विशेष रूप से किया है श्री कृष्ण के बाल रूप व प्रेम लीला के मधुर रूप की झांकी का चित्रण कृष्ण भक्त प्रेमियों ने अपनी रचनाओं में बखूबी किया है। सूरदास ने कृष्ण के वचन लिया चित्रण तथा प्रेम संबंध चित्रण को बहुत ही माधुर्य भाव से प्रस्तुत किया है। कृष्ण भक्ति साहित्य को आनंद और उल्लास का साहित्य कहा जाता है। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार वर्णन के साथ-साथ प्रीति तत्व का भी समावेशन किया है। काव्य में अलंकार

निरूपण तथा नायिका भेद का सुंदर चित्रण भी प्रस्तुत किया गया है। सूरदास ने अपने काव्य में प्रीति तत्व का समावेश बखूबी किया है। साहित्य लहरी में सूरदास ने नायिका भेद तथा अलंकार का वर्णन किया है। इन कवियों ने अपने काव्य में प्रेममयी भक्ति भावना की अभिव्यक्ति की है। इन्होंने कृष्ण की प्रेममयी में छवि को काव्य का प्रमुख विषय बनाया है तथा प्रेम तत्व का निरूपण किया है। इन्होंने वात्सल्य सख्य और माधुर्य के क्षेत्र में कृष्ण लीलाओं का गान करते हुए अपनी भक्ति भावना को उजागर किया है। जहां एक ओर कृष्ण काव्य धारा सामंती जड़ता का विरोध करता है वहीं दूसरी ओर जीवन के प्रति आवश्यक राग व रंग पर अपना विश्वास दर्शाता है। इस धारा में प्रेम बाल लीला चित्रण वात्सल्य चित्रण इत्यादि के माध्यम से समाज को सुदृढ़ करने के साथ-साथ मानव की स्वतंत्रता के बाधक तत्वों का विरोध किया गया है। भाव की प्रधानता होने के कारण इन काव्यों में प्रकृति चित्रण आलंबन रूप में कम तथा उद्दीपन रूप में अधिक हुआ है। जहां-जहां इन्होंने राधा कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया है वहीं उनकी बज भूमि के सौंदर्य का भी निरूपण बखूबी किया है।

कवि प्रवीण सूरदास ने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया था तथा पुष्टि मार्ग को अपनाया था। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया कि वे पर ब्रह्म है और दिव्य गुण संपन्न पुरुषोत्तम हैं। कृष्ण अपन प्रेममय हैं। उन्होंने प्रेम के वशीभूत होकर ही ब्रह्म में अवतार लिया। सूरदास ने प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए अपनी रचनाओं में भक्ति की विकलता अभिलाषा तथा विवशता का सुंदर चित्रण किया है। सूरदास की भक्ति को अगर देखा जाए तो उनकी भक्ति सख्य भाव की है जिसमें भगवान के साथ भक्त का सखा भाव रहता है। सूरदास ने पुष्टिमार्ग की सेवा भाव को अपनाते हुए भक्ति के तीनों रूप यथा गुरु सेवा संत सेवा तथा प्रभु सेवा को अपनी भक्ति भावना में स्थान दिया है। पुष्टिमार्ग में नित्य सेवा विधि एवं वार्षिक उत्सव सेवा विधि का विशेष महत्व माना गया है। सूरदास ने प्रातः काल से लेकर शयनपर्यंत भगवान की सेवा विधि का वर्णन अपने काव्य में किया तथा वार्षिक उत्सव सेवा विधि के अंतर्गत उन्होंने भगवान के विभिन्न अवतारों का पूरा वर्णन किया।

पुष्टिमार्ग में तीन आसक्तियों का विवरण या वर्णन देखने को मिलता है-

(1) स्वरूपासक्ति,

(2) लीलासक्ति तथा

(3) भावासक्ति।

सूरदास ने लीला शक्ति को अपनाते हुए भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गान अपने पदों में किया है। सूरदास के गुरु वल्लभाचा के गुरु वल्लभाचार्य ने कृष्ण की लीला पदों का गान करने का है निर्देश दिया था। इसीलिए सूर भक्ति विभोर होकर गोकुल से लेकर मथुरा तक की समस्त कृष्ण लीलाओं को अपने पदों का विषय बनाया। सूरदास ने सख्य भाव की भक्ति को अपनाते हुए भी कृष्ण के प्रति नंद यशोदा के वात्सल्य भाव का तथा राधा एवं गोपियों के दांपत्य एवं माधुर्य भाव की सुंदर व्यंजना की है। गोपी लीला के अंतर्गत कृष्ण और गोपियों के जिस प्रेम का चित्रण सूरदास ने किया है उसमें उनकी भक्ति भावना अपनी पराकाष्ठा तक पहुंची हुई दिखाई देती है। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टिमार्ग को कहा जा सकता है। भगवान का अनुग्रह है भक्त का कल्याण करके उसे इस लोक से मुक्त कर सकता है।

जापर दीनानाथ ढरें।
सोई कुलीन बड़ी सुंदर सोई जा पर कृपा करे।
सुर पतित तरि जाय तनक में जो प्रभु नेक ढरे।।

नारद भक्ति सूत्र में आसक्तियों के एकादश रूप का वर्णन देखने को मिलता है जिनमें से सूर का मन सख्यासक्ति, वात्सल्यासक्ति, रूपासक्ति, कांतासक्ति और तन्मयासक्ति में अधिक रमा है। कृष्ण गोपियों के हृदय में ऐसे पड़ गए हैं कि अब वे किसी तरह निकलते ही नहीं, गोपियों की इसी तन्मयासक्ति का वर्णन इस पद में देखने को मिलता है-

उर में माखन चोर गड़े।
अब कैसे हूं निकसत नहीं ऊधो तिरछे हैजु अड़े।।

अगर भ्रमरगीत के पदों में देखा जाए तो उसमें विरहासक्ति को देखा जा सकता है। भक्ति के दार्शनिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सूरदास वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद की मान्यताओं को ग्रहण कर जीव को ब्रह्म का अंश मानते हुए दोनों के बीच का अद्वैत संबंध स्वीकार करते हैं। स्वरूप से जीव शुद्ध और अविकारी है लेकिन माया के प्रपंच के कारण जीव की दुरावस्था होती है। माया के जंजाल के कारण ही जीव जगत के प्रपंच में फंसता चला जाता है, इसलिए सूरदास मायापति कृष्ण से इस माया का निवारण करने का अनुरोध करते हैं-

माधव जी नेकु हटको गाय।

वल्लभाचार्य ने जगत और संसार दोनों को पृथक पृथक स्वीकार करते हुए जगत को सत्य और संसार को असत्प माना है। जगत ईश्वर की इच्छा से निर्मित ईश्वर के सत अंश का विस्तार है जबकि संसार अविद्या के कारण उत्पन्न होता है और यह नश्वर है। कामिनी, कंचन, शरीर, भौतिक पदार्थ, वैभव यह सभी संसार है जबकि सृष्टि का अनादि प्रवाह जगत है। जगत ब्रह्म की शक्ति है जबकि संसार जीव की अविद्या का परिणाम है।

वात्सल्य वर्णन-

जब पुष्टिमार्ग का प्रारंभ हुआ उस वक्त बालकृष्ण की उपासना का प्रचलन था। यही कारण है कि कवियों ने कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन पहले पहले चित्रित किया है। जहां तक वात्सल्य रस की बात है तो उसमें सूरदास का नाम सबसेपहले आता है। इन्हें इसका विशेषज्ञ भी कहा जाता है। उन्होंने कृष्ण के बचपन की सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियों को भी ऐसे चित्रित किया है जैसे वे वहां स्वयं उपस्थित है। श्री कृष्णा जब दूध नहीं पीते हैं तो इस पर माता यशोदा कहती है कि दूध पीने से तेरी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। जब वे माता के कहने पर तुरंत दूध पी लेते हैं और अपनी चोटी को टटोलकर देखते हैं कि वह कितनी लंबी हुई है परंतु वह छोटी की छोटी मिलती है तब वे अपनी माता से कहते हैं-

मैया कबहूं बढ़ेगी चोटी।
किती बार मोहि दूध पियत भइ, यह अजहूं है छोटी।।

बाल हृदय की ऐसी कितनी ही सुंदर एवं मनोरम झांकियां सूर के काव्य में भरी पड़ी है। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है, कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का कितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना संसार के किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना-कोना झांक आए।

इसी प्रकार माखन चुराने पर जब श्रीकृष्ण पकड़े जाते हैं तो वे तुरंत कह उठते हैं-

मैया में नहीं माखन खायो।
ख्याल परे ये सखा सबै मिलि, मेरे मुख लपटायौ।।

सूर का वात्सल्य केवल वर्णन मात्र नहीं है सूरदास ने उन सभी घटनाओं को आधार बनाकर काव्य रचना किया है जिन-जिन स्थानों पर वात्सल्य भाव प्रकट हो सकता था। इसी क्रम में मां यशोदा अपने शिशु को पालने में सुला रही है और निंदिया से विनती करती है कि वह जल्दी से उनके लाल की अंखियों में आ जाए

यशोदा हरि पालने झुलावै।
हलरावे दुलराम मल्हरावे जोई सोई कछु गावे।
मेरे लाल को आउ नींदरिया, काहे मात्र आनि सुलावै।
तू काहे ना बेगहि आवे, तो को कान्ह बुलावे।

पुनः जब कृष्ण का शैशव रूप घटने लगता है तो मां की अभिलाषाएं बढ़ने लगती है उन्हें लगता है की कब उसका शिशु उनका आंचल पकड़कर डोलेगा। कब मां को मां और पिता को पिता कह कर पुकारेगा, वे लिखते हैं.

जसुमति मन अभिलाष करे
कब मेरो लाल घुतरुवनी रेंगे, कब घरनी पग द्वैक भरे,
कब नन्दहिं बाबा बोलो, कब जननी काही मोहि ररै,
रब घों तनक तनक कछु खैहे, अपने कर सों मुखहिं भरे,
कब हसि बात कहेगी मौ सों, जा छवि तै दुख दूरि हरे।

सूरदास ने वात्सल्य में संयोग पक्ष के साथ साथ वियोग का भी सुंदर वर्णन किया है। जब कंस का बुलावा लेकर अक्कूर जी आते हैं तो कृष्ण और बलराम को मथुरा जाना पड़ता है। इस अवसर पर सूरदास ने वियोग का मर्म स्पर्शी चित्र प्रस्तुत किया है। यशोदा बार-बार विनती करती है कि कोई उनके गोपाल को मथुरा जाने से रोक ले।

जसोदा बार-बार यों भारवै
है ब्रज में हितू हमारी, चलत गोपालहि राखे।

जब उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर आते हैं, तो मां यशोदा का हृदय अपने पुत्र के वियोग में रो देता है, वह देवकी को संदेश भिजवाती हैं-

संदेस देवकी सों कहियो
हों तो धाय तिहारे सूत की कृपा करत ही रहियो

उबटन तेल तातो जल देखत ही भजि जाने
जोड़ी चोर मांगत सोई सोई देती करम करम कर न्हाते
तुम तो टेक जानतिही धै है ताऊ मोहि कहि आवे

प्रातः उठत मेरे लाड लडेतहि माखन रोटी भावै।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में सुरदास का वात्सल्य वर्णण अद्वितीय है। उन्होनें अपने काव्य में श्री कृष्ण की विविध बाल लीलाओं की बहुत ही सुंदर और मनोरम झांकी प्रस्तुत की है। माता यशोदा का उन्हें पालने में झूलना, श्री कृष्ण का घुटनों के बल चलना, किलकारी मारना, बड़े होने पर माखन की हठ करना, सखाओं के साथ खेलने जाना, उनकी शिकायत करना, बलराम का चिढ़ाना, माखन की चोरी करना, इत्यादी विविध प्रंसगों को सूरदार ने अत्यंत तन्मयता तथा रोचकता के साथ प्रस्तुत किया है।

श्रृंगार वर्णन-

कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण व गोपियों के प्रेम वर्णन के रूप में पूरी स्वच्छंदता से श्रृंगार रस का वर्णन किया है। श्रृंगार वर्णन में सूरदास को अद्‌भुत सफलता मिली। इन्होंने राधा कृष्ण और गोपियों की संयोगावस्था के अनेक आकर्षक चित्र प्रस्तुत किए हैं। राधा और श्री कृष्ण के परिचय के संबंध में कहा गया यह पद अपने आप में अनूठा प्रतीत होता है।

बुझत स्याम कौन तू गोरी।
कहां रहत काकी तू बेटी? देखी नहीं कहूं ब्रज खोरी।।

कृष्ण और गोपियों का प्रेम धीरे-धीरे विकसित होता है। कृष्ण, राधा व गोपियों के बीच अक्सर छेड़छाड़ चलती रहती है -

तुम पे कौन दुहावै गैया
इत चितवन उन धार चलावत, यह सिखायो मैया।
सूर कहा ए हमको जातै छाछहि बेचनहारि।

सूरदास ने संयोग के साथ-साथ वियोग के भी अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं। जब श्री कृष्ण मधुरा चले जाते हैं तब गोपियां राधा यशोदा गोप पशु पक्षी तथा ब्रज के सभी जड़ चेतन उनके बिरह में व्याकुल हो उठते हैं। यहां तक कि संयोग की स्थितियों में सुख प्रदान वाली कुंज जैसी सभी वस्तुएं वियोग के क्षणों में दुखःदायक बन गई है।

बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजें।-

इस प्रकार कहां जा सकता है कि सूरदास ने श्रृंगार के दोनों ही पक्षों, संयोग और वियोग का बहुत ही सशक्त और सफल चित्रण किया है।

विषय वस्तु की मौलिकता-

सूरदास रचित पदों की मौलिकता को अगर देखा जाए तो सूर ने यद्यपि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध को अपने काव्य का आधार बनाया है फिर भी उनके विषय वस्तु में सर्वत्र मौलिकता देखने को मिलती है इन्होंने बहुत ही कम स्थलों पर श्री कृष्ण के अलौकिक रूप को चित्रित किया है इनके द्वारा श्री कृष्ण को सर्वत्र मानवीय रूप में ही चित्रित किया गया है। राधा की कल्पना और गोपियों के प्रेम की अनन्यता में उनकी मौलिकता की अखंड छाप दिखाई देती है।

निष्कर्ष-

उपर्युक्त समग्र विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सूर ने अपने साहित्य में सायुज्य मुक्ति को महत्व दिया है जिसमें जीव ईश्वर के साथ एकीभाव को प्राप्त हो जाता है। भक्त कवि होने के कारण सूरदास के पदों में दार्शनिक नीरसता के स्थान पर माधुर्य भाव से परिपूर्ण भक्ति की सरसता अत्यधिक दिखाई पड़ती है। सूरदास की भक्ति को रागानुगा भक्ति का नाम दिया जा सकता है जिसमें कर्मकांड का कोई स्थान नहीं है। उनकी भक्ति भावना में सिद्धांत पक्ष की अपेक्षा माधुर्य भाव की प्रबलता है जो इन्हें भक्तों में अधिक लोकप्रिय बना देता है।

भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त होने के नाते सूरदास के मन से सच्चे भाव निकले। इन्होंने ही भ्रमरनी परंपरा को हृदय की अनुभूति के आधार पर इसमें सगुणोपासना का चित्रण नए रूप में प्रस्तुत कर किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सूर के भक्ति काव्य में अलौकिकता और लौकिकता, रागात्मकता और बौद्धिकता माधुर्य और वात्सल्य सभी मिलकर एकाकार होते प्रतीत होते हैं।

संदर्भ ग्रंथों की सूची

(1) श्रीमद् भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर
(2) सूरदास की वार्ता, प्रभु दयाल मित्तल, अग्रवाल प्रेस मथुरा, 2015
(3) कृष्ण काव्य और सूर डॉ प्रेम शंकर, स्मृति प्रकाशन 124 शाहदरा बाग, इलाहाबाद, 2015
(4) सूरदास जीवन और काव्य का अध्ययन, डॉ ब्रजेश्वर शर्मा, हिंदी परिषद प्रयाग, तृतीय संस्करण, 1999
(5) सूरदास, दो बृजेश्वर शर्मा, लोक भारती प्रकाशन 15ए, महात्मा गांधी मार्ग इलाहाबाद प्रथम संस्करण 2015
(6) सूर की काव्य कला, मनमोहन गौतम, भारती साहित्य मंदिर, दिल्ली, द्वितीय संशोधित संस्करण 1963
(7) सूर दोहावली, आबिद रिजवी, रजत प्रकाशन, पृष्ठ संख्या- 23
(8) सूर दोहावली, आबिद रिजवी, रजत प्रकाशन, पृष्ठ संख्या 128

निर्गुण काव्यधारा में संत साहित्यः साहित्य में कबीर दास जी का योगदान

अजय कुमार शर्मा

शोधार्थी, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, डीग (भरतपुर) राज.

सार

हिन्दी साहित्य के विकास मे सन्त साहित्य व निर्गुणु काव्य धारा का योगदान अमूल्य तथा अविस्मरणीय है। सन्त साहित्य ने समाज मे काफी सुधार किया तथा ज्ञान का आविर्भाव किया लोगों में भक्ति भावना का संचार किया जनक्रान्ति एवं जन-चेतना जागृत किया जातिप्रथा व सामाजिक बुराईयों पर कुठारघात किया व बाह्य आडम्बरों एवं अन्धविश्वासों पर से लोगों को ध्यान आकर्षित किया एवं इससे दूर किया ज्ञान मार्ग प्रशस्त किया जब सन्त साहित्य का नाम सामने आता है तो सन्त कवियों का नाम आना स्वभाविक है। सन्त काव्य धारा का जन्म भक्तिकाल में हुआ भक्तिकाल में दो काव्य धाराओं का जन्म हुआ निर्गुण व् सगुण फिर निर्गुण काव्य धारा में दो धाराओं का जन्म हुआ ज्ञानाश्रयी व प्रेमाश्रयी।

ज्ञानाश्रमी काव्यधारा के प्रमुख अग्रणी कवि संत कबीर थे तथा प्रेमाश्रयी काव्यधारा के प्रमुख अग्रणी कवि सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी थे संगुण काव्यधारा में भी दो काव्य धाराओं का जन्म हुआ प्रथम कृष्ण काव्य धारा जिसके प्रमुख अग्रणी कवि सूरदास जी थे दूसरी राम भक्ति काव्यधारा जिसके प्रमुख कवि सन्त कवि तुलसीदास जी थे।

भक्तिकाल में सन्त काव्यधारा के जन्म को हम इस आरेख से सारांश रूप समझ सकते है।

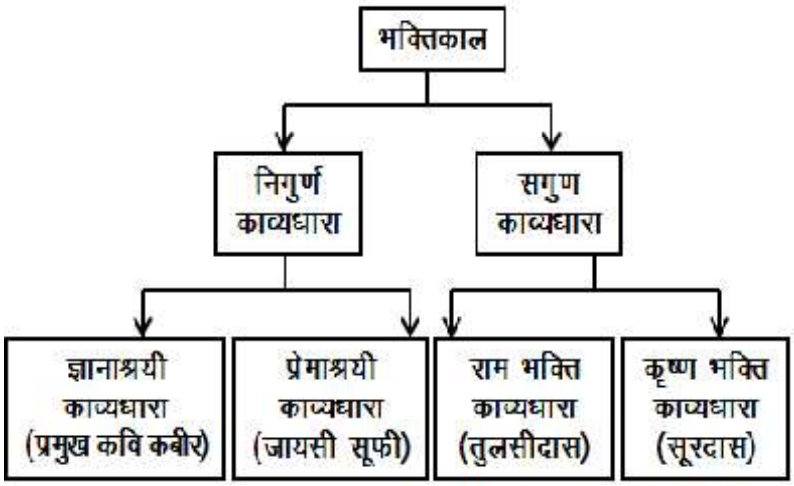

शब्दकोशः अविस्मरणीय, आविर्भाव, संचार जागृत, आकर्षित, प्रशस्त, निर्गुण, सगुण ज्ञानाश्रमी, प्रेमाश्रयी, अग्रणी आरेख, जनक्रान्ति, सारांश।

प्रस्तावना

निर्गुण काव्य धारा में ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के प्रमुख कवि कबीरदास का नाम प्रमुख हैं। सन्त काव्य धारा नामदेव जी व कबीरदासजी द्वारा चलायी गयी धारा को आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी निर्गुण ज्ञानाश्रयी धारा कहा जबकी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्गुण भक्ति साहित्य कहा डॉ. राम कुमार ने सन्त काव्य परम्परा कहा। 'सन्त' शब्द का जन्म डॉ. पिताम्बरदत्त बडथ्वाल के अनुसार शान्त शब्द हुआ जिसका अर्थ है।

"निवृत मार्ग या वैराग्य"

जबकि डॉ. शिव कुमार ने इसका जन्म सत् से माना जिसका अर्थ हैं। ईश्वरोन्मुख सज्जन पुरुष सन्तों ने प्रेम को सर्वोपरि माना इन्होंने गुरु को महत्व दिया तथा माया को नारी का रूप देकर उसे डाकिनी तथा उगिनी जैसे उपमान् दिये लगभग संतों की भाषा मिश्रित थी 'अनेक भाषा के मेल वाली' संतों ने विधि निषेध पर बल दिया इनके अनुसार जो वस्तु ग्रहण करने योग्य है- वह विधि कहलायी तथा त्यागने योग्य है। वह 'निषेध' कहा गया निर्गुण काव्यधारा में सन्त नामदेव जी का नाम भी आता है। इनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा

जिले के नरसी बैनी ग्राम में 1267 ई. में हुआ इन्होंने ने भजनों के माध्यम से भक्ति का प्रचार किया, इनके भजन हिन्दी व मराठी तथा गुजराती भाषा में है इनके गुरु संत विसौबा खैबर हैं। परन्तु कुछ विद्वान ने इनका गुरु संत ज्ञानेश्वर को माना इनके भजन गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है।

सन्त साहित्य में कबीरदास जी का योगदान-

निर्गुण सन्त प्रमुख कवि कबीरदास जी:

इनका जन्म 1398ई. में काशी में ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुआ जबकि मृत्यु 1518 ई. में मगहर में हुई जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के यहाँ हुआ जिसने लोकलाज के डर से इन्हें लहरतारा नामक तालाब पर छोड़ दिया तथा इनका लालन-पालन एक जुलाहा दम्पति ने किया जिसका नाम नीरू-निमा था ये ग्रहस्य संत थे, इनकी पत्नी का नाम लोई/धनिया था जबकि पुत्र कमान व पुत्री कमाली थी इन्होंने एक साथ तीन बड़ी धाराओं को आत्मसात् किया

इन्होंने सिद्धों व नाथों से योग साधना (सहज योग) थी तथा सूफियों से प्रेम और वैष्णवों से अहिंसा, तत्व ग्रहण किया. इनकी भाषा संध्या भाषा (पंचमेल खिचड़ी थी जो कि सिद्धों से ग्रहण की इन्होंने अपना शिष्यत्व अपने प्रिय शिष्य धर्मदास को सौंपा धर्मदास की रचना सुख निधान है।

कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं:

कबीर जी अनपढ़ थे उनके बारे मे यह कहा जाता हैं कि "मसि-कागढ तौ छुओ नहिं, कलम गही ना हाथ" अर्थात् मैंने न कभी कागज को छुआ है न कभी कलम हाथ में लेकर कुछ लिखा है। अर्थात् कबीर जी को दिव्य ज्ञान ज्योति से दिखता था वैसा वे ज्ञान ज्योति से देखकर बोलते थे उनके प्रमुख शिष्य धर्मदास जी लिख लेते थे। धर्मदास जी ने कबीर जी की वाणियों का संकलन बीजक नामक कृति में किया। जो तीन खण्ड़ों में विभक्त हैं।

साखी- ये आत्मा की साक्षी पर लिखे गये दोहे है।

सबद- ये गेय पद हैं, जिसमें ब्रजभाषा की प्रधानता है। तथा गुरू का वर्णन किया गया है।

रमैनी- ये गेय चौपाइयाँ है। इनकी भाषा ब्रज हैं, जिसमें पूर्वी भाषा का पुट हैं।

कबीर जी के शिष्य अनंतदासजी ने कबीर परिचई की रचना की। जबकी कबीर जी की प्रामाणिक रचनाओं का संकलन श्याम सुन्दरदासजी ने कबीर ग्रंथावली में किया कबीर जी की उलटबासीयों में (कहे हुए कथन का उल्टा अर्थ देना उलटबासी कहलायी) अद्भूत रस का प्रयोग हैं। जैसे- "समुन्दर लागी आग नदी जली कोयला भई" कबीर जी पंक्ति में शरीर को चादर का उपमान झीनी-झीनी बिनी चदरिया दिया है। जो कि सांगरूपक अलंकार का उदाहरण है। इनकी पंक्ति में दुलहिन गावहूं मंगलाचार भावात्मक रहस्यवाद है।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी ने कबीर जी की भाषा को 'सुधक्कड़ी' भाषा कहा।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन्हें "वाणी का डिक्टेटर" कहा तथा

डॉ. रामकुमार वर्मा ने उनकी भाषा को 'पंचमेल खिचड़ी' कहा।

द्विवेदी जी के अनुसार इन्होनें जो बात कहनी चाही वह आसानी से सामान्य भाषा में कह दी।

कबीर जी का अलौकिक व्यक्तित्व

कबीर दास जी को शांतिमीय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता साधुस्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका सभादर हो रहा है। कबीर जी मानव धर्म में विश्वास रखते थे। कबीर जी के यहाँ साधु-संतों का जमावड़ा रहता था। कबीर जी ने कलियुग में पढ़े-लिखे नहीं होने की लीला की परन्तु वास्तव में वे स्वयं विद्वान् हैं। उन्होंने स्वयं ग्रंथ न लिखने की भी लीला तथा अपने मुखारविंद से बोलकर शिष्यों से उन्हें लिखवाया। कबीर जी के समस्त विचारों में राम-नाथ (पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम की महिमा) प्रतिध्वनित होती है।

कबीर परमेश्वर एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकाण्ड के घोर विरोधी थे। मूर्तिपूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर उनका विचार था कि इन क्रियाओं से आपका मोक्ष संभव नहीं है। उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग ही कबीर जी को अपना शत्रु मानते थे। क्योंकि वे अपना इकतारा लेकर दोनों धर्मों को परमात्मा की जानकारी दिया करते थे। वे समझाते थे, कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान है। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वह आम आदमी तक पहुँच सके।

कबीर दास जी द्वारा बाह्य आडम्बरों का विरोध

कबीर जी कहते हैं, कि मनुष्य को व्यर्थ के कर्म-काण्ड नहीं करने चाहिए ईश्वर हमारे हृदय में निवास करते हैं, मनुष्य को अपने हृदय में हरि को ढूंढना चाहिए ना कि विभिन्न प्रकार के कर्मकाण्ड और आडम्बर करके हरि को ढूंढ़ना चाहिए। वे कहते है, कि माला पहनना, तिलक लगाना, टोपी पहनना, तीर्थाटन, गंगास्नान, जाति-प्रथा, ऊँच-नीच की भावना आदि बाह्य आडम्बर है।

हिन्दूओं के बाह्य आडम्बरों पर विरोध करते हुए कहते हैं-

पाथर पूजै हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़
घर की चाकि कोई न पूजै जाको पिस खाय संसार।

अर्थात् पत्थर पूजने से हरि प्राप्त होता है तो मैं दूरे पहाड़ की पूजा करता हूँ। घर की चक्की को कोई नहीं पूजा जो कि हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से सभी दो अनाज पीसकर खिलाती है। फिर उन्होंने कहा है कि-

मुंड-मुहैया हरि मिले सब कोई सई मुडाय
बार-बार के मुंडते भैड़ा न बैकुण्ठ जाये

अर्थात मुंड मुंडवाने में हारे मिलता हो अब कोई जन अपने मुंड को मुंडवा लेते पर कोई बार-बार भेड़ को मुंडने से क्या वह बैकुन्ठ को जाती है अर्थात नहीं फिर उन्होंने अंधविश्वास पर गहरी चोट की और कहा कि-

'जिंदा बाप कोई न पूजै मरे बाद पुजवाये
मुट्ठी भर चावल लैके कोवैं को बाप बनाये।

अर्थात् उन्होंने प्रत्यक्ष और यथार्थ का समर्थन किया हैं मुस्लमानों पर भी बाह्य आडम्बरों का विरोध करते हुए कहा है कि-

कांकर पत्थर जोड़े के मस्जिद लई बनाय
ता पर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुया खुदाय।

अर्थात् कंकरों और पत्थरों को जोड़कर मस्जिद का निर्माण कर लिया उस पर मुल्ला आवाज देता है कि कबीर कहते हैं- क्या तेरा अल्ला बहरा हो गया है। यदि यह वास्तविक रूप से भगवान है तो वह मन बात को भी समझ लेंगें।

अन्त में कबीर जी ने हिन्दू और मुस्लिम दोनों के अंधविश्वासों एवं बाह्य आडम्बरों का विरोध करते हुए कहा है कि-

"हिंदू कहे मोहे राम पियारा, तुर्क कहे रहमाना
आपस में दोय लड़-लड़ मुझै मरम कौऊ न जाना

अर्थात कबीर कहते है कि हिंदू राम के भक्त हैं। और तुर्क (मुस्लिम) को रहमाना प्यारा है इसी बात पर दोनों लड़-लड़ कर मौत के मुँह में जा पहुँचे तथा भी दोनों में से कोई सच को नहीं जान पाया है।

हिंदुओं की जाति पर कबीर की चोट

कबीरदास जी ने जाति पर चोट करते हुए कहा है कि-

जाति न पूछों साबु की पूछ लिजिए ज्ञान
भोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान।

अर्थात् ज्ञान का सम्बंध जाति से नहीं है। फिर उन्होंने जाति पर कटाक्ष करते हुए कहा है-

"कबीरा हुआ एक है, पानी भरे अनेक
बर्तन में ही भेद है, पानी सबमें एक।"
अर्थात हमारा शरीर सका एक समान ही है।

कबीर की सबकों सीखा

कबीरदास जी ने सबको यह सीख दी है, और उन्होंने समझाते हुए कहा है कि जैसे-

दिल मे तेल है जो चकमक मे आग
तेरा साँई तुझमे तु जाग सके तो जाग।

फिर उन्होंने लोगों को समझाते हुए कहा है कि-

"मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में
ना मैं तीर्थ में ना मैं मूरत में ना एकांत निवास में
ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे-कैलास में
ना मैं जप में ना मैं तप में ना बरत में ना उपवास में
ना मैं क्रिया-करम में ना मैं जोग सन्यास में ।।
खोजि हो तो तुरत मिल जाँऊ एक पल की तलाश में।
कहत कबीर सुनो भई साधों मैं तेरे पास में।

कबीर जी द्वारा गुरु का महत्व

कबीर के अनुसाद गुरु का महत्व महत्वपूर्ण बताया कुबीर जी गुरु को दिव्यता और महत्व प्रदान किया है। उन्होंने बताया है। गुरु के बारे मे कि-

- गुरु व्यक्ति की आत्मा को उजागर करने में मदद करते हैं।
- गुरु व्यक्ति को ध्यान में एकाग्र करने का मार्ग दिखाते है।
- गुरु के प्रेरणा स्रोत से व्यक्ति मानसिक और आध्यात्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ता है।
- कबीर के मुताबिक गुरु ही हमें सही गलत की पहचान कराते है।
- कबीर जी के अनुसार गुरु, शिष्य और ईश्वर को मिलाने में मदद करता है।
- दर्शन और न ही परमात्म दर्शन नहीं हो पाता है।
- उनके अनुसार गुरु का ज्ञान जल है। जो कुबुद्धि रूपी कीचड़ से भरे शिष्य को धोता है। तथा साथ में कहा कि जन्म जन्मान्तरों की बुराई गुरुदेव क्षण ही में नष्ट कर देते है।

गुरु को सर्वोपरि पद प्रदान किया तथा ईश्वर के द्वारा भी गुरु के महत्व को प्रतिष्ठापित करते हुए कबीर ने कहा है कि-

गुरु गोविन्द दोहु खड़े काके लागु पाय।
बलिहारी गुरु आपने गोविन्द दियो बताय।

निष्कर्षः- निष्कर्षतः कहा जा सकता है। कबीर मानवता के प्रर्याय हैं। सन्त काव्य धारा में कबीर जी अमूल्य योगदान है। कबीरजी को ज्ञान सूत्संगों से प्राप्त हुआ उनके गुरु रामानन्द हिन्दू धर्म के आचार्य थे तथा मुस्लिम धर्म इस्लाम के जानकार थे तो कबीर जी ने दोनों ही धर्मो के मर्म निष्ठा के साथ पहचाना और अपने मुखारबिन्द द्वारा बखान किया।

सचमुच कबीर जी महामानव थे कबीर का अनुभव बहुआयामी था उन्होंने जीवन के हर पक्ष व समाज हर पहलु पर अपनी वाणी से खुलकर एवं मर्म भेदी बातों से प्रकाश डाला है। उन्हें स्पष्ट किया है।

गौर रखने की बात है कि कबीर की निजी परिस्थिति जातीय संकीर्णता से मुक्त थी कबीर ने द्वन्द्व और छल रहित कथनी को करनी में बदलने का सुझाव दिया है। वे मानव समाज की मौलिकता एकता के पक्षधर थे कबीर का काव्य मानव समाज और मानव जीवन से जुड़ा हुआ काव्य है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

क्र. सं.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशन एवं प्रकाशन
1	कबीर ग्रन्थावली	डॉ. पारस तिवारी	हिन्दी परिषद, प्रयाग विश्वविद्यालय प्रयाग, 1961
2	कबीर ग्रन्थावली	डॉ. माता प्रसाद गुप्त	लोकभारती भण्डार इहालाबाद, 1972
3	कबीर ग्रन्थावली	डॉ. श्याम सुन्दरदास	मलिक एण्ड कम्पनी जयपुर, 2016
4	कबीर	हजारी प्रसाद द्विवेदी	राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, 2012
5	कबीर वचनावली	पं. अयोध्या सिंह उपाध्याय	नागरी प्रचारिणी सभा काशी स. 1960
6	कबीर साहब	डॉ. शुकदेव सिंह	कबीर वाणी प्रकाशन केन्द्र वाराणसी प्रथम संस्करण, 1975
7	कबीर के धार्मिक विश्वास	डॉ. धर्मपाल मैणी	भारतेन्दु भवन चण्डीगढ़, 1964
8	कबीर मीमांसा	डॉ. रामचन्द्र तिवारी	लोकभारती प्रकाशन इलाहाबाद, 2011
9	कबीर	विजेन्द्र स्नातक	साहित्यगार प्रकाशन, 2001
10	कबीर बीजक साखी	शुकदेव सिंह	नीलाभ प्रकाशन इलाहाबाद, 1972
11	कबीर वाङ्मय (खण्ड–1)	डॉ. जयदेव सिंह	नीलाभ प्रकाशन, 2004
12	कबीर सागर	स्वामी युगभानन्द	मलिक एण्ड कम्पनी, जयपुर, 2016
13	कबीर की विचारधारा	गोविन्द त्रिगुणागत	साहित्य निकतन कानपुर, सं. 2024

उरॉव जनजाति के बालिकाओं में शिक्षा की चुनौतिया एवं समस्या का अध्ययनः जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर (छ.ग.) के विशेष सदंर्भ में

डॉ० नीरज कुमार खरे

प्राध्यापक (समाजशास्त्र), शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती महाविद्यालय, जिला- जीपीएम (छ.ग.)

Abstract- प्रस्तूत शोध अध्ययन उरॉव जनजाति के बालिकाओं में शिक्षा की चुनौतिया एवं समस्या का अध्ययन मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर (छ.ग.) जिले पर केन्द्रित है। अध्ययन मे दैव निर्दषन के माध्यम से चयनित 40 उरॉव बालिकाओं मे शिक्षा की समस्या को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। अध्ययन मे तथ्यो का संकलन हेतू साक्षात्कार अनुसूची उपकरण तथा मुख्य रूप से साक्षात्कार प्रविधि के माध्यम से किया गया है। शोध अध्ययन से प्राप्त तथ्य यह दर्शाता है कि केन्द्र व राज्य सरकार के तमाम प्रयत्नों के बाद भी उरॉव जनजाति मे शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। अध्ययन क्षेत्र मे शिक्षा से जुड़ी अनेक कार्यक्रमो के लागू होने के बाद भी उरॉव लोगो मे व्याप्त उदासीनता तथा शिक्षण संस्थाओ मे मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण शैक्षणिक विकास की गति बेहद धीमी है।

महत्वपूर्ण शब्दः उरॉव जनजाति की बालिकाओं में, शिक्षा चुनातियॉ एवं समस्या.

प्रस्तावना

भारत के संविधान मे अनुसूचित जनजातियो के शैक्षणिक और आर्थिक हित और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषणों से उनकी रक्षा के लिए विशेष प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जनजातियो का संदर्भ उन समुदायो के रूप मे करता है। जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित किया गया है। जनजातीय शब्द का मूल अर्थ आदिवासी है और आदिवासी का अर्थ आदिम है। अर्थात प्राचीन समय से निवास करने वाली वासी/आदिवासी मूलतः निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। इनका जीवन शैली आज भी प्राचीन पद्धतियों से ही संचालित होता आ रहा है। अब भले ही कुछ जनजातियों ने स्थायी ढंग से कृषि पशुपालन आदि कार्यो में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया है, किंतु वर्तमान में उरॉव जनजाति शिकार करने, मछली पकडने, लकडी काटने आदि कार्यो में संलग्न है। मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा, गुजरात और झारखंड के बाद छ.ग. की जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर 6 वें स्थान पर है। जबकि कुल जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर मिजोरंम, नागालैंड, मेंघालय और अरुणाचल प्रदेश के बाद 5 वे स्थान पर है। 2011 के जनगणना के अनुसार छ.ग. राज्य में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 78, 22, 902 है। जों छत्तीसगढ राज्य की लगभग एक तिहाई है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग एक तिहाई 30.64 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों की है। जबकि 2001 में 31.8 प्रतिशत अनुसूचित जनजातिय जनसंख्या रही थी। इससे स्पष्ट है कि गत दस वर्षो में अनुसूचित जनजातिय जनसंख्या में कमी आई है।

ओराँव या उराँव छोटा नागपुर क्षेत्र का एक आदिवासी समूह है। ओराँव अथवा उराँव नाम इस समूह को दूसरे लोगों ने दिया है। अपनी लोकभाषा में यह समूह अपने आपको ''कुरुख'' नाम से वर्णित करता है। अँग्रेजी में ''ओ'' अक्षर से लिखे जाने के कारण इस समूह के नाम का उच्चारण ''ओराँव'' किया जाता है, झारखंड-छत्तीसगढ़ में ''उराँव'' नाम का प्रचलन अधिक है।

उराँव भाषा द्रविड़ परिवार की है जो समीपवर्ती आदिवासी समूहों की मुंडा भाषाओं से सर्वथा भिन्न है। उराँव भाषा और कन्नड में अनेक समताएँ हैं। संभवतः इन्हें ही ध्यान में रखते हुए, गेट ने 1901 की अपनी जनगणना की रिपोर्ट में यह संभावना व्यक्त की थी कि उराँव मूलतः कर्नाटक क्षेत्र के निवासी थे। उनका अनुमान था कि इस समूह के पूर्वज पहले कर्नाटक से नर्मदा उपत्यका में आए और वहाँ से बाद में बिहार राज्य के सोन तट के भागों में आकर बस गए। पर्याप्त प्रमाणों के अभाव में इस अनुमान को वैज्ञानिक मानना उचित नहीं होगा।

अधिकांश उराँव इस समय राँची जिले के मध्य और पश्चिमी भाग में रहते हैं। उराँव समूह के प्रथम वैज्ञानिक अध्येता स्वर्गीय शरच्चन्द्र राय का मत है कि बिहार में ये पहले शाहाबाद जिले के सोन और कर्मनाशा नदियों के बीच के भाग में रहते थे। यह क्षेत्र

''कुरुख देश'' के नाम से जाना जाता था। कुरुख शब्द संभवत: किसी मूल द्रविड़ शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। राय का अनुमान है कि इस मूल शब्द का अर्थ ''मनुष्य'' रहा होगा।

इस समूह की अर्थव्यवस्था मूलत: कृषि पर अवलंबित है। आखेट द्वारा भी वे अंशत: अपनी जीविका अर्जित करते हैं। जाल और फंदों द्वारा वे जंगली जानवर और मछलियाँ पकड़ते हैं।

उराँव अनेक गोत्रों में विभाजित हैं। गोत्र के भीतर वैवाहिक संबंध निषिद्ध होते हैं। प्रत्येक गोत्र का अपना विशिष्ट गोत्रचिह्न होता है। राय के अनुसन्धानों द्वारा 68 गोत्रों की सूची प्रात हुई है। इनमें से 16 के गोत्रचिह्न जंगली जानवरों पर, 12 के पक्षियों पर, 14 के मछलियों तथा अन्य जलचरों पर, 19 के वनस्पतियों पर, 2 के खनिजों पर, 2 के स्थानीय नामों पर तथा१ का सर्पो पर आधारित है। शेष दो विभाजित गोत्र हैं। प्रत्येक गोत्र अपने आपको एक विशिष्ट पूर्वज की संतान मानता है, यद्यपि गोत्रचिह्न को ही पूर्वज मानने का विश्वास उनमें नहीं पाया जाता। गोत्रचिह्न के संबंध में उनका विश्वास है कि उनके पूर्वजों को उससे प्राचीन काल में कोई न कोई अविस्मरणीय सहायता मिली थी जिसके कारण समूह के एक खंड का नाम उससे अविभाज्य रूप से संबद्ध हो गया। प्रत्येक गोत्र अपने गोत्रचिह्नवाले प्राणी, वृक्ष अथवा पदार्थ का किसी भी तरह उपयोग नहीं करता। उसे किसी भी प्रकार हानि पहुँचाना भी उनके सामाजिक नियमों द्वारा वर्जित है। यदि उनका गोत्रचिह्न कोई प्राणी या पक्षी है तो वे न तो उसका शिकार करेंगे और न उसका मांस खाएँगे। इसी तरह यदि उनका गोत्रचिह्न कोई वृक्ष है तो वे उसकी छाया में भी नहीं जायेंगे।

उराँव समाज में संबंध व्यवस्था वर्गीकृत संज्ञाव्यवस्था पर आधारित होती है। विवाह सदा गोत्र के बाहर होते हैं। तीन पीढ़ियों तक के कतिपय रक्तसंबंधियों और वैवाहिक संबंधियों में भी विवाह का निषेध होता है।

प्रत्येक उराँव ग्राम की अपनी स्वतंत्र नियन्त्रण व्यवस्था होती है। सामाजिक नियमों के उल्लंघन पर विचार गाँव के पंच करते हैं। गाँव के ''महतो" और ''पाहन'' इस कार्य में उनका निर्देश करते हैं। पंचों की बैठक बहुधा गाँव के अखाड़े में होती है। राज्य-शासन-व्यवस्था का विस्तार अब आदिवासी क्षेत्रों में हो चुका है, इसलिए पंचों की परंपरागत शक्ति बहुत अंशों में क्षीण हो गई है। वे अब जातीय परंपराओं के उल्लंघन पर ही विचार कर सकते हैं।

उराँव लोगों का अन्तर-ग्राम-संगठन भी उल्लेखनीय है। कई समवर्ती ग्राम ''परहा'' के रूप में संगठित होते हैं। उनके केन्द्रीय संगठन का नाम "परहा पंच'' होता है। परहा का सबसे महत्वपूर्ण गाँव राजा-गाँव माना जाता है। तीन अन्य महत्वपूर्ण गाँव अपने महत्त्व के अनुसार क्रमश: दीवान गाँव, पानरे गाँव (लिपिक ग्राम) और कोटवार ग्राम माने जाते हैं। शेष सब प्रजा गाँव माने जाते हैं। परहा संगठन अपने सब सदस्य ग्रामों की सुरक्षा का प्रबंध करता है। मानवीय तथा अमानवीय प्राकृतिक तथा दैवी प्रत्येक प्रकार की शक्तियों से ग्रामसमूह को बचाना इस संगठन का मुख्य कार्य होता है। परहा संगठन की ओर से सामूहिक शिकार, नृत्य, भोज इत्यादि का भी आयोजन किया जाता है। वे मेले और जात्राओं का भी प्रबंध करते हैं। जातीय लड़ाइयों में परहा के सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं।

''धूमकुड़िया'' उराँव की एक विशिष्ट संस्था थी। यह एक प्रकार का युवागृह होता है जिसका प्रचलन भारत तथा संसार के कतिपय अन्य आदिवासी समूहों में वास और संगठन के महत्वपूर्ण भेदों के साथ पाया जाता है। उराँव समाज में लड़कों और लड़कियों की अलग-अलग धूमकुड़िया होती है यद्यपि वे एक दूसरे के पास आ जा सकने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। कहा जाता है, पहले तरुण तरुणियों को इन गृहों में यौन संबंधों की स्वतंत्रता रहती थी। इस दिशा में उनका केवल गोत्रनियमों भर का पालन करना आवश्यक माना जाता था। समवर्ती जातियों की आलोचना के कारण इस संस्था का ह्रास होता जा रहा है। उसकी संख्या कम हो गई है। जहाँ वह आज भी पाई जाती है वहाँ उसके आंतरिक संगठन में अनेक मूलभूत परिवर्तन हो गए हैं। तरुण-तरुणियों की स्वतंत्रता कई अंशों में सीमित हो गई है।

उराँव समाज में बड़ी तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं। ईसाई धर्म के प्रचार से उनकी संस्कृति में परिवर्तन हुआ है। आजीविका के लिए अनेक उराँव खनिज उद्योग तथा विनिर्माण उद्योग की ओर भी अग्रसर हुए हैं। नई राजनीतिक चेतना ने भी उन्हें संगठन की एक नई दिशा दी है।

शोध अध्ययनो की समीक्षा-

किसी भी प्रस्तावित शोध कार्य की रूपरेखा बनाने के पूर्व उससे संबंधित पूर्ववर्ती शोधकार्य का अध्ययन आवश्यक होता है। ऐसे अध्ययन से शोधकार्य के लिए आवश्यक दिशा निर्देशन प्राप्त होते है।

डॉ. प्रकाशचन्द उराँव ने अपने अध्ययन बिहार के उराँव, आनंद ज्ञान प्रकाशन रांची 1988 में उराँव जनजाति के सामाजिक प्रबंधन, अर्थ व्यवस्था, धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं का उल्लेख किया है। आधुनिक समाज से उराँव जनजाति किस प्रकार से प्रभावित हो रही है यह भी बताया है।

दिवाकर मिंज ने अपने अध्ययन मुंडा एवं उराँव का धार्मिक ओरियंट पब्लिकेशंस 114, सूर्या निकेतन दिल्ली 1996 में मुंडा एवं उराँव जनजाति के इतिहास, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं एवं गतिशीलता का विस्तार से वर्णन किया है।

डॉ. नदीम हुसैन ने अपने अध्ययन "जनजातीय भारत,'' 1961 पालिका प्रकाशन दिल्ली में पाया है कि उराँव जनजाति का परम्परागत व्यवसाय ही समाप्त प्राय हो रहा है। पाश्चात्य प्रभाव के कारण उनके महत्वपूर्ण संस्था धुमकुरिया भी पतन के कगार पर ''''''''''।

ललित प्रसाद विद्यार्थी के अध्ययन बिहार के आदिवासी कॉलेज सेन्टर पटना 1960 में उराँव जनजाति के परम्परागत एवं परिवर्तित स्वरूप पर प्रकाश डाला है। सभ्य समाज के साथ उनकी भागीदारी को बताया है।

ए. के. हाण्डा (1970) एवं साथियों द्वारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र की कई जनजाति जैसे गोंड उरॉव, खाखर, मजवार, पाण्डो, कोरकु, कवॉर, नगेशिया और प्रधान के राजनीति और आर्थिक जीवन का अध्ययन किया।

रसेल हीरालाल (1916)- सर्वप्रथम मध्यप्रदेश की जनजातियो का क्रमबद्ध विवरण चार खंड़ो मे प्रकाशित ''कस्टम एंड ट्राइब्स इन सेंट्रल प्रोविसेंज'' नामक पुस्तक मे किया है इसके पश्चात् हुए मध्यप्रदेश की जनजातियों पर हुए उपयोग अध्ययनों का पुनरावलोकन प्रस्तुत किया है।''

के.के.एन.शर्मा (1991) मंडला जिला की डिंडोरी तहसील मे (वर्तमान मे एक जिला है) आदिवासी महिलाओ के विकास का अध्ययन किया। उन्होनें पाया कि आदिवासी स्त्रियों का निम्न एवं संकुचित बौद्धिक स्तर होना बाल विवाह जैसी कुरीतियो, जादू, टोने जैसी अंधविश्वास, व्यसन, आदते, परम्पराएं एंव उचित शिक्षा के अभाव मे विभिन्न विकास कार्यक्रमो और उसके लाभो को न समझ पाना अपने को गैर आदिवासियो से हीन समझने की भावना, आदि कारण आदिवासी महिलाओ के विकास मे बाधक है।'

निरगुणे (1986) ने बैगा जनजाति की जीवन विधि एंव प्रकृति में अनुरूपता स्पश्ट किया है। कम संसाधनो मे जीवन यापन करना, कम वस्त्र धारण करना, बेवर खेती, पशु पक्षियो का शिकार फंदे, तथा तीर धनुष द्वारा करना, मांस,मछली, मद्यपान का सेवन तथा वनोपज पर निर्भरता इनके जीवन का महत्वपूर्ण केन्द्र बिन्दू है।

ड्राईबर्ग 1977 में बताया कि लगभग सभी आदिवासी बस्तर में अनपढ थे और कार्यात्मक शिक्षा की जरूरत की अनुभव करते पाये गये।

सुजाता, के. (1988) ''Tribal Education in india' ने अपने अध्ययन मे पाया कि आदिवासी क्षेत्रो के विकास के लिये एकीकृत विकास कार्यर्क्रम बनाये जाये। यह अध्ययन जनजातीय शिक्षा पर आधारित था, जिसमें भारत की प्रमुख जनजातियों को शामिल किया गया। अध्ययन के सुझाव के अनुसार बालिका आदिवासीयो का रोजगार आय और व्यय प्रवृतियों मे सुधार करने के लिये उनकी उचित शिक्षा आवश्यक है।

उद्देश्यः-

- उरॉव जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा की चुनौतियो को वर्तमान स्थिति में पता अध्ययन करना।
- उरॉव जनजाति में बालिकाओ की शिक्षा के प्रति रूचि का अध्ययन।
- उरॉव जनजाति में बालिकाओ हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाओं का अध्ययन।
- शिक्षा एवं स्वास्थ्यं के प्रति उरॉव जनजाति की बालिकाओ में जागरूकता करना।

परिकल्पनाः-

परिकल्पना वैज्ञानिक पद्धति का एक आवश्यक चरण है। परिकल्पना एक विचार मात्र होता है जिसकी सत्यता प्रमाणित होती है। प्रस्तुत शोध में मनेन्द्रगढ, चिरमिरी, भरतपुर जिले की उरॉव जनजाति में शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने हेतु निम्न उपकल्पनाएँ निर्धारित की गयी है।

- मनेन्द्रगढ, चिरमिरी, भरतपुर जिले के उरॉव जनजाति में अन्य जिलों की अपेक्षा शिक्षा के प्रति रूझान कम है।
- मनेन्द्रगढ, चिरमिरी, भरतपुर जिले के उरॉव जनजाति में शिक्षा की चुनौतिया एवं समस्या है।
- सरकार के द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का उचित क्रियान्वयन का अभाव है।

शोध पद्धिति एवं उत्तरदाताओं का चुनाव

प्रस्तुत शोध हेतु कोरिया जिला के 40 बालिकाओं का चयन किया गया है। जिसमे 04 तहसील मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, खढगवॉ तथा भरतपुर तहसील को शामिल किया गया हैं।

प्रत्येक तहसील से 10-10 बालिका का चयन उत्तरदाता के रूप में सविचार एवं उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रविधि के द्वारा किया गया हैं। अध्ययनगत 04 तहसीलों के 40 उरॉव परिवारो का चुनाव दैव निर्दशन की लाटरी प्रणाली के माध्यम से किया गया है।

विधि तंत्र-

शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध अध्ययन में साक्षात्कार-अनुसूची अवलोकन तथा साक्षात्कार-निर्देशिका का उपयोग किया गया है। उपरोक्त शोध वैज्ञानिक प्रविधि पर आधारित होने के कारण यह शोध अध्ययन अपनी मौलिकता को वास्तविकता एवं यथार्थ रूप में अभिव्यक्त कर सकेगा।

तथ्यों का प्रस्तुतीकरण

प्रस्तावित अध्ययन में तथ्यों के समुचित संकलन हेतु एवं अध्ययन की वस्तुनिष्ठता के लिए साक्षात्कार-अनुसूची उपकरण की सहायता से प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया गया है, तथा अध्ययन हेतु साक्षात्कार निर्देशिका का भी प्रयोग किया गया है जिससे भी अध्ययन से संबंधित वस्तुनिष्ठ तथ्यों का संकलन हो सकेगा। इसके अतिरिक्त उत्तरदाताओं की दशा एवं उपलब्ध सुविधाओं हेतु असहभागी अवलोकन प्रविधि के द्वारा भी तथ्य संकलन किया गया है। अध्ययन के द्वितीयक तथ्यों के संकलन हेतु विभिन्न शोध अध्ययनों, शोध आलेख, पत्र पत्रिकाओं तथा शासन के द्वारा प्रसारित विभिन्न सूचनाओं का संकलन किया गया है। जिससे अध्ययन को पूर्णत: प्रमाणिक एवं सारगर्भित बनाया जा सके।

शिक्षा- जनजातियों में सामान्यत: शिक्षा के प्रति अत्यधिक उदासीनता पायी जाती है। जनजातिय समुदाय में कुछेक जनजातियों में शिक्षा के स्तर में काफी सुधार हुआ है। उरॉव जनजाति में ही सरगुजा संभाग के अन्य जिलों में शिक्षा का स्तर बढ़ा है। किन्तु मनेन्द्रगढ, चिरमिरी, भरतपुर जिले के उरॉव जनजाति में शिक्षा के प्रति अत्यधिक उदासीनता है। अध्ययन में देखा गया है कि उरॉव जनजाति समुदाय शिक्षा को जीवन-निवार्ह व आर्थिक उर्पाजन का साधन नही मानते है उनका कहना है कि शिक्षित होके हमे क्या मिलेगा? हम सभी को तो जंगल में ही रहना है। शिक्षित होके रोजगार के लिए हम सभी को जंगल छोड शहर में जाना पड़ेगा और हम वहां जीवन-यापन नही कर सकते है। उनका मानना है कि-

- कुछ जनजातिय समुदाय के बच्चे पढ़ना चाहते है तो वहॉ के प्राथमिक स्तर के स्कूल की हालत काफी दयनीय स्थिति में है।
- विद्यालयों मे शिक्षिकों की कमी भी जनजातिय समुदाय के बच्चों में शिक्षा के प्रति उदासीनता को बढावा देती है।
- जनजातिय बच्चों को स्थानीय भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा का समझ आना संभव नही है और विद्यालय के शिक्षकों को स्थानीय भाषा नही आती है। जिससे शिक्षक-विद्यार्थी में प्राथमिक संबंध नही बन पाते है और विद्यालय आने में बच्चे रूचि नही दिखाते है।
- विद्यालय सुविधाविहीन होने के कारण भी जनजातिय समुदाय के बालिकाओं को विद्यालय आने के लिए आकर्षित नही करती है।
- कई गांवो में विद्यालय की दूरी अधिक हो जाती है जिसके कारण बच्चों को गांवों में यातायात की अुसविधा उत्पन्न होती है। जिससे उनके माता-पिता विद्यालय नही भेजते है।

ये सभी कारण जो जनजाति समुदाय के बच्चों मे अरुचि का कारण है। उनके माता-पिता भी

शिक्षा के प्रति बिल्कुल भी जागरुक नही होते है। उनके शिक्षा के प्रति अरुचि का निम्न कारण है-

- जनजातियों का कहना है कि प्राथमिक स्तर तक हम अपने बालिकाओं को जैसे-तैसे पढा भी लेंगे तो आगे कि पढाई के लिये गॉव में उच्चतर माध्यमिक स्कूल नही है दूसरे गॉव मे जाना पडेघ्गा और बस नही चलती है, साइकल से रोज-रोज इतने दूरी सफर करने से बालिकाओं को साफ मना कर देते हे और हमे भी डर बना रहता है। जिससे वह प्राथमिक स्तर तक भी पढ़ाई नही करते है।
- उरॉव जनजातियो में अपनी संस्कृति को लेकर यह भी चिंता रहती है। बाहर नगर में जाकर पढ़-लिख जायेंगा तो उनका बच्चा अपनी रीति-रिवाजो को भूल कर नगरीकरण परिवेश की संस्कृति को अपनाता है। जिससे उसकी संस्कृति का अंत हो जायेगा।
- उराव जनजातिय में शिक्षा का प्रसार व शिक्षा से होने वाले लाभ के प्रति वह जागरुक नही है और न ही शासन द्वारा इस ओर कदम बढ़ाया जा रहा है कि जनजातिय समुदाय को जागरुक नहीं है। अत: जागरूकता कार्यक्रम चलाकर शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाये।
- उरॉव जनजाति के लोग कहते है कि पढ़ लिखकर हमारे बालिकाओं को कौन सी सरकारी नौकरी मिलेगी उसके लिए शहर जाना पडेघ्गा और आगे की पढ़ाई महाविद्यालय के लिए हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नही है कि उसका खर्चा वहन कर सके जिससे जनजातिय समुदाय शिक्षा में आर्थिक उर्पाजन का साधन नही बल्कि आर्थिक स्थिति को खराब करने का साधन मानते है।

- उरॉव जनजातियों और शिक्षकों के मध्य संबंध का अभाव भी जनजातियो में अरुचि पैदा करता है। जिससे वे अपने बालिकाओं को जागरुक ही नही कर पाते है कि वह विद्यालय में जायें।

निष्कर्षः-

शोध के दौरान यह पाया गया कि उरॉव जन जाति की बालिकाओं में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं परंतु स्कूल की हालात काफी जर्जर है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। स्कूलो में जनजाति भाषा के शिक्षकों की कमी है, शिक्षक एवं छात्र/छात्राओं के बीच प्राथमिक संबंध नहीं बन पाते है। विद्यालयों में पर्याप्त सुविधाओं का अभाव, गॉव से स्कूल की दूरी अधिक होना, यातायात सुविधाओं का अभाव, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जनजागरूकता का अभाव इत्यादि समस्याओं को उत्तरदाताओं ने शोधकर्त्ता को सूचित किया है। अतः यह कहा जा सकता है कि जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा की समस्या व्याप्त है।

सुझाव-

- सरकार द्वारा तरह-तरह के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उरॉव समूह को स्वास्थ्य, शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए।
- विद्यालयों में शिक्षकों को स्थानीय भाषा का ज्ञान जरुरी हो जिससे बालिकाएँ आकर्षित हो उन्हें शिक्षकों की बाते समझ आये, और विद्यार्थियों में विद्यालय आने की रुचि पैदा हो पाएगी।
- इन सभी समस्या का प्रमुख कारण अधिकांश पालक अशिक्षित है।
- शासन को बालिकाओ की शिक्षा में अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि वह अपने समुदाय में शिक्षा के प्रति जागरुक कर शिक्षित बनायें।
- उरॉव जनजातियों की बालिकाओ में औपचारिक शिक्षा के साथ व्यवहारगत शिक्षा की भी आवश्यकता है, जिससे उन्हे स्वाच्छता व स्वास्थ्य के प्रति जागरुक किया जा सकें।
- शासन द्वारा संचालित योजनाओ के परीक्षण हेतू अधिकारियो द्वारा समय- समय पर परीक्षण किये जाने की आवश्यकता है ताकि विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को लाभ मिल सके एवं योजनाओं का मूल्यांकन किया जा सके।
- विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था हो जिससे बच्चो को विद्यालय आने के प्रति रुचि पैदा हो पाएगी। खेल-खेल में शिक्षा के महत्व को उजागर करें।

संदर्भ-सूची

1. विद्यार्थी एल.पी.: 2008- छ.ग. की आदिम जनजाति भाग-4
2. शर्मा, डॉ. श्रीनाथ, जनजातीय समाज, म.प्र. हिन्दी अकादमी भोपाल, 2015 पृ. 1
3. Russell, R.V. and Hiralal; Tribes and caste of Central Provinces of India, CosMo Publication, Delhi, 1975. Vol. III. P.P. 322-323
4. रसेल एवं हीरालाल, हैंडबुक आन द ट्राइबल एंड कास्ट आफ सेंट्रल प्रोविंसस आफ इंडिया वो.4 मैकलिन प्रेस 1916
5- Narayan, S(1986) Dimensions of development in tribal bihar" XVI + 89 PP; tab., Tribal studies of India series. No. T 119, OQEH. New Delhi India; Inter India Publications.
6. बंसत, निरगुणे, बैगा-प्रकृति से सीधे संबंध, अंतर्गत मध्यप्रदेश का आदिवासी संसार,भोपाल,1986,
7. Sujata k." Tribal Education in india" Perspectives in Education. A journal of the Society for Education Research and Development. 1988; 4 (4).
8. शर्मा मंडला, जिला की डिंडोरी तहसील मे आदिवासी महिलाओ के विकास का अध्ययन,श्रृंखला शोधपरक वैचारिक पत्रिका, 1991,पृ.136,
9. Handa, A.K. 1970: Differential of political structure in Chhattisgarh, India Anthropologist, vol. I no. 1
10. Driberg T, Tribal of twilight existence girinarshi sandesh sandesh girivanshi pragati mandal bombey 3(7) 2.

फणीश्वर नाथ रेणु और रामधारी सिंह दिवाकर की कहानियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

सुनील कुमार

(JRF) शोधार्थी, हिंदी विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना

शोध सार

हिंदी साहित्य में गाँव का चित्रण प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण रहा है। गाँव भारतीय समाज की जड़ है और इसे हिंदी साहित्य में जीवंत रूप से चित्रित किया गया है। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों में गांव भारतीय ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं। उनकी कहानियों में गांव केबल पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि एक जीवंत चरित्र की तरह है, जो समाज, संस्कृति और ग्रामीण जीवन के हर पहलू को दर्शाता है। रेणु ने अपने लेखन में गांव के जन-जीवन, उनकी समस्याओं, संघर्षो, परंपराओं और मानवीय संबंधों को अत्यंत संवेदनशीलता और यथार्थ के साथ चित्रित किया है। वहीं रामधारी सिंह दिवाकर की कहानियों में गांव भारतीय ग्रामीण जीवन के यथार्थ, संघर्ष और जटिलताएं प्रस्तुत करते हैं उनके लेखन में बिहार और आसपास के गांव की मिट्टी, लोग, संस्कृति और समस्याएं जीवंत रूप में उभरती है। दिवाकर जी की कहानियों में ग्रामीण समाज की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परतो को गहराई से खोलता है। साहित्यकारों ने अपने साहित्य में गाँव को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन के साथ जोड़ा है। इनकी कहानियों में गाँव केवल भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि समाज, संघर्ष, परंपरा और विकास का प्रतीक बनकर उभरता है। इस आलेख में रेणु और दिवाकर की कहानियों के माध्यम से गाँव के विषय का विश्लेषण किया गया है।

मूल शब्द- साहित्य, कहानिया, संस्कृति, समस्या, परंपरा।

प्रस्तावना

रेणु और रामधारी सिंह दिवाकर का परिचयः-

फणीश्वरनाथ रेणु (1921-1977) हिंदी साहित्य में प्रगतिशील आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार प्रांत के अररिया जिला अंतर्गत औराही हिंगना नामक गांव में 4 मार्च सन 1921 ई को हुआ था। इनके माता का नाम श्रीमती पानो देवी तथा पिता का नाम श्री शीलानाथ मंडल था। रेणु का परिवार राजनीतिक दृष्टि से जागरूक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से सुसंस्कृत था। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रारंभिक शिक्षा एरिया स्कूल और फारबिसगंज के ली अकादमी में हुई। 1932 में विद्यालय पत्रिका में इनका पहली रचना (कविता) छपी। सन 1935 में वे संयोग से नेपाल के विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के संपर्क सानिध्य में आए। वह उनके विराटनगर स्थित घर पर रहने लगे और यहीं से उनके पिता द्वारा स्थापित "आदर्श विद्यालय" से मैट्रिक की परीक्षा पास की। कोइराला परिवार के सानिध्य में रहते समय इन्होंने "मंडल" की जगह "रेणु" उपनाम रख लिया। इनके प्रारंभिक सामाजिक कारण पर कोइराला परिवार का प्रभाव पड़ा। आगे की पढ़ाई के लिए वे कासी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस गए। वे सन 1939 से 1941 तक यहां के छात्र रहे। इसी समय उनके व्यक्तित्व जीवन और देश के राजनैतिक वातावरण में ऐसी हलचल मची की इनकी अकादमी पढ़ाई अधूरी रह गई। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख कहानी संग्रह ठेस, पंचलाइट, तीसरी कसम (उर्फ मारे गए गुलफाम), रसप्रिया, नैना जोगिन आदि प्रमुख है। उन्होंने ग्रामीण परिवेश को अपनी रचनाओं में विशेष रूप से स्थान दिया। उनकी कहानी संग्रह "ठुमरी" और उपन्यास "मैला आँचल" में गाँव का यथार्थवादी चित्रण मिलता है। उनकी शैली "आंचलिकता" के लिए प्रसिद्ध है।

रामधारी सिंह दिवाकर आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित कथाकार हैं। रामधारी सिंह दिवाकर जी का जन्म अररिया जिले के नरपतगंज गांव में 1 जनवरी 1945 ई को हुआ। दिवाकर जी के कहानी संग्रहः- नये गांव में, अलग-अलग अपरिचय, बीच से टूटा हुआ, सरहद के पार, माटी पानी, वर्णाश्रम, धरातल आदि हैं। इनके तेरह कहानी संग्रहों और सात उपन्यासों में ग्रामीण जीवन के संघर्षों का यथार्थ पारक चित्रण हुआ है। इन्होंने बिहार के बदलते हुए गांव को अपने कहानियां और उपन्यासों का विषय बनाया। उनकी कहानियों में जातीय संघर्ष, वर्ग संघर्ष, और बदलते हुए गांव की पीड़ा का चित्रण बड़ी प्रामाणिकता के साथ हुआ है।

रेणु की कहानियों में गांव की विशेषताएंः-

- ग्रामीण संस्कृति और परंपराएंः- फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों में गांव की संस्कृति, त्योहार, रीति रिवाज और परंपराएं महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कहानी ग्रामीण समाज की जीवंतता को प्रकट करती है।
- सामाजिक समस्याओं का चित्रणः- उनकी कहानियों में गांव की गरीबी, अशिक्षा, जातिगत भेदभाव, और सामाजिक असमानता का स्पष्ट चित्रण मिलता है।
- जीवंत और यथार्थवादी वर्णनः- रेणु के गांव अपने स्थानीयता, भाषा और प्रकृति के वर्णन के कारण पाठकों के मन में गहरी छाप छोड़ता है।
- मानवीय संवेदनाएंः-उनकी कहानियों में ग्रामीण पात्र अपनी भावनाओं, संघर्षो, और सपनों के साथ संजीव प्रतीत होते हैं।

रामधारी सिंह दिवाकर की कहानियों में गांव की प्रमुख विशेषताएं:-

- समाजिक यथार्थ:- रामधारी सिंह दिवाकर की कहानियों में गांव का चित्रण वास्तविक और ठोस है। वह गांव की गरीबी, जातिवाद और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों को बेबाकी से उठते हैं।
- परंपरा और आधुनिकता का द्वंद:-उनकी कहानियों में गांव पर आधुनिकता और शहरीकरण का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई देता है। परंपरागत मूल्यों और बदलते सामाजिक ढांचे के बीच संघर्ष उनकी कहानियों के प्रमुख धारा है।
- संवेदनशील मानवीय संबंध:-रामधारी सिंह दिवाकर की कहानियों में गांव के रिश्ते भावात्मक होते हैं। लेकिन उनमें सामाजिक और आर्थिक दबावों का प्रभाव भी देखा जा सकता है।
- भाषा और शैली:-रामधारी सिंह दिवाकर की कहानी में सरल और सहज भाषा का प्रयोग हुआ है। उनकी कहानियों की भाषा ग्रामीण बोलचाल और स्थानीय मुहावरे दर से युक्त हैं। जो पाठक के मन में गहरा प्रभाव छोड़ता है।

गाँव का परिवेश

रेणु और दिवाकर की कहानियों में गाँव एक जीवंत इकाई है, जहाँ प्रकृति, मानव जीवन, परंपराएँ और संघर्ष आपस में गुँथे हुए हैं। रेणु की कहानियों में प्रकृति और मानवीय संबंधों का सामंजस्य दिखता है, जबकि दिवाकर की कहानियाँ गाँव के विकास, बदलाव और शहरीकरण के प्रभावों पर केंद्रित हैं।

सामाजिक संरचना

पिछले सदी के अंतिम दशक में विभिन्न कारणों से हिंदी पट्टी की सामाजिक और राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है। इसका प्रभाव हिंदी साहित्य पर आसानी से देखा जा सकता है। दलित साहित्य तथा स्त्री-विमर्श इसका सटीक उदाहरण है। इस क्रम में पुरानी रचनाओं का भी नई दृष्टि से मूल्यांकन किया जाने लगा है। हिंदू समाज की बनावट इस प्रकार है कि दलित-पिछड़ी जातियां जब प्रगति करेंगी तो कथित सवर्णों को चुनौती मिलेगी। हिंदू धर्म में दलित पिछड़ों का आगे बढ़ना सामाजिक समरसता बिगड़ना आदि ही माना जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित "मैला आंचल" में दलित पिछड़ों तथा सवर्णों के तनाव को आसानी से देखा जा सकता है। इसमें दलित पिछड़ों की प्रगति से सवर्ण बुरी तरह चिंतित है। दलित पिछड़ों की प्रगति से उन्हें अपने अस्तित्व पर खतरा नजर आने लगता है और ऐसे संकट की स्थिति में उन्हें संघ की याद आती है।

गाँव में जाति, वर्ग और समुदाय की जटिल संरचना दोनों लेखकों के यहाँ देखने को मिलती है। रेणु की कहानियों में जातिगत संघर्ष और सामंजस्य का वर्णन है, जबकि दिवाकर की कहानियों में जातिवाद के कारण उत्पन्न अन्याय और शोषण पर गहराई से विचार किया गया है।

रेणु और दिवाकर की कहानियों का तुलनात्मक अध्ययन

रेणु की कहानियाँ- रेणु ने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन को रोचक और यथार्थवादी ढंग से चित्रित किया है। उनकी कहानी "पंचलाइट" ग्रामीण समाज के हास्य, प्रेम और परंपराओं को उजागर करती है। "ठेस" में व्यक्ति के स्वाभिमान और सामाजिक दबाव के बीच संघर्ष को दर्शाया गया है।

प्रमुख कहानी और गांव का चित्रण:-

"ठेस":- इस कहानी में एक गरीब किसान हीरा के माध्यम से ग्रामीण समाज में व्याप्त आर्थिक और भावनात्मक असमानता का चित्रण किया गया है। गांव की आपसी संबंधों की टूटन और स्वाभिमान का मार्मिक चित्रण इस कहानी की मुख्य विशेषता है।

पंचलाइट:-

इस कहानी में ग्रामीण समाज के भोलेपन, परंपराओं, और आधुनिकता के टकराव को दिखाया गया है। गांव की आपसी रंजिश और सामूहिकता का भाव इस कहानी में उभर कर आता है।

तीसरी कसम (उर्फ मारे गए गुलफाम):-

इस कहानी में गांव के भोले-भोले गाड़ीवान हीरामन की भावात्मक दुनिया का चित्रण है। इसमें गांव के परिवेश, मेलों और लोकजीवन की सुंदर झलक मिलती है। हीरामन एक सीधा साधा और भला ग्रामीण युवक है। वह 20 साल से बैलगाड़ी चला रहा है। इस बीच उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं इस कहानी का शुरुआत एक ऐसे दृश्य के साथ होती है जिसमें वह अपना बैलगाड़ी को हॉक रहा है और वह बहुत खुश है। उसकी गाड़ी में सर्कस कंपनी में काम करने वाली हीराबाई बैठी है। हीरामन कई कहानियों सुनाते

और लिक से अलग ले जाकर हीराबाई को कई लोकगीत सुनते हुए सर्कस के आयोजन स्थल तक हीराबाई को पहुंचा देता है। इस बीच उसे पुराने दिन याद आते हैं और लोक कथाओं और लोकगीत से भरा यह अंश फिल्म के आधे से अधिक भाग में है। इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन ने दिया था। हीरामन अपने पुराने दिनों को याद करता है जिसमें एक बार नेपाल की सीमा के पार तस्करी करने के कारण उसे अपने बैलों को छुड़ाकर भागना पड़ता है। इसके बाद उसने कसम खाई कि अब से चोर बाजारी का सामान कभी अपनी गाड़ी पर नहीं लादेगा। उसके बाद एक बार बास की लदनी से परेशान होकर उसने प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह बास की लदनी अपनी गाड़ी पर नहीं लादेगा। हीराबाई नायक हीरामन के सादगी से इतना प्रभावित होता है कि वह मन ही मन उससे प्रीति कर बैठी है। उसके साथ मिले तक आने का 30 घंटे का सफर कैसे पूरा हो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। हीराबाई हीरामन को उसके नृत्य का कार्यक्रम देखने के लिए पैसा देती है। जहां हीरामन अपने दोस्तों के साथ पहुंचता है। लेकिन वहां उपस्थित लोगों द्वारा हीराबाई के लिए अपशब्द कहे जाने से उसे बड़ा गुस्सा आता है। वह उनसे झगड़ा कर बैठता है और हीराबाई से कहता है कि वह यह नौटंकी का काम छोड़ दे। उसके ऐसे करने पर हीराबाई पहले तो गुस्सा करती है। लेकिन हीरामन के मन में उसके लिए प्रेम और सम्मान देखकर वे उसके और करीब आ जाती है। इसी बीच गांव का जमींदार हीराबाई को बुरी नजर से देखते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करता है और उसे पैसे का लालच भी देता है। नौटंकी कंपनी के लोग और हीराबाई के रिश्तेदार उसे समझाते हैं कि वह हीरामन का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे नहीं तो जमींदार उसकी हत्या भी करवा सकता है। और यही सोच कर हीराबाई गांव छोड़कर हीरामन से अलग हो जाती है।

अंत में हीराबाई के चलते जाने और उसके मन में हीराबाई के लिए उपजी भाव के प्रति हीराबाई के बेमतलब रहकर विदा लेने के बाद उदास मन से वह अपने वालों को झिड़की देते हुए तीसरी कसम खाता है कि अपने गांव में वह कभी किसी नाचने वाली को नहीं ले जाएगा। इसके साथ ही कहानी का अंत होता है।

रसप्रिया:- इस कहानी में गांव के पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों के बीच संघर्ष को दिखाया गया है। इसमें ग्रामीण समाज के रूढ़ियों और प्रेम के प्रति दृष्टिकोण का संवेदनशील चित्रण है।

नैना जोगिन:- इस कहानी में गांव की धार्मिक और सामाजिक परंपराओं का चित्रण है। इसमें ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति और धार्मिक अंधविश्वासों को उजागर किया गया है।

दिवाकर की कहानियाँ

दिवाकर की कहानियाँ प्रगतिशील विचारधारा के साथ ग्रामीण जीवन की समस्याओं को सामने लाती हैं। "माटी पानी" रामधारी सिंह दिवाकर की कहानी में बदलते हुए गांव और हमारा संस्कार जिस भविष्य की ओर संकेत करता है उसे यह महसूस होता है कि आने वाले समय में वे सारे मूल्य बदल जाएंगे, जो सदियों से हमारी चेतना में हिमालय की तरह स्थिर भाव से पड़े हैं। जो नई सामाजिक संरचना होगी उसमें व्यक्ति समर्थ के आधार पर ही पहचान जाएगा।

"नया घर चढ़े" शीर्षक कहानी संग्रह में गांव की जिंदगी पर जो शहरी मूल्य विकसित हुए हैं उसी के इर्द-गिर्द घूमते कहानीयां संग्रहित है। "नया घर चढ़े" संग्रह की कहानियों के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण समाज में पहले जातीय विद्वेष, उच्च वर्गीय अहं-बोध, ग्रामीण जीवन में आए बदलाव तथा नगरीय विषाक्त वातावरण के गांव में बढ़ते प्रभाव का सजीव चित्रण किया गया है। इस प्रकार दिवाकर जी की दृष्टि गांव के सभी वर्गों पर पड़ी और उसे वर्ग के कड़वे यथार्थ को सलंग्नता के साथ ईमानदारी पूर्वक चित्रित किया। दिवाकर जी की विशेषता हम इस रूप में भी देखते हैं कि उनकी पैनी नजर सिर्फ गांव पर ही नहीं पड़ी, गांव से जुड़ते शहर और शहर के प्रभाववश गांव में आए संक्रमण व उसके प्रभाव से गांव के अपने मूल्य का धूमिल होना आदि भाव को एक आकार में बांधने का काम किया है।

"मंदिर चढ़ी कागा बोले" शीर्षक कहानी में बदलते समय के साथ ग्रामीण जीवन में तेजी से क्षरण होते जीवन- मूल्यों, सुरक्षा के नाम पर स्थापित थानों के चलते गांव में बढ़ते अपराध और पुलिसिया अत्याचार का जीवंत चित्रण उपलब्ध है। यह कहानी एक युवक अमरेश के बदले रूप को देखकर चकित होने, पुरानी स्मृतियों के सहारे चार वर्षो तक वहां के हाई स्कूल में गुजरे लम्हे और उसे समय की यादों को कहानीकार ने कलात्मक रूप से उभार कर वर्तमान समय की विसंगतियों से जोड़ने का सफल प्रयास किया है। "बारह-तेरह वर्ष बाद दोनों नदियों के संगम पर पुल को देख कर उसे एक क्षण के लिए लगा, वह पुल बीच से टूट गई है। नदी वही है, बस नाव के जल स्रोतों की जगह पुल हो गया है। लेकिन गांव भरा-भरा और उदास क्यों लगता है।"

गाँव की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति का चित्रण

1. सामाजिक स्थिति-रेणु और दिवाकर दोनों ने गाँव की सामाजिक संरचना का वर्णन किया है। रेणु की कहानियों में जहाँ सामूहिकता और सहिष्णुता दिखती है, वहीं दिवाकर के लेखन में जातिवाद, शोषण और संघर्ष का अधिक विवरण मिलता है।
2. सांस्कृतिक स्थिति-रेणु की कहानियाँ सांस्कृतिक परंपराओं, त्योहारों और रीति-रिवाजों को सजीव रूप में प्रस्तुत करती हैं। दिवाकर की कहानियाँ सांस्कृतिक परिवर्तन और आधुनिकता के प्रभाव को उजागर करती हैं।

3. आर्थिक स्थिति–रेणु की कहानियों में गरीबी और साधनहीनता का वर्णन है, लेकिन दिवाकर ने भूमिहीन मजदूरों, किसानों और शहरीकरण से प्रभावित ग्रामीण जीवन को प्राथमिकता दी है।

भाषा और शैली

रेणु की भाषा–रेणु की भाषा आंचलिकता से परिपूर्ण है। वे स्थानीय बोलियों और लोकगीतों का प्रयोग करते हैं। उनकी शैली सरल और चित्रात्मक है।

दिवाकर की भाषा–दिवाकर की भाषा आधुनिक और सीधी है। वे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कहानियाँ लिखते हैं, जिसमें विश्लेषण और तथ्यात्मकता का समावेश होता है।

निष्कर्ष

रेणु और रामधारी सिंह दिवाकर की कहानियाँ गाँव के विविध पक्षों को उजागर करती हैं। रेणु ने जहाँ गाँव के पारंपरिक स्वरूप और सांस्कृतिक जीवन का चित्रण किया है, वहीं दिवाकर ने गाँव के आर्थिक संघर्ष और आधुनिकता के प्रभाव को दिखाया है। इन दोनों लेखकों का लेखन ग्रामीण भारत को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। रेणु से अलग भावबोध और भाषा के स्तर पर जो बदलाव आए, दिवाकर की कहनियां उस बदलाव के साक्ष्य की कहानी है। ये कहानियां गहरी अंतरदृष्टि और आत्मिक लगाव से लिखी गई ऐसी कहानियां हैं जिनको पढ़ते हुए ऐसा नहीं लगता कि हम कहानियां पढ़ रहे हैं, बल्कि गांव के भीतरी यथार्थ परत–दर– परत उद्घाटित होते हुए दिखते हैं। शिल्प की सहजता, विश्वसनीयता और भाषा का प्रभाव दिवाकर की कहानियों की अन्यतम विशेषता है।

हिंदी कहानी में नई दृष्टि है जो अन्य कहानीकारों से दिवाकर को अलग और विशिष्टता महत्व प्रदान करती है।

संदर्भ सूची

1. फणीश्वरनाथ रेणु, "पंचलाइट", लोकभारती प्रकाशन, 1954, पृष्ठ 10–22।
2. फणीश्वरनाथ रेणु, "ठुमरी", राजकमल प्रकाशन, 1964, पृष्ठ 35–40।
3. रामधारी सिंह दिवाकर, "माटी पानी", वाणी प्रकाशन, 2002, पृष्ठ 12–25।
4. रामधारी सिंह दिवाकर, "नया घर चढ़े", साहित्य भंडार, 2010, पृष्ठ 40–50।
5. फणीश्वरनाथ रेणु, "मैला आँचल", लोकभारती प्रकाशन, 1954, पृष्ठ 100–150।
6. रामधारी सिंह दिवाकर, "कथाकार का गाँव", राजकमल प्रकाशन, 2015, पृष्ठ 30–45।
7. त्रिलोचन शास्त्री, "हिंदी कथा साहित्य और गाँव", प्रभात प्रकाशन, 1995, पृष्ठ 60–75।
8. अज्ञेय, "गाँव का यथार्थ", साहित्य अकादमी, 1970, पृष्ठ 45–65।
9. डॉ. नामवर सिंह, "आंचलिक साहित्य की परंपरा", राजकमल प्रकाशन, 1982, पृष्ठ 20–35।
10. प्रो. रामचंद्र शुक्ल, "हिंदी साहित्य का इतिहास", लोकभारती प्रकाशन, 1929, पृष्ठ 300–320।
11. गोपाल राय, "हिंदी कहानी का इतिहास", वाणी प्रकाशन, 1992, पृष्ठ 150–165।
12. महावीर प्रसाद द्विवेदी, "ग्राम जीवन और साहित्य", साहित्य भंडार, 1918, पृष्ठ 45–60।
13. सत्यनारायण, "कहानी और समाज", साहित्य अकादमी, 2005, पृष्ठ 50–70।
14. रामविलास शर्मा, "गाँव की कहानियाँ", साहित्य प्रकाशन, 1965, पृष्ठ 25–40।
15. निर्मला जैन, "हिंदी कहानी का यथार्थ", वाणी प्रकाशन, 1984, पृष्ठ 120–140।
16. शंकराचार्य द्विवेदी, "आधुनिक ग्रामीण जीवन", प्रभात प्रकाशन, 1975, पृष्ठ 80–100।
17. धर्मवीर भारती, "ग्राम कथा साहित्य", राजकमल प्रकाशन, 1980, पृष्ठ 30–50।
18. कमलेश्वर, "कथा यात्रा", साहित्य भंडार, 1995, पृष्ठ 15–30।
19. भीष्म साहनी, "ग्राम समाज और परिवर्तन", वाणी प्रकाशन, 1972, पृष्ठ 100–120।
20. विद्यानिवास मिश्र, "गाँव और साहित्य", साहित्य अकादमी, 1978, पृष्ठ 60–85.
21. रामधारी सिंह दिवाकर, "नए गांव में" , पृष्ठ संख्या 128
22. रामधारी सिंह दिवाकर, "सदियों का पड़ाव" पृष्ठ संख्या 14– 15
23. रामधारी सिंह दिवाकर, "मंदिर चढ़ी कागा बोले" पृष्ठ संख्या 17– 20
24. रामधारी सिंह दिवाकर, "नए गांव में" पृष्ठ संख्या 128
25. रामधारी सिंह दिवाकर, धरातल, वाणी प्रकाशन, पृष्ठ संख्या 107

बालक के विकास पर खेल का महत्त्व

श्रीमती ममता आर. देव

विभागाध्यक्ष- गृह विज्ञान विभाग, शासकीय कमलादेवी राठी महिला पी.जी. महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)

बालक के विकास हेतु खेल अत्यंत आवश्यक होते हैं कहने का तात्पर्य यह है खेलों के माध्यम से ही बालक विकसित होता है। ऐसा कहा जाता है कि मानव समुदाय में प्रत्येक सदस्य के लिए जीवन में खेल का अपना एक पृथक महत्व होता है। खेलों में मनोरंजन तो प्राप्त ही होता है उसके साथ-ही-साथ खेलों का मानव मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है।

वैदिक युग अथवा उसके कुछ कालखण्ड के पश्चात् रामायण और महाभारत काल में आमतौर पर भारतवर्ष में खेलों का प्रचलन दृष्टिगोचर होता है। उस समय के घुड़सवारी, पेड़ पर चढ़ना, गिल्ली डण्डा, कबड्डी, मल्ल, कुश्ती, भारोत्तोलन, रस्साकसी, ऊँची कूद, लम्बी कूद, तैराकी, शिकार, तीरंदाजी, जलक्रीड़ा, कोड़ा बाजी, शतरंज, पासा तथा मनोविनोद आदि अनेक प्रकार के खेल प्रचलन में थे। ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से विदित होता है कि भारतीय धावकों ने एक उल्लेखनीय आयाम प्रस्तुत किया है। हमारे देश भारतवर्ष में जब बौद्ध धर्म का आगमन हुआ उस समय तीरंदाजी, घुड़सवारी, रथ दौड़ तथा गुल्ली डण्डा आदि खेल प्रतियोगिताओं की उपस्थिति महसूस की गयी। उस काल खण्ड के समस्त खेलों को भारतीय साम्राज्य के सैन्य प्रशिक्षण सत्रों में एक 'मस्ट' के रूप में परिभाषित किया गया है।

''हजारों वर्षों से भी अधिक पूर्व समय से मनुष्य अन्य मनुष्यों के साथ दौड़ने कूदने तथा अन्यान्य वस्तुओं को अधिकतम दूरी तक फेंकने की प्रतियोगिता में भाग लेता रहा है।''[1] हमें यह विदित है कि आदिकाल में मनुष्य पहले किसी भी प्रकार से सभ्य अर्थात् सांसारिक गतिविधियों (जीवन प्रणाली) से अज्ञात था। वह जंगलों एवं वनों में रहता था तथा फल, कंद, मूल और वृक्षों के पत्तों एवं छालों को अपने उदर-पोषण के लिए प्रयोग करता था। इन्हीं वस्तुओं से उसका जीवन निर्वाह होता था। वनों एवं गिरिकन्दराओं में निवास करने के दौरान उसे जंगली जानवरों को भय हमेशा परेशान किये रहता था, तात्पर्य यह है कि वह जीवन में जंगली एवं खूंखार जानवरों से हमेशा भयभीत रहता था। इस प्रकार की स्थिति में उसे स्वयं को जंगली जानवरों से बचाना उसकी मूल आवश्यकता बन गयी थी। स्वयं के साथ-ही-साथ उसके लिए परिवार की सुरक्षा सर्वाधिक समस्या थी जो बहुत ही भयंकर थी। इसका उसने उपाय खोजना प्रारंभ किया तब उसे ज्ञात हुआ कि शिकार करने की प्रक्रिया का अभ्यास कर दिया। उसके लिए उसे स्वयं को बचाने के लिए सर्वप्रथम तीव्रता के साथ दौड़ना सीखना आवश्यक था। इसमें एक समस्या ने आकर उसके लिए अड़चन पैदा कर दी वह समस्या यह थी कि इस क्रिया में सभी मनुष्य दौड़ने में असमर्थ थे। अतः वही व्यक्ति अपनी रक्षा कर सकता था। जो दौड़ने में समर्थ अर्थात् खेलकूद में निपुण हो। इसके पश्चात् सभी मनुष्यों ने इस खेल नामक प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर दिया जिससे खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होना प्रारम्भ हो गया। धीमी गति से दौड़ने वाले मनुष्य उस समय हिंसक जानवरों की चपेट में आकर अपने प्राण गवाँ देते थे।

इस व्यक्ति को अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए दौड़ने के साथ-ही-साथ वस्तुओं के फेंकने तथा अधिक से अधिक दूरी तक कूदने आदि को भी सीखना आवश्यक हो गया। कालान्तर में यही कौशल क्रियाएँ विकसित व्यवस्थित तथा सुसंगठित स्वरूप में आकर खेल नामकरण से प्रसिद्ध हो गयीं। मनुष्य अपने आरम्भिक काल में केवल 'दौड़' वाले ही कौशल को खेल समझता था। कालान्तर में इस दौड़ वाले खेल के ही अनेक भाग हो गये जो इस प्रकार हैं- छोटी, दौड़, बड़ी दौड़, बाधा दौड़, पाद चाल दौड़, पहाड़ों पर दौड़, बर्फ पर दौड़, लम्बी कूद, ऊँची कूद, बाँसकूद तथा त्रिकूद आदि इसी के साथ गोला फेंक, चक्का फेंक तथा भाला फेंक आदि।

''आदिकाल से ही खेल मानव संस्कृति के एक अंग के रूप में उपस्थित रहा है। खेल का इतिहास मानव अतीत के समान ही अति प्राचीन है। खेल हमारी भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग तथा मानव की सामाजिक अन्तःक्रिया के प्राचीनतम रूप हैं।''[2] कलाकृतियों एवं प्रस्तर ढाँचों के माध्यम से ज्ञात होता है कि ईसा से लगभग 4000 ईसा पूर्व से खेल का प्रादुर्भाव हुआ है इसमें चीन देश सम्भवतः सर्वप्रथम रूप से शामिल था। यह फराह के स्मारकों से प्रमाणित होता है।

हमारे देश भारतवर्ष में सिन्धु घाटी सभ्यता के लगभग 8000 वर्ष पूर्व का खेलों का इतिहास है इसमें हमारे देश का आदिवासी समुदाय सर्वप्रथम सम्मिलित था। यह भी ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल में भारत में विभिन्न जातियों के सम्मिलन के परिणाम स्वरूप भारतीय जनमानस सर्वाधिक विकसित समुदायों में सम्मिलित था।

''खेल का जनक पियरे फ्रेडे, बैरोन डे तथा कोर्बेटिन को माना जाता है। सन् 1937 ई. में जन्में यह एक फ्रांसी सी शिक्षा शास्त्री एवं इतिहासकार थे। इन्हीं को विश्व अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति का संस्थापक एवं खेलों के आधुनिक जनक की संज्ञा प्रदान की जाती है।''[3]

वैश्विक स्तर पर 11 जून 1924 ई. को मनाया जाने वाला प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, खेल को संरक्षित करने, बढ़ावा देने तथा प्राथमिकता प्रदान करने वाले प्रयासों के रूप में 'मील का पत्थर' सिद्ध होगा। इससे यह सिद्ध होता है कि वैश्विक स्तर पर समस्त मानव समाज इसको समझें तथा इससे लाभ ग्रहण कर सकें।

इसके अतिरिक्त खेलों का इतिहास प्राचीन डुनिया में 7000 ईसा पू. तक माना जाता है। खेलों में विकसित होने वाली शारीरिक गतिविधि का युद्ध और मनोरंजन से प्रारम्भिक सम्बन्ध माना जाता है। खेलों के इतिहास पर दृष्टिपात करने से यह ज्ञात होता है कि खेल नियमों एवं रीति-रिवाजों वाली परम्परा द्वारा संचालित होने वाली एक प्रतियोगी गतिविधि है।

मनोवैज्ञानिकों एवं वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि आत्म क्रिया तथा खेल बालक की सहज एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अत: बालक की सम्पूर्ण शिक्षा का आधार क्रिया एवं खेल होना ही आवश्यक सामग्री हैं। इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि-

''खेल ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से बालक की नकारात्मक ऊर्जा का निष्कासन होता है। ऊर्जा का निष्कासन होने पर ही बाल में मानसिक स्थिरता का विकास होता है। विद्यालयीन एवं सामाजिक अभिभावकों का व्यवहार बालकों के प्रति प्रेम एवं सहानुभूतिपरक होना चाहिए क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि जब आवश्यकता से अधिक शारीरिक एवं मानसिक दण्ड बालकों का दिया जाता है तब वे तिरस्कार स्वरूप स्वयं को हीन भावना से ग्रस्त समझते हैं।''[4] यही कारण है कि बालक अपने को उपेक्षित महसूस करने लगता है। जब शिक्षण बालकों को शारीरिक दण्ड देता है तब बच्चे विद्यालय से जलायन करने की प्रवृत्ति अपना लेते हैं विद्यालय समय की समाप्ति के उपरान्त वे अपने घरों में वापस पहुंच जाते हैं।

अत: खेल शिक्षा बालक के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। इसके लिए अभिभावक तथा शिक्षक दोनों के लिए यह आवश्यक निर्देश है कि वे बालक के व्यक्तित्व विकास के लिए उचित दिशा प्रदान करें। इसीलिए कहा गया है कि-

''चौम्पियन बनने के लिए आँखें नहीं बल्कि दृष्टि (VISION) चाहिए।''[5]

निष्कर्ष

प्राचीनकाल से ही मानव समाज में खेल मानव जीवन का एक हिस्सा रहा है। हजारों वर्ष पूर्व से ही व्यक्ति अन्य व्यक्ति के साथ खेल का एक-एक अमूल्य वस्तु बना रहा है। मानव सभ्यता के विकास के प्रारम्भ में ही अपनी सुरक्षा के कारण मनुष्य खेल जैसी क्रिया से जुड़ गया और विस्तृत रूप में इस क्रिया (खेल) की प्रगति हुई है। बालक अपनी शिशु अवस्था से ही खेल जैसी चेष्टाएँ प्रारम्भ कर देता है। शिशुपन के छोटे-छोटे खिलौने ही बालक के व्यक्तित्व विकास में साधन की भूमिका अदा करते हैं। खेल ही व्यक्ति को जमीन से उठाकर आसमान में बिठा देता है। अनेक महान व्यक्ति खेल के माध्यम से ही विश्व में प्रसिद्ध हैं।

संदर्भ

1. एथलेटिक्स-डॉ. ओ.पी. अनेजा, 2013, पृ.1 खेल साहित्य केन्द्र दिल्ली
2. व्ही, पृ. 25
3. विकीपीडिया
4. महिलाएँ एवं खेल-डॉ. ज्योति ठाकुर संस्करण 2007, पृ. 225, विश्वभारती पब्लिकेशन्स दिल्ली
5. वही, पृ. 251

श्री हरदर्शन सहगल के उपन्यास 'टूटी हुई जमीन' का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण

डॉ० अंजली पारीक

सहायक आचार्य (हिन्दी- साहित्य) राजकीय कन्या महाविद्यालय, बाँसखोह, जयपुर

सरल एवं सहज व्यक्तित्व के धनी श्री हरदर्शन सहगल जी का जन्म 26-2-1935 को अविभाजित भारत में कुंदिया जिला मिंयावाली, पंजाब (अब पाकिस्तान) में हुआ। अब वे हमारे बीच में नहीं है। उनके हृदय में विभाजन का दर्द रह-रहकर सहगल जी को बैचेन करता रहता था। यही दर्द उनके उपन्यास 'टूटी हुई जमीन' (1996) में झलकता हैं।

हरदर्शन सहगल जी ने देश के विभाजन की त्रासदी को झेला था। अपने सामने न जाने कितने अत्याचारों को देखा था। यद्यपि उनके मित्रों में हिन्दू भी थे, सिख और मुस्लिम भी थे। सब के प्रति सहगल जी का प्रेम समान रूप से था। स्वतंत्रता के साथ जैसे ही भारत पाकिस्तान दो अलग देश बने, बहुत से लोगों की तरह उनका परिवार भी विस्थापन का शिकार बना। यही वो दर्द था जो उन्हें जीवन भर सालता रहा और अपनी इन्हीं यादों और भावनाओं को हरदर्शन सहगल ने 'टूटी हुई जमीन' उपन्यास में समेटा। यद्यपि मंटो, खुशवंत सिंह, यशपाल, भीष्म साहनी, विष्णु प्रभाकर, कृष्णा सोबती और अनेक लेखकों ने इस विभाजन की त्रासदी को अपनी रचनाओं में रचा लेकिन सहगल जी ने उस बालमन का चित्रण अपने उपन्यास में किया जिसके हृदय पर पूरे का पूरा घटनाक्रम हमेशा अंकित रहा। कत्लेआम का खौफ, वहशीपन, विस्थापन के कारण अपनी मातृभूमि, अपना आशियाना, अपनी गली, अपना खेल का मैदान, अपने विद्यालय के मित्र, अपने रिश्तेदारों का बिछड़ जाना वह कभी नहीं भूल सके।

'टूटी हुई जमीन' उपन्यास के कथानक में श्री हरदर्शन सहगल जी के हृदय में पनपी विस्थापित होने की घुटन का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। यह उपन्यास अनेक वर्षों की साधना था जो उनके घावों को न जाने कितने बार कुरेदता था। इस उपन्यास का गुजराती भाषा में अनुवाद हुआ। वो अपने परिवार के साथ स्थायी रूप से बीकानेर आ बसे। इसी उपन्यास के माध्यम से रचनाकार ने भारतीय इतिहास के बहुत बड़े सच को बहुत मार्मिकता और यर्थाथवादी दृष्टिकोण के साथ रचा है। ''प्रस्तुत कृति विभाजन की ट्रेजडी के कारण बालमन पर उपजे सवालों का जीवंत दस्तावेज है।''[1]. अपनी मिट्टी का मोह पाठक को लेखक के साथ अंत तक बांधे रखता है। इस उपन्यास के प्रथम भाग में विस्थापन की स्थितियों को रेखांकित करता 'बेदखल' है तो द्वितीय भाग में पुर्नस्थापित होने की प्रक्रिया समेटे 'बसेरा' है और तृतीय भाग 'ढलान' है।

जयदयाल जी के परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें विभाजन की त्रासदी के कारण अपने घर-परिवार, धन-दौलत और यार-दोस्तों सभी को छोड़-छाड़ कर जान बचाने के लिए यों रातों-रात पलायन करना पड़ सकता है। सहगल जी के पिता उस समय मुल्तान में थें और हरदर्शन सहगल अपनी पढ़ाई के लिए शेखपुरा में थें। श्री हरदर्शन सहगल जी के बचपन का नाम कुन्दी था।

कुन्दी को गर्मियों की छुट्टियां होने की प्रतिक्षा थी। वातावरण में बढ़ती सरगर्मी कुन्दी को बेचौन करने लगती है। आने वाले हर पल उसे संभावित फसाद को लेकर अर्मूत रूप से आंतकित करते रहते थे। ''[2]मन के किसी कोने में'' उनको यह विश्वास था कि बड़े-बड़े संत-महात्माओं ने कहा था कि यह धरती सालम की सालम ही रहेगी टूटेगी नहीं।''[3]

यह विचार कुन्दी के मन में हिम्मत एवं जोश का संचार करते है। बातों की सरगर्मी से कुन्दी को लगता था कि क्या हम और हमारा सामान भी ऐसे ही लूटा जाएगा जैसे हम कटी हुई पतंग और डोर लूटते हैं। यह विचार उसके बालमन को अन्दर तक झकझोर डालता और वह यह समझ नहीं पाता कि पाकिस्तान क्यों मांगा जा रहा, क्यों हिन्दुस्तान के वो टुकड़े किए जा रहे है। हिन्दुओं ने मुस्लिमों का क्या बिगाड़ा है? झगड़ा किस बात को लेकर है, क्यों जमीन तोड़ने की बातें करते हैं और ये नेता इस जमीन को कैसे तोड़ डालेंगे? ये क्यों नहीं समझते कि जमीन सिर्फ जमीन का टुकड़ा भर नहीं होती जो लोग इस जमीन पर रहते है उनके लिए यह वत नही नहीं बल्कि प्यार सौहार्द और रिश्तों की वह जमीन है जहां पर हिन्दू-मुस्लिम की साझी गंगा-जमुनी सांस्कृतिक विरासत भी है। उन लोगों की अल्प बुद्धि में यह प्रश्न नहीं समाता कि पहले तो वतन की आजादी के लिए लड़ते थे सब, अब मुस्लिम लीग वाले पाकिस्तान के लिए क्यों लड़ते हैं और अब जब वह भी मिल गया है तो फिर किस बात का झगड़ा है। प्रत्युत्तर में माँ इतना ही कहती है कि तुम अपनी नहीं समझोगे। अभी तुम छोटे हो, यह राजनीति का हिस्सा है।

कुन्दी का यह प्रश्न उन सभी व्यक्तियों को झकझोरता हैं, जिसने विभाजन की दारुण यंत्रणा को भोगा है।

विभाजन के तूफान में मानवीयता, नैतिकता, सहृयता और अपनेपन के मानवीय मूल्य-भी उजड़ गये। इस विभाजन में रक्तपात, आगजनी, बलात्कार के साथ-साथ अपनी जमीन से उखाड़कर दिशाहीन भटकने को छोड़ने का भी तेज वेग था।

उपन्यास के दूसरे खण्ड 'बसेरा' में विस्थापन के बाद पुनर्स्थापित होने की जद्दोजहद है। स्थानीय लोकाचार, रीति-रिवाज, मानदण्ड एवं सामाजिक मूल्यों से नितांत अपरिचित जगह में स्वयं को स्थापित करने और उनके साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश के अन्तर्गत आने वाले तनावों-खिंचावों से जूझते हुए जिंदगी के नये समीकरण की तलाश करने कीक जीवन यात्रा का चित्रण 'बसेरा' का मुख्य केन्द्र रहा है।

उपन्यास के अंतिम खण्ड 'ढलान' में देश का धीरे-धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौटना तथा प्रगति की तरफ अग्रसर होना दिखलाया गया है। भारत-पाक युद्ध के बाद देश में शांति स्थापित होना, आतंकवाद की घटनाओं का बढ़ना और अपनी जन्म भूमि में जाने की लालसा कुन्दन कृष्ण (लेखक) को अन्ततः लाहौर ले जाती है। अवचेतन में दबी इच्छा वतन की तरफ ले जाती है और स्वप्न भंग होने कि स्थिति में जमीन ऐसी टूटती है कि वह खाई का रूप ले लेती है इस भाग में विभाजन की त्रासदी के कथ्य का वैशिष्टता निरूपित हुआ है।

विषादपूर्ण विपदाओं और दारुण स्थितियों के बीच से गुजरते हुए भी मनुष्य किस प्रकार से उठता है, संभलता है और मुस्कराता-हंसता भी है; इस जीवन सत्य को भी इस उपन्यास 'टूटी हुई जमीन' में पूरी ऊर्जा और ओज के साथ प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत उपन्यास बालमन पर विभाजन की त्रासदी के असर पर संभवतया प्रथम उपन्यास है। बालमन पर विभाजन की घटनाओं के कैसे-कैसे अक्स (चित्त) उभरते हैं, मिटते हैं, इसका मनाविश्लेषणात्मक चित्रण प्रस्तुत उपन्यास में बहुत ही सहज ढंग से रूपायित किया गया है। एक मध्यमवर्गीय परिवार की इच्छाओं, आकांक्षाओं, सपनों, दुर्श्चिंताओं और मनोदशा का सशक्त वर्णन प्रस्तुत उपन्यास में हुआ है।

प्रस्तुत उपन्यास पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कथाकार सुदेश लिखते हैं- ''उपन्यास का प्रथम भाग बड़ा मार्मिक है। सच बताऊं मैं इसे पढ़ते हुए कई बार अपने आंसू नहीं रोक सका।''[4]

समीक्षक रतन श्रीवास्तव के अनुसार ''उपन्यास की मूल संवेदना अपने घर की चाह है जहां नायक लौट नहीं सकता। छटापटाहट तथा विभाजन की टीस उपन्यास के आरंभ से अंत तक प्रायः हर शब्द पूरी शिद्दत से ध्वनित करता है।''[5]

माधवी शर्मा के अनुसार- ''टूटी कमर और टूटे घुटनों को समेट कर पूरी शक्ति और ऊर्जा से उठ खड़े होने वाले आसूं और मुस्कराहट के साथ सब कुछ झेल जाने वाले मानवीय पुरुषार्थ और लेखक की जिजीविषा इस उपन्यास में व्यक्त हुई है।''[6]

संक्षेप में मैं यह कहना चाहुंगी कि सहगल जी के बालमन को मैंने 90 वर्ष की उम्र में भी उसी प्रकार देखा जैसे वो पहले थे। सहृदय, भावुक, सहयोगी मानवीय गुणों की विशेषता को लिए यह आलेख उनके श्री चरणों में समर्पित।

संदर्भः-

1.''श्री हरदर्शन सहगल के साहित्य में मनोविज्ञान'' पी.एच.डी.- शोध कत्रीं डॉ. अंजली पारीक

2.'हरदर्शन सहगल का रचना संसार' दैनिक युगपक्ष पक्षिका में सम्पादित लेख

3.'टूटी हुई जमीन' उपन्यास लेखक श्री हरदर्शन सहगल

4.पक्ष- सुदेश, 3.3.2001

5.18.2.98 हैदराबाद महनोत टाईम्स, अप्रैल-जून, 1997

6.मालती शर्मा की समीक्षा 'टूटी हुई जमीन' उपन्यास

भारतीय लौकिक संस्कृत साहित्य

श्री नरोत्तम लाल सोनल

सहायक प्राध्यापक(संस्कृत) वीरांगनारानीदुर्गावती, शासकीय महाविद्यालय, मरवाही जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ0ग0)

सारांशः- भारतीय साहित्य में संस्कृत भाषा का इतिहास प्राचीन है। संस्कृत भाषा को देववाणी कहा गया है। विश्व के किसी भी भाषा साहित्य से अधिक सार्थक और प्रमाणित संस्कृत साहित्य को माना जाता है। साहित्य की महत्वा उसकी भाषाकी उत्पत्ति, लिपि और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से समझा जाता है। भारतीय जनजीवन और उनके संस्कारों विचारों को निर्माण करने का प्रमुख स्थान आर्य जाति तथा उसकी भाषा का रहा है। संस्कृत पालि प्राकृत (गान्धारी), अर्धमाग्धी, अपभ्रंष हिन्दी और भारत के समस्त प्रान्तीय भाषाओं तथा बोलियों के साथ आर्य भाषा का संबंध हमेशा बना रहा है। भारत में आर्य भाषा दो रूपों विकसित हुआ, पहला तत्कालीन जनसामान्य की भाषा और दूसरा साहित्य की भाषा इसी साहित्य कीभाषा को संस्कृत भाषा कहा गया। इसके रूप में समय-समय पर विविधता आयी। वेद संहिता, ब्राम्हण ग्रंथ अरण्यक, उपनिषद् की भाषा वैदिक भाषातथा लौकिक संस्कृत में बाल्मीकीय रामायण, महाभारत की रचना हुई। संस्कृत भाषाका सर्वप्रथम प्रयोग रामायण के सुन्दर काण्ड मेंहनुमान जी ने सीता माता से वार्तालाप करने के लिए किया था।

''यदिवाचंप्रदास्यामिद्विजातिसंस्कृताम्।
रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति।।''(सुन्दरकाण्ड 5-14)
महाकविदण्डीकेअनुसारः-नामदैवीवागव्याख्यातामहर्षिभिः।। (काव्यादर्श1-33)

संस्कृत भारत की एक अमूल्य व अनुपम निधि है, विचारकों ने इसे विश्व की प्राचीन तम्व श्रेष्ठतम्भाषा माना है। विश्वसाहित्य की पहली पुस्तक ऋग्वेद संस्कृत भाषा का दैदीप्यमान रत्न है। संस्कृत का अध्ययन किये बिना भारतीय संस्कृति का पूर्ण ज्ञान कर पाना असंभव है। यह अनेक प्राचीन तथा अर्वाचिन भाषा ओं की जननी है। आज भी भारत की समस्त भाषाएं इसी वात्सलयमयी जननी से पुष्ट हो रही है।

पाश्चात्य विचारक विन्टर निट्जने कहाः- ''लिटरेचर (साहित्य) अपने व्यापकअर्थ में जो कुछ भी सृजित कर सकता है, वह संस्कृत में विद्यमान है। धार्मिक, साहित्यिक, रचनाए, महाकाव्य, नाटकीय और नीति संबंधी काव्य, वर्णानात्मक, अलंकृत और वैज्ञानिक गद्य सब कुछ इसमें भरा पडा है।''

काल विभाजन की दृष्टि से संस्कृत साहित्य को तीन भागों में बाटागया है:-

1. आदिकाल (4500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक वेद संहिताओं और वाघ्ड्मय का काल)
2. मध्यकाल (800 ईसा पूर्व से 800 ईसा तक दर्शनशास्त्र, वेदांग ग्रंथों, काव्यों तथाप्रमुख साहित्य शास्त्रीय ग्रंथों का काल)
3. परवर्ती या आधुनिक काल (800 ईसा से 1600 ईसवीया अब तक काव्य, नाटक, साहित्य, तंत्रशास्त्र, शिल्पशास्त्र का काल)

संस्कृत वाड्मय को वैदिक भाषातथा लौकिक संस्कृत साहित्य में बाटा गया है।इस खण्ड में हम लौकिक संस्कृत साहित्य के अंतर्गत रामायण, महाभारत तथा उनके पर वर्तीग्रंथमहाकाव्य, नाटक, गीतिकाव्य, ऐतिहासिक महाकाव्य, कथासाहित्य, सुभाषितनीतिश्लोक आदि ग्रंथों का अध्ययन करेगें। संस्कृत के लोक साहित्य में वाल्मीकीय रामायण को आद्यलौकिक महाकाव्य कहते हैं। इस महाकाव्य में 24000 श्लोक हैं।उस की गणना आज भीविश्व के उच्चतम्काव्यों में की जाती है। आदि कवि बाल्मीकी के बाद गद्य-पद्य के लाखों श्रव्य काव्यों और दृश्य काव्यों नाटक आदि की रचना होती रही, जिनमें अधिकांश लुप्त या नष्ट हो गये है, अब जो अल्पांश आज उपलब्ध हैं सारा विश्व उसका महत्व स्वीकार करता है। कवि कालिदास के अभिज्ञानशाकुंतलम् नाटक को विश्व के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में स्थान प्राप्त है। अश्वघोष, भास, भवभूति, बाणभट्ट, भारवि, माघ, श्रीहर्ष, शूद्रक, विषाखदत्त आदि कवि और नाटककारों को अपने-अपने क्षेत्रों में अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त है। संस्कृत भाषाको नितांत संयत और सुव्यवस्थित करने में पाणिनि महोदय का योगदान रहा है।

प्रस्तावना- पाणिनीय व्याकरण (अष्टाध्यायी) को त्रिमुनि व्याकरण भी कहते हैं, क्योंकि पाणिनि, कात्यायन और पतंजली ये तीन मुनियों के सत्प्रयास से इस व्याकरण ने पूर्णता को प्राप्त किया। यास्क का निरूक्त पाणिनि से पूर्व काल का ग्रंथ है और उससे भी पहले

निरूक्त विद्या के अनेक आचार्य प्रसिद्ध हो चुके थे। शिक्षाप्रातिशाख्य ग्रंथों में ध्वनि विज्ञान, शास्त्र आदि का जितना प्राचीन और वैज्ञानिक विवेचनभारत की संस्कृत भाषा में हुआ है। वह संसार के किसी अन्य भाषा में नहीं मिलता। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, भरत का नाट्यशास्त्र आदि संस्कृत के कुछ ऐसे अमूल्य ग्रंथरत्न हैं जिनका समस्त संसार के प्राचीन वाघ्ड्मय में उच्च स्थान है।

उद्देश्य- संस्कृत साहित्य में लौकिक साहित्य का संक्षिप्त जानकारी कर सकेंगे। लौकिक संस्कृत साहित्यकाल के ग्रन्थों तथा रचनाकारों सें परिचित होंगे।

संस्कृत साहित्य में आदि काव्य रामायण एवं ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत के पश्चात् पुराण साहित्य आता है पुराण शब्द का प्राचीन धार्मिक साहित्य के अर्थ में वैदिक युग से ही प्रचलित है इतिहास तथा पुराण को प्राचीन साहित्य में समान स्तर पर रखा गया हैं। वैदिक साहित्य के अतिरिक्त महाभारत में भी कहा गया है- इतिहासपुराणभ्यां वेदार्थमुपबृंहयेत्। अर्थात वेद के अर्थ का पल्लवन इतिहास और पुराण के द्वारा करना चाहिए।

पुराणों का लक्षण- प्रमुख पुराणों तथा अमरकोश जैसे प्राचीन ग्रंथों में पुराण के लक्षण तथा विषयवस्तु के संबंध में यह श्लोक मिलता है-

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वतराणि च।
वंशानुचरितं चौव पुराणं पे्चलक्षणम्।।

विषयवस्तु- धार्मिक सामग्री, दार्शनिक सामग्री, ऐतिहासिक सामग्री, भौगोलिक सामग्री, आचार सामग्री एवं ज्ञान विज्ञान की सामग्री।

पुराणों की संख्या- पुराणों का विकास दो रूपों में हुआ है- महापुराण तथा उप-पुराण। महापुराण की संख्या 18 है-

मद्वयं भद्वयं चौव ब्रत्रयं वचतुष्टयम्।
अनापलिंगकूस्कानि पुराणानि पृथक-पृथक्।।

महाकाव्य साहित्य- संस्कृत भाषा में काव्य को कविकर्म के रूप में जाना जाता है- कवें: कर्म काव्यम्।

महाकाव्य के लक्षण- सर्गबन्धो महाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम्।

आशीर्नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशों वापि तन्मुखम्।।
इतिहास कथोद्भूतमितरद्वा सदाश्रयम्।
चतुर्वर्गफलायत्तं चतुरोदात्त नायकम्।।
नगरार्णवशैलर्तु चन्दार्कोदयवर्णनै:।
उद्यान सलिल क्रीड़ा मधुपानरतोत्सवै:।।
विप्रलम्भैर्विवाहैश्च कुमारोदयवर्णनै:।
मन्त्रदूत प्रयाणाजिनायकाम्च्युदमैरपि।।
अलंकृतम संक्षिप्तं रसभाव निरंतरम्।
सर्गेरनति स्तिीणै: श्राव्यवृत्यै: सुसन्धिमि:।।
सर्वत्र भिन्न वृत्तैरूपेतं लोकरञ्जनम।
काव्यं कल्पान्तरस्थायि जायेत सदलंकृति।।

(काव्यादर्श प्रथम परिच्छेद 14-19)

वाल्मीकि एवं वेदव्यास के बाद संस्कृत साहित्य को अपनी अनुपम कृतियों से समृद्ध करनें तथा विश्व साहित्य में इसे उच्चतम स्थान दिलानें का श्रेय महाकवि कालिदास को प्राप्त है। इनका अभिज्ञानशाकुन्तलम् नाटक तथा मेंघदूत नामक लघु-काव्य संपूर्ण विश्व के सहृदयों द्वारा समादृत है।

काव्य के दो मुख्य भेद बतलाये गये है- श्रव्य एवं दृश्य। इनकें भी कई भेद-प्रभेद होतें है। श्रव्य के अंतर्गत पद्य, गद्य, चम्पू तथा दृश्य के अंतर्गत नाटक आदि दशरूपक आते है। लौकिक संस्कृत साहित्य के अन्तर्गत महाकाव्यों एवं गीति काव्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नाकिंत है-

क्र.सं.	कृति	कृतिकार	विधा	सर्ग	श्लोक संख्या	प्रमुख रस	उपजीव्य
1	रघुवंष	कालिदास	महाकाव्य	19	1569	श्रृंगार	पद्म पुराण / रामायण
2	कुमार सम्भवम्	कालिदास	महाकाव्य	17	—	श्रृंगार	श्रीमद्भागवत
3	बुद्धचारितम्	अश्वघोष	महाकाव्य	28	—	शांत रस	इतिहास प्रसिद्व
4	सौन्दरनन्द	अश्वघोष	महाकाव्य	18	—	शांत रस	इतिहास प्रसिद्व
5	किरातार्जुनीयम्	भारवि	महाकाव्य	18	1030	वीर	वन पर्व
6	शिशुपालवधम्	माघ	महाकाव्य	20	1650	वीर	सभापर्व
7	नैषधीयचारितम्	श्रीहर्ष	महाकाव्य	22	2830	श्रृंगार	नलोपाख्यान
8	रावण वध	भट्टि	महाकाव्य	22	1624	वीर	रामायण
9	जानकी हरण	कुमारदास	महाकाव्य	25(15)	—	श्रृंगार	रामायण
10	हरविजय	रत्नाकर	महाकाव्य	50	4321	श्रृंगार	शिषपालवध
11	राघव पाण्डवीय	माधवभट्ट	महाकाव्य	13	668	वीर	रामायण महाभारत
12	ऋतुसंहार	कलिदास	गीतिकाव्य	06	—	—	कवि कल्पित
13	मेघदूत	कालिदास	खण्डकाव्य	2 खण्ड	—	श्रृंगार	रामायण, ब्रम्ह्वैवर्त पुराण
14	गीत गोविंद	जयदेव	गीतिकाव्य	12	—	श्रृंगार	—

गद्य तथा चम्पूकाव्य- संस्कृत साहित्य में गद्य का प्रयोग वैदिक काल से होता आया है गद्य काव्य संस्कृत साहित्य की एक परम प्राचीन शाखा है।

गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति अर्थात् गद्य काव्य लिखना कवियों की कड़ी परीक्षा है आचार्य दण्डी परिष्कृत गद्य-शैली के जन्मदाता हैं। बाणभट्ट महोदय का नाम गद्य साहित्य में आदर्श के साथ लिया जाता है।

गद्य काव्य के भेद- दण्डी ने काव्य आदर्श में गद्यकाव्य की परिभाषा इस प्रकार दिये है- अपादः पद्सन्तानों गद्यमाख्यायिका कथा। (1/23)

गद्य साहित्यः एक दृष्टि में

क्रम	रचना	गद्यकार	विधा	भाग	रस	उपजीव्य
1.	दशकुमार चरितम्	दण्डी	कथा	तीन खण्ड	श्रृंगार रस	वृहत्कथा
2.	कादम्बरी	बाणभट्ट	कथा	दो खण्ड	श्रृंगार	वृहत्कथा
3.	हर्षचरितम्	बाणभट्ट	आख्यायिका	आठ उच्छवास	वीर	इतिहास
4.	शिवराज विजय	अम्बिका दत्त व्यास	उपन्यास	12 निःश्वास	वीर	इतिहास

चम्पूकाव्य

गद्य-पद्य की मिश्रित रचना का आरंभ वैदिक युग से ही मिलता है। कृष्णयजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसी शैली प्रचुर रूप में प्रयुक्त हुआ है। काव्यात्मक गद्य में पद्य का समावेश होनें से चम्पूकाव्य निष्पन्न होता है विश्वनाथ ने कहा है-

गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते (साहित्य दर्पण 6/336)

प्रमुख चम्पूकाव्य-

क्रम सं.	चम्पूकाव्य	काव्यकार
1.	रामायण चम्पू	भोज
2.	नल चम्पू	त्रिविक्रमभट्ट
3.	जीवन्धरचम्पू	हरिश्चन्द्र
4.	यषास्तिलक चम्पू	सोमदेव
5.	भारत चम्पू	अनन्तभट्ट
6.	वरदाम्बिकापरिणय चम्पू	तिरूमलाम्बा
7.	आनन्दवृन्दावन चम्पू	कर्णपूर
8.	उत्तर चम्पू	वेंकटाध्वरी

नाटक साहित्य- संस्कृत साहित्य में नाटकों की अपनी एक विशिष्ट परंपरा है भारतीय साहित्य की विभिन्न विचार विधियों में लोकप्रियता की दृष्टि से नाटकों का प्रथम स्थान है। संस्कृत के नाटकों की अति प्राचीनता ऋग्वेद, यजुर्वेद में मिलता है। उत्तरवर्ती लौकिक संस्कृत साहित्य में रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, बौद्ध जातक आदि ग्रंथों में नाट्यकला की शिल्प विधियों का पूरा इतिहास दिखाई देता हैं-

काव्येशु नाटकं रम्यं- नाटक दर्शकों को ऐतिहासिक व काल्पनिक पात्रों से साक्षात्कार करवाकर उनकें जीवन चरित्र से शिक्षा ग्रहण करनें की प्रेरणा देता हैं। संस्कृत साहित्य में प्रथम नाटककार भरतमुनि को माना जाता हैं। भास महोदय को नाट्य शास्त्र में स्वप्नवासवदत्तम्नाटक ने अमरता प्रदान किया है

भासनाटकचक्रेऽपि च्छेकै: क्षिप्ते परीक्षितुम्।
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभूत्र पावक:।।।

प्रमुख नाटककारों की सूची

क्र.	नाट्यकृति	नाटककार	अंक	विधा	रस	उपजीव्य
1.	स्वप्नवासवदत्तम्	भास	6	नाटक	श्रृंगार	इतिहास प्रसिद्ध
2.	मृच्छकटिकम्	शूद्रक	10	प्रकरण	श्रृंगार	इतिहास/कल्पना
3.	मालविकाग्निमित्रम्	कालिदास	5	नाटक	श्रृंगार	इतिहास
4.	विक्रमोर्वषीयम्	कालिदास	5	त्रोतक	श्रृंगार	ऋग्वेद/महाभारत
5.	अभिज्ञान शाकुंतलम्	कालिदास	7	नाटक	श्रृंगार	पद्मपुराण
6.	मुद्राराक्षसम्	विशाखदत्त	7	नाटक	वीर	विष्णुपुराण
7.	रत्नावली	हर्षवर्धन	4	नाटिका	श्रृंगार	इतिहास/कल्पना
8.	प्रियदर्षिका	हर्षवर्धन	4	नाटिका	श्रृंगार	कल्पना
9.	नागानंदम	हर्षवर्धन	5	नाटक	वीर	कथासरित्सागर
10.	वेणीसंहार	भट्ट नारायण	6	नाटक	वीर	महाभारत
11.	उत्तररामचरितम्	भवभूति	7	नाटक	करूण	रामायण
12.	महावीरचरितम्	भवभूति	7	नाटक	वीर	रामायण
13.	मालतीमाधवम्	भवभूति	10	प्रकरण	श्रृंगार	कल्पना
14.	रघुवंषम्	जीवन्यायतीर्थ	6	नाटक	श्रृंगार	रघुवंष (कालिदास)
15.	कुमारसंभवम्	जीवन्यायतीर्थ	5	नाटक	श्रृंगार	कुमारसंभव (कालिदास)
16.	कर्पूरमंजरी	राजशेखर	4 जवनिका	सट्टक	श्रृंगार	कल्पना
17.	प्रसन्नराघव	जयदेव	7	नाटक	वीर	रामायण
18.	शारीपुत्र प्रकरणम्	अश्वघोष	9	प्रकरण	शांत	इतिहास प्रसिद्ध
19.	प्रबोधचन्द्रोदय	कृष्ण मिश्र	6	नाटक	शांत	कल्पना
20.	अनर्घराघव	मुरारि	7	नाटक	श्रृंगार	रामायण

कथा साहित्य एवं नीति कथा

संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य का विकास वैदिक संस्कृत साहित्य के अंतिम भाग उपनिषद ग्रंथों में मूल संपदा छिपी हुई प्रतीत होती है। रामायण और महाभारत में कथा साहित्य एवं नीति कथा अधिक मात्रा में उपलब्ध है। संस्कृत भाषा में कथा साहित्य का विकास दो दृष्टियों से हुआ है- शुद्ध मनोरंजन एवं नैतिक उपदेश। कथा काव्यों में पहला स्थान नीति कथाओं का है इसमें पशु-पक्षी, वृक्ष, वनचर आदि मनुष्यों को मानवीय आचार व्यवहार की शिक्षा देते है पौराणिक युग ने कथा साहित्य को अधिक लोकव्यापी बनाया पुराणों की कथाओं का अस्तित्व बहुत समय तक समाज में मौखिक रूप से बना रहा है। पंचतंत्र एवं हितोपदेश प्रमुख नीति कथाओं में से है।

कथा साहित्य एवं नीति साहित्य की सूची

क्रमांक	कथा/नीति साहित्य	रचनाकार
1.	पंचतंत्र	विष्णु शर्मा
2.	वृहत्तकथा	गुणाढ्या
3.	वृहत्तकथा श्लोकसंग्रह	बुद्ध स्वामी
4.	कथासरित्सागर	सोमदेव
5.	बृहत्कथामंजरी	क्षेमेन्द्र
6.	श्हतोपदेष	नारायण पंडित
7.	वेतालपंचविंशति	विक्रमसेन

काव्यशास्त्र तथा अलंकारशास्त्र- लौकिक संस्कृत साहित्य में धार्मिक, सामाजिक, अध्यात्मिक, ऐतिहासिक, दर्शनशास्त्र के बाद काव्यशास्त्र का उदय हुआ। इस समय संस्कृत साहित्य जगत में विभिन्न विचारकों के द्वारा काव्य प्रयोजन, हेतु, लक्षण प्रस्तुत किया गया। आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश में काव्य का प्रयोजन दिए हैं-

काव्यं यशसेर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।
सस्त्र परिनिवृत्तये कान्ततयोपदेशयुजेष।।
भामह- धर्मार्थकाम मोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च।
करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्यनिबन्धनम्।।

कुन्तक आचार्य के वक्रोक्ति जीवितं में काव्य प्रयोजन-

धर्मादि साधनोपायः सुकुमार क्रमोदितः।
काव्यबन्धोभिजातानां हृदयालाकारकः।।
वेद विद्या इतिहासानामाख्यानं परिकल्पनं।
विनोदपूर्ण लोके नाट्यमेतद् भविष्यति।।- भरतमुनि
काव्यं सद्भाव दृष्यादृष्टार्थ प्रीतिकीर्ति हेतुत्वाद्।- आचार्य वामन
निर्दोषं गुणत्वकाव्यालंकारैरलंकृतम्।
रसन्वितं कवि कुर्वन।।- भोजदेव
चतुर्वर्गफल प्राप्तिः काव्य देवोयतस्तेन।- विश्वनाथ

काव्यहेतु- संस्कृत साहित्य में विभिन्न विद्वानों ने काव्य की हेतु बताएं हैं-

नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा।- वेदव्यास
नैसर्गिकी च प्रतिभाश्रुतं च बहुनिर्मलम्।- दण्डी
शक्तिनिपुणता लोकशास्त्रकाव्यज्ञ वेक्षणात्।
काव्यज्ञशिक्षयोभ्यास इति हेतुस्तदुदभवे।।- मम्मटाचार्य
काव्यं तु जायते जातु कस्चित् प्रमिभावना।- भामह आचार्य
लोकविद्या प्रकीर्णच काव्यांगानि।- वामन

काव्यलक्षण- विभिन्न मनीषिणां काव्य लक्षणं संक्षेपाद्-

वाक्यंमिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली।- अग्निपुराण
ननु शब्दार्थौ काव्यम्।- रूद्रटाचार्य
ध्वनिरात्मा काव्यं- आनन्दवर्धन
रसात्मक वाक्यं काव्यं- विश्वनाथ
तददोषौ शब्दार्थौ- मम्मटाचार्य

शब्दार्थौ सहित गद्यं पद्यं च- भामह

वक्रकविव्यापार शब्दार्थौ सहितौ- कुन्तक आचार्य

निष्कर्ष- लौकिक संस्कृत साहित्य का अध्ययन निश्चित ही संस्कृत साहित्य के आदिकाल से लेकर उसके वर्तमान परिदृश्य को प्रस्तुत करता है। रमायण, महाभारत और पुराणों की शिक्षा मानव जीवन को प्रभावित करता है। दीपशिखा कालिदास से आधुनिक साहित्यकारों तक के काव्यों से परिचित होना काव्यकारों के लिए आवश्यक है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है इसलिए मानव कल्याण के लिए साहित्य का पठन-पाठन जरूरी होता है। लौकिक संस्कृत साहित्य में अभिज्ञानशाकुन्तलम्, स्वप्नवासवदत्तम्, मेघदूत जैसे विश्वरत्न ग्रन्थों का दिग्दर्शन है।

सन्दर्भ ग्रन्थ-

1. संस्कृत साहित्य का इतिहास- डॉ. मधुसत्य देव
2. संस्कृत साहित्य का इतिहास- डॉ. उमाशंकर तिवारी
3. प्रतियोगिता साहित्य सीरिज

बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का महिला अधिकार विषयक चिंतनः एक अवलोकन

प्रदीप कुमार

शोध छात्र, स्नातकोत्तर इतिहास विभाग, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार

भूमिकाः- भारत रत्न बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का महिला अधिकारों को लेकर उनके चिंतन को इस पीयूष वचन से परिप्लावित कर सकते हैं कि वे कहते हैं ''मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूँ कि वहाँ महिलाओं ने कितनी तरक्की की है।'' महिला अधिकारों के प्रबल समर्थक होने के साथ-साथ बाबा साहेब एक कुशल अर्थशास्त्री, समाज वैज्ञानिक, कानून-विशेषज्ञ, व पत्रकारिता के प्रखर विद्धान भी थे। उनका विमर्श मुख्य रूप से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा, लोकतंत्र, सामाजिक-राजनीतिक मुक्ति एवं महिला अधिकार के मुद्दों से जुड़ा है। भारतीय संदर्भों में देखा जाए तो बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर संभवतः पहले शख्सियत रहे हैं जिनकी पूरी वैचारिकी के मंथन और दृष्टिकोण से सबसे अहम मंथन का हिस्सा महिला सशक्तिकरण ही था। महिला सरोकार के प्रति बाबा साहेब का समर्पण किसी जुनून से कम नहीं था। सामाजिक न्याय, सामाजिक पहचान, समान अवसर और संवैधानिक स्वतंत्रता के रूप में महिला सशक्तिकरण के लिए उनका योगदान युगों-युगों तक आने वाले पीढ़ियों को गौरवान्वित करता रहेगा।

डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एण्ड स्पिचेंज वाल्यूम 17 पार्ट 2 के द राइज एण्ड फॉल ऑफ द हिन्दू वीमेनः इ वाज रेशपोंसिबल फॉर इट'' में प्राचीन भारत की समृद्ध परंपरा में महिला अधिकार व सम्मान का साक्ष्य मिलता है। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति शैक्षणिक व सामाजिक स्तर पर बेहतर थी जिसकी पुष्टि अथर्ववेद में वर्णित महिलाओं के उपनयन संस्कार से दिखाई पड़ती है। श्रोत-सूत्र में भी यह रेखांकित किया गया है कि महिलाएं वेदों को पढ़ सकती थी तथा वेदों के मंत्रों का उच्चारण भी करती थी। पाणिणी के अष्ठ अध्याय से यह भी स्पष्ट होता है कि महिलाएं शिक्षा हेतु गुरूकुल में प्रवेश पाती थी तथा वहाँ विभिन्न शाखाओं में वेद तथा मिमांसा के अध्ययन में संलिप्त थी। पंतजलि के महाभाष्य के अनुसार महिलाएं ही वेदों का ज्ञान महिला छात्रा को दिया करती थी। ये उपरोक्त साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि महिलाएं धर्म, दर्शन, अध्यात्म की दुनिया में समाज में लगभग पुरूषों के बराबर थी, इसकी पुष्टि इससे भी पुष्ट होती है कि मनुस्मृति के पहले यज्ञवल्य व गार्गी संवाद, यज्ञवल्य व मैत्री संवाद, शंकराचार्य और विध्याधारी संवाद इन सभी संवादो से महिलाओं के उच्च शैक्षणिक गुणों का साक्ष्य स्पष्ट होता है।

शैक्षणिक व सामाजिक स्थिति बेहतर होने के साथ-साथ प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति राजनीतिक रूप से सबल थी, जहाँ महिलाएं नीति निर्माण में भी सहायक भूमिका निभा रही थी। रतनी जैसे प्रतिष्ठित पद पर महिलाओं की नियुक्ति इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाती है। परंतु इतने उच्च स्थिति होने के बावजूद भी महिलाएं क्यों समाज की मुख्य धारा से अलग होती चली गयी इसका कारण यह प्रतिलक्षित होता है कि हिन्दू राजाओं ने शासन में कानून व्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था में मनुस्मृति को जगह देने लगा था। इस व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति समाज में लगभग वैसी ही थी जैसे दलितों, शुद्रों, वंचितों व शोषितों की थी। मनुस्मृति में वर्णित निम्न प्रावधानों के सानिध्य से समझा जा सकता है कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी जैसे-

1. परिवार के पुरूष सदस्यों पर महिलाओं को आश्रित बना दिया गया।
2. तलाक के अधिकार से वंचित कर दिया गया।
3. संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया।
4. शिक्षा के अधिकार से वंचित, वेदों को पढ़ने से निषिद्ध कर दिया गया।
5. महिला स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित कर दिया गया।

डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर अपनी पुस्तक 'एनिहिलेशन ऑफ कास्ट' में महिला अधिकार विषयक अपने चिंतन में यह सवाल उठाते हैं कि चातुर्वर्ण्य के समर्थकों ने इस पर विचार नहीं किया कि उनकी सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों का क्या स्थान होगा। क्या उन्हें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र इन चार वर्गों में विभाजित करना होगा? क्या उन्हें यह स्वतंत्रता होगी कि वे अपने पति के वर्ण को अपना ले, यदि स्त्रियों की हैसियत इससे तय होती है कि किस वर्ग का व्यक्ति उनका पति बनता है, तब चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के पीछे कार्यशील इस सिद्धांत का क्या होगा कि व्यक्ति का वर्ग उसकी योग्यता के आधार पर निर्धारित होना चाहिए? यदि स्त्रियों का वर्गीकरण उनकी योग्यता के आधार पर होता है तो उनका वर्गीकरण नाम मात्र का होगा या वास्तविक?

यदि चातुर्वर्ण्य का सिद्धांत स्त्रियों पर लागू किया जाये तो उसका तार्किक परिणाम यही होगा कि हिन्दी समाज स्त्रियों को पुजारी, पुरोहित या सैनिक बनने की इजाजत दे देगा।

यंग इंडिया में प्रकाशित महात्मा गाँधी के लेख 'जाति बनाम वर्ग' उद्धरित करते हुए डॉ0 अम्बेडकर कहते हैं कि महात्मा गाँधी हर स्त्री-पुरूष को अपना पैतृक पेशा ही अपनाने की बात करते हैं। ऐसा गाँधी जी क्यों कहते हैं इसका कारण उन्होंने नहीं बताया यद्धपि इस संदर्भ में गाँधी जी लिखते है कि जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था से बेहतर है कि जाति सामाजिक स्थायित्व के लिए सर्वोत्तम संभव समायोजन है। स्त्री हो या पुरूष हर किसी को अपना पैतृक पेशा ही अपनाना चाहिए, इस सिद्धांत से महात्मा के चिपके रहने का कारण अगर यही है तो वे सामाजिक जीवन के एक गलत नजरिये से चिपके हुए हैं।

डॉ0 अम्बेडकर भारत में जातियों, उनका तंत्र उत्पत्ति और विकास में महिला विषयक चिंतन को उभारते हुए कहते हैं जो समुदाय अपने को जाति में बदलने को इच्छुक हैं, उसमें स्त्री-पुरूष समानता को बनायें रखना परम लक्ष्य है।क्योंकि इसके बिना सजातीय विवाह प्रथा सफल नहीं हो सकती। यहाँ बाब साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर स्त्री-पुरूष समानता का समर्थन करते नजर आते हैं। हलाँकि डॉ0 अम्बेडकर समाज के पुनर्गठन द्वारा सामाजिक सुधार की बात करते हैं। इससे वे पारिवारिक सुधार व सामाजिक सुधार दोनों की व्यापक समीक्षा भी करते हैं। पारिवारिक सुधार व सामाजिक सुधार के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, प्रतिबंध तथा स्त्री शिक्षा की बात करते हैं। वहीं सामाजिक सुधार के अंतर्गत जाति-प्रथा को समाप्त किया जाय इसकी रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं।

बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने असहाय महिलाओं को उठाकर लड़ने की प्रेरणा देने के लिए बाल विवाह और देवदासी प्रथा जैसा घटिया प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई। 1928 में मुबई में एक महिला कल्याणकारी संस्था की स्थापना की गई थी, जिसकी अध्यक्ष बाबा साहेब की पत्नी रमाबाई थी। 20 जनवरी 1942 को डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में अखित भारतीय दलित महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें करीब 25 हजार महिलाओं ने हिस्सा लिया था। बाबा साहब ने दलित महिलाओं की प्रशंसा करते हुए कहा था

कि महिलाओं में जागृति का अटूट विश्वास है। सामाजिक कुरीतियाँ नष्ट करने में महिलाओं को बड़ा योगदान हो सकता है। मैं अपने अनुभव से यह बता रहा हूँ कि जब मैनें दलित समाज का काम अपने हाथों लिया था तभी मैंने यह निश्चय किया था कि पुरूषों के साथ महिलाओं को भी आगे ले जाना चाहिए। महिला समाज में जितनी मात्रा में प्रगति की है इसे मैं दलित समाज की प्रगति में गिनती करता हूँ। महिलाओं को गुलाम बनाने के तरीके अपनाने वाले सभी संस्थान मत की आलोचना करते हैं।

नारी उत्थान व महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेकों कार्य बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया इस दिशा में जो प्रतिमान स्थापित किया उसमें प्रमुख हैं:-

1. नारी शिक्षा (महिलाओं को पढ़ने के अधिकार) उनके अनुसार समाज की तेजी से उन्नति के लिए लड़कों के साथ लड़कियों को भी शिक्षित करें, 18 जुलाई 1927 को करीब तीन हजार महिलाओं की एक संगोष्ठि में बाबा साहेब ने कहा कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। शिक्षा महिलाओं के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि पुरूषों के लिए यदि आपको लिखना-पढ़ना आता है तो समाज में आपका उद्धार संभव है। माता-पिता का सबसे पहला काम अपने घर में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित नहीं रखने के संबंध में होना चाहिए। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख की परंपरा को बाबा साहेब ने आगे बढ़ाया और महिलाओं को पढ़ने-लिखने की आजादी के लिए खूब प्रयास किये।
2. मैटरनिटी लीव (गर्भवती कामकाजी महिलाओं को छुट्टी) आज कामकाजी महिलाएँ 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव ले सकती है। जिसकी शुरूआत बाबा साहेब ने ही की थी। 10 नवम्बर 1938 को बाबा साहेब ने बॉम्बे लेजिरलेटिव असेंबली में महिलाओं की समस्या से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीकों से उठाया, उन्होंने प्रसव के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं पर अपने विचार रखे। 1942 में सबसे पहले मैटरनिटी बेनिफिट बिल डॉ0 अम्बेडकर द्वारा लाया गया। इसके बाद 1948 के इम्फ्लाइमेंट स्टेट एन्सुरेंस एक्ट के जरिए भी महिलाओं को मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की गई।
3. लैंगिक समानता (महिला पुरूष में कोई भेदभाव नहीं)- इसके तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 में महिलाओं को समाज में समान अधिकार देने का प्रावधान किया गया।
   - लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
   - महिलाओं की खरीद-फरोख्त और शोषण के विरूद्ध भी कानूनी प्रावधान किये गये।
   - संविधान में महिलाओं और बच्चों के लिए राज्यों को विशेष कदम उठाने की इजाजत भी दी गई।
4. मताधिकार (वोट करने का संवैधानिक व्यस्क मताधिकार)
5. तलाक, संपत्ति और बच्चे गोद लेने का अधिकार

हिन्दू कोड बिल के जरिये डॉ0 भीमराव अम्बेडकर संवैधानिक स्तर से महिला हितों की रक्षा का प्रयास किया इस विधेयक के चार प्रमुख अंग थे।

1. हिन्दुओं में बहु-विवाह प्रथा को समाप्त करके केवल एक विवाह का प्रावधान जो विधि सम्मत हो।
2. महिलाओं की संपत्ति में अधिकार देना और बच्चे गोद लेने का अधिकार
3. पुरूषों के समान नारियों को भी तलाक देने का अधिकार, हिन्दू समाज में पहले पुरूष ही तलाक दे सकते थे।
4. आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा के अनुरूप समाज को एकीकृत करके उसे मजबूत करना।

बाद में 1955-56 में हिन्दू कोड बिल के प्रावधानों को निम्नलिखित रूपों में अलग-अलग पास किया गया।

1. हिन्दू विवाह अधिनियम
2. हिन्दू तलाक अधिनियम
3. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम
4. हिन्दू दत्तकगृहण अधिनियम

निष्कर्षः- बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा, जब महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा, उन्हें पुरूषों के समान अधिकार मिलेंगे, महिलाओं की उन्नति तभी होगी जब उन्हें परिवार समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक तरक्की उनको इस काम में मदद करेगी। बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के दर्शन, चिंतन व विश्लेषण पर आधारित महिला विमर्श के तहत किये गये उनके समस्या के समाधान के उपायां को अपनाकर निश्चय ही एक समतामूलक समाज का निर्माण करने में सहायक होगा, जहाँ महिलाओं के लिए समानता एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा। डॉ0 अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा से ही समाज में परिवर्तन एवं स्वयं में नैतिक परिवर्तन लाया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण में मुख्य हथियार शिक्षा, लैंगिक समानता, संपत्ति में अधिकार तथा समाज व परिवार में महिलाओं को पुरूष के समान भागीदारी इस सब प्रयासों के ही नारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूचिः-

1. अम्बेडकर, बी0 आर 0, राइटिंग्स एण्ड स्पिचेंज वाल्यूम-17, खण्ड-2, महाराष्ट्र सरकार का प्रकाशन, बम्बई, 2003
2. अम्बेडकर, बी0 आर., एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लाहौर, 1936
3. वर्णवाल विजय के0, डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर क्वेस्ट फॉर जेंडर इक्वालिटी इट्स रिलेवन्स इन कन्टेंमपरी फेमिनिस्ट डिस्कोर्स, आर्न लाइन इंटरनेशनल इन्टरडिसीपलेनरी रिसर्च जर्नलम (बी0 आई0 मंथली), वाल्यूम-4, इश्यू-2, मार्च-अप्रैल 2014
4. सिंघानिया, एम0 आर0, डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर एण्ड वीमेन एम्पॉवरमेन्ट इन इंडिया, क्वेस्ट जनरल्स ऑफ रिसर्च इन हयूमेनिटीज एण्ड सोशल साइन्स वाल्यूम-2, इश्यू-1, 2024
5. मोर0 डॉ0 विजय, डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर कंट्रीब्यूशन फॉर वीमेन्स राईट, वेरियोरय, मल्टी डिसपलीनरी ई-रिसर्च जनरल्स, वाल्यूम-02, इश्यू-1, अगस्त 2011
6. धनविजय, मिस वैशाली, डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर एफर्ट्स फॉर वीमेन इम्पावरमेंट एण्ड प्रजेंट स्टेटस ऑफ वीमेन इन सोसाइटी, इलेक्ट्रानिक इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल (इ आई आई आर जे0), (बी0 आई0 मंथली), वाल्यूम-1, इश्यू-2, अप्रैल 2012
7. हरिजन, 1932 से
8. महाबोधी, 1951 से

भारत में कुटीर उद्योग एवं ग्राम विकास

उत्तम कुमार चन्द्राकर

सहायक प्राध्यापक-अर्थशास्त्र, वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय मरवाही

सारांश-

भारतीय अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में जितना औद्योगीकरण का योगदान है उतना ही लघु एवं कुटीर उद्योगों का भी रहा है। गांव से लेकर विश्व स्तर तक भारत ने अपना जो परचम लहराया है। वह सब लघु और कुटीर उद्योगों की देन है। भले ही विकास करते हुए वूहद उद्योग का रूप धारण कर लिया हों। किसी भी उद्योग को स्थापित करने में कुशल प्रशिक्षक, कुशल कारीगर, अच्छे कच्चा माल, अच्छे पूंजी की भी आवश्यकता होती है। इसलिए कुशल प्रशिक्षक, कुशल कारीगर, कम कच्चा माल, कम पूंजी लागत में वृहद उद्योग तक आने में लघु एवं कुटीर उद्योग की पहल से गुजरना आवश्यक बन गया है। इतना ही नही बल्कि कुशल प्रशिक्षक और कुशल कारीगर को बनाने में लघु एवं कुटीर उद्योग का बहुत योगदान है।

प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योग का विशेष योगदान रहा है। आधुनिक भारत जो कि वर्तमान समय में विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति है, जो कि औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास का परिणाम है, किन्तु कुटीर और लघु उद्योगों के महत्व में कमी नहीं आई है। यदि हम भारत के इतिहास पर गौर करें तब हमें कुटीर उद्योग व लघु उद्योग के योगदान व महत्व को जानने में सहूलियत होगी। भारतीय सभ्यता खासतौर पर हड़प्पा (सिंधु) सभ्यता से लेकर वर्तमान समय तक इस क्षेत्र का महत्व बना हुआ है। प्राचीन भारत में हस्तशिल्प, काष्ट शिल्प कला, मृदा शिल्प, कारीगरी आदि अत्यधिक विकसित व्यवसाय थी, जिनके बदौलत भारत विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्ति हुआ करता था। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। भारत हस्तशिल्प, मसाले, मोती, हाथी दांत से निर्मित कलाकृतियों मृदा शिल्प, काष्ठ शिल्प, उत्पादों का निर्यात कर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करता था, किन्तु भारत में ब्रिटिश हुकुमत की स्थापना ने भारतीय कुटीर और लघु उद्योगो को तहस-नहस कर दिया। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी नीतियों के परिणामस्वरूप भारत में कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन हो गया, किन्तु 20 वीं सदी के प्रारंभ में आजादी के संघर्ष के दौरान हुए स्वदेशी आंदोलन व विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार ने कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित किया और एक बार फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योंगों ने अपना स्थान प्राप्त किया।

की-वर्डः- भारतीय अर्थव्यवस्था, कुटीर एवं लघु उद्योग, औद्योगिकीकरण, पूंजी लागत सकल घरेलु उत्पाद, वैश्वीकरण, रोजगार की प्रतिस्पर्धा, स्वरोजगार, स्वदेश की भावना, स्टार्ट अप मिनी उद्योग।

'कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग होते है, जिनके लिए अधिक पूंजी व तकनीकी, मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऐसे व्यवसाय अथवा उद्योग है, जिनका संचालन पूर्णतया अथवा प्रमुखता से परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इनके स्थापना हेतु विशेष पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि स्थानीय साधनों की सहायता से परिवार के सदस्यों के सहयोग से हस्त संचालित यंत्रों एवं औजारों से उत्पादन किया जाता है। इनसे उत्पादित वस्तुओं को प्रायः स्थानीय बाजारों में बेची और खरीदी जाती है।'[1] वर्तमान में बाजारों के विस्तार और वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप इनका क्षेत्र विस्तृत हुआ है।

आज भारत एक विकासशील देश है और देश की आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए विशाल मानव शक्ति का उचित विदोहन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। देश की 68.84 प्रतिशत (जनगणना 2011 के अनुसार) जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और कृषि से संबंधित कार्यों में संलग्न है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर अत्यधिक दबाव है, इस समस्या के समाधान में ग्रामीण कुटीर उद्योग महती भूमिका निभाते आ रहा हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का विचार था कि 'यदि भारत का विकास करना है, तो हमें ग्रामीण भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना होगा। एक आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत ही एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले गांवों का विकास करें।'[2]

'गांधी जी ने समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता को समाप्त करने के लिए संरक्षता और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिये। उन्होंने पूंजीवाद के दुष्परिणाम के रूप में आर्थिक शोषण, असमानता और गरीबी को खत्म करने के लिए उद्योंगों के विकेन्द्रीकरण पर बल दिये। इसके लिए उन्होंने गांवों के विकास पर बल दिये। गांधी जी के विचार में "भारत का अर्थ इसके लाखों गांव थे।" उनका यह पक्का विश्वास था कि नव भारत का निर्माण देश के जागरण किये बिना कदापि संभव नहीं हो सकता था। इसके लिए उन्होनें ग्रामीण भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। उनका विचार था कि देश का प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर बने।'[3] भारत सरकार की आदर्श

सांसद व विधायक ग्राम योजना इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। पंचायती राज के माध्यम से गांवों को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। गांवों में महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण एक विशेष पहल रहा है। आज महिला समूह प्रत्येक ग्रामों में कार्यरत है और स्वयं का व्यवसाय संचालित कर रहे है।

गांवों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना देश की कई समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है, यथा गरीबी असमानता, बेरोजगारी, शहरों की ओर पलायन को समाप्त करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता हैं। कुटीर उद्योग में निम्न पूंजी व परम्परागत मशीनों की सहायता से कार्यकुशलता व उच्च दक्षता के माध्यम से उत्पादों का निर्माण करता है। इसमें संलग्न व्यक्ति प्राय: एक परिवार में संबंधित होते है, जो सामूहिक सहभागिता के आधार पर कार्य में संलग्न रहते है। हमारे देश में हस्तशिल्प, हथकरधा, सजावटी सामाग्री, चमड़े से निर्मित वस्तुऐं, रत्न, आभूषण, लोहे, तांबे, व पीतल निर्मित कला शिल्प, काष्ट निर्मित वस्तुऐं, दस्तकारी, उत्पाद, मसाला, फर्नीचर, मोमबत्ती, साबुन, अगरबत्ती, आचार, जूट, पटसन, नारियल, मृदा शिल्प, आदि कुटीर, उद्योगों में उत्पादित वस्तुएं स्थानीय बाजारो में उपलब्ध कराया जाता रहा है, किंतु वैश्वीकरण का प्रभाव इन पर भी देखने को मिला है। वर्तमान समय में भारतीय निर्यात में कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बड़ी हिस्सेदारी रही है।

भारत-आर्थिक परिप्रेक्ष्य

भारत के आर्थिक परिप्रेक्ष्य में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विशेष महत्व है। 'देश की 90 प्रतिशत औद्योगिक इकाईयां एम.एस.एम.ई. से संबंधित है जो देश की 40 प्रतिशत श्रमशक्ति को रोजगार प्रदान करता है। यह क्षेत्र 8000 से अधिक पारंपरिक व हाईटेक उत्पादों का निर्माण करती है। वर्ष 2016 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 16 प्रतिशत था, जिसे वर्ष 2022 तक बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक करने का सरकार का लक्ष्य है। जिससे इस क्षेत्र में 10 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन हो सके। भारत को 2025 तक 5 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र का विकास बड़ी भूमिका निभा सकता है।'[4] 'सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्नवयन मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार जी.डी.पी. में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2021-21 में 26.83 प्रतिशत रही है, साथ ही निर्यात में एम.एस.एम.ई. उत्पादों की हिस्सेदारी वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के अनुसार 2022-23 (अगस्त 22 तक) में 42.67 प्रतिशत रहीं है।'

भारत में कुटीर उद्योग के केन्द्र सम्पूर्ण भारत में फैले हुए है। कुटीर उद्योग के प्रमुख केन्द्र गुजरात में दुग्ध आधारित उद्योग, हैण्डलूम और पावरलूम उद्योग, तिलहन उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि। राजस्थान में पत्थर काटने, कालीन बनाने और हस्तशिल्प उद्योग। उत्तर प्रदेश में हैण्डलूम, व पावर लूम। मलमल वस्त्र के लिए मेरठ, मथुरा, मदुरई, वाराणसी, अंबाला, आदि। खादी उद्योग अमरोहा, कालीकट, पूणे। रेशम वस्त्र के लिए कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। चंदेरी की संबलपुरी रेशमी साड़ियां, छत्तीसगढ़ में चांपा व चन्द्रपुर की कोसा साड़ियां, बनारसी साड़ी पैठड़ी साड़ी, पढौला साड़ी आदि विश्व प्रसिद्ध है। ऊनी वस्त्र के लिए अमृतसर, धारवाल, लुधियाना, मछलीपट्टनम, श्रीनगर, वारंगल, प्रख्यात है। जूट उत्पादों के प्रमुख केन्द्र पश्चिम बंगाल व आंध्रप्रदेश राज्यों में स्थित है। खेल सामाग्री निर्माण हेतु जालंधर। कश्मीर कढ़ाई वाली शाल, गलीचे, नागदार शिल्प तथा अखरोट की लकड़ी से बने फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। मध्यप्रदेश बुनकरों द्वारा बनाई जाने वाली महेश्वरी साड़ी, राजस्थान बंधनी काम के वस्त्रों, कीमती हीरे-जवाहरात जड़े आभूषणों, चमकते हुए नीले बर्तन और मीनाकारी काम के लिए प्रसिद्ध है। आंध्रप्रदेश अपने बीदरी के काम तथा पोचमपल्ली की सिल्क साड़ियों के लिए प्रख्यात है। तमिलनाडू ताम्र मूर्तियों और कांजीवरम साड़ियों के लिए जाना जाता है। मैसूर रेशम और चंदन की लकड़ी, केरल हाथी दांत के नक्काशी व शीशम की लकड़ी से बने उपस्कर के लिए प्रसिद्ध है। असम बेंत के उपस्कर, बांकुरा का टेराकोटा, छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में ढोकरा शिल्प, बस्तर काष्ट कला, मृदा शिल्प, धातु शिल्प ढोकरा शिल्प, घड़वा शिल्प लौह शिल्प प्रस्तर शिल्प के लिए प्रख्यात है। इनके अतिरिक्त सम्पूर्ण देश भर में कुटीर उद्योगो से वस्तुएं उत्पादित की जाती है। आज भारतीय कला और शिल्प की सम्पूर्ण विश्व में मांग बढ़ी है। विभिन्न कला-मंचों, मेलों व प्रदर्शनियों के माध्यम से भारतीय उत्पादों के प्रचार प्रसार व विक्रय को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुएं केवल स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु ही उत्पादित किये जाते थे, किन्तु वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान बनाने में सफल हुए है।

भारत सरकार देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहीं है। 1952 में अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना, 1949 में केन्द्रीय शिल्प बोर्ड की स्थापना, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, कयर बोर्ड, केन्द्रीय रेशम बोर्ड 1948, शिल्प बोर्ड, हस्तशिल्प और हैण्डलूम निर्यात निगम 1962, क्षेत्रीय डिजाईन और तकनीकी विकास केन्द्र, राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान 1961, भारतीय पैकेजिंग संस्थान- आई.आई.पी., अखिल भारतीय कुटीर उद्योग बोर्ड 1948, भारतीय शिल्प परिषद 1964 आदि विभिन्न बोर्ड एवं उद्योग के माध्यम से कुटीर एवं लघु उद्योगों के सतत् विकास हेतु कार्य किए जा रहे है। इन बोर्डों व आयोगों के माध्यम से सरकार विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का संचालन कर रही है, जिसमें निर्मित उत्पादों के वितरण प्रदर्शन निर्यात व उत्पादन में सहायता हेतु ऋण व सब्सिडी की व्यवस्था आदि प्रमुख है। व्यवसायी/उद्यमी की दक्षता व कुशलता में वृद्धि हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए

जाते है। सरकार कुटीर व लघु उद्योगों कें संवर्धन के लिए संवर्धनात्मक नीति के तहत कर रियायत एवं उत्पादों व लाभों पर लगाए गए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर में छूट प्रदान करती है। मेक इन इंडिया अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पी.एम.ई.जी.पी., सूक्ष्म और लघु उद्यम कलस्टर विकास कार्यक्रम एम.एस.ई.-सी.डी.पी., पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की योजना, एस.एफ.यू.आर.टी. आई. सूक्ष्म एवं लघू उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना सी.जी.एम.टी.एस.ई. और इनोवेशन, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना ए.एस.पी.आई.आर.ई., कपड़ा व वस्त्र उद्योग के लिए पी.एम.-एम.आई.टी.आर.ए. आदि केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम/योजनाएं है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण औद्योगिक पार्क आर.आई.पी.ए. एवं शहरी क्षेत्रों में शहरी औद्योगिक पार्क यू.आई.पी.ए. के माध्यम से कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

'बजट 2022-23 में एम.एस.एम.ई. के लिए आबंटित बजट को पिछले वर्ष के 15699.65 करोड़ रूपये से बढ़ाकर अब 21422 करोड़ रूपये किया गया है। मुद्रा ऋण योजना, स्टैण्ड-अप इंडिया के माध्यम से सूक्ष्म और लघू उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज में वृद्धि की गई है। ई.सी.एल.जी.एस. के तहत गारंटी कवर को 50000 करोड़ रूपये से बढ़ाकर फूल कवर 5 लाख करोड़ रूपये करने का प्रावधान किया गया है। उद्यम, ई-श्रम, एन.सी.एस. और असीम पोर्टल को आपस में जोड़ा गया है। 130 लाख एम.एस.एम.ई. को आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त ऋण प्रदान करने हेतु प्रावधान किया गया।'[6] इसके अतिरिक्त प्रोद्योगिकी उन्नयन के लिए ऋण संबंधी पूंजी अनुदान, सूक्ष्म और लघु उद्यम समूह विकास कार्यक्रम, सूक्ष्म वित्तीय कार्यक्रम एम.एस.एम.ई. बाजार विकास सहायता, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम, एम.एस.एम.ई. के लिए विपणन सहयोग/सहायता बौद्धिक सम्पदा आदि कार्यक्रम संचालित किया जा रहे है।

चुनौतियां,समस्याएं एवं समाधान

कुटीर उद्योग ग्रामीण भारत की रीढ़ है। कृषि के पश्चात, कुटीर उद्योग ग्रामीण भारत में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। किंतु इनके समक्ष अनेक समस्याएं और चुनौतियां हैं- 'जैसे समय पर और पर्याप्त ऋण की अनुपलब्धता, बुनियादी ढांचे की कमी, परम्परागत उत्पादन प्रक्रिया, कच्चे माल की अनुपलब्धता तथा बढ़ती लागत, मार्केटिंग की समस्या, बड़े पैमाने के उद्योगों और आयात के साथ प्रतिस्पर्धा, बाजार तक पर्याप्त पहुंच न होना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त चीन वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपीस, थाईलैण्ड जैसे पड़ोसी देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता को बरकरार रखने के लिए मजबूत रणनीति अपनाए जाने की जरूरत है।'4 खासकर कुटीर उद्योगों को पुंजी की कमी, अकुशल प्रबंधन, कुशल श्रम बल का अभाव, पुराने मशीन एवं उपकरण, निर्मित वस्तु के लिए बाजार, तकनीकी चुनौतियों आदि का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार इन समस्याओं से अवगत है और इस क्षेत्र की चुनौतियों और समस्याओं को समाप्त कर पुनः कुटीर उद्योगों को जीवंत करने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कुटीर उद्योगों की स्थापना, वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। पीएमईजीपी योजना के तहत कोई भी व्यक्ति गैर कृषि क्षेत्र में सुक्ष्म उद्यम की स्थापना हेतु बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रीय उद्योग निगम, जिला उद्योग केन्द्र, अखिल भारतीय कुटीर उद्योग बोर्ड, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, शिल्क बोर्ड, कायर बोर्ड आदि की स्थापना की गई है। लघु उद्योग विकास कोष, राष्ट्रीय समता कोष, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण, लघु उद्योग क्रेडिट कार्ड योजना आदि के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बिक्री के लिए सरकार विभिन्न स्थानों पर समय-समय पर व्यापार मेलों व प्रदर्शनियों का आयोजन भी करती हैं। इनके अलावा सरकार तकनीकी सहायता व प्रशिक्षण, करों में छुट, विपणन सुविधा, लाइसेंस में छुट, सरकारी खरीद में प्राथमिकता, एकीकृत ढांचागत विकास केन्द्रों की स्थापना आदि के माध्यम से कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है।

निष्कर्षः-

भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों का विषेष योगदान है। यह क्षेत्र देश के विनिर्माण में योगदान देने के साथ-साथ बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। देश की अनेक आर्थिक समस्याओं यथा गरीबी, बेरोजगारी, असमानता आदि के समाधान में बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। देश में विशाल युवा शक्ति के नियोजन के बिना आर्थिक प्रगति संभव नहीं है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट-अप इंडिया योजना के तहत युवा शक्ति को लक्ष्य बनाकर उन्हें लघु एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। देश को अतीत में जो गौरव प्राप्त था वह इसी की देन है। उसे प्राप्त करने के लिए हमें कुटीर और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। एक विकसित भारत कुटीर और लघु उद्योगों के विकास से ही बन पाएगा। ग्रामीण उत्थान तथा विकसित ग्रामीण भारत का में जो महात्मा गांधी जी का सपना था इसे पूर्ण करने के लिए कुटीर और लघु उद्योगों का विकास करना जरूरी है। आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने और इस क्षेत्र के महत्व को समझने के लिए सरकार की विभिन्न कार्यक्रम और नीतियाँ मजबूती दे रही है। साथ ही अन्य पहल भी कर रहीं है। जैसे व्यापार की सरलीकरण, ऋण सुविधाऐं, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन एवं समझौते, प्रशिक्षण, पंजीकरण सुविधाएँ आदि। इस तरह सरकार युवा शक्ति और जनसंख्या लाभांश प्राप्त कर कुटीर उद्योगों का विदोहन आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. लघु एवं कुटीर उद्योग की जानकारी www.entreprenurindia.co
2. आर्थिक विचारों का इतिहास- डॉ. पी.डी. माहेश्वरी एवं डॉ.ए.सी.जैन
3. आर्थिक विचारों का इतिहास- एम.सी. वैश्य।
4. लघु एवं कुटीर उद्योगों का सशक्तिकरण- अरूण कुमार पांडा
5. वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी निदेशालय की रिपोर्ट- 2022-23
6. वार्षिक रिपोर्ट भारत सरकार 2022-23

उत्तर मध्यकालीन भारतः समाज एवं आर्थिक गतिविधियां

डॉ० रंजीत कुमार

पीएचडी (विश्वविद्यालय इतिहास विभाग), तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

भारतीय इतिहास लेखन में अंग्रेजों के पूर्व के भारत का इतिहास लिखने वाले प्रत्येक इतिहासकार ने भारत को एक सम्पन्न राष्ट्र, धनी देश और खुशहाल आबादी वाला भूखण्ड के ही रूप में चित्रित किया है। इतिहासकार चाहे भारतीय हो या विदेशी इस प्रश्न पर उनका स्वर प्रायः समवेत दिखता है। भारत के सम्बन्ध में किया गया एक आकलन एम. एल. डार्लिंग का है, जिसमें कहा गया है, भारत के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि उसकी धरती समृद्ध है और लोग गरीब[1]। एक अन्य आकलन में कहा गया है: भारत गरीब लोगों का देश है लेकिन वह गरीब देश नहीं । भारत के पास प्राकृतिक साधनों की इतनी न बहुलता है कि अगर इसका प्रबंधन कृषि और उद्योगों के विकास के लिए किया जाय तब इसका समन्वित असर लोगों को समृद्धि के उच्चतम शिखर तक पहुँचा सकता है। इतिहासकार इसे एक सर्वमान्य तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं कि ब्रिटिश पूर्व भारत विकास के मामले में विश्व स्तर पर अगली पंक्ति में खड़ा था। क्लाईव ने भी बंगाल की पुरानी राजधानी मुर्शिदाबाद को देखने के बाद कहा था: यह शहर उतना ही विस्तृत, उतना ही अधिक आबादी वाला और उतना ही समृद्ध है जितना लंदन, फर्क इतना ही है कि यहाँ ऐसे लगता है जिनके पास लंदन की तुलना में असीम संपति है।[2] जिस कमीशन ने, इन्डियन इन्डस्ट्रीयल कमीशन (1916-18), क्लाईव के वक्तव्यों को उद्धृत किया है उसी ने आगे लिखा है: ऐसे समय जबकि आधुनिक व्यवस्था के जन्म स्थान पश्चिमी यूरोप में असभ्य जातियाँ बसी हुई थीं भारत अपने शासकों की समृद्धि और अपने शिल्पियों की अत्यन्त कलात्मक कारीगरी के लिए विख्यात था। और काफी समय बाद भी जब पश्चिम के साहसिक सौदागर पहली बार भारत पहुँचे, इस देश का औद्योगिक विकास किसी भी कीमत पर अपेक्षाकृत अधिक विकसित यूरोपीय देशों से कम नहीं था।[3]

भारत की सम्पन्नता का वर्णन करने वाले उपर के उद्धहरण पलासी युद्ध के बाद से 1925 तक यानि प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद के वर्षों के बीच लिखे गए दस्तावेजों के हैं मगर उनमें किया गया वर्णन अंग्रेजों के पूर्व या 1757 तक के कालों में वर्तमान भारत की आर्थिक दशाओं का चित्रण करते है। इन दस्तावेजों में भारत की सम्पन्नता का जिस तरह से वर्णन किया गया है और इतिहास लेखन में जिस तरह से उनका सामान्यीकरण (Generalization) करके उसे भारत की सम्पूर्ण जनता के जीवनमान का मापक बना दिया गया है–क्या उसे इसी रूप में स्वीकार कर लिया जाना चाहिए या संदेह की नजर से देखा जाना चाहिए? यह एक महती प्रश्न उस काल के भारत की आर्थिक-सामाजिक स्थितियों के सही आकलन के लिए जवाब का मुखापेक्षी है।

क्लाईव के जिस बयान को इन्डियन इन्डस्ट्रियल कमीशन ने उद्धृत किया है और अन्य जगह पर जब भारत की तुलना पश्चिम के विकसित देशों से करते हुए उनके समकक्ष भारत को विकास के स्तर पर स्थापित किया है वह तथ्य भारत की संपन्नता का मापक हो सकता है मगर यही तथ्य भारत की सम्पूर्ण जनता की संपन्नता का मापक हो–कहना कठिन है। क्लाईव और इन्डियन इन्डस्ट्रियल कमीशन की रिपोर्ट दोनों की व्याख्या इस बात की प्रमाणित करती है कि संपन्नता का यह आकलन खास सुविधाभोगी वर्गों का और देश के शासकों की समृद्धि का द्योतक था । आमजन की समृद्धि का नहीं! क्लाईव ने स्वीकार किया है कि मुर्शिदावाद में ''ऐसे लोग है जिनके पास लंदन की तुलना में असीम संपति हैं।'' यह स्थिति बंगाल की राजधानी की है गाँवों की नहीं, और एक खास वर्ग की है जनसामान्य की नहीं । इसी तरह इन्डियन इन्डस्ट्रियल कमीशन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ''भारत अपने शासकों की समृद्धि और अपने शिल्पियों की अत्यन्त कलात्मक कारीगरी के लिए विख्यात था।'' समृद्धि शासकों के पास थी, शिल्पियों के पास नहीं उनके पास जो कुछ भी था वह था उनकी अत्यन्त कलात्मक कारीगरी। इन विश्लेषणों का नतीजा एम. एल. डार्लिंग के निष्कर्षों की प्रमाणिकता को ठोस आधार प्रदान करता है जिसमें कहा गया है कि भारत की ''धरती समृद्ध है और लोग गरीब''।[4] फिर भी, धरती की समृद्धि का मतलब है प्रचुर प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता मगर लोगों की समृद्धि का मतलब होता है उनका ऊँचा रहन-सहन और प्रति व्यक्ति उच्च आय, उपभोग की उच्च मात्रा तथा सेवा क्षेत्र में प्राप्त सुविधायें आदि। डार्लिंग ने भारत की धरती की समृद्धि और लोगों की समृद्धि

में फर्क किया है इस कारण उन्हें भारत की धरती–जो सचमूच समृद्ध हैं उन्हें समृद्धि दिखी है मगर लोग गरीब दीखे हैं। इतिहासकार इस तथ्य को जब नकार कर शासक वर्गों की सम्पन्ना के स्तर को आम लोगों की सम्पन्नता का भी मापक मान कर ऐतिहासिक आंकड़ों और सूचनओं का गलत विश्लेषण कर गलत निष्कर्षों पर पहुँच जाते हैं।

अंग्रेजों के सतारूद्ध होने के पूर्व के कालों के दस्तावेजों पर भी नजर डालने और उनका सही आंकलन कर भारत की वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगाना जरूरी है।

17वीं सदी में भारत की अपनी यत्र का वर्णन करते हुए तेवर्नियर ने टिप्पणी की है: छोटे-से-छोटे गाँव में भी चावल, आटा, मक्खन, दूध, सेम तथा अन्य सब्जियां, चीनी तथा सूखी और शीरे वाली अन्य मिठाइयां प्रचूर मात्रा में प्राप्त की जा सकती है।[5] 17वीं सदी के भारत का वर्णन मनूची[6] ने भाव-विभोर होकर किया है। वह लिखता है: मुगल शासकों के सभी राज्यों में से बंगाल फ्रांस में सबसे मशहूर है। बंगाल की बेहद उर्वरता का सबूत उसकी अपूर्व सम्पदा से है जो वहां से यूरोप भेजी जाती है । हम बेझिझक कह सकते हैं कि वह किसी भी मामले में मिश्र से कम नहीं है बल्कि शिल्क, कपास, चीनी और नील के उत्पादन के मामले में तो वह मिश्र से भी आगे है। वहां फल, दाल, अनाज, मलमल और जरी तथा रेशम के कपड़े सभी चीजें भरी पड़ी हैं।[7] फ्रांसिसी यात्री बर्नियर ने 17वीं सदी के मध्य में, 1660 के आसपास, दो बार बंगाल की यात्रा की और मुगल साम्राज्य की समाप्ति के आसपास जो कुछ देखा उसका वर्णन किया। वह लिखता है: अपनी दो बार की यात्रा में बंगाल के बारे में मैं जो कुछ जान सका हूँ उससे मुझे विश्वास होने लगा है कि यह मिश्र कि तुलना में अधिक धनी है। यह भारी मात्रा में सिल्क और कपास, चावल, चीनी और मक्खन का निर्यात करता है। यह अपने उपयोग के लिए प्रचूर मात्रा में गेहूँ, साग-सब्जियाँ, अनाज, मुर्गे-मुरगिया, बतखे, कलहंस, पैदा करता है। इसके पास ढेर सारे सूअर, भेड़ और बकरे हैं। हर तरह की मछलियों का इसके पास बाहुल्य है। राजमहल से लेकर समुद्र तक असंख्य नहरे हैं, जिन्हें बहुत मेहनत से काट कर बनाया गया है ताकि नौका चालन तथा सिंचाई का काम लिया जा सके।[8]

ऊपर के उदाहरण से ब्रिटिश पूर्व की जनता के जीवन मान मे सम्बन्ध में अनिवार्य रूप से विवाद पैदा इस कारण होता है क्योंकि ऐसे यात्रा वर्णनों में प्राय: शहरी और सम्पन्न वर्गों की स्थितियों के आधार पर ही आकलन पेश कर दिए गए हैं, जो स्वभाविक रूप से संदेह पैदा करते हैं। फिर भी एक प्रमाणिक विश्लेषण के लिए आंकड़ों और सूचनाओं की अनुपलब्धता भी वास्तविकता की तह तक जाने देने से रोकती हैं। फिर भी, यह तथ्य विवाद से परे और सर्वमान्य है कि ब्रिटिश पूर्व भारत में विकास विश्वस्तर के संदर्भ में काफी ऊँचा था। भारत की सम्पदा के वर्णन में प्राय: उस काल में भी भारत की अमीरी का आकलन राष्ट्रीय आय में उत्पादन क्रिया के द्वारा किए गए इजाफा के आधार पर नहीं, बल्कि उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदा के आधार पर ही किया गया है। टी. एच. हालैण्ड की रिपोर्ट[9], अमरिकन टेक्निकल मिशन की रिपोर्ट[10] में बाद के दिनों में जो तथ्य पेश किए गए उनकी मापनी भी यही थी। ब्रिटिश पूर्व भारत की सम्पदा के रूप में जिन वस्तुओं का जिक्र सभी विदेशी यात्रियों के यात्रा वर्णनों में मिलता है वह उत्पादन की एक खास पद्धति और विनियम की एक खास प्रणाली की तरफ इंगित करते हैं तथा उस उत्पादन और विनियम प्रणाली के आधार पर निर्मित समाज व्यवस्था का अनुमान लगाया जा सकता है। विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि जिन चीजों की भारत में प्रचुरता का वर्णन ये विदेशी यात्री करते हैं। वे सारे के सारे उपभोग की वस्तुए हैं जो या तो स्वयं प्रकृति ने उन्हें प्रदान किया था या कृषि एवं दस्तकारी के एक अपूर्व एकता के आधार पर उन्हें उत्पादित किया जाता था। उत्पादन का यह तरीका और सम्बन्ध सामंती उत्पादन प्रणाली का होता है जिसमें भूमि और कृषि आधारित छोटे और गृह उद्योग स्थानीय बाजार की मांगों के लिए और स्थानीय उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं। भारत इसी उत्पादन सम्बन्ध में जी रहा था। कृषि, उत्पादन का मुख्य साधन थी और कृषि आधारित दस्तकारियां उद्योग थीं जो कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन करने की दक्षता रखती थी। मगर आगे के विकास के लिए जिस तरह की वितरण प्रणानी की जरूरत थी उसका आभाव दीखता है। यहां श्रम विभाजन 'माल' उत्पादन की आर्थिक प्रणाली के आधार पर नहीं था, कभी भी अर्थशास्त्रीय अर्थ में माल का रूप नहीं ले पाती थी। राजस्व की पूर्ति और समुदाय के उपभोग के बाद की बची वस्तुएं ही बाजार में बिकने के लिए जाती थीं । श्रम विभाजन का वंशीय आधार और किए गए श्रम के बदले में मिलने वाली मजदूरी के भुगतान का तरीका वस्तु में और समुदाय द्वारा उत्पादित सामानों में से प्रत्येक को उसके हिस्से के मुताबिक मिल जाने के कारण अतिरिक्त मूल्य सृजन की परिस्थियों का सर्वथा आभाव था, जो प्रारम्भिक दौर के उत्पादन और बाजार के विस्तार के लिए कठिनाइयां पैदा करता था।

जिन जरी और कलात्मक वस्तुओं के उत्पादन की चर्चा की गई है उसका बाजार काफी संकुचित था और वह आमजनों की क्रय-शक्ति के दायरे से बाहर थी। उन कीमती सामानों का व्यापार या बिक्री, देश के अन्दर हो या बाहर, उसके खरीदार-उमरा, बड़े जमींदार, सरकारी उच्च अधिकारी और इसी तरह का सम्पन्न तबका था। यूरोप के बाजारों में भी उनकी जो ऊँची कीमतें प्राप्त की जाती थी, वह उसी तरह के सम्पन्न वर्गों के बीच बेच कर ही प्राप्त होती थी। उत्पादन की इस प्रणाली में देशी बाजार का संकुचित होना भी एक प्रधान कारण इन दस्तकारियों की बर्बादी के लिए जिम्मेदार बना। दूसरी तरफ स्वावलम्बी ग्राम व्यवस्था के काल में बना उत्पादन संबन्ध अंग्रेजों के आने के पूर्व ही एक ऐसी प्रगतिगामी उत्पादन प्रणाली में बदल चुका था जो आगे के विकास के मार्ग में बाधक बन गया था। उसकी इसी अवस्था का चित्रण करते हुए कहा गया है कि; हमें यह नहीं भूलना चाहिए की ये छोटे-छोटे समुदाय जातपात के भेदभाव तथा दास प्रथा से विषाक्त हो चुके थे। उन्होंने परिस्थितियों के स्वामी के रूप में मनुष्य का विकास करने के बजाय उसे परिस्थितियों का दास बना दिया था, उन्होनें स्वयं विकास करने वाली सामाजिक व्यवस्था को अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियति का रूप दे दिया था, और इस प्रकार उन्होंने प्रकृति की ऐसी उपासना को जन्म दिया था जो अपने आप में नृशंस थी। इसकी अधोगति का पता इस तथ्य से ही चल जाता है कि मनुष्य, जो प्रकृति का शासक है, बानर हनुमान और सबला गाय के सामने श्रद्धा से घुटने टेकने लगा।[11] जिस आर्थिक सामाजिक संरचना की अधोगति का ऐसा परिवेश हो वह अंग्रेज के आने के समय किसी उच्च और विकसित तथा सम्पन्न समाज का प्रतिनिधि हो यह स्वीकार करना आज कठिन लगता है। इसकी अवनति और प्रतिगामी भूमिका का ही परिणाम था कि अंग्रेजों के आक्रमणों का, चाहे वह सैनिक आक्रमण हो या आर्थिक या सामाजिक सांस्कृतिक, प्रतिरोध भारतीय जनता की तरफ से हुआ ही नहीं। इसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि भारत की विपुल प्राकृतिक संसाधनों और एतत जनित संपदा को हड़प कर शासक वर्ग विलासिता के जीवन में ऐसा डुबा हुआ था कि उसे भारत के जन आवाम की बदहाली के प्रति सोचने तक का समय नही था और जब इनकी सत्ता को अंग्रेज छीनने लगे तब आम जनआवाम मात्र मूकदर्शक के अलावा किसी भी तरह के विरोध की भूमिका में नही आया।

आजकल इतिहासकार अंग्रेजों के आने के पूर्व के भारत के दौलत और धन-धान्य की प्रचूरता के वर्णन में इस तरह के तथ्यों को प्राय: नजरअंदाज करके चलते आए हैं। यह व्यवस्था भविष्य के विकास में कितनी बड़ी बाधा थी इसका आकलन भी नीचे की पंक्तियों में किया गया है; यह सच है कि हिन्दुस्तान में एक सामाजिक क्रान्ति लाने में इंग्लैण्ड अपने निकृष्टतम स्वार्थों से ही प्रेरित होकर काम कर रहा था और अपने इस घटिया हित की पूर्ति का उसका तरीका मूर्खतापूर्ण था, लेकिन सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि क्या मानवजाति एशिया की सामाजिक अवस्था में कोई बुनियादी क्रान्ति लाए बिना अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकती है? यदि नहीं, तो इंग्लैण्ड ने चाहे कितने भी अपराध क्यों न किए हों, इस क्रांति को सम्पन्न करने में उसने इतिहास के अनाभिप्रेत साधन का काम किया है।[12] इस तरह के मूल्यांकन से किसी भारतीय अन्धराष्ट्रवादी इतिहासकार को असहमति हो सकती है मगर वास्तविकता यही है कि ब्रिटिश शासकों ने भारत कें उस पुराने और ऐतिहासिक विकास की धारा को अवरुद्ध कर रही व्यवस्था को ध्वस्त कर सामाजिक क्रान्ति के रास्ते को प्रशस्त किया। भरत के प्रति अंग्रेजों की दुराग्रह नीति यह रही कि उस विध्वंस पर जिस नयी आर्थिक-सामाजिक संरचना का निर्माण किया जाना चाहिए था, उस दादियत्व को ब्रिटिश शासकों ने पुरा नहीं किया। उपनिवेशवादी शासक इस दायित्व को पूरा करते भी नहीं। इस काम को भारत की जनता को स्वयं करना था और वह भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही पुरा हो सकता था। मगर भारतीय जनता का यह दुर्भाग्य रहा है कि आजादी के बाद भी उस क्रानित के कर्तव्यों को पुरा नहीं किया जा सका और आज भी भारत की 60 प्रतिशत से ज्यादा आबादी 20 रूपया रोजना से कम पर जीन के लिए अभिशप्त है और भारत सरकार और उसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भरतीय सम्पदा यानि आर्थिक विकास और देश की खुशहाली के गीत गा रहे हैं । ठीक इसी तरह का आकलन अंग्रेजों के पूर्व के भारत की खुशहाली का रहा है । आज कारपोरेट घरानों की खुशहाली को देश की खुशहाली का माणक मनमोहन सिंह मान रहे हैं, उस समय शासकों और शासक वर्ग की ही खुशहाली को जनता की खुशहाली मान लिया गया था।

संदर्भ सूची:

1. एम. एल डार्लिंग, *दि पंजाब पीजेन्टस इन प्रोस्पारिटी एण्ड डेब्ट,* 1925, *पृ.* 73.
2. *इन्डियन इन्डस्ट्रीयल कमीशन रिपोर्ट,* 1916-18, पृ. 249 पर उद्धृत ।
3. *उपरोद्धृत,* पृ. 6.

4. एम. एल. डार्लिंग, *पूर्वोद्धृत* ।
5. तेवर्नियर, *ट्रेवेल्स इन इन्डिया*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस संस्करण, 1925. खण्ड-1, पृ. 238.
6. वेनिस निवासी मनूची औरंगजेब का प्रधान चिकित्सक था।
7. एफ. एफ. कात्रू, *दि जेनरल हिस्ट्री ऑफ दि मुगल एम्पायर में वेनिसवासी मनूची के मेम्वायर्स से उद्धृत, जान बायर, लंदन*, 1709.
8. सर विलियम विलकाक्स, *लेक्चर्स ऑन दि एंशिएंट सिस्टम ऑफ इरीगेसन इन बंगाल*, कलकत्ता विश्वविद्यालय, 1930, पृ. 18-19.
9. टी. एच. हालैण्ड रिपोर्ट, *दि मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इन्डिया,* 1908.
10. *रिपोर्ट ऑफ दि अमरिकन टकनिकल मिशन*, अगस्त, 1942, पृ. 25.
11. के.मार्क्स, "ब्रिटिश रूल इन इन्डिया", *न्ययार्क डेली ट्रीव्यून*, 1953.
12. *उपरोद्धृत*।

बुद्ध कालः आर्थिक क्रियाकलाप एवं सामाजिक संरचन

डॉ० सुप्रिया कुमारी

पी-एच.डी., (विश्वविद्यालय इतिहास विभाग), तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

यह विशेष कालावधि (ई.पू. 600 से ई.पू. 200) क्रान्तिकारी परिवर्तनों की साक्षी रही। तत्कालीन समाज नई चुनौतियों से रु-ब-रु था। प्रतिरोध, परिवर्तन की पहली शर्त्त होते हैं, और एक तरु जहाँ नवीन अर्थ संयोजन के द्वारा भौतिक जीवन में आये परिवर्त्तन प्रतिरोध को जन्म दे रहे थे वहीं दूसरी तरु बौद्ध और जैन विचारधाराओं की प्लेट-विवर्तनिकी भूमिका परिवर्तन की मानसिकता बनाती जा रही थी। लौह तकनीक से परिचय, प्रयोग एवं प्रसार ने परिवर्तन के औजार भी थमा दिए। सब कुछ बदल रहा था। पूर्व की सारी मान्यताएँ जाँची-परखी जाने लगीं। पारम्परिक समाज, दुरूह धार्मिक कर्मकाण्डों, जटिल याज्ञिक क्रियाओं, वर्णो एवं जातियों के आधार पर भेदपरक स्तरीकरण, धर्म के आधार पर शोषण की संस्थाओं का पोषण, रूढ़ एवं अप्रासंगिक मान्यताओं के प्रचलन के परिणामस्वरुप जर्जर हो चला था। वह टूटने के कगार पर था। और टूटा भी। लेकिन आर्थिक क्रिया व्यापारों के दबाव में एक धर्म आधारित समाज की संरचनाओं का टूट जाना या कहें भहरा जाना, एक बड़ी परिघटना तो अवश्य थी परन्तु रोचक भी कम नहीं थी। रोचक इन सन्दर्भो में कि श्रमजीवी वर्ग पर परजीवी वर्ग की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई। उत्पादक वर्ग निम्न वर्णी रहे और उपभोद्रा वर्ग उच्च वर्णी हो गए।[1] औद्योगिक विकास ने नवीन सामाजिक मूल्यों की स्थापना की तो दूसरी ओर आर्थिक असमानताओं को भी जन्म दिया।[2] एक ऐसे सामाजिक तंत्र का ताना-बाना बुना गया जिसमें आर्थिक विकास के लाभों को उच्च वर्णों के लिए सुरक्षित किया गया, क्योंकि भूमि एवं उत्पादन के अन्य साधनों पर नियंत्रण भी स्वाभाविक रूप से इन्हीं वर्णो का यानी ब्राह्मणों[3], क्षत्रियों[4], एवं सेट्ठियों[5] का ही था।

प्राचीन भारत में सामाजिक स्तरीकरण की जटिल प्रक्रियाओं की बेहतर समझ के लिए डॉ. ए.पी. ओझा का वैदुष्य विवेचन काफी सहायक सिद्ध होता है जिसमें उन्होंने शास्त्रीय एवं लौकिक[6] दो प्रकार के स्तरीकरण की चर्चा की है, जिसमें पहले का आधार था, समाज का परम्परागत चातुर्वर्णीय विभाजन[7] तो दूसरे का आधार बनी राजनीतिक शक्ति एवं आर्थिक समृद्धि[8]। अधीत कालीन समाज इन दोनों ही आधारों पर स्तरीकृत था। इस सत्य से विमुख नहीं हुआ जा सकता कि प्राचीन भारतीय समाज के स्तरीकरण में शास्त्रीय आदर्शों पर आधृत नियमन ही निर्णायक भूमिका निभाता रहा[9] और लौकिक प्रवृत्ति या तो नेपथ्य में रही या फिर मंच पर कठपुतली बनी रही। आलोच्य कालावधि में कुछ 'विशिष्ट आर्थिक गतिविधियों'[10] के चलते पहली बार स्तरीकरण की लौकिक प्रवृत्ति भी मंच संचालन में सूत्रधार की भूमिका हथियाने की उत्सुकता और दक्षता प्रदर्शित करती है। एक नयी व्यवस्था और नया सिद्धान्त विकल्प के रूप में सामने था।

अधीत कालीन सामाजिक संरचना, चार्तुवर्ण व्यवस्था के आधार पर विभेदीकृत एवं स्तरीकृत, शोषण एवं दमन की अमानवीय स्थितियों का चरम निदर्शन प्रतीत होती है। यहाँ तक कि देवगण भी इस भेदपरक मानसिकता से बचे नहीं रह सके।[11]

वैदिक काल की भाँति वर्ण निर्धारण का आधार कर्म नहीं रह गया था और जन्म के आधार पर वर्ण निर्णयन[12] जाति प्रथा की ओर अग्रसरण का स्वाभाविक साक्ष्य बन बैठता है। तत्कालीन समाज में जातियों के बहुशः उल्लेखों के फलस्वरूप यह अनुमान लगाना आसान हो जाता है कि उस समय जाति व्यवस्था एक सर्व स्वीकृत संस्था के रूप में विद्यमान थी। धर्मसूत्रों में अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न जातियों का उल्लेख है।[13] चारों वर्णों के लिए जाति शब्द ही व्यवहृत होता था।[14] पालि बौद्ध ग्रन्थों में विभिन्न जातियों को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित कर[15] तत्कालीन सामाजिक संगठन को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है- 'उक्कट्ठ' अर्थात् उत्कृष्ट तथा हीन। क्षत्रिय और ब्राह्मण जातियाँ उत्कृष्ट जातियों में तथा चाण्डाल, वेण, निषाद, रथकार तथा पुक्कुस इत्यादि जातियां हीन जातियों में गिनी गई हैं। एक अन्य प्रमुख विशेषता इस युग में उभर कर सामने आती है कि विभिन्न जातियां अलग-अलग ग्रामों में बसने लगीं। ब्राह्मण ग्राम,[16] क्षत्रिय ग्राम,[17] वनिय ग्राम,[18] निषाद ग्राम,[19] चाण्डाल ग्राम[20] इत्यादि जातिगत आधार पर बने ग्रामों का उल्लेख मिलता है।

तात्पर्य यह कि बुद्ध युग यानि मौर्य पूर्व युग में जाति भेद अपनी पराकाष्ठा पर था। इसकी 'आक्टोपसी गिरफ्त' में तत्कालीन जन-जीवन की समस्त सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाएं घुट रही थीं। सर्वाधिक सोचनीय दशा शूद्रों की थी। द्विजातियों द्वारा मात्र और मात्र अपने लाभ के लिए जो सांठ-गांठ की गयी थी, उसके तहत तमाम अशक्तताएं 'हीन' जातियों पर थोप दी गईं। इन्हें भी शूद्र वर्णान्तर्गत ही रखा गया[2]। कतिपय उल्लेखों के अनुशीलन से यह सम्भावना सहज ही अनुमित हो जाती है कि अस्पृश्यता की भावना भी उस समय की सामाजिक परिस्थितियों में सिर उठाने लगी थी[22]। पाणिनि के द्वारा 'निरवसित' तथा 'अनिरवसित' के रूपों में शूद्रों के वर्गीकरण से भी यह संकेतित होता है कि कुछ जातियाँ विशेष घृणित समझी जाने लगी थीं, इतनी कि, आर्य समाज की सीमा के अन्तर्गत उनका निवास सम्भव नहीं रह गया था[23]। बहुत संभव है, - चाण्डाल एवं पुक्कुस ऐसी ही जातियाँ रही हों। रीज डेविड्ज का 'दीघ निकाय' के हवाले से यह निष्कर्षण कि चाण्डाल एवं पुक्कुस चारों वर्णों अतएव शूद्रों से भी अलग थे,[24] अस्पृश्यता एवं आर्य आबादी से पृथक्करण के सन्दर्भ में उचित ही प्रतीत होता है।

अधीत कालीन सामाजिक संगठन में अशौच की परिकल्पना, उसका प्रबल प्रचार एवं व्यापक स्वीकृति के साक्ष्य विभिन्न धर्मसूत्रों में बिखरे पड़े हैं[25]। उन्हें कुत्तों और कौवों के साथ जोड़ा गया[26]। चाण्डाल को देखने, उसकी वाणी सुनने या समीप आ जाने मात्र से भी अशौच के लगने का उल्लेख देखा जा

सकता है, जैसे उस स्थान पर वेद का पठन-पाठन वर्जित है जहाँ कोई चाण्डाल ठहरा हुआ हो[27], या जहाँ से दिखाई पड़ रहा हो[28], या जहाँ से वेद-पाठन की ध्वनि उसके कानों में जा सकती हो[29]।

प्राचीन पालि ग्रन्थों में भी 'हीन जातियों' के रूप में चण्डाल, निषाद, वेण, रथकार और पुक्कुस के अनेकशः उल्लेख मिल जाते हैं[30]। इन हीन जातियों का ब्राह्मण कालीन समाज के अस्पृश्य जातियों से साम्य भी दृष्टिगत होता है[31]। हीन व्यवसायों, कार्यों एवं जातियों की गणना एवं वर्गीकरण प्रो. रामशरण शर्मा के अनुसार मौर्य पूर्व काल की प्रवृत्ति मानी जा सकती है[32]। अपने निष्कर्षण के पक्ष में उन्होंने विनयपिटक के एक साक्ष्य का हवाला दिया है जिसमें बुद्ध ने निर्देश दिया है कि भिक्षुओं से उनकी जाति इत्यादि पूछ कर उनको अपमानित न करें[33]।

वस्तुतः जन्मना और कर्मणा दोनों ही आधारों पर ये जातियाँ अद्यम समझी जाने लगीं। चाण्डालों के समान निषादों की भी अपने कर्म प्रकृति[34] 'शिकार' के कारण हीन हो गई और ये अपने गाँवों में निवास करने लगे[35]। फिक ने बड़ी ही रोचक तुलना करते हुए बताया है कि शिकारियों का स्थान प्राचीन यूनान में भी निचले पायदानों पर ही रहा[36]। रथकार जिन्हें ब्राह्मण ग्रन्थों में अपेक्षाकृत ऊँचा स्तर हासिल था[37], जातकों में कुछ हीनतर स्थितियों में प्रतिबिम्बित किया गया है, क्योंकि सम्भवतः उसने चमड़े पर आधारित शिल्प भी अपना लिया था[38]। लेकिन बौद्ध ग्रन्थों में जिनमें सामान्य रूप से क्षत्रियों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है, रथकार, जो कि रथ के पहिए भी बनाता था[39], और इसलिए राजा अर्थात प्रकारान्तर से क्षत्रियों के सहायक का ही काम करता था, उसे अधम जाति का माना जाना, क्या लगभग सर्वस्वीकृत इस मान्यता पर कि बौद्ध धर्म क्षत्रियों की वकालत करता है, हमें सप्रश्न नहीं कर देता? प्रो. शर्मा की यह मान्यता ठीक ही प्रतीत होती है कि चूँकि बौद्ध धर्म में युद्धों के प्रति भी उनकी दुर्भावना समझी जा सकती है[40]।

वेणों[41] के सम्बन्ध में भी ऐसी ही पृच्छा प्रकट होती है कि यदि 'वैण' और 'तक्षक' शब्द एक ही अर्थ अभिव्यंजित करते हैं[42] तो जिस तक्षक को वैदिक समाज में एक सम्मानीय दर्जा हासिल था उसे बौद्ध साहित्य हीन जातियों में परिगणित करता है। परवर्ती जातकों में छिटपुट उल्लेखों को छोड़कर चाण्डालों के स्तर तक इनकी हीनावस्था या अस्पृश्यता[43] प्रमाणित करने के साक्ष्य नहीं पाये जाते। अब अस्पृश्यता एवं हीन जातियों पर बुद्ध के विचारों का परीक्षण अनिवार्य प्रतीत होता है, क्योंकि एक शोधार्थी के रूप में मेरी ऐसी धारणा, तमाम अनुशीलनों के उपरान्त, विकसित हुई है कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के मानव मात्र के लिए सम्मान एवं समता के सिद्धान्तों का परिपोषण किया।

भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई भी मनुष्य जन्म के आधार पर न तो चाण्डाल होता है न ही ब्राह्मण[44]। उच्च वर्ण में जन्म लेने वाले मरते नहीं क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र सभी तो मरते हैं[45]। उन्होनें चारों वर्णों के लोगों को भिक्षु बनने की संस्तुति की है[46] एवं चाण्डालों तथा पुक्कुसों को निर्वाण प्राप्ति के सर्वथा योग्य बताया है[47]। ज्ञान पर ब्राह्मणों के एकाधिकार को चुनौती देते हुए यह प्रतिपादित किया कि शिक्षक बनने की योग्यता किसी जाति विशेष की बपौती नहीं। शिक्षक कोई भी हो सकता है और वह चाण्डाल या पुक्कुस ही क्यों न हो, सर्वथा आदरणीय है[48]। बुद्ध की शिक्षाओं का उद्देश्य क्या था इसका एक उद्धरण विशेष द्रष्टव्य है जिसमें एक ब्राह्मण चाण्डाल से जादू सीखता है परन्तु उसे संकोचवश गुरु की प्रतिष्ठा नहीं दे पाता फलतः अपनी विद्या भूल जाता है[49]। एक अन्य प्रसंग में एक ज्ञानी चाण्डाल द्वारा शास्त्रार्थ में हार जाने के बाद एक ब्राह्मण युवक को उस चाण्डाल के समक्ष नतशीष होना पड़ा था[50]।

संदर्भ और टिप्पणियाँ

1. पूर्ण विवरण के लिए द्रष्टव्यः शर्मा रामशरण, शूद्राज इन एंशियण्ट इंडियाः द्वितीय संस्करण, दिल्ली-1980, पृ. 95-98, 315-16
2. शर्मा रामशरण भौतिक प्रगति एवं सामाजिक संरचनाएँ, पृ. 158
3. जातक, 3-293 4-276 ये दो उल्लेख मगध क्षेत्र के हैं सुत्तनिपात 1-4। यह उल्लेख काशी क्षेत्र का है। यें सभी बड़े प्रक्षेत्रों के उल्लेख हैं जिन पर ब्राह्मणों का स्वामित्व था।
4. फिक, दि सोशल आर्गनाइजेशन इन नार्थ इस्ट इंडिया इन बुद्धाज टाइम पृ.-314, दत्तः ओरिजिन एण्ड ग्रोथ आफ कास्टः पृ. 268-69
5. फाइजर, दि प्राब्लम आफ दि सोट्ठि इन बुद्धिस्ट जातकाज (आर्कीव ओरियण्टलानी, प्राग, 22 पृ. 238-265)
6. ओझा आदित्य प्रसाद, प्राचीन भारत में पराधीन समुदाय का सामाजिक स्तरीकरण, हिन्दी कलम, सं.- नीलकान्त, अंक-2, जनवरी-जून-1985, पृ.-87 विस्तृत विवरण हेतु, द्रष्टव्य ओझा, आदित्य प्रसाद, प्राचीन भारत में सामाजिक स्तरीकरण, इलाहाबाद 1992।
7. वही, पृ.-87, विस्तृत विवरण हेतु-द्र. वही अध्याय-2।
8. वही, पृ.-87, विस्तृत विवरण हेतु-द्र. वही अध्याय-2।
9. ओझा आदित्य प्रसाद, प्राचीन में सामाजिक स्तरीकरण, आमुख, पृ. 14-15, अध्याय-4।
10. विशिष्ट आर्थिक गतिविधियाँ-लौह तकनीक का कृषि एवं दस्तकारी में प्रयोग, अधिशेष उत्पादन नगरीकरण, शिल्पौद्योगिक अर्थव्यवस्था, मुद्रा अर्थव्यवस्था का सूत्रपात, व्यावसायिक संघों एवं श्रेणी संगठनों का विकास जबरदस्त व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों से आशय।
11. काणे, पी. पी., हिस्ट्री आफॅ धर्मशास्त्राज, जि. 2, भाग-1, पृ. 42। अग्नि और बृहस्पतिवार- ब्राह्मणवर्ण के इन्द्र, वरुण, सोम, यम-क्षत्रिय वर्ण के वसु, रुद्र, विश्वेदेवा तथा मसत् वैश्य वर्ण के प्रशण-शूद्र वर्ण के।
12. पाराजिक, पृ. 306, (ब्राह्मणोनाम् जातिया ब्राह्मणे)
13. गौतम धर्मसूत्र, 21.06.90, 18.24. 4.14, बौधायन धर्मसूत्र, 1.9.3, आपस्तम्व धर्मसूत्र, 1.2.4.8.5,।
14. फिक, दि सोशल आर्गनाइजेशन इन नार्थ ईस्ट इंडिया इन बुद्धाज टाइम (पृ. 30-311)
15. पाचित्तिय ग्रामो पृ. 9-10
16. बौद्ध पिटकों में अनेक ब्राह्मणो ग्रामों का उल्लेख आता है। जैसे - खानुमत (दीघ निकाय 1, पृ. 127), एक नाल, (बुक आफ किड्रेड सेइंग्स 1, पृ. 216), सार्लिन्दय, (जातक 3, पृ. 283), जातक 4, पृ. 276, इत्यादि।
17. वैशाली अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ. 85-86

18. वही
19. जातक 2, पृ. 36 (जातक 4, पृ. 413, जातक 6, पृ. 71।)
20. जातक 4, पृ. 200 (376, 390, महावंष 4/41।)
21. मिश्र, जी. एस. पी., प्राचीन भारतीय समाज एवं अर्थ व्यवस्था, पृ. 137।
22. आपस्तम्ब धर्मसूत्र। 1, 2, 8-9 बौधायन धर्मसूत्र प्रथम- 1, 5.9.5; 1.5.11.36। गौतम धर्मसूत्र, XIV 30, वषिष्ठ ध0सू0, XXIII, 30 (धर्मसूत्र 14.30; वशिष्ठ धर्मसूत्र 23, 30)
23. अष्टाध्यायी, 2.4.110।
24. टी. डब्ल्यू राइज डेविड्ज, डायलाग्स, ऑफ द बुद्ध, भाग 1, पृ. 99-100, अम्बट्ठसुत्त की भूमिका।
25. देखें-संदर्भ सं.-22।
26. आपस्तम्ब धर्मसूत्र, 2, 4, 9, 5 XI 9 गौतम धर्मसूत्र, 15, 24।
27. आपस्तम्ब धर्मसूत्र, 1.3.9.15; गौतम धर्मसूत्र 19.19, वशिष्ठ धर्मसूत्र, 13.11।
28. आपस्तम्ब धर्मसूत्र, 1.3.17;
29. वषिश्ठ धर्मसूत्र, 23,34।
30. मझ्झिम निकाय, 3, 168-78; 2
31. शर्मा, रामशरण, शूद्रों का प्राचीन इतिहास, पृ. 118।
32. शर्मा रामशरण, शूद्रों का प्राचीन इतिहास, पृ. 118।
33. विनय पिटक, 4, 4-11, शर्मा रामशरण, शूद्रों का प्राचीन इतिहास, पृ. 118, सन्दर्भ सं.-342।
34. जातक, 2, पृ. 200; 6, पृ. 71, 170 जातक 5, पृ. 110, 337 मनुस्मृति, 10/48, इसकी तिथि आपेक्षाकृत बाद की है परन्तु इसमें निशाद के कर्म में मछली मारना बताया गया है।
35. जातक, 6 पृ. 71।
36. फिपक रिचर्ड,, पूर्वोक्त, पृ. 322।
37. गृह्यसूत्रों में उसके उपनयन सम्बन्धी विधान भी प्राप्त होते है जो निश्चित ही उसकी उच्चतर सामाजिक हैसियत का द्योतक है। यथा भारद्वाज गृह्यसूत्र-I 1; वसन्ते ब्राह्मणमुपनीत वर्शा रथकारं षिषिरे वा; बौद्धायन गृह्यसूत्र II, 5.6, 11, 8.5, जैमिनी मीमांसा सूत्र, 6.1.50
38. जातक, 6, 51; द्र.-पेतवत्थु अठकथा, III, 1.13 बोस, सोषल एण्ड रुरल इकानामी आफ नार्दन इण्डिया, III पृ. 456।
39. अंगुत्तर निकाय, 1, पृ. 111-113।
40. शर्मा आर.एस., शूद्रों का प्राचीन इतिहास, पृ. 120।
41. बोस, पूर्वोद्धधृत, II, पृ.-454-55 जातक, IV, पृ.-251, इन उल्लेखों से यह ज्ञात होता है कि 'वेण' जनजाति बांस के काम एवं शिकार द्वारा जीवनयापन करती थी।
42. सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट XI, पृ.-173 जातक ट, पृ.-306, वेण जाति ति तक्षक जाति।
43. जातक ट, पृ.-306.
44. सुत्तनिपात, 1.7.21; 3.9.57;
45. विमानवत्थु, 5.13.15, पेतवत्थु, 2.6.12;
46. मझ्झिम निकाय, 1, पृ.-211,।।, पृ.-182-84; संयुत्त निकाय, 1.99; विनय पिटक।। पृ.-239 अंगुत्तर निकाय, IV, पृ.-202, दीघ निकाय, III, पृ.-80-98
47. जातक, III, पृ.-194; IV, पृ.-303।
48. जातक, III, पृ.-200।
49. जातक, IV, पृ.-200।
50. जातक, III, पृ.-233-35।

मुस्लिम समुदायों में पिछड़ापन का कारण

डॉ० विवेकानंद कुमार

पीएच०डी० इतिहास विभाग, भू०ना०मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा

सारांश- भारत एक लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां हिंदु बहुसंख्यक है और मुस्लिम, ईसाई, सिख बहुत अधिक अल्पसंख्यक में आते हैं। यहां संविधान सभी धर्म को समानता का अधिकार अवसर प्रदान करता है। लेकिन मुस्लिम समुदाय का बहुत बड़ा भाग पिछड़ा है। मुस्लिम समाज की समस्याओं को पर अल्पसंख्यकवादी दृष्टिकोण से देखा जाता है अल्पसंख्यकवादी दृष्टिकोण के लोग मुस्लिम की सारी समस्याओं के लिए बहुसंख्यको और उनकी मानसिकता को जिम्मेदार मानते हैं। इनके विपरीत बहुत संख्या को आदि दृष्टिकोण के लोग इसके लिए धार्मिक कट्टरता एवं राष्ट्रवाद के अभाव को जिम्मेदार मानते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों की समानता और भाषा धर्म संस्कृति के मामले में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित और आस्वत करने की राज्य की जिम्मेदारी के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने संविधान के रचना करते हुए विविधता में एकता के सिद्धांत पर जोर दिया था।

शब्द कुंजी- धर्मनिरपेक्ष, पिछड़ापन, राष्ट्रवाद, कट्टरता, विविधता, सांस्कृतिक समानता।

परिचय- मुस्लिम अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आता है और इस समाज की स्थिति आर्थिक और सामाजिक दोनों ही पिछड़ी हुई है। अल्पसंख्यकों पर 1983 रिपोर्ट तैयार की गई इस समिति ने भी मुसलमान को अल्प पिछड़ा हुआ समुदाय घोषित किया। रिपोर्ट में मुस्लिम पिछड़ेपन को परिभाषित करते समय उनकी निराशाजनक स्थिति कई सामाजिक आर्थिक दर्ज आदि पर भी ध्यान रखा है। भारत में मुस्लिम समाज की स्थिति का अध्ययन बड़ा रोचक विषय रहा है। धर्म के आधार पर भारत-पाकिस्तान विभाजन के बावजूद भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश से कम मुसलमान निवास नहीं करते हैं। भारत में मुसलमान की आज जो स्थिति है उसके लिए अधिक कोई सबसे अधिक जिम्मेदार है तो वह है मुस्लिम नेतृत्व ने मुस्लिम समुदायों में शिक्षा का अलग जगाने की बड़े पैमाने पर वैसा प्रयास नहीं किया जैसा कि सर सैयद अहमद खान डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी। इस पिछले पान के लिए मुस्लिम एलिट वर्ग एवं मुस्लिम समाज भी कम जिम्मेदार नहीं है। मुस्लिम एलिट वर्ग सदैव मुसलमान की समस्याओं से विमुख रहा इसका एक कारण मुस्लिम समाज द्वारा उनकी बातों को एन सोना करता रहा। मुस्लिम समाज में हमेशा मौलवियों या कट्टरपंथियों का प्रमुख रहा जिन्होंने समाज को भारतीय सामान्य के अधिकार से लाभ नहीं उठाने दिया। इन लोगों के अलावा भी कई कारण है जो इसका जिम्मेदार है इस संदर्भ में कई विद्वानों ने विचार व्यक्त किए हैं। भारत एक बहुत संस्कृत बहु जातीय बहुभाषी देश है। मुसलमान इस देश की 14 प्रतिशत आबादी के साथ सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय का गहन करते हैं यह न केवल सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय है बल्कि उनकी उपस्थिति देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में भी। भारत मुसलमान ने भारतीय समाज और संस्कृति यहां की सभ्यता और विकास के परिवर्तन में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। मुस्लिम समुदाय अल्प अधिक पिछड़ा पाया गया है कुछ आंकड़े और सरकारी सर्वेक्षण से इस बात की पुष्टि मिलती है। एमडीमैनुद्दीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 2008 सर्वेक्षण के अनुसार देश के बड़े हिस्सों में मुसलमान का पिछलापन बढ़ रहा है, वहीं सिकंद 2006 के अनुसार यह सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय पोस्मेड निर्भर भारत में सबसे कम सामाजिक आर्थिक स्तर में बदल गया है। अधिक बार समुदाय प्रोग्रेस का शिकार हो जाता है जिसमें मुस्लिम मारे जाते हैं उनकी दुकानों को जला दिया जाता है उनकी महिलाओं को पीटा जाता है बलात्कार किया जाता है। सामाजिक ठहराव और शैक्षणिक हास्य पर सचाई रूप से देश के बड़े हिस्से में मुसलमान के बढ़ते पिछड़ेपन का नतीजा था।

बहुलता और विश्वास प्रणाली

इसमें विश्वास और अभ्यास के दो भिन्न-भिन्न धाराएं हैं जो सूचित करती है की रूढ़िवादी की धाराएं जो मुस्लिम समुदाय के जीवन को शरीयत के मानदंडों के अधीन करती है अपनी स्पष्ट मान्यताओं तथा प्रथाओं के साथ और सूफी कहलाने लगा। धार्मिक विभाजन का मुसलमान की जीवन पर असर तो पड़ा है इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है। बेशक विभाजन ने संविधान निर्माता के लिए एक दुविधा पैदा कर दी कुछ राजनीतिक नेताओं ने एहसास किया कि स्वतंत्र भारत को अपनी हिंदू विरासत में प्रधानता देनी चाहिए लेकिन भारत का संविधान ऐसी कोई बात नहीं कहता है। इस प्रकार अल्पसंख्यकों से संबंधित लोगों के अधिकारों का प्रचार और संरक्षण उन देशों की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता में योगदान देता है जिनमें वह रहते हैं। इस तरह अल्पसंख्यकों का विश्वास एक न्याय

पूर्ण राज होने का परिक्षण है। जैसा की सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया सामने आती है और सामान्य विकास होने पर दबाव बनाने की संभावना होनी है और प्रक्रिया में कुछ समूह या अल्पसंख्यक पिछड़ा जाते हैं।

संदर्भ सूची:-

1. सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006,प्राइम मिनिस्टर हाई लेवल कमिटी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट गवर्नर ऑफ इंडिया, पृष्ठ 84
2. रंगनाथन मिश्र कमेटी की रिपोर्ट 2007, जस्टिस रंगनाथ मिश्र नेशनल कमिशन फॉर रिलिजियस एंड लिविंगस्टन, पृष्ठ 31
3. थियोडोर पी राइट 1964, मुस्लिम विधानमंडल भारत में एक अल्पसंख्यक अभिजात वर्ग की प्रोफाइल एशियन स्टडीज

4योगेंद्र सिकंदर 2005, मुस्लिम दलित और ओबीसी कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट द मिली गजट नवंबर 30

5गवर्नमेंट आफ इंडिया 1980, रिपोर्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बीपी मंडल, नई दिल्ली

6वार्षिक रिपोर्ट 1998 99, भारत सरकार गृह मंत्रालय

7वार्षिक रिपोर्ट 2005 ,भारत सरकार गृह मंत्रालय

8कौशंबी डी.डी., ऐतिहासिक रूपरेखा में प्राचीन भारत की सांस्कृति और सभ्यता, विकास पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली 1991

9ताराचंद, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास

10एम.एस. जैन, दि अलीगढ़ मूवमेंट

नैतिक मूल्यों का खजाना रामराज्य

डॉ० राजेश मईड़ा

सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेन्स, महाराजा भोज शास. स्नातकोत्तर महा. धार, (म.प्र.)

डॉ० मीनाक्षी नोरके

सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेन्स, महाराजा भोज शास. स्नातकोत्तर महा. धार, (म.प्र.)

वर्तमान युग में नैतिकता की सुदृढ़ नींव हमारे विद्यार्थी ही हो सकते हैं। भौतिकवादी संसार में दिन प्रतिदिन मूल्यों के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं इसके परिणामस्वरूप नैतिक मूल्यों में गिरावट देखने को मिल रही है। वर्तमान दौर में जहां माता-पिता दोनों ही व्यस्त है वहां नैतिक मूल्यों की मशाल जलाए रखने की जिम्मेदारी स्वत: ही शिक्षक व शैक्षणिक संस्थानों पर आ जाती है। सम्मान का भाव जाग्रत करना शिक्षक का दायित्व व नैतिक कर्तव्य भी है। सम्मान का भाव प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक है चाहे वह आर्थिक स्तर हो या फिर सामाजिक स्तर, बच्चों में यह भावना भरना बेहद आवश्यक है ताकि वे अपनी और अपने देश की नीव मजबूत कर सके। बच्चों में सम्मान का भाव अपने शिक्षकों, माता-पिता, सह-पाठियों व पारिवारिक रिश्तों तक ही सीमित न होकर राष्ट्र के प्रति भी होना चाहिए। देश के नियमों एवं सम्पदा के प्रति भी सम्मान का भाव प्रत्येक बच्चे में स्पंदित होना चाहिए। राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव ही तेरे-मेरे के झगडे में विभाजित ना करके ''हम" में परिभाषित करेगा। विद्यार्थियों को गीता, कुरान, बाइबल व रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों के निचोड़ पढ़ाए जाने चाहिए। विद्यार्थियों को प्रेरक जीवनियों के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। उनके उदाहरणों को विद्यार्थियों के सामने रखकर, उनकी लोकप्रियता व अच्छाई के बारे में बताना चाहिए। रामराज्य जिसका अर्थ पूरी दुनिया में बिना किसी भेदभाव, ऊंच-नीच सभी लोगों को एक समान अधिकार और किसी प्रकार का दु:ख और भय से मुक्त राज्य को ही रामराज्य कहा गया है। इसके सूत्रधार हमारे आराध्य भगवान प्रभु श्री राम है जिनको पुरुषोत्तम भगवान राम कहा गया है जो एक आदर्श पुत्र, पति, भाई, पिता का चरित्र दर्शाते हैं। हिन्दू संस्कृति में राम द्वारा किया गया आदर्श शासन ''रामराज्य" के नाम से प्रसिद्ध है। राम के राज्य में जनता हर तरह से सुखी और समृद्ध थी। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया जाता था। जीने का अधिकार और सुरक्षा व न्याय का अधिकार सभी को प्राप्त था। आज कुछ लोग ''रामराज्य" की कल्पना का मखौल उड़ाते हैं तो कुछ व्यंग्य में कहते हैं कि ''क्या राम राज्य फैला रखा है"।

इसका मतलब यह कतई नहीं है कि जिसकी मर्जी में जो आए वह वो काम कर रहा है। रामराज्य में ऐसा बिल्कुल नहीं था। लोगों को स्वतंत्रता थी लेकिन इस शर्त पर नहीं कि वह दूसरे की स्वतंत्रता को छीन ले। गोस्वामी तुलसीदास ने रामराज्य की कल्पना करते हुए राजा के लिए कुछ गुणों का उल्लेख किया है। यथा लोकवेद द्वारा विहित नीति पर चलना, धर्मशील होना, प्रजापालक होना, सज्जन एवं उदार होना, स्वभाव का दृढ़ होना, दानशील होना आदि। श्रीराम में आदर्श राजा के सभी गुण विद्यमान है। उनको अपनी प्रजा प्राणों से भी अधिक प्रिय है। प्रियजन, पूरजन, गुरुजन सबके प्रति श्रीराम का व्यवहार आदर्श एवं धर्म के अनुकूल है। ऐसे रामराज्य में विषमता टिक नहीं सकती और सभी प्रकार के दु:खों से प्रजा को त्राण मिल जाता है। उन्होंने श्री रामचरितमानस के उत्तरकाण्ड में रामराज्य की जो बात की है वह वास्तव में वेलफेयर स्टेट का लक्ष्य हो सकता है। मानस में वर्णित रामराज्य किसी को भी दैहिक, दैविक, भौतिक कष्ट नहीं पहुँचाता था। सभी लोगों में आपसी प्रेम का संबंध था। सभी अपने स्वधर्म व कर्तव्य का पालन करते थे। महात्मा गांधी ने जिस रामराज्य की कल्पना की उसका मूल आधार भी तुलसीदासजी की रामराज्य परिकल्पना ही है। यह एक आदर्श शासन व्यवस्था है जिसका मूल आधार लोकहित एवं मानवतावाद है। वस्तुत: रामराज्य की अवधारणा ऐसे सुशासन की कल्पना है जिसमें सबको योग्य बनने और योग्यता के अनुसार सब कुछ प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें सर्वत्र पारदर्शिता है किन्तु समाज के अंतिम व्यक्ति के अभ्युतधान की चिन्ता प्रमुख है। अब रामराज्य की इस कल्पना में कुछ बातें महत्वपूर्ण होकर उभरती है। रामराज्य में शासन कैसा होगा?, उसकी चारित्रिक विशेषताएँ क्या होगी?, सबको न्याय प्राप्त हो सके, इसकी प्रणाली क्या होगी?, समाज में सबकी समानता किस प्रकार से निर्मित होगी?, सामाजिक जीवन के अंतिम स्थान पर खड़े व्यक्ति की आवाज उसकी इच्छा, आकांक्षा किस प्रकार अभिव्यक्त होगी और सर्वोच्च तक सुनी जाएगी।

रामराज्य से मेरा मतलब है ईश्वरीय राज "ईश्वर का राज" श्रीराम के राज्य में कोई अप्रसन्न ना था। प्रत्येक व्यक्ति को उसके श्रम और कर्म का उचित प्रतिफल प्राप्त होता था, सबके साथ न्याय होता था, न्याय और धर्म की तुला पर राजा और रंक, शीर्ष और निर्मतल के आधार पर विशेष अधिकारों का भेद ना था। गोस्वामी तुलसीदास ने रामराज्य में ऐसे जीवन की कल्पना की है, ऐसे सामूहिक जीवन की कल्पना की है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, नर-नारी अहंकार और दंभ से मुक्त है। सभी परिजनों को आदर देने वाले हैं।, सभी में कृतज्ञता

का भाव है।, छल और कपट से मुक्त जीवन जीने का समाज है। वस्तुत: रामराज्य की अवधारणा ऐसे सुशासन की कल्पना है जिसमें सबको योग्य बनने और योग्यता के अनुसार सब कुछ प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें सर्वत्र पारदर्शिता है। किन्तु समाज के अंतिम व्यक्ति के अभ्यूथान का चित्रण है।

रामराज्य के उद्धेश्य-

- लोकहित और मानवतावाद के आधार पर आदर्श शासन व्यवस्था स्थापित करना।
- न्याय और समानता के मूल्यों पर आधारित देवीय राज की व्यवस्था करना।
- सभी नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना।
- गरीबी का उन्मूलन और आपसी सौहार्द की भावना स्थापित करना।
- सभी प्रकार के दु:खों से प्रजा को मुक्त करना।
- हर किसी की आवाज सुनना और गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए न्याय सुलभ करना।
- राजा का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिक की रक्षा करें और उन्हें प्रोत्साहित करें।

राम राज्य की विशेषताएँ-

- रामराज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध होते हैं।
- रामराज्य में सभी को जीने का अधिकार और सुरक्षा एवं न्याय का अधिकार मिलता है।
- रामराज्य में सभी लोग धर्म परायण होते हैं और एक-दूसरे से प्रेम करते हैं।
- रामराज्य में सभी लोग शुभ लक्षणों से युक्त होते हैं।
- रामराज्य में कोई भी गरीब नहीं होता।
- रामराज्य में कोई भी रोगी, दु:खी या अल्पायु नहीं होता।
- रामराज्य में कोई भी अनर्थकारी काम नहीं होता।
- रामराज्य में सभी लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं।
- रामराज्य में सभी लोग ज्ञानी, पंडित होते हैं।
- रामराज्य में सभी लोग अपने धर्म के अनुसार चलते हैं।
- रामराज्य में स्त्रियाँ पतिव्रता धर्म का पालन करती हैं और पति एक पत्नी धर्म का पालन करते हैं।
- रामराज्य में राजा का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों की रक्षा करें और उन्हें प्रोत्साहित करें।
- रामराज्य में हर किसी की आवाज सुनी जाती है।
- रामराज्य में गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए न्याय सुलभ होता है।
- रामराज्य में ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता जिससे उनके किसी एक भी नागरिक का नुकसान हो।

रामराज्य की अवधारणा-

रामराज्य जिसे अक्सर ''राम का शासन" या ''धर्म का शासन" के रूप में वर्णित किया गया है तथा यह एक अवधारणा है जो भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित हैं। यह मुख्य रूप से न्याय, सत्य ,समानता और नैतिक मूल्यों के सिद्धांतों पर आधारित शासन की एक आदर्श शासन प्रणाली और न्याय पूर्ण शासन व्यवस्था को स्थापित करता है। उत्तरकाण्ड में अयोध्या के राजा श्रीराम के शासनकाल का वर्णन नैतिकता आधारित एवं न्याय पूर्ण शासन के रूप में किया गया है। रामराज्य की अवधारणा को इस प्रकार से व्यक्त किया गया है-

नेतृत्व और शासन-

रामराज्य एक आदर्श शासक या राजा के गुणों पर जोर देता है। भगवान राम को एक दयालु, बुद्धिमान और न्याय प्रिय राजा के रूप में दर्शाया गया है जो अपने लोगों के कल्याण को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखते हैं। उनका प्रशासन धर्म द्वारा निर्देशित है और कानून के शासन का पालन करता है।

समानता और न्याय-

रामराज्य सभी नागरिकों के बीच उनकी जाति, पंथ या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना समानता को बढ़ावा देता है। न्याय निष्पक्षता से दिया जाता है और कानून का शासन कायम रहता है। रामराज्य में सभी का आदर और सम्मान किया जाता है।

नैतिकता और नैतिक मूल्य-

भगवान राम के सत्य, ईमानदारी करुणा, नैतिकता जैसे गुण रामराज्य के केंद्र में हैं। शासक और नागरिकों से इन गुणों के साथ जीवन जीने की अपेक्षा की जाती है।

समृद्धि और कल्याण-

रामराज्य एक ऐसे राज्य की कल्पना करता है जहां लोगों के बीच समृद्धि, विकास और खुशी हो, जहाँ नागरिकों के समग्र कल्याण और भलाई पर जोर दिया जाता है।

शांति और सद्भाव-

रामराज्य विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूहों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और सहिष्णुता को बढ़ावा देता है। यह एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देता है जहाँ लोग एक-दूसरे की मान्यताओं और रीति-रिवाज का सम्मान करते हुए सौहार्दपूर्ण ढंग से सहअस्तित्व में रहते हैं।

पर्यावरण चेतना-

भगवान राम को अक्सर प्रकृति और वन्य जीव रक्षा से जोड़ा जाता है। रामराज्य में पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी का भाव है। रामराज्य की अवधारणा किसी विशिष्ट धार्मिक समूह तक ही सीमित नहीं है। इसे विभिन्न पृष्ठभूमियों और विचारधाराओं के लोगों ने सुशासन और सामाजिक सद्भाव के लिए एक महत्वाकांक्षी मॉडल के रूप में अपनाया है।

राम राज्य का महत्व-

वर्तमान समय में रामराज्य का प्रयोग सर्वोउत्कृष्ट शासन या आदर्श शासन के रूपक (प्रतीक) के तौर पर किया जाता है। रामराज्य लोकतंत्र का परिमार्जित रूप माना जा सकता है। वैश्विक स्तर पर रामराज्य की स्थापना गांधीजी की चाह थी। गांधीजी ने भारत में अंग्रेजी शासन से मुक्ति के बाद ग्राम स्वराज के रूप में रामराज्य के कल्पना की थी।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रामराज्य-

नैतिकता और नैतिक मूल्य वास्तव में ऐसी सामाजिक अवधारणा है जिसका मूल्यांकन किया जा सकता है। यह कर्तव्य की आंतरिक भावना है और उन आचरण के प्रति मानव का समन्वित रूप है जिसके आधार पर सत्य-असत्य, अच्छा-बुरा, उचित-अनुचित का निर्णय किया जा सकता है। यह एक विवेक के बल से संचालित होती है। रामराज्य का मतलब है भगवान श्रीराम के आदर्शों पर आधारित सुचितापूर्ण शासन जिसमें उनके आदर्शों की झलक मिलती हो। देश में सबसे बिना भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, बिना भेदभाव और द्वेष के सरकार सबके लिए कार्य करें। जिससे देश का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। कोई भी यह महसूस ना करें कि वह असुरक्षित और भयपूर्ण वातावरण में है। भ्रष्टाचार और अराजकता पर नियंत्रण स्थापित हो जिससे लोग निर्विघ्न होकर अपना कार्य कर सके तथा भयमुक्त वातावरण में जी सके। यही रामराज्य की परिकल्पना है जिसे भारत के लिए हमारे पूर्वजों ने कल्पना की थी, जिसकी और देश को ले जाने का प्रयास जारी है। यह राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों के लिए बेहद आवश्यक है क्योंकि हिंदू संस्कृति के मूल में श्रीराम और उनके आदर्श समाया हैं। जिसके बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

निष्कर्ष-

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का विश्वास साधनों में नहीं, साधना में है। वह साधन संपन्न होने की चाह नहीं रखते बल्कि साधना संपन्न होने के भाव से परिपूर्ण है। श्रीराम शासन करने के पक्षधर नहीं बल्कि अनुशासन के पक्षधर है। वह इस संसार को जीतने की नहीं बल्कि अपने आप को जितने व नियंत्रित रखने में विश्वास करते हैं। श्रीराम से ही इस जगत का कण-कण प्रकाशित होता है। वही इस जगत के आरंभ और अंत दोनों है।

''दैहिक दैविक भौतिक तापा। रामराज नहीं काहुही व्यापा।।
सब नर करही परस्पर प्रीति। चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति।।''

राज्य में दैहिक, दैविक, भौतिक ताप नहीं व्याप्ते अर्थात यह सभी होते तो है लेकिन सभी उनके दुष्प्रभाव से बचे रहते हैं। रामराज्य में सभी लोग एक दूसरे से परस्पर प्रेम करते हैं तथा अपने अपने धर्म का पालन करते हैं तथा मर्यादा पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम श्री राम रुपी औषधि के होते हुए भी विभिन्न तापो से ग्रस्त है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम भगवान राम को तो मानते हैं किन्तु उनके दिखाए हुए मार्ग को नहीं मानते। हमने प्रभु श्रीराम के चरणों को तो पकड़ा हुआ है लेकिन उनके आचरण को धरण नहीं किया है। जिस दिन हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के श्रीचरणों का ही नहीं अपितु उनके आचरणों का भी अनुसरण करने लगेगे उस दिन न केवल भारतवर्ष में बल्कि सम्पूर्ण विश्व में रामराज्य सच्चे अर्थों में स्थापित हो जाएगा।

संदर्भ ग्रंथ-

1. तुलसीदास गोस्वामी, विनय पत्रिका, गीता प्रेस, गोरखपुर, 2018।
2. तुलसीदास गोस्वामी, श्रीराम चरित मानस, गीता प्रेस, गोरखपुर, 2014।
3. तुलसीदास गोस्वामी, गीतावंली, गीताप्रेस, गोरखपुर, 2014।

सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं में दिव्यांगों के उत्थान के लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन

अनिल कुमार

शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, लालू नगर, मधेपुरा

डॉ० विवेक प्रकाश सिंह

सहायक प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, लालू नगर, मधेपुरा

शोध-सार

दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन उनके सामाजिक समावेश, सशक्तिकरण, और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन इन योजनाओं के प्रभाव, चुनौतियों, और समाज पर उनके व्यापक प्रभावों का विश्लेषण करता है। भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कई नीतियाँ और कार्यक्रम लागू किए हैं। उदाहरण के लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति के तहत शिक्षा, रोजगार, और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाएँ, जैसे कि सहायक उपकरणों की आपूर्ति, कौशल विकास, और पुनर्वास सेवाएँ, दिव्यांगजनों के जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायक हैं। गैर-सरकारी संगठन भी दिव्यांगजनों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करते हैं, साथ ही जागरूकता बढ़ाने और अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाते हैं। इन संगठनों का जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव और समुदाय के साथ सीधा संपर्क उन्हें दिव्यांगजनों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने में सक्षम बनाता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, इन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य दिव्यांगजनों के सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, और समाज में उनकी स्वीकृति को बढ़ाना है। हालांकि, सामाजिक धारणाएँ, पूर्वाग्रह, और भेदभाव जैसी बाधाएँ अभी भी मौजूद हैं, जो इन योजनाओं की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएँ दिव्यांगजनों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। हालांकि, इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समाज में जागरूकता बढ़ाने, संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, और सामाजिक धारणाओं में सकारात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। समाजशास्त्रीय अध्ययन इन पहलुओं को उजागर करने में सहायक हो सकता है, जिससे नीतिगत सुधार और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में वृद्धि हो सके।

मुख्य बिन्दुः सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएँ, कल्याण और सशक्तिकरण

परिचय

दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन उनके सामाजिक समावेश, सशक्तिकरण, और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।[1] सुपौल जिले के संदर्भ में, इन योजनाओं के प्रभाव और चुनौतियों का विश्लेषण करना आवश्यक है।

सरकारी योजनाएँ

बिहार सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना-2016 इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। स्वरोजगार ऋण योजना दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। संबल योजना इस योजना के माध्यम से दिव्यांगजनों को आवश्यक सहायक उपकरण और अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। प्रमाणीकरण दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक दिव्यांगजन इसका लाभ उठा सकें।[2]

इन योजनाओं का उद्देश्य दिव्यांगजनों के सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। हालांकि, इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ सामने आती हैं, जैसे जागरूकता की कमी, लाभार्थियों की पहचान में कठिनाई, और संसाधनों की सीमित उपलब्धता।

गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

सुपौल जिले में कई गैर-सरकारी संगठन दिव्यांगजनों के उत्थान में सक्रिय हैं। उदाहरण के लिए, कोशी क्षेत्रीय विकलांग, विधवा, वृद्ध कल्याण समिति दिव्यांगजनों के जीवन में आशा, उत्साह, और संघर्ष की चेतना जागृत करने के लिए कार्यरत है। यह संगठन दिव्यांगजनों को योग्य और कर्मठ नागरिक बनने का प्रशिक्षण प्रदान करता है।[3] गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका सरकारी योजनाओं के पूरक के रूप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए दिव्यांगजनों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझते हैं और उन्हें व्यक्तिगत सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि, इन संगठनों को भी वित्तीय संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता, और समुदाय में जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, इन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य दिव्यांगजनों के सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, और समाज में उनकी स्वीकृति को बढ़ाना है। हालांकि, सामाजिक धारणाएँ, पूर्वाग्रह, और भेदभाव जैसी बाधाएँ अभी भी मौजूद हैं, जो इन योजनाओं की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं।[4] अत:, सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं को मिलकर कार्य करना चाहिए, ताकि दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए संचालित योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके। साथ ही, समुदाय में जागरूकता बढ़ाने, सामाजिक धारणाओं में परिवर्तन लाने, और दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन उनके सामाजिक समावेश, सशक्तिकरण, और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन इन योजनाओं के प्रभाव, चुनौतियों, और समाज पर उनके व्यापक प्रभावों का विश्लेषण करता है।

सरकारी योजनाएँ

भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कई नीतियाँ और कार्यक्रम लागू किए हैं। उदाहरण के लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति के तहत शिक्षा, रोजगार, और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाएँ, जैसे कि सहायक उपकरणों की आपूर्ति, कौशल विकास, और पुनर्वास सेवाएँ, दिव्यांगजनों के जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायक हैं।[5]

गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

गैर-सरकारी संगठन भी दिव्यांगजनों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करते हैं, साथ ही जागरूकता बढ़ाने और अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाते हैं। इन संगठनों का जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव और समुदाय के साथ सीधा संपर्क उन्हें दिव्यांगजनों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने में सक्षम बनाता है।[6]

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, इन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य दिव्यांगजनों के सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, और समाज में उनकी स्वीकृति को बढ़ाना है। हालांकि, सामाजिक धारणाएँ, पूर्वाग्रह, और भेदभाव जैसी बाधाएँ अभी भी मौजूद हैं, जो इन योजनाओं की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएँ दिव्यांगजनों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। हालांकि, इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समाज में जागरूकता बढ़ाने, संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, और सामाजिक धारणाओं में सकारात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।[7] समाजशास्त्रीय अध्ययन इन पहलुओं को उजागर करने में सहायक हो सकता है, जिससे नीतिगत सुधार और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में वृद्धि हो सके। दिव्यांगजनों के सामाजिक समावेश, आत्मनिर्भरता, और समाज में स्वीकृति बढ़ाने के उद्देश्य से कई कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। हालांकि, इन योजनाओं की प्रभावशीलता को सामाजिक धारणाएँ, पूर्वाग्रह, और भेदभाव जैसी बाधाएँ प्रभावित करती हैं।

सामाजिक धारणाएँ और पूर्वाग्रह

दिव्यांगता को अक्सर सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। समाज में यह धारणा प्रचलित है कि दिव्यांगता व्यक्ति के पिछले कर्मों का परिणाम है, जो दिव्यांगजनों के प्रति भेदभाव और अलगाव को बढ़ावा देती है।

भेदभाव और अलगाव

दिव्यांग व्यक्तियों को रोजमर्रा के जीवन में भेदभाव और अलगाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें शिक्षा, रोजगार, और सामाजिक गतिविधियों में पूर्ण भागीदारी से वंचित किया जाता है, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता और समाज में स्वीकृति प्रभावित होती है।

समावेशी वातावरण की कमी

दिव्यांगजनों के लिए बाधा-मुक्त वातावरण का अभाव उनकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता में बाधा उत्पन्न करता है। सार्वजनिक स्थानों, परिवहन, और संचार माध्यमों में आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण वे समाज की मुख्यधारा से अलग हो जाते हैं।

जागरूकता की कमी

दिव्यांगता के प्रति समाज में जागरूकता की कमी के कारण भेदभावपूर्ण मानसिकता और सामाजिक पूर्वाग्रह बने रहते हैं। सरकारों, सामाजिक संस्थाओं, और पेशेवर संगठनों द्वारा दिव्यांगता से जुड़ी द्वेषपूर्ण मानसिकता को दूर करने के लिए व्यापक सामाजिक अभियानों की आवश्यकता है। दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं की सफलता के लिए आवश्यक है कि समाज में व्याप्त नकारात्मक धारणाओं, पूर्वाग्रहों, और भेदभाव को दूर किया जाए। इसके लिए जागरूकता बढ़ाने, समावेशी वातावरण का निर्माण, और दिव्यांगजनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।[8]

संबंधित साहित्य की समीक्षा

दिव्यांगता के प्रति समाज में जागरूकता की कमी के कारण भेदभावपूर्ण मानसिकता और सामाजिक पूर्वाग्रह बने रहते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारों, सामाजिक संस्थाओं, और पेशेवर संगठनों द्वारा व्यापक सामाजिक अभियानों की आवश्यकता है। दृष्टिकोण और व्यवहार संबंधी बाधाएँ डॉ. अर्पिता वर्मा के अध्ययन "वर्तमान समाज एवं दिव्यांग बालक की समस्याएं" में बताया गया है कि समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण के बावजूद, उन्हें 'अन्य' के रूप में देखा जाता है, जिससे वे तीसरे दर्जे के नागरिक के रूप में व्यवहार का सामना करते हैं। यह दृष्टिकोण उनकी सामाजिक समावेशिता में बाधा उत्पन्न करता है। जागरूकता अभियानों की आवश्यकता दृष्टि आईएएस के एक लेख में उल्लेख किया गया है कि सरकारों, सामाजिक संस्थाओं, और पेशेवर संगठनों द्वारा दिव्यांगता से जुड़ी द्वेषपूर्ण मानसिकता को दूर करने के लिए व्यापक सामाजिक अभियानों की आवश्यकता है। मुख्यधारा की मीडिया ने फिल्मों के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के सकारात्मक प्रतिनिधित्व के लिए सही मार्ग चुना है। सरकारी प्रयास दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जागरूकता सृजन एवं प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए सक्षम वातावरण तैयार करना है। इसके लिए जानकारी का प्रसार और सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाकर समान अवसर, समानता, और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना शामिल है। उपरोक्त साहित्य से स्पष्ट होता है कि दिव्यांगजनों के प्रति समाज में व्याप्त नकारात्मक धारणाओं और पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है। सरकार, सामाजिक संस्थाएँ, और मीडिया मिलकर इन अभियानों के माध्यम से समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का निम्नलिखित उद्देश्य एवं अभिप्रेरणा है।

1. दिव्यांगों के सामाजिक एवं आर्थिक कारकों का मूल्यांकन करना।
2. दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने में एन0 जी0 ओ0 की भूमिका का अध्ययन करना।
3. दिव्यांगों के विकास में उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना।

शोध् की परिकल्पनाएँ

किसी भी शोध के सपफलतापूर्वक सम्पादित करने के लिए यह आवश्यक है कि शोध से संबंध्ति उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाए शोध् की दिशा उचित हो पाए। अतः प्रस्तुत शोध् संबंध्ति निम्नलिखित उपकल्पना की गई है।

1. दिव्यांगों की स्थिति सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुई है।
2. दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने में एन0 जी0 ओ0 महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
3. सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का लाभ दिव्यांगों को मिल रहा है।

शोध-विधि

सुपौल जिले में दिव्यांगजनों के उत्थान में सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं की भूमिका का अध्ययन करने के लिए एक व्यवस्थित शोध-विधि अपनाई जानी चाहिए। इस संदर्भ में निम्नलिखित चरण प्रस्तावित हैं

शोध डिजाइन

वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक शोध डिजाइन का उपयोग किया जाएगा, जिससे सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं की गतिविधियों और उनके प्रभाव का विस्तृत अध्ययन संभव हो सके।

डेटा संग्रह

प्राथमिक डेटा

दिव्यांगजनों, उनके परिवारों, और संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ संरचित साक्षात्कार और प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाएगी।

द्वितीयक डेटा

सरकारी रिपोर्ट, गैर-सरकारी संगठनों की वार्षिक रिपोर्ट, जनगणना डेटा, और संबंधित साहित्यिक स्रोतों से जानकारी संकलित की जाएगी।

नमूना चयन

सुपौल जिले के विभिन्न प्रखंडों से यादृच्छिक और उद्देश्यपूर्ण नमूना चयन विधियों का उपयोग करके दिव्यांगजन, उनके परिवार, और संस्थाओं के प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा।

डेटा विश्लेषण

संग्रहित डेटा का सांख्यिकीय और गुणात्मक विश्लेषण किया जाएगा, जिससे निष्कर्षों की विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके।

नैतिक विचार

शोध के दौरान प्रतिभागियों की गोपनीयता, स्वैच्छिक सहभागिता, और सूचित सहमति के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। इस शोध-विधि के माध्यम से, सुपौल जिले में दिव्यांगजनों के उत्थान में सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं की भूमिका का समग्र और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन संभव होगा, जो नीतिगत सुधारों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायक सिद्ध होगा।

निष्कर्ष

सुपौल जिले में दिव्यांगजनों के उत्थान में सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं की भूमिका का अध्ययन करने पर निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आते हैं।

सरकारी प्रयासों का प्रभाव सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जैसे कि सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में 3 प्रतिशत सीटों का आरक्षण और गरीबी निवारण योजनाओं में 3% लाभ का प्रावधान।

गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका कोशी क्षेत्रीय विकलांग, विधवा, वृद्ध कल्याण समिति जैसे गैर-सरकारी संगठन दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ये संगठन दिव्यांगजनों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण, और सहायता प्रदान करते हैं।

शिक्षा और संसाधन केंद्र जिले में दिव्यांग बच्चों के लिए 12 संसाधन केंद्र खोले गए हैं, जहाँ फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ब्रेल प्रशिक्षण जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, 310 दिव्यांग बच्चों को कृत्रिम अंग प्रदान करने की योजना है, जिसमें से 48 बच्चों को पहले ही लाभान्वित किया जा चुका है।

सामाजिक समावेश के प्रयास अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों को सम्मानित किया गया, जिससे उनके सामाजिक समावेश को बढ़ावा मिला है। सुपौल जिले में सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं के संयुक्त प्रयासों से दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हालांकि, इन प्रयासों की निरंतरता, समन्वय, और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि दिव्यांगजन समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित होकर आत्मनिर्भर बन सकें।

संदर्भ-सूची

1. भूषण, एस., और दीन, टी.एम.यू. (2014)। भारतीय हस्तशिल्प निर्यात: एक आर्थिक विश्लेषण। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स एंड एप्लाइड मैनेजमेंट रिसर्च, 1(3), 104-112।
2. लिबल, एम., और रॉय, टी. (2004)। भारत में हस्तनिर्मित: बदलती दुनिया में पारंपरिक शिल्प कौशल। गरीब लोगों का ज्ञान: विकासशील देशों में बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देना, 53-74।
3. रेड्डी, ए. जे. एम., और नाइक, सी. के. (2002). लघु उद्योग में बीमारी।
4. भारतीय प्रकाशन।
5. सिंह, ए.के., और फातिमा, एस. (2015)। उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में हस्तशिल्प क्षेत्र की भूमिका। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च-ग्रंथालय, 3(1), 58-64।
6. यास्मीन, ई.एफ.एफ.ए.टी., और भट, एफ.ए. (2013)। जम्मू-कश्मीर के हस्तशिल्प क्षेत्र का मूल्यांकन-बडगाम जिले का एक केस स्टडी। यूरोपीय अकादमिक अनुसंधान, 1(367), 80।
7. Mehra, Sanjeev. (2019). Barrier-Free Infrastructure and Accessibility for Disabled Persons in India.
8. Mittal & Singh. (2017). Smart Cities and Inclusive Transport Systems.

गुप्त काल में कला एवं संस्कृतिः एक ऐतिहासिक अवलोकन

डॉ० अवध नारायण

एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, डॉ. राम मनोहर लोहित अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

सारांश

गुप्त काल[1], जो 320 से 550 ई. तक चला, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है। गुप्त साम्राज्य ने उत्तरी भारत के अधिकांश भाग पर शासन किया, और इस दौरान इसकी कला और संस्कृति का विकास हुआ। गुप्त कला की विशेषता इसकी सुंदरता, परिष्कार और विस्तार पर ध्यान देना है। यह अपनी विविधता के लिए भी उल्लेखनीय है, क्योंकि इसमें शैलियों और विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। गुप्त काल में साहित्य, संगीत और नृत्य का भी उत्कर्ष हुआ। गुप्त दरबार शिक्षा और संस्कृति का केंद्र था, और कई विद्वानों और कलाकारों को गुप्त सम्राटों द्वारा संरक्षण दिया गया था।[2]

वास्तुकला, कला और मूर्तिकला के अवशेष ही गुप्त युग की कला और संस्कृति के रूप में चिह्नित हैं। और जो भी कला, वास्तुकला और साहित्य प्राप्त हुआ है, वह उस युग के कलाकारों, विद्वानों और प्रतिभाशाली लोगों की उत्कृष्ट विशेषज्ञता को साबित करता है। शासकों की पहल ने हर चीज को समृद्ध बनाने में मदद की। यही कारण है कि गुप्त युग को स्वर्ण युग[3] कहा जाता है।

मूल शब्दः गुप्त काल, अवशेष, कला, साहित्य, वास्तुकला, मूर्तिकला, संस्कृति

परिचय

गुप्त साम्राज्य, जिसने लगभग 320 से 550 ई. तक शासन किया, को भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक काल के रूप में देखा जाता है, जिसकी विशेषता स्थिरता, सांस्कृतिक पुनर्जन्म और आर्थिक विकास है। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित राजवंश, मगध क्षेत्र से उभरा और रणनीतिक गठबंधनों और सैन्य विजय के माध्यम से फैल गया। समुद्रगुप्त[4], जिसे ष्भारत का नेपोलियनष् कहा जाता है, ने आश्चर्यजनक सैन्य जीत और कूटनीतिक सफलताओं के साथ साम्राज्य को अपनी ऊंचाई पर पहुंचाया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान, व्यापार फला-फूला, साथ ही कलात्मक संरक्षण और बौद्धिक प्रगति भी हुई। आक्रमणों और आंतरिक लड़ाई के कारण इसके अंतिम पतन के बावजूद, कला, साहित्य और सरकार में गुप्त साम्राज्य के योगदान ने भारतीय सभ्यता पर एक स्थायी छाप छोड़ी, जिसने इसे समृद्धि और बौद्धिक उत्कृष्टता के स्वर्ण युग के रूप में स्थापित किया।

गुप्त कला और वास्तुकला की विशेषताएँ

गुप्त कला और वास्तुकला की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- गुप्त काल में हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक साथ मौजूद थे। गुफा कला में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। स्तूप हिंदू राजाओं के शासनकाल में भी बौद्ध धर्म के प्रति सम्मान दर्शाते हैं।[5]
- गुफाओं के चित्रों में कभी भी नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है।
- मूर्तियाँ बलुआ पत्थर से बनी थीं।
- मंदिरों की प्राथमिक सामग्री ईंट, बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट थी। मंदिर वास्तुकला में नागर और द्रविड़ शैलियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती थीं।[6]
- गुप्त सम्राटों के शासनकाल में साहित्य और विज्ञान की समृद्धि स्पष्ट दिखाई दी।

गुप्त कला और वास्तुकला के प्रकार

गुप्त काल के शासकों द्वारा वास्तुकला की विभिन्न श्रेणियाँ विकसित और स्थापित की गईं। हमें मूर्त कला रूपों से एक स्पष्ट विचार मिलता है जो स्थापना के लंबे वर्षों के बाद भी अभी भी मौजूद हैं।[7]

गुप्तकालीन गुफा वास्तुकला

- उदयगिरि गुफाएँ, जैन और हिंदू धार्मिक मान्यताओं को दर्शाती चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है, जिसका निर्माण चौथी से पांचवीं शताब्दी के दौरान हुआ था। ये गुफाएँ मध्य प्रदेश के विदिशा के पास हैं।[8]
- अजंता गुफा, महाराष्ट्र में 29 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है, जिसमें बुद्ध की यात्रा को प्रदर्शित करने वाली पेंटिंग हैं। यहाँ भित्ति चित्र और फ्रेस्को तकनीक पेंटिंग के उदाहरण भी हैं। 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान, अजंता[9] की गुफाओं में कई चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकलाएँ बनाई गई थीं।
- चरणंद्री पहाड़ियों में एलोरा की गुफाएँ चौंतीस चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है जो कला के माध्यम से जैन और बौद्ध दर्शन को प्रदर्शित करती हैं। सभी गुफाएँ 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बनाई गई थीं।[10]

- मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित बाघ गुफाएँ नौ गुफाओं से मिलकर बनी हैं। इन बौद्ध गुफाओं को बाघ गुफा के नाम से भी जाना जाता है।
- नासिक में पांडव गुफाएँ[11] (ईसा पूर्व 250- ईसवी 600) त्रिरश्मी पहाड़ी पर हैं। ये गुफाएँ प्राचीन जल प्रबंधन प्रणालियों और बुद्ध मूर्तियों के शानदार उदाहरण हैं।

गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला

गुप्त राजवंश धार्मिक मामलों में बड़े उदार थे और सभी धर्मों का सम्मान करते थे।

- इस अवधि के दौरान पाँच प्रकार की मंदिर वास्तुकला विकसित हुई। पहले प्रकार के मंदिर में चौकोर वास्तुकला और सपाट छतें थीं। हॉल क्षेत्रों के चारों ओर खंभे थे। इस प्रकार के मंदिरों में गर्भगृह के साथ एक प्रवेश द्वार और एक मंडप क्षेत्र भी था। तिग्वा में कंकाली देवी मंदिर इसका एक आदर्श उदाहरण है।
- दूसरा प्रकार लगभग पहले प्रकार जैसा ही था, सिवाय इसके कि इसमें एक प्रदक्षिणा क्षेत्र शामिल था। दो मंजिला मंदिरों की स्थापना इसी समय शुरू हुई। उदाहरण के लिए, भूमरा में शिव मंदिर।
- तीसरे प्रकार का मंदिर चौकोर आकार का था और शिखर या पिरामिडनुमा छत वाला था। मंदिर का मंच भी ऊंचा हो गया। दशावतार मंदिर इसी श्रेणी में आता है। भगवान विष्णु के दस अवतार हैं।
- चौथे प्रकार के मंदिर आयताकार पैटर्न और खोखली छत के आकार के साथ बनाए गए थे। उदाहरण के लिए, कपोतेश्वर मंदिर।
- पाँचवें प्रकार के मंदिर में गोलाकार वास्तुकला थी। चारों कोनों की विशिष्ट आकृति एक आयताकार पैटर्न बनाती थी। राजगीर में मनियार मठ इसी श्रेणी में आता है।

गुप्त काल की नागर और द्रविड़ शैलियाँ

नागर और द्रविड़ शैली को मंदिर वास्तुकला के दो प्रकारों के रूप में जाना जाता है। एक से अधिक शिखर वाले उत्तर भारतीय मंदिरों को नागर शैली के मंदिर कहा जाता है। और एक शिखर वाले दक्षिण भारतीय मंदिरों को द्रविड़ शैली के मंदिर कहा जाता है। नागर मंदिरों में देवता अंदर होते हैं, जबकि द्रविड़ मंदिरों में बाहर होते हैं। गुप्त युग में इस तरह के मंदिर पैटर्न स्पष्ट थे।[12]

गुप्तकालीन मूर्तियां और स्तंभ

- गुप्त युग की अद्भुत मूर्तिकला[13] का प्रमाण मथुरा में अभय मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा है। यह लाल बलुआ पत्थर से बनी है। सारनाथ की बुद्ध मूर्ति सिद्धार्थ की शांत और शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को दर्शाती है। बौद्ध मूर्तियों में गुफा की मूर्तियां भी उल्लेखनीय हैं।
- गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिषेण के शब्द इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण हैं। इसे प्रशस्ति या स्तुति के रूप में जाना जाता है। गुप्त युग का एक और प्रसिद्ध स्तंभ दिल्ली का लौह स्तंभ है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में हुआ था। यह स्तंभ अभी भी जंग-मुक्त है।[14]

गुप्तकालीन स्तूप

- आधुनिक पाकिस्तान में मीरपुर खा का स्तूप गुप्त काल के दौरान बनाया गया था। ध्यान मुद्रा में बैठे बुद्ध की क्रॉस लेग्ड मूर्ति उल्लेखनीय संरचना है।
- माना जाता है कि धामेक स्तूप के बाहरी क्षेत्र के पैटर्न गुप्त वंश के कलाकारों का काम है। जानवरों की आकृतियों सहित पैटर्न गुप्त कला के उदाहरण दिखाते हैं।
- चौखंडी स्तूप स्तूप वास्तुकला[15] के सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। यह सारनाथ में स्थित है। माना जाता है कि यह स्तूप बुद्ध की अपने शुरुआती शिष्यों से मुलाकात का संस्मरण है।

गुप्त काल के दौरान कलात्मक उपलब्धियाँ

गुप्त काल (लगभग 320 से 550 ई.) के दौरान, भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में कलात्मक उपलब्धियों का उल्लेखनीय उत्कर्ष देखा:

मूर्ति

- गुप्तकालीन मूर्तिकला अपने चरम पर थी, जिसमें प्रकृतिवाद, सुंदरता और भव्यता की भावना विद्यमान थी।
- मूर्तिकारों ने मानव शरीर रचना के चित्रण में महारत हासिल कर ली है, तथा सजीव अनुपात और भावों के साथ आकृतियों को चित्रित किया है।
- गुप्त काल हिंदू और बौद्ध देवताओं जैसे विष्णु, शिव, बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिष्ठित मूर्तियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है।
- उल्लेखनीय उदाहरणों में अजंता, एलोरा और एलीफेंटा की गुफाओं के साथ-साथ मध्य प्रदेश की उदयगिरि गुफाओं में प्रसिद्ध गुप्त मूर्तियां शामिल हैं।

चित्रकारी

- अजंता गुफाओं की सुंदर चित्रकारी गुप्तकालीन चित्रकला[16] का उत्कृष्ट उदाहरण है।
- इन चित्रों में विविध विषयों को दर्शाया गया है, जिनमें बुद्ध के जीवन के दृश्य, जातक कथाएं, राज दरबार के दृश्य और रोजमर्रा की जिंदगी शामिल हैं।

- कलाकारों ने जीवंत रंगों और जटिल विवरणों का उपयोग करके अद्भुत रचनाएं तैयार कीं, जो भारतीय कलात्मक अभिव्यक्ति की गहराई को प्रदर्शित करती हैं।

वास्तुकला

- गुप्तकालीन वास्तुकला में गंधार और मथुरा शैलियों के प्रभाव के साथ स्वदेशी भारतीय शैलियों का मिश्रण प्रतिबिंबित होता है।[17]
- मंदिरों और स्तूपों का निर्माण पत्थर और ईंट का उपयोग करके किया गया था, जिनमें जटिल नक्काशीदार स्तंभ, अलंकृत अग्रभाग और विस्तृत मूर्तियां शामिल थीं।
- गुप्त काल में हिंदू और बौद्ध देवताओं को समर्पित कई मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे देवगढ़ में दशावतार मंदिर और तिगावा में विष्णु मंदिर।

धातुकर्म और सिक्का

- गुप्तकालीन कारीगर धातुकर्म में निपुण थे तथा उत्तम मूर्तियां, बर्तन और आभूषण बनाते थे।[18]
- गुप्त काल के दौरान ढाले गए सोने और चांदी के सिक्के अपनी कलात्मक शिल्पकला और ऐतिहासिक महत्व के कारण बेशकीमती हैं।
- गुप्तकालीन सिक्कों पर अक्सर शासकों, देवताओं और समृद्धि के प्रतीकों की छवियां अंकित होती थीं, जो साम्राज्य की समृद्धि और सांस्कृतिक संरक्षण को दर्शाती थीं।

गुप्त काल का साहित्य

गुप्त काल भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग था, जो कविता, नाटक और गद्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है।

गुप्त काल में साहित्य का विकास अविश्वसनीय था। कालिदास एक प्रसिद्ध नाटककार थे, और उनकी रचनाएँ जैसे अभिज्ञानशाकुन्तल, विक्रमोर्वशीयम्, मेघदूत और मालविकाग्निमित्र गुप्त साहित्य के सबसे महान उदाहरण हैं। दंडिन का काव्यदर्शन और दशकुमारचरित उल्लेखनीय हैं। विशाखदत्त का मुद्राराक्षस साहित्यिक कृति का अद्भुत उदाहरण है। वात्स्यायन अपने न्याय सूत्र भाष्य और कामसूत्र के लिए जाने जाते हैं। माघ को शिशुपाल-वध लिखने के लिए पहचाना जाता है। व्यास का व्यासभाष्य योग के बारे में बताता है। हरिसेना, भारवि, भास और शूद्रक को उनके साहित्यिक योगदान के लिए भी जाना जाता है।

निष्कर्ष

गुप्त काल (320-647 ई.) को कला, वास्तुकला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में जबरदस्त विकास के कारण भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य कला के संरक्षण के लिए जाना जाता था और इस दौरान कला और वास्तुकला के कई बेहतरीन काम किए गए। गुप्त कला के कुछ सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में अजंता गुफाएँ, एलोरा गुफाएँ और एलीफेंटा गुफाएँ शामिल हैं। इन गुफाओं को सुंदर चित्रों और मूर्तियों से सजाया गया है जो हिंदू, बौद्ध और जैन पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती हैं। गुप्त काल में भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक नई शैली का विकास भी हुआ, जो आज भी लोकप्रिय है।

सन्दर्भ

1. Upinder Singh (2017). Political Violence in Ancient India- Harvard University Press- आई०स०बी०न० 978-0-674-98128-7.
2. *Shankar Goyal (2001). Problems of Ancient Indian History: New Perspectives and Perceptions. Book Enclave.* आई०स०बी०न० 978-81-87036-66-1.
3. Tej Ram Sharma (1989). A Political History of the Imperial Guptas: From Gupta to Skandagupta- Concept- आई०स०बी०न० 978-81-7022-251-4.
4. Vidya Dhar Mahajan (1990). A History of India- State Mutual Book & Periodical Service- आई०स०बी०न० 978-0-7855-1191-5.
5. Stein, B- (2010), Arnold, D. (संपा०), A History of India (2nd संस्करण), Oxford: Wiley&Blackwell, आई०स०बी०न० 978-1-4051-9509-6
6. A Critical Appreciation of Austerity in Ancient Indian Literature: Yajanveer Dahiya, Eastern Book Linkers, 2003.
7. Ancient India: History and Culture: Balkrishna Govind Gokhale, Popular, 1995.
8. Ancient India: New Research: Upinder Singh and Nayanjot Lahiri, Oxford University Press, 2009.
9. Ancient India as Described by Ptolemy: John W. McCrindle, Munshiram, 2000.
10. Ancient Indian and Iranian Art: A Comparative Study: Sabir Hussain Khan, Janaki Prakashan, 2008.
11. Ancient Indian Bricks and Brick Remains: T.N. Mishra, Harman, 1997.
12. Ancient Indian Economic Thought: Relevance for Today: Ratan Lal Basu and Raj Kumar Sen, Rawat Pub, 2008.
13. Ancient Indian Education: A Plea of Reintroduction to Arrest the Social Decadence of Modern Times: Nrisinha Prasad Mukhopadhyay, Shipra, 2004.
14. Ancient Indian Historiography: Sources and Interpretations: G.P. Singh, D K Printworld, 2003.
15. Ancient Indian History: Sangh Mittra and S.R. Bakshi, Commonwealth, 2003.
16. Ancient Indian History and Civilization: Trends and Perspectives: N.N. Bhattacharyya, Manohar, 1988.
17. Ancient Indian Inscriptions: Recent Finds and New Interpretations: S.R. Goyal, Kusumanjali Book World, 2005.
18. Ancient Indian Society: Continuity and Change: Vijay Kumar, Snajay Prakashan, 2002.

जी-20 की अध्यक्षता: भारत के समक्ष चुनौतियाँ और संभावनायें

प्रेमशंकर सिंह

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

शोध सार

ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (G.20) विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों से बना है। इस समूह की स्थापना की परिकल्पना वर्ष 1998 के वैश्विक मंदी से निपटने के उपायों के लिए जी-7 देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, युनाइटेड किंग्डम और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया। शुरूआत में जी-20 का क मात्र उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों की वित्तीय स्थिति को सुरक्षित करना था, लेकिन बाद मे इसके एजेंडे में जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, उर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार आदि अन्य वैश्विक चुतौतियों के समाधान को भी शामिल कर लिया गया। जी-20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकतायें जैसे न्यायसंगत, समावेशी और सतत विकास, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, खाद्य सुरक्षा, उर्जा सुरक्षा आदि है। साथ ही जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत के सामने अनेक चुनौतियाँ भी हैं जैसे- रूस-यूक्रे युद्ध से उपजी अनेक समस्यायें, चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध आदि। अनेक चुनौतियों के बावजूद जी-20 की अध्यक्षता में भारतीय नेतृत्व को विकासशील देशों के साथ जुड़ने, इस अवसर का उपयोग वैश्विक दक्षिण की आवाज को उभारने, बहुपक्षीय मंचों में सुधार, साइबर सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विकासशील देशों पर बढ़ती चीनी ऋणों का दबाव, आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और कनेक्टिविटि, जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रिय सहयोग जैसे अनेक मुद्दों को अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व और प्रभाव के द्वारा समाधान करने का अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है।

मूल शब्द- कौशल विकास, ग्रीन हाइड्रोजन, आईएमएफ राष्ट्र राज्य, मौद्रिक प्रणाली, हरित विकास, समावेशी विकास, डिजिटल इकोनॉमी, भू-राजनीतिक, वसुधैव कुटुंबकम।

परिचय

ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (G.20) विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों से बना है। इस समूह की स्थापना की परिकल्पना वर्ष 1998 के वैश्विक मंदी से निपटने के उपायों के लिए जी-7 देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, युनाइटेड किंग्डम और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई थी। 1998 में इस समूह में रूस भी जुड़ गया और इस समूह का नाम जी-7 से जी-8 हो गया। वर्ष 1999 में जर्मनी के कोलोन में जी-8 देशों की बैठक हुई, जिसमें एशिया के आर्थिक संकट पर चर्चा के बाद दुनिया के 20 शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक मंच पर लाने का निर्णय किया गया। अत: 25 सितंबर, 1999 को औपचारिक रूप से अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में G.20 की स्थापना की गई। दिसंबर 1999 में बर्लिन में पहली बार जी-20 समूह की बैठक हुई। आगे चलकर जी-8 को राजनीतिक और जी-20 आर्थिक मंच के रूप में स्वीकार किया गया। शुरू में जी-20 केवल सदस्य देशों के वित्तमंत्रियों के वार्शिक सम्मेलनों तक सीमित था, लेकिन जब 2008 की वैश्विक मंदी ने यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में लिया तब न केवल विकासशील बल्कि विकसित देशों की आर्थिक स्थिति भी खास्ता हो गयी। विश्व को आर्थिक मंदी से निकालने के लिए जी-20 का पुनर्गठन किया गया एवं इसके बाद सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष स्वयं इस समूह के वार्षिक सम्मेलनों में उपस्थित होकर आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने लगे। राष्ट्राध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों के सम्मिलत होने के कारण 2008 के बाद जी-20 और अधिक प्रासंगिक हो गया। वर्ष 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लेने के कारण रूस को इस समूह से बाहर कर दिया गया। क्रिमिया पर कब्जे की घटना के बाद जी-20 की राजनीतिक इकाई अर्थात जी-8 पुन: जी-7 में बदल गया।

G.20 का इतिहास

शुरूआत में जी-20 का एक मात्र उद्देयय केवल मध्यम आय वाले देशों की वित्तीय स्थिति को सुरक्षित करना था, लेकिन बाद में इसके एजेंडे में जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, उर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार और अन्य वैश्विक चुनौतियों के समाधान को भी शामिल कर लिया गया। हालांकि, अभी तक इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। ऐसे में प्रतिवर्ष जिस देश द्वारा जी-20 शिखर बैठक की अध्यक्षता की जाती है, वही देश अनौपचारिक रूप से इसके मुख्यालय का काम करता है। जहाँ तक समूह की अध्यक्षता का सवाल है तो अध्यक्षता का निर्धारण प्रत्येक वर्ष सदस्य देश रोटेशन पद्धति के आधार पर करते हैं। रोटेशन की अवधारणा की शुरूआत

2010 के दक्षिण कोरिया में आयोजित तीसरे शिखर सम्मेलन में किया गया था। अध्यक्षता का निर्धारण समूह का पूर्व अध्यक्ष देश, वर्त्तमान अध्यक्ष देश और भविष्य में अध्यक्ष बनने वाले देश द्वारा ट्रोइका के आधार पर किया जाता है। भारत की अध्यक्षता इस बात के लिए और भी खास हो जाता है कि पहली बार 'ट्रोइका' में केवल विकासशील देश शामिल होंगे। यह विकासशील दुनिया के दृष्टिकोण से विकास को देखने का अवसर प्रदान करता है। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले देश के पास सम्मेलन की मेजबानी करने और विषय निर्धारित करने के अलावा अन्य कोई औपचारिक अधिकार नहीं होता। सदस्य देशों में अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सउदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम(यूके), संयुक्त राज्य अमेरिका(यूएस) और यूरोपीय संघ(ईयू) शामिल है। इस संगठन की आर्थिक ताकत इससे परिलक्षित होती है कि इसके सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में 80 प्रतिशत से अधिक, वैश्विक व्यापार में 75 प्रतिशत और दुनिया की 60 प्रतिशत आबादी में योगदान करते हैं। जी-20 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद के समाधान के साधन के रूप में अस्तित्व में आया। शुरू में इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्त और आर्थिक विकास की नीतियों पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रियों और केन्द्रीय बैंक के गर्वनरों के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। समय के साथ जी-20 आर्थिक मुद्दों पर समन्वय और चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसीत हुआ है। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद इसे राष्ट्रराज्य सरकार के प्रमुखों के स्तर तक बढ़ा दिया गया था। उसके बाद 2009 में जी-20 का अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच के रूप में मान्यता दी गई थी। प्रत्येक वर्ष, जी-20 प्रेसीडेंसी एक वर्ष के लिए जी-20 के एजेंडे को निर्देशित करती है और शिखर सम्मेलन की मेजबानी करती है।

पहला जी-20 शिखर सम्मेलन अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था। इसमें 2008 के भयानक वित्तीय संकट को देखते हुए जी-20 के सदस्य हेज फंड और रेटिंग एजेंसियों पर सख्त नियंत्रण लगाने पर सहमत हुए। 2010 के टोरंटो(कनाडा) शिखर सम्मेलन में, जी-20 के सदस्य देशों ने संप्रभु ऋण में कटौती के निर्देशों को अपनाया एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में वित्तीय हिस्सेदारी और वोटिंग शेयरों के सुधारों पर सहमति के लिए विचार किए। 2011 के कान (फ्रांस) में जी-20 शिखर सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। जी-20 के नेताओं ने खाद्य बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कृषि बाजार सूचना प्रणाली स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की। 2012 में लॉस कानोस(मेक्सिको) के जी-20 शिखर सम्मेलन सामाजिक सुरक्षा कवरेज एवं उचित आय के साथ गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करने पर केंद्रित था। शिखर सम्मेलन ने विकास के एजेंडे, कृषि एवं हरित विकास के बीच संबंध पर भी प्रकाश डाला। जी-20 का अगला शिखर सम्मेलन 2013 में सेंट पीट्सबर्ग(रूस) में आयोजित हुआ, जहाँ सदस्यों ने कर सूचनाओं के आदान-प्रदान और लाभ स्थानांतरण के कार्ययोजना पर सहमति व्यक्त की। 2014 में ब्रिसबेन(आस्ट्रेलिया) शिखर सम्मेलन में जी-20 के सदस्यों ने अपने सामूहिक सकल घरेलू उत्पाद को अतिरिक्त दो प्रतिशत बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया एवं 2025 तक श्रम कार्यबल में लैंगिक अंतर को 25 प्रतिशत तक कम करना था। 2015 में अंताल्या (तुर्की) के जी-20 शिखर सम्मेलन में सदस्यों ने प्रवासन एवं शरणार्थी आंदोलन के लिए तथा पहली बार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर सामूहिक वक्तव्य पेश किया। 2016 में हांग्जो(चीन) के शिखर सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक समावेशी विकास को मजबूत करने एवं डिजिटल इकानॉमी के सतत विकास पर चर्चा की गई और यह पहली बार जी-20 एजेंडे का हिस्सा बना। अगला शिखर सम्मेलन 2017 में जर्मनी की अध्यक्षता में हैम्बर्ग में हुआ। जिसमें आतंकवाद की वैश्विचवक चुनौती पर विशेष ध्यान दिया गया तथा जी-20 अफ्रीका पार्टनरशीप को भी लॉन्च किया गया। 2018 में व्यूनस आयर्स(अर्जेंटिना) में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन का फोकस निष्पक्ष और सतत विकास के लिए आम सहमति बनाने पर था। 2019(जापान) में जी-20 शिखर सम्मेलन ने प्रमुख आर्थिक के साथ-साथ जलवायु और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रीत किया। जी-20 का 15वां शिखर सम्मेलन सऊदी अरब में आयोजित किया गया। महामारी के प्रकोप से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा करने का यह एक आभासी शिखर सम्मेलन था। जी-20 का अगला शिखर सम्मेलन 2021 में इटली की अध्यक्षता में आयोजित किया गया जहाँ महामारी से उबरने एवं वैश्विचवक स्वास्थय शासन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। 2022 में जी-20 का शिखर सम्मेलन बाली (इंडोनेशिया) में आयोजित किया गया, जिसमें भू-राजनीतिक तनाव (रूस-यूक्रेन युद्ध) आर्थिक मंदी एवं खाद्य और उर्जा की बढ़ती कीमतों पर केंद्रित था। इस शिखर सम्मेलन में कोविड-19 और रूस-यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न चुनौतियों के स्थायी समाधान खोजने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही अगले शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को मिली।

G.20: भारत की अध्यक्षता

जी-20 के वर्त्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिए गठबंधन और एशियाई विकास बैंक को भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में निमंत्रित किया है। साथ ही बांग्लादेश, मिस्र, मॉरीसस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात के मेहमानों का भी मेजबानी करेगा।

जी-20 की अध्यक्षता भारत 01 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक कर रहा है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद, हरा और नीला का उपयोग जी-20 लोगों के लिए प्रेरणा के रूप में किया गया है। पृथ्वी ग्रह की तुलना भारत के राष्ट्रीय फूल

कमल से की गई है। जी-20 के लोगो के नीचे देवनागरी लिपि में 'भारत' अंकित है। प्रागैतिहासिक संस्कृत ग्रंथ महा उपनिशद से लिया गया 'वसुधैव कुटुम्बकम' जो हमारे ग्रह पर सभी जीवन रूपों की परस्पर संबद्धता में विश्वास को दर्शाता है जिसमें मनुष्य, जानवर, पौधे और सुक्ष्मजीव शामिल है। 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए मुख्य थीम बना है। भारत ने जी-20 की तैयारी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया है और इसको अध्यक्ष के रूप में भारत देश भर में 50 से अधिक स्थानों पर 32 विविध क्षेत्रों को कवर करते हुए 200 से अधिक बैठकों की मेजबानी कर रहा है। इस अध्यक्षता के दौरान भारत का लक्ष्य हर क्षेत्र, संस्कृति, व्यंजन और स्थानीय उत्पादों की अद्वितीय विविधता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करना है।

जी-20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकतायें

अपनी ऐतिहासिक परंपराओं और मूल्यों के आधार पर भारत 2023 के जी-20 शिखर सम्मेलन के आदर्श वाक्य के रूप में 'एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य' घोषित किया है। यह सभी साझा भविष्य के लिए साझा प्रयास करने की भारत की इच्छा को रेखांकित करता है।

चूँकि भारत प्राथमिकता के आधार पर जी-20 एजेंडे के रूप में निम्न बिंदुओं को शामिल कर रहा है-

1. न्यायसंगत, समावेशी और सतत विकास
2. पर्यावरण के लिए जीवन शैली
3. महिला सशक्तिकरण
4. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास
5. समकालीन मुद्दे जैसे-कौशल विकास, ग्रीन हाइड्रोजन, सर्कुलर इकोनॉमी, खाद्य सुरक्षा, उर्जा सुरक्षा आदि।
6. विकास साझेदारी, आर्थिक अपराधों की रोकथाम और वैश्विक संस्थानों में बहुपक्षीय सुधार।

साथ ही जी-20 अपनी स्थापना के बाद से ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रबंधन और विनियमन से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दो पर चर्चायें की है। क्योंकि जी-20 का मुख्य फोकस वैश्विक अर्थव्यवस्था के संचालन में स्थिरता, खुलेपन और निश्पक्षता को बढ़ावा देना रहा है, ताकि मौजूदा वित्तीय संकट को दूर किया जा सके और वैश्विक सुधार और आर्थिक विकास की व्यवहारिक प्रक्रिया को मजबूत बनाया जा सके। हालांकि, पिछले एक दशक में जी-20 की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ निम्न हैं:-

1. वित्तीय विनियमन का दायरा काफी हद तक व्यापक हुआ है और विवेकपूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत किया गया है।
2. जी-20 ने मैक्रो इकोनॉमिक सहयोग बढ़ाने के लिए सदस्य देशों के बीच नीति समन्वय को बढ़ावा दिया है।
3. जी-20 आई एम एफ और विश्व बैंक के शासन में महात्वाकांक्षी सुधार की मांग करता है जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं की जरूरतों को ध्यान में रखेगा और वैश्विक वित्तीय शासन की प्रभावशीलता में सुधार करेगा। आई एम एफ और विश्व बैंक के पुनर्गठन की मांग करने वालों में भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका सबसे आगे रहे हैं।

इस प्रकार हम पाते हैं कि जी-20 का 21वीं सदी में प्रमुख वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों की दिशा और अवधि निर्धारित करने एवं किसी भी सदस्य देश के लिए इस वैश्विक मंच की अध्यक्षता ग्रहण करना एक बड़ी चुनौती है। साथ ही यह किसी भी सदस्य देश के लिए 20 साल में एक बार अवसर है।

जी-20 के अध्यक्ष के रूप में भारत के सामने चुनौतियाँ

जी-20 की अध्यक्षता में भारत ने खाद्य और उर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमबीडी) को मजबूत करने, समावेशिता, न्याय संगत एवं सतत विकास, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढ़ांचे और जलवायु वित्त पोशण के व्यापक आर्थिक प्रभावों पर विशेष ध्यान देने की प्राथमिकतायें निर्धारित की है।

लेकिन, भारत को पूर्व-पश्चिम संघर्ष को कम करने के लिए दोनो पक्षो के पक्षपातपूर्ण दबावों पर काबू पाने के लिए एक नाजुक संतुलन बनाना होगा। भारत को वैश्विक समुदाय के हितों के साथ-साथ अपने स्वयं के रणनीतिक स्वार्थों का भी उचित ध्यान रखना होगा। भारत को भू-राजनीति की अस्थिरता के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में मंदी विरासत में मिली है। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में बाधित आपूर्ति श्रंखला, उर्जा की बढ़ती कीमतें जैसी चुनौतियाँ पैदा की है।

यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद दुनिया व्यापक परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है। चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध, ताइवान के प्रति चीन की बढ़ती हुई आक्रामकता, आर्थिक मंदी, उर्जा और खाद्यान्न संकट से दुनिया के देश दो-दो हाथ करते दिख रहे हैं। वहीं, यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद दुनिया दो भागों में बंट गई है। लेकिन अहम बात यह कि भारत का पश्चिमी देशों और रूस दोनों के साथ संबंध अच्छे हैं। साथ ही भारत लगातार रूस से शांतिपूर्ण समाधान की बात कर रहा है। भारत इस युद्ध को लेकर बीच में बैठा है।

साथ ही ईंधन की कमी या ईंधन में मूल्य वृद्धि मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में परेशानी पैदा कर सकती है। रूस-यूक्रेन संघर्ष ने ईंधन की कीमतें बढ़ाई है जिससे उर्वरकों और भोजन की कमी हो गई। प्रतिबंधों और ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बाद वैश्विक उर्वरक बाजारों में रूसी और यूक्रेनी नाइट्रोजन और पोटाश की आपूर्ति में कटौती ने खाद्य आपूर्ति के संकट को बढ़ाया है। कुछ अफ्रीकी देशों में उर्वरकों की लागत 300 प्रतिशत तक बढ़ी है। इस प्रकार खाद्य कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने की दिशा में भारत की भूमिका को एक चुनौती माना जा रहा है। भारत को जी-20 के अपने अध्यक्षता के दौरान ईंधन, उर्वरक और खाद्य संकट की श्रंखला को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यह वास्तव में एक उल्लेखनीय चुनौती है, जो पृथ्वी ग्रह पर मानव जाति से सीधे जुड़ी हुई है।

इसके अलावे दक्षिण के देशों के लिए उर्जा सुरक्षा के मुद्दे, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में निकट भविष्य के लिए जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता, जलवायु परिवर्तन और उसके परिणामस्वरूप आने वाली आपदाओं से निपटने की मांग विकास वित्त के समान वितरण की मांग एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के विकास परियाजनाओं के वित्तपोशण की मांग एवं गरीबी उन्मूलन जैसे मुद्दों को उठाना एवं व्यवहारिक अंतर्राष्ट्रीय शासन विकसित करने के लिए बातचीत करनी एवं इन मुद्दों पर आम सहमति हासिल करना सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही चीन का उदय भारत के नेतृत्व और बहुपक्षवाद के घटते युग में जी-20 की विश्वसनीयता को पुनर्जीवित करने की क्षमता की परीक्षा लेगा। यूक्रेन के साथ संघर्ष में रूस को चीन के समर्थन को देखते हुए चीन हमेशा रूस के पक्ष में रहेगा। भारत की अध्यक्षता को चीन विफल करना चाहेगा। जैसे जी-20 के लोगो में संस्कृत शब्द 'वसुधैव कुटुम्बकम' का विरोध। इसलिए भारत द्वारा उचित सावधानी और पहल करनी भी एक बड़ी चुनौती है। भारत को अपनी रचनात्मक वार्ता और कूटनीति जारी रखनी चाहिए, जिसका उपयोग उसने यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता की निंदा करने के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बाली शिखर सम्मेलन में प्रभावी ढ़ंग से किया था। लेकिन भारत को बहुत ही सतर्क रहना होगा क्योंकि रूस द्विपक्षीय और साथ ही कई बहुपक्षीय मंचों पर भारत का समय की कसौटी पर खरा उतरा सहयोगी रहा है। आज भी रूस भारत के लिए तुलनात्मक रूप से सस्ते तेल का श्रोत है। इसलिए ऐसे सहयोगी को एक हद से ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए।

जी-20 के अध्यक्ष के रूप में भारत के लिए संभावनायें

भारत वैश्विक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अपनी जी-20 अध्यक्षता का उपयोग कर सकता है। भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और निकट भविष्य में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। भारत अपनी जी-20 अध्यक्षता का उपयोग उन नीतियों को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है जो वैश्विक आर्थिक वृद्धि और विकास का समर्थन करती है।

भारत की सांस्कृतिक और सभ्यागत विरासत ने हमेशा प्रकृति के साथ सद्भाव से रहने और सभी प्राणियों के कल्याण की बात पर बल दिया है। भारत अपनी जी-20 अध्यक्षता का उपयोग उन नीतियों को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है जो पर्यावरण संरक्षण और विकास को बढ़ावा देती है। साथ ही भारत अपनी जी-20 की अध्यक्षता का उपयोग वैश्विक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है। चूँकि भारत में एक समृद्ध नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र है जो कई स्टार्टअप और प्राद्यौगिकी कंपनियों को जन्म दिया है। भारत नवाचार और प्राद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को बढ़ावा देने के लिए जी-20 की अध्यक्षता का उपयोग कर सकता है। इन्हीं नवाचार और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर भारत अपनी वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भी कर सकता है, जैसे-अनुसंधान और विकास के लिए धन बढ़ाना, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार करना और स्वस्थय जीवन शैली को बढ़ावा देना। आज विश्व के सामने प्रमुख चुनौतियों में से एक यूक्रेन में चल रहा संकट है जिसने भू-राजनीतिक तनाव को बढ़ाया है। एक जिम्मेदार शक्ति और लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत क्षेत्र में तनाव कम करने में मदद करने और इसमें शामिल पक्षों के मध्य शांतिपूर्ण संवाद को बढ़ावा देने में अपनी रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। इस प्रकार विश्व शंति को बढ़ावा देने के लिए भारत का दृष्टिकोण संवाद, कूटनीति और आपसी सम्मान की शक्ति में विश्वास पर आधारित है। शंति, अहिंसा और भाईचारे के सार्वभौमिक मूल्यों पर भारत का जोर और वैश्विक सहयोग एवं एकजुटता को बढ़ावा देने की इसकी प्रतिबद्धता आज इसे विश्व में शंति और स्थिरता के लिए एक शक्तिशाली आवाज उठाने का माध्यम जी-20 की अध्यक्षता के रूप में प्रदान करती है।

भारत की जी-20 अध्यक्षता एक समावेशी और पारदर्शी डिजिटल एजेंडे को आगे बढ़ाने का अवसर प्रस्तुत करती है जो भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित है। महामारी कोविड-19 के दौरान डिजिटल प्लेटफार्म के सफल उपयोग ने सबसे गरीब समुदायों के लिए नगद हस्तांतरण और टीकाकरण अभियान की सुविधा प्रदान की। जी-20 की अध्यक्षता, भारत को अन्य सदस्यों के साथ एक सुरक्षित, सस्ती और मजबूत डिजिटल अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देने के लिए अवसर प्रदान करेगा। साथ ही अपने जी-20 अध्यक्षता के माध्यम से भारत का उद्देश्य उन नीतियों को बढ़ावा देना है जो महिलाओं की उद्यमिता, वित्त तक पहुँच और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्यबल की भागीदारी का समर्थन करती है।

जी-20 अध्यक्ष के रूप में भारत को बहुपक्षीय संगठनों में सुधार पर जोर देने का अवसर भी प्रदान करता है जिसमें IMF, WTO एवं UN शामिल है, ताकि अधिक जबावदेह, समावेशी, न्यायसंगत और प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनाई जा सके, जो 21वीं सदी की

चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भारत को जल्द से जल्द समझौते और कार्यान्वयन पर जोर देने के लिए अन्य जी-20 सदस्यों का समर्थन मांगना चाहिए। भारत के लिए फोकस का एक अन्य क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र विशेष रूप से सुरक्षा परिषद में सुधार है।

निष्कर्ष:-

इस प्रकार जी-20 में भारतीय नेतृत्व को विकासशील देशों के साथ जुड़ने, इस अवसर का उपयोग वैश्विक दक्षिण की आवाज को उभारने, बहुपक्षीय मंचों में सुधार, साइबर सुरक्षा पर अंतराष्ट्रीय सहयोग, विकासशील देशों पर बढ़ती चीनी ऋणों का दबाव, आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और कनेक्टिविटी, जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रिय सहयोग जैसे अनेक ऐसे मुद्दों को अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व और प्रभाव के द्वारा समाधान करने का अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है। भारत के लिए अब जी-20 की अध्यक्षता रूपी मंच तैयार है कि वह नेतृत्व करे और विश्व कैनवास पर सभी के लिए विकास की दिशा में काम करें जिससे विश्व व्यवस्था को द्वि-ध्रुवीय अधिपत्य की एक और वापसी से बचाया जा सके।

संदर्भ:-

1. बनर्जी, तीर्थो (2022) जी 20 क्या है औश्र भारत को अध्यक्षता संभालने के दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? इंडिया टुडे। नई दिल्ली, 8 नवंबर, 2022
2. Hussain, Mehdi (2023) Challenes to India's G20 presidency and effectiveness of G20 framework. The Hindustan Times, 27 January, 2023.
3. Anand, Mohit(2022) opportunities and challenges of India's G20 presidency. Politico, opinion, 27 December, 2022. Available at : https://www.politico.eu/article/opportunities-and-challenges-of-india-pm-narendra-modi-g20-presidency/
4. जोशी, अंशु (2023) भारत की अध्यक्षता में जी-20:जनभागीदारी का स्वर्णिम काल, भारत की जी-20 अध्यक्षता, वर्ल्ड फोकस, मई 2023, आई0पी0 एक्सटेंशन, दिल्ली-110092.
5. Diplomat Brief, March 15, 2023, available at https://bit.ly/3UhwNKo
6. Banarjee, Chandrajit(2022) India's G20 presidency is a unique oportunity for businesses, businessline November 28, 2022.
7. Roy Choudhari, Dipanjan 2022 Breakthrough 2023: G20 presidency is an opportunity to present diversity that is India to the world. The Economic Times December 20,2022.
8. "India's challenges at it takes over the G20 presidency" Indian Express, December 01, 2022
9. विभाजित दुनिया को एकजुट करने को बेहतरीन मौका, निहार सक्सेना, न्यूज नेशन, 13 नवंबर, 2022.
10. India can play big global role with G20 presidency. The Pioneer, 1 December, 2022.

महाभारत काल में महिलाओं की स्थितिः एक अध्ययन

डॉ० सूर्य नारायण मंडल

पीएचडी, इतिहास विभाग, बी० एन० एम० यू०, मधेपुरा

शोध-सार

महाभारत, जो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अपने कथानक में तत्कालीन समाज की संरचना एवं विशेषताओं को प्रतिबिंबित करता है। इस अध्ययन में महाभारत काल में महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं पारिवारिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है। महाभारत में वर्णित पात्र, जैसे द्रौपदी, कुंती, गांधारी, सत्यवती आदि, उस युग में महिलाओं की भूमिका, उनके अधिकारों, कर्तव्यों एवं संघर्षों को दर्शाते हैं। महाभारत काल में महिलाओं को शिक्षित होने, नीति व दर्शन में भाग लेने और राजकीय निर्णयों में योगदान देने का अवसर प्राप्त था, किन्तु समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था भी विद्यमान थी, जिसके कारण वे अनेक सामाजिक बंधनों से बंधी हुई थीं। विवाह प्रणाली, पतिव्रता धर्म, सती प्रथा एवं स्त्रियों की स्वतंत्रता जैसे विषयों पर भी इस अध्ययन में विचार किया गया है। यह शोध ग्रंथ महाभारत के विभिन्न प्रसंगों एवं विद्वानों के विचारों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यद्यपि महिलाओं को कुछ अधिकार एवं स्वतंत्रता प्राप्त थी, फिर भी समाज में उनकी स्थिति पुरुषों की अपेक्षा सीमित थी। यह अध्ययन महाभारत कालीन समाज की स्त्री संबंधी नीतियों एवं उनके दीर्घकालिक प्रभावों को समझने में सहायक होगा।

शब्दकुंजी- महाभारत, महिलाओं की स्थिति, पितृसत्ता, द्रौपदी, स्त्री अधिकार, सामाजिक संरचना

परिचय

महाभारत भारतीय संस्कृति, दर्शन और सामाजिक संरचना का एक प्रमुख ग्रंथ है, जो न केवल एक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, बल्कि तत्कालीन समाज की रीति-नीतियों, मूल्यों और परंपराओं का भी दर्पण है। इस ग्रंथ में समाज के विभिन्न वर्गों की भूमिका और स्थिति का विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है, जिनमें महिलाओं की स्थिति विशेष रूप से विचारणीय है। महाभारत काल की महिलाएँ समाज के विविध पहलुओं से जुड़ी माता, पत्नी, पुत्री, रानी और दार्शनिक के रूप में समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती थीं। इस अध्ययन का उद्देश्य महाभारत काल में महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और पारिवारिक स्थिति का विश्लेषण करना है। महाभारत में वर्णित प्रमुख महिला पात्र, जैसे द्रौपदी, कुंती, गांधारी, सत्यवती, मद्री, उलूपी आदि, विभिन्न परिस्थितियों में स्त्रियों की भूमिका, उनके अधिकारों, संघर्षों और सीमाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इन पात्रों के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि उस समय महिलाओं को कितनी स्वतंत्रता प्राप्त थी और वे किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था में जीवन यापन कर रही थीं। महाभारत कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति दो विरोधाभासी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। एक ओर उन्हें सम्मान और गरिमा प्राप्त थी, जहाँ वे शिक्षा, नीति, धर्म और शासन में योगदान देती थीं, वहीं दूसरी ओर वे पितृसत्तात्मक समाज की कठोरता और सीमाओं से भी प्रभावित थीं। विवाह प्रणाली, सती प्रथा, विवाह के नियम, शिक्षा का स्तर, अधिकारों और कर्तव्यों की अवधारणा जैसे विषय इस अध्ययन का मुख्य केंद्र हैं। यह अध्ययन महाभारत के विभिन्न प्रसंगों और विद्वानों के विचारों के आधार पर महिलाओं की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इससे यह समझने में सहायता मिलेगी कि किस प्रकार महाभारत काल की महिलाओं की स्थिति ने आगे आने वाले समाजों और भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही महिलाओं को विशेष स्थान प्रदान करती आई है। वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में महिलाओं की स्थिति का विविध रूपों में उल्लेख मिलता है। महिलाओं की भूमिका केवल परिवार तक सीमित न होकर शिक्षा, राजनीति, धर्म और सामाजिक व्यवस्थाओं में भी महत्वपूर्ण रही है। हालाँकि, समय के साथ सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया, और महिलाओं की स्थिति में उतार-चढ़ाव देखने को मिला।

प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति

वेदों में महिलाओं को उच्च सम्मान प्राप्त था। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने और विदुषी बनने का अवसर दिया जाता था। गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, लोपामुद्रा जैसी विदुषियाँ इसका प्रमाण हैं। विवाह संस्कारों में महिलाओं की सहमति आवश्यक थी, और उन्हें गृहस्थ जीवन में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे।

महाभारत और रामायण काल में महिलाओं की स्थिति

महाभारत और रामायण काल में महिलाओं की स्थिति जटिल थी। एक ओर द्रौपदी, कुंती, सत्यवती और गांधारी जैसी नारी पात्र अपनी बुद्धिमत्ता और नीति कौशल का परिचय देती हैं, तो दूसरी ओर सामाजिक संरचना पितृसत्तात्मक हो चुकी थी, जहाँ महिलाओं को कई सामाजिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था। इसी प्रकार, रामायण में सीता और मंदोदरी जैसी महिलाओं का चरित्र स्त्री के त्याग, धैर्य और संघर्ष को दर्शाता है।

मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति

मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों ने उनके जीवन को सीमित कर दिया। हालांकि, रानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई, रजिया सुल्तान जैसी महिलाओं ने समाज में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई।

आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति

आधुनिक काल में महिलाओं ने शिक्षा, राजनीति, विज्ञान और कला के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों को छुआ है। भारत में सावित्रीबाई फुले, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला जैसी महान महिलाओं ने समाज को नई दिशा प्रदान की है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं की स्थिति समय के साथ बदली है। जहाँ प्राचीन काल में उन्हें सम्मान प्राप्त था, वहीं मध्यकाल में उनकी स्वतंत्रता सीमित हो गई। आधुनिक काल में फिर से महिलाओं ने शिक्षा, अधिकार और समानता की ओर कदम बढ़ाए हैं। समाज में महिलाओं की भूमिका को और सशक्त बनाने के लिए शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक जागरूकता आवश्यक है। महाभारत काल में महिलाओं की स्थिति समाज में महत्वपूर्ण लेकिन जटिल थी। इस युग में महिलाओं को सम्मान दिया जाता था, परंतु कुछ सीमाएँ भी थीं।

शिक्षा और स्वतंत्रता

महाभारत काल की कई महिलाएँ शिक्षित और स्वतंत्र विचारों वाली थीं। उदाहरण के लिए द्रौपदी बुद्धिमान, साहसी और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली महिला थीं। कुंती धर्म, नीति और राजनीति की गहरी समझ रखती थीं। गांधारी अपने पति धृतराष्ट्र के प्रति समर्पित थीं, लेकिन राज्य के मामलों में भी उनकी भूमिका थी।

स्वयंवर और विवाह प्रणाली

उस समय स्वयंवर की परंपरा थी, जहाँ स्त्रियाँ अपने पति को स्वयं चुन सकती थीं। हालाँकि, विवाह के बाद महिलाओं को मुख्य रूप से गृहस्थ जीवन तक सीमित कर दिया जाता था।

पति के प्रति समर्पण और त्याग

स्त्रियों को पतिव्रता धर्म का पालन करना आवश्यक माना जाता था। गांधारी ने अपने पति की तरह आजीवन आँखों पर पट्टी बाँधकर उनका साथ निभाया।

अन्याय और संघर्ष

द्रौपदी का चीरहरण महाभारत के सबसे दुखद घटनाक्रमों में से एक था, जिसने स्त्रियों की असुरक्षा को उजागर किया। इस घटना के बाद द्रौपदी ने प्रतिशोध की शपथ ली, जिससे युद्ध की भूमिका बनी।

नारी शक्ति और भूमिका

स्त्रियाँ केवल परिवार तक सीमित नहीं थीं, वे नीति और युद्ध की रणनीति में भी भूमिका निभाती थीं। सत्यवती जैसी महिलाएँ राजनीति में प्रभावी थीं। महाभारत काल में महिलाओं को सम्मान और अधिकार दिए गए थे, लेकिन वे पुरुषों के अधीन भी थीं। इस युग में स्त्रियों की स्थिति शक्ति और संघर्ष दोनों का मिश्रण थी। महाभारत की शुरूआत राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से होती है। सत्यवती के बारे में पढ़ने पर पता चलता है कि यह एक ऐसी महिलर थीं जिसके कारण भीष्म को ब्रहाचर्य की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी कहते है। कि सत्यावती ही एक प्रमुख कारण थी जिसके चलते हस्तिनापुर की गद्दी से कुरूवंश नष्ट हो गया है। यदि भीष्म सौंगध नहीं खाते तो सत्यवती के पराशर से उत्पनन पुत्र वेदव्यास के 3 पुत्र पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर हस्तिनापुर के शासक नहीं होते या कहें कि उनका जन्म ही नहीं होता। तब इतिहास ही कुछ और होता। सत्यावती के बाद यदि राजकाज में किसी का दखल था तो वह थी धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी कहते हैं कि गांधारी का विवाह भीष्म ने जबरदस्ती धृतराष्ट्र से करवाकर उसके सम्पूर्ण परिवार को बंधक बनाककर

रखा था। गांधारी के लिए यह सबसे दुखदायी बात थी। गांधारी के लिए आंखों पर पट्टी बांधने को एक कारण यह भी था। धृतराष्ट्र आंखों से नहीं, मन से भी अंधों की भांति व्यवहार करते थे इसलिए गांधारी और उनके भाई शकुनी को अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता संभालनी पड़ी। गांधारी को यह चिंता सताने लगी थी कि कहीं कुंती के पुत्र सिंहासनारूढ न हो जाए। ऐसे में शकुनि ने दुर्योधन के भीतर पांडवों के प्रति घृणा का भाव कर दिया था। हालांकि यह भी कहा जाता था कि शकुनि भीष्म, धृतराष्ट्र आदि से बदला लेना चाहता था। इसीलिए उसने यह षडयंत्र रचा था। भारतवर्ष के इतिहास में मातृशक्ति का समय-समय पर अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है खासतौर पर महाभारत और रामायण काल में उनकी भूमिकाएं अद्‌भुत रही हैं। इन दोनों ही काल में महिलाएं जितनी स्वतंत्र उतनी परतंत्र भी थीं, लेकिन कई मौकों पर उन्होंने अपनी जिद या ज्ञान-शौर्य के आगे बड़े-बड़े महारथियों को भी लोहे के चने चबा दिए। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही महिलाओं की कहानियां। राजा शांतनु की पहली पत्नी गंगा के जाने के बाद वह एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्रेम विवाह कर बैठते हैं, लेकिन सत्यवती इसी शर्त पर उनसे विवाह करने के लिए राजी होती है कि गंगापुत्र देवव्रत नहीं, सत्यवती से जन्मी संतान ही हस्तिनापुर का राज सिंहासन संभालेगी। इसके चलते देवव्रत को ताउम्र ब्रह्मचर्य की भीष्म प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। सत्यवती के ऋषि पाराशर से उत्पन्न बेटे वेद व्यास के जरिए ही कुरुवंश में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जन्मे। सत्यवती जिद न होती तो हस्तिनापुर के सिंहासन पर भीष्म आसीन होते और महाभारत का इतिहास ही कुछ और होता। सत्यवती के बाद राजकाज में किसी का दखल आया तो वह गांधार राजकुमारी और धृतराष्ट्र की पत्नीं गांधारी रहीं। कहा जाता है कि गांधारी का विवाह भीष्म ने जबरदस्ती धृतराष्ट से करवाकर पूरे परिवार को बंधक बना लिया था। गांधारी के लिए आंखों पर पट्टी बांधने का एक कारण यह भी था। धृतराष्ट्र के अंधेपन के चलते गांधारी और शकुनि को अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता संभालनी पड़ी। गांधारी को चिंता थी कि कहीं कुंती के बेटे राजपाट न ले लें, इसलिए उन्होंने शकुनि के जरिए दुर्योधन के भीतर पांडवों के प्रति घृणा भर दी। गांधारी ने ही अपनी शक्ति से दुर्योधन के अंग को वज्र बना दिया था, लेकिन श्रीकृष्ण के बहका देने से उसकी जंघा वैसी ही रह गई। गांधारी मानती थी कि श्रीकृष्ण के कारण युद्ध हुआ और उन्हीं के कारण उनके पुत्र मारे गए, तभी गांधारी ने श्रीकृष्ण को कुल नाश का श्राप दे दिया था। कुंती महाभारत का सबसे बड़ी महिला किरदार रहीं। वे एक शक्तिशाली महिला बनकर हस्तिनापुर में प्रवेश करती हैं, कुंती और माद्री दोनों पांडु की पत्नियां थीं। यदि पांडु को शाप नहीं लगता तो उनका कोई पुत्र होता, जो गद्दी पर बैठता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पांडु के आग्रह पर कुंती-माद्री ने एक-एक कर देवताओं का आवाहन किया। तब कुंती को तीन और माद्री को दो पुत्र प्राप्त हुए। कुंती ने धर्मराज, वायु एवं इन्द्र देवता का आवाहन किया था तो माद्री ने अश्विन कुमारों का. इससे पहले कुंती ने विवाहपूर्व सूर्य से कर्ण को प्राप्त कर नदी में बहा दिया। पांडु के देहांत के बाद शोक में माद्री उनके साथ सती हो गई। ऐसे में कुंति ने पांच पुत्रों के भविष्य के लिए हस्तिनापुर आई। वहां पति पांडु के सभी हितैषियों से समर्थन जुटाया. कुंती के कहने पर धृतराष्ट्र और गांधारी को पांडवों को पांडु पुत्र मानना पड़ा। सास कुंती के आदेश पर द्रौपदी के लिए पांचों पांडवों से विवाह करना कठिन निर्णय था, लेकिन परंपरा के विरुद्ध उसने किया। दुनिया के सामने नया उदाहरण रखते हुए सम्मान भी प्राप्त किया। द्रौपदी को महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण माना गया. द्रौपदी ने ही दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ में कहा था, 'अंधे का पुत्र भी अंधा। यही बात दुर्योधन को धंस गई। यही द्यूतकीड़ा में उसने शकुनि के साथ पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए राजी कर लिया था, जिसमें हार के बाद द्रौपदी का चीरहरण हुआ और उसकी दुशासन के खून से बाल धोने की शपथ ली थी। कृष्ण की बहन सुभद्रा ने अर्जुन से शादी की थी. मगर बड़े भाई बलराम उनका विवाह कौरव कुल में कराना चाहते थे। मगर कृष्ण ने अर्जुन के हाथों सुभद्रा का हरण करवा दिया. द्वारिका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह हुआ। इसके बाद एक वर्ष तक दोनों द्वारिका में रहे। शेष पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने पर अर्जुन सुभद्रा संग इन्द्रप्रस्थ लौटे. सुभद्रा को ही गर्भावस्था में अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदन का तरीका सुनाया था, जिसे सुनते ही आधे में ही वह सो गई और अभिमन्यु उससे बाहर निकलने का भेद नहीं जा सके। श्रीकृष्ण की आठ पत्नियों में एक जाम्बवती थीं। जिनके पुत्र साम्ब का दिल दुर्योधन-भानुमती की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे. दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। मगर दुर्योधन पुत्री का विवाह श्रीकृष्ण पुत्र से नहीं करना चाहता था। भानुमती सुदक्षिण की बहन और दुर्योधन की पत्नी थी, इसलिए एक दिन साम्ब ने लक्ष्मणा से प्रेम विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को रथ में बिठाकर द्वारिका ले जाने लगा. कौरवों को पता लगने पर उन्होंने पूरी सेना लेकर साम्ब को बंदी बना लिया। यह बात श्रीकृष्ण-बलराम को पता चली तो बलराम हस्तिनापुर आ धमके। बलराम ने निवेदनपूर्वक कहा कि साम्ब को मुक्त कर उसे लक्ष्मणा संग विदा कर दें, लेकिन कौरवों ने नहीं मानी। तब बलराम ने रौद्र रूप प्रकट किया तो सभी माफी मांगने लगे। इस तरह साम्ब के साथ लक्ष्मणा की विदाई हुई। सत्यभामा श्रीकृष्ण की पत्नी और राजा सत्राजित की पुत्री थीं। सत्यभामा को अपने सुंदर होने और श्रेष्ठ घराने की राजकुमारी होने का घमंड था और देवमाता यानी इंद्र की पत्नी अदिति से उन्हें चिरयौवन का वरदान मिला था। इसके चलते और अहंकारी हो गई। वह राजकार्य और राजनीति में खास रुचि लेती थीं. नरकासुर वध के बाद जब श्रीकृष्ण स्वर्ग गए तो इन्द्र ने उन्हें पारिजात पुष्प दिया. इसे श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी को दे दिया तभी नारदजी आए और सत्यभामा को बताया कि पुष्प के प्रभाव से रुक्मिणी भी चिरयौवन हो गई हैं, यह सुनकर सत्यभामा क्रोधित हो गई और श्रीकृष्ण से पारिजात वृक्ष की जिद्द करने लगीं. सत्यभामा का घमंड आखिरकार हनुमानजी को तोड़ना पड़ा।

साहित्य की समीक्षा

विद्वानों द्वारा किए गए अध्ययन

विमला ठाकुर Vimala Thakur (1989)& Women in the Mahabharata

विमला ठाकुर ने अपनी पुस्तक Women in the Mahabharata में इस बात पर प्रकाश डाला कि महाभारत काल में महिलाएँ शिक्षित, बुद्धिमान और राजनीतिक रूप से जागरूक थीं, लेकिन उनके अधिकार पुरुषों की तुलना में सीमित थे। उन्होंने द्रौपदी, कुंती, गांधारी और सत्यवती जैसी महिलाओं की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया है और तर्क दिया है कि महाभारत काल की महिलाएँ केवल पतिव्रता नहीं थीं, बल्कि उन्होंने राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला।

इरावती कर्वे Irawati Karve (1968)& Yuganta: The End of an Epoch

इरावती कर्वे ने अपनी प्रसिद्ध कृति Yuganta में महाभारत पात्रों का ऐतिहासिक विश्लेषण किया है। उन्होंने द्रौपदी के चरित्र को एक सशक्त महिला के रूप में चित्रित किया है, जो अपने सम्मान के लिए संघर्ष करती है। कर्वे के अनुसार, महाभारत काल में महिलाओं के अधिकार सीमित थे, लेकिन वे परिस्थितियों से जूझने में सक्षम थीं।

ए. एल. बाशम (A-L- Basham 1954)& The Wonder That Was India

बाशम ने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर अपने प्रसिद्ध ग्रंथ The Wonder That Was India में महाभारत काल की महिलाओं की स्थिति का उल्लेख किया है। वे लिखते हैं कि वैदिक काल की तुलना में महाभारत काल में महिलाओं की स्वतंत्रता घटी थी और उन्हें मुख्य रूप से परिवार और विवाह तक सीमित कर दिया गया था।

माधवी कोल्हटकर (Madhavi Kolhatkar 2010)& Women in Sanskrit Epics: An Analytical Study

माधवी कोल्हटकर ने संस्कृत महाकाव्यों में महिलाओं की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन किया है। उन्होंने दिखाया है कि महाभारत में महिलाएँ सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों से बंधी थीं, लेकिन द्रौपदी जैसी पात्रों ने अपने आत्म-सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया।

महाभारत में प्रमुख महिलाओं की स्थिति

द्रौपदी-एक विद्रोही नारी

विमला ठाकुर (1989) के अनुसार, द्रौपदी एक सशक्त नारी थी, जो अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित हुई।

इरावती कर्वे (1968) ने द्रौपदी को पुरुष प्रधान समाज में एक क्रांतिकारी स्त्री के रूप में देखा है।

कुंती-धर्म और नीति की ज्ञाता

माधवी कोल्हटकर (2010) ने कुंती को एक बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ महिला के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसने अपने पुत्रों को धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया।

बाशम (1954) के अनुसार, कुंती का जीवन त्याग और समर्पण का प्रतीक था।

गांधारी- पतिव्रता और त्याग की मूर्ति

विमला ठाकुर (1989) ने लिखा है कि गांधारी का अपनी आँखों पर पट्टी बाँधना, उनके पति के प्रति समर्पण का प्रतीक था, लेकिन यह भी दिखाता है कि महिलाओं को अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता था।

बाशम (1954) के अनुसार, गांधारी का निर्णय महिलाओं की सीमित स्वतंत्रता को दर्शाता है।

सत्यवती एक राजनैतिक महिला

इरावती कर्वे (1968) ने सत्यवती को एक चतुर महिला बताया है, जिन्होंने अपने परिवार और राजवंश की स्थिरता के लिए कठिन निर्णय लिए।

समकालीन परिप्रेक्ष्य आधुनिक विद्वानों ने महाभारत काल की महिलाओं की स्थिति की तुलना आज की परिस्थितियों से की है।

डॉ. शोभा वर्मा (2020) के अनुसार, महाभारत काल की महिलाओं की स्थिति ने आधुनिक नारीवाद को प्रेरित किया है।

डॉ. आर.एस. शर्मा (2015) का कहना है कि महाभारत काल में महिलाओं के अधिकार सीमित थे, लेकिन उनके संघर्षों ने समाज में बदलाव लाने का कार्य किया। महाभारत काल में महिलाओं की स्थिति पर विभिन्न विद्वानों ने गहन अध्ययन किया है। यह स्पष्ट

होता है कि महिलाएँ शिक्षित और बुद्धिमान थीं, लेकिन उनकी स्वतंत्रता सामाजिक और पारिवारिक सीमाओं के भीतर थी। विवाह के बाद महिलाओं से समर्पण और त्याग की अपेक्षा की जाती थी। कुछ महिलाओं ने समाज और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन फिर भी वे पुरुष प्रधान समाज में सीमित थीं। महाभारत में महिलाओं की स्थिति से हमें यह सीख मिलती है कि समाज में स्त्रियों की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी रही हों। आधुनिक संदर्भ में यह अध्ययन नारी सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है।

उद्देश्य

महाभारत काल में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन एक महत्वपूर्ण सामाजिक और ऐतिहासिक विषय है, जो प्राचीन भारतीय समाज में स्त्रियों की भूमिका, अधिकारों और सीमाओं को समझने में सहायक है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित है।

- महाभारत काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का विश्लेषण करना।
- महिला पात्रों के जीवन और उनके संघर्षों का अध्ययन करना।
- महाभारत काल की विवाह प्रणाली और महिलाओं की भूमिका को समझना।
- पति के प्रति महिलाओं के समर्पण और त्याग का विश्लेषण।
- महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक प्रभावशीलता की समीक्षा करना।
- महाभारत काल में महिलाओं की स्थिति और आधुनिक संदर्भों की तुलना करना।

निष्कर्ष

महाभारत काल में महिलाओं की स्थिति बहुआयामी और जटिल थी। एक ओर, महिलाएँ शिक्षित, बुद्धिमान और प्रभावशाली थीं, वहीं दूसरी ओर, वे सामाजिक व पारिवारिक संरचनाओं में बंधी हुई थीं। उनका जीवन कर्तव्य, त्याग और समर्पण पर आधारित था, विशेष रूप से विवाह के बाद उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती थी। शिक्षा और ज्ञान महाभारत की कई प्रमुख महिलाएँ जैसे कुंती, द्रौपदी, गांधारी और सत्यवती धर्म, राजनीति और नीति में पारंगत थीं। यह दर्शाता है कि महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर था, लेकिन उनके ज्ञान का उपयोग मुख्य रूप से पारिवारिक और सामाजिक उद्देश्यों तक सीमित था। विवाह प्रणाली और दायित्व विवाह महिलाओं के जीवन का महत्वपूर्ण पहलू था। स्वयंवर प्रणाली में महिलाओं को वर चुनने की स्वतंत्रता थी, लेकिन विवाह के बाद उनसे पति और परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की अपेक्षा की जाती थी। बहुपतित्व द्रौपदी का पाँच पांडवों से विवाह और अनिवार्य विवाह गांधारी का धृतराष्ट्र से विवाह जैसी प्रणालियाँ यह दर्शाती हैं कि कई बार महिलाओं की इच्छाओं की उपेक्षा की जाती थी। पति के प्रति समर्पण और त्याग महाभारत में कई महिलाएँ त्याग और समर्पण का प्रतीक बनीं। गांधारी ने अपने पति के प्रति समर्पण दर्शाने के लिए आजीवन अपनी आँखों पर पट्टी बाँध ली, कुंती ने अपने पुत्रों के भविष्य को संवारने के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग किया, और द्रौपदी ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव सत्यवती, कुंती और द्रौपदी जैसी महिलाओं ने सामाजिक और राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित किया। वे केवल गृहिणियाँ नहीं थीं, बल्कि राजनैतिक घटनाओं को दिशा देने वाली सशक्त हस्तियाँ भी थीं। नारी सशक्तिकरण का संदेश महाभारत की महिलाएँ सशक्त थीं, लेकिन पुरुष प्रधान समाज में सीमित अधिकार रखती थीं। हालाँकि, उनके संघर्षों और निर्णयों से आधुनिक समाज में नारी सशक्तिकरण की प्रेरणा मिलती है।

संदर्भ-सूची

1. ठाकुर, विमला. महाभारत में महिलाएँ, 1989.
2. कर्वे, इरावती. युगांतरू एक युग का अंत, 1968.
3. बाशम, ए.एल. द वंडर दैट वाज इंडिया, 1954.
4. कोल्हटकर, माधवी. संस्कृत महाकाव्यों में महिलाएँ एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, 2010.
5. शर्मा, आर.एस. प्राचीन भारतीय समाज, 2015.
6. वर्मा, शोभा. नारीवाद और महाकाव्य, 2020.

कृषि विकास पर मजदूरों के पलायन से पड़ते प्रभाव

डॉ० सरोज कुमार

भूगोल शिक्षक, उ0 मा0 वि0 चौखण्डा चितौली, सासाराम, रोहतास

डॉ० जमील अहमद (RTD)

विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग, श्री शंकर कॉलेज तकिया, सासाराम, रोहतास

शोध-सार

बिहार में मजदूरों का पलायन वर्षों पहले से हो रहा है, और समय के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन बढ़ा है। पलायन का मुख्य कारण जोत का आकार छोटा होना या भूमि हीन होना, कृषि से प्राप्त आय का काफी कम होना, संरचनात्मक सुविधावों की कमी, बेरोजगारी, सामाजिक सुरक्षा का अभाव इत्यादि है। जिसके कारण ये प्रवासी श्रमिक अन्य स्थानों पर पलायन के लिए मजबूर होते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति इस बात से भी स्पष्ट होती है कि ये अपनी आय का बड़ा हिस्सा अपने परिवार को आजीविका चलाने हेतु भेजते हैं, और स्वयं कम पैसों में बड़े कष्ट के साथ अस्वस्थकर स्थानों पर निवास करते हैं, जिसका प्रभाव उनकी कार्य क्षमता पर पड़ता है। पलायन में समय के साथ-साथ वृद्धि के कारण ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्र प्रभावित होता है, जिसके दो पहलू हैं, सकारात्मक तथा नकारात्मक।

एक ओर यह माना जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र से हो रहे पलायन से भूमि पर अतिरिक्त भार कम हो रहा है। किन्तु दुसरी तरफ इसका नाकारात्मक प्रभाव कृषि सम्बंधित कार्यों तथा वहाँ की सभ्यता संस्कृति पर पड़ रहा है। शहरी क्षेत्रों में भी विकास के साथ-साथ अनावश्यक भार या अतिरिक्त जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि कार्य स्थलों पर श्रम कानून का अधिनियमन किया जाना चाहिए। प्रवासी श्रमिकों के लिए पूरे देश में श्रम बाजार को विभाजित कर कार्य-काल की सुरक्षा के साथ एक अलग श्रम बाजार विकसित किया जाना चाहिए, साथ ही प्रवासी श्रमिक आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठा सकें, इसके लिए सरकार द्वारा उन्हें पहचान-पत्र जारी किया जाना चाहिए।

मूल शब्द:- श्रमिक, संरचनात्मक सुविधाएँ, सीमांत किसान, असंगठित क्षेत्र, आर्थिक जीवन।

प्रस्तावना:

प्रवासी श्रमिक वह है, जो रोजगार पाने के उद्देश्य की पूर्ती हेतु अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर, अन्य स्थानों पर स्थाई या अस्थाई रूप से असंगठित क्षेत्र में अपने देश के भीतर या बाहर काम पाने के उद्देश्य से पलायन करता है। प्रवासी श्रमिक आमतौर पर उस देश या क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने का इरादा नहीं रखते हैं, जिसमें वे काम करते है। हमारे देश में अंसगठित क्षेत्र मूलत: ग्रामीण आबादी से विकसित हुआ है, और इसमें अधिकांश वे लोग शामिल हैं, जो गाँव में परम्परागत कार्यों विशेषकर कृषि सम्बंधित कार्यों से जुड़े हैं और शहरों में ये प्रवासी श्रमिक अनेक कार्यों जैसे:- खुदरा कारोबार, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, भंडारण और निर्माण उद्योग में काम करते हैं। इनमें से अधिकांश श्रमिक ऐसे है जो फसल की बुआई और कटाई के समय गाँवों में वापस चले आते हैं और कार्य समाप्त होते ही पुन: वापस आकर शहरों, महानगरों में काम करने के लिए आजीविका तलाशते हैं।

किसी भी देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की तुलना में देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले पलायन की अधिकता है। पलायन से आर्थिक विकास के साथ-साथ पलायनकर्ता का सामाजिक-आर्थिक जीवन भी प्रभावित होता है, यदि हम ध्यान से देखें तो हम पाते है कि, बढ़ती आबादी तथा पलायन परस्पर सम्बंधित है। यदि हम प्रथम जनगणना तथा वर्ष 2011 की जनगणना का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम पाते है कि ग्रामीण आबादी 1951 में 83 प्रतिशत तथा शहरी आबादी 17 प्रतिशत थी। जो वर्ष 2011 में ग्रामीण जनसंख्या घटकर 68 प्रतिशत तथा शहरों में बढ़कर 32 प्रतिशत हो गई, जो समय के साथ ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर बढ़ रहे पलायन को दर्शाता है।

साधारणत: पलायन के सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रभावों को देखा जा सकता है। क्योंकि एक तरफ ये प्रवासी श्रमिक शहरी क्षेत्रों में उत्पादन, विकासात्मक कार्यों, दैनिक जीवन को सरल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देते हैं तो दूसरी तरफ नाकारत्मक प्रभाव के रूप में गाँव की पूरी तरह से देख-भाल नहीं हो पाती है, तथा वहाँ की सभ्यता, संस्कृति भी धिरे-धिरे विलुप्त होती जा रही है।

शहरी क्षेत्र में भी जनसंख्या का बोझ बढ़ जाने से बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने जैसे- स्वच्छ पेय जल, चिकित्सा, शिक्षा की व्यवस्था, संरचनात्मक सुविधाओं के विस्तार में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। अत: कहा जा सकता है कि पलायन गाँव तथा शहरों दोनों जगहों पर सकारात्मक के साथ-साथ नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं।

पलायन के कारणों पर प्रकाश डाले तो हम पाते हैं कि, पलायन के अनेक कारण है, विशेषकर जनसंख्या वृद्धि, कुटीर एवं लघु उद्योग का पतन, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, संयुक्त परिवार के सदस्यों का एक ही सदस्य पर निर्भर होना, यातायात एवं संचार की सुविधाओं का अभाव, सामाजिक दण्ड से बचने के उद्देश्य से, जोत का छोटा आकार इत्यादि है। बिहार के संदर्भ में देखे तो हम पाते है की पलायन का मुख्य कारण जोत का छोटा आकार तथा भूमि हीन होना एवं उचित मजदूरी तथा स्थाई रोजगार का अभाव, कृषि के अतिरिक्त सहायक उद्योग धंधों का अभाव, कौशल का अभाव, शिक्षा की कमी इत्यादि के रूप में देखा जा सकता है।

बिहार आबादी के दृष्टिकोण से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। यदि हम बिहार में जोतों के वितरण 2015-16 के अनुसार हम देखते है कि, बिहार में कृषक सीमांत परिवार 91ण्2 प्रतिशत है। (सीमांत किसान जिनके जोत का आकार 2 हेक्टेयर से भी कम हो)। 2015-16 में इनके पास कुल भू-क्षेत्र का 57ण्7 प्रतिशत हिस्सा था। जोतों का औसत आकार 2015-16 में 0.39 हेक्टेयर था। यदि संख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सीमांत जोतो को संख्या में वृद्धि हुई है तथा अन्य जोतों की संख्या घटी है। 2010-11 तथा 2015-16 में कार्यशील जोतो की संख्या का आकलन करे, तो हम पाते हैं कि सीमांत जोत - 2010-2011 (हजार) में 14744 तथा 2015-16 में 14971 थी तथा लघु जोत - 2010-11 (हजार) में 948 तथा 2015-16 में 944 हो गयी। लघु-मध्यम जोत सं0- 2010-11 (हजार) में 415 तथा 2015-16 में 414 हो गयी। मध्यम तथा वृहत आकार की जोतों की संख्या प्राय: स्थिर रही अर्थात् जोत का आकार का निरंतर छोटा होना, धीरे-धीरे कृषि क्षेत्र से प्राप्त होने वाली आमदनी को घटती दर को प्रदर्शित करता है। क्योंकि छोटे जोत वाले किसानों द्वारा स्वयं एवं परिवार को अनिवार्य आवश्यकता को पूरा कर पाना संभव नहीं है। फलस्वरूप वो अन्य जगहों पर पलायन करने को मजबूर होते हैं।

यदि हम 1998-99 तथा 2009-10 में कुल प्रवास करने वाले प्रवासी श्रमिकों के प्रतिशत को देखें तो हम पाते है कि 1998-99 प्रवासी कामगारों का 16 प्रतिशत था जो 2009-10 में बढ़कर 25 प्रतिशत हो गया। (स्त्रोत प्च्ाए 2010 त्वकहमते एवं अन्य स 2013) तथा भारत के महानिबंधक और जनगणना आयुक्त, जनगणना 2021 के अनुसार कुल प्रवासी की संख्या 1,00,344 जिसमें 55,389 ग्रामीण क्षेत्र से तथा 44,955 शहरी क्षेत्रों से पलायन हुआ है जो अनेक चुनौतियों को जन्म देता है।

मूल तथा गन्तव्य स्थानों पर प्रवासी श्रमिकों की आर्थिक दशा:

बिहार से मजदूरों का पलायन न केवल ग्रामीण बल्कि शहरी क्षेत्रों से भी हुआ है। और इन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है यहाँ बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगिक निवेश में कमी के कारण एक प्रकार का आर्थिक ठहराव आ गया है। अत: पलायन एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत देखा जाने लगा। पलायन मूख्य रूप से रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से हुआ है। (NSS.2018) के अनुसार काम की तलाश में राज्य से बाहर जाकर काम करने वाले कुल मजदूरों में से 79 प्रतिशत गाँव से गाँव में तथा 12 प्रतिशत मजदूर ऐसे हैं जिनका पलायन गाँव से शहरों की ओर हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण (2017-18) के अनुसार 47 प्रतिशत प्रवासी ऐसे हैं, जिसके पास निर्धारित वेतन वाली नौकरियाँ है। 70 प्रतिशत ऐसे प्रवासी कामगार है जो औपचारिक क्षेत्र में कार्य करते है किन्तु कोई तय कॉन्ट्रेक्ट नहीं है। 54 प्रतिशत ऐसे है जिसके पास बीमार पड़ने पर छुट्टी का अधिकार नहीं है। 49 प्रतिशत कामगार ऐसे है जिन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं है। 53 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र मे काम करते हैं। साधारणत: ये टैक्सी ड्राइवर, सड़क किनारे ठेला लगाने वाले इत्यादि हैं।

ग्रामीण बिहार में तीन चौथाई हिस्सा सीमांत किसानों का था। कृषि मजदूरों के रूप में कृषि क्षेत्र पर निर्भर है जहाँ उनकी आय बहुत कम है। (Rodgers एवं अन्य 2013) कहा जाता है कि आजादी के इतने सालों बाद भी उत्पादन अर्द्ध-सामंती है जहाँ कृषि योग्य भूमि के बड़े हिस्से पर मालिकाना हक उच्च जाति के दबंग लोगों के पास है। जाति वर्ग एवं भूमि स्वामित्व, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक ताकत का निर्धारण करती है। भूमिहीन एवं सीमांत किसानों को सहायक रोजगार के अभाव में अपना तथा अपने परिवार की आजीविका चलाने के उद्देश्य से राज्य से बाहर तथा अपने-अपने घरों से दूर रहते हैं। परिणामस्वरूप उनका परिवार सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही विभिन्न सेवाओं और स्कीमों के लिए अपनी पात्रता का दावा कर पाने में असमर्थ होते हैं।

प्रवासन ज्यादातर 15 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के बीच के लोगों का होता है। (Rodgers एवं अन्य 2013) भूमिहीन-श्रमिक, परिवार के भरण-पोषण के उद्देश्य से स्वयं के साथ-साथ अपने 14-15 वर्ष के बच्चों को भी काम करने के लिए अलग-अलग राज्यों में भेजने को मजबूर होते हैं।

मूल निवास स्थान पर जहाँ साधारणत: समाज पितृसतात्मक होती है पूरूषों की अनुपस्थिति में महिलाओं को काम करने के साथ-साथ घर संभालने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ काम के तलाश में बाहर जाने वाले 85 प्रतिशत बिहारी मजदूरों को मात्र 5,000 रू0 प्रति माह से भी कम प्राप्त होता है (प्च्। 2010)। चुँकि उनका पलायन बहुत ही कम उम्र में

हो जाता है अतः आगे चलकर ये अकुशल या अर्द्धकुशल मजदूर बन जाते हैं। निर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र जहाँ ये संलग्न होते हैं खतरनाक, हानिकारक तथा अस्वस्थ्यकर होती है। कार्यस्थल पर इन्हें दुर्घटना होने पर मुआवजा, पीएफ आदि के लाभ से वंचित रखा जाता है। अतः गन्तव्य स्थानों पर भी इनका जीवन बहुत ही असुरक्षित होता है।

बिहार जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। 55.3 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन जीने को मजबूर है, हालांकि पिछले दशक में राज्य में आर्थिक विकास की गति तीव्र हुई है, किन्तु इसक प्रभाव द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों पर ही रहा है। कृषि क्षेत्र में कोई विशेष अन्तर नहीं आया, फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता नहीं होना, ऋणग्रस्तता, जोत का छोटा आकार, निम्न सामाजिक स्तर, कृषि क्षेत्र में संलग्न श्रमिकों में संगठन के अभाव के कारण इनकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती चली गई और एक राज्य से दूसरे राज्यों में पलायन करना इनकी मजबूरी हो गई है। (IPPA 2010) के अनुसार बिहार से दूसरे राज्यों में पलायन करने वालों की संख्या लगभग 44 से 50 लाख है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि श्रमिकों को मूल स्थानों पर ही रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराया जाए, ताकि पलायन की दर को कम किया जा सके।

उद्देश्यः

1. पलायन के कारणों को जानना।
2. प्रवासी श्रमिकों के आर्थिक दशा पर प्रकाश डालना।
3. गन्तव्य स्थानों पर उनकी कार्य स्थिति को दर्शाना।
4. प्रवासी श्रमिको के पलायन का गन्तव्य तथा मूल स्थानों पर पड़ने वाले प्रभावों को जानने का प्रयास करना।

सुझावः

1. पंचायत स्तर पर मजदूरों के निबंधन करने का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे प्रवासी मजदूरों को वास्तविक संख्या, उनकी उम्र तथा उनकी कार्य कुशलता का आकलन सही ढंग से हो सके।
2. इन मजदूरों का कुशलता का उपयोग ग्रामीण विकास में विशेष निति निर्माण के तहत किया जाना चाहिए।
3. बिहार में किये गये अध्ययन में यह पाया गया कि, ज्यादातर पलायन अल्प मजदूरों तथा स्थायी, रोजगार के अभाव में होता है अतः मनरेगा के साथ-साथ अन्य वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था गाँव में ही की जानी चाहिए।
4. प्रवासी मजदूरों के लिए कौशल विकसित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा उनके उपयोग की व्यवस्था की जानी-चाहिए।

निष्कर्षः

निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि, बिहार से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूर, स्वयं ही नहीं अपने साथ नये कौशलों से युक्त होकर वापस आते है अतः इनका उपयोग उचित निति निमार्ण कर ग्रामीण विकास के लिए किया जाना चाहिए। साथ ही हमारी नष्ट होती ग्रामीण सभ्यता संस्कृति एवं परम्परा की रक्षा की जा सके। शहरी क्षेत्रों का विकास भी सुनियोजित ढंग से हो सके। साथ ही सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ इन्हें आसानी से उपलब्ध हो सके इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए।

संदर्भ - सूची

- आर्थिक सर्वेक्षण, 0019-20, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पृ0- सं0- 173.
- बिहार से मजदूरों के प्रवासन पर राज्यस्तरीय परामर्श बैठक, 12/10/2017, पृ0- सं0- 03.
- बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, 2018-19, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पृ0- नं0- 80.
- भारत में आंतरिक प्रवासियों के बेहतर समावेश हेतु भारत में आतंरिक प्रवासन पहल नीति सार, अक्टूबर, 2012, ISBN : 978.81.8921846.1.
- डॉ0 सोलंकी अर्जुन, ''ग्रामीण क्षेत्रों से पलायनः करण एवं परिणाम'', कुरूक्षेत्र, सितम्बर, 2014. पृ0- सं0- 17.
- बाधवा मजुला, ''कामगारों एवं श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ'', कुरूक्षेत्र, जुलाई, 2020, पृ0- सं0- 22.
- गवर्नेस कैपेसिटी बिल्डिंगः ई-गवर्नेस प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार। https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/e-Governance_Project_Lifecycle_Participant_Handbook-5Day_CourseVI_20412.pdf
- ई-शासन के लिये राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत परियोजनाओं की सूची 2020। यहाँ देखें- https://nceg.gov.in/sites/default/files/NAeG-2020.pdf
- मिशन मोड प्रोजेक्ट्स, एनईजीपी। https://www.meity.gov.in/content/mission-mode-projects
- ई-शासन के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार 2020-21, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार। https://nceg.gov.in/sites/default/files/2021-01/portal%20launch.pdf

अष्टांग योग एवं भगवद्गीता के समत्व योग द्वारा तनाव मुक्त जीवन पर चिंतन

डॉ० पूजा सिन्हा

अतिथि प्राध्यापिका, स्नातकोत्तर दर्शनशास्त्र विभाग, गणेशदत्त महाविद्यालय, बेगूसराय

सारांशः-

भारतीय दर्शन के अंतर्गत पतंजलि ने अष्टांग योग में योग के सात अंगों को साधन एवं समाधि को साध्य के रूप में स्थापित करने का तार्किक प्रयास किया गया है। श्रीमद्भगवदगीता मे कर्मयोग एवं समत्वयोग के द्वारा योग को जानने का प्रयास किया गया है। पतंजलि के अष्टांग योग में क्रमशः अभ्यास एवं समाधि की सिद्धि तथा भगवदगीता के निष्काम कर्म योग, समत्व योग को व्यावहारिक आचरण की विधि के रूप में आत्मसात करने के फलस्वरूप मानव जीवन मे पूर्ण आनंद, समस्त प्राणियों में सम भाव, साथ ही लोभ, क्रोध, अहंकार, भय, चिंता, तनाव, अवसाद आदि मनो दैहिक रोग का सहज निदान संभव है।

कुंजी शब्दः- अष्टांगयोग, समत्वयोग, कर्मयोग, समाधि, राजयोग, हिरण्यगर्भ, निष्ठा, सांख्य-योग, लोकसंग्रह, स्थिर बुद्धि, स्वधर्म, अभ्यास, वैराग्य, ब्राह्मी स्थिति, मनो दैहिक, पार्किंसन, स्मृत भंग, हार्मोन्स ग्रंथि, हाइपर टेंशन, स्वस्थ।

उद्देश्यः-

उपनिषदों, श्रीमद्भगवद्गीता पतंजलि योग सूत्र आदि में प्रतिपादित योग के विभिन्न चरणों के अभ्यास एवं आत्मसात के द्वारा तनाव मुक्त जीवन तथा आनंद पूर्ण जीवन जीने का प्रयास करना है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, मनोविज्ञान द्वारा घोषित मनो दैहिक रोगों का निदान अष्टांग योग एवं गीता के समत्व योग द्वारा किस प्रकार संभव है, उसको स्थापित करने का एक प्रयास है।

आरंभिक काल में भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को समान महत्व प्राप्त था किन्तु वर्तमान भौतिकतावादी मनुष्य सिर्फ काम एवं अर्थ को महत्व दे रहा है जिसके कारण वह अर्थ एवं काम के पीछे भाग रहा है। इस भोगवादी प्रवृत्ति के कारण नकारात्मव भाव, तनाव, अवसाद एवं आत्म हत्या की प्रवृति का विकास हो रहा है। अगर समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया तो भारतीय जनमानस अवसाद की बलि बन जाएगा। इस के समाधान हेतु पुनः पतंजलि के अष्टांग योग एवं गीता के समत्व योग को जानना एवं अपनाना होगा। विशेष रूप से भारत के युवा वर्ग को योग एवं गीता में निहित मनोवैज्ञानिक पद्धति को समझना होगा।

पातंजलि योगसूत्र में 'योग" की विचारः-

पातंजल योगसूत्र में योग का प्रतिपादन समाधिपाद के प्रथम सूत्र 'अथ योगानुशासनम्' से आरंभ होता है तथा द्वितीय सूत्र में योग को परिभाषित करते हुए लिखते है 'योगः चित्तवृत्ति निरोधः पुनश्च ध्यातव्य है कि योगसूत्र के भाष्यकार महर्षि व्यास ने 'युज समाधो' योग का सर्वत्र समाधि के अर्थ में प्रयोग किया है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ये सभी साधन मात्र है समाधि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मुक्ति की यात्रा में शरीर माध्यम है जिसके द्वारा यात्रा करनी है इस हेतु से यम नियम आसान, प्राणायाम, ध्यान आदि द्वारा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखना है, यहाँ, आसान, प्राणायाम, ध्यान को योग कहना उचित नहीं है। समाधि, मुक्ति के अर्थ में योग को समझना उचित होगा। योग के विषय में याज्ञवल्क्य ने कहा है।

हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातनः। अर्थात हिरण्यगर्भ ही योग के वक्ता है, इनसे पुरातन कोई और नहीं।

उपनिषदों में वर्णित योग के प्रकारः-

योग तत्त्व उपनिषद् में योग के चार भेद बताए गए हैं-

- मंत्र योग
- लय योग
- हठ योग
- राज योग

पातंजलि का योग चतुर्थ योग, राजयोग है, क्योंकि यह मन को नियंत्रित करके समाधि की अवस्था को प्राप्त करने की क्रिया विधि को सम्यक रूप से बताता है। भगवद्गीता में योग की प्राचीन परंपरा को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि-

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहव्ययम्।
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत।[1]

मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कड़ा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा।

एवं परम्परप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः।
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप।[2]

हे परन्तप अर्जुन! इस प्रकार परम्परा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किन्तु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्तप्राय हो गया।2।

भगवद्गीता में 'योग':-

भगवदगीता में योग को-योगः कर्मसु कौशलम्' 'समत्वं योग उच्यते कर्म में कुशलता ही योग है तथा समत्व भाव को प्राप्त होना ही योग है इस प्रकार से कहा गया है। पुनः प्रश्न उठता है कि यदि कर्म में कुशलता ही 'योग' है तो कर्म से क्या तात्पर्य है? कितने प्रकार के कर्म है? कर्म में कुशलता से क्या तात्पर्य है

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोडिताः।
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्।।[3]

कर्म क्या है? और अकर्म क्या है? इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए कर्मतत्व मैं तुझे भलीभाँति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्मबंधन से मुक्त हो जाएगा।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि।।[4]

तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो।

योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय।
सिद्ध्यसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।।[5]

हे धनंजय! तू आसक्ति को त्यागकर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धिवाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व (जो कुछ भी कर्म किया जाए, उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम 'समत्व' है।) ही योग कहलाता है।

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते।
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्।।[6]

समबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा, यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है अर्थात कर्मबंध से छूटने का उपाय है।

लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ।
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्।।[7]

हे निष्पाप! इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा (साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से (माया से उत्पन्न हुए सम्पूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसे समझकर तथा मन, इन्द्रिय और शरीर द्वारा होने वाली सम्पूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंदघन परमात्मा में एकीभाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है, इसी को संन्यास', 'सांख्ययोग' आदि नामों से कहा गया है।) और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से (फल और आसक्ति को त्यागकर भगवदाज्ञानुसार केवल भगवदर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम 'निष्काम कर्मयोग' है, इसी को 'समत्वयोग, 'बुद्धियोग', 'कर्मयोग 'तदर्थकर्म, मदर्थकर्म, मत्कर्म आदि नामों से कहा गया है।) होती है।

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः।
लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि।।[8]

जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्ति रहित कर्मद्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए लोकसंग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है।

अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग-द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा:-

दु:खेष्वनद्विग्नमना: सुखेषु विगतस्पृह:।
वीतरागभयक्रोध: स्थितधीर्मुनिरुच्यते।।[9]

दु:खों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता. सुखों की प्राप्ति में सर्वथा नि:स्पृह है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिरबुद्धि कहा जाता है, जिसका मन नियंत्रण में हो गया है उस स्थित प्रज्ञ योगी का क्या स्वरूप है।

जो बिना इच्छा के अपने-आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया हो, जो डरशोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है-ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बँधता।

इस प्रकार अनासक्त कर्म, स्वधर्म, नियत कर्म के द्वारा बिना संन्यास ग्रहण किए जनक आदि जीवन-मुक्त महापुरुषों की भाँति मुक्ति अथवा आत्म साक्षात्कार की सरलतम विधि का नाम है-कर्म योग।

समत्व रूप 'योग' की अवस्था जिसके द्वारा कर्मों में कुशलता की सिद्धि होती है उस मार्ग मे मन की चंचलता बहुत विशाल बाधा है।

चंचलं हि मन: कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्।
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्।।[10]

हे श्रीकृष्ण! यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ और बलवान है। इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भाँति अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ।

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्।
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहाते।।[11]

हे महाबाहो! नि:संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है। परन्तु हे कुंतीपुत्र अर्जुन! यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है।

अर्थात् जिस व्यक्ति ने 'मन' को अपने बस में कर लिया है तथा सभी प्राणियों मे 'समभाव' रखता है, किसी से द्वेष नहीं करता सुख-दु:ख में समान भाव रखता है, लाभ-हानि, जय-पराजय से विचलित नहीं होता, ऐसी उच्च मानसिक अवस्था को 'ब्राह्मी स्थिति' कहा गया है। मनोविज्ञान की भाषा में पूर्ण समायोजक व्यक्तित्व संतुलित एवं स्वस्थ व्यक्ति है।

समत्व योग से विभिन्न लाभ:-

शारीरिक लाभ:-

अष्टांग योग के अभ्यास एवं साधना से तथा भगवद्गीता के समत्व योग को प्राप्त योगी में तेज, बल, बुद्धि, ओज, दीर्घायु की प्राप्ति स्वत: होती है तथा शरीर निरोग रहता है। घेरण्ड संहिता में लिखा है कि आसनों का पहला उद्देश्य हमें शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाना है। शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालता है। आसन तंत्रिका तंत्र के कार्य कलापों में सामंजस्य उत्पन्न करते है। शरीर के आंतरिक अंगों की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं।[12]

मानसिक लाभ:-

योग के आसान, ध्यान, प्राणायाम एवं समाधि की अवस्था के निरंतर अभ्यास से अनेक मनो दैहिक रोगों, मानसिक बीमारियाँ-पर्किसन, स्मृत भंग, चिंता, तनाव, अवसाद, डाइपर टेन्शन, मधुमेह, हार्मोन्स ग्रंथियों संबंधी अनेक रोगों, आदि का प्रभावशाली इलाज संभव है जिसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया है। अमेरिका के एक मनो रोगी ने अपने स्व आकलन मे पाया की 'मानसिक अवसाद के उपचार में तात्कालिक रूप में दवा ठीक है किन्तु यदि मैं स्वयं उस मानसिक अवसाद का निदान करू तो वह ज्यादा बेहतर है।[13] अर्थात स्वयं के आत्मिक शक्ति द्वारा मानसिक विकारों का समाधान निकालने का प्रयास। किन्तु यह व्यावहारिक रूप में अष्टांग योग एवं गीता के समत्व योग द्वारा ही संभव है।

सामाजिक लाभ:-

समत्व योग को प्राप्त योगी न तो किसी से द्वेष करता है न ही हिंसा आदि करता है क्योकि सभी प्राणी में स्वयं को देखता है फिर हिंसा, बलात्कार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार आदि सामाजिक दोष स्वत: समाप्त हो जाते हैं। आधुनिक अपराध शास्त्र के अनुसार, आपराधिक मनोवृत्ति एक प्रकार की मानसिक विमारी है जिसका समुचित इलाज संभव है। भगवद गीता में प्रतिपादित स्थित प्रज्ञ की अवस्था प्राप्ति के बाद व्यक्ति का सामाजिक स्वरूप 'वसुधैव कुटुंबकम्' की डो जाती है फिर कैसा घृणा, कैसा द्वेष, कैसी हिंसा।

आध्यात्मिक लाभः-

समत्व योग को प्राप्त योगी ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे गीता में कहा गया हैं।

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति।
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति।।[14]

हे अर्जुन! यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानन्द को प्राप्त हो जाता है।

निष्कर्षः-

वस्तुतः हमें ज्ञात होता है कि पतंजलि के अष्टांगयोग एवं भगवद्गीता के समत्व योग द्वारा नकारात्मक विचार एवं मनो दशा को सकारात्मक विचार के रूप मे परिवर्तित किया जा सकता है। मनो दैहिक समस्त विकारों एवं रोगों का निदान संभव है। वर्तमान में भारत के लोग अनेकों बीमारी से ग्रसित है जिसके उपचार के लिए योग बहुत ही आवश्यक है। 'योग' के महत्व को सिर्फ भारत में ही नहीं सम्पूर्ण विश्व ने स्वीकार कर लिया है। आवश्यकता है कि इसके दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक आदि विभिन्न पक्षों का प्रमाणित एवं व्यवस्थित अध्ययन एवं शोध के द्वारा प्रोत्साहित किया जाय।

संदर्भः-

1. भगवद्गीता अध्याय-4, श्लोक-1, गीता प्रेस गोरखपुर।
2. वही, अध्याय-4, श्लोक-2, गीता प्रेस, गोरखपुर।
3. वही, अध्याय-4, श्लोक-16, गीता प्रेस, गोरखपुर।
4. वही, अध्याय-2, श्लोक-47, गीता प्रेस, गोरखपुर।
5. वही, अध्याय-2, श्लोक-48, गीता प्रेस, गोरखपुर।
6. वही, अध्याय-2, श्लोक-50, गीता प्रेस, गोरखपुर।
7. वही, अध्याय-3, श्लोक-3, गीता प्रेस गोरखपुर।
8. वही, अध्याय-3, श्लोक-20, गीता प्रेस, गोरखपुर।
9. वही, अध्याय-2, श्लोक-56, गीता प्रेस, गोरखपुर।
10. वही, अध्याय-6, श्लोक-34, गीता प्रेस, गोरखपुर।
11. वही, अध्याय-6, श्लोक-35, गीता प्रेस, गोरखपुर।
12. घेरण्ड संहिता, भाष्य, स्वामी निरंजनानन्द सरस्वती, योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट, मुंगेर बिहार, संस्करण 2011, अध्याय, योगासन, पेज-124।
13. Abnormal Psychology, The problem of maladaptive behaviour, Eleventh Edition, 2008, by-Irwin G. Sarason, University Of Washington,And Barbara R. Sarason, University Of Washington, published by Pearson Education incAnd dorling Kindersley publishing Inc. chapter 11, page no.356
14. भगवद्गीता, अध्याय-2, श्लोक-72, गीता प्रेस, गोरखपुर।

हरियाणवी लोककाव्य में भाव-सौन्दर्य

सुमेधा शर्मा

शोधार्थी, पीएच.डी. (हिन्दी), हिंदी विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक (हरियाणा)

डॉ० बाबू राम

शोध निर्देशक, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक (हरियाणा)

नरत्वं दुर्लभं लोके, विद्या तत्र सुदुर्लभा।
कवित्वं दुर्लभं तत्र, शक्तिश्तत्र सुदुर्लभा।।

अर्थात् इस संसार में मनुज-शरीर मिलना दुर्लभ है, वह मिल भी जाए तो विद्या-प्राप्ति और भी दुर्लभ है। विद्या भी प्राप्त हो जाए तो कवित्व मिलना कठिन है तथा काव्य-रचना करने की शक्ति मिलना तो बहुत ही दुर्लभ है।

स्पष्ट है कि काव्य-रचना की क्षमता बहुत दुर्लभ है, जो प्रत्येक व्यक्ति में होनी संभव नहीं। काव्य-रचना के लिए कुछ गुणों का होना अनिवार्य है, जिन्हें आचार्यों ने काव्य का हेतु (मूल कारण) कहा है-

शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यावेक्षणात्।
काव्यज्ञशिक्षयाभ्यासः हेतुस्तदुद्भवे।।

अर्थात् काव्य-रचना की शक्ति, निपुणता, लोक, शास्त्र, काव्य आदि का सूक्ष्म निरीक्षण तथा किसी काव्य-विशेषज्ञ की संगति में रह कर प्राप्त शिक्षा तथा निरन्तर अभ्यास ही कवित्व के हेतु (मूल कारण) हैं।

इंगित सभी कारणों में 'लोकशास्त्रकाव्यद्यावेक्षणात्' अर्थात् लोक (अपने इर्द-गिर्द की दुनिया), शास्त्र, काव्य (अन्य कवियों की रचना) का ज्ञान अपेक्षित है। महान कवि अतीत का अध्येता, वर्तमान का चितेरा और भविष्य का उपदेशक होता है। हरियाणवी लोककवियों पर यह बात अक्षरशः चरितार्थ होती है। वे कबीर की भाँति अनपढ़ और अंगूठा-टेक भले ही रहे हो, पर अनुभूत लोकजीवन तथा गुरुओं से प्राप्त शास्त्रीय ज्ञान के परिणामस्वरूप उन्होंने उच्चकोटि की काव्य-रचना की। काव्य के दो पक्ष होते हैं- भाव एवं शिल्प। इन लोककवियों की भावाभिव्यक्ति आश्चर्यचकित कर देने वाली है। भाव-सौन्दर्य ही काव्य की श्रेष्ठता का परिचायक होता है। विषय कोई भी रहा हो- अध्यात्म, समाज, नारी, शृंगार (संयोग-वियोग), देवी-देव-स्तुति, गुरु-भक्ति, देशभक्ति आदि भावों को चित्रण बेहद आकार्षक बन पड़ा है। इन भावों के सौन्दर्य का दर्शन हरियाणवी लोक कवियों की रचनाओं में पग-पग पर देखा जा सकता है।

आध्यात्मिक भाव

सृष्टि-नियन्ता परमपिता परमेश्वर की सत्ता स्वीकार करना, उसके स्वरूप की कल्पना करना, सगुण अथवा निर्गुण रूप की स्तुति करना, जानने की इच्छा करना व समर्पण भाव रखना ही आध्यात्मिकता है। इन कवियों ने बड़े सहज भाव से अपने भाव प्रकट किए हैं-

निराकार साकार हरी, रुह श्यान शक्ल में तू है।
डाल, फूल फल, पात, पेड़, जड़ बीज बकल में तू है।।
जल धरणी आकाश अगन, और तेज पतन में तू है
शहर वतन घर गाम सड़क, बन बाग चमन में तू है
मस्जिद मन्दिर धूप दीप, घी जोत हवन में तू है
सात दीप नौ खण्ड पिण्ड, ब्रह्माण्ड भवन में तू है
घट जल से भरे अनेक देख बस एक नकल में तू है।।[1]

कविसूर्य पं० लखमीचन्द हरियाणवी लोककाव्य के कालिदास माने जाते हैं। उनकी ख्याति प्रदेश से बाहर भी दूर-दूर तक फैली, उनके जीवन पर फिल्म भी बन चुकी है। उनकी आस्था दर्शनीय है-

पुरुष की मूर्ति पृथ्वी जल और वायु तेज आकाश तू ही।
प्राण समोच्छेदर में रहता आत्म का प्रकाश तू ही।।
जल वायु आकाश पृथ्वी अगन में रहता जन है तू

ब्रह्म विभूति प्रजापति और आत्म विभूति मन है तू
ब्रह्मलोक में सृष्टि रचता ऐसा आत्मधन है तू
इन सबका संयोग मिला कै पिण्ड ब्रह्माण्ड मिलन है तू
तू ही रचता पालन कर्ता जगत का नियम विनाश तू ही।।[2]

कवि शिरोगणि पं० जगदीशचन्द्र 'वत्स' ने गुणवत्ता एवं परिमाण की दृष्टि से सर्वोत्तम रचनाएँ दी है। सरस, सरल एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति में उनका कोई सानी नहीं। वे भी निराकार ईश्वर को नमन करते हैं-

नमस्कार हर बार पिता, तेरी अद्‌भुत श्यान निराली है।
जड़ चेतन फल फूल मूल, तू ही सब्ज बाग का माली है।।
शून्य से प्रकट हुई शक्ति, शब्द गगन से खिंचा पिता
गगन से पवन, पवन से अग्नि, अग्नि से जल रच्या पिता
जल से पृथ्वी उत्पन्न कर कै, दी शक्ति पर जच्या पिता
शक्ति से शशी भान सितारे, अन्धकार ना मच्या पिता
तिमिर से उत्पन्न रंग रूप, हुई ज्योति की उजियाली है।।[3]

हरियाणवी लोककवियों की अग्रणी पंक्ति के अधिकारी हरिकेश पटवारी सिद्धहस्त कवि हैं। उन्होंने ईश्वर दर्शन इस प्रकार चित्रित किया-

कुल भूमण्डल मृत्युलोक, पाताल गगन में तू है।
काम क्रोध मदलोभ मोह, जल पवन अगन में तू है।।
भगत तेरे बस रहैं सदा, भगतां के बस में तू है
रोम चरम लहू हाड़ मांस, नाड़ी नस नस में तू है
जीवण मरण लाभ हानि, यश अपयश में तू है
लता पात फल-फूल मूल, धातु सब रस में तू है
तू गमी और तू शादी, उत्साह बिघन में तू है।
मिल ज्यागा कर भजन, हरिकेश लगन में तू है।।[4]

समाज-चित्रण

साहित्य को समाज का दर्पण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें समाज की अच्छाई-बुराई, चाल-ढाल, रीति-रिवाज व जीवन का समग्र चित्र अंकित होता है। हरियाणा में गिरते जीवन मूल्यों से सभी कवि चिन्तित दिखाई देते हैं। पं० लख्मीचंद की चिन्ता आवारागर्द नौजवानों को लेकर है-

अक्लबन्द इस दुनिया म्हं बिन टोहे पावैं सैं।
एक दमड़ी की कीमत पर लाल बणे चाहवैं सें।।
कुछ तै खता हो मात-पिता की जण सुत लाड लडाते
बारह वर्ष तै ऊपर होज्यां धन्धे सिर ना लाते
बैठ चौकडी चण्डालों की खोटा सत्संग पाते
मात-पिता कहैं काम करण की नहीं कमाकै खाते
बेटा समझ कै, धमका दें तै ये झट जूता ठावैं सैं।।[5]

पं० जगदीशचन्द्र वत्स ने समाज में बढ़ रही दान-दहेज की कुरीति, नशे का प्रचलन, फेशन परस्ती तथा बाह्य आडम्बरों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है-

देख देख कै अचरज आवै किसा जमाना होग्या।
गन्दी रस्म नए फैशन में देश दीवाना होग्या।।
गन्दी रस्म बिकै लड़का आज जमींदारे साहूकारे का
टीका दान देणिया सोचौ मोड़ बणूँ जग सारे का

देखो शराब सुल्फे बिन आदर ना सगे प्यारे का
पी कै पैग नाक चढ़ज्या जाणूं मूत सूंघणे नारे का
करै बदी के काम नाम खोप्पर मस्ताना होग्या।।[6]

हरियाणा में खान-पान, वेशभुषा और लोगों का कपट-आचरण बहुत तेजी से बदल रहा है। पं० भोला राम ने चिन्ता व्यक्त की है-

झूठ कपट छल मतलब रहग्या, दीन ईमान बदलता ज्या।
नए उपद्रव रोज उठैं म्हारा हिन्दुस्तान बदलता ज्या।।
घोती-कुर्ते छोड़ दिए, बुरसट और पतलून चली
सिलेवार और चुस्त पजामी, निक्कर अफलातून चली
पीली लाल कांबली ओढ़ैं, कई किस्म की ऊन चली
पीवैं शराब कवाब चबाते, खान पान बदलता ज्या।
अंग्रेजी में रांद काटैं न्यु हर इन्सान बदलता ज्या।।[7]

पं० मांगेराम ने रिश्तों के बिखराव, भाई-भाई, पति-पत्नी, पिता-पुत्र में बढ़ रही दूरियाँ और एक दूसरे की गैरों के आगे निन्दा पर गहराई से विचार किया है-

कैसे चाल पिछाणी जागी, इस रंगदार जगाने की।
भाई नै भाई चाहता ना, बेटे नै चाहता ना बाप
बीर मर्द रहैं दोनों घर में, दोनुआं के मन में पाप
किसे का भी दोष नहीं वे दुश्मन बण कै बैठे आप
तू मेरे में, मैं तेरे में, सौ सौ ऐब कढावण लागे
न्या नीति इन्साफ रहया ना, गंगा पहाड़ चढावण लागे
जग परलो में कसर कड़ै, जब मूर्ख वेद पढ़ावण लागे
या इज्जत ठोले पान्ने की।।[8]

नारी-चित्रण

साहित्य में नारी विद्वानों के लिए सदा ही गम्भीर चिन्तन का विषय रही है। संस्कृत साहित्य में इसकी प्रशंसा में 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' कहा, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने 'नारी नरकस्य द्वारम्' कहा। कबीर ने 'नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग' कह कर तथा तुलसीदास ने 'ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताडन के अधिकारी कह कर निन्दा की है। हरियाणवी कवियों ने नारी की प्रशंसा में अधिक लिखा, नकारात्मक के साथ सकारात्मक स्वरूप का उल्लेख भी अवश्य किया है। विशेष बात यह है कि इन कवियों ने नारी के दो रूप- शारीरिक सौन्दर्य (स्थूल रूप) तथा गुणात्मक सौन्दर्य का सफल चित्रण किया है। पं० जगदीश चन्द्र 'वत्स' के शब्दों में द्रौपदी का रूप-सौन्दर्य-

चन्द्रमा सा चेहरा चमकै, बरसै नूर तेरे पै।
दासी वाला काम करै, के विपदा हूर तेरे पै।।
गोल-मोल रूखसार लाल, होठां पै दुख छिडै सै
नाक सुआ सा, मुँह बटुआ सा, बोलै फूल झडै सै
लचकणियाँ पै चोटी लटकै, ज्युं काले नाग लडैं सै
नशा जवानी का छाया, हो कै भरपूर तेरे पै।।
लाम्बी नाड़ सुराही ज्युं, रह्या चमक पीक का डोरा
चीतालंकी मृगनयनी, रंग बदन का गोरा
नारंगी रसभरी कली पै, मोहित होज्या भौरा
केले जिसा, शरीर लरजता, चन्दन कैसा पोरा
कामदेव भी शरमा ज्या, हो चकनाचूर तेरे पै।।[9]

सांग चीर पर्व में पं० लखमीचन्द ने कीचक के मुख से द्रौपदी के सौन्दर्य का वर्णन कुछ इस तरह से किया है-

सुख चाहती हो तै ल्या दुख दूर करूँ तेरे।
टखणे सब ढके हुए गोल पिंडली सुडोल तेरी
कोकला और कोयल कैसी मीठी-मीठी बोल तेरी
मुख की गोलाई कैसी चन्द्रमा सी बोल तेरी
गोरा सा बदन गात बीच में से ठुका हुआ
गर्दन के नीचे का भाग अगाड़ी को झुका हुआ
घटा हटा झट-पट घूंघट मत कर घोर अन्धेरे।।[10]

एक अन्य कवि पं० सूबेराम ने भी सांग 'विराट पर्व' में द्रौपदी का सौन्दर्य देखकर कीचक पर हुई प्रतिक्रिया दर्शायी है-

पणवासी के चन्द्रमा सी श्यान चौबारे पै।
डाम्मा-डोल हुई काया, गया ध्यान चौबारे पै।।
दिल में मर्ज बैठेगी भारी, खोटी हो सै इश्क बीमारी
तन्नै बैद कहूँ अक पंसारी, दवा की खान चौबारे पै।
मेरी नाड़ी के देखणिया लुकमान चौबारे पै।।[11]

चारित्रिक गुण-वर्णन करते हुए गाँव दुपेड़ी निवासी कृष्ण दत्त ने नारी के स्वरूप दिखाए है-

चतर, चटोरी, फूहड़, क्लेशण, चार किस्म की बीर होंसै।
जिस नै जैसी मिल जै भाइयो, आप-अपणी तकदीर हो सै।।
जिस नै मिल जै चतर लुगाई, भाग सवाया होया करै
जगमग-जगमग ज्योत सवाई, घर की आनन्द काया होया करै
चतर करै अपनी चतराई, सब किमे आया होया करै
टोटा सौ-सौ कोस भागज्या, धौरै धन माया होया करै
जिस नै मिलज्या इसी लुगाई, उसका सुखी शरीर हो सै।।[12]

हरियाणा के लगभग सभी कवियों ने अपनी-अपनी प्रतिभा के अनुसार नारी के सौन्दर्य तथा गुण-अवगुणों का विस्तृत चित्रण किया है। नारी की अच्छाइयों पर अधिक ध्यान दिया है, त्रुटियाँ भी चित्रित की है, पर अपेक्षाकृत कम। कुछ सांग तो हैं ही नारी-प्रधान, जिनमें नारी के आदर्श अंकित हुए हैं।

ग्रामीण जीवन से जुड़े सभी विषयों पर इन कवियों का ध्यान गया है। बड़े ही मनोयोग से भाव प्रकार किए हैं। यथा-

कृषक-चित्रण

देख रोंगटे खड़े होगे या मेरी छाती धड़कै।
गरीब किसान की जिन्दगी क्युकर बीतै मर पड़कै।।
गर्मी म्हं आकाश तपै सै कोरी आग बरसती
नीचौ धरती आग उगलती दुनिया पड़ै तरसती
पाट्टी धोती टूटे लित्तर पेट म्हं आग सुलगती
शिखर दुपहरी पड़ै पसीना छातां कैड ना दिखती
आधी रात तक पाणी बहावै फेर उठलै तड़कै।।[13]

देश-भक्ति

पं० कृष्ण चन्द्र 'नादान' स्वयं सेना में रहे थे। उन्होंने 'सुभाषचन्द्र बोस' का सांग लिखा। बोस के मन के भाव-

फेर नेता तै भारत को आजाद करण सोची।
खून के बदले ल्यूँ आजादी नींव धरण की सोची।।
मैं कुर्बानी का सबक पढ़ा दूँ इन भारत माँ के छोहरां नै

फेर बणा दूँ शेर के बच्चे कायर और कमजोरां नै
इब हरगिज भी ओटैं कोन्या उनके नाज उठोरां नै
मैं जा कै कह दूँ चर्चिल तै इब आँख दिखाइये औरों नै
कै तै मारुँ गौरां नै ना तै आप मरण की सोची।।[14]

समाज और जनजीवन से जुड़ा कोई भी विषय ऐसा नहीं जिस पर हरियाणा के लोककवियों का ध्यान न गया हो। सांगों में मनोरंजन के साथ सामाजिक मर्यादा, नैतिक मूल्य, देशभक्ति, ईश्वर-भक्ति तथा दानशीलता आदि विषयों को बड़े सरस ढ़ंग से प्रस्तुत कर अनुपम भावाभिव्यक्ति का प्रमाण दिया है। उपर्युक्त उदाहरणों को देखकर कहा जा सकता है कि हरियाणवी लोककाव्य का भाव-सौन्दर्य अन्य किसी भी भाषा की अभिव्यक्ति के सौन्दर्य से कम नहीं है, सर्वत्र सम्मान का अधिकारी है।

संदर्भ-सूची

1. सतबीर सिंह, भोला रचनावली, पृ० 45
2. लक्ष्मी नारायण शर्मा 'वत्स' रत्न-कोष, पृ० 386
3. जगदीश भजनावली, पृ० 3
4. हरिकेश पटवारी, मुक्तक भजन
5. लक्ष्मी नारायण शर्मा, रत्न-कोष, पृ० 403
6. बनारसी दास शर्मा, ज्ञान-सागर, पृ० 461
7. सतबीर सिंह, भोला रचनावली, पृ०
8. रघवीर मथाना, कवि शिरोमणि पं० मांगेराम, पृ० 68
9. बनारसी दास शर्मा, ज्ञान-सागर, पृ० 681
10. लक्ष्मी नारायण शर्मा 'वत्स' रत्न-कोष, पृ० 250
11. पं० सूबेराम, निवासी गाँव आट्टा, सांग विराट पर्व
12. कृष्ण दत्त शर्मा, निवासी गाँव दुपेड़ी, मुक्तक भजन
13. फौजी मेहर सिंह, मुक्तक भजन
14. श्री किशन कौशिक, कृष्ण चन्द्र 'नादान' (ग्रन्थावली), पृ० 268

शिक्षा में तकनीकी का हानिकारक होता उपयोग

डॉ० दीपक कुमार

सहायक प्राध्यापक, शिक्षा संकाय

सार:

वर्तमान समय में तकनीकी का शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। जिससे शिक्षा में तकनीकी उपकरणों और इंटरनेट के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। यह छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। स्मार्टफोन और कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने से शारीरिक गतिविधियों में कमी हो रही है, जिससे शारीरिक के साथ ही मानसिक समस्याएँ हो रही हैं। दूसरी ओर, तकनीकी अवसरों की असमानता को बढ़ावा दे रही है। कई छात्रों के पास गुणवत्ता वाले तकनीकी उपकरण और इंटरनेट कनेक्शन नहीं होते, जिससे वे ऑनलाइन शिक्षा का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। डिजिटल उपकरण छात्रों का ध्यान भटकाते हैं, जिससे वे शिक्षा से अधिक सोशल मीडिया, वीडियो गेम या अन्य मनोरंजन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस कारण छात्रों के अध्ययन में एकाग्रता की कमी आती हैं, जिससे उनकी सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। तकनीकी के कारण छात्रों के सामाजिक कौशल का भी ह्रास हो रहा है। शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद की कमी से छात्रों का शारीरिक और मानसिक विकास बाधित हो सकता है। इंटरनेट और अन्य तकनीकी साधन छात्रों एवं शिक्षकों के समक्ष सकारात्मक अवसर के साथ ही तकनीकी चुनौतियाँ भी प्रस्तुत कर रहे है। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी हमेशा सही नहीं होती है। तकनीकी का शिक्षा पर प्रभाव बहुत ही जटिल है। इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकता है। इसका संतुलित और उचित उपयोग करने में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया जा सकता है, लेकिन इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए सावधानी बरतना आवश्यक है।

महत्त्वपूर्ण शब्द: तकनीकी, इंटरनेट, शिक्षा, छात्र, शिक्षक, स्वास्थ्य, असमानता, सामाजिक कौशल, तकनीकी चुनौतियाँ, दुष्प्रभाव।

आजकल, तकनीकी का विकास हर क्षेत्र में हो रहा है, और शिक्षा भी इससे पीछे नहीं है। तकनीकी का शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके कई फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जो छात्रों और शिक्षकों दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। निम्नलिखित बिंदुओं में, हम शिक्षा पर तकनीकी के प्रभाव का विश्लेषण करेंगे: आजकल तकनीकी का शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कई पहलू हैं। एक ओर, यह छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। अत्यधिक स्क्रीन टाइम के कारण आंखों में तनाव और दृष्टि संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं, मानसिक तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। स्मार्टफोन और कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने से शारीरिक गतिविधियों में कमी हो रही है, जिससे मोटापा और अन्य शारीरिक समस्याएं हो रही हैं। दूसरी ओर, तकनीकी अवसरों की असमानता को बढ़ावा दे रही है। कई छात्रों के पास गुणवत्ता वाले तकनीकी उपकरण और इंटरनेट कनेक्शन नहीं होते, जिससे वे ऑनलाइन शिक्षा का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र तकनीकी संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा में पीछे रह जाते हैं। जैसा कि बिल गेट्स ने कहा है, "तकनीक सिर्फ एक उपकरण है। बच्चों को एक साथ काम करने और उन्हें प्रेरित करने के मामले में, शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण है।" ("Technology is just a tool. In terms of getting the kids working together and motivating them, the teacher is the most important." – Bill Gates)

तकनीकी के कारण छात्रों में ध्यान की कमी भी हो रही है। डिजिटल उपकरण छात्रों का ध्यान भटकाते हैं, जिससे वे शिक्षा से अधिक सोशल मीडिया, वीडियो गेम या अन्य मनोरंजन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अलावा, तकनीकी उपकरणों का उपयोग करते समय छात्र आसानी से अपने अध्ययन में एकाग्र नहीं हो पाते हैं, जिससे उनकी सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। तकनीकी के कारण छात्रों के सामाजिक कौशल का भी ह्रास हो रहा है। अत्यधिक ऑनलाइन शिक्षा और तकनीकी उपकरणों के प्रयोग से छात्रों का पारंपरिक संवाद और सामाजिक संपर्क कम हो रहा है, जो सामाजिक कौशल और टीमवर्क को प्रभावित करता है। शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद की कमी से छात्रों का शारीरिक और मानसिक विकास बाधित हो सकता है। तकनीकी के कारण छात्रों की स्मृति और समझ में भी कमी हो रही है। इंटरनेट और अन्य तकनीकी साधनों से छात्रों को ढेर सारी जानकारी मिलती है, लेकिन वे इसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी समझ और दीर्घकालिक स्मृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तकनीकी उपकरणों के जरिए जल्दी-जल्दी जानकारी प्राप्त करने से छात्रों को विषयों की गहराई में जाने का समय नहीं मिल पाता है, जो उनके ज्ञान को अधूरा छोड़ देता है। मैल्कम एक्स के अनुसार, "शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, क्योंकि कल उन्हीं लोगों का है जो आज इसकी तैयारी करते हैं।" ("Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare for it today."– Malcolm X)

शिक्षकों के लिए भी तकनीकी चुनौतियां पैदा कर रही है। आजकल के शिक्षकों को तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का उचित उपयोग करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जो सभी शिक्षकों के पास नहीं होता। कई शिक्षक पारंपरिक तरीकों से पढ़ाने के आदी होते हैं और तकनीकी उपकरणों का सही तरीके से उपयोग करने में उन्हें कठिनाई होती है। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी हमेशा सही नहीं होती है। छात्र आसानी से गलत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनके ज्ञान में भ्रांतियां उत्पन्न हो सकती हैं। छात्रों को यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी गलत, क्योंकि इंटरनेट पर विश्वसनीय स्रोतों की कमी होती है। हीदी हेज जैकब्स का मानना है कि "शिक्षकों को तकनीकी को पाठ्यक्रम में निर्बाध रूप से एकीकृत करने की आवश्यकता है, बजाय इसे एक अतिरिक्त के रूप में देखने के।" ("Teachers need to integrate technology seamlessly into the curriculum instead of viewing it as an add-on."– Heidi Hayes Jacobs) तकनीकी का शिक्षा पर प्रभाव बहुत ही जटिल है। इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकता है। इसका संतुलित और उचित उपयोग करने में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया जा सकता है, लेकिन इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए सावधानी बरतना आवश्यक है। छात्रों, शिक्षकों और समाज को मिलकर इस बदलाव को समझने और सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है।

आज के समय में तकनीकी ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। हालांकि इसके कई लाभ हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी छात्र और शिक्षक दोनों के लिए गंभीर हो सकते हैं। जॉर्ज कूरोज के शब्दों में, "तकनीक कभी भी महान शिक्षकों की जगह नहीं लेगी, लेकिन महान शिक्षकों के हाथों में तकनीक परिवर्तनकारी है।" ('Technology will never replace great teachers but technolog, in the hands of great teachers, is transformational.'– George Couros).

छात्रों पर तकनीकी का प्रभाव: अत्यधिक स्क्रीन टाइम छात्रों को लगातार स्क्रीन पर समय बिताने की आदत डाल देता है, जिससे वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, वीडियो गेम आदि के कारण उनका ध्यान पढ़ाई से भटक जाता है। मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों पर मनोरंजन का इतना आकर्षण होता है कि छात्रों का अध्ययन में मन नहीं लगता और उनका ध्यान बार-बार विचलित होता है। अत्यधिक समय तक कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टैबलेट पर काम करने से आंखों में थकावट, दृष्टि संबंधित समस्याएं (जैसे कि चश्मा लगना) और सिरदर्द की समस्या बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर छात्रों का अत्यधिक समय बिताना मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। वे दूसरों से खुद की तुलना करते हैं, जिससे तनाव और आत्म-संदेह की भावना उत्पन्न हो सकती है। डिजिटल उपकरणों के अधिक उपयोग से शारीरिक गतिविधियों में कमी हो रही है, जिससे मोटापा, शारीरिक कमजोरी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। डिजिटल उपकरणों पर ज्यादा समय बिताने से छात्रों का वास्तविक दुनिया में संवाद करने और सामाजिक संबंध बनाने की क्षमता घटती है। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल माध्यमों के कारण छात्रों में टीम वर्क और समूह कार्य करने की क्षमता में कमी आ रही है। छात्रों को तकनीकी माध्यमों से जानकारी जल्दी मिलती है, लेकिन वे इस जानकारी को गहरे से समझने की बजाय सिर्फ सतही तौर पर लेते हैं, जिससे उनकी समग्र समझ और दीर्घकालिक स्मृति प्रभावित होती है। इंटरनेट पर मिलने वाली जानकारी हमेशा सही या संपूर्ण नहीं होती। छात्रों को अक्सर गलत या अधूरी जानकारी मिलती है, जिससे उनकी शिक्षा पर नकारात्मक असर पड़ता है। एल्विन टॉफ्लर ने कहा है, "21वीं सदी के अनपढ़ वे नहीं होंगे जो पढ़ और लिख नहीं सकते, बल्कि वे होंगे जो सीख नहीं सकते, अनसीख नहीं सकते और फिर से सीख नहीं सकते।" ('The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write] but those who cannot learn] unlearn] and relearn.'– Alvin ffToler)

शिक्षकों पर तकनीकी का प्रभाव: कई शिक्षक नई तकनीकी उपकरणों और ऑनलाइन शिक्षण विधियों के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करते, जिससे वे उनका सही उपयोग नहीं कर पाते। इसका असर उनकी शिक्षण गुणवत्ता पर पड़ता है। तकनीकी समस्याएं, जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्याएं या उपकरणों की खराबी, शिक्षकों के लिए परेशानियों का कारण बन सकती हैं, जो कक्षा के संचालन में रुकावट डाल सकती हैं। ऑनलाइन शिक्षा के बढ़ते प्रभाव के कारण शिक्षक और छात्र के बीच व्यक्तिगत संवाद कम हो गया है। इससे छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में कठिनाई होती है। छात्रों और शिक्षकों के बीच भावनात्मक संबंधों की कमी हो सकती है, जिससे छात्र अपनी समस्याओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते। इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों से शिक्षकों को भारी मात्रा में सूचनाएं मिलती हैं, लेकिन सभी सूचनाएं सही नहीं होतीं। सही जानकारी को छानने और शिक्षण सामग्री तैयार करने में कठिनाई हो सकती है। शिक्षक के पास इतने सारे तकनीकी संसाधन होते हैं कि उन्हें यह तय करना कठिन हो जाता है कि कौन सा उपकरण या सामग्री छात्रों के लिए सर्वोत्तम है। तकनीकी उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग से शिक्षकों पर पारंपरिक और रचनात्मक तरीके से सोचने का दबाव कम हो जाता है, जिससे उनकी सृजनात्मकता प्रभावित होती है। ऑनलाइन शिक्षा और तकनीकी उपकरणों का अधिक उपयोग पारंपरिक शिक्षण विधियों, जैसे संवादात्मक शिक्षा और गतिविधियों में कमी ला सकता है। जॉन

स्टीवर्ट के अनुसार, "इंटरनेट सिर्फ एक कक्षा में नोट्स भेजने वाली दुनिया है।" ('The Internet is just a world passing around notes in a classroom.'– John Stewart)

हालांकि तकनीकी का शिक्षा में उपयोग बहुत लाभकारी हो सकता है, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी स्पष्ट हैं। छात्रों और शिक्षकों को इसका संतुलित और समझदारी से उपयोग करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी के प्रभाव को सकारात्मक बनाने के लिए उचित प्रशिक्षण, नियमों का पालन और तकनीकी उपकरणों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। तकनीकी का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में एक आवश्यक हिस्सा बन गया है, लेकिन इसका संतुलित और सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है, ताकि इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सके और इसके लाभों का पूरा लाभ उठाया जा सके।

संदर्भः-

1. Bill Gates Quotes in Hindi - Leverage Edu.
2. Malcolm X Quotes - Wikipedia.
3. Heidi Hayes Jacobs Quotes - Education Week.
4. George Couros Quotes - The Innovator's Mindset.
5. John Stewart Quotes - BrainyQuote.

आधुनिक व वैज्ञानिक कृषि

डॉ० हिमांशु शेखर

शोध निदेशक सह सहायक प्राध्यापक

अजय कुमार

(शोधार्थी) ति० माँ० भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

भारत अपनी आजादी को 75वें वर्ष में ''अमृत महोत्सव'' के रूप में मना रहे है। इस 75वें साल में भारत सभी क्षेत्रों में चाहे वह विज्ञान और प्रोद्यौगिकी का क्षेत्र हो या कृषि उत्पादकता का क्षेत्र हो आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। अगर कृषि क्षेत्र का आंकलन करें तो पाते हैं कि भारत कभी अन्न का याचक देश था, वहीं 75 वर्षों में भारत न सिर्फ खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि विश्व के प्रमुख खाद्यान्न निर्यातक देश बन गया है। 1950-51 ई. में देश में केवल 5 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था, जो उस वक्त की 35 करोड़ जनसंख्या की आवश्यकता से बहुत कम था। आजादी के तुरन्त बाद ही 1955 ई. में लालकिले के प्राचीर से देश को सम्बोधित करते हुए दु:ख जाहिर किया था कि किसी भी देश के लिए अन्न का आयात करना काफी शर्मनाक की बात है, जबकि भारत कृषि प्रधान देश है और सर्वाधिक उपजाऊ भूभाग है, साथ ही भारतीय मेहनती, परिश्रमी रहे है, लेकिन वैज्ञानिक खेती का अभाव, कृषि संसाधनो का अभाव और मानसून की अनिश्चितता आदि कई कारण रहे, जिससे कृषि उत्पादन कम हुआ। 1965-66 तथा 1966-67 के दौरान भारत के कृषि मंत्री रहे सी. सुब्रह्मण्यम ने खाद्य आयात पर दु:ख प्रकट करते हुए कहा था कि इन दोनो वर्षों में हमने क्रमश: 100 तथा 110 लाख टन खाद्यान्न को आयात करना पड़ा था, वह भी 1200 मील दूर अमेरिका से मँगवाना पड़ा था।[1] एक दो बार तो इतनी नाजुक स्थिति थी कि हमारे पास मात्र एक दो सप्ताह का स्टॉक बचा था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन ने संकटकाल में अन्न भेजने में अनाकानी भी करते थे।

अत: भारत ने कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई।[2] नेहरूजी ने कृषि को विकसित करने के लिए वैज्ञानिक कृषि पर बल दिया। उन्होंने साफ कहा कि देश की महत्वपूर्ण समस्या का समाधान विज्ञान और वैज्ञानिक ही कर सकता है। उन्होंने जी.वी.पंत कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर भाषण देते हुए कहा कि कृषि शोध कार्य को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में क्रांति ला सकते है। इसके लिए आवश्यक है कि कृषि वैज्ञानिकों का चयन, कृषि विकास के लिए कृषि अनुसंधान केन्द्रों व कृषि कॉलेजों की स्थापना करना आदि। कृषि विकास के लिए देशभर में निम्न कृषि अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की गई।

यानि कृषि के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर उत्पादकता में वृद्धि पर ध्यान दिया गया। 1966 के दशक में अंतराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान-फिलीपीस से प्राप्त की गई चावल की बौनी किस्म IR-8 को भारत में उपजाया गया, जिससे उत्पादन में काफी वृद्धि हुई।[3] बाद में भारत में अनुसंधान के माध्यम से भारतीय कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा कई बौने किस्म के धान को विकसित किया। अभी धान के बंफर उत्पादन करने वाले 22 किस्म उपलब्ध है। जो पैदावार अधिक देती है और कम समय में, कम वर्षा में भी उत्पादन होता है। इसी प्रकार अन्य फसलों के विकसित किस्म का विकास भारत में किया गया। वैज्ञानिकों ने शोध कार्य के द्वारा ज्वार की 15 से अधिक उन्नत किस्में उपलब्ध है। वैज्ञानिकों द्वारा अधिक उत्पादकता वाली गेहूँ, मक्का, मोटे अनाजों के किस्मों का विकास किया गया है।4 अधिक उत्पादकता और विपरीत परिस्थितियों को झेलने वाली किस्मों का विकास किया गया है।

अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग 1963 ई. में भारतीय कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने साथ मिलकर हरितक्रांति की नींव रखी गयी और इन्दिरा गॉधी ने मैक्सिको से समझौता कर 18 हजार टन उन्नत अर्धबौनी किस्म के गेहूँ के बीजों को मँगवाये तथा अंतराष्ट्रीय चावल अनुसंधान, फिलीपींस से चावल के उन्नत बौने किस्म आई.आर.-8 के बीजों के लिए करार हुआ। प्रचुर मात्रा में किसानों को बीज वितरण के साथ खाद और कीटनाशक दवाओं का वितरण किया गया। शीघ्र ही हरितक्रांति के परिणामस्वरूप भारत का भण्डारण नयी बुलन्दी तक पहुँच गया। गेहूँ और चावल के अलावे कपास, गन्ना, सब्जी के उत्पादन में भी वृद्धि हुआ। 1978-79 ई. में 13.1 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ, जबकि इस बीच 1987 ई. में भयंकर सूखा पड़ा था, फिर भी दूसरे देश से अनाज मॉगने की जरूरत नहीं पड़ा। 1980 ई. तक गेहूँ की उपज में सात गुणा तथा चावल तिगुणा उत्पादन बढ़ गया था।

प्रथम हरित क्रांति की सफलता से प्रेरित होकर सरकार और कृषि वैज्ञानिकों ने द्वितीय हरित क्रांति की नीति बनाई। हालांकि प्रथम हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उळार प्रदेश तक सीमित रहा और सिर्फ गेहूँ के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। 1983-84 ई. में द्वितीय हरित क्रांति की योजना बनाते हुए बंगाल, बिहार, ओड़िसा तथा देश के अन्य भागो को शामिल किया गया तथा द्वितीय हरित क्रांति में गेहूँ के अलावे खाद्यान्न फसल, दलहन, तेलहन आदि के उत्पादन पर बल दिया गया। 1988-89 तक तेलहन उत्पादन 1 करोड़

78 लाख टन का उत्पादन हुआ, वहीं दूसरी तरफ दलहन के क्षेत्र में उत्पादन 1 करोड़ 45 लाख टन तक पहुॅच गया। इसी तरह नीलीक्रांति (मछली पालन) फलस्वरूप मछली पालन में जबरदस्त वृद्धि हुआ है और भारत तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। 2017-20 में कुल 1 करोड़ 41 लाख 60 हजार टन मछली का उत्पादन हुआ है।

जैविक खेती:- प्रथम और द्वितीय हरितक्रांति के दौरान अंधाधुन प्राकृतिक जलसंसाधनों का दोहन, रसायनिक खादों व कीटनाशकों के प्रयोग के कारण पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ा है, साथ ही सत्त विकास का लक्ष्य प्रभावित हुआ है। इसी को देखते हुए भारत सरकार तथा राज्य सरकार जैविक खेती पर बल दे रहे है। जैविक खेती के लिए जैव उर्वरक महत्वपूर्ण होता है।[5] इसके लिए भारत में जैव उर्वरकों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन 1964 से शुरू हो गया है। 1967 ई. में इफ्को ने जैव उर्वरकों के प्रयोग तथा उत्पादन पर बल दिया। नेफेड एक सहकारी समिति है, जैव उर्वरक के उत्पादन और वितरण का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावे जैव उर्वरक के प्रचार-प्रसार तथा उत्पादन के क्षेत्र में इफको तथा कृषकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जैव उर्वरकों पर शोध कार्य तथा उसकी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय जैव विकास केन्द्र, गाजियावाद तथा नागपुर, जबलपुर, हिसार, भुवनेश्वर, बंगलौर तथा इम्फाल में प्रादेशिक केन्द्रों की स्थापना की गई है। 1978 ई. में क्लोएवर और श्रोथ द्वारा दलहनी फसलों की जड़ो में 'राइजोबियम' नामक जीवाणु खोज निकालने के बाद किसानों द्वारा मटर, अरहर, मसूर, उड़द, मूंग, लोबिया आदि की खेती पर बल दिया जा रहा है। जैविक खेती में रासायनिक कीटनाशकों के जगह नीम, गोमूत्र आदि का छिड़काव करते है तथा एकीकृत कीट प्रबंधन तकनीक अपनाया जाता है, ताकि नाइट्रोजन उर्वरक जमीन से ही प्राप्त किया जा सके।[6] जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2001-02 में एक वृहतस्तर पर जैविक खेती की योजना बनाई है। इस योजना के अनुसार प्रत्येक प्रखंड में एक गांव को जैविक खेती के लिए चुना गया, जिसके तहत प्रथम वर्ष 313 गॉवों को जैविक खेती के लिए चुना गया। अगले वर्ष उसे बढ़ाकर प्रत्येक प्रखंड में पॉच गॉवों को जैविक खेती करने के लिए तैयार किया। मई 2002 में जैविक खेती पर परिचर्चा करने के लिए भोपाल में एक राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देशभर के कृषि वैज्ञानिक कृषक तथा कृषि विज्ञान में अध्ययन करनेवाले शोधार्थी आदि आये थे।

बिहार में जैविक खेती की शुरूआत 2015 ई. में हुई। केन्द्र सरकार ने बसोका (बिहार स्टेट सीड एण्ड आर्गेनिक सर्टिफिकशन) को जनवरी 2020 में अधिकारिक लाइसेंस मिलने के बाद इस क्षेत्र में तेजी काम शुरू हुआ है। आरंभ में प्रदेश के 13 जिलों में लगभग 18,061 एकड़ भूमि पर जैविक खेती की शुरूआत की गई है। यह जिला-पटना, बक्सर, भोजपुर, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगुसराय, मुंगेर, लक्खीसराय, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर तथा 13वें जिला के रूप में नालन्दा को जैविक कोरिडोर में शामिल किया गया है।[7] शीघ्र हीं 13 जिलों में शुरू की गई। जैविक खेती का दायरा 25 जिलों तक बढा दी गयी है तथा किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन देने के लिए 17 जैविक उत्पाद बिक्री केन्द्र बिहार में खोले गये है।[8] जैविक खेती पर एक संगोष्ठी नेहरू केन्द्र, मुम्बई में 4-6 मार्च 2022 ई. तक आयोजित हुआ था, जिसमें भारत के 13 राज्य तथा विश्व के 7 देश शामिल हुआ था, जिसमें बिहार ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए बिहार जैविक खेती में जैविक मिशन विशिष्ट पुरष्कार जीता। वर्तमान विळीय वर्ष 2021-22 में बिहार में कुल 39,594 किसानों द्वारा 45,36,326 एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। इसके साथ ही केन्द्र प्रायोजित पारम्परिक ''कृषि विकास योजना'' एवं ''नमामि गंगे योजना'' के तहत राज्य के 15 जिलों में जैविक खेती की योजना चल रही है।[9] बसोका द्वारा राज्य में एन.ए.बी.एल. एक्रिडेटेड बायो एण्ड फूड टेस्टिंग लैव की स्थापना पर योजना बना रही है, इससे बिहार के जैविक उत्पाद देश के बाहर निर्यात करने में आसानी होगी। बसोका द्वारा ही डी.एन.ए. फिंगर प्रिन्टिंग लैव में जी.एम.ओ. टेस्टिंग एवं जी.पी.एस. आधारित ऐटेंडेन्स ऐप विकसित किया है।

जी.एम. फसल:- खाद्यान्न् का उत्पादन बढ़ाने खाद्यान्न संकट को दूर करने एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ''जैनेटिकली मोडिफाइड'' अर्थात जी.एम. फसलों की खेती पर बल दिया जा रहा है,[10] क्योंकि 2021 ई. तक भारत को 36 करोड़ टन खाद्यान्न् की आवश्यकता है, जबकि दूसरी तरफ परंपरागत खेती की सीमा, जोतों का घटता आकार, बढ़ती जनसंख्या, फसलों पर कीटों और बीमारियों का बढ़ता प्रकोप के कारण खाद्यान्न् उत्पादकता घटा है। इसका कारण वैज्ञानिकों ने जीन मोडिफाइड खेती पर बल दिया जा रहा है। इससे जहॉ एक ओर कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, वहीं पोषकता में वृद्धि होगी और अधिक समय तक उत्पाद को सुरक्षित भी रख सकते है।

कृषि वैज्ञानिकों ने जी.एम. फसल मिट्टी में पाये जाने वाले ''वैसिल्स थूरेन्जेनिनिस'' नामक जीवाणु को लेकर जेनेरिक विधि से कपास, टमाटर, भिण्डी आदि फसलों के जीन में डालकर विकसित किया जाता है, जिससे इस फसलों पर कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे फसलों पर कीटों का प्रभाव कम हो जाता है।[11] जैविक खेती में बीज, पौधे, मिट्टी, व्यवहार आदि से जुड़े पहलू पर शोध कर विकसित किया जाता है।

जी.एम. फसलों का विकास सर्वप्रथम 1990 के दशक में विकास किया गया था, जब कैलिफॉर्नियॉ की एक कम्पनी ''कैलगेने'' ने टमाटर को विकसित किया था। 1996 ई. में अमेरिका जी.एम. फसलों की खेती की अनुमति दे दी गयी, शीघ्र ही दुनियॉ के अन्य दशों में फायदे और नुकसान पर विचार करते हुए इस तरह की खेती को अपनाया है, यूरोप के लगभग 7 देशों, एशिया और अफ्रिका

के 3 देशों कुल मिलाकर 25 देशों में इसकी खेती की मंजूरी मिल गयी है। भारत की जैव प्राद्योगिकी नियामक संस्थान द जेनेरिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमिटि (बायोटेक) द्वारा बीज अधिनियम, 1966 के तहत सर्वप्रथम बी.टी. कपास के तीन किस्मों मेक-12, मेक-162, मेक-184 को मंजूरी दे दी है । 2002 ई. में इसकी व्यवसायिक उपयोग की अनुमति दे दी है।[12] इसी प्रकार 2002 ई. में बी.टी. बैगन के व्यवसायिक उत्पादन की अनुमति दे दी है। 2005 ई. में मक्के के जीन पी एस वाइ को सीआरटीआई जीन को जोड़कर गोल्डन राईट-2 का निर्माण किया है, जो कई गुणा अधिक बीटाटीन उत्पन्न करता है। बी.टी. कपास की खेती करने से उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुआ है, जैसा कि जेनेरिक साइंस के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ.के.सी. बंसल ने कहा कि बी.टी. कॉटन की खेती की छूट मिलने से पहले भारत दुनियॉ के बड़े कॉटन आयातकों में शुमार था। बी.टी. कपास की अनुमति मिलने से भारत दुनियॉ के बड़े निर्यातकों में गिना जाने लगा है और आज 159 देशों में भारतीय कपास निर्यात करते है। इसी प्रकार दो दशकों के लम्बे प्रयास के बाद खाद्य तेल की कमी को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉ. दीपक पटेल ने जी.एम. सरसों की प्रगति धारा मास्टर्ड हाइब्रिज-11 को विकसिक किया था। हाल ही में केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम करनेवाली इकाई जेनेरिक इंजीनियरिंग एप्रूबल समिति यानि जी.ई.ए. सी. ने देश में जी.एम. सरसों धारा मस्टर्ड हाईब्रिज-11 (जी.एम.एच-11) की खेती की हरी झंडी मिल गयी है। इससे पहले 2017 ई. में जी.एम. सरसों के फील्ड ट्रायल की अनुमति दी गयी थी। इसे दिल्ली विश्वविद्यालय में ''सेंसर फॉर जेनेरिक मैनिपुलेशन ऑफ कॉल प्लांटस'' द्वारा विकसित किया गया है और दावा किया गया है कि सामान्य सरसों की किस्मों के मुकाबले जी. एम. एच-11 सरसों 30 प्रतिशत अधिक उत्पादन करेगा, जिससे दूसरी पीली क्रांति सम्भव है और भारत पुनः 1995 की स्थिति को हासिल कर पायेगा, क्योंकि 1995 तक खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर था, लेकिन अभी सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक देश है। डी.एच. एच-11 की विशेषताओं के चलते पर्यावरण मंत्रालय ने देश की पहली जी.एम. खाद्य फसल सरसों की अनुमति अक्टूबर, 2022 में मिल गया है, साथ ही अस्ट्रेलिया ने भारतीय जी.एम. सरसों की वाणिज्यक खेती की अनुमति दे दी है।

जी. एम. फसल पीड़करोधी होती है, जिससे फसलों में रासायनिक की कीटनाशकों आदि का प्रयोग को कम करता है। जी.एम. फसल लवणरोधी, तापरोधी, सूखारोधी तथा शीतरोधी फसलों को विकसित किया गया है, जिसे अत्यधिक लवणीय भूमि, अधिक ताप, सुखा तथा ठंडा में भी खेती की जा सकती है। एक ऑकड़े के अनुसार 1994-95 तक 482 ट्रांसजैनिक फसलों को तैयार किया जा चुका है। हाल में 5-6 वर्षों में आई.ए.आर.आई. और कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास से विभिन्न फसलों की 71 बायोफर्टिलाइज्ड किस्में विकसित की है, जो परम्परागत पुरानी किस्मों की तुलना में डेढ़ से तीन गुणा ज्यादा पौष्टिक है। हाल में ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आठ फसलों की 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित की।

ड्रोन आधारित कृषि विज्ञानः- वर्तमान समय में कृषि कार्यों के लिए सैटेलाइट आधारित आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस और ड्रोन का उपयोग बढ़ रहा है। हालांकि ड्रोर्न तकनीक सैन्य कार्यों के लिए विकसित किया गया था, लेकिन कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए कृषि कार्यों में प्रयोग हो रहा है। ड्रोन की मदद से खेतों की सिंचाई, मैपिंग, कीटनाशकों का छिड़काव आदि में काफी मदद मिलता है। भारत सरकार इसकी उपयोगिता को देखते हुए 1 दिसम्बर 2018 को कृषि क्षेत्र में ड्रोन की उपयोगिता को प्रभावी बनाने के लिए नई नीति की घोषणा की है। सितम्बर 2021 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्वचालित कृषि विज्ञान केन्द्र, रामगढ़ (झारखंड) में कीटनाशकों का छिड़काव कर सफल प्रदर्शन किया है। ड्रोन 15 मिनट में करीब 2.5 एकड़ में कीटनाशक की छिड़काव कर सकता है और ड्रोन एक बार उड़ान भरने के बाद लगभग 4 घंटे 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है।[13] हाल में कृषि मंत्रालय द्वारा 10 लाख रूपये तक किसानों को ड्रोन खरीदने में अनुदान उपलब्ध करा रही है। वित्तमंत्री सीतारमण ने बजट भाषण 2022 में बोलते हुए किसानों से ड्रोन तकनीक के लाभ लेने और अनुदान की घोषणा की थी।

कुल मिलाकर ड्रोन तकनीक किसानों के लिए बहुउपयोगी है, जो उपग्रह के माध्यम से लिए गए चित्र से उर्वरक, पानी, बीज कीटनाशकों के बेहतर उपयोग करने में सुलभ बनाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत ड्रोन महोत्सव, 2022 को सम्बोधित करते हुए बताया कि ड्रोन कृषि क्षेत्र के लिए गेमचेंजर साबित होगा, साथ ही कृषि को उच्चतम शिखर पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।[14] ड्रोन डुअल सिस्टम जी.पी.एस. और ग्लोनास के साथ एकीकृत होता है, जो रड़ार सैटेलाईट जी.पी.एस. से नियंत्रित होता है।

भारत सरकार ने डी.आर.डी.ओ. और संस्थानों से ड्रोन को विकसित करने तथा उत्पादन पर बल दे रहा है। भारत सरकार ने विदेशों से ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध कर दिया है और इनके निर्माण कार्य तथा इसके निगरानी के लिए डी.आर.डी.ओ. की एक शाखा वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान काम कर रही है। देश में ड्रोन के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2020 में 120 करोड़ रूपये के ''प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव योजना'' की घोषणा की है। गरूड़ एयरोस्पेस कंम्पनी ने भारत में 1 लाख ड्रोन विकसित करने का लक्ष्य रखा है।

कृषि कार्य को और भी उन्नत बनाने के तकनीकी के विकास पर बल दिया जा रहा है। इस दिशा में कृषि कार्य को कम जोखिम बनाने, आसान बनाने तथा उनके दबाब को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स का मदद लिया जा रहा है। यही कारण है इस तकनीकी पर विश्वास करते हुए 2019 तक वैश्विक स्तर पर कृषि में आई. ए. के अणुप्रयोग पर एक अरब अमेरिकी डॉलर निवेश

हो चुका है। इसकी उपयोगिता और बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 2030 तक यह निवेश 8 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुॅचने का अनुमान है। आई.ए. की सहायता से किसान वास्तविक समय में कई तरह के सटीक डाटा जैसे मौसम की स्थिति, पानी के उपयोग, मिट्टी की गुणवत्ता, आदि का विश्लेषण कर किसानों को सही सुझाव दे सकता है। इससे आई.ए. के माध्यम से फसल से सम्बन्धित पूर्वानुमान, आकलन, डाटा सम्बन्धी विश्लेषण शुरूकर दिया है और इस प्रणाली में इसरो द्वारा रिमोट सेंसिग डाटा के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड का डाटा उपलब्ध करा रही है और यह परियोजना असम, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। हाल के दिनों में कृषि के क्षेत्र में उन्नत तकनीक सूचना प्रोद्यौगिकी, बिजली 24X7 की उपलब्ता, सिंचाई सुविधा में विस्तार, फसल बीमा, किसान रेल, किसान उड़ान जैसी मूलभूत सुविधाएॅ बढ़ने से किसान की आय में वृद्धि हुआ है और किसान आत्मनिर्भर हुआ है। कृषि के क्षेत्र में नावाचार और उद्यमिता से जहॉ एक आर आमदनी में वृद्धि और आजीविका में सुधार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों की अनेक समस्याओं का समाधान भी प्राप्त होता है।

देश के शीर्ष कृषि अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गठित राष्ट्रीय कृषि इनोवेशन फंड के माध्यम से देश के 50 कृषि अनुसंधान संस्थानों में एग्री बिजनेस इनक्यूबेटर्स स्थापित किए है, ये इनक्यूबेटर्स कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप्स तथा उद्यमिता को प्रोत्साहन करती है।

कृषि आय को दुगुना करने, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने तथा कृषि क्षेत्रों में निवेश की संभवनाओं का तलाश करने के लिए 13 अप्रैल 2016 ई. को डॉ. अशोक दलबाई की अध्यक्षता में ''डबलिंग फार्मस इनकम कमेटि'' का गठन किया गया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2016 ई. से भारत सरकार प्रधानमंत्री फसल सीमा योजना की शुरूआत किया है, जिसके तहत फसल के नष्ट होने से बीमा प्रदान करने का प्रावधान है। हाल के वर्षों में कृषियंत्र, उपकरण और मशीनों के निमार्ण में आत्मनिर्भरता मिली है और इसका उपयोग तेजी से विकास हुआ है। ऐसे उपकरण डीजल पेट्रोल चालित के अलावे बैटरी चालित और सौर उर्जा चालित उपकरणों का प्रचलन बढ़ा है। कृषि यंत्रों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार सब्सिडी का प्रावधान करती है। कृषि आय को दुगुना करने के लिए कृषि वैज्ञानिक सुभाष पालेकर ने शून्य बजट प्राकृतिक खेती पर बल दिया। उन्होंने कृषि करने के लिए न किसी कीटनाशकों के प्रयोग किया न ही औषधियों के प्रयोग पर बल दिया हैं।

कृषि के क्षेत्र में नवाचार:- नवाचार के माध्यम से कृषि क्षेत्र में अनेक प्रयोग स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है, जो किसानों के आत्मनिर्भरता साथ हो पर्यावरण में अनुकूल होता है। हाल ही में आई.टी कानपुर के स्टार्ट अप एलसीबी फर्टिलाइजर्स के विशेषज्ञ ने बीजों पर नैनो उवर्रको की विशेष परत चढ़ाने में सफलता हासिल किया है, जिसकी मदद से बोआई के बाद 35 दिनों तक बीजों को खाद-पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे किसानों की खाद-पानी की बचत होगी।

रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 30 वर्षों से अनोखा प्रयोग कर 15 एकड़ में एक साथ 10 हजार किस्म के धान की खेती की जाती है और विलुप्त हो रहे प्रजातियों के संरक्षण के साथ नई किस्म के विकास पर कार्य कर रही है। यह धान की 23 हजार से अधिक किस्मों के ''जीनोम'' को संरक्षित करने के लिए सक्रिय जर्मप्लाज्म तकनीक अपनाई जाती है। यह फिलीपींस के मनीला स्थित अंतराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केन्द्र के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ''जीनोम'' संग्रहण केन्द्र बन गया है। कोई भी बीजों में जीनोम या भ्रूण तीन वर्षों तक जीवित रहता है अत: यहाँ चक्रीय पद्वति से 10-10 हजार किस्म के धान को उगाकर सुरक्षित रखा है। यहाँ सुगंधित धान की किस्मों सहित त्वचा संबंधी विकास में उपयोगी औषधीय लायचा धान, गठिघ्या के उपचार में उपयोगी गढुवन धान व प्रसव के बाद स्त्रीयों को पोषण देने वाला महाराजी धान आदि शामिल है। 60 से 70 दिन में पकने वाली प्रजाति तथा 70 सेमी से 100 सेमी ऊचाई वाली प्रजाति भी विकसित किया है।

गोरखपुर के एक किसान हरिशचंद्र ने महज एक एकड़ खेत में 50 से ज्यादा फसल उपजा कर खुद और देश को आत्मनिर्भर किया है।

रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 30 वर्षों से अनोखा प्रयोग कर 15 एकड़ में एक साथ 10 हजार किस्म के धान की खेती की जाती है और विलुप्त हो रहे प्रजातियों के संरक्षण के साथ नई किस्म के विकास पर कार्य कर रही है। यह धान की 23 हजार से अधिक किस्मों के ''जीनोम'' को संरक्षित करने के लिए सक्रिय जर्मप्लाज्म तकनीक अपनाई जाती है। यह फिलीपींस के मनीला स्थित अंतराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केन्द्र के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ''जीनोम'' संग्रहण केन्द्र बन गया है। कोई भी बीजों में जीनोम या भ्रूण तीन वर्षों तक जीवित रहता है अत: यहाँ चक्रीय पद्वति से 10-10 हजार किस्म के धान को उगाकर सुरक्षित रखा है। यहाँ सुगंधित धान की किस्मों सहित त्वचा संबंधी विकास में उपयोगी औषधीय लायचा धान, गठिया के उपचार में उपयोगी गढुवन धान व प्रसव के बाद स्त्रीयों को पोषण देने वाला महाराजी धान आदि शामिल है। 60 से 70 दिन में पकने वाली प्रजाति तथा 70 सेमी से 100 सेमी ऊचाई वाली प्रजाति भी विकसित किया है।

गोरखपुर के एक किसान हरिशचंद्र ने महज एक एकड़ खेत में 50 से ज्यादा फसल उपजा कर खुद और देश को आत्मनिर्भर किया है।

निष्कर्ष:- आज वैज्ञानिक खेती के बदौलत ही भारत में 2021-22 में 316.06 मिलियन टन रिकार्ड खाद्यान्न का उत्पादन किया है। भारत प्रथम हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति के द्वारा न सिर्फ खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल किया है, बल्कि जैविक खेती के माध्यम से सत्त विकास के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसी वैज्ञानिक खेती के बदौलत देश के भीतर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विश्व के देशों को खाद्यान्न निर्यात करने में सक्षम हुआ है। एक ऑकड़े के अनुसार 2019-20 में भारत से कृषि और उससे सम्बन्धित वस्तुओं के निर्यात ने लगभग 252 हजार करोड़ रूपये विदेशी मुद्रा अर्जित किए है, यानि खाद्यान्न के क्षेत्र में विश्व का लगभग 2.5 प्रतिषत निर्यात भारत से हो रहा है । 2021-22 में भारत 15 लाख टन गेहूँ अफगानिस्तान, बंगलादेश, इजराईल, इंण्डोनेशिया, नेपाल, ओमान, फिलीपीन्स, कतर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सूडान, थाइलैण्ड, खाड़ी देशों सहित कई देशों को निर्यात किया है। खासकर कोविड काल में भारत अनाजों का वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पाद समुद्री तथा कृषि उत्पादन सहित का निर्यात 50 विलियम डॉलर को पार कर गया है। एक ऑकड़े के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन 1965-66 ई. में 7.2 करोड़ टन था, जो 2017-18 में 27.75 करोड़ टन हो गया अर्थात 285 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

संदर्भ ग्रंथ सूचि

1. कुरूक्षेत्र, जुलाई 2024, (मासिक पत्रिका) प्रकाशन विभाग, दिल्ली, पृ. - 26
2. वही
3. रणजीत सिंह, भारत में कृषि (अनु.) रामस्वरूप अणरवी, एन बीटी, दिल्ली, पृ. - 55-56
4. सुषमा नैथानी, कृषि का संक्षिप्त इतिहास, सूक्ष्म से लेकर जीएमओ तक पृ. - 172
5. कुरूक्षेत्र, जुलाई, 2022, पृ. - 33
6. वही
7. कृषि रोड मैप की प्रमुख उपलब्धियाँ, कृषि विभाग, बिहार सरकार, पटना, पृ. - 5
8. वही
9. वही
10. सुषमा नैथानी, वही, पृ. 227-28
11. वही
12. वही
13. कुरूक्षेत्र, जुलाई, 2022, पृ. -
14. कुरूक्षेत्र अगस्त, 2022, पृ. - 36

आधुनिक काल में हिंदी उपन्यास और मजदूर वर्ग

डॉ० काजल कुमारी

हिन्दी विभाग, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा

सारांश- विकासवादी के साथ-साथ मनुष्य में लालच घृणा, मोह और दंग जैसी नकारात्मक भावनाओं ने अपना स्थान बना लिया है। इसी कारण आधुनिकता के दौर में पूंजी को ही सर्वोपरि समझा जाने लगा है आधुनिकता के इस दौड़ में विकासवाद के नाम पर समाज में वर्ग भेद विस्तार हुआ है उच्च वर्ग ने निम्न वर्ग को पशुओं की श्रेणी में रखकर उनके साथ पशु की ही भांति व्यवहार किया है। समाज का श्रमजीवी वर्ग बेरोजगारी, स्वास्थ्य, पलायन राजनीति, बेघर आदि समस्याओं में उलझ गया है भारत का श्रमिक वर्ग जितना ईमानदार है वो उतना ही शोषण कर रहा है। परिणाम स्वरुप भारत का मजदूर वर्ग अधिक गरीब हो रहा है बेरोजगारी, स्वास्थ्य, राजनीतिक, गरीबी, भुखमरी और पशुधन जीवन के कारण भारत का मजदूर पलायन होने के लिए विवश भी हुआ। परंतु पलायनता के बाद भी उनके जीवन में कुछ खास सुधार नहीं आया। साहित्यकार कल्पना एवं यथार्थ जीवन के अंश को जोड़कर श्रमजीवी वर्ग के दुख तथा पीड़ा को और अधिक रोचक बनाकर समाज तक पहुंचया है। भले ही साहित्य में कल्पना का अंश होता हो लेकिन यह कल्पना भी यथार्थ जैसी अनुभूति प्रकट होती है।

शब्द कुंजी- श्रमजीवी, मजदूर वर्ग, शहरी मजदूर वर्ग, ग्रामीण मजदूर वर्ग, गिरमिटिया मजदूर, मजदूर यूनियन, पूंजीपति वर्ग, शोषण, विकासवादी, पलायन।

भूमिका

आधुनिकता के इस दौर में और विकासवादी के साथ-साथ मनुष्य ललालची घृणा मोह और अनैतिकता जैसी नकारात्मक भावनाओं से घिर गया है। इसीलिए आधुनिकता के दौर में पूंजी को सबसे अधिक सर्वोपरि समझने लगा है। इसी कारण समाज में वर्ग वाद जैसी समस्या उत्पन्न हुई है। वर्गवादी समाज में एक तरफ उच्च वर्ग अर्थात पूंजीपति वर्ग है तो दूसरी तरफ निम्न वर्ग अर्थात श्रमजीवी वर्ग है उच्च वर्ग शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है तो सरल एवं मेहनती स्वभाव के कारण मजदूर वर्ग को शोषित वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। उनकी मासूमियत के कारण धूर्त और चालाक बुजुर्ग वर्ग मशीनीकरण से लेकर समाज के विकास के नाम तक उनका शोषण कर रहा है। भारत देश में औद्योगीकरण और मशीनीकरण ने जितना शोषण किया है उतना शोषण अंग्रेजों के कार्यकाल में भी नहीं हुआ था। इस बात की पुष्टि करते हुए सुमित सरकार ने कहा है भारत का वास्तविक शत्रु अंग्रेजी राज नहीं है बल्कि समग्र औद्योगीकरण की गहरी बेगानगी उत्पन्न करने वाले प्रभाव विशेष कर औपनिवेशिक परिस्थितियों ने उत्पन्न की थी। गांधी जी जैसे महान नेता भी मशीनीकरण का घोर विरोध करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि मशीनीकरण और औद्योगीकरण की वजह से समाज में बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न होगी और समाज का सबसे शक्तिशाली वर्ग युवा वर्ग इनकी चपेट में आ जाएगा। लेकिन आधुनिक समाज में अपनी सुविधा और सहजता के लिए मशीनीकरण को न केवल स्वीकार किया बल्कि उसे तेजी से बढ़ाया है। आज हमें तकनीक के संदर्भ में शिक्षा दी जाती है जबकि पहले तकनीक के बिना भी कहीं अधिक सक्षम व्यवस्थित और उपयोगी थी। उदाहरण स्वरूप हम ताजमहल को देख सकते हैं ताजमहल तकनीक के बिना भी प्राचीन काल को प्रदर्शित करने का जीवंत उदाहरण है ताजमहल की खूबसूरती के कारण ही शाहजहां ने उसे बनाने वाले मजदूरों के हाथ कलम कर दिए थे मजदूरों के शोषण की यह घटना जग विख्यात है।

प्राचीन समय में भारत में मजदूरों को पशुओं की भांति बंधक बनाकर प्रताड़ित किया जाता था इन्हीं सब कारणों से मजदूर यूनियन का गठन होना शुरू हो गया। भारत के बुद्धिजीवी समाज और राजनेताओं ने भारत के श्रमजीवियों के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया है जिसमें राजनीतिक आचार्य कृपलानी का नाम भी आता है। आचार्य कृपलानी ने किसान मजदूर पार्टी बनाई जिसमें किसानों और मजदूरों की हितों की रक्षा की जा सके। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य मजदूर वर्ग की समस्याओ से अस्तित्व और अनजान था। लेकिन भारतेंदु युग से हिंदी साहित्य में समाज की समस्या को स्थान मिला तब साहित्य में आदिवासी दलित स्त्री भी किन्नर और मजदूर वर्ग के जीवन की समस्याओं दिखाई देने लगी। 19वीं सदी के बाद से ही हिंदी साहित्य के सभी विधाओं में मजदूर वर्ग को स्थान मिला साथ ही साहित्यकार कल्पना एवं यथार्थ जीवन के अंश को जोड़कर श्रमजीवी वर्ग के दुख तथा पीड़ा को और अधिक रोचक बनाकर समाज तक पहुंचना है भले ही साहित्य में कल्पना का अंश होता है लेकिन वह कल्पना भी यथार्थ जैसी ही अनुभूति प्रकट करती है।

मजदूरों के प्लांट होने वाली स्थिति को स्पष्ट करते हुए मरंग गोरा नीलकंठ उपन्यास में लेखिका लिखती है कि तांबे की खदानों में काम करने के लिए ही तो वह आए थे मरंग गोरा। इसका जीता जाता उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लेखक एम एम चंद्रा 'प्रस्तोर' उपन्यास में लिखते हैं कि मिल बंद हो चुकी थी और अधिकतर मिल मजदूर शहरों में रिक्शा चलाने बिहारी मजदूरी और खेती मजदूरी के लिए जाते थे साथ ही इस समस्या को स्पष्ट करते हुए लेखिका मधु कांकरिया भी 'पत्ताखोर' उपन्यास में लिखती है कि पंचन आदिवासी

था उसकी कई पीढ़ियों ने हिमोलाइट पत्थर से लोहा बनाने का खानदानी काम किया था। इसके अलावा वह बांस एवं डालियां बनाने जैसे छोटे-मोटे काम वगैरह भी करते थे। इस तरह आर्थिक अभाव के कारण वे एक सूती बंडी कुछ तांबे के सिक्कों और रहने की एक अंधेरी कोठरी की अकल अख्तियार कर लेते हैं। आर्थिक बिहार के बाद भी श्रमजीवी वर्क समाज में किसी से अनुभूति नहीं चाहता क्योंकि सच्चा श्रमजीवी स्वानुभूति को समझता है।

इस तरह हिंदी साहित्य की नई साड़ी में ऐसे अनेकों उपन्यासों का सृजन किया है जिसमें श्रमिक वर्ग की चुनौतियां और इनको श्रम साधन जीवन की समस्याएं त्राहि त्राहि कर लोगों को बताना चाहती है कि देश का श्रमिक वर्ग आज इतना खतरे में है। अपने अच्छे दिन के सपने संजोए हुए अपने परिवार के खुशहाल जीवन की आशा और आकांक्षा लिए किस तरह धनाढ्य लोगों के हाथों शोषण हो रहा है इसी व्यवस्था के कानूनी स्वर नई सदी के उपन्यासों में बखूबी सुनाई पड़ते हैं। वर्ष 2005 में प्रकाशित विनोद कुमार का उपन्यास 'समर शेष' है जिसमे कोयला खद्दानों और पत्थर तोड़ाई का काम करने वाले उन श्रमिकों की व्यथा कथा चित्रित करता है जिनके पेट की भूख दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी दो जून की रोटी से शांति नहीं होती। ऐसी स्थिति में उनके परिवार का भरण पोषण किस तरह होता होगा यह अनुमान लगाना मुश्किल है। ऐसी समस्या सिर्फ कोयला खदानों में या ईट भट्टों में काम करने वाले श्रमिकों को ही नहीं है बल्कि देश के उन समस्त श्रमिकों की है जो दिन-रात हार्ट और मेहनत करने के बावजूद भी अपना जीवन सुचारु रूप से चलने में असमर्थ है। श्रमिकों की ऐसी स्थिति के पीछे पूंजीवाद की तथास्थता है। देश के पूंजीपति धनाढ्य लोग को यह भली भांति मालूम है कि अपना आर्थिक लक्ष्य पूर्ण करने के लिए किस तरह श्रमिक वर्ग को शोषण करना है। इस संदर्भ में अनेको उपन्यास जिसमें कुछ पुस्तक जैसे अश्विनी कुमार पंकज का 'यह धुआं कहां से उठता है' रामनाथ शिवेंद्र का उपन्यास 'हरियल की लकड़ी' एम एस चंद्र का उपन्यास 'प्रस्तोर' जयनंदन का 'रहमतों की बारिश' महेंद्र भीष्म का उपन्यास 'बैरी' आदि उपन्यासों में भी दिखाई देती है।

इस प्रकार कहा जा सकता है की नई साड़ी में श्रमिक जीवन की चुनौतियां एवं उनकी समस्याएं नई-नहीं है बल्कि यह पहले से ही चली आ रही है अंतर बस इतना सा है कि शोषक वर्ग का मुखौटा बदल गया है नई सदी के श्रम और श्रम साधक तथा 20वीं सदी के श्रम और श्रमसाध्य में विशेष अंतर कुछ लक्षण नहीं होता है। अंतर सिर्फ यह है कि आधुनिकीकरण की अत्यधिकता से औद्योगिक जगत में मशीनों का आगमन तीव्र गति से हुआ है जिससे श्रमिक वर्ग के पांव उखड़ गए हैं। इसी कारण दोहरी मार्ग सहनी पड़ रही है इन सब का चित्रण साहित्यकार ने अपने हिंदी उपन्यासों में भली भांति किया है।

संदर्भ सूची -

1. श्री लाल शुक्ल, राग दरबारी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली संस्करण 2017
2. डॉ० सीमा मिश्रा, श्री लाल शुक्ल के राग दरबारी का राजनीतिक
3. डॉ० राधा दीक्षित, राग दरबारी का शैली वैज्ञानिक अध्ययन।
4. डॉ० शिवकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य युग और प्रवृतियां।
5. डॉ० बापू राव देसाई, हिंदी व्यंग्य विद्या शास्त्र और इतिहास।
6. डॉ० शांति स्वरूप गुप्त, हिंदी उपन्यास महाकाव्य के स्वर।
7. एम० एस० चंद्रा, प्रस्तौर, डायमंड पॉकेट बुक नई दिल्ली।
8. कॉल मार्क्स, उजरती श्रम और पूंजी, राहुल फाउंडेशन लखनऊ पहला संस्करण जनवरी 2006।
9. कार्ल मार्क्स, मजदूर दाम और मुनाफा, राहुल फाउंडेशन लखनऊ पहला संस्करण जनवरी 2006।
10. डॉ०आर०एन० गौर, राजहंस प्रकाशन मंदिर मेरठ।
11. डॉ० महाराज सिंह परिहार, अभय प्रकाशक मंदिर चारसू दरवाजा आगरा।

'न भूतो न भविष्यति' उपन्यास में जीवन दृष्टि और संवेदना

कृष्ण देव

असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, एस आर के (पीजी) कॉलेज फिरोजाबाद, उ0प्र0

नरेन्द्र कोहली हिन्दी साहित्य जगत् में विशिष्ट स्थान रखते हैं। व्यंग्यकार, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार आदि के रूप में इन्होंने विशेष ख्याति अर्जित की है। इनके विभिन्न उपन्यास और व्यंग्य भारतीय संस्कृति के उद्गाता के रूप में अपने लक्ष्य को रेखांकित करते हैं। इनके उपन्यासों की महत्वपूर्ण विशेषता बोध के स्तर पर पौराणिकता की रक्षा करते हुए अपने युग और समाज के सच को भी उजागर करना है।

सन् 2004 ई0 में प्रकाशित उपन्यास 'न भूतो न भविष्यति' नरेन्द्र कोहली की प्रमुख रचना है। इसमें स्वामी विवेकानन्द के जीवन को आधार बनाया गया है। इसके केन्द्र में स्वयं विवेकानन्द का जीवन, लक्ष्य, कर्म और संघर्ष है तो राष्ट्रीय अस्मिता बचाने के महत् उद्देश्य को लेकर यह उपन्यास आगे बढ़ता है। एक तरफ ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य है तो दूसरी तरफ ईश्वर रूपी पीड़ितों की सेवा करने की लालसा। यहाँ कोहली का उद्देश्य व्यापक हो जाता है। इस प्रक्रिया में परम्पराओं की पूरी तरह रक्षा करते हुए अपने युग के राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए अनिवार्य राष्ट्रीय एकता, सामाजिक-साम्प्रदायिक सद्भाव, नारी मातृस्वरूपा, जातिगत प्रश्नों को अत्यन्त कलात्मक ढंग से रखा गया है। अतः यह उपन्यास जितना जीवनाधारित है उतना ही समकालीन। 'न भूतो न भविष्यति' उपन्यास के सृजन के पीछे नरेन्द्र कोहली का उद्देश्य अतीत-वैभव की भव्यता का चित्र प्रस्तुत करना नहीं था और न ही ऐतिहासिक घटनाओं को प्रस्तुत करना। इस उपन्यास का उद्देश्य है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन युगीन जीवन के आंतरिक यथार्थ को उद्घाटित करना। इस उपन्यास में मानवीय मूल्यों की चिंता, मानवता की स्थापना, नारी उद्धार, जातिविहीन समाज, संस्कृति की विशेषता द्वारा स्वतंत्र भारत की कल्पना को साकार करने का प्रयत्न किया गया है। यह लेखक की गहरी सूझ-बूझ, यथार्थवादी दृष्टिकोण और सर्जनात्मक विशिष्टता का ही प्रमाण है कि विवेकानन्द के समय की समस्याएँ उस समय जितनी सार्थक थी आज के संदर्भ में भी उतनी ही संगत है। इस उपन्यास में जितनी गहराई है, व्यापकता है, उतनी ही विश्वसनीयता भी है। इसका कारण है स्वामी जी का समय बीते एक सदी से थोड़ा ही ज्यादा हुआ है, इस कारण सब जानकारी सुलभ ही प्राप्त हो जाती है।

'न भूतो न भविष्यति' में एक लोकोत्तर प्रेम की संवेदना है। ईश्वर के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति प्रेम और राष्ट्र तथा संस्कृति के प्रति प्रेम। यह प्रेम अपनी गहनता, तीव्रता, त्याग और संयम में अद्वितीय है। नरेन्द्र का गुरू प्रेम भक्ति की पराकाष्ठा है, ईश्वर को देखने की उत्सुकता उसके प्रेम को उदात्त रूप प्रदान करती है।

'न भूतो न भविष्यति' उपन्यास के भीतर एक राष्ट्रीय संकट का इतिहास बोध भी सन्निहित है। किसी भी राष्ट्र के इतिहास में राजनीतिक संकट, जिसमें विदेशी शक्तियों के आक्रमण भी शामिल है। जिस समय विवेकानन्द का आविर्भाव हुआ था उस समय भारत गुलाम था। उपन्यासकार कोहली के मस्तिष्क में यह गुलामी राष्ट्रीय संकट के रूप में विद्यमान थी।

''जिस देश में करोड़ों लोग महुआ खाकर दिन गुजारते है, और दस-बीस लाख साधु और दस-बारह करोड़ ब्राह्मण उन गरीबों का खून चूस कर जीते हैं, और उनकी उन्नति के लिए कोई चेष्टा नहीं करते, वह देश है या नरक? ×××।। प्रत्येक देश में बुराइयाँ धर्म के कारण नहीं, वरन् धर्म को न मानने के कारण ही विद्यमान रहती हैं। दोष धर्म का नहीं, समाज का है। स्वामी ने स्वप्न देखा: संन्यास और सेवा ये युगल विचार ही भारत का उद्धार कर सकते हैं।''[1]

स्वामी जब हैदराबाद स्टेशन पर उतरे तो स्वागत में बड़ी संख्या में लोग आ गए। स्वामी को लगा कि माँ कह रही है रुक जा, अमेरिका जाने की क्या आवश्यकता है। यही तुझे सब मिल जाएगा। स्वामी को सब माया प्रतीत होता है। वे कहते है- ''तुम नहीं चाहतीं कि मैं शिकागो जाऊँ तो स्पष्ट बता दे न माँ! इतनी माया रचने की क्या आवश्यकता है? मैं तो तुम्हारे आदेश के भ्रम में अमेरिका जाना चाहता था। तुम नहीं चाहती तो क्यों जाऊँगा।''[2]

इन पंक्तियों से मालूम होता है कि स्वामी का मन बच्चे के समान हो रहा है। जैसे माता के इन्कार कर देने के बाद भी कोई बालक माता का आँचल पकड़कर तब तक जिद करता है जब तक माँ मान न जाए। बालक वही रूप प्रस्तुत करता है जो माता चाहती है। तब अन्त में माता बच्चे की जिद को पूरी कर देती है, वैसे ही स्वामी जी का मन विचलित हो रहा है।

'न भूतो न भविष्यति' में ईश्वर को ही सब कुछ माना गया है। वही सबका स्वामी हैं, स्वामी जी जब कनाडा पहुँचे तो वहाँ गोरे लोग सम्पन्न वेश में थे और काले, मजदूर वेश में। लल्लूभाई ने बताया कि जो अधिक पैसा देकर टिकट खरीदता है वह सुख से यात्रा

करता है। स्वामी ने कहा इस संसार के आगे भी एक यात्रा है जहाँ किसी को अच्छे टिकट की चिंता नहीं है। यह समझाने की आवश्यकता नहीं है कि वह यात्रा मृत्यु की है।

कोहली ने भारत की नारियों पर विवेकानन्द के माध्यम से दृष्टि डाली है। योगेन्द्र बाला के माध्यम से कोहली ने बताना चाहा है कि अशिक्षा के कारण ही देश में ऐसी घटनाएँ होती हैं। स्त्रियों का उद्धार शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। स्वामी जी एक स्थान पर कहते है- ''भारत में नारी संबंधी आदर्श बहुत महान है; किन्तु उनकी वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है। हम शाक्त हैं। किन्तु शाक्त का अर्थ क्या है? शराब और भांग का सेवन?'' ××××। क्यों नहीं मेरे देशवासियों को समझाते कि जगत् में सर्वव्यापक महाशक्ति तुम ही हो। जो स्त्रियों को तुम्हारी शक्ति का रूप माने, वहीं शक्ति का पुजारी है।''[3]

नरेन्द्र कोहली ने आधुनिक विश्व की स्पष्ट झलक को स्वामी जी के माध्यम से सामने रखा है। साथ ही एक प्रकार से घोषणा की है कि आने वाला समय चीनियों का होगा। यह कोहली की संवेदना ही है- ''विनाश आ रहा है। तुम ईसाई हो ही कितने? संसार के एक तिहाई भी तो नहीं। उन चीनियों को देखों। वे हैं ईश्वर के प्रतिशोध का साक्षात् रूप। और वे तुमपर टूट पड़ेगे। एक बार फिर जैसे हूणों का आक्रमण होगा। ××××। ''वे सारे यूरोप पर छा जाएँगे। एक बार फिर से अंधकार युग का आरम्भ होगा।'' ×××। ''विनाश तो आकर ही रहेगा। ईश्वर के प्रतिशोध को तो आना ही है। किन्तु उस विनाश में से एक नए और सुंदर विश्व का निर्माण होगा।''[4]

कोहली जी के 'न भूतो न भविष्यति' उपन्यास में अतिमानवीय तत्त्व नहीं हैं। इसमें मनुष्य के लिए अपेक्षित उदात्त गुणों के साकार स्वरूप हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानन्द दु:खी मानवता की सेवा करने वाले, उन्हें ऊँचे आध्यात्मिक स्तर पर उठाने वाले महामानव हैं। स्वामी जी के विचार आधुनिक युगबोध को वाणी देते प्रतीत होते हैं। स्वामी जी भारत की राष्ट्रीय एकता पर चिंता प्रकट करते है। वे देश के पतन का कारण खोजते हैं फिर उन्हें सुधारना चाहते हैं। ऐसा लगता है कोहली अपने मन की बात स्वामी जी के द्वारा कहलवाते हैं। दोनों धर्म और राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। स्वामी जी धर्मग्रन्थों के उदाहरण देकर अपनी बातों को सिद्ध करते हैं। कोहली का मानना है कि समाज में कुप्रथाओं को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। कोहली आधुनिक युग में सती-प्रथा, बाल-विवाह, मदिरा-सेवन, जाति-प्रथा, छुआछूत आदि का विरोध करते हैं तथा स्त्री शिक्षा, समाज सुधार, विधवा विवाह आदि के पक्ष में आधुनिक युगबोध को व्यक्त करते हैं। नरेन्द्र कोहली एक आस्तिक रचनाकार हैं। वे अन्य रचनाकारों की तरह केवल समस्याएँ नहीं देते बल्कि उन समस्याओं का समाधान भी देते चलते हैं।

कोहली के राष्ट्र-निर्माण संबंधी विचारों में प्राचीन और आधुनिक दोनों तत्वों का सामंजस्य है। स्वामी जी का कहना है- ''हमने विद्या को अपनाया और अविद्या को एकदम छोड़ दिया। अध्यात्म को अपनाया और संसार को छोड़ दिया। वस्तुत: हमनें अध्यात्म को भी ठीक से नहीं अपनाया। मैं कहना चाहता हूँ कि संसार की उपेक्षा न हो। प्राचीन ज्ञान के साथ हम नए ज्ञान को भी जोड़े। देश में विज्ञान के विश्वविद्यालय खुले। कल-कारखाने आएँ। उद्योग फैले।''[5] ''कोहली जी आधुनिक युग में वैज्ञानिक उन्नति भी चाहते हैं। वे विज्ञान के विश्वविद्यालय, कल-कारखाने तथा उद्योग-धंधों के पक्षधर हैं किन्तु वे शिक्षा का व्यवसायीकरण सही नहीं मानते। वे मानते है कि भारत का विकास और निर्माण उसी सर्वोच्च आध्यात्मिक चेतना की पुन: प्रतिष्ठा से होगा, जिसने उसे सदा के लिए भक्ति, श्रद्धा और मानवता का पालना बना दिया था। वे ऋषियों की उस संस्कृति को पुन: स्थापित करने के पक्षधर हैं जिसमें धर्म के आचरण को संसार की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है।''[6]

नरेन्द्र कोहली ने आधुनिक युवा वर्ग की समस्याएँ तथा उनके समाधान भी रखे हैं। अलवर के मेजर रामचंद्र की हवेली के बाहर मैदान में एक युवक स्वामी जी से अपनी मनोदशा कहता है जो वास्तव में युवा वर्ग के चिंतन का यथार्थ स्वरूप है-

''आप हमें सच्चाई से जीना सिखाते हैं, ईमानदारी और साहस जैसे गुणों की चर्चा करते हैं। सात्विक और नि:स्वार्थ सेवा से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए कहते हैं। किंतु क्या यह संभव है। जो व्यक्ति नौकरी में हैं, उसके लिए तो एकदम ही सम्भव नहीं है।''[7] यहाँ लेखक ने आधुनिक युवा वर्ग के चिंतन की ओर संकेत किया है।

स्वामी युवाओं को सम्बोधित करते हुए कहते हैं- ''हमारे युवक पढ़-लिख कर नगरों की ओर नहीं ग्रामों की ओर बढ़ें। हमारे ग्रामों में जो ज्ञान की भूख है, उसे देखो। पढ़ा लिखा आदमी जाकर ग्रामीणों के बीच बैठता है तो वे उसका सम्मान करते हैं। इस प्रकार ऊँच-नीच का भेद कम होता है। समाज में समरसता आती है। सरमा ! तुम भी ज्ञान प्राप्त कर खेती करो। ×××× तुम लोग संस्कृत और अंग्रेजी दोनों पढ़ो। संस्कृत इसलिए कि अपने देश, अपने धर्म, अपने प्राचीन ज्ञान को जान सको और अंग्रेजी इसलिए कि पश्चिम से आए आधुनिक ज्ञान से परिचित हो सको।''[8]

स्वामी अतीत को भी वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से परखकर अपनाने की बात कहते हैं। भारतीय इतिहास के संबंध में व्याप्त भ्रांतियाँ उसका अव्यवस्थित रूप, कालक्रम त्रुटियाँ आदि पर विचार करते हुए कहते हैं कि हमारा अतीत गड़बड़ नहीं है, उसका चित्रण ठीक नहीं हुआ है। वे इसका कारण स्पष्ट करते हुए कहते हैं- ''हमारे देश का इतिहास अंग्रेजों ने लिखा है। क्यों लिखा हैं उन्होंने? क्या आवश्यकता थी, उन्हें हमारा इतिहास लिखने की? ××××× हमें दुर्बल बनाने के लिए। ×××× वे हमारे पतन का चित्रण करते हैं। हमारे

दोषों को खोजते हैं। दोष नहीं हैं तो गढ़ते हैं। जो घटनाएँ कभी नहीं घटीं, उनकी कल्पना करते हैं। घटनाओं के मनमाने कारण आविष्कृत कर लेते हैं। झूठे प्रमाण जुटाते हैं।''[9]

स्वामी नवयुवकों को भारत के विज्ञजनों को, अपने देश के लिए कर्म करने को प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं- ''हम वेदों, पुराणों और भारत के प्राचीन आलेखों को पढ़े और भारत का वास्तविक, सहानुभूतिपूर्ण और प्रेरणादायक इतिहास लिखना अपने जीवन भर का कार्य और लक्ष्य बना लें। भारत का इतिहास लिखना भारतीयों का काम होना चाहिए, अंग्रेजों का नहीं। ××× वही वास्तविक राष्ट्रीय शिक्षा होगी। उसके विकास से ही वास्तविक राष्ट्रीय चेतना जन्म लेगी।''[10]

कोहली जी लेखन का उद्देश्य राष्ट्र-निर्माण की प्रेरणा देना मानते हैं। स्वामी विवेकानन्द के माध्यम से वह कहते हैं- ''मेरे सामने एक लक्ष्य हैं, और यदि तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरा वह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा।''[11] यह कोहली के राष्ट्र-प्रेम की अभिव्यक्ति है, साथ ही युवा पीढ़ी का देश के उत्थान के लिए आह्वान भी है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 'न भूतो न भविष्यति' उपन्यास में भारतीय जीवन दृष्टि के अनेक सुन्दर पक्षों का सजीव चित्रण हुआ है, साथ ही इस उपन्यास में नरेन्द्र कोहली की संवेदना देखते ही बनती है।

संदर्भ सूची:

1. न भूतो न भविष्यति, नरेन्द्र कोहली, पृ0 510
2. न भूतो न भविष्यति, नरेन्द्र कोहली, पृ0 533
3. न भूतो न भविष्यति, नरेन्द्र कोहली, पृ0 562
4. न भूतो न भविष्यति, नरेन्द्र कोहली, पृ0 579
5. न भूतो न भविष्यति, नरेन्द्र कोहली, पृ0 413
6. मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद् पत्रिका, अक्टूबर-2013, पृ0 22
7. न भूतो न भविष्यति, नरेन्द्र कोहली, पृ0 292
8. न भूतो न भविष्यति, नरेन्द्र कोहली, पृ0 295
9. न भूतो न भविष्यति, नरेन्द्र कोहली, पृ0 295
10. न भूतो न भविष्यति, नरेन्द्र कोहली, पृ0 296
11. न भूतो न भविष्यति, नरेन्द्र कोहली, पृ0 407

सिंधु घाटी सभ्यता में रसायन विज्ञान का विकासः एक अध्ययन

विकास कुमार

(शोधार्थी) स्नातकोत्तर इतिहास विभाग, ति० माँ० भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

मानव सभ्यता के विकास में विज्ञान की महत्ती भूमिका रही है और विज्ञान में रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रसायन विज्ञान, विज्ञान की अन्य शखाओं के साथ भी अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है, जैसे - जैव प्रौद्योगिकी, कृषि रसायन विज्ञान, औषधी विज्ञान आदि। इस प्राचीन भारत में रस विद्या, रसशास्त्र, रसतंत्र सभी रसायन विद्या से जुड़े थे। रसायन विज्ञान की विकास दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के क्रम में हुआ जैसे- दही, घी, इत्र, रंग, मधु, धातुओं के औजार, बर्त्तन, मूर्ति, श्रृंगार के चीजें चूड़ी, लिपिस्टक, साबुन, सिंदुर आदि। सभी लोगों के दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान की महत्ती भूमिका है, चाहे किसान हो और वह रासायनिक खाद का प्रयोग करता हो, चाहे वह डॉक्टर हो और वह औषधि के निर्माण में रसायन का प्रयोग करता हो, चाहे महिलाओं के प्रसाधन सामग्री हो या श्रृंगार के अन्य महत्वपूर्ण वस्तुऐं हो, यानि किसी न किसी रूप में रसायन विज्ञान से जुड़े हुए है।

इसलिए रसायन विज्ञान का इतिहास का अध्ययन या जानकारी आवश्यक है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में रसायन शास्त्र का भरपूर विकास हुआ था, चाहे वह धातुकर्म उद्योग के क्षेत्र में हो या औषधि क्षेत्र हो। प्राचीन भारत में कोटी के रसायनविद् हुए, जिसमें चरक, सुश्रुत, वृंद, नागार्जुन आदि प्रमुख है, जिनके शोध व अनुसंधान से रसायन विज्ञान का भरपूर विकास हुआ।

इसकी शुरूआत या विकास का इतिहास भारत की प्राचीनतम सभ्यता सिंधुघाटी से हीं देखा जा सकता है और सिंधुघाटी सभ्यता में रसायन विज्ञान का ऐसा-वैसा विकास हुआ, जो आश्चर्य की बात है, चाहे वह धातुकर्म के द्वारा कांस्य की मूर्ति, बर्त्तन आदि का निर्माण हो या महिलाओं की श्रृंगार व प्रसाधन सामग्री की चीजें हो या चित्रित मृदभांड के निर्माण हो या ईटों के पकाने से लेकर, जोड़ने के लिए जिप्सन और चुना का प्रयोग हो, यानि सिंधुघाटी सभ्यता में रसायन विज्ञान का भरपूर विकास हुआ था। इसकी सुक्ष्म विशलेषण करना इस शोधपरक आलेख की उद्देश्य है।

मुख्य शब्द - रसायनशास्त्र, धातुकर्म, धातुमल, कांस्यमूर्ति, चूना-जिप्सन, लिपिस्टक, औषधि।

हमारे जीवन में रसायन तत्वों के साथ घनिष्ट संबंध है। अगर दैनिक आवश्यकता या रोजमर्रा के चीजों में रसायन के किसी न किसी शाखा जैसे अकाबर्निक रसायन, काबर्निक, भौतिक रसायन, जैव रसायन आदि का प्रयोग होता है, इसमें जुड़े है या इसके साथ संबंध है। अगर और भी स्पष्ट कर दूँ तो कहे कि रोजमर्रा की चीजें जैसे- नमक, धातु, साबुन, तेल, दही, घी, धूप-दीप, कंघी-सीसा, कागज-कलम दवात, आदि सभी रसायन विज्ञान का हीं अंग है। सबसे महत्त्वपूर्ण हमारे चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान के बिना अधूरा है। दवाइयों व औषधि के निर्माण में रसायन विज्ञान का भरपूर योगदान रहा है। हमारे महिलाओं से जुड़े प्रसाधन व श्रृंगार सामग्री हो या रसोइघर से जुड़े समान हो, बिना रसायन विज्ञान के अधूरा है।

अगर रासायन विज्ञान के विकास का गाथा पढ़े तो हम पाते है कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, मिस्त्र की सभ्यता आदि में भरपूर विकास हुआ था। मिस्त्र के इतिहास में ममी को सुरक्षित रखने की परंपरा से रसायन विज्ञान के भरपूर विकास की जानकारी मिलती है।

अगर भारत की प्राचीनतम मानव सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की बात करे तो हम पाते है कि इस प्राचीनतम सभ्यता में रसायन शास्त्र का भरपुर विकास हुआ था। यह सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता होना हीं रासायनशास्त्र का भरपूर विकास इस सभ्यता में होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। चूँकि धातु विद्या, रसायन शास्त्र के अंतर्गत आती है। यानि रसायन विद्या के अंतर्गत धातु कर्म उद्योग, धातु को गलाने, संयुक्त धातु के निर्माण आदि धातु विज्ञान का महत्त्वपूर्ण विषय रहा है। सिंधुवासी सभ्यता में धातु- ताँबा, काँसा, सोना का निष्कर्षण, अपचयन और गलाने जैसी रसायनिक विद्या का विकास कर लिया था। अगर प्राचीन भारत के आयुर्वेद का अध्ययन करें तो रसतंत्र, रस विद्या, और रस क्रिया जैसे विद्याओं का उल्लेख मिलता है, जो रसायन शास्त्र के विकास का बोध होता है।

अगर भारत के सबसे प्राचीनतम सभ्यता की बात करे तो देखते है कि रसायन विज्ञान का भरपूर विकास हुआ था। सिंध के क्षेत्र में बसे मोहनजोदाड़ों और पंजाब के क्षेत्र में बसे हड़प्पा क्षेत्रों, यानि हड़प्पा-मोहनजोदाड़ो सभ्यता में रसायन विज्ञान के विकास की प्रयोग साक्ष्य उपलब्ध है। विभिन्न हड़प्पाई स्थलों से खुदाई में मिले साक्ष्यों जैसे धातु मल, धातु अयस्क, धातु के औजार, कांस्य मूर्ति, चित्रित मृदभांड, लिपिस्टिक आदि से रसायन विज्ञान के भरपूर विकास की जानकारी मिलती है। सभी इतिहासकारों ने माना है कि हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। चूँकि हड़प्पाई स्थलों से कास्य (ताँबा + टीन) के बने औजार जैसे - कुल्हाड़ी, भालाग्र, वाणाग्र, ढाल, उस्तुरा, आरी, छुरा, छेनी, मछली पकड़ने के ढेरो सारा औजार मिला है। इन धातु के बने औजारों को देखने से समझ में आता है कि सिंधुघाटी के निवासी 2500 B.c. तांबा और टीन को मिलाकर काँसे के निर्माण करना सीख लिया था।[1]

सिंधुवासी ठोस धातुओं की मूर्ति बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, मूर्तियों का निर्माण 'लुप्त मोम पद्धति' करते समय मोम का पुतला या साँची विधि से करते थे। यानि हड़प्पावासी धातुओं की मूर्तियों पर औजार का निर्माण करते हुए तीन प्रकार के विधि का प्रयोग करते थे, प्रथम - खुली साँचे में ढलाई विधि, दूसरा- बन्द साँचे में ढलाई तकनीक, तीसरा- लुप्त मोम पद्धति।[2] खासकर मूर्तियों के निर्माण में लुप्त मोम पद्धति का प्रयोग करते थे।

कुल मिलाकर ताम्र और कांस्य धातुओं के सभी विद्या से अवगत थे। धातुओं के जलाने के भट्टी के साक्ष्य मिले है। सिर्फ हड़प्पा से सोलह ताम्र भट्टी के अवशेष मिले है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से तांबे का ढेर और भट्ठी मिलने से संकेत मिलता है कि सिंधुघाटी से तांबे को गलाने के लिए आवश्यक तापमान 10850 सेंटीग्रेड तक हासिल करने तथा आग को नियंत्रित करना सीख लिया था।[3] बर्तनों व अन्य धातु औजारों को देखने से यह संकेत मिलता है कि सिंधुवासी तांबा की 80 प्रतिशत तथा टीन की 20 प्रतिशत मात्रा को मिलाकर कांसा का निर्माण करना सीख लिया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्रों में इन औजारों के सूक्ष्म विश्लेषण से पता चलता है कि सिंधुवासी टीन की मात्रा 20 प्रतिशत तक रखते थे।[4] 18-19वीं शताब्दी के रसायनविद् वृंद[5] की रचना 'रसरत्नसमुच्चय' में भी आठ भाग तांबा और दो भाग टीन को मिलाकर काँसे के औजार बनाने का उल्लेख मिलता है। आज भी कांसे के निर्माण में यही मात्रा मिलाया जाता है। इसका अर्थ है कि सिंधुवासी धातु विज्ञान व रसायन विज्ञान का ज्ञाता थे। सिंधुवासी सोना, चाँदी आदि के बने आभूषण बनाते थे, इससे भी साबित होता है कि धातु विज्ञान के सभी विद्या धातु का निष्कर्षण, धातु को गलाने आदि रसायनिक क्रिया-कलापों से अवगत थे।[6]

सिंधुवासी रासायनिक विद्या के अन्तर्गत ईटो को पकाने, चिनी मिट्टी के बर्तन निर्माण करने, सेलखड़ी की मुहरें तथा चूना-जिप्सम (Caso4.2H2O) का निर्माण करना जानते थे।[7] चूना-जिप्सम का प्रयोग पक्की नालियों के निर्माण व ईटों को जोड़ने तथा पक्की मकान के निर्माण करने में करते थे। जिप्सम सीमेंट में चूना, रेत और सूक्ष्म मात्रा में ब्ब्ब्3 मिलाया गया है। हड़प्पावासी रसायनिक विधि से विभिन्न खनिजों और कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण से रंगों के निर्माण करना सीख लिया था। सिंधुघाटी सभ्यता से प्राप्त रंगीन कपड़े तथा रंगीन बर्त्तनों का साक्ष्य मिला है। बर्त्तनों को रंगने के लिए सफेद रंग चूने से, काला रंग चारकोल और कालीख से तथा चॉकलेट या पर्पल रंग मैग्नीज ऑक्साईड से बनाते थे।[8] इस प्रकार सिंधुवासी रसायन उद्योग का काफी विकास कर लिया था। हड़प्पाई लोग फेएन्स बनाते थे, जो एक प्रकार का काँच होता था, वह सीसा, चाँदी, सोना और ताँबा जैसी धातुओं को पिघलाकर और पफोर्जन द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ बनाते थे।[9]

महिलाओं की प्रसाधान सामग्री हो या श्रृंगार की अन्य वस्तुऐं के निर्माण में रसायन विज्ञान की अपना काम करता है। हड़प्पा के पुरातात्विक स्थलों से महिलाओं की प्रसाधान व श्रृंगार के अनेक वस्तुएँ प्राप्त हुई है। सबसे महत्वपूर्ण लोथल से लिपिस्टिक का कारखाना मिला है, जहाँ लिपिस्टिक बनाये जाते थे।

कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता में रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान से जुड़े प्रौद्योगिकी का काफी विकास हुआ था। चाहे रोजमर्रा की चीजें बर्त्तन, श्रृंगार की वस्तुऐं जैसे लिपिस्टिक या धातु निर्माण प्रौद्योगिकी का काफी विकास हुआ था। यह सभी चीजें हड़प्पा सभ्यता में रसायन विज्ञान के विकास का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। हड़प्पाई लोगों के द्वारा, कपड़ो और बर्त्तनो को रंगने में विभिन्न रंगों का प्रयोग करता था।

सिंधुघाटी के लोग सेलखड़ी से मुहरें, मनके, मूर्ति आदि के निर्माण बड़े पैमाने पर किए हैं। सेलखड़ी एक मुलायम खनिज होता था, जो संगमरमर के लिए सर्वप्रथम सोडियम सिलिकेट को पीसकर गर्म पानी में उबालकर लेई बनाया जाता था, फिर लेई बनाने के बाद, वर्गाकार या बेलनाकार घड़ में ढाला जाता था, फिर सुखाया जाता था, अंत में पॉलिश किया जाता था।[10] मनकों के आभूषण बनाने और काटने की प्रक्रिया के विषय में जानकारी हड़प्पावासी को था, मनके बनाने की प्रक्रिया चन्हूदहों से मिले एक कारखाना से स्पष्ट होता है, यानि सेलखड़ी या मनके बनाने की रसायनिक प्रक्रिया से सिंधुवासी अवगत थे।

संदर्भ ग्रंथ सूचि

1. एस. एन. सेन, विज्ञान का इतिहास भाग-2, (अनु०) भूपेन्द्र नाथ सन्थाल, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, पृ० 127
2. एच. डी. संकालिया, भारत में प्रागैतिहासिक प्रौद्योगिकी (अनु०) गीताराय, पृ० - 71
3. एस. एन. सेन, विज्ञान का इतिहास, भाग - 1, पूर्वोक्त, पृ० 57
4. एच. डी. संकालिया, पूर्वोक्त, पृ० 205
5. वदं, रसरत्नसमुच्चय, 15/205
6. डॉ. हिमांशु शेखर, प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बी.एफ.सी. प्रकाशन, लखनऊ, 2024, पृ० 125
7. वही
8. मैके, फरदर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो, दिल्ली, 1938, पृ० 175
9. एस. एन. सेन. पूर्वोक्त, भाग - 1, पृ० 79
10. वही, पृ० - 39

शासकीय और अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों के जिज्ञासा पर टीम टीचिंग के प्रभाव का अध्ययन

ममता त्रिपाठी

(शोधार्थी), शिक्षा संकाय विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

डॉ० हिमानी उपाध्याय

(मार्गदर्शिका), विभागाध्यक्ष (शिक्षा संकाय) हवाबाग महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

सारांश

प्रस्तुत शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य शासकीय और अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों की जिज्ञासा पर टीम टीचिंग के प्रभाव का अध्ययन करना है। इसके लिए शोधार्थी द्वारा यद्रीक्छिक विधि द्वारा दो विद्यालयों का चयन किया गया जिसमें 200 विद्यार्थी थे 100 शासकीय और 100 अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थी थे। आंकड़े एकत्र करने के लिए डॉ राजीव कुमार का चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी स्केल का प्रयोग किया गया। सांख्यिकीय विधियों में ANOVA को प्रशासित किया गया। शोध विधि प्रयोगात्मक थी जिसमें पूर्व एवं पश्च परीक्षणों को प्रशासित किया गया। शोध परिणाम सार्थकता स्तर पर .01 और .05 स्तर पर सार्थक अंतर को प्रदर्शित करते है। परिणाम स्वरूप विद्यालय के प्रकार एवं टीम टीचिंग का विद्यार्थियों के जिज्ञासा पर सकारात्मक रूप से सार्थक प्रभाव को दर्शाता है। समूह शिक्षण ज्यादा सार्थक रूप से प्रभावी पाया गया विद्यार्थियों के जिज्ञासा में वृद्धि करने में।जिससे सीखने में ज्यादा उत्सुकता और जिज्ञासा में वृद्धि हुई।

मूल शब्दः विद्यालय के प्रकार, टीम टीचिंग, जिज्ञासा, पूर्व एवं पश्च परीक्षण।

प्रस्तावना –

वर्तमान समय में बच्चों में प्रतियोगिताओं, पढ़ाई का बोझ, गृह कार्य का बोझ, परीक्षा का दबाव, शिक्षकों का दबाव आदि कारणों से शैक्षिक तनाव बढ़ गया है जिसके कारण उनकी सीखने की जिज्ञासा नगण्य होती जा रही है।जबकि जिज्ञासा वो तथ्य है जो विद्यार्थियों को सीखने और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है। यहां पर आवश्यक है दबाव , तनाव को कम करके जिज्ञासा को बढ़ाने की। इसके लिए जरूरी है शिक्षण पद्धति में कुछ परिवर्तन करने की। ऐसी ही एक शिक्षण पद्धति है समूह शिक्षण, टीम टीचिंग की। समूह शिक्षण जिसमें शिक्षक मिलकर समूह बनाकर बच्चों को सिखाते और पढ़ाते हैं।समूह शिक्षण बच्चों में सकारात्मक और प्रेरणादायी वातावरण का निर्माण करती है। जहां विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से जिज्ञासा अनुसार अभिव्यक्ति और सीखने का कार्य खुलकर कर सकतें हैं। अनेक शोधों से यह तथ्य सामने आए हैं कि समूह शिक्षण से शिक्षित विद्यार्थी अधिक आत्मविश्वास का अनुभव करते हैं और उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति भी अधिक होती है।

बच्चों के सीखने और समझने के कौशल को बढ़ाने में शिक्षा तंत्र का और शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्व पूर्ण होती है।कभी कभी अनजाने में भी शिक्षक विद्यार्थियों के मस्तिष्क में अनजाना भय उत्पन्न कर दिया है, जैसे कार्य पूर्ण करने के दबाव में और अन्य संक्रियों में। तब बच्चों की सीखने और जिज्ञासा पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बच्चे दवाब में कभी कभी अच्छी लर्निंग नहीं पाते वो सिर्फ रतने का प्रयास करने लगते तनी औपचारिकता में। तब आवश्यकता होती है उनमें जिज्ञासु प्रवृत्ति को विकसित करने की। समूह शिक्षण यही कार्य करता है।बच्चे भय मुक्त होकर खुलकर खेल खेल में एक दूसरे से अधिक आत्मविश्वास से सीखते हैं।समूह शिक्षण के द्वारा उनका आत्मविकास आत्म संप्राप्ति होती है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्त्व –

आज के समय में शिक्षा बिना बोझ के की मुहिम शासन द्वारा चलाई जा रही है। परन्तु बस्ते से ज्यादा तो विद्यार्थियों में अन्य बोझ हावी रहता है। अर्थात शैक्षणिक बोझ, गृहकार्य का बोझ, नंबर ज्यादा लेकर आने की होड आदि आदि। इन सभी बोझों और होड़ों के

कारण विद्यार्थी बोझिल रहता है। और उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति कहीं दब सी गई है। विद्यार्थियों की खोजी प्रवृति और समस्या समाधान करने की प्रवृत्ति कहीं गुम सी हो गई है। अब ऐसे में क्या विद्यार्थियों में कुछ नया करने कुछ नया सीखने की ललक बची है? इन्हीं सब ज्वलंत मुद्दों को लेकर शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध को चयनित करके पुन: विद्यार्थियों की जिज्ञासा को बढ़ाने और सीखने और खोजी प्रवृति को बढ़ावा देने के लिए किया गया समूह शिक्षण को विस्तार से विभिन्न विषयों समूहों आदि में प्रशासित किया जा सकता है (लिंज एट अल.2008) और (लाफ्टिन, एट अल,2011).

समूह शिक्षण विद्यार्थियों में कुछ नया सीखने और खोजी प्रवृति को बढ़ावा देने और जिज्ञासा को बढ़ाने में सकारात्मक रूप से सार्थक है।इसके द्वारा आत्म संप्राप्ति अर्थात बच्चे स्वयं को समझ पाते हैं। स्वयं की प्रतिभा को पहचान पाते हैं और अपने कौशलों को विकसित और विस्तारित करने के लिए खुलकर प्रयास करने लगते हैं। इन्हीं सब सोच और उद्देश्य के साथ शोधार्थी इस विषय को अध्ययन में सम्मिलित किया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन शिक्षा जगत में एक नई क्रांति का विस्तार करेगा जो विद्यार्थियों को सीखने और समझने और जिज्ञासु बनाने में सक्षम होगा। समूह शिक्षण को नई शिक्षा नीति 2020 भी समर्थन प्रदान करती है, जिससे बच्चों में सक्रिय प्रतिभाग करने का सार्थक अवसर मिलता है।बच्चे साथ में मिलकर सीखते है बिना किसी भय अथवा दबाव के। तन सार्थक होगा शिक्षा बिना बोझ के की मुहिम।

उद्देश्य -

1. शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के जिज्ञासा पर समूह शिक्षण के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. विद्यार्थियों के जिज्ञासा पर समूह शिक्षण के प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पना -

प्रस्तुत शोध अध्ययन की परिकल्पनाएं निम्नलिखित हैं

1. विद्यार्थियों के जिज्ञासा पर समूह शिक्षण का कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के जिज्ञासा पर समूह शिक्षण का कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. प्रायोगिक और नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के जिज्ञासा के प्राप्तांको के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है।

उप परिकल्पना -

1. शोध अध्ययन की निम्नलिखित उप परिकल्पनाऐं हैं
   शासकीय विद्यालयों के प्रायोगिक और नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के जिज्ञासा के प्राप्तांको के माध्यमानो में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता
2. अशासकीय विद्यालय के प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के जिज्ञासा के प्राप्तांको के माध्यमानो में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता
3. प्रायोगिक समूह के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के जिज्ञासा के प्राप्तांको के माध्यमानो में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता
4. नियंत्रित समूह के शासकीय और अशासकीय विद्यालयो के विद्यार्थियों के जिज्ञासा के प्राप्तांको के माध्यमानो में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता

अध्ययन की सीमाएं -

प्रस्तुत शोध अध्ययन की निम्नलिखित सीमाएं हैं

1. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज संभाग के प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील के चांदुआपट्टी न्यायपंचायत।
2. चर - स्वतंत्र चर ख्र टीम टीचिंग, विद्यालय का प्रकार, परतंत्र चर - जिज्ञासा
3. कक्षा 6 से 8 तक के शासकीय और अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थी

शोध क्रिया विधि -

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए प्रयोगात्मक शोध डिजाइन का प्रयोग किया गया। इसमें पूर्व परीक्षण एवं पश्च परीक्षण को प्रशासित किया गया।

नमूना –

चंदुआपट्टी के एक शासकीय और एक अशासकीय विद्यालय का चयन याद्रीक्छिक विधि द्वारा किया गया। 200 विद्यार्थियों (100+100) उच्च प्राथमिक स्तर के कक्षा 6 से 8 तक के चयनित किए गए।जिनको दो समूहों में विभाजित किया गया। एक को प्रयोगात्मक समूह और दूसरा नियंत्रित समूह में किए गए।

क्रियाविधि –

सबसे पहले दोनों समूहों में जिज्ञासा मापनी द्वारा पूर्व परीक्षण लिया गया। तत्पश्चात प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों को टीम टीचिंग द्वारा रसायन विज्ञान पढ़ाया गया। और नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षण विधि द्वारा शिक्षित किया गया। यह प्रक्रिया एक महीने तक उपचारित की गई।

एक महीने के टीम टीचिंग और पारंपरिक शिक्षण विधि के बाद दोनों समूहों में जिज्ञासा मापनी का पश्च परीक्षण प्रशासित किया गया। और पूर्व परीक्षण और पश्च परीक्षणों के प्राप्तांको को कुल प्राप्तांको के रूप में प्राप्त किया गया। कुल प्राप्तांक = पश्च परीक्षण प्राप्तांक ख्र पूर्व परीक्षण प्राप्तांक

सांख्यिकीय विधि –

परीक्षणों के कुल प्राप्तांको के सारणीकरण करने के पश्चात प्राप्तांको पर ANOVA लगाया गया।

तालिका क्रमांक1: प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के जिज्ञासा के प्राप्तांको का मध्यमान, मानक विचलन–

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	समूह	विद्यार्थियों की संख्या	मध्यमान जिज्ञासा	मानक विचलन	
1	शासकीय विद्यालय	प्रयोगात्मक	50	36.92	45.42	
		नियंत्रित	50	30.32	15.41	
2	अशासकीय विद्यालय	प्रयोगात्मक	50	32.98	19.85	
		नियंत्रित	50	25.65	14.45	
3	कुल		200			

परिणाम का विश्लेषण एवं व्याख्या –

1. तालिका क्रमांक 2 से स्पष्ट होता है कि शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के जिज्ञासा के प्राप्तांको का df 1/199 पर f का मान 8.70 प्राप्त हुआ जो कि सार्थकता स्तर.01 पर सार्थक अंतर को प्रदर्शित करता है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि शासकीय विद्यालयों के प्रायोगिक और नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के जिज्ञासा में सार्थक अंतर प्राप्त हुआ।तालिका क्रमांक 1 से पूर्णतया स्पष्ट होता है कि शासकीय विद्यालय के प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के जिज्ञासा के प्राप्तांको का मध्यमान क्रमशः 36.92 और 30.32 (अंतर = 6.62) प्राप्त हुआ ।जो कि यह दर्शाता है कि प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों के जिज्ञासा का स्तर नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों से ज्यादा है। जिससे स्पष्ट होता है कि समूह शिक्षण से शिक्षित करने पर विद्यार्थियों के जिज्ञासा में सार्थक रूप से वृद्धि हुई है।अतः निर्मित की गई शून्य परिकल्पना "शासकीय विद्यालयों के प्रायोगिक और नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के जिज्ञासा के प्राप्तांको के माध्यमानो में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता" अमान्य होती है।
2. तालिका क्रमांक 2 से दृष्ट होता है कि अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों के जिज्ञासा के प्राप्तांको के df 1/199 पर f का मान 1.89 प्राप्त हुआ जो कि सार्थकता स्तर.01 पर सार्थक अंतर को प्रदर्शित करता है। जिससे स्पष्ट है कि अशासकीय विद्यालय

के प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के जिज्ञासा में सार्थक अंतर प्राप्त हुआ। तालिका क्रमांक 1 से भी दृष्ट होता है कि अशासकीय विद्यालय के प्रयोगात्मक समूह और नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के जिज्ञासा के प्राप्तांको का मध्यमान क्रमश: 32.98 और 25.65 (अंतर = 6.33) प्राप्त हुआ। जिससे स्पष्ट है कि प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों के जिज्ञासा स्टार नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों से ज्यादा पाया गया।अतएव स्पष्ट होता है कि समूह शिक्षण से शिक्षित होने वाले विद्यार्थियों में जिज्ञासा सार्थक रूप से ज्यादा होती है। अत: निर्मित की गई शून्य परिकल्पना "अशासकीय विद्यालय के प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के जिज्ञासा के प्राप्तांको के माध्यमानो में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता" अमान्य होती है।

3. तालिका क्रमांक 2 से दृष्ट होता है कि विद्यालयों के प्रायोगिक समूह के विद्यार्थियों के जिज्ञासा के प्राप्तांको के माध्यमानो के df 1/199 पर f का मान 5.235 प्राप्त हुआ। जो कि सार्थकता स्तर 0.05 पर भी सार्थक अंतर को प्रदर्शित नहीं करता है। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रयोगात्मक समूह के शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों में जिज्ञासा में अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों के जिज्ञासा में सार्थक रूप से अंतर नहीं पाया गया। आशय यह है कि प्रयोगात्मक समूह में दोनों विद्यालयों के विद्यार्थियों के जिज्ञासा में समानता पाई गई। अत: निर्मित शून्य परिकल्पना "प्रायोगिक समूह के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के जिज्ञासा के प्राप्तांको के माध्यमानो में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता" अमान्य नहीं होती है।

तालिका क्रमांक 2

क्रमांक	Sources of varience	Df	Sum of squares	Mean square	F
1.	शासकीय विद्यालय	1	1073.2176	1073.2176	8.70
2.	अशासकीय विद्यालय	1	1711.4769	1711.4769	1.89
3.	प्रयोगात्मक	1	906.01	906.01	5.235
4.	नियंत्रित	1	1938.64	1938.64	1.137
5.	कुल	200			

4. तालिका क्रमांक 2 से स्पष्ट होता है कि विद्यालयों के नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के जिज्ञासा के प्राप्तांको के माध्यमानो का df 1/199 पर f का मान 1.137 प्राप्त होता है जो कि सार्थकता स्तर.05 पर भी कोई सार्थक अंतर को प्रदर्शित नहीं करता। जिससे स्पष्ट है कि नियंत्रित समूह के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के जिज्ञासा में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। आशय यह है कि निर्मित शून्य परिकल्पना "नियंत्रित समूह के शासकीय और अशासकीय विद्यालयो के विद्यार्थियों के जिज्ञासा के प्राप्तांको के माध्यमानो में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता" अमान्य नहीं होती है।

व्याख्या

प्रस्तुत शोध अध्ययन के परिणाम स्वरूप समूह शिक्षण द्वारा शिक्षित करने से विद्यार्थियों की जिज्ञासा में सार्थक रूप से वृद्धि पाई गई। जैसा कि गर्निंग बी और सिरेगर ए (2017) में अपने शोध में पाया की समूह शिक्षण से विद्यार्थियों की जिज्ञासा और शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक रूप से वृद्धि पाई गई। जो कि प्रस्तुत शोध अध्ययन परिणाम का समर्पण करते हैं।

सारांश

प्रस्तुत शोध अध्ययन के प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि समूह शिक्षण से शिक्षित करने से विद्यार्थियों के जिज्ञासा मे सार्थक रूप से वृद्धि पाई गई, नियंत्रित समूह के पारंपरिक शिक्षण के तुलना में।समूह शिक्षण ज्यादा प्रभावी पाया गया विद्यार्थियों के जिज्ञासा में सार्थक रूप से ज्यादा वृद्धि करने में।

भविष्य में सुझाव

प्रस्तुत शोध अध्ययन को और ज्यादा बड़े नमूना के साथ भी किया जा सकता है। इस शोध को उच्च और उच्चतर स्तर के विद्यालयों में किया जा सकता है।इस शोध को शिक्षकों पर भी प्रशासित किया जा सकता है। और सार्थक रूप से बेहतर और अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

सन्दर्भ सूची -

1. जोनाथन, आर.(2012). द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी. यूके: आरएसए
2. कहदेन, टी.(2009). क्यूरियस? डिस्कवर द मिसिंग इंग्रेडिएंट्स टूर्वअ फुलफिलिंग लाइफ . न्यू यॉर्क,छल: हार्पर कॉलिंस.
3. ड्वेक, सी.(2006).माइंडसेट: द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस. न्यू यॉर्क: रैंडम हाउस.
4. जंग , एस. एल (2006). रिसर्च ऑन द इफेक्ट ऑफ टीम टीचिंग अपॉन सेकेंडरी स्कूल टीचर्स.
5. माइजा, जी और टीना माइजा, जी और अंति, टी (2023). द यूस ऑफ टीम टीचिंग मैथड टू इनक्रीस स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड अचीवमेंट , वर्ल्ड साइकोलॉजी,2(1).अप्रैल 2023, 1-10, ई - आई एस एस एन 28304764.
6. तारीगन, ई एफ, वेनिसिया, आई, तानजुंग जे, बी और रोजिक, ए (2021). द इफेक्ट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी एंड स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, साइबर नेटिक्स जर्नल एजुकेशनल रिसर्च एंड सोशल स्ट्डीज , वॉल्यूम 2, नोमोर 4, अक्टूबर 2021.
7. गर्निंग बी,और सिरेगर ए.(2017). द इफेक्ट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी एंड क्यूरियोसिटी ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अक्टूबर 2017आई एस एस एन 1916- 4742, ई आई एस एस एन 1916- 4750.

भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति, समस्याएँ व चुनौतियाँ का समीक्षात्मक अध्ययन

श्रीकान्त तिवारी

शोध छात्र, (विभागः इतिहास, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना, बिहार, भारत), युजीसी-नेट (इतिहास)

सारांश

शिक्षा मानव द्वारा विकसीत उसकी सबसे महत्वपुर्ण उपलब्धि है। व्यावहारिक स्तर पर शिक्षा जीवन पर्यंत सिखने व सिखाने की एक सतत प्रक्रिया है। इसके माध्यम से वह अपनी नैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल हो सका है। वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था में उच्च शिक्षण संस्थाओं की नींव ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के दौरान पड़ी। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात संख्यात्मक दृष्टि से भारत में जिस अनपुात में शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़ी है उस अनुपात में उच्च शिक्षा के स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं हुए है। उच्च शिक्षा में बढती अनुशासनहीनता, नामांकन का गिरता दर तथा शिक्षित बेरोजगारी की समस्या उभर रही है। शिक्षा में नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। साथ ही अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व करने की भावना का भी छात्रों में यथोचित विकास नहीं हो सका है। प्रस्तुत आलेख में वर्त्तमान भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति व समस्याओं का शोधपरक समीक्षा की गई है।

मुख्य शब्दः शिक्षा के उद्धेश्य, शिक्षा का संस्थागत स्वरुप, भारत में उच्च शिक्षा, औपनिवेशिक शासन कालीन शिक्षा, स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा, शिक्षा में नैतिक मूल्य, संस्कृति, नामांकन दर, अनुशासनहीनता, बेरोजगारी, चुनौतियां।

प्रस्तावना

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। शिक्षा का सन्दर्भ भी सामाजिक है और यह एक सतत प्रक्रिया है। मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिये शिक्षा के क्षेत्र में भी समय सापेक्ष विचारों, मूल्यों, आदर्शों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन होता रहता है। इस तरह शिक्षा ही व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रस्तुत करती है। शिक्षा चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक मानव यात्रा के प्रत्येक काल खंड में विमर्श का विषय रहा है। सभ्यता एवं संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संरक्षण करने में भी शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह समाज के लिए भूत का ज्ञान, वर्तमान की आवश्यकताओं तथा भविष्य के निर्माण के लिए पथ प्रदर्शक की भांति कार्य करता है।

भारत में शिक्षा का इतिहास प्राचीन काल से ही है। शुरू में गुरूकुल की व्यवस्था थी। प्राचीन भारत में प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा की समुचित व्यवस्था बिकसित हुई। मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। आधुंनिक भारत में शिक्षा का विकास दो स्तर पर हुआ है - स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासन काल में शिक्षा का विकास एवं स्वतंत्र भारत में शिक्षा का विकास। आधुंनिक भारतीय शिक्षा की पृष्ठभूर्मि औपनिवेशिक शासन की जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्मित की गई। यूरोपीय साहित्य व अंग्रेजी भाषा को भारत की परंपरागत शिक्षा व्यवस्था पर थोपा गया और यहीं से आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्य और आदर्श परिवर्तित हो गए। किन्तु स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा का क्षैतिज व उर्ध्वाधर विस्तार हुआ है फिर भी कई समस्याएं व चुनौतियां भी हैं जो उच्च शिक्षा में देखने को मिल रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में असमान गुणवत्ता ,असमान पहुँच, मार्गदर्शन का अभाव एवं बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्याएँ अपने विकराल स्वरुप में हैं।

अध्ययन का उद्धेश्यः प्रस्तुत शोध आलेख के निम्नवत उद्धेश्य हैं -

- स्वतंत्रता पूर्व भारत की उच्च शिक्षा का अध्ययन करना।
- स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा के विकास को रेखांकित करना।
- उच्च शिक्षा सम्बन्धी स्वतंत्र भारत की विभिन्न शिक्षा आयोगों की सिफारिशों का अध्ययन करना।
- उच्च शिक्षा की समस्याओं एवं चुनौतियों का सर्वेक्षण करना।

साहित्य समीक्षाः

प्रस्तुत शोध आलेख से सम्बंधित विभिन्न ग्रंथों, शोध प्रबंधों, शोध आलेखों व सम्बंधित आयोगों की सिफारिशों का अध्ययन किया गया है। इन स्त्रोतों के परिप्रेक्ष्य में प्रो० अनंत सदाशिव अल्तेकर की रचना "प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति" में प्राचीन भारत में उच्च

शिक्षा एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थिति एवं क्रियाकलापों की विस्तार से चर्चा की गई है। पी० डी० पाठक एवं गुरुसरन दास त्यागी ने अपने ग्रन्थ "भारतीय शिक्षा का इतिहास" में भारतीय शिक्षा आयोगों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों पर प्रकाश डालते हुए भारतीय शिक्षा की संरचना को भी दर्शाया है। डॉ0 रामशक्ल पाण्डेय, तथा डॉ0 करुणाशंकर मिश्र ने अपने ग्रन्थ "भारतीय शिक्षा की समसामयिक समस्याएं" में स्वतंत्रोत्तर भारत की शैक्षिक संरचना के साथ ही वर्तमान भारतीय शिक्षा की विभिन्न समस्याओं तथा इसके निदान का विस्तार से उल्लेख किया है। पी० डी० पाठक, एवं प्रो० डी० एस० श्रीवास्तव ने अपने ग्रन्थ "भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ" में वर्तमान भारतीय शिक्षा की संरचनात्मक विशेषताओं, इसकी समस्याओं तथा भारतीय शिक्षा के अन्य शैक्षिक पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की है। एस० पी० चौबे ने अपनी पुस्तक "हिस्ट्री एंड प्रौब्लेम्स ऑफ इंडियन एडुकेशन" में प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारतीय शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। स्वतंत्र भारत में गठित शिक्षा आयोगों की सिफारिशों एवं विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारतीय शिक्षा के विकास व स्थिति का भी उल्लेख किया गया है।

डी० सी० गुप्ता ने अपने शोध पत्र "भारतीय उच्च शिक्षा के उभरते प्रश्न" (इण्टरनेशलन र्जनल ऑफ मल्टीडिसीटिलनरी रिसर्च इन आर्टस, साईस एण्ड टेक्नोलॉजी, (आई.जे.एम.आर.ए.एस.टी.), खण्ड-1, अंक-1, अगस्त 2023) में वर्तमान भारतीय उच्च शिक्षा से संबंधित वैसे समस्याओं तथा शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे अवमूल्यन के साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन अनुपात को लेकर विकसीत देशों, एशियाई देश के समूह तथा विश्व के औसतन नामांकन के सापेक्ष भारत में उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात के आंकड़े को दर्शाया है जो सिद्ध करता है कि नामांकन अनुपात 11.00 है जो काफी कम है। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंटरनेट, चौटिंग व अन्य माध्यमों से छात्रों का समय बर्बाद होता है तथा वे दिग्भ्रमित होते हैं। इसका बुरा प्रभाव उनकी शैक्षिक कुशलता पर पड़ता है। अत: इस दिशा में युवावर्ग को शिक्षण संस्थानों द्वारा मार्गदर्शक दिया जाना चाहिए। इस तथ्य पर भी इन्होने प्रकाश डाला है।

डॉ० थीरू मुर्ति ने अपने लेख "कन्टेम्पोरेरी ईशुज इन इन्डियन हायर एजुकेशन" (आई.जे.ए .आर.आई.टी. - आई. एस.एस. एन. (ओ)-2395-4396 , खण्ड-7,अंक-2, 2021) में भारतीय उच्चतर शिक्षा में व्याप्त समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि भारत की कुल आबादी का 64 फीसदी युवा वर्ग है और भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है, किंतु उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात (जेंई.आर) 25.8 प्रतिशत है। इसमें से सिर्फ 0.5 फीसदी से कम छात्र पीएच०डी० में नामांकित होते हैं। साधना सिंह (शिक्षा शास्त्र, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, 2005) का शोध प्रबंध "स्वतन्त्रोतर शिक्षा आयोगों एवं समितियों का वर्तमान उच्च शिक्षा के संदर्भ में सार्थकता का अध्ययन" है। इसमें शोधकर्ता ने इस तथ्य का अध्ययन किया है कि स्वतंत्रोतर भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न शिक्षा आयोगों व समितियों ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या-क्या सिफारिशों को प्रस्तुत की हैं। गुन्नार मिर्डल ने अपने ग्रन्थ "एसियान ड्रामा" में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय शिक्षा के औपनिवेशिक उद्धेश्यों को रेखांकित किया है। इसी प्रकार एन. के. सिद्धांत ने अपने ग्रन्थ "दी प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन इन इंडियन यूनिवर्सिटिज" में छात्रों के बीच बढ़ते अनुशासनहीनता के विविध पक्षों को दर्शाया है। इसी परिप्रेक्ष्य में कोठारी आयोग की सिफारिशों में भारतीय उच्च शिक्षा में बढती अनुशासनहीनता के कारणों को विस्तार से विवेचित किया गया है। अंत में, भारतीय उच्च शिक्षा पर वैश्वीकरण के प्रभावों का मूल्यांकन डॉ० कमलकांत शर्मा ने अपने शोध पत्र "भारत में उच्च शिक्षा व वैश्वीकरण की चुनौतिया" में किया है।

शोध विधि: प्रस्तुत शोध आलेख के अंतर्गत द्वितीयक स्त्रोतों के अंतर्गत इतिहासकारों व शिक्षाविदों के ग्रंथों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर अध्ययन हेतु विश्लेष्णात्मक विधि को अपनाया गया है। इन स्त्रोतों की भी उपयोगिता निर्विवाद है क्योंकि पूर्ववर्ती साहित्यों के बहुत से ऐसे तथ्यों को इसमे विश्लेषित किया गया है जो विवेच्य शोध आलेख के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साथ ही पूर्व के विभिन्न संदर्भित शोध आलेखों, रिपोर्टों व सिफारिशों द्वारा प्राप्त तथ्यों के अध्ययन हेतु विवेचनात्मक विधि को भी अपनाया गया है।

परिसीमन: प्रस्तुत शोध आलेख के अंतर्गत भारत की ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल से मुक्ति के बाद वर्ष 1947 से लेकर वर्त्तमान तक भारत में उच्च शिक्षा के विकास एवं सम्बंधित समस्याओं व चुनौतियों का अध्ययन किया गया है।

भारत में उच्च शिक्षा

(क) स्वतंत्रता से पूर्व भारत में उच्च शिक्षा: भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है। वैदिक काल में गुरूकूल आश्रमों में आचार्यो द्वारा उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। किंतु एक संगठित रूप से उच्च शिक्षण संस्थान का प्रादुर्भाव बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हुआ। प्राचीन भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी तथा वल्लभी बौद्ध बिहार आदि उच्च शिक्षण संस्थान के केन्द्र थे। इनकी ख्याति अंतराष्ट्रीय स्तर पर थी जहाँ विभिन्न देशों के विद्यार्थी उच्च शिक्षा के प्राप्ति हेतु आते थे। बौद्ध काल में तक्षशिला उच्च शिक्षा का केन्द्र था। बुद्ध के समकालीन प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक जीवक ने तक्षशिला में ही औषधि विज्ञान तथा शल्य चिकित्सा के अध्ययन में सात वर्ष बिताये थे (जातक, संख्या 498)। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनी ने भी तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही शिक्षा प्राप्त की थी। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य को तक्षशिला में ही उच्च शिक्षा प्राप्त हुई थी।

वहीं नालंदा बौद्ध बिहार ही नहीं अपितु विधा के प्रमुख केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति अपनी पण्डित्य के लिए प्रख्यात थे। उनमें धर्मपाल, चन्द्रपाल, गुणमति, स्थिरमति, प्रभामित्र, जिनमित्र तथा शीलभद्र का नामोल्लेख ह्वेन्सांग करता है।[1] विश्विद्यालय में अध्ययन कार्य हेतु भारतीय उपमहाद्वीप के कोने-कोने से ही नहीं बल्कि विदेशें से भी विद्यार्थी आते थे तथा यहाँ के अनेक ग्रंथो के पाण्डुलिपियो की प्रतिलिपि तैयार करते थे। स्वयं इत्सिंग ने विश्विद्यालय के पुस्तकालय से 400 संस्कृत पुस्तकों की प्रतिलिपि तैयार की थी जिसमें कम से कम 5 लाख श्लोक थे।[2] वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था में उच्च शिक्षा का विकास ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल में हुआ। यह शिक्षा प्राचीन भारत की उच्च शिक्षा परंपरा से बिलकुल अलग रही है। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस ने पहली बार उच्च शिक्षा के लिए 1781 में कलकता मदरसा[3] का निर्माण किया था। इसी प्रकार धर्मशास्त्र की शिक्षा हेतु 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज खोला गया। 1857 तक सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत में 27 कॉलेज स्थापित किये जा चुके थे जिसमे 23 सामान्य शिक्षा, 3 चिकित्सा शिक्षा तथा एक इंजिनीयरिंग शिक्षा का कॉलेज था।[4]1854 में चार्ल्स वुड का घोषणापत्र[5] में पहली बार उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की सिफारिश की गयी। इसके फलस्वरूप 1857 में भारत में तीन विश्वविद्यालय स्थापित हुई यथा- कलकता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय। यहीं से सम्पूर्ण देश में एक क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली शुरू हुई तथा प्रान्तों में लोकशिक्षा विभाग की स्थापना हुई। इस दौरान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेजों की संख्या लगातार बढती रही। 1881-82 में कॉलेजों की संख्या 68 थी जो 1901-02 में बढकर 177 हो गई।[6] वायसराय लार्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 पारित कर विश्वविद्यालयों के सन्दर्भ में तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गए-

- विश्वविद्यालय के प्रशासन में सुधार करना।
- विश्वविद्यालयों में प्रयोगशालाओं तथा पुस्तकालयों की स्थापना करना।
- कॉलेजों पर अधिक नियंत्रण रखना।

शिक्षा नीति 1913 के अंतर्गत यह सुझाव दिया गया कि प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। इसके पश्चात् 1916 से 1947 के बीच कई विश्वविद्यालय स्थापित हुए। इसमे 1917 के सैडलर आयोग तथा 1944 के सार्जेंट योजना के सिफारिशों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही।[7]

- स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा का विकास: स्वतंत्रोत्तर भारत में विश्वविद्यालयों के विभिन्न प्रकार[8] हैं, जैसे-
  - केन्द्रीय विश्वविद्यालय:- इन विश्वविद्यालयों का प्रशासन, व्यय एवं प्रबंध का कार्य केंद्र सरकार द्वारा ही की जाती है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय, दिल्ली, अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी, नागालैंड विश्वविद्यालय, नागालैंड, असम विश्वविद्यालय, सिलचर आदि शामिल है।
  - राज्य विश्वविद्यालय: राज्य विश्वविद्यालय विभिन्न राज्यों के क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत स्थापित की जाती है। इनके प्रशासन, नियंत्रण ,व्यय एवं प्रबंधन आदि सम्पूर्ण कार्य के लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी है।:
  - सम्बद्धक विश्वविद्यालय (ffAiliated University) - इस तरह के विश्वविद्यालय अपने अधिकार क्षेत्र में कॉलेजों को मान्यता देते हैं। उनके पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली व शिक्षण व्यवस्था आदि का निर्धारण करती हैं। कानपुर विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आदि सम्बद्धक विश्वविद्यालय की श्रेणी में आते हैं।
  - एकात्मक विश्वविद्यालय (Unitary University) - एकात्मक विश्वविद्यालय अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कॉलेजों को मान्यता देने के साथ उस पर नियंत्रण रखने, पाठ्यक्रम निर्धारित करने तथा परीक्षाओं का आयोजन करने का कार्य करती हैं। इस श्रेणी में अलीगढ विश्वविद्यालय तथा बनारस विश्वविद्यालय आते हैं।
  - संघात्मक विश्वविद्यालय (Federal University) - इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेज द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इनमे दिल्ली विश्वविद्यालय, इंदौर विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय तथा बंगलौर विश्वविद्यालय आदि आते हैं।
  - खुला विश्वविद्यालय (Open University) - ये विश्वविद्यालय उन लोगों के लिए स्थापित की जाती हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त तो करना चाहते हैं परन्तु उनके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है। साथ ही इसमे न तो आयु की सीमा होती है और न ही निवास क्षेत्र व समय की बाध्यता होती है। इन विश्वविद्यालयों द्वारा विशेषज्ञ शिक्षकों के माध्यम से पत्राचार या अन्य तकनीकी माध्यम जैसे- रेडियो, टेलीविजन, विडियो आदि संचार साधनों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती हैं। हाल की कोरोना महामारी के दौरान तथा उसके पश्चात सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा का प्रबंध किया गया है।

खुला विश्वविद्यालयों के उदाहरण[9] –खुला विश्वविद्यालयों में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली, कोटा खुला विश्वविद्यालय कोटा, राजस्थान, नेताजी सुभाष खुला विश्वविद्यालय, कोलकाता, आन्ध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय, हैदरावाद, यशवंत राव चौहान खुला विश्वविद्यालय, नासिक, भोज खुला विश्वविद्यालय, भोपाल, अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय, अहमदावाद, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, बिहार, कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर, तमिलनाडू राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, चेन्नई आदि खुला विश्वविद्यालय प्रमुख हैं।

विश्वविद्यालयों के प्रशासन एवं नियंत्रण: विश्वविद्यालयों के प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु अपने – अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकारों द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों के प्रशासन एवं नियंत्रण का निर्धारण किया जाता है। सभी विश्वविद्यालयों के प्रशासन एवं नियंत्रण में सीनेट, सिंडिकेट तथा एकेडमिक कांसिल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

सीनेट एक कोर्ट विश्वविद्यालय के रूप में होते हैं। यह विश्वविद्यालय के लिए विधायिका का कार्य भी करती है। विश्वविद्यालयों के लिए नीतियों के निर्धारण से लेकर आर्थिक एवं प्रशासनिक योजनाएं स्वीकृत करने का कार्य सीनेट ही करती है। सीनेट के सदस्यों की संख्या 50 से 150 तक हो सकती है जिसमे वरिष्ठतम प्रोफेसर, अधिकारी, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तथा पंजीकृत स्नातक आदि शामिल होते हैं।

दूसरी ओर सिंडिकेट विश्वविद्यालयों के लिए एक कार्यकारिणी परिषद् के रूप में कार्य करती है। यह विश्वविद्यालय के दैनिक कार्यों का संचालन करती है। इसके सदस्यों की संख्या 25 से 30 तक हो सकती है। इसके अध्यक्ष के रूप में कुलपति तथा सचिव के रूप में रजिस्ट्रार होते हैं। एक अन्य विभाग के रूप में एकेडमिक कांसिल है जो विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्य तथा अनुशासन आदि से सम्बन्धी निर्देश जारी करती है।

वैसे तो सभी विश्वविद्यालय अपने आतंरिक प्रशासन एवं नियंत्रण में स्वायत होते हैं किन्तु इन पर परोक्ष रूप से केंद्र तथा राज्य सरकारें अपने क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत नियंत्रण रखती हैं। राष्ट्रपति केन्द्रीय विश्वविद्यालय का अध्यक्ष होता है वहीँ राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति या चांसलर होता है। विश्वविद्यालय के उपकुलपति (वाईस चांसलर) की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ही होता है।

विश्लेषण

स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुझाव देने हेतु डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 14 नवम्बर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। इसका उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा के सन्दर्भ में रिपोर्ट देना तथा जरुरी सुधारों एवं विस्तारों के सम्बन्ध में सुझाव देना था।[10] आयोग ने विश्वविद्यालय के प्रशासन, संगठन, नियंत्रण ,अधिकार क्षेत्र, शिक्षा के उद्देश्य, अनुशासन तथा परीक्षा व पाठ्यक्रम के अलावे नए विश्वविद्यालय की स्थापना, धार्मिक शिक्षा आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। आयोग के ही सिफारिश पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की ओर पहली बार आम जन तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करने का कार्य भी इसी आयोग ने किया। फलत: भारत सरकार द्वारा 1954 में ग्रामीण उच्चत्तर शिक्षा समिति का गठन कर ग्रामीण शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई।

उच्च शिक्षा की समस्याएँ व चुनौतियाँ

भारत की स्वतंत्रता के पश्चात संख्यात्मक दृष्टि से उच्च शिक्षा केन्दों का विकास तीव्र गति से हुआ। एक आँकड़े के अनुसार वर्तमान में भारत में 1000 से अधिक विश्वविद्यालय तथा 42000 से अधिक कॉलेजों द्वारा उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान की जा रही है।[11] परंतु जिस अनपुात में शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़ी है उस अनुपात में उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं हुए है। चूंकि भारत में उच्च शिक्षा का विकास शुरू से ही अनियमित रहा है। इससे शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। बड़े पैमाने पर शिक्षित बेरोजगारों की समस्या उभर रही है। इस संदर्भ में कोठारी आयोग का भी मानना था कि भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति असंतोषजनक एवं भयप्रद है।

वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था में उच्च शिक्षा की समस्याएँ व चुनौतिया निम्नलिखित है–

1. उद्देश्यहीनता की समस्या– भारत की स्वतंत्रता से पुर्व उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को औपनिवेशिक शासनकाल की जरूरतों के आधार पर निर्धारित किया गया था परंतु आश्चर्य यह है कि स्वतंत्र भारत में भी उच्च शिक्षा का उद्देश्य कमोवेश वही है। इस संदर्भ में गुन्नार मिर्डल का कथन है कि परतंत्र भारत में विश्वविद्यालय की उपाधियाँ सरकारी नौकरियों के लिए पासर्पोट की तरह थी। विद्यार्थियों को शिक्षा जीवन के लिए तैयार करने के उद्देश्य से न होकर नौकरी के सीमित उद्देश्य से प्रदान की जाती थी।[12] वहीं स्वतंत्र

भारत में उच्च शिक्षा के उद्देश्य के संदर्भ में हुमायू कवीर का कथन है कि विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है वह व्यक्ति को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार नहीं करती है।[13]

वस्तुत: वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अधिकांश विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा से अलंकृत करनेवाली संस्था बन गए हैं ताकि व्यक्ति कोई सरकारी या गैर-सरकारी जीविका के साधन प्राप्त कर सकें। छात्र जो उपाधियाँ प्राप्त करते हैं उसकी श्रेणियों में तथा जो अध्ययन करते हैं उसके विषयों में अंतर होता है। परिणाम यह होता है कि कुछ ही छात्र जीविका के साधन के रूप में सरकारी या गैर-सरकारी नौकरियाँ प्राप्त कर पाते हैं जबकि अधिकांश की संख्या में छात्र बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए विवश हो जाते हैं। उससे स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालयों की उद्देश्यहीन शिक्षा देश के युवावर्ग तथा देश की कुशलता पर कुठाराघात कर रही है।

अत: विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा रही उच्च शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट तथा छात्रों की आवश्यकतानुसार होना चाहिए। इस संदर्भ में कोठारी आयोग ने भी सुझाव दिया था कि उच्च शिक्षा में नये तथ्यों व ज्ञान की खोज करने की प्रवृति होनी चाहिए। शिक्षा के प्रसार द्वारा समानता, सामाजिक न्याय को बढ़ाना दिया जाना चाहिए। साथ ही समाज को कला, विज्ञान, कृषि, प्रौद्योगिकी व चिकित्सा तथा अन्य व्यवसायों के लिए योग्य पुरूष व महिला प्राप्त हो सके। छात्रों में भी उच्च शिक्षा की प्राप्ति की स्पष्टता होनी चाहिए ताकि वह उद्देयविहीनता का शिकार न हो सके।

2. अनुशासनहीनता की समस्या- छात्र अनुशासनहीनता उच्च शिक्षा की एक बड़ी समस्या है। कलकता विश्वविद्यालय के पुर्व उपकुलपति प्रो. एन. के सिद्धांत ने छात्र अनुशासनहीनता के विभिन्न संदर्भो की उल्लेख किया है, जैसे- उच्छुंखल व्यवहार, परीक्षा से संबंधित दुर्व्यवहार, यौन-दुर्व्यवहार, सामान्य दुर्व्यवहार, स्वाधिकारों का दुर्व्यवहार, धन संबंधी अनियमितता तथा चोरी एवं सेंधमारी।[14] इसके अलावे भी छात्र अनुशासनहीनता के कई उदाहरण गिनाए जा सकते हैं। इनमें छोटी-छोटी बातों के लिए कक्षाओं से वर्हिगमन, परीक्षा का बहिष्कार, शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार, सार्वजनिक स्थानों पर मार-पीट, कॉलेजों के तोड़-फोड़ की घटना, परीक्षा में अनुचित साधनों का खूलेआम प्रयोग, हड़ताले, अनावश्यक प्रदर्शन, आदि-आदि छात्र अनुशासनहीनता के ही प्रमाण हैं। भारतीय विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार उच्च शिक्षा के केन्द्रों में अनुशासन बनाए रखने की समस्या दिन प्रति दिन गंभीर होती जा रही है।

छात्र अनुशासनहीनता के कारणों के संबंध में कोठारी आयोग[15] ने विस्तृत चर्चा की है जो निम्नलिखित है -

- छात्रों एवं शिक्षकों के बीच पारस्परिक संवाद का कमी
- शिक्षकों द्वारा छात्रों की समस्याओं के समाधान में अरूचि लेना
- शिक्षण संस्थाओं के कार्यों में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप
- पाठ्य विषयों का यांत्रिक तथा नीरस स्वरूप
- विभिन्न कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की पारस्परिक गुटबंदी
- राष्ट्र की सार्वजनिक जीवन में अनुशासन का अभाव
- छात्रों को अपने भविष्य को लेकर चिंता
- देश के वयस्क नागरिकों में चेतना, सच्चरित्रता का अभाव
- अनुशासन का गिरता स्तर तथा
- शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण एवं सीखने की अपर्याप्त सुविधाएँ।

छात्रों की अनुशासनहीनता तथा उसके कारणों को लेकर भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएसन की दिल्ली शाखा ने भी एक परिचर्चा (2 अप्रैल 1972) में कई दोषों को रेखंकित किया था, यथा- परीक्षा प्रणाली की अनिश्चित तिथियाँ, प्रश्न पत्रों में उन विषयों पर अधिक प्रश्न जो कम महत्वपूर्ण है, कॉलेज अध्यापकों के सगे संबंधियों व परिचितों को विशेष सुविधाएँ, छात्रावासों की संख्या का कम होना, पुस्तकालय सुविधा का अभाव विश्वविद्यालय अधिकारियों का छात्रों के प्रति सख्त रवैया अपनाना तथा ढ़ीला प्रबंधन।

इस तरह छात्र अनुशासनहीनता की समस्या एकपक्षीय न होकर बहुपक्षीय है। इसे केवल छात्रों या उनके अभिभावकों या शिक्षकों या राजनीतिक दलों या राज्य सरकारों की जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं ठहराया जा सकता है बल्कि सभी का बहुपक्षीय उतरादायित्व है।

छात्र अनुशासनहीनता के सामाधान के संदर्भ के कुछ उपाय सुझाए जा सकते है जैसे- शुरू से नैतिक शिक्षा पर जोर देना, छात्रों के लिए निर्देशन व परामर्श की सुविधा प्रदान करना, उच्च शिक्षा में व्याप्त दोषों का निराकरण करना, छात्रों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों व योजनाओं का क्रियान्वयन करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार कर उसे नियमित करना, अध्यापन का कार्य के अंतर्गत शिक्षकों द्वारा समय पर पाठ्यक्रमों को पुरा करना, छात्रों में अनुशासन की भावना विकसीत करना, शिक्षकों व छात्रों के बीच बौद्ध शिक्षा व्यवस्था जैसी पिता व पुत्रवत आदर्शो तथा वदलते संदर्भ में मित्रवत व्यवहार का विकास करना, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के निर्णय प्रक्रिया में छात्रों के हितों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होना, आदि-आदि।

3. परामर्श एवं निर्देशन की समस्या- यह समस्या प्राय: प्रत्येक छात्र के साथ होती है। उच्च शिक्षा हेतु नामांकन लेते समय पाठ्य विषयों का चयन करते समय छात्र किंकर्तव्यविमुढता की स्थिति में होता है कि कौन सा विषय का चुनाव करे। या तो वह अपनी स्वयं की ईच्छा से या अभिभावक के दबाव से या अपने सहपाठी की देखादेखी या किसी अनुभवहीन व्यक्ति से परामर्श करके पाठ्य विषयों का चयन करता है। ये सभी परिस्थतियाँ छात्र के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न करती है। चूँकि वह पाठ्य विषयों का चयन अपनी रूचियों के संदर्भ में नहीं किया है फलत: थोड़े से ही अध्ययन के पश्चात उसे अध्ययन में अरूचि उत्पन्न होने लगती है। इसके परिणामस्वरूप परीक्षा में वह असफल हो जाता है तथा आगे के प्रगति के मार्ग यहीं अवरूद्ध हो जाते हैं।

स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा केन्द्रों में छात्रों के लिए निर्देशक व परामर्श का अभाव छात्रों की समस्याएँ बढ़ा देती है तथा बाद में वह निराशा का शिकार हो जाता है। कई बार तो उसे बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड देनी पड़ती है। अत: देश के सभी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में परामर्श तथा निर्देशक की सेवाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।

4 उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षको का पद रिक्त होना - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार[16] केद्रीय विश्वविद्यालयों में स्वीकृत पदों में प्राध्यापकों, सह-प्राध्यापकों तथा सहायक प्राध्यापकों की संख्या क्रमश: 16,699, 4,731 एवं 9585 हैं। जिनमे वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या क्रमश: 35 फीसदी, 46 फीसदी तथा 26 फीसदी है। इन पदों के रिक्त होने के मुख्य कारणों में चयन प्रक्रिया में जटिलताएं तथा औपचारिकताओं का अधिक होना है। राज्यों के स्तर पर रिक्त पदों की स्थिति और भी अधिक भयावह है।

5 परीक्षा प्रणाली का दोषपूर्ण होना- वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था में उच्च शिक्षा की परीक्षा प्रणाली निबंधात्मक है जो संपुर्ण पाठ्य विषय पर आधारित न होकर उसके कुछ हिस्से पर आधारित होता है। इससे परीक्षा प्रणाली की व्यापकता तथा वस्तुनिष्ठता व विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है। पुरे साल भर की पढाई के बाद अगले कक्षा में प्रोन्नति हेतु तीन घंटे की परीक्षा प्रणाली के प्रश्नोतर के आधार पर ही छात्र का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें कक्षा कार्य तथा आंतरिक परीक्षाओं को कम महत्व दिया जाता है।

इस संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक समिति ने अपने रिपोर्ट[17] में परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कुछ सुझााव पस्तुत किये थे, जैसे-

- छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन हेतु उनके शिक्षकों द्वारा प्रगति परीक्षाओं का कार्य आरंभ किया जाना
- विश्वविद्यालयों की वाह्य परीक्षाओं में कमी लाना
- शिक्षण कार्यो में विभिन्न व्याख्यानों के अलावे विचार गोष्ठियों (सेमिनारों) ट्युटोरियल कार्य आदि का बढ़ावा दिया जाना
- ट्युटोरियल कक्षाओं में छात्रों द्वारा किये जाने वाले कार्य का नियमित मूल्यांकन किया जाना, मूल्यांकन को लिखित रूप से रखना तथा अंतिम परीक्षा मं उसे महत्व प्रदान करना।

6 अपव्यय की समस्या- भारत में शिक्षा की प्रमुख समस्या अपव्यय की भी है। विशेषकर उच्च शिक्षा के अपव्यय के कई कारणों का उल्लेख किया जा सकता है। यथा-

1. दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली
2. छात्र व शिक्षकों में निकटता का अभाव
3. शिक्षण कार्य का गिरता स्तर
4. छात्रों की आर्थिक कठिनाईयाँ
5. योग्य शिक्षकों का अभाव
6. अयोग्य छात्रों का उच्च शिक्षण संस्थाओं में नामांकन,
7. अनुपयुक्त छात्रावास की सुविधा।

उच्च शिक्षा के अपव्यय के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पुर्व अध्यक्ष प्रो0 सी0 डी0 देशमुख का भी कहना था कि भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा में अपव्यय की मात्रा विश्व में सर्वाधिक है।

7 आर्थिक सुधार नीति से उत्पन्न समस्याएँ एवं चुनौतियाँ - भारतीय अर्थव्यवस्था में घरेलु आर्थिक संकटों तथा वैश्विक चुनौतियों का सामना करने हेतु नब्बे के दशक में आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू की गई जिसे नयी आर्थिक नीति कहा गया। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में सुधार करते हुए उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। इससे देश की आधारभुत संरचना में काफी विकास हुआ है। देश की आर्थिक संवृद्धि से अन्य क्षेत्रों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की परस्पर भागीदारी से स्कूलों तथा कॉलेजों की आधारभूत संरचना, तकनीकी दक्षता को बढ़ावा मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलने से आर्थिक विकास के अनुरूप कौशल विकास तथा

व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। परंतु इस उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण से शिक्षा के क्षेत्र में कई मूलभुत समस्याएँ व चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई है।

शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ने से कई निजी स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाने लगी है। इससे असमानता बढ़ी हे। विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा समाज के वंचित समुदाय के परिवारों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों की महंगी फीसों को चुकाना एक बड़ी समस्या हो गई है। अत: वे इन स्कूलों व विश्वविद्यालयों की गुणवता पूर्ण शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे है।

प्राय: सभी निजी शिक्षण संस्थान मुनाफा कमाने के लिए ही स्थापित होते हैं। अत: कई औद्योगिक घराने तथा राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर की बाजार शक्तियाँ शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने लगी है। इसका लाभ संपन्न परिवार के बच्चे उठा पा रहे है। इससे संपन्न परिवार के छात्रों तथा वंचित वर्ग के छात्रों के बीच की असमानता स्पष्टत: देखी जा सकती है। इतना ही नहीं शिक्षा की गुणवता तथा आधारभुत संरचना को लेकर भी सरकारी तथा निजी शिक्षण संस्थानों के बीच का अंतर बहुत बढ़ गया है।

उच्च स्तर की शिक्षा की समस्याओं के संबंध में नयी शिक्षा नीति, 2020[18] में भी चर्चा की गई है। इनमें कुछ निम्न है –

1 खंडित उच्चत्तर शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र
2 संस्थागत कौशल के विकास एवं सीखने के परिणामों पर कम बल
3 विषयों का कठोर विभाजन एवं विद्यार्थियों को शुरू में ही विशेषज्ञों और अध्ययन के संकीर्ण क्षेत्रों को ओर ढ़केलना
4. विशेष रूप से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में जहाँ कुछ एक ही ऐसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं तथा जो स्थानीय भाषाओं में पढ़ाते हैं, वहाँ सीमित पहुँच होना।
5. सीमित शिक्षक तथा संस्थागत स्वायतता
6. शोध पत्र पर अधिकांश विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में कम बल देना तथा विषयक अनुशासनों में पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी समीक्षा शोध निधियों की कमी।
7. उच्चतर शिक्षा संस्थानों में गवर्नेस तथा नेतृत्व क्षमता का अभाव
8. एक अप्रभावी विनियामक प्रणाली।

इस प्रकार उच्च शिक्षा के संबंध में विभिन्न प्रकार की समस्याएँ है। शिक्षा के माध्यम को लेकर तो आज भी विवाद की स्थिति बनी है। जहाँ एक वर्ग अंग्रजी भाषा का समर्थक है वहीं दूसरा वर्ग का कहना है कि क्षेत्रीय भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। इसमें संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के साथ अंग्रजी के प्रति भी दुराग्रह नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है जिसके माध्यम से ज्ञान में वृद्धि होगी। इसी संदर्भ में डा0 राधा कृष्णन ने भी अपनी टिप्पणी में कहा था कि अंग्रेज भले ही हमारे देश से चले गए है, पर उनकी भाषा नहीं गई है, और अंग्रेजी पर केवल अंग्रेजों का ही एकमात्र अधिकार नहीं हो। इसी प्रकार उच्च शिक्षा में विशिष्टीकरण की भी समस्या है जिसमें छात्र कुछ विषयों में ही पारंगत हो जाता है। परंतु इससे उसका दृष्टिकोण असंतुलित तथा अव्यवहारिक होने लगता है। अत: उच्च शिक्षा के सामान्यीकरण पर ध्यान देने की जरूरत है।

निष्कर्ष

इस प्रकार वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था में उच्च शिक्षा से संबंधित कई समस्याएं व चुनौतियाँ हैं। प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु था जिसने सम्पूर्ण विश्व में ज्ञान की लौ प्रज्वलित की थी। परन्तु वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ आज ऐसी बातें नहीं कही जा सकती है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक की शैक्षिक पाठ्यक्रमों में तारतम्यता का अभाव है। कुछ चुनिन्दा संस्थानों को छोड़कर देश के अधिकांशत: शैक्षिक संस्थानों में शोधकर्ताओं को एक स्तरीय सामग्रियों की अनुपलब्धता है। छात्रों में अनुशासनहीनता व अनैतिक आचरण की प्रवृति तथा परीक्षा पास करने के शोर्टकट तरीके अपनाना आज आम बातें हो गयी है। निजी शिक्षण संस्थाओं तथा सरकारी अनुदानों पर पलनेवाली शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ने एक व्यापार का रूप ले लिया है।

वस्तुत: शिक्षा एवं मूल्यों में घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। यह मूल्य ही हैं जो शिक्षा के नीति निदेशक तत्त्व के रूप में कार्य करते है। भारत में प्राचीन काल से ही मूल्यों की शिक्षा की परंपरा रही है। मुहम्मद सुलतान मुहीउद्दीन ने अपने ग्रन्थ "स्कुल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट" में इस बात की चर्चा की है कि भारतीय स्कूलों में प्रत्यक्ष रूप से नैतिक और धार्मिक शिक्षा को संचालित करने की एक लम्बी परंपरा रही है। परन्तु वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था में नैतिक या आध्यात्मिक शिक्षा के लिए कोई स्थान नहीं है।[19] यह पूर्णत: उपयोगितावादी कार्य पर आधारित है जो कौशल और अर्थोपार्जन पर तो जोर देती है किन्तु नैतिक एवं आध्यात्मिकता जैसे मूल्यपरक शिक्षा की अवहेलना करती है। यह भी एक प्रमुख तथ्य है कि बच्चों में चारित्रिक विकास के साथ कर्तव्य व उत्तरदायित्व बोध की भावना का विकास अपेक्षित रूप से नहीं हो पा रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1 वैटर्स, ऑन युवाङ्चवाङ्स ट्रेवल्स इन इण्डिया, भाग- 2 लंदन 1904-1905, पृ0 165
2 अल्तेकर, प्रो० अनंत सदाशिव प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति, अनुराग प्रकाशन, वाराणसी, 2014, पृ0 90
3 पाठक, पी० डी० एवं श्रीवास्तव, प्रो० डी० एस०, भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं, श्री विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, 2017, पृ० 59
4 मुकर्जी, डॉ. एस एन, एजुकेशन इन इंडिया: टुडे एंड टुमौरो, आचार्य बुक डीपोट, बड़ोदा, 1964, पृ० 123
5 नरूला सैयद एंड नायक, जे. पी., हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग दि ब्रिटिश पीरियड, मैकमिलन एंडकंपनी लिमिटेड, मद्रास, बम्बई, कलकाता, लन्दन, 1943, पृ० 278
6 पाठक, पी० डी० एवं श्रीवास्तव, प्रो० डी० एस०, पूर्वोक्त, पृ० 59
7 प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, खंड -1, 1897-98 टू 1901-02, पृ० 57
8 पाठक, पी० डी० एवं श्रीवास्तव, प्रो० डी० एस०, पूर्वोक्त पृ० 337
9 पाण्डेय , डा० रामशक्ल एवं मिश्र, डा० करुणाशंकर, भारतीय शिक्षा की समसामयिक समस्याएँ आर. एस, ए. इन्टरनेशनल, आगरा- 2, 2018, पृ० 165
10 पाण्डेय, डा० रामशक्ल एवं मिश्र, डा० करुणाशंकर, पूर्वोक्त, पृ० 163
11 डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. आई बी इ एफ. ओ आर जी
12 मिर्डल, गुन्नार, एशियान ड्रामा, खंड 3, पैन्थान रान्दम हाउस, न्यूयार्क, 1968 . पृ० 1641
13 कवीर, हुमायूँ स्वतंत्र भारत में शिक्षाए राजपाल एंड संस, दिल्ली, 1960, पृ0 135
14 सिद्धांत, एन. के, दी प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन इन इंडियन यूनिवर्सिटिज, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, बड़ोदा, 1956, पृ०4
15 कोठारी कमीशन रिपोर्ट, पृ0 297
16 शर्मा, डॉ० कमलकान्त, भारत में उच्च शिक्षा व वैश्वीकरण की चुनौतियां: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (शोध आलेख), इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पोलिटिकल साईंस एंड गवर्नेन्स 2021,3 (2), 86-89
17 रिपोर्ट ऑफ यु जी सी कमिटी ऑन एक्जामिनेशन रिफॉर्म, 1962
18 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
19 पाठक, पी० डी० एवं श्रीवास्तव, प्रो० डी० एस०, पूर्वोक्त, पृ० 960

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियमः एक अवलोकन

अभिषेक कुमार सिंह

(शोधार्थी) एम०ए० (राजनीति विज्ञान) जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा

प्रो० (डॉ०) आफताब आलम

(शोध पर्यवेक्षक) राजनीति विज्ञान विभाग, एन.एल.एस. कॉलेज, जैतपुर, दाउदपुर, सारण, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।

शोध आलेख का सारतत्वः

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005 में पारित एक ऐतिहासिक कानून है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना और सामाजिक-आर्थिक असमानता को कम करना है। यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों का नियत रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना, प्रवास को रोकना और ग्रामीण विकास को गति देना है। यह अधिनियम गरीब और हाशिए पर खड़े समुदायों, विशेष रूप से महिलाओं, दलितों और आदिवासियों को सशक्त बनाने में सहायक रहा है। इसमें श्रम-प्रधान कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे जल संरक्षण, कृषि सुधार, सड़क निर्माण, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और पर्यावरणीय सुधार जैसे सतत विकास के कार्य भी संपन्न होते हैं। मनरेगा का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव व्यापक स्तर पर देखा गया है। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी और कार्यस्थल पर श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह न केवल आय वृद्धि का माध्यम बना, बल्कि ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि मजदूरी भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से बैंकों और डाकघरों में किया जाता है। हालांकि, मनरेगा को क्रियान्वयन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। बजटीय सीमाएं, भ्रष्टाचार, मजदूरी भुगतान में देरी, और स्थानीय स्तर पर प्रभावी निगरानी की कमी इसके प्रमुख अवरोधक हैं। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों की बढ़ती निर्भरता ने इसकी प्रासंगिकता को और अधिक स्पष्ट किया, जिससे इसे और सुदृढ़ करने की आवश्यकता महसूस हुई। समग्र रूप से, मनरेगा ने ग्रामीण भारत में सामाजिक सुरक्षा के एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य किया है। इसके प्रभाव को और अधिक व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी नवाचार, बेहतर प्रशासनिक निगरानी और बजटीय प्रावधानों में वृद्धि की आवश्यकता है। सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने और ग्रामीण भारत के समग्र विकास में इसकी भूमिका भविष्य में भी महत्वपूर्ण बनी रहेगी।

प्रमुख शब्दावली (Keywords): मनरेगा, ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास, श्रम-प्रधान कार्य, सतत विकास, जल संरक्षण, आर्थिक सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन, प्रवास नियंत्रण, मजदूरी भुगतान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, भ्रष्टाचार एवं पारदर्शिता, बजटीय आवंटन, तकनीकी नवाचार, स्थानीय प्रशासन, सामाजिक अंकेक्षण आदि।

प्रस्तावना

मनरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) भारत सरकार का एक प्रमुख बेरोजगारी उन्मूलन अधिनियम है. जो सीधे-सीधे गरीबों की जिंदगी से जुड़ा है और स्थायी ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देता है। यह विश्व में अपनी तरह का पहला अधिनियम है. जिसके तहत ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी दी गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो योजनाएँ बनाई जाती है, वे स्थायी ग्राम से जुडी होती हैं, जिससे कि ग्राम विकास के साथ-साथ स्थानीय वयस्क बेरोजगारों को रोजगार भी सतत मिलता रहे। अधिनियम के बेजोड पहलुओं में समयबद्ध रोजगार गारंटी और 15 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान जैसी विशेषताएँ शामिल हैं। इसके अलावा इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि रोजगार शारीरिक श्रम (मजदूरी) पर आधारित हो, जिसमें ठेकेदारों और मशीनों का कोई हस्तक्षेप न हो।

भारत में करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। लाखों परिवारों को जी-तोड़ मेहनत के बावजूद पूरे साल भरपेट रोटी नहीं मिलती। उस पर प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, महामारी में उनकी हालत बद से बदतर हो जाती है। ऐसे लोगों में

अधिकत्तर अकुशल मजदूर शामिल हैं। इन्हीं अकुशल मजदूरों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन आर.ई.जी.ए. यानी-नरेगा) लागू किया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हरेक राज्य सरकार को निर्देश देता है कि छह महीने के भीतर एक ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (रूरल इंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या आर.ई.जी.एस.) तैयार करे, जिससे कि रोजगार गारंटी का कार्यान्वयन किया जा सके। इस प्रकार, यह अधिनियम काम की गारंटी को कानूनी आधार प्रदान करता है और यही इस योजना का अर्थ है, जिसके माध्यम से यह गारटी प्रभाव में आ जाती है। ध्यान रहे कि यह अधिनियम एक राष्ट्रीय अधिनियम है और योजना राज्य-विषयक है। इसे सन् 2006-07 में 200 जिलों में लागू किया गया और वर्ष 2007-08 में इसमें 130 और जिले शामिल कर लिये गए तथा वित्त वर्ष 2008-09 से देश के बाकी हिस्सों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। यह उल्लेखनीय है कि 02 अक्टूबर, 2009 से नरेगा को मनरेगा कहा जाने लगा।

नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल (2014 से 2025) के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से संबंधित कई महत्वपूर्ण शासकीय निर्णय और कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, पारदर्शिता बढ़ाना, और योजना की प्रभावशीलता में सुधार करना रहा है। वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत लगभग 7.81 लाख करोड़ जारी किए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में 8.07 करोड़ से अधिक परिसंपत्तियों का सृजन हुआ।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया, जो योजना के इतिहास में बजट अनुमान स्तर पर सबसे अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी यह आवंटन 86,000 करोड़ पर बरकरार रखा गया है, जिससे ग्रामीण रोजगार को निरंतर समर्थन मिला है। सरकार ने मनरेगा के कार्यान्वयन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) उपकरणों और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाया है। परिसंपत्तियों के जियो-टैगिंग से उनकी निगरानी और पहचान में सुधार हुआ है, जिससे योजना की पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ी है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट अनुमान 60,000 करोड़ था, जिसे संशोधित कर 71,001.81 करोड़ किया गया और 71,687.71 करोड़ जारी किए गए। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट अनुमान 61,500 करोड़ था, जिसे संशोधित कर 1,11,500 करोड़ किया गया और 1,11,170.86 करोड़ जारी किए गए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट अनुमान 73,000 करोड़ था, जिसे संशोधित कर 98,000 करोड़ किया गया और 98,467.84 करोड़ जारी किए गए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट अनुमान ध्73,000 करोड़ था, जिसे संशोधित कर ध्89,400 करोड़ किया गया और ध्90,810.99 करोड़ जारी किए गए। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट अनुमान 60,000 करोड़ था, जिसे संशोधित कर 86,000 करोड़ किया गया और 89,268.30 करोड़ जारी किए गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में (28.01.2025 तक) बजट अनुमान 86,000 करोड़ था, और 82,421.05 करोड़ जारी किए गए। सरकार ने डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपनाकर श्रमिकों के बैंक खातों में सीधे भुगतान सुनिश्चित किया, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई और भ्रष्टाचार में कमी आई, हालांकि, कुछ आलोचनाएं भी सामने आई हैं। विपक्षी दलों ने बजट आवंटन में कमी और योजना के कार्यान्वयन में चुनौतियों की ओर इशारा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2024-25 के बजट में मनरेगा का आवंटन कुल बजट का मात्र 1.78 प्रतिशत है, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे कम है। इसके अलावा, संसद की स्थायी समिति ने महंगाई के साथ मनरेगा मजदूरी को जोड़ने और कार्यदिवसों की संख्या बढ़ाकर 150 करने की सिफारिश की है। कुल मिलाकर, 2014 से 2025 के बीच मोदी सरकार ने मनरेगा के तहत वित्तीय आवंटन, तकनीकी सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन प्रयासों से ग्रामीण रोजगार और विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता बनी हुई है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण गरीबों के जीवन से जुड़ा है और उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए कृतसंकल्प है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मजदूरी रोजगार को बढ़ाना है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ाने, सूखा राहत कार्य, वन-उन्मूलन और मिट्टी के कटाव को रोकने जैसे कार्यों द्वारा राष्ट्रीय विकास की ओर लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है।

मनरेगा संसार का पहला ऐसा अधिनियम है, जो मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार प्राप्त कर सकता है। उसकी मजदूरी का भुगतान 15 दिन में हो जाता है। नरेगा के अंतर्गत वित्तीय खर्च का 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है। इसमें महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की गई है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) 7 सितंबर, 2005 को अधिसूचित हुआ था और वित्तीय वर्ष 2006-07 में लागू हुआ। अब भारत के सभी राज्यों के लगभग सभी जिला में यह लागू किया गया है।

मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के उन अकुशल मजदूरों के लिए प्रति वर्ष 100 दिन की मजदूरी की गारंटी देना है. जो मेहनत-मजदूरी करके अपने परिवार की रोजी-रोटी चलाते है। मनरेगा का लक्ष्य हैं (1) निर्धन ग्रामीणों को रोजगार पाने के लिए कानूनन मजबूत करना। (2) समाज के असुरक्षित समूहों के पास रोजगार के वैकल्पिक स्रोत न होने की स्थिति में नरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराना। (3) प्रजातंत्र को ग्राम स्तर से ही मजबूत करना तथा शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना। (4) ऐसे

कार्य करना, जिनके माध्यम से प्राकृ तिक संसाधनों का प्रबंधन सुदृढ़ हो. जो कि सूखा, वनों की कटाई और मिट्टी के कटाव जैसे अवांछित कारणों को दूर करते हैं और सतत विकास को प्रोत्साहन देते हैं। यह उल्लेखनीय है कि 2 फरवरी, 2006 को नरेगा की शुरुआत देश के 200 जिलों से हुई और वित्त वर्ष 2007-08 में 130 जिले इसमें और शामिल कर लिये गए। देश भर के बाकी जिले 01 अप्रैल, 2008 को इसमें शामिल किए गए। इस प्रकार देश भर में इसका विस्तार हो गया।

मनरेगा की मुख्य विशेषताएँ अग्रलिखित हैं: (1.) गाँवों में रहनेवाले परिवारों के वयस्क सदस्य, जो अकुशल मजदूर के रूप में कार्य करना चाहें, स्थानीय ग्राम पंचायत में पंजीयन के लिए आवेदन कर सकते हैं। (2.) समुचित जाँच-पड़ताल के बाद ग्राम पंचायत ऐसे लोगों को जॉब कार्ड देती है। यह जॉब कार्ड मुफ्त में बनाया जाता है। इसमें नरेगा के अंतर्गत कार्य करनेवाले किसी परिवार के सभी वयस्कों के फोटो लगाए जाते हैं। (3.) जॉब कार्ड आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर बनाकर दिया जाता हैं। (4.) जॉब कार्डधारक काम पाने के लिए ग्राम पंचायत को आवेदन दे सकता है। उसे न्यूनतम 14 दिन की मजदूरी देने का नियम है। (5.) ग्राम पंचायत लिखित रूप में प्राप्त आवेदन के बाद तिथि सहित पावती जारी करती है, जिसके 15 दिन के भीतर जॉब कार्डधारक को गारंटी से मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है। (6.) आवेदन की तिथि से 15 दिन के भीतर यदि रोजगार प्रदान नहीं किया जाता तो कार्डधारक को नियमानुसार बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। (7.) कार्डधारक को मजदूरी रोज उसके गाँव की 5 कि.मी. की सीमा के भीतर उपलब्ध कराया जाता है। यदि मजदूरी 5 कि.मी से दूर उपलब्ध कराई जाती है तो परिवहन व्यय के लिए मजदूरी से 10 प्रतिशत अधिक अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। (8.) मजदूरी का भुगतान राज्य के कृषि मजदूरों के लिए तय श्न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार किया जाता है। इसके अभाव में केंद्र द्वारा अधिसूचित मजदूरी 60 रुपए प्रति दिन से कम न हो। (9) पुरुष एवं महिला को समान मजदूरी दी जाती है। (10.) मजदूरी प्रतिदिन की दर से अथवा नग दर के अनुसार दी जाती है। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक रूप से किया जाता है। यह भुगतान किसी भी दशा में 15 दिन से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। (11) पंजीकृत लोगों और मजदूरी के लिए कुल आवेदकों में से न्यूनतम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए तय किए गए हैं। (12.) कार्य स्थल पर शिशुगृह, पेयजल और छप्पर उपलब्ध कराया जाता है (13) गाँवों के लिए परियोजनाएँ ग्राम सभाएँ मंजूर करती है और जिला पंचायत उनका अनुमोदन करती हैं। (14) स्वीकृति परियोजना का न्यूनतम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायत अपनी देख-रेख में कराती है। (15) संचालित कार्यों में मुख्यत: जल एवं मृदा संरक्षण, वनरोपण और भूमि विकास से जुड़ी गतिविधियों शामिल होती हैं। (16.) कार्य में ठेकेदारों और मशीनों को शामिल करने पर प्रतिबंध है। (17) सामाजिक लेखा परीक्षा जैसी पार्श्व जन जवाबदेही प्रणालियों लागू हैं। सामाजिक लेखा परीक्षा कम-से-कम छह माह में एक बार की जानी अपेक्षित है। यह लेखा परीक्षा ग्राम सभा करती है (18.) पारदर्शिता एवं जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली से नागरिक मस्टर रोल (कर्मियों की उपस्थिति एवं मजदूरी के भुगतान संबंधी दस्तावेज) देख सकते हैं। (19) मनरेगा कर्मियों को बीमा कवर हेतु श्जन श्री बीमा योजनाश् की श्रेणी में रखा गया है। (20.) केंद्र सरकार राज्य सरकारों को मजदूरी के इच्छुक लोगों को डाकघर एवं बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। फलत: वित्त वर्ष 2008-09 में मजदूरी के भुगतान के लिए 6.85 करोड़ नरेगा बैंक एवं डाकघर खाते खोले गए। (21.) नरेगा मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी देता है। (22) कार्डधारक अपनी सुविधानुसार समय और दिन का चुनाव कर सकता है। (23.) नरेगा के अंतर्गत माँग के अनुसार रोजगार की रूपरेखा तैयार की जाती है।

मनरेगा में सतर्कता एव निगरानी की व्यापक व्यवस्था की गई हैं। मनरेगा के साथ व्यापक पारदर्शी जवाबदेही प्रणालियाँ जुड़ी हुई है-(1) जॉब कार्ड और उसमें दर्ज सूचनाएँ, रोजगार के लिए लिखित आवेदन, मस्टर रोल, माप पुस्तिका (या डायरी) और परिसपत्ति रजिस्टर (ii) रोजगार आवेदन की स्वीकृति तिथि के साथ पावती जारी करना, समय-सीमा के भीतर रोजगार, मजदूरी का भुगतान कार्य स्थल पर, नागरिक सूचना परिषद् निगरानी एवं जाँच समिति प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर नियमित जाँच और सामाजिक लेखा परीक्षा।

भारत में पंचायती व्यवस्था की झलक वैदिक काल से ही दृष्टिगोचर होती है, परन्तु वर्ष 1882 में ब्रिटिश शासन काल के दौरान पहली बार लार्ड रिपन के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में बोर्ड अथवा मण्डलों की स्थापना का सुझाव दिया गया। 1919 के माटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुझावों के आधार पर 1920 में मद्रास प्रान्त में पंचायत कानून बनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में गाँधीवादी प्रभाव में भारतीय संविधान के भाग-4 में उपबंधित राज्य की नीति निदेशक तत्व के अन्तर्गत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। 73वाँ संविधान संशोधन विधेयक, 1992 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था के विकास की दिशा में वास्तविक कार्य किया गया। 73वाँ संविधान संशोधन, 1992 के माध्यम से बिहार सहित अन्य राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था की वास्तविक स्थापना और कार्यकरण प्रारम्भ हुआ। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत ब्रिटिश भारत में ही हो चुकी थी। ब्रिटिश भारत में ही वर्ष 1920 में बिहार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी, जिसने वर्ष 1947 में स्वशासन का लोकतांत्रिक स्वरूप प्राप्त किया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद बिहार में ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए वर्ष 1947 में ही बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कुल 85 अनुच्छेद निहित थी। इसके बाद वर्ष 1956 1957 1958 1961, 1978, 1992, 1993 तथा 1995 में भी संशोधन किया गया। तिहत्तरवें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में बिहार पंचायती राज अधिनियम, 1993 पारित हुआ। वर्ष 2006 में बिहार पंचायती राज नियमावली लाया गया,

जिससे यह व्यवस्था अधिक प्रभावी हुई। पंचायती राज में मनरेगा की भूमिका से पंचायती राज सशक्त हुआ है। मनरेगा पंचायत में किस रूप में क्रियान्वित है, इसके लिए मैंने अपने शोध में बिहार राज्य के सारण जिला के दाउदपुर पंचायत को अपना अध्ययन क्षेत्र बनाया है, जिसका कार्यकाल वर्ष 2016-2023 तक होगा।

निष्कर्ष:

मनरेगा के तहत 2014 से 2025 के बीच मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इस अवधि में योजना के लिए आवंटित बजट में बढ़ोतरी हुई, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान, जब इसे ग्रामीण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल के रूप में देखा गया। सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जियो-टैगिंग, आधार-लिंक्ड भुगतान और ऑनलाइन निगरानी जैसी तकनीकों का उपयोग किया, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आई। इसके अलावा, परिसंपत्तियों के सृजन पर अधिक ध्यान दिया गया, जिससे जल संरक्षण, सिंचाई, सड़क निर्माण और अन्य ग्रामीण विकास कार्यों में सुधार हुआ। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में बजट आवंटन में कमी और कार्यदिवसों की संख्या बढ़ाने की मांग के बीच सरकार की नीतियों की आलोचना भी हुई। विपक्षी दलों और कुछ संगठनों का कहना है कि योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मजदूरी दरों को बढ़ाना और कार्यदिवसों की संख्या 150 तक करना आवश्यक है। सरकार ने मनरेगा को पूरी तरह समाप्त करने की बजाय इसे "सृजनात्मक रोजगार" की दिशा में मोड़ने की कोशिश की है। यह योजना अभी भी ग्रामीण भारत में रोजगार और आजीविका का एक प्रमुख साधन बनी हुई है। हालाँकि, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए श्रमिकों के भुगतान में देरी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसी चुनौतियों से निपटना जरूरी है। सही नीतियों और उचित निगरानी के साथ मनरेगा भारत के ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन में एक प्रभावी भूमिका निभा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ:

1. कटारिया सुरेन्द्र, (2003), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, आर.बी.ए. पब्लिशर्स, जयपुर।
2. उम्मन एम. ए. एवं दत्ता अभिजीत, (1995), पंचायत राज एड देअर फाइनेंस, कन्सेप्ट पब्लिशिंग, नई दिल्ली।
3. उपाध्याय देवेन्द्र, (1996), पंचायती राज व्यवस्था, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली खान, आई.एच. (1969) गवर्नमेन्ट इन रूरल इण्डिया, एशिया पब्लिशिंग हाऊस।
4. भट्टाचार्य एस.एन., (1970), कम्यूनिटी डेवलपमेन्ट एन एनालिसिस ऑफ द प्रोग्राम इन इंडिया, एकेडमिक पब्लिशर्स, कलकत्ता।
5. बिजू एम.आर., (1998), डायनैमिक्स ऑफ न्यू पंचायती राज सिस्टम रिफ्लेक्शन एण्ड रिट्रोस्पेक्शंस, कनिष्क पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रब्यूटर्स, नई दिल्ली।
6. भार्गव जी.एस., (1979), पंचायती राज सिस्टम एण्ड पॉलिटिकल पार्टीज, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।
7. माथुर बी. एन., (1997), न्याय पंचायत एज एन्स्ट्रमेन्ट ऑफ जस्टिस, इंस्टीटच्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एण्ड कन्सेप्ट पब्लिशिंग, नई दिल्ली।
8. महाजन बी०.डी. एवं सेठी, आर.आर., (1958), ब्रिटिश रूल इन इण्डिया एण्ड आफ्टर (1707-1956). एस० चाँद एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली।
9. माहेश्वरी एस. आर., (1970), इवोलुशन ऑफ इण्डियन एडमिनिस्ट्रेशन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा।
10. त्रिपाठी डॉ० भूपेश मणि, (2012),पंचायती राज व्यवस्था एक परिचय, भारती पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)।
11. झा डॉ० चेतकर, (2011), भारतीय स्थानीय स्वशासन, नोवेल्टी एण्ड कम्पनी. पटना।
12. कटारिया डॉ. सुरेन्द्र, (2010), पंचायती राज संस्थाएँ अतीत, वर्तमान और भविष्य, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली

मध्ययुगीन बोधः साहित्यिक संदर्भ

सुमेधा शर्मा

शोधार्थी, पीएच.डी. (हिन्दी), हिंदी विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक (हरियाणा)

प्रकृति के विस्तृत, विराट एवं विस्मयकारी प्रांगण में अन्य जड़-चेतन पदार्थों की भाँति मनुष्य का अस्तित्व भी अज्ञात काल से विद्यमान है। अपनी विवेकशीलता एवं चौतन्य की विशिष्टता के कारण प्रनुष्य प्रकृति के अन्य पदार्थों व चेतन पशु-पक्षियों से सर्वथा भिन्न ही नहीं अपितु सर्वोत्तम भी है। मनुस्मृति में भी कहा है -

'प्रकृतिस्थेषु भूतेषु मनुजः एव विशिष्यते।'[1]

मनुष्य की यह चौतन्य प्रवृत्ति ही इसे विराट विश्व के रहस्यों के उद्घाटन के लिए प्रेरित करती रहती है। इसी चेष्टा में मनुष्य सदा प्रयोगरत रहा है तथा भौतिक एवं भौतिकेतर ज्ञान-विज्ञान, दर्शन, संस्कृति एवं साहित्य में नवीन तथ्यों की खोज में सफल भी हुआ है। अपने इस सतत् चिन्तन द्वारा किसी विषय या क्षेत्र में प्रामाणिक निष्कर्ष पर पहुंच कर मनुष्य उस के सम्बन्ध में एक निश्चित धारणा स्थापित कर लेता है तो उसे उस विषय का 'बोध' कहते हैं। अतः बोध का अर्थ है- जानना, समझना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। 'बोध' शब्द विभिन्न शब्दों से जुड़कर उनके ज्ञान का परिचायक हो जाता है, जैसे- तर्कबोध, निगमबोध, शास्त्रबोध, आत्मबोध आदि।

'युगबोध' के अन्तर्गत किसी भी कालविशेष की संस्कृति, राजनीति, समाज, धर्म, दर्शन तथा इनको प्रभावित करने वाले सभी तथ्य समाहित हो जाते हैं। साहित्यिक संदर्भ में किसी युग के सर्वांगीण साक्षात्कार हेतु तत्कालीन साहित्यिक कृतियों का अवलोकन मात्र ही पर्याप्त नहीं है अपितु ''साहित्य बोध को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन कवियों, ग्रन्थकारों और कृतियों की जानकारी प्राप्त करें जो उस काल-विशेष में आदर्श और अनुकरणीय समझे गए थे। फिर हमें उन आचार्यों का परिचय भी प्राप्त करना होगा जिनके बताये हुए कायदे-कानून, विधि-निषेध और आदर्श इस काल में स्वीकार कर लिए गए।"[2]

मध्ययुगः समय-सीमा

प्राचीन भारतीय संस्कृति में युग विभाजन सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलियुग नाम से प्राप्त होता है। यह 'मध्ययुग' अंग्रेजी के 'मिडिल एजेज' शब्द के अनुकरण पर प्रचलित आधुनिक शब्द है। यूरोपीय इतिहास में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक अभ्युदय के पूर्व तक के युग को 'मध्ययुग' कहा जाता है। पाश्चात्य विद्वान् इस मध्य युग का आरम्भ ललित कलाओं एवं साहित्य के पुनर्जागरण से स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार मध्ययुग की सीमा पन्द्रहवीं, सोलहवीं शताब्दी से पूर्व की मानी जाती है। वस्तुतः एक विशेष प्रकार की पतनोन्मुख और जबदी हुई मनोवृत्ति के अर्थ में पाश्चात्य साहित्य में 'मध्य युग' शब्द का प्रयोग हुआ है।

इस ह्रासोन्मुख एवं स्तब्ध मनोवृत्ति को ध्यान में रखते हुए भारतीय साहित्य में काल निर्धारण करें तो यह सातवीं, आठवीं शताब्दी के बाद देखने को मिलता है। सातवीं शताब्दी से पूर्व देश बोद्ध धर्म के अभ्युदय, गुप्तों के साम्राज्य एवं हर्षवर्धन के समय राष्ट्रीय गौरव का अनुभव करता रहा। पुनश्च सैंकडो वर्षों की गुलामी, निराशा और अन्धकार झेलकर अठारहवीं शताब्दी के बाद भारतेन्दु युग से पुनर्जागरण का शंखनाद हुआ, अतः इस से पूर्ववर्ती काल को ही भारतीय साहित्य का 'मध्य युग' कहना उचित है। विशेष बात यह है कि पाश्चात्य एवं भारतीय 'मध्य युग' में चेतनागत अन्तर बहुत बड़ा है। पाश्चात्य मध्य युग में ललित कलाएँ ह्रासोन्मुख, स्तब्ध, अवरुद्ध एवं कुण्ठित थी, जबकि इस युग में भारत में लिखित भक्ति-साहित्य अनुपम एवं अद्वितीय है। इस युग के भक्तिकाल को 'स्वर्ण युग' की संज्ञा दी गई है। इस साहित्य के पीछे सजीव एवं समृद्ध चेतना कार्य कर रही थी। पाश्चात्य मध्य युग के निराशाग्रस्त साहित्य से भारतीय मध्ययुगीन साहित्य की तुलना कदापि संगत नहीं हो सकती।

मध्ययुगीन बोध का स्वरूपः

भारतीय 'मध्य युग' का साहित्य जीवन्त, उदात्त, एवं समर्थ चेतना का परिणाम था। इसी युग में सगुण-निर्गुण भक्तिधारा की गंगा-यमुना प्रवाहित हुई, जिसने जनमानस को स्वच्छ, शुद्ध एवं निर्मल रूप प्रदान किया। इसी समय सूफी कवियों के प्यार का सागर उमड़ा, जिसने हिन्दू-मुस्लिम जातीय भेद-भाव को दूर करने का प्रयास किया। इसी काल में 'रामचरितमानस' जैसे ग्रन्थ-रत्न की रचना हुई, जो अनन्त काल तक भारतीय जनजीवन को राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक, लौकिक एवं अलौकिक शक्ति प्रदान करने में समर्थ है। इसी काल में तुलसी, कबीर, सूरदास एवं जायसी जैसे ज्ञानालोकस्तम्भ हुए, जिनका प्रकाश कभी मन्द नहीं हो सकता। इसी काल के अन्तिम चरण 'रीतिकाल' में रसराज श्रृंगार की जो साधना एवं सर्जना हुई, वह विश्व-साहित्य में दुर्लभ है। मध्ययुगीन साहित्य में उपलब्ध सर्वमान्य तत्त्वों के अवलोकन के पश्चात ही इस युग के सर्वांगीण स्वरूप को समझ लेना और भी सुगम रहेगा।

मध्ययुगीन बोध के मुख्य तत्त्वः

प्रत्येक युग का साहित्यकार अपने साहित्य में सत्य, शिव एवं सुन्दरम् तत्वों के समावेश के प्रति सजग रहता है क्योंकि इसी में साहित्य की सार्थकता एवं सफलता है। मध्ययुगीन साहित्य में शिव तत्त्व एवं सुन्दरम् तत्त्व का मणि-काञ्चन संयोग हुआ है। इस युग के साहित्य-मनीषियों में श्रद्धा-विश्वास, भक्ति-भावना, अवतारवाद, पौराणिक प्रतिष्ठा, समन्वय भावना एवं रोमांचक प्रवृत्ति की प्रचुरता के दर्शन पग-पग पर होते हैं। इन तत्त्वों का आंशिक दर्शन इस प्रकार किया जा सकता है-

श्रद्धा एवं विश्वासः

मध्ययुगीन साहित्य की सर्वप्रथम विशेषता, उपलब्धि अथवा प्रवृत्ति श्रद्धा एवं विश्वास है। भारतीय संस्कृति की प्राचीन परम्पराओं को पूर्ण रूप से ग्रहण करना और उसमें पूर्ण विश्वास व्यक्त करना, इस युग के मनीषियों की पहली मान्यता रही। मध्य युग में महान सचेत कलाकार गोस्वामी तुलसीदास ने तो अपने ग्रन्थ 'रामचरितमानस' के मंगलाचरण में ही सहर्ष घोषित किया है -

''भवानीशंकरौ वन्दे ऋद्धातिश्वासरूपिणौ।
याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम।।"[3]

अर्थात् मैं श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक, पार्वती व शंकर को प्रणाम करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध पुरुष भी अपने हृदय में विद्यमान ईश्वर को नहीं देख सकते।

तुलसीदास का विश्वास राम में कितना दृढ़ है, इस बात का अनुमान इन पंक्तियों से ही लगाया जा सकता है-

निगमागम जान पुराण पढ़ै तपसानल में जुग पुंज जरै।
मन सो पन रोपि कहै तुलसी रघुनाथ बिना दुख कौन हरे।।[4]

तुलसीदास का श्रीराम में विश्वास अडिग है तो सूरदास भी कम नहीं। वे श्रीकृष्ण में इतनी श्रद्धा रखते है कि उनके लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को ही छोड़ने को तैयार हैं-

महामुक्ति कोऊ नहिं बुझे, जदपि पदारथ चारी।
सूरदास स्वामी मनमोहन मूरति की बलिहारी।।[5]

सन्त कबीर की भी अपने इष्ट में अनन्य निष्ठा है-

है कोई ऐसा उपकारी, कहै राम सो जाय रे।
अब कबीर बेहाल भयो, बिन देखे जिय जाय रे।।[6]

इसी प्रकार अन्य सन्तों व भक्तों ने श्रद्धा एवं विश्वास की पूर्ण अभिव्यक्ति की है। वे सदैव तर्क व अविश्वास से मुक्त रहे हैं।

भक्ति-भावनाः

भक्ति तत्व मध्ययुग के सभी साहित्यकारों की रचनाओं में उपलब्ध है। तुलसीदास ने तो चातक की भाँति अपनी भक्ति को दर्शाया है-

एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास।
एक राम घनस्याम हित, चातक तुलसीदास।।[7]

सूरदास भी प्रेमाभक्ति को अंगीकार कर याचना कर रहे हैं-

प्रेम भक्ति बिनु मुक्ति न होई।
नाथ कृपा करि दीजे सोई।।[8]

कबीर भक्ति की महत्ता को स्वीकार करते हुए औरों को भी भक्ति के, लिए प्रेरित कर रहे हैं-

कबीर आपण राम कहि, औरां राम कहाइ।
जिहिं मुख राम न उचरे, तिहिं मुख फेर कहाइ।।[9]

रीतिकालीन कवि विद्यापति भी भक्ति के, लिए तड़पते प्रतीत हो रहे हैं -

आध जनम हम नींद गवायन, जरा सिसुकत दिन मेला।
बिधु बन रमनि रमत रंग मातुन तोहे भजन कौन बेला।।[10]

अवतारवादः

मध्युगीन सन्त कवियों की भक्ति का आधार पौराणिक परम्परा से प्रचलित अवतारवादी धारणा रही। उन्होने राम व कृष्ण को अवतार के रूप में माना। तुलसी के राम –

तेहि अवसर भंजन महि भारा।
हरि रघुबंस लीन्ह अवतारा।।[11]

सूरदास की पंक्ति 'जसोदा हरि पालने झुलावै' में 'हरि' विशेषण साभिप्रायः है, जो कृष्ण को भगवान के अवतार रूप में प्रतिपादित करता है। इसके अतिरिक्त जगह-जगह पर प्रयुक्त 'प्रभ' व 'हरि' के सम्बोधन कृष्ण के अवतार रूप के ही द्योतक हैं। कवि बिहारी के भाव भी स्पष्ट हैं –

अपने-अपने मत लगे, वादि मचावत सोर।
ज्यों त्यों सबको सेइबो, एकै नन्द किसोर।।[12]

इन उदाहरणों से तत्कालीन कवियों की अवतारवादी आस्था का परिचय अनायास ही प्राप्त हैं।

पौराणिक प्रतिष्ठाः

पौराणिक प्रतिष्ठा का आशय उन धारणाओं की पालना से है, जो परम्परागत रूप से साहित्य में चली आ रही थी। मध्ययुग के कवियों ने प्रायः परम्परागत चरित्रों में कोई आश्चर्यजनक परिवर्तन नहीं किया, अपितु प्राचीन मान्यताओं का ही समर्थन किया। गोस्वामी तुलसीदास व महर्षि वाल्मीकि द्वारा 'वाल्मीकि रामायण' में वर्णित भगवान श्रीराम की कथा को अपने 'रामचरित मानस' में ज्यों का त्यों उतार दिया। सूरदास मे भी 'श्रीमद्भागवत' पुराण में वर्णित भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का ज्यों का त्यों वर्णन करके पौराणिक प्रतिष्ठा का परिचय दिया है।

रोमांचक प्रवृत्तिः

मध्ययुगीन साहित्य में अद्भुत रोमांचक क्षणों का अनुभव प्राप्त होता है। भक्त ने सन्त जहाँ ब्रह्म के साक्षात्कार में रोमांचित हो उठते हैं, वहीं श्रृंगारी कवि श्रृंगार की झंकार में रोमांच का अनुभव करते हैं। भावना की भिन्नता सही, पर रोमांच का दर्शन सर्वत्र प्राप्य है। तुलसी की सीता, राम के रूप की परछाई देखकर ही रोमांचित है–

'राम को रूप निहारति जानकी, कंगन के नग की परछाई।
यातै सबै सुधि भूलि गई,, कर टेकि रही पल टारति नाहिं।।[13]

सूरदास अपने बाल कृष्ण को देख कर ही रोमांचित होकर कह उठते हैं–

'सूरदास एको पल धन्य, का सत कोटि कलप जिए।'

सन्त कबीर अपने ब्रह्म की अनुभूति में रोमांचित है –

'कहत कबीर आनन्द भयो है, बाजत अनहत ढोल रे।'

कवि बिहारी अपने श्रृंगार में ही रोमांचित है–

'चमक तमक हांसी ससक, मसक झपक लपटानि।
'ये जिहिं रति सो मुक्ति, और मुक्ति अति हानि।।'[14]

कवि विद्यापति को नायिका का दर्शन रोमांचित कर जाता है–

'ससन परस खसु अम्बर रे देखल धनि देह।
नव जल-घर तर संचर रे जनु बिजुरी रेह।।'[15]

उपर्युक्त विनेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि मध्ययुग के सन्त, भक्त व अन्य सभी कवियों में रोमांच की प्रवृत्ति सर्वत्र विद्यमान है, चाहे उसका मूल लौकिक हो या अलौकिक।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सन्यता है कि मध्ययुगीन बोध का स्वरूप मध्ययुगीन साहित्य के संदर्भ में श्रद्धा-विश्वास एवं आस्था का भाव बोध है, जिसमें तर्क व अविश्वास का कोई स्थान नहीं है। 'मध्ययुगीन बोध' शब्द भले ही पाश्चात्य शब्द 'मिडल ऐजज' के अनुकरण से प्रचलित हुआ हो, पर पाश्चात्य एवं भारतीय मध्ययुगीन साहित्य में जमीं- आसमान का अन्तर है। पाश्चात्य 'मध्ययुग' निराशा, कुण्ठा, अवसाद एवं अंधकार का युग है तो भारतीय 'मध्ययुग' श्रद्धा-विश्वास, आस्था, भक्ति, उत्साह, एवं प्रकाश का प्रतिनिधि एवं प्रतीक है।

संदर्भ-सूची

1. मनुस्मृति, अध्याय-4, श्लोक - 18
2. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, पृ०-11
3. तुलसीदास, रामचरितमानस, मंगलाचरण श्लोक-2
4. तुलसीदास, कवितावली-उत्तरकाण्ड, पृ०-55
5. सूरदास, सूरसागर (भ्रमरगीत), पद्य संख्या-66
6. कबीर की साखियाँ, विरह को अंग
7. तुलसीदास, कवितावली
8. सूरदास, सूरसागर
9. कबीर की साखियाँ, भक्ति को अंग
10. विद्यापति, पदावली
11. तुलसीदास, रामचरितमानस (बालकाण्ड), पद्य-51
12. बिहारी सतसई, दोहा संख्या-39
13. तुलसीदास, कवितावली
14. बिहारी सतसई, दोहा-473
15. विद्यापति, पदावली

2014 से भारत की विदेश नीतिः हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के विशेष संदर्भ में

शिवांगी

(शोधार्थी) राजनीति विज्ञान विभाग, बी० आर० ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार

डॉ० भारती सेहता

शोध-निर्देशिका, सहायक प्रध्यापिका, विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग, बी० आर० ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार

सारांश

उभरती वैश्विक शक्ति संरचनाओं और भू-राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक या सामरिक स्थिति सर्वोपरि है। हिन्द-प्रशांत क्षेत्र एक विकसित होता भू-रणनीतिक और भू-आर्थिक पहचान है जो सुरक्षा अध्ययन में महत्त्वपूर्ण है। यह क्षेत्र हिन्द महासागार और पश्चिमी प्रशांत महासागार के माध्यम से अफ्रीका के पूर्वी तट तक फैला हुआ है। इस शोध-पत्र में प्राथमिक व द्वितीयक दोनों स्रोतों के माध्यम से भारत की हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में प्रभावित करने वाले कारकों पर दृष्टि डालते हुए एक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही, इस क्षेत्र में भारत के विदेश नीति को दर्शाते हुए इस क्षेत्र के कुछ महत्त्वपूर्ण देशों के साथ भारत के संबंध स्थापित करने के क्या प्रभाव रहे है। इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता लाने के लिए और इसकी समुद्री नीतियों पर भी विचार किया जा रहा है।इस शोध-पत्र को मुख्यतः चार भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में हिन्द-प्रशांत क्षेत्र एवं उनके महत्त्व पर विचार किया गया है। जबकि दूसरे भाग में हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में भारत के क्या हित रहे है? इसका वर्णन किया गया है। तीसरे भाग में हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में भारत की नीति क्या रही है? चतुर्थ भाग में हिन्द-प्रशांत में भारत की विदेश नीति के अंतर्गत किये जाने वाले क्वाड का अध्ययन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत ही क्वाड की बैठकों एवं क्वाड प्लस की बैठकों का अध्ययन किया गया है और अंततः निष्कर्ष में हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत के दृष्टिकोण पर विचार किया गया है।

शब्द कुंजी - हिन्द-प्रशांत क्षेत्र, क्वाड, रणनीतिक या सामरिक स्थिति, शांति, सुरक्षा और स्थिरता, सागरमाला परियोजना।

परिचय

विदेश नीति किसी राष्ट्र की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जहाँ कई कारक विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न प्रकार से एक-दूसरे को प्रभावित करती है। जहाँ तक भारत की विदेश नीति का प्रश्न है तो भारत की विदेश नीति उसकी सभ्यता, भू-राजनीतिक अवस्थिति, देश की सामूहिक अवचेतना और शासकीय नेताओं की नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित रहा है या निर्धारित होता रहा है। किसी देश की विदेश नीति तभी सफल हो सकती है जबवह देश विश्व राजनीति में अपने हितों को प्राप्त करने में समर्थ हो। भारत की विदेश नीति पर विचार करें तो भारत अपने विदेश नीति के माध्यम से राष्ट्रीय हित को पूरा करने में काफी हद तक सफल रहा है।

भारत के विदेश नीति के लिए कुछ चुनौतियाँ भी उभरकर सामने आई है। जैसे-चीन एवं पाकिस्तान जैसे परम्परागत प्रतिद्वन्द्वियों के साथ कुछ विवादास्पद मुद्दे, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से निपटना, पड़ोसी देशों में अस्थायित्व को नियंत्रित कर उनके विवादों का समाधान ढूँढ़ना, हिन्द महासागर की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। यहाँ हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में भारत की क्या विदेश नीति रही है? उसका अध्ययन किया जा रहा है।

हिन्द-प्रशांत क्षेत्र एवं उनका महत्त्व

हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में भारत की विदेशनीति पर विचार किया जाएगा। इस क्रम में सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि हिन्द-प्रशांत क्षेत्र क्या है? और इसमें कौन-कौन से क्षेत्र आते है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है 'हिन्द-प्रशांत क्षेत्र वैसा क्षेत्र है जो हिन्द महासागर और प्रशांत महासागर से मिलकर बना है। यह क्षेत्र अफ्रीका के पूर्वी तट के राज्यों से होते हुए एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक फैला है।' 'हिन्द-प्रशांत' शब्द एक भौगोलिक ही नहीं बल्कि एक आर्थिक और रणनीतिक अवधारणा है। हिन्द-प्रशांत क्षेत्र की अवधारणा अमेरिकी गतिविधियों के क्षेत्र में वृद्धि का द्योतक है। वर्तमान में इसके हित एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में निहित है। इनके

अतिरिक्त कुछ उभरती हुई शक्तियाँ जैसे-भारत, चीन इत्यादि की उपस्थिति इस क्षेत्र के महत्त्व को बढ़ाती है। साथ ही, विश्व व्यापार, निवेश, परिवहन, ऊर्जा की उपलब्धता, देशों के बीच सहयोग तथा प्रतिस्पर्धा के परिवर्तित होते समीकरण इस क्षेत्र को और अधिक महत्त्वपूर्ण बनाते हैं। आर्थिक रूप से मजबूत और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश जैसे भारत, चीन तथा जापान इसी क्षेत्र में शामिल हैं।

रणनीतिक महत्त्व पर विचार करें तो विश्व राजनीति में इस क्षेत्र में चीन और अमेरिका जैसे देशों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। फिर दक्षिण चीन सागर और मलक्का जलडमरूमध्य जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र इस क्षेत्र में स्थित है, जो एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। उपरोक्त महत्त्व को ध्यान में रखते हुए भारत हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में अपनी भूमिका को बढ़ाने हेतु अपनी नीति का निर्धारण करता रहा है, जिससे भारतीय विदेश नीति की निरंतरता एवं परिवर्तनशीलता स्पष्ट प्रतीत होती है।

हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में भारत के हित

हिन्द-प्रशांत क्षेत्र हमेशा से ही भारत के लिए काफी महत्त्वपूर्ण रहा है जिसका प्रमुख कारणों में से एक कारण समुद्री व्यापार का होना है। सबसे महत्त्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं और भारत के व्यापारिक साझेदार अमेरिका, चीन, कोरिया और जापान का समग्र व्यापार दक्षिण चीन सागर या प्रशांत क्षेत्र से होता है। भारत के व्यापार का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में केन्द्रित है। हिन्द महासागर में भारत का 90 प्रतिशत कारोबार होता है और इसका 90 प्रतिशत ऊर्जा स्रोत है।[1]

भारत हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है। इसके लिए भारत इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को विस्तृत करने हेतु पूर्वी एशिया के देशों के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार, आर्थिक विकास और समुद्री सुरक्षा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है।

भारत अपनी समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु और सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, आसियान, जापान, कोरिया और वियतनाम जैसे देशों के साथ नौसैनिक अभ्यासों में भाग लेता है। फिर, भारत महाशक्ति बनने की राह में चीन से मिलने वाली चुनौती का सामना करने के लिए अमेरिका की सहायता लेना चाहता है और साथ ही अपना प्रभुत्व स्थापित करने के साथ शांति, स्थिरता और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है।

हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में भारत की नीति

हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में भारत एक महत्त्वपूर्ण एवं बहुमुखी भूमिका निभाने वाला देश है। पिछले कुछ वर्षों को छोड़ देंतो इस क्षेत्र में भारत की स्थिति अलगाव की थी। किन्तु, वर्तमान में हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की नीति भारतीय सामुद्रिक हितों से संचालित होती है। भारत कई सामुद्रिक पहलों के द्वारा इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा पर बल दे रहा है। सामुद्रिक पहलों पर विचार करें तो 2015 में SAGAR (Security And Growth for All in the Region) पहल द्वारा इस क्षेत्र में स्थिरता एवं सुरक्षा को सुदृढ़ करने के क्रम में सागरमाला परियोजना का क्रियान्वयन हो रहा है ताकि भारत तटीय अवसंरचना को मजबूत कर अपनी क्षमता को बढ़ा सके। इसके माध्यम से भारत अपने सामुद्रिक पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को अधिक सुदृढ़ कर उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमता के निर्माण में सहायता पहुँचा सके। सागरमाला परियोजना द्वारा बंदरगाह के विकास पर बल दिया गया था जिससे मजबूत बंदरगाह अवसंरचना का निर्माण किया जा सके और व्यापार तथा आर्थिक विकास में उनके महत्त्व के कारण उनका आधुनिकीकरण किया जा सके। इस परियोजना के अंतर्गत आरंभ में भारत के 12 बंदरगाहों और 1208 द्वीप समूह को विकसित करने की बात की गई थी, जबकि 2017 में सागरमाला परियोजना में छः मेगापोर्ट बनाने की योजना बनाई गई थी[2] जो अग्रलिखित है-सागर द्वीप (प० बंगाल), पाराद्वीप बाहरी हार्बर (ओडिसा), सिर्खजी (तमिलनाडु), इनायम (तमिलनाडु), बलिकेरी (कर्नाटक), वधावन (महाराष्ट्र)।

फिर, भारत द्वारा हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक साझेदारी और व्यापार संबंधों को बढ़ाने और प्रगाढ़ करने हेतु 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' जो 2014 में 12वें आसियान (ASEAN)-भारत शिखर सम्मेलन में आरंभ किया गया था, की पहल की गई। यह एक्ट ईस्ट पॉलिसी 1991 की लुक ईस्ट नीति का ही उन्नत रूप है। इसके माध्यम से भारत दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ न केवल संबंधों को सुदृढ़ कर रहा है बल्कि कनेक्टिविटी, रक्षा और सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए विभिन्न पहलों द्वारा भी भारत की भूमिका को एक नई दिशा मिली है। एक्ट ईस्ट नीति के तहत दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ-साथ इस क्षेत्र के अन्य देशों - जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधों पर व्यापक ध्यान दिया जाता है। इस नीति के क्रियान्वयन से भारत का दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंधों में सुदृढ़ता आई है। 2019 में, भारत के शीर्ष पाँच व्यापारिक साझेदार सिंगापुर, वियतनाम, इण्डोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया व्यापारिक साझेदार इसी क्षेत्र से थे, जो आसियान के भारत के व्यापार की बात करें तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में इनके मध्य द्विपक्षीय व्यापार लगभग 121 बिलियन डॉलर था, जो कुल वैश्विक व्यापार का 11 प्रतिशत है।

भारत आसियान या दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों के साथ विभिन्न अवसंरचना के विकास वाली परियोजनाओं में शामिल है, जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार है - भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, भारत को म्यांमार से जोड़ने वाली कलादान मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना, मेकांग-भारत आर्थिक गलियारा (MIEC) जो भारत को वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया के साथ जोड़ता है। फिर, रक्षा सहयोग की दृष्टि से भी कई संयुक्त सैन्य अभ्यास का आरंभ, खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान सहित सुरक्षा मुद्दों पर भी सहयोग किए गए हैं। जैसे-भारत और इंडोनेशिया के बीच सैन्य अभ्यास गरूड़ शक्ति। भारत और आसियान देशों के बीच 2016 में वाटरशेड सैन्य अभ्यास किया गया। भारत और आसियान के देशों के बीच पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में आयोजित किया गया।

हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में भारत हिन्द-महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) के माध्यम से भी इस क्षेत्र के देशों के साथ कनेक्टिविटी और व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करने का प्रयास करता रहा है। हिन्द महासागर रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association) एक ऐसा अंतर-सरकारी संगठन है जो हिन्द महासागर के सीमा से लगे देशों के बीच आर्थिक सहयोग एवं क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु स्थापित किया गया था, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसका उद्देश्य संबद्ध क्षेत्र तथा सदस्य देशों के सतत् एवं संतुलित विकास को बढ़ावा देना। साथ ही, उदारीकरण को बढ़ावा देने के लिए हिन्द महासागर रिम के देशों के बीच वस्तुओं सेवाओं, निवेश, प्रौद्योगिकी के मुक्त व सवंर्द्धित प्रवाह संबंधी बाधाओं का समाधान करना या बाधाओं की कम करना। इसके साथ ही प्व्त। मत्स्य प्रबंधन क्षेत्र और ब्लू इकॉनॉमी के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने की बात 2017-2021 में IORA के एक्शन प्लान में की गई है।

भारत का हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में एक अन्य महत्त्वपूर्ण सहयोग, जो इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए काफी आवश्यक है फन्।क् के रूप में जाना जाता है।

क्वाडः मुक्त और खुला हिन्द-प्रशांत क्षेत्र

भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के इंडो-पेसिफिक स्ट्रैटेजिक थिएटर में रणनीतिक सहयोग के तंत्र को संस्थागत बनाने के लिए एक साधन के रूप में क्वाड का गठन 2007 में किया गया। यह एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जिसका प्राथमिक या मुख्य उद्देश्य एक स्वतंत्र, खुले, समृद्ध एवं समावेशी हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के लिए काम करना है। क्वाड नामक मंच की उत्पत्ति 2004 में हुई जब सुनामी के बाद राहत कार्यों के समन्वय के लिए चार देश एक साथ आये।[3] क्वाड का जन्म ऐसी स्थिति में हुआ था जब चीन और अमेरिका के बीच महामारी से उत्पन्न कटुता एक 'नए शीत युद्ध' (कोबरा और ए.एस.यू., 2021) में बदल गयी थी। वास्तव में क्वाड को हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था और यथास्थिति को चुनौती देने और बाधित करने की चीन की क्षमता को रोकने की कोशिश करने के प्रयास के रूप में शुरू किया गया था।[4]

शीत युद्ध के बाद भारतीय विदेश नीति के अपनी रणनीतिक गणनाओं में जो परिवर्तन किए, उन्होंने तीन प्रमुख संबंधों को अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अधिक स्वाभाविक और पूर्ण रूप से प्रकट होने की अनुमति दी।[5] पिछले तीन दशकों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मूल्यों के महत्त्व को उजागर किया है तथा तत्कालीन चुनौतियों पर इन प्रमुख संबंधों का अपरिहार्य था जिसका परिणामी संलयन क्वाड के रूप में जाना जाता है (जयशंकर, 110, व्हाई भारत मैटर्स)। पुनः 2007 में इस समूह की आसियान देशों के साथ बैठक हुई जिसमें जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने क्वाड के गठन का प्रस्ताव रखा था जो एशिया-प्रशांत में 'स्वतंत्रता और समृद्धि' को बनाये रखने की परिकल्पना से युक्त था। क्वाड के सदस्य देशों के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों, रक्षा सहयोग और भारत-प्रशांत क्षेत्र में आम चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है जिससे यह कहा जा सकता है कि क्वाड को एक अनौपचारिक गठबंधन के स्थान पर हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में इस क्षेत्र के देशों के हितों को संरक्षित करने वाले एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में देखा जाता है जिसमें चीन के महाशक्ति के रूप में उदय को संतुलित करना भी शामिल था। क्वाड एक खुले, स्थिर और समृद्ध हिन्द-प्रशांत का समर्थन करने हेतु प्रतिबद्ध है जो समावेशी और लचीला हो। किन्तु इस समूह (क्वाड) के निर्माण के साथ ही चीन ने क्वाड के सभी चार सदस्यों को राजनयिक विरोध भेजा। इसके साथ-साथ जापान और भारत के हुए सुरक्षा समझौते ने एशिया में जापान के रणनीतिक साझेदारों में चीन को हटाकर चीन को घेरने की नीति के स्पष्ट कर दिया। शिंजो आबे के बाद जापान के प्रधानमंत्री तारोअसो ने चीन के महत्त्व को कम करके आँका और कहा, 'चीन का उल्लेख था - और हमारे पास लक्ष्य के रूप में किसी तीसरी देश जैसे चीन की कोई धारणा नहीं है।''[6] फिर भारतीय विदेश सचिव शिव शंकर मेनन ने भी तर्क दिया कि जापान के साथ भारतीय माल व्यापार के कारण रक्षा समझौते लंबे समय से देरी हो रही थी और यह विशेष रूप से चीन को लक्षित नहीं करता था।[7] जनवरी 2008 में चीन की यात्रा और प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ और राष्ट्रपति हू जिंताओ के साथ बैठकों के दौरान, भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्वाड के बारे में पूछे जाने पर घोषणा की कि ''भारत किसी भी तथाकथित चीन को रोकने के प्रयास का हिस्सा नहीं है।''[8] चूँकि चीन के सैन्य खर्च और मिसाइल क्षमताओं पर संदेह ने ऑस्ट्रेलिया को यू.एस.ए. के साथ रक्षा समझौता की ओर बढ़ने में मदद की थी। फिर ऑस्ट्रेलिया के सामरिक नीति संस्थान के सैंडी गार्डन ने भारत को यूरेनियम की विक्रय की सिफारिश की थी,

जो यू.एस.ए. द्वारा ''उभरते चीन के प्रतिकार'' के रूप में समर्थन प्रतीत हो रहा था। किन्तु क्वाड पर चीन के आक्रोश ने समझौते के आरंभ के पूर्व ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर परेशानी उत्पन्न कर दी थी और प्रधानमंत्री केविन रूड ने जापान जाने से पहले ही चीन के विदेश मंत्री यांग जिएची से मुलाकात के बाद यांग जिएची और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री स्टीफन स्मिथ के मध्य एक बैठक आयोजित हुई जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने एकतरफा घोषणा की कि वह चारों भागीदारों के बीच दूसरे दौर की बातचीत का ''प्रस्ताव नहीं करेंगा''[9] और इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया द्वारा क्वाड से स्वयं को पृथक कर लिया गया।

पुन: 2017 में क्वाड का पुनरूत्थान हुआ, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा इसे नया जीवन दिया गया जो शक्तिशाली चीन के लिए हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में चुनौती उत्पन्न करता है।

2017 के बाद क्वाड की बैठके

2017 के बाद 2019 तक क्वाड की बैठक पाँच बार हुई। 2018 में नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के दौरान जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के नौसेना प्रमुख एक साथ आये, जो क्वाड के सुरक्षा ढ़ाँचे के पुनरूद्धार के पहले संकेतों में से एक था।[10] इसके बाद 2019 में, क्वाड में सुधार हेतु चर्चा के लिए न्यूयार्क में चार मंत्रियों ने मुलाकात की। मार्च 2021 में क्वाड के सदस्य देशों द्वारा जारी संयुक्त बयान में कुछ निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया - लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक स्वतंत्र, खुले समावेशी, स्वस्थ क्षेत्र के लिए प्रयास करना। इस क्षेत्र में कानून के शासन और नेविगेशन की स्वतंत्रता का समर्थन करना, जलवायु परिवर्तन से निपटने, देशों की अर्थव्यवस्थाओं को तेज करने और कोविड-19 के स्वास्थ्य प्रभावों में सुधार करने का निर्णय या संकल्प लिया गया तथा सदस्य देशों द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना।

इस प्रकार क्वाड द्वारा अब तक दो महत्त्वपूर्ण पहलों की शुरूआत हुई जिसमें वह काफी हद तक सफल भी रहा है। पहला, कोविड-19 के समय 2021 में वैक्सीन पार्टनरशिप की घोषणा। विशेषज्ञों के अनुसार यह एक कूटनीति थी जो चीन के टीके की बराबरी करने और उससे आगे निकलने का एक छोटा सा प्रयास था। दूसरी पहल थी वह भी टोक्यो में नेताओं के शिखर सम्मेलन में घोषित क्वाड, समुद्री डोमेन जागरूकता के लिए इंडोपैसिफिक पार्टनरशिप जिसका उद्देश्य रियल टाइम गतिविधियों पर पूरे क्षेत्र के देशों को वाणिज्यिक उपग्रहों से डाटा प्रदान कर समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करना।

विदित हो कि वर्ष 2020 और 2021 में भी भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में झड़प हुई थी जिसके बाद से भारत अधिक सुदृढ़ता के साथ क्वाड की ओर रूख किया और इस क्रम में पहली व्यक्तिगत बैठक सितम्बर 2021 में नेताओं के स्तर पर की गई, जिसकी मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन ने की थी। फिर मई 2022 में नेताओं की दूसरी व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन टोक्यो में हुआ जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 मई 2022 को अपने शुरूआती वक्तव्य में टिप्पणी की कि क्वाड ने विश्व मंच पर एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है और यह हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के लिए एक 'अच्छाई की ताकत' है।[11] सितम्बर 2024 में अमेरिका के डेलावेयर में चौथे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हम नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, सम्प्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का समर्थन करते हैं। एक स्वतंत्र, खुला, समावेशी और समृद्ध हिन्द-प्रशांत हमारी साक्षा प्राथमिकता और प्रतिबद्धता है। जब क्वाड काम करता है, तो यह सिर्फ राष्ट्रों के लिए नहीं होता - यह लोगों के लिए होता है। यह हमारे मानव-केन्द्रित दृष्टिकोण का सच्चा सार है।[12]

क्वाड प्लस की बैठकें

क्वाड प्लस की बैठकों की चर्चा करने से पूर्व क्वाड प्लस का अर्थ स्पष्ट करना आवश्यक है। क्वाड प्लस की अवधारणा जो काफी समय से प्रचलन में है, लेकिन अमूर्त बनी हुई है। वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में यह अवधारणा अति महत्त्वपूर्ण हो जाती है। 2020 में, क्वाड प्लस ढ़ांचे को गोलमेज सम्मेलनों के मापदण्डों के बाहर अपना पहला लक्ष्य प्राप्त हुआ। जब 20 मार्च 2020 को दक्षिण कोरिया, वियतनाम और न्यूजीलैंड के पतिनिधियों को साप्ताहिक क्वाड बैठक में शामिल किया गया। इस बैठक में कोविड-19 महामारी पर सभी देशों द्वारा अपने-अपने दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम के प्रतिनिधियों की भागीदारी, जो दक्षिण-पूर्व एशिया या आसियान से शामिलहोने वाला पहला देश था, को क्वाड के महत्त्व के साथ-साथ क्षेत्र में चीन द्वारा बढ़ते खतरे का विस्तार करने के एक और प्रयास के रूप में देखा गया।[13] अमेरिका द्वारा प्रेरित होकर प्रमुख इंडो-पैसिफिक राज्यों के इस नये समूह को 'क्वाड प्लस' कहा गया। मई 2021 में एक और बैठक हुई, जिसमें ब्राजील और इजरायल, प्रशांत महासागर की सीमा से दूर दो देशों को कोविड-19 टीकों के वितरण पर चर्चा करने के लिए प्लस प्रारूप में आमंत्रित किया गया।[14]

निष्कर्ष: हिन्द-प्रशांत के लिए भारत का दृष्टिकोण

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र मानता है जो अफ्रीका के पूर्वी तटों से अमेरिका के पश्चिमी तटों तक विस्तृत है। यहाँ विश्व की 64 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या निवास करती है जिसका सकल घरेलू उत्पाद में 60 प्रतिशत से

अधिक योगदान है। बीते कुछ वर्षों में इस क्षेत्र ने प्रशांत क्षेत्र, दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया खाड़ी क्षेत्र और अफ्रीका के पूर्वी और दक्षिणी तट तक फैले सुदृढ़ और निरंतर आर्थिक विकास को देखा है, जिसके अधिक एकीकरण और सहयोग से समृद्धि और प्रगति में ही बढ़ोतरी होगा। हिन्द-प्रशांत दृष्टिकोण भारत की एक्ट ईस्ट नीति पर आधारित है। फिर SAGAR, जिसे 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा मॉरीशस में व्यक्त किया गया था, इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास प्रदान करता है।

भारत हिन्द-प्रशांत पर अपने दृष्टिकोण को अधिक सुदृढ़ करने के लिए कई स्तरों पर काम किया है, जिसमें बहुपक्षीय स्तर पर 14वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन _East Asian Summi-EAS¼ में हिन्द-प्रशांत महासागरों की पहल _Indo-Pacific Ocean Initiative-IPOI¼ की घोषणा की। क्वाड के साथ-साथ कुछ महत्त्वपूर्ण त्रिपक्षीय संबंधों को बढ़ावा दिया। IPOi~ के अंतर्गत भारत का दृष्टिकोण एक सुरक्षित, संरक्षित और स्थिर क्षेत्र स्थापित करना है। मै के कुछ देशों ने विभिन्न स्तम्भों का नेतृत्व करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑस्ट्रेलिया ने यह घोषणा की किवह समुद्री परिस्थितिकी, जापान कनेक्टिविटी, इंडोनेशिया और फ्रांस समुद्री संसाधन, सिंगापुर विज्ञान प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग इत्यादि स्तम्भों पर नेतृत्व करेगा।

आर्थिक दृष्टि से इंडो-पैसिफिक आर्थिक मंच/रूपरेखा _Indo-Pacific Economic Forum-IPEF¼ आरंभ करना एक महत्त्वपूर्ण विकास है। फिर, एक अन्य प्रयास इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव है जो समुद्री सुरक्षा, आईयूयू फिशिंग और प्राकृतिक आपदाओं के परिणामों पर ध्यान केन्द्रित कर क्षेत्र में कई कमियों को दूर करने में सहायता करता है।

और अंत में जैसा कि क्वाड सर्वप्रमुख बहुपक्षीय मंच है जो समकालीन चुनौतियों एवं अवसरों को संबोधित करता है। ये समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा राहत, साइवर सुरक्षा, प्रौद्योगिकियों और कनेक्टिविटी से शिक्षा, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष सहयोग तक है, जिससे सम्पूर्ण इंडो-पैसिफिक से लाभान्वित और इस क्षेत्र में शांति, प्रगति और सद्भाव स्थापित होगा।

सन्दर्भ सूची:-

1. गणपतिएम०, भारत की विदेश नीति में हिन्द-प्रशांत क्षेत्र का महत्त्व, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार। https://www.mea.gov.in/distinguished-lectures-detail-hi.htm?856.
2. "Sagarmala Programme", pib.nic.in
3. चक्रवर्ती डॉ० रूचिता, क्वाड-भारत-प्रशांत में शांति का एक तंत्र, इंडो-पैसिफिक में मंथन (फरवरी, 2024) वर्ल्ड फोकस, Vol(143), पृ०सं०.51.
4. उपरोक्त।
5. जयशंकर एस० (2024) व्हाई भारत मैटर्स, रूपा पब्लिकेशन, इंडिया प्राइवेट, पृ०सं०-10.
6. https://en.m.wikipedia.org/ wiki/ouadrilateral-security-dialogue
7. वरदराजन सिद्धार्थ, ''भारतीय प्रधानमंत्री ने जापान के साथ आर्थिक, सुरक्षा संबंधों पर जोर दिया, न कि चीन की कीमत पर'' द हिन्दू, 23 अक्टूबर, 2008।
8. https://search.app/cF8f68MdL 8ucWViN7
9. https://search.app/XUjkMfzT1UKXneM56
10. उड़ावाला, यूसूफ टी. (23 फरवरी, 2018) ''क्वाड को इंडो-पैसिफिक'' के लिए आर्थिक और सैन्य दोनों योजनाओं की जरूरत है। (द इकोनॉमिक टाइम्स)
11. ''क्वाड एक अच्छाई की ताकत है, इंडो-पैसिफिक को बेहतर बनाता है: पीएम मोदी, 24 मई, 2022https:èèsearch.appèXKWcP8kLRKimTKK8A
12. ''क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मुख्य बातें और जानकारी'' blog.mygov.in; 23 September, 2024.
13. पांडा जगन्नाथ, ''क्वाड प्लस को वास्तविकता बनाना'', द डिप्लोमैट, 13 जनवरी 2022.
14. उपरोक्त।

भारत के पडोसी राष्ट्र पाक-चीन संबंधः एक अध्ययन

डॉ० रीशू राज

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, मगध महिला कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय, पटना

शोध-सार

भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ सीमा साझा करने वाले देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव हैं अपनी 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के तहत भारत अपने सभी पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध विकसित करने के लिये प्रतिबद्ध है।भारत एक सक्रिय विकास भागीदार है और इन देशों में कई परियोजनाओं में शामिल है। भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति स्थिरता और समृद्धि के लिये पारस्परिक रूप से लाभप्रद, जन-उन्मुख, क्षेत्रीय ढाँचे के निर्माण पर केंद्रित है। इन देशों के साथ भारत का जुड़ाव एक परामर्शी, गैर-पारस्परिक और परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण पर आधारित है, जो अधिक-से-अधिक कनेक्टिविटी, बेहतर बुनियादी ढाँचे, विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत विकास सहयोग, सुरक्षा और व्यापक जन-समूह संपर्क जैसे लाभ प्रदान करने पर केंद्रित है लेकिन पाक-चीन संबंध, भारत के लिए नुकसानदेह है तथा पाक को चीन ने प्रत्येक क्षेत्र में सहायता प्रदान कर रहा है और पाक भारत में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने में सफल रहा है। चूँकि भारत और चीन दोनों वैश्विक स्तर पर दो महाशक्ति है और दोनों एक प्रतिस्पर्धी के तौर पर है। भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद का मुद्दा काफी पुराना है। दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद के कारण भी व्यापारिक संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी ओछी हरकतों के वजह से अपनी ही किरकिरी कराता है। भारत के साथ उसके रिश्ते कभी अच्छा नहीं रहा, यही कारण है कि चीन ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल देते हुए सलाह दी की पाकिस्तान को भारत से कुछ सीखना चाहिए।पाकिस्तान-चीन सामरिक संबंध अलग-अलग विश्वास प्रणालियों और संस्कृतियों के बावजूद स्थायी मित्रता का प्रतीक है। दोनों देशों ने साझा मूल्यों और हितों के आधार पर अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में आगे बढ़ाने के लिए हजारों कदम उठाए हैं क्योंकि एक प्रसिद्ध चीनी कहावत है हजार मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। चीन दक्षिण एशिया में भारत को दुर्बल बनाने के उद्देश्य से पाक को अपने खेमे में शामिल किया है सिकंदर की भाँति चीन विश्व विजेता बनने का स्वप्न देख रहा है। चीन भारत से युद्ध नहीं चाहता है लेकिन पाक को सहायता देकर आतंकी घटना को अंजाम दिलाकर भारत को उलझाकर रखना चाहता है इस पाक- चीन संबंध को भारत को अनदेखी नहीं करना चाहिए। वैश्विक स्तर पर चीन के उदय के साथ पाक और चीन की वर्तमान भागीदारी भारत को पहले की तुलना में अधिक चिंता है।

मूल शब्दः विदेश नीति, आतंकवाद, व्यापार, सैन्य क्षेत्र, एशियाई देश, चीन-पाक आर्थिक गलियारा,आंतरिक सुरक्षा

प्रस्तावना

भारत और चीन के बीच प्राचीन काल से ही एतिहासिक संबंध रहे हैं। पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। हालांकि, 1962 में एक सीमा विवाद के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ। समय के साथ भारत और चीन के बीच रिश्ते सुधारने की कोशिशें होती रही हैं। भारत और पाकिस्तान कभी एक एकीकृत देश का हिस्सा थे, एक साझा विरासत और संस्कृति साझा करते थे। हालांकि, प्रमुख संघर्षों और हाल ही में कारगिल संघर्ष ने दोनों देशों के बीच संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। फिर भी, पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) की स्थापना आपसी सहयोग के माध्यम से क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।

भारत ने पाकिस्तानी शासन से आजादी के संघर्ष में बांग्लादेश के लोगों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे दोनों देशों के बीच मजबूत राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का विकास और रखरखाव हुआ है।

चीन की व्याख्या आर्थिक तथा सैन्य शक्ति के आधार पर करें तो तीसरे नंबर पर आता है वहीं दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम स्थान पर आने के लिए भारत के लिए चुनौती बना हुआ है। चीन के रणनीति भारत के प्रति खराब है। वह भारत को एशियाई देशों से अलग-थलग करने के लिए षड्यंत्र का सहारा लेता रहता है। पाकिस्तान के साथ मित्रता कर उसे आर्थिक, राजनीतिक एवं सैन्य सहायता देकर अमेरिका से दूर करने की सलाह दे रहा है। इसके लिए चीन की एक नीति चीन-पाक आर्थिक गलियारा के माध्यम से हिंद महासागर तथा अरब सागर तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए इस नीति को लाया है। ताकि भारत की घेराबंदी किया जा सके।[1] चीन

के पाक से गठबंधन बढ़ाने के कई कारण हो सकता है -(1) भारत की शक्ति को निर्बल करना (2) भारत के छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करना (3) अस्त्र-शस्त्र के व्यापार के लिए एक नया बाजार की प्राप्ति करना (4) अमेरिका के प्रसार पर अंकुश लगाना।

कूटनीतिक संबंध

पाकिस्तान के साथ चीन ने कूटनीतिक संबंधों की स्थापना 21 मई, 1951 को की। क्योंकि इस समय चीन के क्रांति द्वारा रिपब्लिक ऑफ चाइना का शासन समाप्त हो गया था। पाकिस्तान द्वारा चीन से मित्रता स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था कि उसकी सीमाएँ भारत और चीन के साथ साझा करती हैं इसी को देखते हुए जब जरूरत पड़े तो भारत के विरुद्ध चीन पाकिस्तान का साथ दे सकें। जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर वर्तमान समय तक देखने को मिल रहा है। तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का चीन के साथ अच्छा संबंध था। इसलिए पाकिस्तान से एक वर्ष पूर्व ही चीन की सरकार को भारत मान्यता दे चुका था। जब भारत और चीन के मध्य 1962 का युद्ध हुआ, तो इस समय पाकिस्तान और चीन ने साथ मिलकर भारत को पराजित करने का हरदम प्रयास किया, क्योंकि पाकिस्तान भी भारत को सबक सिखाना चाहता था। और कई दिनों से इस अवसर की तलाश में था ,जब 1962 का युद्ध समाप्त हुआ तो पाकिस्तान ने चीन को ट्रांस काराकोरम क्षेत्र सौंप दिया। पाकिस्तान के इस कदम से चीन के साथ कूटनीतिक संबंधों को मजबूती प्रदान हुआ।[2] इस घटना की पश्चात् भारत का विरोध पाक तथा चीन द्वारा वैश्विक स्तर पर करना शुरू किया। इन संबंधों से दोनों देशों को आर्थिक व सैन्य स्तर पर फायदा हुआ, इसके ऐवज में चीन ने आर्थिक तथा राजनीतिक मदद उपलब्ध करना शुरू किया। वर्ष 1963 में भारत और पाक के मध्य जो विवादित क्षेत्र था जो पाक अधिकृत क्षेत्र के अंतर्गत आता था ,उसको चीन को सौंप दिया यह घटना चीन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के समान है इसके पश्चात् दोनों देशों के मध्य राजनीतिक स्तर के लोगों का मिलना जुलना आरंभ हो गया। उदाहरण के तौर पर देखे तो चीन के प्रधानमंत्री चाऊ-एन-लाई का पाकिस्तान चार बार यात्रा हुआ और जब इनकी मृत्यु 1976 में हुई तो पाक इस पर दुख प्रकट किया।[3]

सैन्य संबंध

इन दोनों देशों के मध्य सैन्य संबंधों में एक मजबूती है तथा एशियाई देशों के दो पड़ोसी देशों ने परस्पर संबंध को एक कड़ी के तौर पर अपनाया। इस संबंध का मुख्य लक्ष्य भारत और अमेरिका के अंतर्गत एशिया में प्रसार को रोकना तथा वर्तमान समय में इसके मजबूती और बढ़ते जा रहा है। पाकिस्तान में चीन द्वारा आयुध फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। पाकिस्तान में चेंगदू जे-10 जो एक लड़ाकू विमान है चीन इसकी आपूर्ति कर रहा है इस लड़ाकू विमान में रडार एवं ओ एल एस टारगेटिंग सिस्टम विकसित है। पाक तथा चीन दोनों मिलकर अनेक प्रोजेक्ट को विकसित कर रहा है जैसे- सैन्य हथियार का निर्माण, युद्ध की कला सीखना, जेफ एफ-17 का निर्माण, अंतरिक्ष तकनीकी, अल खालिद टैंक इत्यादि चीन ने पाक को बनाने के लिए अधिकृत कर रखा है चीन द्वारा पाक को सैन्य क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने के लिए सहायता दी जा रही हैं। दोनों देशों के मध्य सैन्य अभ्यास कर सैन्य क्षेत्र को मजबूती दे रहा है।[4] 1990 के पश्चात् पाक-चीन सैन्य संबंध हथियारों तक सीमित न रहकर नाभिकीय क्षेत्र में भी अपना प्रसार कर रखा था। वर्ष 1995 में चीन ने पाक स्थित ए.क्यु शोध प्रयोगशाला को लगभग 5000 गोल माइनेट्स की आपूर्ति कराया था। इसका उपयोग परमाणु हथियार का निर्माण में लाया जाता था, पाक में परमाणु बंम के निर्माण में चीन का अहम् योगदान रहा हैं। इसके अलावा चीन ने पाक को उच्च कोटि के यूरेनियम टाइटिइम तथा परमाणु वैज्ञानिक उपकरण कि आपूर्ति भी किया, जिसका प्रयोग पाक ने भारत के विरुद्ध समय-समय पर करता रहा है।[5]

वर्तमान समय में दोनों देशों के मध्य सैन्य संबंधों का अवलोकन करें तो पाक को चीन ने छोटी दूरी और मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल भी उपलब्ध कराया। परमाणु ताकत बनने की दिशा में चीन ने पाक को वैश्विक स्तर का परवाह किए बिना शर्त रहित आपूर्ति की। जिसका प्रयोग पाक, भारत के विरुद्ध गलत तरीके से करता आ रहा है। दूसरी ओर अगर देखें तो भारत के संदर्भ में इस गठबंधन से भारत अपने आप को संकट में महसूस कर रहा है क्योंकि भारत के सीमा विवादित क्षेत्र जैसे कश्मीर और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक हितों और क्षेत्रीय अखंडता को प्रत्यक्ष तौर से प्रभावित करता है।[6]

भारत-चीन-पाकिस्तान त्रिकोणीय कि वर्तमान स्थिति

जब वर्ष 2005 में अमेरिका और भारत के मध्य परमाणु समझौता हुआ, तो इस समझौते का फलस्वरुप चीन और पाकिस्तान दोनों को चिंता में डाल दिया। इसके अतिरिक्त चीन के महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव जो चीन-पाक आर्थिक गलियारे से संबंधित है भारत द्वारा दावा किया जा रहा कि विवादित क्षेत्र से होकर गुजरता हैयह परियोजना जो भारत के लिए चिंता का विषय है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई छोटे-छोटे प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी यह प्रोजेक्ट पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरता है।इस परियोजना पर भारत नजर डाले हुए हैं भारत सरकार ने चीन को इस बात का अवगत करा चुका है। यह परियोजना पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरेगा, जिसको कैसे पाक ने इस क्षेत्र में परियोजना बनाने की अनुमति दे दिया है। और

इस क्षेत्र में चल रही गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कहा, इसको लेकर भारत को समस्या उत्पन्न होगा। जब इस परियोजना का निर्माण चीन द्वारा कर दिया जाएगा, तो यदि कभी भी युद्ध की स्थिति उत्पन्न होता है तो चीन अपने सैन्य शक्ति को भारत के सीमा के समय पहुँचने में सफल हो सकेगा, भारत को असफलता का मुँह देखना पड़ सकता है। वर्तमान समय तक कश्मीर विवाद पर चीन तटस्थता की नीति का पालन किए हुए था। क्योंकि भारत-चीन के मध्य पंचशील समझौता में कहा गया था। कि एक दूसरे का आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करें, लेकिन यह परियोजना पाक अधिकृत कश्मीर से सड़क गुजरने के पास गिलगित और बाल्टिस्तान को पाक का अंग मान सकता है[7] कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीन पाक के दुर्बलता का लाभ उठाकर भारत की घेराबंदी करने में लगा हैं। चीन इस परियोजना के माध्यम से दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ बनने के फिराक में लगा हुआ है।[8] अक्साई चिन और शक्सगम घाटी यह दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जो कश्मीर के इलाके में आता हैं। लेकिन चीन ने इस पर अवैध तौर से कब्जा कर रखा, शक्सगम घाटी की बात करें तो इस पाक से 1963 में ले लिया था। काराकोरम मार्ग जो पाक और चीन के बीच सड़क है इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है वर्तमान समय में चीन इस क्षेत्र से होकर तेल पाइपलाइन बिछाना चाहता है ताकि मध्य एशिया दोनों देशों के तेलों को पाक के ग्वादर पोर्ट तक पहुँचा जा सके। इसके अतिरिक्त चीन इस क्षेत्र से रेलवे लाइन बनाने की भी बात कर रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है इसलिए इन दोनों क्षेत्र में भारत के अंतर्गत आता है चीन इस दवा को मान्यता नहीं देता है फलस्वरुप भारत का ध्यान भटकाने के लिए जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र के तौर पर मानता है और पाक से संबंध बनाकर भारत को परेशानी में डालना चाहता है।[9]

पाक-चीन संबंध और भारत की आंतरिक सुरक्षा

पाक-चीन संबंध का सीधे तौर पर भारत के आंतरिक सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वैश्विक स्तर पर भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के तौर पर देखा जा रहा है। आर्थिक तंत्र में भारत को लोहा विश्व मानने लगा है वैश्विक स्तर के कई ऐसे देश से जो भारत के साथ राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। जिस तरह भारत को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल रहा है, उसे चीन बहुत चिंतित और परेशान है। इसलिए साम्राज्यवादी चीन और अस्थिरतावादी पाकिस्तान परस्पर गठजोड़ बनाकर भारत की सुरक्षा को घात पहुँचा रहा है चीन की पीपुलस लिबरेशन आर्मी द्वारा कई बार भारतीय सीमाओं के भीतर अतिक्रमण करने की सूचना के बावजूद भी सरकार की ओर से यह बयान जारी किया जाता है कि वास्तविक नियंत्रण सीमा रेखा की जानकारी के अभाव में साझा विचार की कमी है इस तरह का विचार यह सुषुप्त सरकार का प्रत्यक्ष तौर पर उदाहरण साबित होता है या भारत के लिए घातक साबित हो सकता है। पाक और चीन की इस तरह की बढ़ती समीपता और उस पर अमेरिका की बारदहस्त भारत के साथ इन दोनों के दोहरे चरित्र व्यवहार का प्रदर्शित करता है। आतंकवाद पाक का घरेलू उद्योग है इसे वर्तमान में अमेरिका और चीन अपनी नीतियों के अनुसार उपयोग कर रहा है।[10]

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-20 सम्मेलन में भाग लेने चीन पहुँचे तो इस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने अपना बयान दिए कि दक्षिण एशिया में एक ऐसा देश है जो आतंकवाद के लिए एक एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। मोदी ने इस तरह का बयान पाकिस्तान का नाम लिए बगैर दिया ,उन्होंने भारत के प्रति इस बात पर भी बयान दिए कि आतंकवाद के क्षेत्र में भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की है तथा इसके अलावा चीन को आगाह करते हुए बोले कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अपनाना वैश्विक स्तर पर शांति व सुरक्षा के लिए प्रतिकूल है।भारत में आतंकवाद के प्रसार में तथा कई क्षेत्र में आतंकी घटनाएँ हुई, इसमें पाकिस्तान प्रत्यक्ष तौर पर शामिल है। चीन पाकिस्तान के बचाव हर कदम पर खड़ा हो जाता है। जैसे जब मुंबई में 2008 में आतंकी घटना हुई थी, जिसका मास्टरमाइंड रहमान लखवी था जब इसके रिहाई के विरुद्ध भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की माँग की तो चीन के प्रतिनिधियों द्वारा बयान दिया गया कि भारत के पास इसके लिए पर्याप्त सबूत नहीं है।[11] इसके अतिरिक्त वर्ष 2017 में जम्मू कश्मीर के ऊडी में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ तो भारत ने इसका प्रस्ताव यूएनओ में पेश किया जहाँ चीन ने इस तकनीकी कारण का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव पर रोक लगा दिया। 14 फरवरी, 2019 को पुलवामा हमले पर भी चीन ने पाक के समर्थन में खड़ा होकर प्रस्ताव पर वीटो पावर का उपयोग किया। इस सब के चीन की हरकत से साफ तौर से स्पष्ट होता है कि भारत में आतंकी घटना में पाक-चीन जोड़ की भूमिका है।[12]

निष्कर्ष

निष्कर्षत: पाक-चीन संबंध भारत के लिए घातक है क्योंकि चीन पाकिस्तान को लगभग प्रत्येक क्षेत्र में सहायता कर पाक को भारत के विरूद्ध उकसाने का काम कर रहा है जिसके वजह से भारत को चीन एवं पाक दोनों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से भारत-चीन के मध्य संबंधों में सुधार होता दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाक-चीन संबंधों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान का भी अपना महत्व है चीन समझता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को रोकने में मदद करेगा। चीन अभी तक पाकिस्तान को अपना मित्र बनाकर भारत की संप्रभुता पर हर तरह से दबाव बनाता रहा जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता को खतरा बना हुआ है। चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सहयोग को आईएनएसटीसी और वीसीआईएम कॉरिडोर जैसी अधिक

परियोजनाओं के माध्यम से अन्य पड़ोसी देशों के साथ भारत की भागीदारी से मुकाबला किया जा सकता है ताकि इन दोनों देशों में से किसी के साथ युद्ध की स्थिति में एक बफर बनाया जा सके।चीन -पाक संबंध से भारत को अपनी नीतियों में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। सबसे पहले भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध को बेहतर करना चाहिए। भारत को कश्मीर की स्थिति में सुधार करना चाहिए। कश्मीर में राजनीतिक पहुँच का उद्देश्य वहाँ पीड़ित लोगों की समस्याओं का समाधान कर शांति स्थापित करने का आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. आर. पी. सिंह, पाक-चीन और भारत, बुक क्राफ्ट पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पृष्ठ 7
2. आर. पी. सिंह, पाक-चीन और भारत, बुक क्राफ्ट पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पृष्ठ 13
3. रामविजय सिंह, भारत-चीन संबंध एक संवाद, राधा पब्लिकेशन, नईदिल्ली,2015,पृष्ठ 123-24
4. जमालअफरीदी और जयश्री बाजोरिया, पाकिस्तान-संबंध, काउंसिल और फॉरेन रिलेशंस, 6 जुलाई 2010
5. सिपरी ईयर बुक, संज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 235
6. अरुणोदय वाजपेई, भारत की राजनीतिक स्वायत्तता: पिछला अनुभव समकालीन चुनौतियाँ, वर्ल्ड फोकस, सितंबर 2013 ,पृष्ठ 30
7. डॉ. धुवज्योति भट्टाचार्य, लेख, विश्व मामलों के भारतीय परिषद, नई दिल्ली ,12 मई, 2015
8. सौम्या वाउमिक, लेख, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली, 12 जुलाई 2023
9. इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, 5 फरवरी 2022
10. आर.पी.सिंह, पाक-चीन संबंध और भारत, बुक क्राफ्ट पब्लिशर्स,नई दिल्ली,पृष्ठ 177-178
11. डॉ संजय कुमार शर्मा, भारत-चीन संबंध बदलता परिदृश्य, इविन्सपव पब्लिसर्श, छतीसगढ, 2020, पृ0 193-194
12. जनार्दन सिंह, भारत में आतंकवाद, सनराइज बुक पब्लिसर्श, नई दिल्ली, पृ0 135

'हिन्दी उपन्यासों में तृतीय लिंगी का लैंगिक दुखाभास'

पूजा विश्वकर्मा

सहायक प्राध्यापक (हिंदी) कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेक्टर 7, भिलाई नगर

शोध सार

तृतीय पंथी समुदाय की सबसे बड़ी समस्या के रूप में जो बात सामने आती है वह है उनका अपनी शारीरिक संरचना के प्रति असंतोष। स्त्री-पुरुष से भिन्न संरचना, सामाजिक-पारिवारिक दबाव के कारण उनके मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालने लगती है, जिससे वह अंदर ही अंदर घुटते हैं, अपनी मन:स्थिति किसी को न समझा पाने के कारण, जिसे शायद लोग समझना भी नहीं चाहते, इसी द्वन्द्वात्मक परिवेश में इस समुदाय को अपनी लैंगिक पहचान से जूझना पड़ता है। स्वयं को सभ्य समाज के पैमाने पर खरा समझना और तृतीय वर्ग को कलंक एवं भेदभाव की दृष्टि से देखना, जिसका परिणाम यह होता है कि ये अवसाद में चले जाते हैं।

मुख्य शब्द: तृतीय लिंग, समुदाय, भेदभाव, संरचना।

भूमिका

शरीर तथा मनोविज्ञान का आपसी संबंध अत्यंत गहरा है। जिसमें शरीर व मन एक-दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं।

शारीरिक परिवर्तन मानस पटल पर अपने चिन्ह अंकित कर ही देते हैं जिसका प्रभाव मनुष्य के स्वभाव में दिखाई देने लगता है।

तृतीय लिंग के व्यक्तियों में इच्छित लिंग में उनका न होना, तकलीफदायक सिद्ध होता है। इसी कारणवश, समाज भी इन्हें सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता। समाज दो ही लिंग को जानता तथा उनके लिंगानुसार उन्हें व्यवहृत होना देखता आया है, अब ऐसी स्थिति में एक पुरुष शरीर का स्त्रैण स्वभाव, व्यवहार सामाजिक पैमाने पर भद्दा समझा गया, उस तीसरे जीवन के बारे में समझना अत्यंत कठिन रहा।

मुनि वात्स्यायन ने अपनी कृति 'कामसूत्र में किन्नर को इस प्रकार परिभाषित किया है -

"किम अ नर: इति किन्नर:।"[1]

एक ऐसा पुरुष जिसे अपने पुरुषत्व पर संदेह हो तथा संतान उत्पळ्ि एवं भाव से भी पुरुषत्व का अस्वीकरण हो वह पुरुष किन्नर के अंतर्गत आता है। जबकि 'वाल्मीकि रामायण में किन्नरों में संतान उत्पळ्ि की बात स्पष्ट की गयी है अर्थात् वह संता उत्पन्न करने में सक्षम थे। जिसमें हनुमान जी की वानर सेना में शामिल कुछ वानर रीछ जाति की माताओं से उत्पन्न हुए तो कुछ किन्नरियों से।

"हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायुदेवता के औरस पुत्र थे। उनका शरीर बज्र के समान सुदृढ़ था। वे तेज चलने में गरूड़ के समान थे।।16।।"

सभी श्रेंष्ठ वानरों में वे सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पळ्ि हुई। सभी रावण के वध करने के लिए उद्यत थे।।17।।

"कुछ वानर रीछ जाति की माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन हुए। देवता महर्षि गंधर्व गरूड़ यशस्वीर यक्ष, नाग, किम्पुरुष, सिद्ध विद्याधर तथा सर्वजाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्रों पुत्र उत्पन्न किये।।21।।22।।

ऋक्षोषु च तथा जाता वानरा: किन्नरोबुच।
देवा महर्षि गंधर्वास्ताक्ष्र्ययक्षा यशश्विन:।।21।।
नागा: किम्पुरुषाश्चौव सिद्ध विद्याधरो रगा:।
वहवो जनयामा सुर्हृष्टास्तव सहस्त्रश:।।22।।"[2]

उपर्युक्त उद्धरण में वाल्मीकीय रामायण द्वारा इनका सुंदर चित्रण प्राप्त होता है। जिसमें प्रभु राम की तथा ऋषिमुनियों गंधर्व एवं किन्नर का उल्लेख प्राप्त होता है तथा किन्नरों के पर्याय उनकी नपुंसकता, हिजड़ा, किम्पुरुष, शिखण्डी, वृहन्नला इत्यादि का हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं।

डॉ. विजेन्द्र प्रताप सिंह के अनुसार – "समाज में अपने आस-पड़ोस में देखने में आता है कि एक लड़का जो ऊपरी तौर पर हमें लड़का दिखाई देता है परंतु उसके द्वारा दैनिक जीवन के कार्यकलाप लड़कियों जैसे होते हैं..... यह हर्मोंस के बदलाव के कारण होता है जिसमें व्यक्ति का शरीर अपने लिंग से परेशान हो कर दूसरे लिंग में जाने के लिए आंतरिक तौर पर प्रयासरत रहता है।"[3]

आज के दौर जहाँ परिवर्तन आए है वहीं इस समुदाय के प्रति समाज घृणा से भर भी जाता है। परिवर्तन की दृष्टि से देखें तो सरकार की नजरों में इन्हें मनुष्य समझा जाने लगा इनके लिए भी नियम कानूनों की व्यवस्था की गयी। सबसे बड़ा परिवर्तन जो आया कि इनके शरीर पर अब इनका अधिकार है यह ट्रांजीसन करा सकते हैं।

यह अपने शरीर को डॉक्टर की सहायता से मनचाहा लिंग परिवर्तन करा सकते हैं। सर्जरी की इस प्रक्रिया में इन्हें हर्मोंस थैरिपी, काउंसलिंग इत्यादि का सहारा भी लिया जाता है।

लिंग परिवर्तन एक साहसपूर्ण व्यक्ति ही करा सकता है क्योंकि इसमें शरीर को दर्द से गुजरना पड़ता है। बावजूद इसके कई लोग ऐसे हैं इस समाज में जो दबाव के कारण अपने अंतिम समय तक ट्रांजीसन कराने की कोशिश करते रहते हैं परंतु सफलता प्राप्त नहीं हो पाती और यह इच्छाएँ मन में ही दबी रह जाती हैं।

इन्हें समाज तो हेय दृष्टि से देखता ही है इसमें परिवार भी कम भूमिका नहीं निभाता, वह भी इस प्रकार के बच्चों को उपेक्षित करता है इसका उदाहरण चित्रा मुद्गल की उपन्यास 'पोस्ट बॉक्स नं. 203 नाला सोपारा' में देखा जा सकता है। जहाँ विनोद नामक पात्र जो तीसरे लिंग में पैदा हुआ एक होशियार बालक है पढ़ाई-लिखाई, खेल-कूद किसी में पीछे नहीं है परंतु जैसे ही उसके शरीर में परिवर्तन आता है वैसे ही समाज के डर से बाहर कर देना, स्कूल में यह खबर भेजवाना कि विनोद एक रोड दुर्घटना में मारा गया। यह खबर उस बालक के मनोबल को तोड़ देता है। अब उस किन्नर समुदाय से भाग कर वह मसूरी चला जाना चाहता है। विनोद घर से दूर रहने के बावजूद भी बा की चिंता करता है। बचपन में वह अपनी माँ से ऐसे ही जिज्ञासु प्रश्न करता है कि बा मेरे नुन्नू क्यों नहीं है? परन्तु बा यह बात टाल देती है कि नर्स आटे का नुन्नू लगाती है तुझे लगाना भूल गयी बेटा पर कोई बात नहीं हम तुझे लगवा देंगे। वही बच्चा आगे चलकर कितनी परिवक्व बातें करता है वह यहाँ दृष्टव्य है – "मेडिकल साइंस के अविश्वसनीय चमत्कार इक्कीसवीं सदी की नियामत हैं। सर्जरी की दुनिया में अंग प्रत्यंगों का प्रत्यारोपण सफलता के नये प्रतिमान रच रहा। संभव है, जननांग दोषी अपने अविकसित लिंग दोष से मुक्ति पा जाएं। हार्मोंस असंतुलन को संतुलित और अनुकूलित करने के उपाय हो रहे हैं।"[4]

ऐसे ही पात्र जमीनी स्तर पर भी पाए जाएं तो किसी प्रकार की कुंठा जन्म ही नहीं लेगी। 'नालासोपारा' उपन्यास की पात्र पूनम जोशी का हुआ बलात्कार उसके सम्पूर्ण शारीरिक संरचना का चित्र प्रस्तुत कर देता है, यहाँ पर विधायक के भतीजे जैसे व्यक्ति ही समाज को दूषित करते हैं। वह पूनम जोशी की स्थिति अत्यंत बद-से-बदतर कर देता है। यह भी एक कारण है अपनी देह के प्रति खुश न हो पाने की वजह।

'मैं भी औरत हूँ' उपन्यास की पात्र रोषनी के साथ ऑफिस में काम करने वाला ओंकार उसे पसंद करने लगता है और दोनों काफी नजदीक आ जाते हैं। रोषनी अपनी सारी सच्चाई उसे बता देती है – "बात यह है ओंकार, भगवान ने मेरे साथ एक बहुत बड़ा अन्याय किया है और वह यह कि मेरे उन्होंने गर्भाषय ही नहीं बनाया। बनाने को तो उन्होंने मेरे शरीर में योनि भी नहीं बनाई थी, पर यह तो साइंस व डॉक्टरों की महती कृपा है कि उन्होंने मुझे वैवाहिक जीवन जीने योग्य बना दिया, पर मैं मातृत्व सुख से वंचित हूँ।"[5] ओंकार बहुत ही खुले विचारों का रहता है जिसके कारण वह रोषनी को सम्मान की दृष्टि से देखता है।

रोषनी की बड़ी बहन मंजुल को भी योनि नहीं होती इसलिए ऑपरेषन द्वारा बनाया जाता है। इस उपन्यास की लेखिका अनुसूया त्यागी स्त्री रोग विषेषज्ञ हैं जिनको इस उपन्यास में डॉक्टर रमन्ना के नाम से जाना जाता है। ऑपरेषन का कार्य स्वयं लेखिका डॉक्टर ने किया था, यह उपन्यास सत्य घटनाओं पर आधारित है कुछ कल्पनाओं का पुट लेते हुए। आजकल समय बदल रहा है इसलिए चीजें कुछ सरल भी हो रही हैं।

इस उपन्यास के माध्यम से इस समाज तथा तृतीय लिगिंयों को यह संदेष भी जाता है कि कृत्रिमता का समावेष कर के डॉक्टर उन्हें एक सम्मानित जीवन जीने योग्य बना सकते हैं इसलिए इतना निराष हो जाना परिवार, समाज तथा व्यक्ति विषेष के लिए आवष्यक नहीं है।

ऐसा ही प्रसंग 'मंगलमुखी' उपन्यास में भी प्राप्त होता है। डॉली जो आगे चलकर सिमरन में परिवर्तित हो जाती है। डॉली जन्म के बाद से ही अपने परिवार से अर्थात् माता-पिता से दूर गाँव में दादी के साथ रहती है उसे कुछ नहीं बताया जाता सभी चीजों से अनभिज्ञ डॉली तेरह वर्ष की उम्र में प्रेम की तरलता में बहने लगती है, हरी नामक लड़के से प्रेम करती है और एक दिन दोनों भागकर मंदिर में विवाह कर लेते हैं। हरि अपने दोस्त के घर रात रहने का इंतजाम करता है मोहब्बत का सिलसिला भावनाओं से ओत-प्रोत था परंतु अब बारी थी उसके अरमानों की चिता जलने की। जैसे ही हरि देखता है – "पता नहीं एक दम से वह ऐसे उचका मानों उसे चार सौ चालीस वोल्ट का करंट लग गया। वह एकदम से भौचक्का हो खड़ा हुआ।

".....तू लड़की नहीं।" हरी से ज्यादा मैं भौचक्की रह गयी... यह जानकर कि मैं "लड़की नहीं... फिर कौन मैं...।"

".....तू किन्नर है.....किन्नर।" कहते हुए उसने मुझे लात मारकर बिस्तर से नीचे ठेल दिया, "साली! धोखा करती है मेरे साथ, मैं ही पागल था। तेरे रूप जाल में फंस कर समझ नहीं पाया। तू प्यार मोहब्बत के लिए नहीं बनी.... तू मेरे क्या किसी मर्द के काम के लिए नहीं बनी।"[6] उपर्युक्त उदाहरण जैसा ही प्रसंग मैं भी औरत हूँ उपन्यास की पात्र रोषनी भी इसी प्रकार के द्वंद्वों से जूझती रहती है।

'पोस्ट बॉक्स 203 नाला सोपारा' उपन्यास का पात्र विनोद अपने साथियों को सम्बल अवष्य देता है वह उनकी लैंगिक दोष को दोष न मानने की बात अवष्य करता है परंतु कुछ ऐसे भी क्षण आते हैं जब वह मानसिक रूप से विचलित हो उठा है - "कभी-कभी मैं अजीब सी अंधेरी बंद चमगादड़ों से अटी सुरंग में स्वयं को घुटता हुआ पाता हूँ। बाहर निकलने को छटपटाता, मैं मनुष्य तो हूँ न। कुछ कमी है मुझमें इसकी इतनी बड़ी सजा। ऐसी मन: स्थिति में मेरी आँखों से खारा पानी नहीं खून ढरकने लगता है बा।"[7] उर्पयुक्त उपन्यास का पात्र विनोद एक शिक्षित एवं जागरूक पात्र है परंतु देह की पहचान उसमें भी असंतोष एवं बेचौनी भर देती है।

'देह कुठरिया' उपन्यास का पात्र रवि अपने बचपन की स्मृतियों में खो जाता है लैंगिक भिन्नता के कारण ही रवि इतनी प्रताड़ना सहता है, उसे सब आभास है परंतु दादा जी की दहषत उसके दिलों दिमाग में छायी है। सामान्य सभी बच्चों को वह नहीं बुलाते नाचने के लिए, संगीत का कोई भी कार्यक्रम टी.वी. या रेडियों पर चल रहा होता तो उन्हें रवि ही याद आता था।

शायद दादा को इस बात का एहसास होता होगा कि रवि किसी काम का नहीं है, और बातों-ही-बातों में उसे उधेड़ कर रख देते अपने शब्द रूपी बाण से, गालियाँ तो उनके मुख की षोभा थीं, प्रतिपल उसे उसकी भिन्नता दिखायी जाती। जिस ननिहाल में जा कर उसे खुषी मिलती वहाँ भी उसके मौसी के लड़के रात में सोते समय उसके ऊपर लदे रहते वह केवल गंध से पहचान पाता रात के अंधेरे में सभी बारी-बारी उसे सख्ती से दबोचते जब ग्यारहवीं कक्षा में आया तो उसके मन में अनेक सवाल उठने लगे, किसी अनजाने पाप से मन घिर जाता - "अपनी देह को लेकर भी असहजता बढ़ती जा रही है लगता है किसी ने बगैर दरो-दीवार की एक तंग कुठरिया में कैद कर दिया है और यह कुठरिया भी उसकी नहीं है। किस भूल-चूक से इसमें समा गया है.... उसके आँसू यह किराया चुकाते हैं। वह यह कुठरिया छोड़ देना चाहता है... इससे निकल एक दूसरी देह पाना चाहता है, जो उसकी आत्मा के समरूप हो। वह क्या दुनिया में एक ही ऐसा है, जिसके पुर्जे गलत लग गये हैं।"8 अपनी शारीरिक चाहतों को वह कहाँ, किस? लिंग के साथ पहचाने, उसे क्या करना चाहिए? या उसके द्वारा किए गए कृत्य कैसे पाप की श्रेणी में आते हैं? इन समस्याओं से जूझता पात्र रवि को नहीं पता चलता सही-गलत की पहचान, इसका सबसे बड़ा कारण है ज्ञान का अभाव यौन षिक्षा जिसे समाज सही नहीं समझता।

वह अपने चारो ओर सबको खुष देखता है, सभी अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं, घर के सदस्य भी पूर्ण हैं उसका भाई हमेषा बाहर रहता है परंतु उसे कोई भी नहीं डांटता, सभी का प्यारा और दुलारा है। ऐसे माहौल में वह पराई लगती अपनी देह से जूझ रहा है। लैंगिक असमानता मनुष्य में भय भर देती है, हमेषा उपेक्षित, अपने अधिकार लेने में भी संकोच करता है इसका कारण डॉ. विजेन्द्र प्रताप सिंह के अनुसार -

हिजड़ों में - 'जेंडर आईडेंटिटी क्राइसिस' के कारण अवसाद, फ्रस्ट्रेशन, असहायता तथा पीड़ा-जनित क्रोध भी पनपता है। लेकिन ये 'जेंडर आईडेंटिटी क्राइसिस' कोई मानसिक रोग नहीं है और इसके बहुत से सरल उपाय चिकित्सा विज्ञान में मौजूद हैं। जैसे - हारमोंस रिप्लेसमेंट थैरिपी, लेजर हेयर रेमोवल या ऐलेक्ट्रोलिसिस सेक्स, रि-असाथिन-मेंट थैरिपी - एस.आर.टी., उपरोक्त चिकित्सा, ट्रांस-सेक्सुअल लोगों पर कारगर है, लेकिन ट्रांस - क्वीर पर नहीं।"[9] आधुनिक टेक्नोलॉजी के दौर में इनके खाली जीवन को भरने में उपर्युक्त उपचार कारगर हो सकते हैं।

इस वर्ग में मात्र लैंगिक असमानता का दुख नहीं है उसके कारण समाज का रवैया तथा प्रतिपल उपेक्षा है अपनों की उपेक्षा बाहरी लोगों की उपेक्षा, पग-पग पर काँटे ही मिलते हैं। एक अन्य उपन्यास 'मेरे हिस्से की धूप' की पात्र मोनी का संघर्षमय जीवन जिसमें वह स्वयं को समाज से उपेक्षा तो पाती है परंतु एक वक्त ऐसा भी आता है जब उसकी अपनी बहन हर्षिता ने भी उसे उपेक्षित कर दिया। मोनी का दु:ख केवल उसके परिवार के लोग समझते थे, उनमें भी कुछ पल के लिए मतभेद आ जाता है। वहीं मोनी की मौसी उसके सबसे करीब है वह हर्षिता को समझाती है कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए - "नहीं जानती हर्षि तू नहीं जानती। हर पल अपने अंदर दो-दो व्यक्तित्व को लेकर जीना ये तय ही नहीं कर पाना कि वह मर्द है या औरत। ये दर्द तू नहीं समझ सकती। सुबह उठते ही मूंछ दाढ़ी उसे अपने अंदर के मर्द का अहसास कराती है। लेकिन.....। उसका मन उसे औरत बनने पर विवष करता है।"[10]

मौसी के गले लगकर वह बहुत रोती है कि अपनी जीजी के दुख का कारण बनी वह उन मनोभावों को नहीं समझ पाती जिससे मोनी हर पल गुजरती है। मौसी के सबसे ज्यादा नजदीक होने के कारण मोनी अपने प्रत्येक मनोभावों को उसके सामने उडेघ्ल देती है मौसी भी उतनी ही गंभीरता से उसकी पीड़ा को समझती है। इसी संदर्भ में वह अपने मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा को मौसी से व्यक्त करती है - "मैं थक गयी हूँ मौसी औरत बनना चाहती हूँ। औरत पूरी औरत तुम्हारी तरह, मम्मी की तरह, हर्षि की तरह.... लेकिन.

...ये मर्द... होना नहीं पसंद। दाढ़ी बनाना नहीं अच्छा लगता..... मौसी तू बता मैं क्या करूँ नहीं अच्छा लगता है ये मर्दाना आवाज". .....मौसी।"[11]

यह कितना पीड़ादायक है कि जो तुम होना नहीं चाहते वह तुम हो गए, प्रतिदिन अनचाहे जेंडर से जूझते हुए अन्य जेंडर में खुद को परिवर्तित करना कितना मुष्किल है।

तृतीय लैंगिक व्यक्ति अपने जीवन की जिन परिस्थितियों से गुजरता है वह मात्र वही समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। जब मनुष्य को यह आभास हो कि जिस शरीर में वह मौजूद है, वह तो वह, बिल्कुल भी नहीं है, इन्हीं दोहरी स्थितियों से जूझती तृतीय लिंगी रवीना हैं जिन्होंने अपने जीवन के इस पड़ाव को अपने शब्दों में बयां किया। इस समुदाय का स्वयं से भी संघर्ष कम नहीं है इस दोहरी कड़ी के बीच झूलता यह वर्ग, जिसे अपनी प्राप्त शरीर के विपरीत आत्मा के अनुसार व्यवहार करना समाज की दृष्टि में बीमारी का मानक समझ लिया जाता है। हिजड़ा समाज की वेदना को अवष्य समझा जाना चाहिए।

प्रमोद मीणा के अनुसार - "किंतु बहुधा समाज में देखा जाता है कि अपने पुत्र में विकसित होने वाले स्त्री हिजड़े के लक्षणों को कुचलकर माँ-बाप उसे लड़के की तरह ही आचार-संहिता करने के लिए बाध्य करते रहते हैं। बच्चे की स्त्रैण इच्छाओं को अप्राकृतिक ढंग से कुचलने की परिणति अंतत: हिजड़ें बच्चे की मानसिक कुंठा और घर त्याग के रूप में होती है।"[12]

किसी भी व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृळ्ाि का दमन करके उसे बदलना प्रकृति के विपरीत है। यह समस्या इस समुदाय के साथ बहुधा देखी ही जाती है, उपर्युक्त दोनों उदाहरणों से यही स्पष्ट होता है कि कितना दबाव है लैंगिक पहचान का, इस महत्वपूर्ण हिस्सा को समाज स्वीकार्य नहीं करता, जो पूर्णतया गलत है कोई व्यक्ति सम्पूर्ण जीव बनावटीपन में कैसे जी सकता है।

निष्कर्ष

तृतीय पंथी समुदाय की सबसे बड़ी समस्या है उनकी दैहिक अस्वीकृति जिसे न वह स्वयं स्वीकार कर पाते है और न ही यह समाज। वह है उनका अपनी शारीरिक संरचना के प्रति असंतोष। स्त्री-पुरुष से भिन्न संरचना, सामाजिक-पारिवारिक दबाव के कारण उनके मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालने लगती है, जिससे वह अंदर ही अंदर द्रवित रहते हैं, अपनी मन:स्थिति किसी को न समझा पाने के कारण। जो कि शायद लोग समझना भी नहीं चाहते और इसी माहौल में उन्हें अपने लैंगिक पहचान से जूझना पड़ता है। समाज इन्हें कलंक एवं भेदभाव की दृष्टि से देखता है, जिसका परिणाम यह होता है कि ये अवसाद में चले जाते हैं, या फिर आक्रामक हो जाते हैं। इनका मानसिक स्वास्थ्य खराब भी हो जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. दुबे, रेखा. इक्कीसवीं सदी का नव्य विमर्ष किन्नर विमर्ष. दिल्ली: भावना प्रकाशन, प्रथम संस्करण, 2021. पृष्ठ-59
2. दुबे, रेखा. इक्कीसवीं सदी का नव्य विमर्ष किन्नर विमर्ष. दिल्ली: भावना प्रकाशन, प्रथम संस्करण, 2021. पृष्ठ-29
3. सिंह, प्रताप, विजेन्द्र. हिन्दी उपन्यासों के आइने में थर्ड जेंडर. कानपुर: प्रकाशन, प्रथम संस्करण, 2017. पृष्ठ- 35.
4. मुद्गल, चित्रा. पोस्ट बॉक्स नं. 203, नाला सोपारा. नई दिल्ली: सामयिक प्रकाशन संस्करण, 2020. पृष्ठ-178.
5. त्यागी, अनुसूया. मैं भी औरत हूँ. दिल्ली: परमेष्वरी प्रकाशन, दूसरा संस्करण, 2009. पृष्ठ-86.
6. अग्रवाल, लता. मंगलामुखी. कानपुर: विकास प्रकाशन, प्रथम संस्करण, 2020. पृष्ठ-49.
7. मुद्गल, चित्रा. पोस्ट बॉक्स नं. 203, नाला सोपारा. नई दिल्ली: सामयिक प्रकाशन संस्करण, 2020. पृष्ठ-30.
8. जादवानी, जया. देह कुठरिया. दिल्ली, सेतु प्रकाशन, प्रथम संस्करण 2021.पृष्ठ-23.
9. सिंह, प्रताप, विजेन्द्र. हिन्दी उपन्यासों के आइने में थर्ड जेंडर. कानपुर: प्रकाशन, प्रथम संस्करण, 2017. पृष्ठ- 106.
10. शर्मा, हरेष, नीना. मेरे हिस्से की धूप. कानपुर: माया प्रकाशन, प्रथम संस्करण, 2020, पृष्ठ-26.
11. शर्मा, हरेष, नीना. मेरे हिस्से की धूप. कानपुर: माया प्रकाशन, प्रथम संस्करण, 2020, पृष्ठ-35.
12. नियाज, शगुफ्ता नियाज. थर्ड जेंडर के संघर्ष का यथार्थ. कानपुर: विकास प्रकाशन, प्रथम संस्करण, 2018. पृष्ठ-38.

बिहार में आधुनिक शिक्षा की दिशा और स्थिति

डॉ० नीलम कुमारी

इतिहास विभाग, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

सारांश

बिहार राज्य भारत के प्रमुख शिक्षण केंद्रों में से एक है। यह राज्य लंबे समय से शिक्षा का केंद्र रहा है। वर्तमान में, शिक्षा की मांग और आपूर्ति के बीच एक बड़ा अंतर उत्पन्न हो गया है। स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच यह अंतर राज्य की साक्षरता दर को कुछ हद तक प्रभावित कर रहा है। यह आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिक स्कूलों की स्थापना की आवश्यकता को दर्शाता है। बिहार की सामान्य जनसंख्या में उच्च शिक्षा की चाहत ने छात्रों के समुदाय के राज्य से पलायन को जन्म दिया है। इसके परिणामस्वरूप, छात्र अन्य राज्यों में शैक्षणिक अवसरों की तलाश में बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि स्नातक स्तर की कॉलेज शिक्षा के लिए भी। पटना पूर्वी भारत का एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र बन गया है। यह IIT, IAS, इंजीनियरिंग और चिकित्सा प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। पटना के स्कूलों की गुणवत्ता नई दिल्ली की तुलना में बेहतर है। लेकिन बिहार उच्च शिक्षा में अभी भी पीछे है। हमें बिहार के शिक्षा मंत्रालय से एक पहल की आवश्यकता है ताकि बिहार के छात्रों के लिए तकनीकी संस्थानों की स्थापना की जा सके, जिससे वे अपने राज्य में रह सकें और अन्य राज्यों के छात्रों को भी आकर्षित कर सकें। यदि हम सभी इन कदमों की दिशा में काम करें, तो हम बिहार के शिक्षा प्रणाली में सुधार देखेंगे, जो बिहार और इसके लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा।

मुख्य शब्द:- शिक्षा, संस्थान, छात्र, केंद्र, उच्च शिक्षा।

परिचय

शिक्षा किसी भी देश की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह व्यक्ति के सही विकास के लिए आवश्यक है। किसी देश का विकास एक मजबूत शैक्षिक प्रणाली पर निर्भर करता है। यदि हम भारत की बात करें, तो यहाँ साक्षरता दर विकसित देशों की तुलना में कम है। विशेष रूप से बिहार में, शैक्षिक प्रगति बहुत धीमी है। प्राचीन काल में बिहार शिक्षा का केंद्र था, जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसी दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालयें थीं। उस समय बिहार में शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता बहुत उच्च थी। लेकिन आजकल बिहार में शिक्षा की स्थिति बहुत निराशाजनक है। वर्तमान में, बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। पटना में 63.82% के साथ सबसे उच्च साक्षरता दर है, जबकि किशनगंज 31.02% के साथ सबसे निचले स्थान पर है। यह स्थिति अच्छे गुणवत्ता वाले शैक्षिक संस्थानों की कमी के कारण है। इसलिए, बिहार में आधुनिक शैक्षिक प्रणाली के विकास की आवश्यकता है।[1] वास्तव में, बिना आधुनिक शिक्षा के बिहार में विकास संभव नहीं है। केंद्रीय सरकार और बिहार राज्य सरकार ने बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा, बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है, जिस पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में बिहार में आधुनिक शिक्षा विकसित रूपों में उपलब्ध होगी।[2]

अध्ययन का उद्देश्य

इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

1. बिहार में शिक्षा की स्थिति का विश्लेषण करना
2. बिहार में आधुनिक शिक्षा के अवसरों का पता लगाना

शोध पद्धति

वर्तमान अध्ययन के लिए आवश्यक जानकारी और डेटा मुख्य रूप से द्वितीयक स्रोतों से एकत्रित किया गया है। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैंने संबंधित पुस्तकों और पत्रिकाओं तथा वेबसाइटों से सामग्री ली है। उपयोग की गई विधि विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक है।

बिहार में विश्वविद्यालय

प्राचीन काल में बिहार भारत में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। बिहार दो प्रमुख विश्वविद्यालयों - नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। वर्तमान में बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में, पटना विश्वविद्यालय बिहार का एक सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। पटना विश्वविद्यालय के बाद, शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कई अन्य विश्वविद्यालयों की

स्थापना हुई। बिहार के सभी विश्वविद्यालय छात्रों को उच्च अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट कार्यक्रम जैसे विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। छात्रों के लिए कैरियर उन्मुख प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की भी विस्तृत श्रृंखला है, जो उन्हें अच्छी नौकरी प्राप्त करने में मदद करती है। बिहार में 17 राज्य विश्वविद्यालय, 1 आईआईटी और 4 अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। 2005 के बाद से, बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं। बिहार में नालंदा महावीर विश्वविद्यालय, आईआईटी पटना आदि जैसे कई नए संस्थान विकसित हो रहे हैं।[3]

बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज

इन दिनों इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कई पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई है। इसलिए छात्रों के लिए इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए कई अवसर हैं। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज आधुनिक पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं, जो छात्रों की शिक्षा में सहायक होंगे।

बिहार में कुछ प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज इस प्रकार हैं –

1. भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, सबौर
2. सिवान इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान, सिवान
3. मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान, मुजफ्फरपुर
4. महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, दरभंगा
5. बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, पटना
6. मौलाना आजाद इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कॉलेज, नेउरा, पटना
7. राष्ट्रीय फाउंड्री और फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान
8. आर.पी. शर्मा प्रौद्योगिकी संस्थान, दानापुर, पटना
9. आईआईटी, पटना

बिहार में चिकित्सा महाविद्यालय

चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन नवीनतम तकनीकों और पाठ्यक्रमों के आगमन के साथ तेजी से बढ़ा है। भारत में कई महाविद्यालय हैं जो चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा प्रदान करते हैं। वर्तमान में, एक बड़ी संख्या में छात्र चिकित्सा अध्ययन का चयन कर रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान के प्रति इस बढ़ती रुचि ने बिहार में चिकित्सा विज्ञान से संबंधित कई संस्थानों और पाठ्यक्रमों का विकास किया है। हर साल विभिन्न राज्यों के छात्र बिहार में अपने अध्ययन के लिए आते हैं। यहाँ बिहार के कुछ चिकित्सा महाविद्यालयों की सूची प्रस्तुत है–

1. पटना मेडिकल कॉलेज
2. एएन मगध मेडिकल कॉलेज
3. बिरसा मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एलाइड साइंस
4. दरभंगा मेडिकल कॉलेज
5. डॉ. एसएम नफी इमाम मेडिकल और डेंटल कॉलेज
6. दयानंद आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल
7. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज

बिहार मेडिकल कॉलेज में आधुनिक बुनियादी ढांचे हैं और उनके आधुनिक पाठ्यक्रम निश्चित रूप से राज्य के भीतर और बाहर के संभावित छात्रों को आकर्षित करने में मदद करते हैं। बिहार मेडिकल कॉलेज के अत्यधिक आशाजनक चिकित्सा पाठ्यक्रम न केवल हमारे देश के छात्रों को बल्कि विदेशी छात्रों को भी आकर्षित करने में सफल रहे हैं।[4]

बिहार में डेंटल कॉलेज

बिहार के डेंटल कॉलेजों में छात्रों के लिए कई संभावनाएँ और उच्च अध्ययन के विकल्प उपलब्ध हैं। हालांकि, अधिकांश छात्र अपने राज्य से बाहर और विदेशों में अच्छे कैरियर के लिए जा रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, छात्र विभिन्न पाठ्यक्रमों के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गए हैं और ऐसे कैरियर विकल्पों की तलाश कर रहे हैं जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हों और निकट भविष्य में लाभकारी साबित हों।

1. डॉ. बीआर अंबेडकर डेंटल साइंस और अस्पताल, पटना।
2. दरभंगा डेंटल कॉलेज, दरभंगा।
3. बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस, पटना।
4. मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज और अस्पताल, दरभंगा।
5. सरजुग डेंटल कॉलेज, दरभंगा।
6. डॉ. एसएम नकी इमाम डेंटल कॉलेज और अस्पताल, बेहरा।
7. पटना डेंटल कॉलेज और अस्पताल, पटना।

इन कॉलेजों के संशोधित और सुधारित पाठ्यक्रम ने बिहार डेंटल कॉलेज में बड़ी संख्या में छात्रों को आकर्षित करने में मदद की है।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय

बिहार कृषि विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्थान है जो राज्य सरकार के अधीन 2010 में स्थापित हुआ। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अंतर्गत सहरसा, भागलपुर में स्थित है। विश्वविद्यालय में 10 कॉलेज और बिहार के 3 कृषि-पर्यावरणीय क्षेत्रों में फैले 12 अनुसंधान केंद्र हैं। विश्वविद्यालय और इसके कॉलेजों के डिग्री कार्यक्रमों को 2015-16 में ICAR द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। यह विश्वविद्यालय ISO-9000-2008 प्रमाणित संगठन भी है, जो शिक्षण, अनुसंधान, विस्तार और प्रशिक्षण में उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक संचालन प्रोटोकॉल का पालन करता है।[5] विश्वविद्यालय में दस कॉलेज हैं-

1. बिहार कृषि महाविद्यालय, सबौर
2. भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय, पूर्णिया
3. मदन भारती कृषि महाविद्यालय, अगवानपुर
4. नालंदा उद्यानिकी महाविद्यालय, नूरसराय
5. डॉ. कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज
6. वीकेएस कृषि महाविद्यालय, डुमरांव
7. वनों का महाविद्यालय, मुंगेर
8. कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय, पटना
9. जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, आरा
10. सामुदायिक विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी, गया

बिहार में स्कूल

बिहार राज्य भारत के प्रमुख शिक्षण केंद्रों में से एक है। यह राज्य लंबे समय से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। हालाँकि, वर्तमान में शिक्षा की मांग और आपूर्ति के बीच एक बड़ा अंतर उत्पन्न हो गया है। स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच यह अंतर राज्य की साक्षरता दर को प्रभावित कर रहा है। यह स्थिति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अधिक स्कूलों की स्थापना की आवश्यकता को दर्शाती है।

बिहार का शिक्षा प्रणाली कुछ हद तक ब्रिटिश काल के समान है। राज्य में सरकारी से लेकर निजी तक अनगिनत स्कूल हैं। ये स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं और ज्ञान के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड से संबद्ध राज्य के स्कूलों का संचालन बिहार सरकार द्वारा किया जाता है। जिला स्कूल, जिन्हें जिला स्कूल भी कहा जाता है, बिहार की शिक्षा प्रणाली का एक हिस्सा हैं। ये जिला स्कूल आमतौर पर राज्य के पुराने जिला मुख्यालयों पर स्थित होते हैं। स्कूलों के प्रकार भी उस बोर्ड के आधार पर भिन्न होते हैं, जिसके साथ वे संबद्ध होते हैं, जैसे कि CBSE (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) और CICSE (भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद)।

उदारवादी युग के बाद, मिशनरी और मदरसा स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई है। कहा जाता है कि बिहार के क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों की श्रृंखला राज्य के कुछ बेहतरीन स्कूलों में से एक है।[6] पहले उल्लेखित स्कूलों के अलावा, बिहार राज्य में विभिन्न प्रकार के स्कूल निम्नलिखित हैं-

1. प्ले स्कूल
2. मोंटेसरी स्कूल
3. किड्स स्कूल
4. नर्सरी स्कूल
5. प्राथमिक स्कूल
6. माध्यमिक स्कूल
7. उच्च माध्यमिक स्कूल

बिहार में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के अलावा, प्रसिद्ध स्कूलों को मुख्यत: निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है–

1. सरकारी स्कूल
2. सीबीएसई स्कूल
3. आईसीएसई स्कूल

एक आदर्श शिक्षण वातावरण के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे और आवश्यक शैक्षिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। बिहार के विभिन्न स्कूलों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक स्कूलों में औसतन 2 कक्षाएं हैं, जबकि उच्च प्राथमिक स्कूलों में 4 कक्षाएं उपलब्ध हैं। कुछ प्राथमिक स्कूलों में तो केवल एक ही कक्षा है। हालांकि, स्थायी भवन वाले स्कूलों का प्रतिशत काफी अधिक है। बिहार के लगभग 6.8% स्कूलों का संचालन एक शिक्षक द्वारा किया जाता है। हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन इनमें से कुछ स्कूल कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान करते हैं। डी.आई.एस.ई. रिपोर्ट के अनुसार, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण या विकलांग बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षाएं आयोजित की जाती हैं।[7] सभी स्कूलों में पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हैं, और कुछ स्कूल मध्याह्न भोजन भी प्रदान करते हैं।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

विद्यालय परीक्षा समितियों की स्थापना मुख्य रूप से माध्यमिक विद्यालय स्तर की अंतिम परीक्षाओं के लिए तिथि और समय निर्धारित करने के उद्देश्य से की गई है। इस प्रकार, विद्यालय परीक्षा समितियों का कार्य अत्यंत प्रतिष्ठित है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का यही उद्देश्य है। विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा कार्यक्रम आयोजित करने और पाठ्यक्रम की उचित तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार, इस समिति की जिम्मेदारी मानक पाठ्यक्रम निर्धारित करने और परीक्षाओं के लिए प्रश्नों का उचित सेट तैयार करने में बहुत बड़ी है। नए पाठ्यक्रम या किसी पाठ्यक्रम के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का श्रेय भी विद्यालय परीक्षा समितियों को जाता है।[8]

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हर वर्ष बिहार माध्यमिक विद्यालय स्तर की परीक्षाओं का आयोजन करती है। यह सभी स्कूलों के लिए एक प्रमुख संस्था के रूप में कार्य करती है, क्योंकि यह संपूर्ण परीक्षा प्रणाली को नियंत्रित करती है। समिति के अधिनियमों और नियमों के अनुसार, इसे उन स्कूलों के लिए अध्ययन सामग्री और पाठ्यक्रम तैयार करने का कार्य सौंपा गया है जो इस बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा, अध्ययन सामग्री और उद्देश्यों से संबंधित अन्य प्रचारात्मक गतिविधियाँ भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित की जाती हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हर वर्ष फरवरी–मार्च के महीनों में अपनी उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय परीक्षाओं का आयोजन करती है।[9]

इसके अलावा, बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड विभिन्न विभागों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करने में कुछ अतिरिक्त कार्य भी करता है। ये परीक्षाएँ वार्षिक आधार पर नहीं होती हैं। ऐसे पाठ्यक्रमों में शारीरिक शिक्षा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, और शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा शामिल हैं।[10] हालांकि, ये परीक्षाएँ बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों और नियमों के आधार पर आयोजित की जाती हैं।

निष्कर्ष

बिहार शिक्षा का केंद्र है। बिहार की राजधानी पटना पूर्वी भारत के लिए एक शैक्षणिक हब बन गई है। यह IIT, IAS, इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। बिहार में स्कूलों की गुणवत्ता अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। हालांकि, उच्च शिक्षा में बिहार पीछे है, जबकि यहाँ कई कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी है, लेकिन उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की कमी के कारण छात्रों का बिहार से बाहर जाना एक मुख्य कारण है। इसके अलावा, बिहार में डॉक्टर, इंजीनियर या IAS अधिकारी बनने पर अधिक जोर दिया जाता है, जबकि पत्रकारिता, फैशन या एनीमेशन जैसे क्षेत्रों

को चुनने पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसका कारण यह है कि बिहार में शिक्षा की संस्कृति ऐसी है कि युवा छात्र इंजीनियरिंग, मेडिकल या IAS के दायरे से बाहर सोच नहीं पाते। बिहार की प्रगति के लिए लोगों को इस पुरानी सोच से बाहर निकलना होगा।

बिहार के शिक्षा मंत्रालय से एक पहल की आवश्यकता है ताकि वे आधुनिक शिक्षा पर आधारित अधिक संस्थानों को खोलने के लिए उचित कदम उठा सकें। इससे बिहार के छात्रों को अपने राज्य में रहने में मदद मिलेगी और अन्य राज्यों के छात्रों को भी आकर्षित किया जा सकेगा। यदि हम सभी इन कदमों की दिशा में काम करें, तो हम बिहार के शिक्षा प्रणाली में सुधार देखेंगे, जो बिहार और इसके लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा।

संदर्भ

1. प्रथाम, org.। प्रथाम - भारत में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए सामाजिक मिशनों का एक नेटवर्क 'संरक्षित' 14 जून, 2006 को वेबबैक मशीन पर।
2. ''बिहार ने प्राथमिक शिक्षा के स्कोर में सुधार किया'' '/सरकार' मूल से 'संरक्षित' 05 फरवरी, 2009 को।
3. https://www.mapsofindia.com/bihar/education.html
4. बिहार में शैक्षणिक संस्थान, बिहार सरकार, gov.bih.nic.in.>संस्थान> 7 जनवरी 2018 को एक्सेस किया गया।
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Listofinstitutionsofhighereducationinbihar.
6. मेहता, ए.सी. (2008): विश्लेषणात्मक रिपोर्ट 2006-07, भारत में प्राथमिक शिक्षा: UEE की ओर प्रगति, NUEP, नई दिल्ली।
7. MHRD (1986): कार्य योजना, शिक्षा विभाग, MHRD, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1986।
8. NUEP, (2008): राज्य रिपोर्ट कार्ड 2006-07, भारत में प्राथमिक शिक्षा: हम कहाँ खड़े हैं? NUEPA, नई दिल्ली।
9. एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान ''बिहार में प्राथमिक शिक्षा: प्रगति और चुनौतियाँ।'' पांडुलिपि, 2011।
10. MHRD (1986) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा विभाग, MHRD, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1986।

व्यावसायिक शिक्षा एवं रोजगार

डॉ० चन्द्रकेश कुमार

एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, बाबा बरुआ दास पी. जी. कॉलेज, परुइय्या आश्रम अम्बेडकर नगर (उ.प्र.)

शोध सार

भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा भाग युवाओं का है, वहाँ व्यवसायिक शिक्षा (Vocational Education) का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। परंपरागत शिक्षा प्रणाली में जहाँ छात्रों को सामान्य ज्ञान और सैद्धांतिक विषयों पर बल दिया जाता है, वहीं व्यवसायिक शिक्षा उन्हें किसी विशिष्ट कार्य, उद्योग या कौशल में दक्ष बनाती है। यह शिक्षा प्रणाली व्यक्ति को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे व्यावहारिक अनुभव और कौशल के साथ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित करती है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में जहाँ नौकरी पाने की दौड़ कठिन होती जा रही है, वहीं व्यवसायिक शिक्षा रोजगार के नए रास्ते खोलती है। यह न केवल रोजगार पाने में मदद करती है, बल्कि स्वरोजगार और उद्यमिता को भी बढ़ावा देती है। इसीलिए व्यवसायिक शिक्षा और रोजगार के बीच एक गहरा और अविच्छिन्न संबंध है, जिसे समझना और लागू करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है।

मुख्य शब्द: व्यावसायिक शिक्षा, रोजगार, कौशल भारत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रबन्धन, औद्योगिक प्रशिक्षण

व्यावसायिक शिक्षा के अर्थ और महत्व

व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) का अर्थ उस शिक्षा प्रणाली से है जो छात्रों को किसी विशेष व्यवसाय, कौशल या उद्योग के लिए प्रशिक्षित करती है। यह शिक्षा सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक कौशल पर जोर देती है, जिससे छात्रों को रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों जैसे इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, होटल प्रबंधन, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प आदि में विशेषज्ञता प्रदान करना है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह शिक्षा रोजगारोन्मुखी होती है और बेरोजगारी की समस्या को कम करने में सहायक होती है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाती है तथा देश के आर्थिक विकास में भी योगदान देती है। सरकारें भी इस दिशा में विभिन्न योजनाएं चला रही हैं ताकि अधिक से अधिक युवा इसका लाभ उठा सकें। इस प्रकार, व्यावसायिक शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

रोजगार प्राप्ति में व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका

रोजगार प्राप्ति में व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शिक्षा प्रणाली सीधे तौर पर युवाओं को कौशल-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें रोजगार के योग्य बनाती है। आज के समय में, जहां पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से निकलने वाले अधिकांश छात्रों को रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वहीं व्यावसायिक शिक्षा उन्हें विशिष्ट क्षेत्रों में दक्षता प्रदान करके सीधे नौकरी के अवसरों से जोड़ती है। इस प्रकार की शिक्षा में छात्रों को इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य प्रबंधन, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, फैशन डिजाइनिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबिंग, वेल्डिंग जैसे विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे उद्योगों की मांग के अनुरूप कुशल कर्मचारी बन सकें।

व्यावसायिक शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह श्रम बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर डिजाइन की जाती है, जिससे पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों को तुरंत रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा, यह शिक्षा स्वरोजगार को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि छात्र अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक कौशल सीखते हैं। सरकार भी 'कौशल भारत', 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' (PMKVY) जैसी पहलों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहित कर रही है, ताकि युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें।

विश्व स्तर पर भी, जिन देशों ने व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है, वहाँ बेरोजगारी दर कम है और औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ युवा आबादी अधिक है, वहाँ व्यावसायिक शिक्षा न केवल रोजगार सृजन में मदद करती है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाती है। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि रोजगार प्राप्ति के लिए व्यावसायिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है, जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और देश के विकास में योगदान देने में सक्षम बनाती है।

भारत में व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान स्थितिः एक विस्तृत विश्लेषण

भारत में व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति एक जटिल परिदृश्य प्रस्तुत करती है, जहाँ एक ओर सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा कौशल विकास पर बल दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर व्यावहारिक क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। वर्तमान में भारत में व्यावसायिक शिक्षा का ढाँचा मुख्य रूप से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs), पॉलिटेक्निक कॉलेजों, कौशल विकास मिशनों और विभिन्न सरकारी व निजी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से संचालित हो रहा है। केंद्र सरकार ने कौशल भारत मिशन, 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSiQF) और स्किल इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने का प्रयास किया है, जिसके तहत लाखों युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

हाल के वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सकारात्मक प्रगति देखी गई है। आँकड़ों के अनुसार, देश भर में लगभग 15,000 से अधिक ITIs और 3,000 पॉलिटेक्निक संस्थान सक्रिय हैं, जो युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिससे उद्योग और शिक्षा के बीच एक बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ राज्यों, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ने व्यावसायिक शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करके इसे और अधिक व्यापक बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं।

हालाँकि, भारत में व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति में कई गंभीर चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी समस्या गुणवत्ता और प्रासंगिकता की है। अधिकांश ITIs और प्रशिक्षण केंद्रों में आधुनिक उपकरणों, योग्य प्रशिक्षकों और उद्योग-संबंधित पाठ्यक्रमों की कमी देखी जाती है, जिसके कारण छात्रों को वास्तविक रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई होती है। दूसरी प्रमुख चुनौती सामाजिक मानसिकता की है, जहाँ पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को व्यावसायिक शिक्षा से अधिक महत्व दिया जाता है। अभिभावक और छात्र अक्सर डिग्री-आधारित शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं, जबकि व्यावसायिक प्रशिक्षण को द्वितीयक विकल्प के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा, उद्योग और शिक्षा के बीच समन्वय का अभाव भी एक बड़ी बाधा है, क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम उद्योगों की वर्तमान माँगों के अनुरूप नहीं होते, जिससे प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी मिलने में कठिनाई होती है।

भविष्य की दृष्टि से, भारत में व्यावसायिक शिक्षा की संभावनाएँ व्यापक हैं, लेकिन इसके लिए कई सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम, शिक्षा प्रणाली को उद्योग-संचालित बनाने की आवश्यकता है, ताकि पाठ्यक्रमों को वास्तविक कार्यस्थल की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जा सके। दूसरा, डिजिटल युग के अनुकूल नए कौशलों, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), और डेटा एनालिटिक्स, पर अधिक ध्यान देना होगा। तीसरा, सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर बुनियादी ढाँचे, प्रशिक्षकों की गुणवत्ता और छात्रों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने वाले कार्यक्रमों में निवेश बढ़ाना होगा। अंत में, व्यावसायिक शिक्षा को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, ताकि अधिक से अधिक युवा इसे एक व्यवहार्य करियर विकल्प के रूप में अपना सकें।

भारत में व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति में सुधार की अपार संभावनाएँ हैं, लेकिन इसके लिए एक समग्र और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यदि सरकार, उद्योग और शिक्षा संस्थान मिलकर काम करें, तो भारत न केवल अपनी युवा जनसंख्या को कुशल बना सकता है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर सकता है।

नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षाः एक क्रांतिकारी परिवर्तन

भारत की नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है, जो देश की शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है। इस नीति का उद्देश्य भारत के युवाओं को रोजगारपरक कौशल से लैस करना है, ताकि वे न केवल रोजगार बाजार की मांगों को पूरा कर सकें, बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी सक्रिय योगदान दे सकें। NEP 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ एकीकृत करने पर जोर दिया गया है, जिससे छात्रों को शैक्षणिक और व्यावसायिक दोनों प्रकार की शिक्षा एक साथ प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस नीति के अनुसार, कक्षा 6 से ही छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा के मूल सिद्धांतों से अवगत कराया जाएगा, जिसमें इंटर्नशिप, प्रायोगिक प्रशिक्षण और हुनर-आधारित शिक्षा शामिल होगी। इस प्रकार, छात्रों को स्कूली शिक्षा के दौरान ही विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों, जैसे कृषि, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प और अन्य उद्योगों से संबंधित बुनियादी कौशल सीखने का मौका मिलेगा।

NEP 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इनमें से एक प्रमुख प्रावधान यह है कि माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-12) के छात्रों को व्यावसायिक विषयों को चुनने की स्वतंत्रता दी जाएगी, जिससे वे अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार कौशल-आधारित शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा, नीति में उच्च शिक्षा संस्थानों, जैसे कॉलेजों और

विश्वविद्यालयों, को भी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत, छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रमों के साथ-साथ सर्टिफिकेट कोर्सेज करने का विकल्प मिलेगा, जो उन्हें विशिष्ट उद्योगों के लिए तैयार करेंगे।

नई शिक्षा नीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें उद्योग और शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया गया है। इसके लिए, नीति में 'स्किल हब' और 'क्लस्टर-आधारित शिक्षा' जैसी अवधारणाओं को शामिल किया गया है, जिसमें स्थानीय उद्योगों और शिक्षण संस्थानों को मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इससे छात्रों को वास्तविक कार्यस्थल के अनुभव प्राप्त होंगे और उन्हें उद्योगों की वर्तमान मांगों के अनुरूप प्रशिक्षण मिलेगा। इसके अतिरिक्त, NEP 2020 में डिजिटल और तकनीकी कौशलों, जैसे कोडिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), और रोबोटिक्स, पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि भारत का युवा वर्ग वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रह सके।

नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSiQF) को और मजबूत करने का भी प्रस्ताव है, जिसके तहत सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को मानकीकृत किया जाएगा। इससे छात्रों के कौशल की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और उन्हें रोजगार बाजार में अधिक स्वीकार्यता मिलेगी। साथ ही, नीति में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए उच्च शिक्षा और रोजगार के द्वार खोलने का प्रावधान किया गया है। उदाहरण के लिए, ITI या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारक छात्रों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी शिक्षा और कौशल दोनों का विकास होगा।

नई शिक्षा नीति 2020 व्यावसायिक शिक्षा को देश की शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग बनाने की दिशा में एक साहसिक कदम है। यह नीति न केवल युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करेगी, बल्कि भारत को एक कुशल और उत्पादक कार्यबल प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगी। यदि इस नीति का सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाता है, तो भारत की युवा पीढ़ी वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकती है और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास मिशनः भारत के युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी पहल

भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कौशल विकास मिशन और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम देश के युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान करने की दिशा में एक क्रांतिकारी प्रयास है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) इस मिशन का प्रमुख आधारस्तंभ है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक 40 करोड़ भारतीयों को विभिन्न उद्योग-संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह मिशन न केवल पारंपरिक शिल्प कौशलों पर बल देता है, बल्कि आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और डेटा एनालिटिक्स में भी प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा संचालित यह कार्यक्रम देश भर में 28 क्षेत्रीय कौशल परिषदों (SSCs) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जो विभिन्न उद्योग क्षेत्रों के लिए मानक निर्धारित करते हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करते हैं।

व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास मिशन की सबसे बड़ी ताकत इसका बहु-स्तरीय दृष्टिकोण है। स्कूल स्तर पर, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। माध्यमिक स्तर पर, छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) और पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण का अवसर मिलता है। उच्च शिक्षा स्तर पर, विश्वविद्यालय और कॉलेज अब व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अपने मुख्य पाठ्यक्रमों के साथ एकीकृत कर रहे हैं। इसके अलावा, कौशल विकास मिशन विभिन्न लक्षित समूहों जैसे महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, ग्रामीण युवाओं और दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है, जिससे सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिल रहा है।

हालांकि, इस मिशन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता में असमानता, उद्योग और शिक्षा संस्थानों के बीच समन्वय की कमी, सामाजिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को लेकर पूर्वाग्रह, और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी युवाओं को उचित रोजगार न मिल पाना कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, कौशल विकास मिशन ने अब तक लाखों युवाओं को प्रशिक्षित किया है और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। भविष्य में इस मिशन की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कैसे यह उद्योगों की बदलती मांगों के अनुरूप अपने पाठ्यक्रमों को लगातार अद्यतन करता है और प्रशिक्षण के बाद रोजगार सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ मजबूत साझेदारी विकसित करता है। यह मिशन न केवल भारत के युवाओं को सशक्त बना रहा है, बल्कि मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे राष्ट्रीय अभियानों को भी सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

आईटीआई (ITI) और पॉलिटेक्निक संस्थानों की भूमिकाः भारत के कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा का आधारस्तंभ

आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) और पॉलिटेक्निक संस्थान भारत के व्यावसायिक शिक्षा तंत्र की रीढ़ के रूप में कार्य करते हैं, जो देश के युवाओं को तकनीकी कौशल और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करके उन्हें उद्योग-तैयार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते

हैं। ये संस्थान भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) तथा राज्य सरकारों के तकनीकी शिक्षा विभागों के अंतर्गत कार्य करते हुए, देश के औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति में अहम योगदान दे रहे हैं। ITI संस्थान मुख्य रूप से कुशल श्रमिकों (स्किल्ड वर्कर्स) के प्रशिक्षण पर केंद्रित हैं, जहाँ विद्यार्थियों को इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक जैसे विभिन्न ट्रेडों में 6 महीने से 2 वर्ष तक की अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर, पॉलिटेक्निक संस्थान 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के माध्यम से टेक्नीशियन स्तर के तकनीकी कर्मियों को तैयार करते हैं, जो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस जैसे इंजीनियरिंग क्षेत्रों में मध्यम स्तर के तकनीकी विशेषज्ञों की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं।

इन संस्थानों की सबसे बड़ी ताकत उनका व्यावहारिक शिक्षा पर जोर देना है, जहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल का अनुपात 40:60 होता है। ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों में अधिकांश पाठ्यक्रम राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (NSiQF) के अनुरूप डिजाइन किए गए हैं, जो छात्रों को उद्योगों की वर्तमान मांगों के अनुकूल बनाते हैं। इन संस्थानों ने मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे राष्ट्रीय अभियानों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जहाँ लाखों प्रशिक्षित तकनीशियन और कारीगर विभिन्न उत्पादन इकाइयों और सेवा क्षेत्रों में कार्यरत हैं। भारत के कई संस्थानों ने विशेष रूप से ग्रामीण और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा को सुलभ बनाने में अहम भूमिका निभाई है, जिससे सामाजिक-आर्थिक समानता को बढ़ावा मिला है।

हालांकि, ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें अधिकांश संस्थानों में आधुनिक उपकरणों और बुनियादी ढांचे की कमी, उद्योगों के साथ समन्वय का अभाव, पाठ्यक्रमों का समय-समय पर अद्यतन न होना, और प्रशिक्षित युवाओं को उचित रोजगार न मिल पाना प्रमुख हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने हाल के वर्षों में कई पहलें की हैं, जैसे कि ITi~ संस्थानों को उद्योगों के साथ जोड़ने के लिए आईटीआई-उद्योग संयोजन कार्यक्रम, पाठ्यक्रमों को अधिक उद्योग-उन्मुख बनाने के लिए स्किल काउंसिल की स्थापना, और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को प्रोत्साहन। भविष्य में, ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि भारत को अपने विशाल युवा जनसंख्या को कुशल बनाकर वैश्विक कौशल बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करना है। इन संस्थानों को अब नवीनतम तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ताकि भारतीय युवा न केवल घरेलू बल्कि वैश्विक रोजगार बाजार की मांगों को पूरा कर सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा की चुनौतियाँः एक गहन विश्लेषण

ग्रामीण भारत में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार और प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक गंभीर चुनौतियाँ मौजूद हैं जो देश के कौशल विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधक सिद्ध हो रही हैं। सबसे प्रमुख चुनौती बुनियादी ढाँचे और संसाधनों की भारी कमी है - अधिकांश ग्रामीण व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में आधुनिक उपकरणों, प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण सामग्री का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण छात्रों को उद्योगों में प्रचलित नवीनतम तकनीकों और मशीनरी से परिचित कराना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बड़ी समस्या योग्य प्रशिक्षकों की कमी है, क्योंकि अधिकांश कुशल प्रशिक्षक शहरी क्षेत्रों में ही कार्य करना पसंद करते हैं और ग्रामीण इलाकों में सेवा देने से कतराते हैं। इसके अलावा, ग्रामीण समाज में अभी भी व्यावसायिक शिक्षा को पारंपरिक शिक्षा से कमतर आँका जाता है और अभिभावक अपने बच्चों को डिग्री-आधारित शिक्षा दिलाने पर ही जोर देते हैं, जिससे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन की दर निराशाजनक बनी हुई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा की एक और बड़ी चुनौती उद्योग-शिक्षा संबंधों का अभाव है। अधिकांश गाँवों में बड़े उद्योग या विनिर्माण इकाइयाँ नहीं होतीं, जिसके कारण छात्रों को प्रैक्टिकल प्रशिक्षण और इंटर्नशिप के अवसर नहीं मिल पाते। परिवहन और संचार सुविधाओं की कमी के कारण ग्रामीण युवाओं के लिए नजदीकी प्रशिक्षण केंद्रों तक पहुँचना भी एक बड़ी समस्या बन जाता है। वित्तीय संसाधनों की कमी भी एक प्रमुख बाधा है, क्योंकि ग्रामीण परिवार अक्सर व्यावसायिक प्रशिक्षण की उच्च लागत वहन नहीं कर पाते और सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी का अभाव इसे और बढ़ा देता है। डिजिटल विभाजन की समस्या ने भी ग्रामीण व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावित किया है - इंटरनेट और कंप्यूटर सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण ग्रामीण युवा डिजिटल कौशल से वंचित रह जाते हैं जो आज के रोजगार बाजार की मूल आवश्यकता बन चुके हैं।

इन चुनौतियों के बावजूद, ग्रामीण भारत में व्यावसायिक शिक्षा की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं। स्थानीय कुटीर उद्योगों, कृषि आधारित उद्यमों, हस्तशिल्प और पारंपरिक कलाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए व्यावसायिक पाठ्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार ग्रामीण व्यावसायिक शिक्षा केंद्रों के बुनियादी ढाँचे को सुधारे, स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षकों को तैयार करे, मोबाइल ट्रेनिंग यूनिट्स के माध्यम से दूरदराज के इलाकों तक पहुँच बनाए, और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले विशेष कार्यक्रम शुरू करे। केवल इसी तरह ग्रामीण भारत का युवा वर्ग रोजगारपरक कौशल से लैस होकर देश की आर्थिक प्रगति में अपना योगदान दे सकता है और गाँवों से पलायन की प्रवृत्ति को रोकने में सफल हो सकता है।

महिलाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार के अवसर: सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए व्यावसायिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरी है, जो न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना रही है बल्कि सामाजिक समानता को भी बढ़ावा दे रही है। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), स्टैंड-अप इंडिया, और महिला शक्ति केंद्र विशेष रूप से महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित हैं। इन कार्यक्रमों के तहत महिलाओं को ब्यूटीशियन, टेलरिंग, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, हेल्थ केयर, हैंडीक्राफ्ट और फूड प्रोसेसिंग जैसे विविध क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आँकड़ों के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या में 40: की वृद्धि हुई है, जो एक सकारात्मक संकेत है।

महिलाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह उन्हें घर से काम करने या छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू करने के योग्य बनाती है। हस्तशिल्प, बुटीक मैनेजमेंट, कैटरिंग सेवाएँ, होम बेकिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित महिलाएँ न केवल अपने घरों से काम कर आय अर्जित कर रही हैं बल्कि अन्य महिलाओं को भी रोजगार प्रदान कर रही हैं। कई सफल उदाहरण सामने आए हैं जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने सिलाई-कढ़ाई, पापड़-अचार बनाने, या हर्बल उत्पाद निर्माण जैसे कौशल सीखकर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सफल उद्यम स्थापित किए हैं। शहरी क्षेत्रों में भी महिलाएँ वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इवेंट मैनेजमेंट और इंटीरियर डिजाइनिंग जैसे नवीन क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं।

हालाँकि, महिलाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार के मार्ग में अभी भी कई चुनौतियाँ मौजूद हैं। सामाजिक रूढ़िवादिता, परिवार का समर्थन न मिलना, प्रशिक्षण केंद्रों तक पहुँच की कमी, और कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याएँ अभी भी बड़ी संख्या में महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने से रोकती हैं। इन चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार और निजी संस्थानों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। घर-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम, महिला-मित्र कार्य वातावरण, लचीले कार्य घंटे, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण जैसी पहलें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा सकती हैं। भविष्य में, यदि इन बाधाओं को दूर किया जा सके तो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त महिलाएँ न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकती हैं बल्कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका: एक परिवर्तनकारी शक्ति

व्यावसायिक शिक्षा आज के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में एक क्रांतिकारी भूमिका निभा रही है, जो न केवल उन्हें रोजगार के योग्य बना रही है बल्कि उद्यमिता के लिए भी प्रेरित कर रही है। यह शिक्षा प्रणाली पारंपरिक शिक्षा से हटकर युवाओं को व्यावहारिक कौशल और तकनीकी ज्ञान प्रदान करती है, जिससे वे नौकरी तलाशने वालों की बजाय नौकरी देने वाले बन सकें। आज के प्रतिस्पध र्ी युग में जहां डिग्री धारक बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त युवा अपने हुनर के बल पर न केवल स्वयं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित कर रहे हैं। इस शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह युवाओं को सीधे उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित करती है, जिससे उन्हें प्रशिक्षण पूरा करते ही रोजगार मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।

व्यावसायिक शिक्षा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सबसे पहले, यह युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार करती है - ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग यूनिट, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, कंप्यूटर सेंटर, या फूड प्रोसेसिंग यूनिट जैसे छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करती है। दूसरे, यह शिक्षा युवाओं को डिजिटल युग के अनुरूप कौशल जैसे वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, और सोलर टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित करके उन्हें आधुनिक बाजार की मांगों के अनुकूल बनाती है। तीसरा, यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं को स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके आय अर्जित करने के तरीके सिखाती है, जिससे उन्हें बड़े शहरों की ओर पलायन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अंत में, यह शिक्षा युवाओं में आत्मविश्वास पैदा करती है क्योंकि वे जानते हैं कि उनके पास एक ऐसा हुनर है जो कभी भी उनका पेट पाल सकता है।

हालांकि, व्यावसायिक शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुधारों की आवश्यकता है। पाठ्यक्रमों को नवीनतम उद्योग मांगों के अनुरूप बनाना, प्रशिक्षण के बाद वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना, और सामाजिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को सम्मान दिलाने जैसे कदम इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जब युवाओं को यह एहसास होगा कि उनके हुनर की समाज में कितनी मांग है, तो वे स्वाभाविक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर होंगे। निष्कर्षत:, व्यावसायिक शिक्षा न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बना रही है बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है, जो स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे राष्ट्रीय अभियानों को सफल बनाने में मदद करेगी।

उद्योगों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच संबंध: एक सहजीवी और गतिशील साझेदारी

उद्योगों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच का संबंध एक गहन और बहुआयामी साझेदारी है जो देश की आर्थिक प्रगति और कौशल विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। यह संबंध मूल रूप से एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है – जहां उद्योग व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों को बताते हैं कि किस प्रकार के कौशल और ज्ञान की उन्हें आवश्यकता है, और व्यावसायिक शिक्षा संस्थान उसी के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित करके उद्योगों को कुशल कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं। इस सहजीवी संबंध का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह शिक्षा को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रखकर उसे वास्तविक दुनिया की आवश्यकताओं से जोड़ देता है, जिससे प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार पाने में आसानी होती है और उद्योगों को भी तैयार कुशल कर्मचारी मिल जाते हैं। आज के तेजी से बदलते तकनीकी युग में, जहां उद्योगों की आवश्यकताएं निरंतर परिवर्तित हो रही हैं, वहां यह संबंध और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों को उद्योगों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखकर अपने पाठ्यक्रमों को अद्यतन करना पड़ता है।

इस संबंध को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं, जिनमें आईटीआई-उद्योग संयोजन कार्यक्रम, अप्रेंटिसशिप योजना और स्किल काउंसिल की स्थापना प्रमुख हैं। इन पहलों के माध्यम से उद्योगों को सीधे व्यावसायिक शिक्षा प्रक्रिया में शामिल किया जाता है – वे पाठ्यक्रम निर्माण में सहयोग देते हैं, प्रैक्टिकल प्रशिक्षण के लिए इंटर्नशिप अवसर प्रदान करते हैं, और कई मामलों में अपने विशेषज्ञों को संस्थानों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भेजते हैं। कुछ प्रगतिशील कंपनियों ने तो अपने स्वयं के कौशल विकास केंद्र स्थापित कर लिए हैं जहां वे विशेष रूप से अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित करते हैं। इस संबंध का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उद्योग अब केवल कर्मचारियों की आपूर्ति के स्रोत के रूप में ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक शिक्षा के प्रायोजक और सहयोगी के रूप में भी उभरे हैं – वे संस्थानों को आधुनिक उपकरण दान करते हैं, प्रयोगशालाएं स्थापित करने में मदद करते हैं, और उत्कृष्ट छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करते हैं।

हालांकि, इस संबंध को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रमुख चुनौतियों में उद्योगों और शिक्षण संस्थानों के बीच संचार की कमी, छोटे और मध्यम उद्योगों की भागीदारी का अभाव, और पाठ्यक्रमों को तेजी से बदलती तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार ढालने में देरी शामिल हैं। इन चुनौतियों के समाधान के लिए आवश्यक है कि उद्योग और व्यावसायिक शिक्षा संस्थान एक सतत संवाद प्रक्रिया स्थापित करें, जिसमें नियमित रूप से कार्यशालाएं, सेमिनार और संयुक्त शोध परियोजनाएं आयोजित की जाएं। साथ ही, सरकार को चाहिए कि वह छोटे और मध्यम उद्यमों को इस प्रक्रिया में शामिल करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दे, क्योंकि ये उद्यम समग्र रोजगार का एक बड़ा हिस्सा उत्पन्न करते हैं। भविष्य में, जैसे-जैसे भारत मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों को आगे बढ़ाएगा, वैसे-वैसे उद्योगों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच यह संबंध और भी अधिक मजबूत होगा, जो अंततः देश के युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करेगा और भारत को वैश्विक कौशल महाशक्ति बनाने में मदद करेगा।

निष्कर्ष

यह कहा जा सकता है कि व्यवसायिक शिक्षा न केवल रोजगार के अवसरों को बढ़ाती है, बल्कि व्यक्ति को समाज में सम्मानजनक स्थान भी दिलाती है। यह शिक्षा प्रणाली हमारे देश के युवाओं को आत्मनिर्भर, कुशल, और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि इसे समुचित रूप से लागू किया जाए और समाज में इसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाए, तो यह शिक्षा प्रणाली भारत को एक कुशल भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। भविष्य की आवश्यकता यह है कि व्यवसायिक शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए और इसे हर युवा तक पहुँचाया जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति केवल डिग्री के भरोसे बेरोजगारी की स्थिति में न रहे, बल्कि अपने कौशल के बल पर जीवन को सशक्त और सफल बना सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, महत्व व चुनौतियाँ, दृष्टि द विजन

अजय कुरियन और सुदीप बी चंद्रमना, साइटेट इन सिंह, बिरेंद्र एवं देवी, कुकन (2022), उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि, इण्टरेनशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एण्ड एनॉलिटिकल रिव्यूस, वॉ0 9, इश्शू-1, पृ0 17-20

कुमार, प्रकाशः 21वीं सदी की मांग पूरी करेगी नई शिक्षा नीति आउटलुक हिंदी, 24 अगस्त 2020।

कुरैन, अजय, चन्द्रमना, बी, सुदीप (दिसंबर 2020). इंपैक्ट आफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑन हायर एजुकेशन

सिंह, रेनू एव ं सिंह, नागेन्द्र कुमार (2023). राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल विकास, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी-2020: इम्पालबिल्टी एण्ड एसेसबिल्टी, प्रयागराजः चन्द्रा ब्रदर्स।

मिश्र, आलोक कुमार (2023). मनुस्मृति में निहित आत्मनिर्भरता एवं स्वावलम्बन शिक्षा का नयी शिक्षा नीति-2020 में समालोचनात्मक अध्ययन, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी-2020: इम्पालबिल्टी एण्ड एसेसबिल्टी, प्रयागराजः चन्द्रा ब्रदर्स।

भोटिया जनजाति में सामाजिक आर्थिक गतिशीलता से उत्पन्न चुनौतियां

डॉ० अनीता बिष्ट

शोध निर्देशिका, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय, दोषापानी, नैनीताल

श्री नरेश सिंह ग्वाल

शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग, पं० ब०द० पाण्डे पिरसर, बागेश्वर, उत्तराखण्ड

प्रस्तावना-

विश्व के 60 से अधिक देशों में लगभग 150 मिलियन जनजातीयाँ निवास करती हैं जिनमें से संभवत: सबसे बड़ी संख्या भारत में निवास करती है। देश के 30 राज्यों तथा सघं शासित क्षेत्रों में कुल मिलाकर ऐसे 705 जातीय समूह इत्यादि हैं, जिन्हें अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, उनकी कुल आबादी 10.43 करोड़ की है तथा वे देश की कुल आबादी के 8.60 प्रतिशत भाग का गठन करते हैं। कुल जनजातीय आबादी में से 5.24 करोड़ पुरुष हैं तथा 5.19 करोड़ महिलाएं। इसी प्रकार से जनजातीय लोगों का सबसे बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, जबकि कुछ (अर्थात् 10 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों में भी निवास करते हैं। जहां वर्ष 2001-2011 के दशक के दौरान आबादी की कुल वृद्धि 17.64 प्रतिशत की रही थी, वहीं अनुसूचित जनजातियों के मामले में यह दर 23.70 की थी। ऐसा कहा जाता है कि भारत पूरे विश्व की जनजातीय आबादी के आधे से भी अधिक भाग का घर है।

अनुसूचित जनजातियों के अनुपात के मामले में शीर्ष पर आने वाले पांच राज्य/सघं शासित प्रदेश हैं: लक्षद्वीप (94.80%), मिजोरम (94.40%), नगालैंड (8650%), मेघालय (86.10%), तथा अरुणाचल प्रदेश (68.80%)। इसी प्रकार, सबसे निचले स्तर पर आने वाले पांच राज्य/सघं शासित प्रदेश हैं: उत्तर प्रदेश (0.60%), तमिलनाडु (1.10%), बिहार (1.30%), करेल (1.50%), तथा उत्तराखंड (2.90%)।[1]

जनजातियां अपने लोकरंगो, लोकपरंपराओ, रीति-रिवाजो, प्रथाओं व अपने अधिवासों के लिये प्रसिद्ध हैं। यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हैं और इनके अपने निश्चित क्षेत्र व बोली भाषायें हैं।

भारतीय संस्कृति में जनजातियों का अपना विशेष महत्व रहा है। जनजाति समाज अपने आदिम लक्षणों, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक पृथककरण, समाज के बड़े भाग से सम्पर्क में संकोच तथा पिछड़ेपन के लिये जाने जाते है। उत्तराखण्ड में मुख्यत: पांच जनजातियाँ (जौनसारी, थारू, बोक्सा, राजी एवं भोटिया) पाई जाती हैं। जिनमें जौनसारी जनजाति देहरादून के चकराता, त्यूनी, कालसी, लाखामण्डल क्षेत्र, उत्तरकाशी के परग क्षेत्र तथा टिहरी के जौनपुर क्षेत्र मे ं निवास करती है। थारू जनजाति उधमसिहं नगर जिले के खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता और सितारगंज क्षेत्र में निवास करती है। बोक्सा जनजाति उधमसिहं नगर जिले के बाजपुर, गदरपुर तथा काशीपुर, नैनीताल जिले के रामनगर एवं पौड़ी जिले के कोटद्वार क्षेत्र में निवास करती है। राजी जनजाति के पिथौरागढ़ जिले के धारचुला, डीडीहाट विकासखण्ड में निवास करती हैं।

भोटिया जनजाति पिथौरागढ़ (दारमा, ब्यास एवं चौदास घाटी), उत्तरकाशी (हरसिल एवं डुंण्डा) एवं चमोली (नीति एवं माणा घाटी) में निवास करती हैं। पिथौरागढ़ जनपद के भोटिया जनजाति को 'रं' (शौका) के नाम से जाना जाता है।

जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला विकासखण्ड में निवास करने वाली भोटिया (२) जनजाति के सामने अनेक समस्यायें हैं। एक तरफ सामाजिक गतिशीलता तथा विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का सवाल है तो दूसरी तरफ अपनी संस्कृति के विघटन की चुनौतियां है। समस्यायें जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ी हुई है। उनके जीवन का आधार समस्या से आरम्भ होता है। घुमक्कड़शील प्रवृत्ति में उनके सामने जीवन को स्थायी बनाकर संस्कृति को सहजकर रखने की समस्या थी किन्तु जैसे ही उन्होंने स्थायी जीवन को अपनाया बाहरी लोगों का उनके क्षेत्र में आना-जाना शुरू हुआ, वैसे ही संस्कृति का क्षरण आरम्भ होता है।

"सामाजिक चुनौतियां "

1. पारिवारिक विघटन की चुनौतीं -

पहले भोटिया (२) जनजाति परिवार संयुक्त होते थे। कृषि व अन्य कार्यों को मिलजुलकर करते थे। फलतः उनमें परस्पर स्नेह, सहयोग की भावना पायी जाती थी परन्तु वर्तमान समय में भोटिया जनजाति बाहरी लोगों के सम्पर्क के कारण नगरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। शिक्षा प्राप्त करके भोटिया जनजाति रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ मुख करते हैं। वे न केवल स्वयं जाते हैं अपितु अपने बीवी बच्चों को भी साथ ले जाते हैं। जिसका कुप्रभाव ग्रामीण समाज के पारिवारिक जीवन पर पड़ रहा है,[2] क्योंकि संयुक्त परिवार विघटित होते जा रहे हैं। इसलिए सहयोग, स्नेह का ह्रास भी चरम सीमा पर है।

2. अत्यधिक मदिरा पान की चुनौतीं -

जनपद पिथौरागढ़ के भोटिया जनजाति अत्यधिक मदिरा पान करने के लिए जाने जाते हैं। बाह्य लोगों के सम्पर्क में आने तथा सरकार द्वारा वनों पर अधिकार करने से पहले भोटिया जनजाति स्वयं ही दारू बनाकर पीते थे। यह दारू घरेलू नुस्खों, जडी बूटी से तैयार की जाती थी, जो उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती थी तथा मलेरिया से लड़ने की जन्मजात क्षमता मिलती थी किन्तु सरकार द्वारा कच्ची शराब पर प्रतिबन्ध लगाने व सरकारी ठेके खोलने के कारण अब वे अपनी आय का बहुत बडा भाग शराब पर व्यय करते हैं। दूसरी तरफ शराब पीने की प्रवृत्ति उन्हें कामचोर व आलसी बनाती है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।द्य

3. मद्यपान की समस्या -

दारू के साथ-साथ भोटिया जनजाति अनेक प्रकार के नशीले पदार्थ जैसे-बीड़ी, सिगरेट, गुटका, कुबेर आदि का सेवन बड़ी मात्रा में करते हैं। नशे की लत उन्हें आलसी व कमचोर बनाती है जिससे कृषि व अन्य घरेलू कार्यों को करने की प्रवृत्ति घटी है। वहीं मद्यपान पर व्यय बढ़ने से उनकी आय में कमी आई है। फलतः वे अपना सामाजिक स्तर उठाने में असमर्थ है।

4. स्वास्थ्य सम्बन्धी चुनौतियां -

भोटिया जनजाति की प्रमुख समस्याओं में स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या प्रमुख है। आज भी भोटिया जनजाति अपने इलाज के लिए भर्रा के जादू टोने पर निर्भर हैं। गम्भीर बीमारी में सही इलाज न मिल पाने के कारण भोटिया महिला पुरूषों की असमय मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण भोटिया जनजाति क्षेत्र की मृत्यु दर बढ़ी हुई। दूसरा, भोटिया जनजाति अत्यधिक मद्यपान व मदिरा का सेवन करते हैं। जिसका उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति कमजोर हो जाता है। उम्र से पहले वृद्ध दिखने लगता है। फलतः असमय मृत्यु का होना एक गम्भीर समस्या बनी हुई है।[4] इस प्रकार भोटिया जनजाति का अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक न होना उनकी प्रमुख समस्या है।

5. शिक्षा सम्बन्धी चुनौतीं क्र

भोटिया जनजाति का अशिक्षित होना एक गम्भीर समस्या है क्योंकि शिक्षा के अभाव में सभ्य समाज का मुख्य धारा से जुड़ पाना असम्भव है। चूँकि भोटिया जनजाति में शिक्षा का प्रसार बहुत कम है। अधिकांश थारू परिवार प्राथमिक शिक्षा के बाद माध्यमिक या उच्चतम शिक्षा नहीं दिलाते क्योंकि उनका मानना है कि शिक्षा दिलाने के बाद भी उन्हें खेती व मजदूरी करनी है। इसलिए शिक्षा दिलाने के स्थान पर पहले से ही घरेलू कार्यों में प्रशिक्षित कर दिया जाये।

दूसरा, अधिकतर भोटिया जनजाति गाँवों में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं। फलतः भोटिया दूर व आवागमन के साधन के अभाव में अपने बच्चों में गाँव से बाहर दूसरे गाँव में शिक्षा प्राप्त करने नहीं भेजते।[5]

भोटिया जनजातियों की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। जहाँ पब्लिक स्कूलों की व्यवस्था नहीं है। जबकि आज अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई को ज्यादा महत्त्व दिया जा रहा है। फलतः भोटिया लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में असफल हैं।

पुरूषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम है। उन्हें पढ़ाने की अपेक्षा घर के काम-काज में निपुण बनाया जाता है। फलतः स्त्रियों की स्थिति गिरावट के स्तर पर है। इस प्रकार अनेक सामाजिक समस्यायें हैं जिनके कारण भोटिया जनजाति का सामाजिक स्तर गिरा हुआ है।

आर्थिक चुनौतियां

किसी भी समाज का अस्तित्व आर्थिक विकास पर टिका हुआ है, जबकि भोटिया जनजाति का जीवन घोर आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ है क्योंकि अतीत में भोटिया जनजाति का जीवन कन्दमूल शिकार पर केन्द्रित था।[6] उनकी व्यक्तिगत इच्छा कुछ नहीं थी किन्तु जैसे-जैसे स्थायी जीवन का विकास हुआ, खेती उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ बन गई। वैसे ही उनकी विभिन्न आवश्यकताओं का जन्म

हुआ। हालाँकि अभी तक अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वे स्वयं पर निर्भर थे। गाँव के लोग आपस में वस्तु विनिमय करके अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेते थे, किन्तु जैसे-जैसे भोटिया जनजाति के लोगों में बाहरी लोगों का आगमन हुआ, सरकार ने वनों पर अपना अधिकार किया, वैसे ही बड़े-बड़े भूस्वामी छोटे-छोटे किसानों में परिवर्तित होने आरम्भ हुए, जिससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक समस्यायें पैदा हुई जैसे -

जंगलों की कमी -

चूँकि भोटिया जनजाति का अस्तित्व जंगलों पर निर्भर रहा है इसलिए भोटिया जनजाति की अर्थव्यवस्था व जंगलों में घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। चूँकि भोटिया जनजाति माँस के लिए जंगल में शिकार करते थे। जंगल से वे फल, कन्दमूल, शहद एकत्रित करते थे। यह सब उन्हे बिना व्यय के प्राप्त होता है, किन्तु सरकार का वनों पर अधिकार होने तथा जंगली शिकार पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण उन्हें शिकार करके माँस प्राप्त करने की समस्या उत्पन्न हुई। दूसरी तरफ जंगली वनों के दोहन पर प्रतिबंध लगने के कारण लकड़ी, फल, फूल प्राप्त करने की समस्या उत्पन्न हुई। इन चीजों को खरीदने पर भी उन्हें धन व्यय करना होता है। इसलिए उनके आर्थिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो वस्तु उन्हें मुफ्त में मिलती थी उसके लिए अब वे धन खर्च करते हैं। अत: जंगलों की कमी उनकी अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या है।[7] जो दिन-पर-दिन बढ़ती ही जा रही है।

पशुपालन की समस्या -

आधुनिक सभ्यता के आरम्भ में थारू कृषि के साथ पशुपालन को मुख्य व्यवसाय के रूप में अपनाते थे क्योंकि उन्हें चराने के लिए विस्तृत जंगल उपलब्ध थे। एक-एक भोटिया जनजाति कई-कई सौ गाय-भैस पालता था किन्तु जंगलों पर सरकार का अधिकार होने से पशु चारण पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। फलत: विस्तृत चारागाह उपलब्ध न होने पर भोटिया जनजाति के पशुपालन में कमी आई।[8] जिसका प्रतिकूल प्रभाव भोटिया जनजाति की अर्थव्यवस्था पर पड़ा क्योंकि जो धन उन्हें पशुपालन से प्राप्त होता था वो प्राप्त न होने से उनकी आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

कुटीर उद्योग धन्धों का पतन -

आरम्भ में भोटिया जनजाति दिन-प्रतिदिन के प्रयोग की वस्तुयें जैसे- रस्सी, चटाई, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, हाथ के पंखे, कृषि यन्त्र आदि स्वयं बनाते थे किन्तु जंगलों पर सरकारी नियन्त्रण स्थापित होने के कारण कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता जिससे भोटिया जनजाति लोग स्वयं बनाने की अपेक्षा खरीदना बेहतर समझते हैं। जिससे उनका परम्परागत कुटीर उद्योग पतन के स्तर पर है।[9]

भूमि का हस्तान्तरण -

चूँकि तराई के जंगल में भोटिया जनजाति आदिकाल से विद्यमान हैं। स्थायी जीवन को जीने के साथ ही जंगलों को साफ करके बड़-बड़े फार्म खेती योग्य बनाये। उत्तराधिकार के कारण इनके टुकड़े अवश्य हुए किन्तु भूमि हस्तान्तरण न के बराबर था। स्वतन्त्रता के बाद इस क्षेत्र में बाहरी जैसे पंजाबी, बंगाली, शाहूकार आदि लोग आकर बसे तथा सरकार ने वनों जानवरों के संरक्षण के लिए इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। भोटिया जनजाति लोग अपनी गरीबी के कारण अपनी जमीन को शहूकारों के पास गिरवी रख देते थे तथा पैसा न चुकाने के कारण भोटिया जनजाति की जमीन इन शाहूकारों के पास हस्तान्तरित हो गयी और भोटिया जनजाति भूस्वामी के स्थान पर भूमिहीन कृषक हो गयें।[10]

इस प्रकार भूमि का हस्तान्तरण भी भोटिया जनजाति के लिए एक प्रमुख समस्या बनी हुई है, लेकिन उल्लेखनीय है कि भोटिया जनजाति को जमीन 99 साल के लिए पट्टे पर मिली है। जिसे वे बेच नहीं सकते किन्तु एक समय तक गिरवी रख सकते हैं।

ऋणग्रस्तता-

भूमि हस्तान्तरण गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, मद्यपान ने भोटिया जनजाति में ऋणग्रस्तता को जन्म दिया। चूँकि भोटिया जनजाति अत्यधिक मद्यपान के कारण आलस्य प्रवृत्ति के हैं।[11] जिससे खेती व अन्य कार्यों को समय पर कार्य नहीं कर पाते। अच्छी फसल न होने के कारण गरीबी की दल-दल में फंस जाते हैं। जिससे निकलने के लिए वे जमीनदारों से ऋण ले लेते हैं। महंगाई के कारण उनकी आय का अधिकांश भाग जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यय हो जाता है। अपनी आय में से वे इतना नहीं बचा पाते कि वे ऋण उतार सकें। कभी-कभी तो ऋणग्रस्तता उन्हें वंशानुक्रम में मिलती है और इसे उतारने के लिए उन्हें अपनी जमीन जायदाद भी बेचनी पड़ती है। कर्ज चुकाने के चक्कर मे परिवार के अन्य सदस्य भी ऋण लेते हैं। ऋण न चुकाने के कारण कभी-कभी तो ये अपने आप को शाहूकार के यहाँ गिरवी रख देते हैं । फलत: जिन्दगी भर गरीबी, ऋणग्रस्तता की दलदल से निकल नहीं पाते।

निष्कर्ष-

अतीत में भोटिया जनजाति की हमारे सभ्य समाज से भिन्न अतोत का संरक्षण करने वाली संस्कृति थी। किन्तु आवागमन के कारण बाहरी लोगों का संचार होने से आधुनिक प्रगति का प्रभाव न केवल भोटिया जनजाति के सामाजिक, आर्थिक जीवन पर पड़ा अपितु संस्कृति का क्षरण भी आरम्भ हुआ।

संदर्भ

1. आहूजा, राम (2019), 'सामाजिक समस्याए', तृतीय सस्ं करण, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृ० 149।
2. दास शिवतोष, 1983, भारत की जनजातियाँ, किताब घर दिल्ली, पृ0 53।
3. हसन, अमीर, 1989, उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ, अनुवादक, डॉ. कृष्ण मोहन सक्सेना, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र इलाहाबाद, पृ0 78।
4. तिवारी शिवकुमार, 1992, भारत की जनजातियाँ, नार्दर्न बुक सेन्टर, नई दिल्ली, पृ0 23।
5. हसनैन, नदीम 2013, जनजातीय भारत, जवाहर पब्लिशर्स ऐडं डिस्ट्रीब्यूर्स नई दिल्ली, पृ0 54।
6. शर्मा, विजय प्रकाश एवं उपाध्याय, विजय शंकर, 1995, भारत की जनजातीय संस्कृति, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पृ0 74।
7. लवानिया, एम.ए. एवं जैन, शशि, 1988, भारत में जनजातियों का समाजशास्त्र, रिसर्च पब्लिकेशन्स त्रिपोलिया जयपुर, पृ0 34।
8. मीणा, हरिराम, 2016, आदिवासी दुनिया, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, पृ0 6।
9. जोशी, डॉ. प्रयाग दत्त, 1961, हिमालय दर्शन संपादक योगेश चन्द्र बहुगुणा, शिवानंदनगर टिहरी, पृ0 96।
10. बिष्ट, हरिसुमन, 2014, उत्तराखण्ड की लोक कथाएं, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, पृ0 87।
11. मजूमदार, डी.एन., भारद्वाज, गोपाल, दसवाँ संस्करण, 1998, सामाजिक मानवशास्त्र परिचय, मयूर पेपर बैक्स, पृ0 63।

नारी शिक्षा और आर्थिक प्रगति (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ मे)

आरती राय

शोध छात्रा - शिक्षाशास्त्र विभाग, भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान, भारत

डॉ० पी० पी० गोस्वामी

भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान, भारत

प्रस्तावना-

हमारे देश में नारी शिक्षा का महत्व प्राचीनकाल से ही समझा जाता रहा है। जहाँ धर्म, नीतिशास्त्र, अचारशास्त्र या सामाजिक सभ्यता और राजनीति आदि स्तरों पर हमारी नारियों ने जो काम किया है उनको देखते हुए हम यह सोच सकते हैं वर्तमान युग में भी नये आर्थिक संदर्भो में उनका योगदान देश के सर्वांगिण विकास में बहुमूल्य होगा।

क्योंकि हमारा यह अध्याय विशिष्टत: देश के आर्थिक विकास की गति से सम्बद्ध है और यह अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। इसलिए हम अर्थशास्त्र की पद्धतियों को जहाँ तक संभव होगा सरल बनाकर अपने विशेष संदर्भ में देने की चेष्टा करेंगे।[1]

नारी शिक्षा और आर्थिक प्रगति-

शिक्षा और आर्थिक विकास में वस्त्र और धागो का संबंध है। इसमें नर और नारी का भेद नहीं है। शिक्षा जितनी पुरुष के लिए आवश्यक है उतनी ही बल्कि उससे कुछ अधिक नारियों के लिए आवश्यक है। क्योंकि, बालक को पहली पाठशाला मां की गोद ही है। ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले जिस बात को देखना है हमारी जो पारम्परिक मानसिक प्रणाली है, जिसमें पुरुष और नारी के भेद को हमारी सभ्यता में अनावश्यक सीमा तक महत्व दे दिया गया है। इसमें एक ओर तो पुरुष की प्रधानता के विचारों ने और दूसरी ओर औरत की पारिवारिक उत्तरदायित्व ने इसमें योगदान किया है। दूसरी एक समस्या, रीति और रिवाज के कारण यह उठी कि लड़कियों के विवाह पर मां-बाप का तिलक दहेज के रूप में इतना धन लग जाता है कि नारी शिक्षा पर खर्च की जाने वाली रकम खलने लगती है। इस कारण भारत में नारी शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जा सकता था जितना ध्यान देना चाहिए था।

जब नये आर्थिक विचारों ने मानव धन की बात उठायी तो उसमें मानव में पुरुष और नारी को अलग-अलग नहीं माना गया। नारियां भी वैसी ही मानव-धन हैं जैसे पुरुष। इसलिए नये आर्थिक संदर्भ में हमें अपने पारम्परिक और रिवाजों और आदतों को बदलना होगा और अपनी सामाजिक अवधारणा को भी बदलना होगा। यह पहला कदम नारी शिक्षा की ओर होगा जो हमें बहुत सी सामाजिक समस्याओं और कुप्रथाओं से रक्षा करेगा। तभी हम नारियों को भी मानव धन के रूप में स्वीकार कर सकेंगे और जिस प्रकार पुरुष शिक्षा हमारे आर्थिक विकास में सहायक होती है उसी प्रकार नारी शिक्षा भी आर्थिक विकास के लिए सक्षम हो सकेगी। जैसे एक महिला का शिक्षित होना पूरे परिवार का शिक्षित होना और परिवार की आर्थिक योजना विकासशीलता की ओर अग्रसर हो सकती है।

एक पुरुष का शिक्षित होना मात्र एक व्यक्ति का शिक्षित होना है। इस संबंध में जैसे कि वर्तमान शिक्षा - शास्त्रियों का विचार है, इनमें से मानव धन की बात करते हुए पुरुष और नारी में भेद नहीं किया है वे पुरुष और नारी दोनों को समान मूल्य देते हैं।[2] उनके अनुसार शिक्षा तथा आर्थिक विकास में घनिष्ठ संबंध है। प्राचीन काल से ही शिक्षा और आर्थिक विकास में गहरा संबंध रहता आया है। अर्थशास्त्र पूरे मानव कल्याण की बात करता है इस हालत में उससे शिक्षा अलग नहीं रह सकती है। किसी भी देश को आर्थिक क्षेत्र में विकास करने की प्रक्रिया में शिक्षा को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। जिस समाज तथा समुदाय में शिक्षा की सुव्यवस्था है वह शीघ्र ही आर्थिक उन्नति कर लेता है। इस प्रकार जिस समाज की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है वहां शिक्षा की उन्नतिशील व्यवस्था पायी जाती है। शिक्षा तथा आर्थिक प्रगति एक दूसरे पर निर्भर करती है। इन दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है।[3]

जिस प्रकार से आर्थिक साधनों के द्वारा मनुष्य अपना चतुर्दिक विकास करता है, उसी प्रकार से उन्नत शिक्षा के द्वारा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा व्यक्ति भी समाज तथा राष्ट्र को समुन्नत बनाता है। शिक्षाशास्त्र भी मानव कल्याण हेतु कार्य करता है। दोनों एक-दूसरे को आगे बढ़ाने में काफी सहयोग प्रदान करते हैं।

शिक्षा के क्रम में विद्यालयों की स्थापना, शिक्षकों के वेतन प्रयोगशाला, पुस्तकालय, भवन, परीक्षा व्यय आदि के लिए भी भारी मात्रा में धन की आवश्यकता पड़ती है। देश की आर्थिक स्थिति तथा प्रगति का स्पष्ट प्रभाव, विद्यालय भवन, खेल के मैदान, पाठ्यक्रम, शिक्षा, उपकरण तथा शिक्षकों के वेतन आदि पर पड़ता है। यदि देश की आर्थिक व्यवस्था कृषि प्रधान है, इसकी स्पष्ट छाप शिक्षा के पाठ्यक्रम पर दिखाई देगी। उद्योग-प्रधान अर्थ व्यवस्था के अंतर्गत पाठ्यक्रम स्पष्ट रूप से कृषि प्रधान व्यवस्था से भिन्न होंगे। क्योंकि, कृषि के क्षेत्र में सभी प्रकार के व्यक्तियों से काम चल जायेगा, किन्तु समुचित प्रशिक्षित व्यक्तियों के अभाव में औद्योगिक उन्नति कदापि संभव नहीं है। शिक्षा श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि कर उत्पादन के मानव साधनों का विकास करती है। मानव साधनों का विकास, राष्ट्रीय आय में वृद्धि का परिणाम होता है।

वर्तमान अर्थशास्त्री शिक्षा व्यय को भी सामान्य पूंजीगत विनियोगों के समान ही विनियोग मानते है, जिसका स्पष्ट प्रभाव उत्पादनशीलता पर पड़ता है। मिर्डल समस्त शिक्षा व्यय को मानव विनियोग मानते हैं न्यूमैन के अनुसार "शिक्षा व्यक्ति के सोचने-समझने तथा तर्क करने की शक्ति का विकास करती है।"[4] इन क्षमताओं का स्पष्ट प्रभाव व्यक्ति के कार्य करने के ढंग तथा उत्पादनशीलता पर पड़ता है। उत्पादनशीलता आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। शिक्षा प्रणाली का प्रमुख रूप दूषित अर्थ व्यवस्था होती है। यदि देश अर्थ व्यवस्था ठीक नही है तो असमानताएँ, शोषण, छुआछुत तथा अनिश्चित अर्थ व्यवस्था शिक्षा प्रणाली की प्रगति में बाधक होती है। शिक्षा हमारे दृष्टिकोण तथा चिंतन को नई दिशा प्रदान करती है। इससे पूंजी निर्माण के संबंध में हमारी धारणा बदल जाती है। आर्थिक विकास के रूप में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। आज के भौतिकवादी युग में शिक्षा आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन है ऐसा हमें अधिकतर देखने को मिलता है कि जिस देश की आर्थिक व्यवस्था सम्पन्न हैं वहां की शैक्षिक व्यवस्था को काफी उन्नतिशील है। दुनिया में जितने भी विकासशील देश है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जापान एवं फ्रांस इसके उदाहरण है। प्रत्येक देश की आर्थिक परिस्थितियों का वहां की शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को, के. कस्तूरीरंगन समिति द्वारा भारत भर में शैक्षिक परिदृश्य को बढ़ाने वाले विभिन्न मुद्दों से निपटने और महिला निरक्षरता की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए तैयार किया गया है। नीति में सभी के लिए समान और समावेशी शिक्षा की कल्पना की गई है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के बच्चों और युवाओं, विशेषकर लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। हाल ही में सामने आई इस नीति से महिला शिक्षा में एक नए युग की शुरुआत होने की उम्मीद है। यह नीति प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक रूपरेखा है यह बताया गया है कि नीति में लैंगिक मुद्दों पर ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है, फिर भी नीति में किए गए कुछ प्रस्तावों से इस निराशाजनक परिदृश्य में उल्लेखनीय बदलाव आने की उम्मीद की जा सकती है।[5]

एनईपी 2020 में सभी लड़कियों के लिए समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करने के लिए एक जेंडर इंक्लूजन फंड (जीआईएफ) स्थापित करने का प्रावधान है। एनईपी में कहा गया है कि "जेंडर इंक्लूजन फंड" राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए उपलब्ध होगा, जो महिलाएँ शिक्षा तक पहुँच प्राप्त करने में सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण हैं (जैसे कि स्वच्छता और शौचालय, साइकिल, सशर्त नकद हस्तांतरण आदि के प्रावधान)। नीति में आगे कहा गया है, "यह फंड राज्यों को प्रभावी समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों का समर्थन और विस्तार करने में सक्षम करेगा जो महिला शिक्षा तक पहुँच और भागीदारी में स्थानीय संदर्भ-विशिष्ट बाधाओं को संबोधित करते हैं"। इस फंड का इस्तेमाल सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और सुविधाओं, सुरक्षित और स्वच्छ शौचालयों को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। शौचालयों के अलावा, एनईपी द्वारा छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा की भी सिफारिश की गई है। यह कोष स्कूली शिक्षा में लड़कियों का 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने और उच्च शिक्षा में रिकॉर्ड भागीदारी दर सुनिश्चित करने, सभी स्तरों पर लैंगिक अंतर को कम करने, समाज में लैंगिक समानता और समावेशन को बढ़ावा देने तथा सकारात्मक नागरिक संवाद के माध्यम से लड़कियों की नेतृत्व क्षमता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

एनईपी 2020 में माना गया है कि सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) में शामिल सभी समूहों में महिला सबसे अधिक प्रभावित लोग हैं। सामुदायिक भागीदारी को शामिल करने और इन कमजोर छात्रों के लिए सुरक्षा जाल बनाने के लिए स्कूलों में साइकिल देने, साइकिल चलाने वाले समूह बनाने और पैदल चलने वाले समूह बनाने की योजनाएँ लागू करने की योजना है। नीति में लैंगिक रूढ़िवादिता और रीति-रिवाजों और मान्यताओं जैसे विशिष्ट सामाजिक कारणों का पता लगाने का प्रस्ताव है, जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा सहित उनके साथ किए जाने वाले असमान व्यवहार को कायम रखा है।

नीति में एक और उल्लेखनीय प्रस्ताव यह है कि संस्थान के प्रमुख पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाए, जिसमें प्रिंसिपल, शिक्षक, वार्डन, शारीरिक प्रशिक्षक और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। इससे महत्वपूर्ण पदों पर बैठी महिलाओं को महिलाओं से जुड़े मुद्दों

से निपटने और समानता के सिद्धांत पर आधारित माहौल बनाने में मदद मिलेगी। एनईपी 2020 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की भर्ती में लैंगिक असमानता के मुद्दे को संबोधित करना है। शिक्षकों के बीच लैंगिक असंतुलन को कम करने के लिए (विशेष रूप से कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में), शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों तरह की योग्यता और योग्यता से समझौता किए बिना महिला शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकल्पिक रास्ते पेश किए जाएंगे। नीति में शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं जैसे सुविधा प्रदाताओं के लिए छात्राओं के परिवारों को परामर्श देने के लिए उचित प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। परिवारों को उचित परामर्श प्रदान करना लड़कियों के लिए शिक्षा में समान अवसर और स्थान की सुविधा के लिए अनिवार्य माना जाता है क्योंकि हमारे समाज में अक्सर लड़कियों की तुलना में लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है और लड़कियों को स्कूल न भेजने के लिए बेबुनियाद बहाने भी बनाए जाते हैं।

एनईपी 2020 में स्कूल जाने वाली लड़कियों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, चाहे वे कैंपस के अंदर हों या बाहर। स्कूलों को महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न, भेदभाव और वर्चस्व से मुक्त माहौल सुनिश्चित करना होगा, ताकि वे वैधानिक निकायों से नियमित मान्यता प्राप्त कर सकें। नीति में सामाजिक रीति-रिवाजों और लैंगिक रूढ़ियों की पहचान की जाएगी, जो लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने से रोकती हैं और नियमित रूप से पढ़ाई छोड़ने का कारण बनती हैं। शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्थानीय सामाजिक उद्यमियों को लड़कियों के परिवारों को उचित परामर्श देने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। सभी शैक्षणिक संस्थानों को लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बाध्य किया जाएगा, ताकि रूढ़िबद्ध लैंगिक भूमिकाओं को तोड़ा जा सके, उत्पीड़न-मुक्त वातावरण और लिंगों के समान व्यवहार के महत्व पर और बाल विवाह निषेध अधिनियम, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), मातृत्व लाभ अधिनियम और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम सहित लड़कियों और महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा और अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों और शैक्षिक प्रशासकों को लिंग-संवेदनशील और समावेशी कक्षा प्रबंधन के बारे में जागरूक करना होगा।[6]

एनईपी 2020 में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लैंगिक अंतर को दूर करने की दिशा में बदलाव किए जाने की उम्मीद है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय के बीच उचित जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। जब तक समाज को लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने से वंचित करने की बुराइयों के बारे में जागरूक नहीं किया जाता, तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद लड़कियां अभी भी अत्याचारी ताकतों के सामने असुरक्षित हैं। छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और कानूनी साक्षरता को अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। केवल लिंग-संवेदनशील शैक्षिक पाठ्यक्रम ही शिक्षा प्रणाली और समाज के भीतर लैंगिक पूर्वाग्रह और भेदभाव को उलट सकता है। प्रगतिशील विचारों और सामग्री से सुसज्जित पाठ्यक्रम समाज से रूढ़िवादिता और लैंगिक रूढ़िवादिता को दूर करने में बहुत मदद करेगा। मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता पर निर्देश के साथ यौन शिक्षा के घटक को पाठ्यक्रम में सावधानीपूर्वक शामिल करने की आवश्यकता है। नीति में शामिल कौशल संवर्धन पाठ्यक्रमों से समाज के सभी वर्गों की लड़कियों को भी लाभ मिलना चाहिए ताकि उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में जाने के लिए प्रेरित किया जा सके और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया जा सके।

निष्कर्ष-

अत: उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि स्त्री शिक्षा समाज और देश के लिए अत्यंत आवश्यक है यदि महिलाएं सही रूप से शिक्षित होंगी तो नि:संदेह वह अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो पाएंगीऔर अपने कर्तव्यों का सही रूप से निर्वाह कर पाएंगी । हमारे राष्ट्र की शिक्षा नीतियों में स्त्री शिक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी महिला को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने हेतु शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है कि जो योजना बनाई गई है वह धरातल पर सही रूप से क्रियान्वित हो तभी हमारे समाज की महिला शिक्षित हो पाएंगी और आशानुरूप नई शिक्षा नीति 2020 हमारी आकांक्षा पर खरी उतरे।

संदर्भ

1. कणे,पी०बी०ध्धर्मशास्त्र का इतिहास, हिन्दी समिति विभाग, लखनऊ-1956।
2. सहाय शिवस्वरूप हिन्दू सामाजिक संस्थाएँ, इलाहाबाद- 1964।
3. जे०डी० गोल्डरू इक्नामिक ग्रोथे इन हिस्ट्री मैंक्यु एण्ड को०ली० लंदन, 1972।
4. अग्रवाल,बी० एस० इण्डिया एज वोन टू पाविनी, लखनऊ, विश्वविद्यालय- 1953।
5. सुमंत राजबंशी, भारत में महिला शिक्षा के प्रगतिशील विकास के लिए एनईपी- 2020 प्रकाशित तिथि: 08 अक्टूबर 2022,।
6. सुमंत राजबंशी, भारत में महिला शिक्षा के प्रगतिशील विकास के लिए एनईपी- 2020 प्रकाशित तिथि: 08 अक्टूबर 2022।

वर्तमान में राष्ट्र निर्माण में भारत सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं: गाँधीवाद के संदर्भ में

डॉ० दीपक सिंह

(पूर्व) शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, राजस्थान

प्रस्तावना

गाँधीजी के विचारों के प्रभाव से भारतीय समाज में कई सकारात्मक बदलाव हुए हैं।[1] श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न कल्याण योजनाएं और अधिनियम लागू किए गए हैं, जिससे उन्हें बेहतर कामकाजी परिस्थितियां, निश्चित वेतन, छुट्टियाँ और चिकित्सा सुविधाएँ मिली हैं।[2] जाति व्यवस्था में बदलाव आया है, जिसमें पश्चिमी शिक्षा, औद्योगिकीकरण और महिलाओं की शिक्षा का योगदान महत्वपूर्ण है।

महिलाओं की स्थिति में भी सुधार हुआ है; उन्हें अब शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक चेतना का अधिक मौका मिल रहा है। आज महिलाएँ विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हैं और पारिवारिक मामलों में भी समान अधिकार चाहती हैं।

शिक्षा का प्रचार अंधविश्वासों को समाप्त करने में सहायक है और जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास भी जारी हैं। इसके साथ ही, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश नागरिकों को सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिक मूल्यों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। यह सभी बदलाव गांधीजी की विचारधारा से प्रेरित हैं और समाज के समग्र विकास की दिशा में महत्त्वपूर्ण हैं।

वर्तमान में भारत सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं -

भारत एक विकासशील देश है। अपने विकसित होने की राह पर उसे अभी कई मोर्चों पर काम करना बाकी है। देश में बड़े पैमाने पर लोग गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा बीते कुछ सालों में असमानता दर में भी एक वृद्धि देखने को मिली है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने कई लोक कल्याणकारी योजनाओं को चला रखा है, जिनका मकसद देश के भीतर व्याप्त समस्याओं को दूर करना है। इसी संदर्भ में आज हम भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही उन कुछ लोक कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करेगें -

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

इस योजना की शुरुआत 12 नवंबर 2020 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। इस योजना का उद्देश्य देश में रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना है, ताकि बढ़ती बेरोजगारी को दूर किया जा सके। कोरोना काल में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें उन प्रतिष्ठानों को सब्सिडी दी जाएगी, जो रोजगार के लिए नई भर्तियां करेंगे।[3]

प्रधानमंत्री कुसुम योजना

भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग कृषि पर आधारित है। ऐसे में इस योजना की शुरुआत किसानों को ध्यान में रखकर की गई है। इसके अंतर्गत किसानों को खेती की सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप प्रदान किए जाएंगे। भारत में बड़े पैमाने पर किसान सिंचाई के लिए डीजल और बिजली का सहारा लेते हैं। वहीं सोलर पंप के आने के बाद उनका ईंधन पर होने वाले खर्चे में बचत होगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

इसके अंतर्गत देश भर के गरीब नागरिकों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त प्रदान किए गए। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 जून 2020 को की गई थी। कोरोना महामारी के काल में कई लोगों को अन्न से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी समस्या को देखते हुए सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश भर के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को हर महीने 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त दिए गए।

प्रधानमंत्री हेल्थ आईडी कार्ड

इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 74 वें स्वतंत्रता दिवस पर की गई थी। पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड की कार्यप्रणाली बिल्कुल आधार कार्ड जैसी है। इसमें मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड दर्ज होगा। ऐसे में उसको किसी दूसरे कागज या रिकॉर्ड को अपने पास संभालकर रखने की जरूरत नहीं होगी। उसका सारा मेडिकल विवरण इसी कार्ड में स्टोर होगा।

आयुष्मान भारत योजना

इस स्कीम के अंतर्गत देश के गरीब नागरिकों को 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। ऐसे में गरीब लोगों को अस्पताल में इलाज कराने पर भारी भरकम खर्चे का वहन नहीं करना पड़ेगा।

प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना में देश का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के पूरा होने पर लाभार्थी को मासिक पेंशन मिलती है। इस योजना का मकसद लाभार्थी के भविष्य को सुरक्षित करना और उसको आत्मनिर्भर बनाना है।

अन्त्योदय अन्न योजना

इस योजना के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारक को प्रतिमाह 35 किलो राशन दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य देश भर के गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाना है। इस स्कीम का लाभ गरीब परिवार के साथ साथ दिव्यांगजन भी उठा सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत किसान की फसलों को बीमा कवर दिया जाता है। अक्सर देखने को मिलता है कि प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि सूखा, बाढ़, भारी बारिश आदि के कारण किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में उसको आर्थिक स्तर पर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनकी फसलों पर 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है। सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

इस योजना की शुरुआत देश के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, उनको सालाना सरकार 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देती है। ये राशि सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में किस्तों के रूप में ट्रांसफर की जाती है। राशि को 2 हजार रुपये की तीन किस्तों के माध्यम से लाभार्थी किसान के खाते में भेजा जाता है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

इस योजना का उद्देश्य देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस स्कीम के जरिए केंद्र सरकार बेरोजगार युवाओं को कम ब्याज दर पर व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन उपलब्ध कराती है।

इस प्रकार गांधीवादी सामाजिक आदर्शवाद में कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत वर्तमान संदर्भ में भारत सरकार के कार्यों एवं प्रयोगों में स्पष्टता से परिलक्षित होता है। प्रधानमंत्री का सामाजिक आदर्शवाद, जिसका अर्थ है "सबकी भलाई" या "सबका उत्थान", सभी लोगों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य पर केंद्रित है। उनका मानना है कि कल्याणकारी राज्य का आदर्श सभी क्षेत्रों - सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीति में सभी का कल्याण होना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और प्रेरणा, राष्ट्र निर्माण में गाँधीवाद की आर्थिक विचारधारा का वर्तमान लोक कल्याणकारी योजनाओं में रूपांतरण-

स्वदेशी/मेक इन इंडिया, राष्ट्रीयता की समझ और अवधारणा, योग, सामाजिक समरसता, हाशियाकृत समाज के उत्थान की चिंता, विश्वबंधुत्व आदि पर जोर के नजरिए से महात्मा गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी, दोनों के विचार समान कहे जा सकते हैं। स्वाभाविक रूप से इनके चिंतन को 'गांधी -मोदी मार्ग या गांधी-मोदी दर्शन की संज्ञा दी जा सकती है।

भारत के आधुनिक इतिहास में महात्मा गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों अलग-अलग युगों और विचारधाराओं द्वारा चिह्नित एवं प्रशंसित, चिरस्मरणीय, स्मारकीय दो महान हस्ताक्षर के रूप में खड़े हैं, फिर भी जनता को जगाने और सामाजिक उत्थान के अपने अविस्मरणीय साहसी प्रयासों की दृष्टि से एक साथ बंधे हुए हैं।

गांधी जी के अथक प्रयास, अकाट्य तर्क और अडिग संकल्प ने अहिंसक विरोध एवं प्रतिरोध की दुर्जेय-अपराजेय ऊर्जा का उपयोग किया और ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्यवाद की दमनकारी नीतियों एवं अत्याचारी शासन के विरूद्ध भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट किया। उनका प्रतीकात्मक नमक मार्च, नागरिक अवज्ञा की प्रभावशीलता का एक अचूक प्रमाण है, जिसने आम नागरिकों को अन्यायपूर्ण कानूनों का सामना करने के लिए सशक्त बनाया। इस प्रकार अपने अदम्य साहस और संकल्प से उन्होंने स्वतंत्रता के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को जन्म दिया।

इसके विपरीत, चुंबकीय आकर्षण से संपृक्त अनुपमेय करिश्माई व्यक्तित्व के धनी समकालीन भारतीय राजनीति के प्रखर और कुशल नेतृत्वकर्ता माननीय नरेंद्र मोदी ने आधुनिक भारत के अपने भव्य और महान दृष्टिकोण के आसपास लाखों-लाखों लोगों को एकत्र करने के लिए बहुत चतुराई और सूझबूझ से युगपरिवेश की अपेक्षाओं के अनुरूप तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का कौशलपूर्ण उपयोग किया।[4]

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के नैतिक उपयोग के लिए एक वैश्विक ढांचा तैयार करने की जोरदार वकालत की -

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के नैतिक उपयोग के लिए एक वैश्विक ढांचा तैयार करने की जोरदार वकालत की। उन्होंने कहा कि वैश्विक संस्थाओं के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक ढांचे और वैश्विक शासन के लिए वैश्विक दिशा-निर्देशों के महत्व को स्वीकार करने का समय आ गया है। आपस में जुड़ी दुनिया में सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ - विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा (डब्ल्यूटीएसए) 2024 का उद्घाटन किया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन किया और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक ढांचा स्थापित करने के महत्व को दोहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस विषय को भारत ने अपने जी-20 प्रेसीडेंसी के दौरान उठाया था और वैश्विक संस्थाओं से वैश्विक शासन के लिए इसके महत्व को पहचानने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, "वैश्विक संस्थाओं के लिए वैश्विक शासन के महत्व को स्वीकार करने का समय आ गया है।" वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के लिए 'क्या करें और क्या न करें' बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए, प्रधानमंत्री ने डिजिटल उपकरणों और अनुप्रयोगों की सीमाहीन प्रकृति पर प्रकाश डाला और साइबर खतरों से निपटने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक संस्थाओं द्वारा सामूहिक कार्रवाई का आग्रह किया। उन्होंने विमानन क्षेत्र के साथ समानताएं बताईं, जिसके पास पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित ढांचे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने डब्ल्यूटीएसए से एक सुरक्षित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र और दूरसंचार के लिए सुरक्षित चौनल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "एक-दूसरे से जुड़ी दुनिया में सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत का डेटा संरक्षण अधिनियम और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।" प्रधानमंत्री ने सभा के सदस्यों से ऐसे मानक बनाने का आग्रह किया जो समावेशी, सुरक्षित और भविष्य की चुनौतियों के अनुकूल हों, जिनमें नैतिक एआई और डेटा गोपनीयता मानक शामिल हों जो राष्ट्रों की विविधता का सम्मान करते हों।

प्रधानमंत्री ने मौजूदा तकनीकी क्रांति में मानव-केंद्रित आयाम की आवश्यकता पर जोर दिया और जिम्मेदार और टिकाऊ नवाचार का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज तय किए गए मानक भविष्य की दिशा तय करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुरक्षा, सम्मान और समानता के सिद्धांत हमारी चर्चाओं के केंद्र में होने चाहिए। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि कोई भी देश, कोई भी क्षेत्र और कोई भी समुदाय इस डिजिटल परिवर्तन में पीछे न छूट जाए और उन्होंने समावेशन के साथ संतुलित नवाचार की आवश्यकता को रेखांकित किया।

उन्होंने यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि भविष्य तकनीकी रूप से मजबूत होने के साथ-साथ नवाचार और समावेशन के साथ नैतिक रूप से भी मजबूत हो । भारत में डिजिटल के विकास के आधार प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत में डिजिटल विकास के चार प्रमुख आधार हैं, जिनमें सस्ता डिवाइस उपलब्ध कराना, देश के हर कोने में कनेक्टिविटी प्रदान करना, सस्ता डेटा और डिजिटल फर्स्ट को प्राथमिकता देना है। पिछले 10 साल में इन प्रमुख बिंदुओं पर अभूतपूर्व कार्य हुआ है।

निष्कर्ष-

इन कर्तव्यों में संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, सद्भाव को बढ़ावा देना, पर्यावरण की रक्षा करना तथा सहिष्णुता और सांप्रदायिक सद्भाव के मूल्यों को बनाए रखना शामिल है। संवैधानिक मूल्यों और मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य एक साथ मिलकर एक सुसंगठित समाज का निर्माण करना है, जिसमें व्यक्ति राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लें और भारत के लोकतांत्रिक चरित्र को कायम रखें।[5]

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन गांधी का दर्शन चिन्तन का एक विलक्षण प्रयोग है। आध्यात्मिक चेतनाओं और सांसारिक लक्षणों के समन्वय द्वारा गांधी ने राजनीतिक, सामाजिक दर्शन को ऐसा नवीन आयाम प्रदान कर दिया है कि उनकी विचारधारा को राजनीतिक और सामाजिक चिंतन के परम्परागत वर्गीकरणों, व्यक्तिवाद या समष्टिवाद, उदारवाद या समाजवाद या पूंजीवाद, साम्यवाद की परिधि में बांधना संभव नहीं है। गांधी जी ने किसी नवीन विचारधारा के प्रवर्तन का दावा नही किया तथापि उन्होंने राजनीतिक सामाजिक व आर्थिक प्रश्नों पर विचार के लिए एक सर्वथा नवीन और मौलिक दृष्टि से प्रदान की। इस प्रकार से महात्मा गाँधीजी के विचार समाज कल्याण के लिए प्रासंगिक बने हुए है और रहेंगे।

संदर्भ

1- Mishra, Anil Datta, -Ouotes of Mahatma Gandhi, Abhijeet publication, Delhi, p147.

2. जोली, सूरजीत कौर "(सम्पादिका) गांधी एक अध्ययन" नई दिल्ली 2007, पृ.सं.-104

3. स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस 5 मार्च 2021।

4- https://www.drishtiias.com/hindi/tags/Indian-Polity

5- https://www.nextias.com/

हिंदी कविता में आलोकधन्वा के समकालीन समस्या और यथार्थ

डॉ० प्रियंका कुमारी

शिक्षिका, राम बरत सिंह+2 विद्यालय, खननी कलॉ, पीरो, भोजपुर

शोध-सार

समकालीन हिंदी कवियों ने अपने समय और समाज की समस्याओं का यथार्थ की ठोस भूमि पर खड़े होकर चित्रण किया है। उन्होंने अपने समय की विसंगतियों, विडम्बनाओं, विकृतियों को वाणी दी है। समकालीन समस्या से तात्पर्य है, सृजनात्मक दौर अथवा समय की वह प्रमुख समस्या, जो तत्कालीन समाज में प्रस्तुत होती है। उन्होंने अपने समय की विसंगतियों, विडम्बनाओं, विकृतियों को वाणी दी है। मानव समाज जिस भय तथा तनाव के वातावरण में जीवन व्यतीत कर रहा है, उसमें उसका जीवन उल्लास का पर्याय नहीं बल्कि घुटन और यंत्रणा की कथा है। समाज को नई दिशा और चेतना देने का कार्य समकालीन हिंदी कविता ने किया है। यह कविता उन सभी सामाजिक संदर्भीत प्रश्नों और घटनाओं का उल्लेख करती है जिनसे मानव की प्रगति अवरुद्ध है।

मूल शब्द:-समाज, चेतना, समस्या, यथार्थ, समकालीन कविता आदि।

प्रस्तावना:-

समाज की ज्ञानात्मक मनोवृति जो समाज को युग दृष्टि और विवेक शक्ति प्रदान करे, उसे सामाजिक चेतना कह सकते हैं। उसकी इस ज्ञानात्मक मनोवृति में उचित-अनुचित का बोध, दायित्व या कर्तव्य का ज्ञान, आदर्श की समझ और अधिकारों की जानकारी समाहित रहती है। 1990 से 2000 का कालखंड एक परिवर्तनशील कालखंड रहा है। सोवियत संघ के विघटन के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग सभी क्षेत्रों में अनिश्चितता, असंतोष, भय और विघटन के प्रभाव दिखाई दिये। साहित्य भी इन प्रभावों से अछूता न रह सका और इसी क्रम में हिंदी कविता के लिए भी यह समय विभिन्न संदर्भो में महत्वपूर्ण रहा। कविता नयी वैचारिक चेतना लिए जनवाद से आ जुड़ी। आलोकधन्वा, कुमार विकल, कुमार अंबुज, बोधिसत्व, अनामिका, बद्रीनारायण आदि कई कवियों ने समाज को वर्तमानबोध और भविष्यबोध के साथ अभिव्यक्त करने का कार्य किया। शायद ही कोई क्षेत्र रहा होगा जिसको इस दशक के कवियों ने स्पर्श न किया हो।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर ही वह स्वयं को अभिव्यक्त करता है। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में व्यक्ति तथा समाज का आपसी सामंजस्य होता है। समाज की विभिन्न परिस्थितियाँ व्यक्ति के जीवन पर पूर्ण रूप से निर्भर रहती हैं। कुछ परिस्थितियाँ व्यक्ति के अनुकूल तथा कुछ उसके विरुद्ध होती हैं। जो प्रत्येक व्यक्ति ऐसी अनुकूल परिस्थितियों की कामना करता है उसके साथ-साथ संपूर्ण समाज को भी लाभ प्रदान करें। परंतु सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा कई अन्य क्षेत्रों में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो मनुष्य के सामने समस्याएँ उत्पन्न करती हैं। व्यक्ति पर इन समस्याओं का प्रभाव पड़ता रहता है। जैसी समस्या होती है, वैसा ही व्यक्ति का उसके प्रति व्यवहार बनता है। यदि व्यक्ति की समस्या पूरे समाज की समस्या बन जाती है तो सारा समाज ही उस समस्या के प्रति उठ खड़ा होता है। समस्याओं के प्रति व्यक्ति के मन में विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं, जिसमें से प्रमुख है-आक्रोश का भाव। जब व्यक्ति-मन में क्षोभ का भाव उत्पन्न होता है तो उसी क्षण उसके मस्तिष्क में समस्याओं को सुलझाने तथा उन पर काबू पाने हेतु विचारों की एक श्रृंखला जन्म ले लेती है। यही श्रृंखला आगे चलकर सामाजिक चेतना का रूप धारण करती है जो विभिन्न संदर्भो में विचारों की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करती है। यह संदर्भ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक के साथ सांस्कृतिक और धार्मिक भी होते हैं। आज समाज की नींव इन्हीं संदर्भो पर टिकी है तथा इन संदर्भो के अंतर्गत दृष्टिगत होनेवाली विभिन्न स्थितियों और समस्याओं को समकालीन हिंदी कवि अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करते आ रहे हैं।

समकालीन समस्या से तात्पर्य है, सृजनात्मक दौर अथवा समय की वह प्रमुख समस्या, जो तत्कालीन समाज में प्रस्तुत होती है। समकालीन हिंदी कवियों ने अपने समय और समाज की समस्याओं का यथार्थ की ठोस भूमि पर खड़े होकर चित्रण किया है। उन्होंने अपने समय की विसंगतियों, विडम्बनाओं, विकृतियों को वाणी दी है। मानव समाज जिस भय तथा तनाव के वातावरण में जीवन व्यतीत कर रहा है, उसमें उसका जीवन उल्लास का पर्याय नहीं बल्कि घुटन और यंत्रणा की कथा है। समाज को नई दिशा और चेतना देने का कार्य समकालीन हिंदी कविता ने किया है। यह कविता उन सभी सामाजिक संदर्भो, प्रश्नों और घटनाओं का उल्लेख करती है जिनसे मानव की प्रगति अवरुद्ध है। कवि कुमार अंबुज अपनी 'उदासी' नामक कविता में लिखते हैं-

इस उदासी में शामिल हैं कुछ बच्चे
जो पतंग उड़ाने की उम्र में बना रहे हैं पतंग
बूढ़े हैं कुछ
कुछ लड़कियाँ हैं जो गुड्डे खेलने के मौसम में
बिस्तर पर नग्र हैं बुढ़े हैं कुछ
जो गलियों में बरगद के पत्तों की तरह उड़ रहे हैं
सफेद बालोंवाली कुछ औरतें हैं
जो जुए मारती हुई कोस रही हैं बुढ़ापा
कुछ नौजवान हैं नशे में धुत्त

यहां कवि समाज की बात मजदूरी से लेकर, युवाओं में जड़ें जमाती नशे और स्त्री शोषण से लेकर वृद्धावस्था तक की ज्वलंत समस्याओं को रेखांकित करता है। किन्तु व्यथा इतनी विकट है कि उसकी सारी परतों को खोलना कई बार कवि के लिए चुनौती बन जाता है। कुमार विकल 'पहचान' नामक कविता में विकट परिस्थितियों से स्वयं को दूर नहीं रख पाते परन्तु अपनी सीमाओं से भी बखूबी परिचित हैं। वे लिखते हैं-

"लैम्प पोस्ट को मैं भी जला सकता हूँ
लेकिन
स्कूल से कभी न लौटने वाली बच्ची की
माँ के आँसुओं का धर्म नहीं बता सकता
जैसे
जख्मियों के घावों पर
भरहम तो लगा सकता हूँ
लेकिन उनकी चीखों का मर्म नहीं बता सकता हूँ

सामाजिक समस्याओं से अवगत होते हुए भी कवि की यह विवशता, उसके दर्द की अभिव्यक्ति है। समस्या और यथार्थ समाज से जुड़े वे दो तत्व हैं जिनके उतार चढ़ाव से समाज में चेतना के विस्तृत होने में प्रोत्साहन मिलता है। सामाजिक समस्या और यथार्थ परिस्थितियों की समझ और अध्ययन से साहित्यकार की आंतरिक इच्छाएँ बाहर आती है और यही इच्छाएँ समाज में चेतना को प्रसारित करने में लाभदायक सिद्ध होती है।

समाज में फैले बाह्यांडम्बर, विडम्बना तथा विभिन्न परिस्थितियों से समाज समस्याओं में जकड़ जाता है परंतु कोई भी स्थिति अंतिम नहीं होती। समाज की प्रत्येक स्थिति में बदलाव संभव हैं। जिसके लिए आवश्यकता होती है चेतना की। समकालीन कवियों ने स्वयं समाज की स्थितियों को आत्मभूत किया तथा भोगा था। अत: उन्होंने समाज की इन्हीं बिगड़ती परिस्थितियों को बदलने का प्रयास, अपने काव्य में सामाजिक चेतना को प्रवाहित करके किया है। आलोकधन्वा ने अपने काव्य संग्रह 'दुनिया रोज बनती है' में समाज की यथार्थ परिस्थिति को प्रस्तुत कर सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। अपनी कविता 'जनता का आदमी में वे उस ईमानदार आदमी की ओर इशारा करते हैं, जिसे माँ के गर्भ में ही गोली मार दी जाती है। उसका एकमात्र कसूर यह है कि कहीं वह ईमानदार बन कर समाज की विकारग्रस्त स्थितियों में बदलाव न कर दे। वे कहते हैं.

अब मेरी कविता एक ली जा रही जान की तरह बुलाती है
भाषा और लय के बिना केवल अर्थ में
उस गर्भवती औरत के साथ
जिसकी नाभि में सिर्फ इसलिए गोली मार दी गयी
की कहीं एक और ईमानदार आदमी पैदा न हो जाय।

आज महानगरों में एकाकीपन का वातावरण बनता जा रहा है । व्यक्ति अपने परिवार तथा समाज से काटा सा अनुभव कर रहा है। समकालीन कवियों ने व्यक्ति मात्र को इन सब परिस्थितियों से मुक्ति देने का प्रयास किया है। महानगरीय यातनाओं को भोगनेवाले साधारण व्यक्ति को समकालीन कवि अपने काव्य के माध्यम से चेतना देने का प्रयास करते हैं।

विश्व में भारत का स्थान एक कृषि प्रधान देश के रूप में है। भारत की लगभग आधी जनता गावों में निवास करती है। जहां रहते हुए आए दिन उसे नई-नई समस्याओं से जूझना पड़ता है परन्तु फिर भी भारतीय किसान और खेतिहर मजदूर अपनी खुशी को कभी

खंडित नहीं होने देता है। 1990 से 2000 का समय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आमूल-चूल परिवर्तनों का समय रहा है। लेकिन इन बदलावों के मध्य भी किसान के संसार में कोई सकारात्मक हलचल नहीं हुई है। वह निरंतर प्रकृति से लेकर सत्तासीनों के स्वभाव से त्रस्त रहा है। समकालीन कवियों ने ग्रामीण जीवन, खेत खलिहान, किसान-जीवन तथा पारिवारिक जीवन का सूक्ष्मता से चित्रण किया है। आलोकधन्वा, सत्यपाल सहगल, कुमार अंबुज, वीरेन डंगवात आदि कवियों में किसान जीवन तथा आंचलिक परिवेश पर काव्य सृजन कर भारतीय किसान के घर परिवार तथा उसके दैनिक जीवन को समाज के सामने लाने का प्रयास किया है।

भूमंडलीकरण के दौर में जहाँ एक ओर देश विकास की राह पर अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर देश में किसान कर्ज की मार से त्रस्त होकर आत्महत्या कर रहे हैं। कवि आलोकधन्वा इन परिस्थितियों से संवेदना पाकर अपनी कविता 'गोली दागों पोस्टर' में आक्रोशपूर्ण स्वर में कहते हैं।

"जिस जमीन पर
मैं अभी बैठकर लिख रहा हूँ
जिस जमीन पर में चलता हूँ
जिस जमीन में बीज बोता हूँ
जिस जमीन से अन्न निकालकर मैं
गोदाम तक ढोता हूँ
उस जमीन के लिए गोली दागने का अधिकार
मुझे है या उन दोगले जमीदारों को जो पूरे देश को
सुदखोर का कुत्ता बना देना चाहते है

आंचलिक जीवन के समस्त अभावों से किसान जीवन की दुर्दशा और उत्पन्न क्षोभ को समकालीन कवियों ने प्रमुखता से काव्य का विषय बनाया है। इन कवियों ने कहीं-कहीं प्रकृति के मनोरम चित्रों के साथ त्योहारों और उत्सवों का भी चित्रण किया है।

समकालीन कविता की यह प्रमुख विशेषता रही है कि इसमें मजदूर वर्ग के स्वर की वापसी दृष्टिगत होती है। प्रगतिवादी कविता के बाद मजदूर वर्ग का स्वर यहां पुनः स्थान पाता है। वस्तुतः अबतक के आए परिवर्तनों से अनेक लोग ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर महानगरों की ओर पलायन के लिए विवश हुए जहां रोजी-रोटी के साधन रूप में मजदूरी ही उनका सहारा बनी। कवियों ने इन मजदूरों के जीवन को गहन यथार्थ और संवेदना के साथ प्रस्तुत किया है। यह वह वर्ग है जो दिन रात कड़ी मेहनत करता है और जिससे पूँजीपति वर्ग अपना घर भरता है। जिसका आर्थिक शोषण ही नहीं किया गया बल्कि उसके सौन्दर्य प्रतिमानों और जीवन-बोध पर भी सवाल उठाए गए हैं। दूसरों को महल देने वाला यह सर्वहारा सदियों से स्वयं फुटपाथ पर सोने को विवश है। मजदूरों की इसी दयनीय स्थिति पर ओमप्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं।

"शहर के बीचों-बीच
सड़क के किनारे
खड़े दो बिजली के खम्भे
और उनके बीच में
थकी-हारी हाथ-गाड़ी
रात होते ही
क्यों झोपड़ी में बदल जाती है"

सब सुख सुविधाओं का निर्माता मजदूर अंत में सभी सुखों से वंचित कर दिया जाता है पर फिर भी वह मानवीय मूल्यों को नहीं त्यागता बल्कि अभावों के बीच भी मेल-मिलाप की संस्कृति को बचाए रखता है। वरिष्ठ कवि चंद्रकांत देवताले मजदूर और पूँजीपतियों की स्वभावगत भिन्नता को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं।

"तुम भूखों की झोपड़ियों में घुसे
और वहाँ भी तुम्हें प्रसाद मिला
तुम्हारी गाँठ से दमड़ी तक नहीं गयी।

इस काल का कवि श्रमशील व्यक्ति और उसके श्रम के प्रति अपनी गहन संवेदना निरंतर बरकरार रखता है। वह व्यवस्था के अंग प्रत्यंग की सम्यक व्याख्या करते हुए अभिव्यक्त करता है कि कैसे मजदूर ही नहीं उसके बच्चे भी इस व्यवस्था के शिकार है। राजेश जोशी बाल मजदूरी की समस्या को रेखांकित क को रेखांकित करते हुए लिखते हैं-

"कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं
सुबह सुबह
बच्चे काम पर जा रहे हैं
हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह
भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना
लिखा जाना चाहिए इसे एक सवाल की तरह
काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे

समकालीन कवियों ने मजदूरों की वेदना, उनकी संवेदना और उनके आक्रोश को दर्ज किया है। भूमंडलीकरण के समय में जहाँ अधिक मात्र में तकनीक और अभियांत्रिकी साधनों के प्रयोग से मजदूरों पर भुखमरी का गहन साया पसर गया है। समकालीन कवियों ने मजदूर वर्ग के प्रति सहानुभूति दर्शाते हुए व्यवस्था में निहित अर्थहीनता को वाणी दी है।

समकालीन हिंदी कविता में स्त्री जीवन की समस्याओं, विडंबनाओं तथा यातनाओं को अभिव्यक्ति मिली है। अनामिका, कात्यायनी, सुशीला टाकभौरे, निर्मला पुतुल आदि ने नारी जीवन की इच्छा, आकांक्षा, मानसिक दशा, पीड़ा, यातना आदि को स्पष्ट कर स्त्री में चेतना लाने का एक सक्षम प्रयास किया है। इनकी कविताओं में जहाँ एक ओर स्त्री केवल माँ, बहन, बेटी, प्रेमिका आदि से हटकर जागरूक तथा आधुनिक नारी के रूप में प्रदर्शित हुई है। वहीं दूसरी ओर इस संकटपूर्ण समय में स्त्री के संकट और भय भी निरंतर शब्दबद्ध हुए हैं। अपनी कविता 'कुटुम्ब' में अनामिका ने इसी असज वातावरण को स्पष्ट करते हुए लिखा है-

"अचानक ही दरवाजे पर खट् सी हुई
और एक भगदड़ मची।
चीजें लगी टूटने फूटने।
सीढ़ियाँ उतरने और चढ़ने लगा गुस्सा।
और एक साथ ही शुरू हो गये रोने धोने
डरने-पीटने, हँसने लोटने
के अनंत सिलसिले

समकालीन कविता में पुरुष कवियों ने भी स्त्री की अस्मिता और पहचान को लेकर अपने भावों को व्यक्त किया है। कुमार अंबुज अपनी कविता अनिवार्य स्त्री' में स्त्री जीवन की अस्मिता को खोजने का प्रयास करते हैं-

"उसकी समस्त संभावनाओं को
धीरे धीरे असंभव कराते रहे हम
और वह अपनी दुर्बल काया की
मुट्ठी भर आस्तियों की चुटकी भर मज्जा से
हमें असभ्यताओं में खोजती रही

मंगलेश डबराल नारी पर पुरुष द्वारा हो रहे अत्याचारों को अपनी कविता स्त्रियाँ' में अभिव्यक्त करते हैं। वासना में धुत्त पुरुष कैसे स्त्री को अपनी अय्याशी का साधन मात्र मानता है इसे वे एक सामान्य स्त्री के वैश्या बनने की कहानी में अभिव्यक्त करते हुए लिखते हैं-

उन्हें ले जाया जाता है निर्जन रोमांचक यात्राओं में
खतरनाक कगारों तक
वासना के धुएँ से भरी शानदार इमारतों में
जहाँ पियक्कड़ अय्याश उन पर सवारिन गॅठते हैं
उन्हें कोड़ो से फटकारते हैं

स्त्री-जीवन की समस्याओं के साथ समकालीन कवियों ने स्त्री मन की आंतरिक संवेदनाओं को भी उजागर किया है। एक परिवार में उसकी छवि के विभिन्न रूपों को उकेरा हैं। आलोकधन्वा एक माँ के आंतरिक भावों को कुछ इस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं-

"माँ जब भी नयी साड़ी पहनती
गुनगुनाती रहती
हम माँ को तंग करते

उसे दुल्हन कहते
माँ तंग नहीं होती
बल्कि नया गुड देती
गुड में मूंगफली के दाने भी होते

स्त्री के जीवन का प्रवाह सरल नहीं है, उसमें अनेक उतार-चढ़ाव तथा समस्याएँ विद्यमान है। समकालीन कवियों ने स्त्री जीवन, उसकी समस्याओं और भोगी यातनाओं के साथ उसके मन की आंतरिक संवेदनाओं को बड़ी गहराई से स्पष्ट किया।

समकालीन कविता के क्षेत्र में जाति और वर्ग विहीनता की संकल्पना का विरोध करने, दलितों के अधिकारों की रक्षा करने तथा उन्हें समाज में योग्य स्थान दिलवाने के लिए कवियों ने शासन वर्ग तथा शोषक वर्ग के विरुद्ध अपनी चेतना को विस्तृत किया है। दलितों को उनके अधिकारों से वंचित रखने वाले समाज के विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई है। विशेषककर दलित कवियों जैसे ओमप्रकाश वाल्मीकि, श्योराज सिंह बैचेन, जयप्रकाश कर्दम, सुरजपाल चौहान, सदेश तनवर आदि ने अपनी कविताओं के माध्यम से इस हाशियाकृत समाज में चेतना लाने का प्रयास किया है। मोहनदास नैमिश्यराय ने अपने काव्य संग्रह आंदोलन' में दलित के शोषण, उस शोषण की प्रतिक्रिया को बताते हुए लिखा है-

"दलितों के सीने जब
छलनी होते हैं
शब्द उभरते हैं
शब्द बनाते हैं धारदार
जहर बुझे चाकू की तरह

निष्कर्षः-

समकालीन हिंदी कवियों ने बदलती परिस्थितियों से उभरे शोषण तथा दबाव की नीति को समाज के सामने रखा। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्र में हो रहे बदलाओं से उन्होनें समाज को अवगत कराया। वे समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं इसलिए इन कवियों ने समाज की बिगड़ती स्थिति को दर्शाते हुए आम आदमी की पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। गाँव से लेकर महानगरों की विद्रूपताओं में किसान, मजदूर, स्त्री, दलित आदि सभी पिसे जा रहें हैं। उनके मन की झटपटाहट को इन कवियों ने यथार्थ के साथ अंकित किया है। समकालीन हिंदी कविता में प्रमुख रूप से किसान और मजदूर स्वर की वापसी मिलती है। उनकी समस्याओं को कवि पाठकों के सामने रखते हैं।

संदर्भ सूची

कुमार अंबुज किवाड़, पृ. सं. 30
कुमार विकल- निरूपमा दत्त में बहुत उदास हूँ, पृ. सं. 29
आलोकधन्वा - दुनिया रोज बनती है, पृ. सं. 30, 31
कुमार अंबुज - किवाड़, पृ. सं. 60
चंद्रकात देवताले पत्थर की बेंच, पृ सं 60
अरुण कमल नये इलाके में, पृ. सं. 23
मंगलेश डबराल - आवाज भी एक जगह है. पृ. सं. 14,15
एकांत श्रीवास्तव - अन्न है मेरे शब्द, पृ. सं. 104
आलोकधन्वा - दुनिया रोज बनती है. पृ सं. 92
आलोकधन्वा - दुनिया रोज बनती है, पृ. सं. 29
ओमप्रकाश वाल्मीकि बस्स! बहुत हो चुका, पृ. सं. 83
चंद्रकांत देवताले - पत्थर की बेंच, पृ. सं. 8
राजेश जोशी - प्रतिनिधि कविताएँ, पृ. सं. 74, 75
अनामिका - अनुष्टुप, पृ. सं. 38, 39

रामदरश मिश्र की कविताओं में ग्रामीण जीवन की छवियाँ

कविता अप्रेती

शोधार्थी, हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग, डी. एस. बी. परिसर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड

रामदरश मिश्र कविता में बहुत लंबे अरसे से सक्रिय हैं. वह प्रगतिवाद से लेकर आज तक के सभी कविता आंदोलनों को देखे हैं, और सभी आंदोलनों के मध्य उनकी सक्रिय उपस्थिति रही है. उन्होंने गीत लिखे हैं, छंदबद्ध और प्रगीतों में वह सिद्धहस्त हैं, इसके अलावा छंदमुक्त और विचार प्रधान कविताओं में भी वह आम जनजीवन से जुड़ी हुई कविताएँ रचते हैं.

ग्रामीण जीवन से वह निकले हैं और ग्रामीण जीवन की अनेक छवियाँ उनकी कविताओं में विविध रूपों और रंगों में हमारे सामने हैं. ग्रामीण परिवेश के हर जरूरी पक्ष तक उनकी नजर जाती है और उन भावों और दृश्यों को बहुत कलात्मकता के साथ कविता में बांधते हैं. यह वह जानबूझकर कर या जबरदस्ती नहीं करते बल्कि अनायास ग्रामीण जीवन की छवियाँ बहुत सहजता से उनकी कविता में उपस्थित होती हैं. उनकी कविताओं की इन भाव भंगिमाओं को ध्यान में रखते हुए आलोचक ओम निश्छल ने लिखा है–

> "समग्रत: उनकी कविता गाँव से शहर में आ बसे कवि की ग्राम्य चेतना सम्पन्न कविता है. इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने कविताओं में गंवई शब्द या पदावलियाँ टांक कर उसे लोकरंजित बनाना चाहा है, बल्कि वे उस ग्राम चेतना और कस्बाई संवेदना के कवि हैं, जो नगर संस्कृति का विरोध इसलिए करती है क्योंकि वह आज अजनबियत, अमानवीयता और विरस जीवन का पर्याय बन गयी है."[1]

रामदरश मिश्र हिंदी साहित्य के उन प्रमुख कवियों में से हैं, जिन्होंने ग्रामीण जीवन की गहराई, उसकी समस्याओं, सौंदर्य और संघर्ष को अत्यंत संवेदनशीलता और प्रभावी रूप से व्यक्त किया है। उनकी कविताओं में भारतीय गांवों का सांस्कृतिक ताना-बाना, सामाजिक जटिलताएं और प्राकृतिक परिवेश जीवंत हो उठता है। रामदरश मिश्र की कविताओं में ग्रामीण जीवन के विविध पहलुओं को बहुत संवेदना के साथ और सशक्त तरीके से व्यक्त किया गया है.

परिचय

कवि रामदरश मिश्र का जन्म एक साधारण ग्रामीण परिवार में हुआ। उनका साहित्य उनके अपने जीवन अनुभवों और ग्रामीण परिवेश से प्रभावित है। उनका कविता संसार गांव की माटी, उसमें गूंजती लोकध्वनियों और ग्रामीण जीवन की सादगी को प्रकट करता है। उनकी कविताएं केवल ग्रामीण जीवन का चित्रण भर नहीं करतीं, बल्कि उसके सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का भी गहन विश्लेषण करती हैं।

गांव और प्रकृति का अटूट संबंध उनकी कविताओं में स्पष्ट झलकता है। मिश्र जी ने गांव के खेत-खलिहानों, पेड़ों, नदियों और तालाबों को अपनी कविताओं में जीवंत किया है। उनके शब्दों में ग्रामीण जीवन का सौंदर्य मानो चित्रित हो उठता है।

> "पके धान सी धूप झरी पतझर आया
> सूना सा आँगन धरती का भर आया" [2]

इस तरह की पंक्तियां न केवल प्रकृति का चित्रण करती हैं, बल्कि ग्रामीण जीवन की आत्मीयता और शांति को भी उजागर करती हैं। उनके अनेक गीत और कविताएँ प्रकृति के अद्‌भुत दृश्य उनकी अनेक भाव भंगिमाएं हमारे सामने सचल रूप में उपस्थित कर देती हैं–

> "मैं आसाढ़ का पहला बादल
> मेरी राह न बांधों
> जन- जन के उर का कोलाहल पी कर मैं गाता हूँ
> मधुर कल्पना सा फिर नभ में उड़ता लहराता हूँ
> फिर भी दूर नहीं है मुझसे जीवन की पगडंडी
> धरती के अधरों पर बनकर बूँद उतर आता हूँ" [3]

मिश्र जी की कविताओं में ग्रामीण समाज की कठिनाइयों, अभावों और संघर्षों का यथार्थ चित्रण मिलता है। उनके शब्दों में किसानों की गरीबी, ऋणग्रस्तता और प्राकृतिक आपदाओं से जूझने की कहानियां व्यक्त होती हैं। वह अपनी कविताओं में सामन्य लोगों की चिंता को रेखांकित करते हैं. विकास की आंधी और चकाचौंध के बीच भी उनकी चिंता के केंद्र में आम-जनजीवन है. वह अपनी एक कविता में इस चिंता को कुछ इस तरह व्यक्त करते हैं.

"जनता गाड़ियाँ रोक दी गई हैं-
यहाँ .....वहां.....
उन तमाम स्टेशनों को निर्ममता से कुचलती हुई
जहाँ छोटी- छोटी देहाती गठरियाँ
अपने अनंत सुख-दु:ख बाँधे हुए
किसी देसी गाड़ी के इंतजार में पड़ी होती हैं" [4]

इस तरह की कविताएं ग्रामीण जीवन के उन कठोर पहलुओं को सामने लाती हैं, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। उनके मन मस्तिष्क में आम आदमी की मुश्किलें पहले आती हैं. वह विकास की चकाचौंध में सबसे पहले अंतिम मनुष्य की चिंता करते हैं. उनकी कविताओं की बुनावट में सबसे पहले वही शामिल होते हैं.

मिश्र जी ने ग्रामीण समाज की परंपराओं, त्योहारों और लोकजीवन का अद्‌भुत चित्रण किया है। उनकी कविताओं में लोकगीत, लोकनृत्य और रीति-रिवाजों की झलक मिलती है। वे दिखाते हैं कि कैसे ग्रामीण जीवन में सामूहिकता और आपसी सहयोग का भाव प्रबल होता है। उन्होंने ऋतुओं , त्योहारों, पर कई कविताएँ लिखी है. उनकी कविता 'फागुनी रात' की कुछ पंक्तियाँ देखिए-

"यह फागुन की रात रे, मन उड़ उड़ जाए
हँसता मधु का चाँद गगन में
झुर-झुर छवि की धार नयन में
नग्न शिलाओं सी तरु-बाहों से
छन-छन झरता रस वन में
जीवन के रेतीले पथ पर
यह रस की बरसात रे, मन उड़-उड़ जाए" [5]

रामदरश मिश्र ने अपनी कविताओं में आधुनिकता और औद्योगिकीकरण के कारण ग्रामीण जीवन में आ रहे परिवर्तनों का भी वर्णन किया है। वे दिखाते हैं कि कैसे शहरों की चकाचौंध ग्रामीण समाज को प्रभावित कर रही है और उसकी पारंपरिक संरचना को तोड़ रही है। ग्रामीण जीवन, वहां की मुश्किलें, संघर्षमय जीवन यह सब उनकी कविता में गुम्फित होकर शामिल हो जाते हैं. अपनी 'खो गयी राह' शीर्षक कविता में वह लिखते हैं -

"चुभते हैं बिखरे काँच भग्न विश्वासों के
लगते जाते हैं ढेर टूटती साँसों के
कोई है जो चुपचाप सेतु बन आता है
है अंधकूप में डूब गये वे स्वर सारे
मुर्दाघर से लगते हैं गाँव शहर सारे
है कौन कि फिर- फिर गीत सुबह के गाता है" [6]

ग्रामीण जीवन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू प्रकृति और मानव का द्वंद्व है। रामदरश मिश्र ने सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को अपनी कविताओं में गहराई से उकेरा है। उनके उपन्यासों के अलावा इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं और उनसे जूझते मनुष्य की संघर्ष गाथा उनकी कविताओं का विषय रही हैं.

"एक गाँव है अपना, पर है खेत न बारी
घर था टूटा निगल गयी नदिया हत्यारी
बैठा है गुमसुम कछार, झरते अकाल के साये हैं
फटी-फटी आँखों में लादे भूख डरानी
बैठे होंगे खाली घर के सभी परानी
लेकर सबका दर्द आपकी नगरी में भरमाये हैं" [7]

उनकी कविताओं में एक उदासी है. उसमें अभावों के विविध रूप हैं. अभावों की दयनीयता है. एक उदात्त करुणा में रची पगी उनकी कविताएँ कई बार बहुत मार्मिक हो उठती हैं. सामान्य मनुष्यों के अंतर्मन केर कोलाहल को वह पहचानती हैं. जीवन की इन सहज संवेदनाओं को वह बहुत कलात्मकता से अपनी कविता में साधते हैं. उसे एक सुन्दर काव्यात्मक रूप प्रदान करते हैं.

"जाने क्या-क्या देख पाया तुम्हारी आँखों में
फटेहाल बचपन था मेरा हंसती हुई उदासी-सा
भूखा-प्यासा दिन आता खजाता था अपने साथी-सा
लगता था मैं हूँ भर आया पिता तुम्हारी आँखों में" [8]

कविता में लोक की पीड़ा, उनकी खुशियों, उनके दुखों के बीच उपस्थित होकर वह कविता रचते हैं. जीवन की विडंबनाओं , ग्रामें जीवन की विषमताओं, वहां की दैन्यता और दरिद्रता को वह बहुत कारुणिक दृष्टि से देखते हैं. वह आम जनजीवन को बहुत नजदीक से देखते हैं. उनके संघर्षों को अपनी कविता में एक नई दृष्टि देते हैं. उनकी कविताओं पर प्रकाश मनु अपने एक लेख में लिखते हैं –

"लेकिन वे ऐसे कवि हैं, जिन्होंने हिंदी कविता को भीतर से मांजा है, उसे बहुत सी अनावश्यक गुत्थियों से छुटकारा दिलाकर सादा सरल बनाया है, उसे जनता के ज्यादा नजदीक, बल्कि खास और आम सबकी अपनी चीज बनाकर समकालीन कविता का एक नया लोकसंस्कार किया है." [9]

रामदरश मिश्र की कविताओं की भाषा सरल, सहज और लोकजीवन के करीब है। उनकी कविताओं में ग्रामीण अंचल के विशेष शब्दावली और मुहावरों का प्रयोग होता है, जो पाठकों को गांव की मिट्टी से जोड़ता है। भाषा की जटिलता में उनका कोई विश्वास नहीं है. उनकी भाषा भी उनके काव्य नायकों और काव्य दृश्यों के सामान ही बेहद सरल और सहज होते हैं. वह अपनी कविता में उन्हीं बिम्बों को ले आते हैं जो जिनमें जीवन धर्मिता होती है. गाँव और प्रकृति से जुड़े जितने भी बिम्ब उनकी कविताओं में आते हैं वह जीवनधर्मी तो होते ही हैं साथ ही उनकी सहजता कविताओं को एक नई ऊँचाई तक ले जाते हैं.

निष्कर्ष

मिश्र जी ने केवल ग्रामीण जीवन का चित्रण नहीं किया, बल्कि उसकी आत्मा को पकड़ने का प्रयास किया है। उनकी कविताओं में मानवीय संबंधों, प्रकृति के प्रति प्रेम और सामाजिक समस्याओं का चित्रण भावनात्मक गहराई के साथ किया गया है। उनकी कविताएं केवल साहित्यिक रचनाएं नहीं हैं, बल्कि समाजशास्त्रीय दृष्टि से ग्रामीण भारत का अध्ययन भी हैं। वे गांव की समस्याओं, जैसे गरीबी, अशिक्षा और जातिवाद, को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। उनकी कविताएं भारतीय ग्रामीण जीवन का दस्तावेज हैं। वे न केवल गांवों के प्राकृतिक सौंदर्य और सादगी को व्यक्त करते हैं, बल्कि वहां के संघर्ष, समस्याओं और परिवर्तनों को भी उजागर करते हैं। उनकी कविताओं का अध्ययन न केवल साहित्यिक दृष्टि से, बल्कि समाजशास्त्रीय और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

संदर्भ

1 ओम निश्छल : नये संवत्सर की लय, रामदरश मिश्र व्यक्ति और अभिव्यक्ति (सं. स्मिता मिश्र)
2 रामदरश मिश्र : मेरे गीत ; नमन प्रकशन नई दिल्ली संस्करण 2003 पृष्ठ संख्या 76
3 रामदरश मिश्र रचनावली ; खंड 1 नमन प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण 2000 पृष्ठ संख्या. 46
4 रामदरश मिश्र रचनावली ; खंड 1 नमन प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण 2000 पृष्ठ संख्या 527
5 वहीँ पृष्ठ संख्या . 88
6 रामदरश मिश्र रचनावली ; खंड 2 नमन प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण 2000 पृष्ठ संख्या 69
7 रामदरश मिश्र : मेरे गीत ; नमन प्रकशन नई दिल्ली संस्करण 2003 पृष्ठ संख्या. 129
8 वहीँ पृष्ठ संख्या. 137
9 प्रकाश मनु : रामदरश मिश्र की कविताएँ: एक अंतर्यात्रा. (रामदरश मिश्र की काव्य यात्रा: सं. स्मिता मिश्र) नमन प्रकशन नयी दिल्ली

बालश्रमः एक अवलोकन

डॉ० हेमेंद्र कुमार सेन

अतिथि व्याख्याता, (समाजशास्त्र विभाग), शासकीय रेवती रमण मिश्र पी०जी० कालेज, सूरजपूर (छ0ग0)

प्रस्तावना

प्राचीन भारतीय इतिहास ही नहीं अपितु विश्व इतिहास का अध्ययन भी इस बात का प्रमाण है कि विकसित एवं विकासशील दोनों ही प्रकार के समाज बाल-समाज के महत्व को समान रूप से स्वीकार करते हैं। विकसित समाज की तुलना में विकासशील समाज में बाल-समाज की समस्याएँ गम्भीर हैं। यही कारण है कि ऐसे समाज के बालकों को आवश्यक एवं प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ प्राप्त नहीं होतीं। प्राचीन भारतीय विचारकों, उदाहरणार्थ भारतीय विचारक कौटिल्य ने गुलाम के रूप में बच्चों के व्यापार की ओर ध्यान नंगित किया। गुलाम के बालक भी गुलामी के जीवनयापन के लिए बाध्य रहते थे। यह बाध्यता तब तक रहती थी जब तक मालिक उन्हें गुलामी से मुक्त न कर दें।

प्राचीनकाल से ही समाज में बालकों का उपयोग किसी न किसी रूप में होता रहा है, यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में मान्य किया जा सकता है। काल और सामाजिक व्यवस्था का प्रश्न नगण्य रहा है। मेनडीलीविच का यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि बालक का उपयोग ज्यादा या कम सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत एक अंग के रूप में प्रत्येक प्रकार के मानवीय समाज में होता रहा है और उनके जीवनयापन के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ विचार भारत सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी ने भी व्यक्त किए हैं जिसमें कमेटी का यह मत था कि बालश्रम हमारे लिए कोई एक नयी समस्या नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यह किसी न किसी रूप में मानव सभ्यता में मौजूद रही है।

ऐतिहासिक अध्ययन

अंग्रेजों द्वारा लागू की गयी भूमि बन्दोबस्त प्रथा ने भारत में बंधुआ मजदूर प्रणाली के लिए आधार प्रदान किया था। स्थायी बंदोबस्त, रैयतबाड़ी और महलवारी ये तीन हथियार थे जिनसे अंग्रेज शासकों ने भारत की एक-एक इंच जमीन को हड़पना शुरू किया। उन्होंने जमीन से किसानों को हटाकर जमींदारों को बसाया। सूदखोर महाजन किसानों की पीठ पर सवार हो गये जिनके पास कुछ नहीं था। वे सूदखोर महाजनों से अपने जीवनयापन के लिए सूद पर पैसे लेते थे। दिन-ब-दिन कर्ज का बोझ बढ़ता गया फिर अचानक एक दिन उन्होंने पाया कि वे अपनी जमीन खो चुके हैं और भूमिहीन मजदूरों की श्रेणी में आ गये हैं।

प्राचीन भारत में बालकों की अवस्था के महत्व को स्वीकारते हुए महर्षि कौटिल्य कहते हैं, "असम्मानजनक कार्यों के लिए बालाकों का उपयोग शारीरिक क्षमता के विरुद्ध है और उनकी शारीरिक क्षमता के प्रतिकूल असम्मानजनक कार्य का लेना मानवता के विरुद्ध एवं शर्मनाक कार्य माना जायेगा अतः आठ वर्ष की अवस्था से कम उम्र के बालकों का क्रय-विक्रय निषेध है।"

ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित रॉयल कमीशन 1931 ने बालश्रम पर सबसे पहली सनसनीखेज रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि ब्रिटिश भारत में कार्यरत श्रमिकों में बड़ी तादाद में बच्चे कार्यरत हैं तथा उनके लिए काम करने के लिए बाध्य हैं। कई उद्योगों में बच्चे जो पाँच वर्ष की उम्र से अधिक के थे उन्हें बिना उचित भोजन, दैनिक विश्राम व साप्ताहिक विश्राम के बिना 10 से 12 घण्टे के लिए अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में काम पड़ता है तथा भुगतान इतना कम है कि एक या दो आने देकर उन्हें वर्षों तक उस कार्य पर रखा जाता है। फलस्वरूप विधायी रक्षोपयों ने आवश्यकता के मद्देनजर दा चिल्ड्रन (प्लेजिंग ऑफ लेबर) एक्ट 1933, दी एम्प्लायमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, एवं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 पारित करके ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उपनिवेश के श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सकारात्मक प्रयास किया था।

वर्तमान संदर्भ में

द नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1969 ने भी बाल-श्रमिकों की समस्या पर अन्वेषण कर के बालकों के शारीरिक विकास व शैक्षिक विकास के अवरुद्ध होने के गहन घरेलू उपकरणों को दूर करने के उपायों पर जोर देकर राष्ट्रीय नीति बनाने पर जोर दिया। बालश्रम की समस्या जहाँ कुछ वर्षों पूर्व कम मजदूरी के रूप में आँकी जाती थी, आज यह बच्चों के अधिकारों के हनन व अन्ततः मानव अधिकारों के हनन के दायरे में आकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित हो चुकी है।

प्रायः ग्रामीण बच्चों की जब बात की जाती है तो बालश्रम को बहुत अधिक प्राथमिकता दे दी जाती है। जबकि यह तो उनके जीवन से जुड़े कई पक्षों में से एक पक्ष है। वह भी समग्र ग्रामीण बच्चों पर नहीं, वरन् उनके एक हिस्से पर लागू होता है। बालश्रम के लिए

सर्वाधिक जिम्मेदार स्वयं बच्चे के माता-पिता होते हैं। यह सही है कि दैनन्दिन जीवन की जरूरतें उन्हें अपने बच्चों से मजदूरी कराने के लिए विवश करती हैं, इसके बावजूद वे अपने नौनिहालों के प्रति जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। बालश्रम रोकने, उन्हें समुचित शिक्षा देने, शिक्षा के साथ-साथ उनके भोजन और पोषण तथा स्वास्थ्य रक्षा के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। अत: हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि उनकी देखभाल, सुरक्षा करें तथा उन्हें वनस्पत अच्छा वातावरण उपलब्ध करायें ताकि मानसिक, शारीरिक विकास हो सके। एक कल्याणकारी राज्य में सरकार का दायित्व है कि बाल-कल्याण की विशेष नीतियाँ व कार्यक्रम चलावें ताकि बच्चों को किसी प्रकार के खतरनाक व शोषणयुक्त कार्यों पर न जाना पड़े जिससे उनके विकास पर विपरीत प्रभाव न पड़े तथा समाज के राजनीतिक व सामाजिक पतन तथा आर्थिक वृद्धि के खतरों को रोका जा सके जो कि इस देश के लिए कल का आधार स्तम्भ बनेंगे।

माह नवम्बर, 1959 को संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा में स्वीकार किया कि बच्चे विकास के अधिकारी हैं तथा उन्हें विशेष बचाव व सुरक्षा के अधिकार व स्वस्थ व सामान्य वातावरण में स्वतंत्रता व शान से जीने का अधिकार है।

सन् 1979 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष घोषित किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र की बाल अधिकारों की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, मातृत्व सुरक्षा, परिवार सुरक्षा, समान सामाजिक स्तर, प्रजातीय विभेदों जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए घोषित किया था।

देश के करोड़ों बच्चों के जीने के अधिकारों तथा बच्चों के समुचित विकास के लिए आवश्यक कदन के लिए 1979 का वर्ष एक चेतावनी का वर्ष था, क्योंकि समस्त मानव समुदाय व मानवता के लिए बच्चों के विकास की नीतियाँ व क्रियाओं के लिए यह वर्ष एक नई आशा की किरण लेकर आया था।

राष्ट्रीय बाल नीति 1974 के अनुसार, बच्चों के विकास के लिए समान अवसरों को प्रदान करना तथा असमानता दूर करना व सामाजिक न्याय प्रदान करना इनके प्रमुख उद्देश्य हैं। इसकी रणनीति के अनुसार पोषण, स्वास्थ्य व शिक्षा विशेषकर उन बच्चों के लिए जिन्हें अत्यधिक गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता से लागू करने के लिए मुख्यतया कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा व पूर्व पाठशाला की उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य व कल्याण तथा विकलांग बच्चों के लिए पुन: स्थापना तथा बालश्रम को प्रतिषेध व नियमन करने जैसे प्रमुख बिन्दुओं पर जोर दिया है।

बालश्रम से तात्पर्य बच्चों के लाभदायक कार्यों पर काम करना व पारिवारिक आय में अपना योगदान देने से है। यह आर्थिक व सामाजिक शत्रु है, क्योंकि यह बच्चे के स्वास्थ्य के खतरे व शारीरिक एवं मानसिक विकास के सभी अवसरों को बाधित करता है।

बालश्रम से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जो 15 वर्ष से कम उम्र के बालक के द्वारा सम्पन्न किया गया हो तथा मजदूरी या लाभकारी अर्जन के लिए किया हो हालाँकि बालश्रम की तीव्रता देश से देश में भिन्न-भिन्न पायी जाती है फिर भी माना जा सकता है कि विश्व के सभी देश चाहे विकसित हों या विकासशील, सभी इस समस्या की गिरफ्त में हैं।

मानव विकास रिपोर्ट 1993 के अनुसार, अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में 1983-90 के बीच में बालश्रम कानूनों के उल्लंघन में 250 की वृद्धि पायी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार अकेले न्यूयॉर्क शहर में 1,50,000 बच्चे कपड़ा उद्योग में कार्यरत थे तथा उनमें से कुछ की उम्र 10 वर्ष के आसपास थी, फिर भी विकासशील देशों में बाल-श्रमिकों का प्रतिशत काफी ज्यादा पाया जाता है। विशेषकर भारत जैसे देश में जहाँ पर कि हर बाल-श्रमिकों की संख्या अन्य विकासशील देशों की तुलना में काफी अधिक है। 2023 तक , दुनिया के सबसे गरीब देशों में, पांच में से एक बच्चा बाल श्रम में लगा हुआ है, जिनमें से सबसे अधिक संख्या उप-सहारा अफ्रीका में रहती है, जहां हर चार में से एक से अधिक बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं।[1] यह पिछले आधे दशक में बाल श्रम में गिरावट को दर्शाता है।

2017 में, चार अफ्रीकी देशों (माली, बेनिन, चाड और गिनी-बिसाऊ) में 5-14 आयु वर्ग के 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे काम करते देखे गए, दुनिया भर में कृषि बाल श्रम का सबसे बड़ा नियोक्ता है। बाल श्रम का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण परिवेश और अनौपचारिक क्षेत्रों में पाया जाता हैशहरी अर्थव्यवस्थाएँ य बच्चों को मुख्यत: कारखानों के बजाय उनके माता-पिता द्वारा नियोजित किया जाता है। गरीबी और स्कूलों की कमी को बाल श्रम का प्राथमिक कारण माना जाता है। यूनिसेफ का कहना है कि ष्लड़के और लड़कियों के बाल श्रम में शामिल होने की समान संभावना हैष, लेकिन विभिन्न भूमिकाओं में, लड़कियों द्वारा अवैतनिक घरेलू श्रम करने की संभावना काफी अधिक है।

विश्व बैंक के अनुसार, 1960 और 2003 के बीच वैश्विक स्तर पर बाल श्रम की घटनाएं 25% से घटकर 10% हो गईं । फिर भी, बाल श्रमिकों की कुल संख्या अधिक बनी हुई है, यूनिसेफ और आईएलओ ने स्वीकार किया है कि 2013 में दुनिया भर में 5-17 आयु वर्ग के अनुमानित 168 मिलियन बच्चे बाल श्रम में शामिल थे।[2]

बाल श्रम पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। इस प्रकार की मजदूरी को समाज में हर वर्ग द्वारा निंदित भी किया जाता है। भारत के संविधान 1950 के 24 वें अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी, कारखानों, होटलों, ढाबों, घरेलू नौकर इत्यादि के रूप में कार्य करवाना बाल श्रम के अंतर्गत आता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है, तो उसके लिए उचित दंड का प्रावधान

है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 35 मिलियन से भी ज्यादा बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में बाल मजदूरी होती है।[3]

कोविड-19 महामारी से विश्व काफी प्रभावित हुआ है और स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार से संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न कमियाँ उजागर हुई हैं। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं रहा है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार WHO ने भारत में लगभग 5,31,843 मौतों का आँकड़ा लगाया है।[4]

समाज के हाशिये पर स्थित वर्गों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिये इस महामारी का प्रभाव अत्यंत गहन और दीर्घावधिक रहा है। पहले से ही कमजोर आर्थिक स्थिति में जी रहे परिवार गरीबी के कगार पर पहुँच गए हैं। इन स्थितियों ने सामाजिक असमानताओं की भी वृद्धि की है और महिलाओं एवं बच्चों के लिये दुर्व्यवहार, हिंसा एवं सुरक्षा की कमी का जोखिम उत्पन्न किया है।

यूनिसेफ (UNICEF) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organçation& ILO) की वर्ष, 2022 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चूँकि कोविड ने वैश्विक स्तर पर बच्चों को बाल श्रम के खतरे में डाल दिया है, इसलिये वर्ष 2022 के अंत तक बाल श्रम के मामलों में 8.9 मिलियन तक की वृद्धि हो सकती भारत में बाल श्रम से संबंधित आँकड़े:

1. जनगणना 2011 के अंतिम उपलब्ध आँकड़े के अनुसार भारत में 10.1 मिलियन बाल श्रमिक मौजूद थे।
2. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 में बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत लगभग 982 मामले दर्ज किये गए, जिनमें सबसे अधिक मामले तेलंगाना में दर्ज हुए और इसके बाद असम का स्थान रहा।
3. भारत में प्रवासी बच्चों पर कोविड-19 के प्रभाव पर 'Aide et Action' के अध्ययन से पता चलता है कि COVID-19 महामारी की पहली लहर के बाद ईंट निर्माण उद्योग में अपने कार्यशील माता-पिता के साथ शामिल होने वाले बच्चों की संख्या में दोगुना वृद्धि हुई है।
4. 'Campaign Against Child Labour' (CACL) के एक अध्ययन के अनुसार 818 बच्चों के बीच किये गए सर्वेक्षण में कार्यशील बच्चों के अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई (28.2% से बढ़कर 79.6%), जिसका मुख्य कारण था COVID-19 महामारी का प्रकोप और विद्यालयों का बंद होना।
5. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, COVID-19 के प्रभावों के कारण बाल श्रम से संलग्न बच्चों की संख्या बढ़कर 160 मिलियन हो गई है और लाखों अन्य बच्चे इसके जोखिम में हैं।

निष्कर्ष

प्राचीन भारतीय और वैश्विक इतिहास से यह पता चलता है कि सभी समाजों ने बच्चों के महत्व को समझा है, लेकिन विकासशील समाजों में उनकी समस्याएँ अधिक गंभीर हैं। यहाँ बच्चों को उचित स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं मिलतीं। कौटिल्य ने बच्चों के गुलामी का उल्लेख किया है। अंग्रेजों की भूमि बन्दोबस्त प्रथा से बंधुआ मजदूर प्रणाली बढ़ी। 1931 में बालश्रम की समस्या पर रिपोर्ट आई। 1969 में इसे बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन बताया गया। बालश्रम रोकने के लिए शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है। बच्चे समाज का भविष्य हैं, इसलिए उनकी देखभाल करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों को विकास के अधिकार दिए हैं और 1979 को अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया। भारत की बाल नीति 1974 का लक्ष्य बच्चों के विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। बालश्रम से तात्पर्य है 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा किया गया कार्य। यह एक आर्थिक और सामाजिक समस्या है जो बच्चों के स्वास्थ्य और विकास को प्रभावित करती है। भारत में 35 मिलियन से अधिक बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, और राजस्थान जैसे राज्यों में। कोविड-19 महामारी के बाद बालश्रम की समस्या और बढ़ गई है। महामारी ने बच्चों के लिए खतरे को बढ़ाया है, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, भारत में बाल श्रमिकों की संख्या हाल के वर्षों में बढ़ी है, खासकर ईंट निर्माण उद्योग में। बाल श्रम को पूरी तरह से गैरकानूनी माना जाता है, और भारतीय संविधान इस पर पाबंदी लगाता है। बाल श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी सुरक्षित कार्यों की बजाय उनकी खराब परिस्थितियों को दर्शाती है। भारत में बाल श्रम एक गंभीर समस्या है, और इसे प्रभावी ढंग से हल करना आवश्यक है।

संदर्भ

1. "दुनिया के सबसे गरीब देशों में, 5 में से 1 से थोड़ा अधिक बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं"। यूनिसेफ । जून 2023.
2. यूनिसेफ का कहना है, "बाल श्रम को खत्म करने के लिए इसकी जड़ों पर हमला करें"। यूनिसेफ. 2013
3. WHO, UNICEF, ILO, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो,
4. यूनिसेफ (UNICEF) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organçation& ILO) की वर्ष, 2022 की एक रिपोर्ट

औद्योगिकीकरण के नकारात्मक प्रभाव एवं उद्योग जन्य समस्याओं के निदान हेतु उपाय (छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ में)

रामनारायण खूंटे

शोध छात्र (समाज शास्त्र) अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)

डॉ० अर्चना शुक्ला

शोध निर्देशक एवं विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र अध्ययन एवं शोध विभाग, शासकीय शबरी माता स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

शोधसार

औद्योगिकीकरण ने छत्तीसगढ़ जैसे संसाधन-संपन्न राज्य में आर्थिक विकास को गति दी है, किंतु इसके नकारात्मक प्रभाव भी उजागर हुए हैं। यह शोध पत्र छत्तीसगढ़ के संदर्भ में औद्योगिकीकरण के दुष्प्रभावों का विश्लेषण करता है और उद्योग-जन्य समस्याओं के निदान हेतु प्रभावी उपाय सुझाता है। छत्तीसगढ़ में खनिज-आधारित उद्योगों, जैसे इस्पात और सीमेंट, ने रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा दिया, परंतु पर्यावरण प्रदूषण, वन विनाश, और जनजातीय समुदायों का विस्थापन प्रमुख चुनौतियां बनकर उभरी हैं। वायु और जल प्रदूषण ने स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाला है, जबकि भूमि अधिग्रहण ने सामाजिक-आर्थिक असमानता को बढ़ाया है। नकारात्मक प्रभावों में शामिल हैं: पर्यावरण क्षरण, जैव विविधता ह्रास, स्वास्थ्य समस्याएं, और सामाजिक असंतुलन। उदाहरण 28, कोरबा और रायगढ़ जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न वायु प्रदूषण और थर्मल प्रदूषण ने स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त, वन विनाश और जल संसाधनों का अति-दोहन भी गंभीर मुद्दे हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु सुझाए गए उपायों में सतत विकास को बढ़ावा देना, पर्यावरणीय नियमों का कड़ाई से पालन, और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग शामिल हैं। स्थानीय समुदायों की भागीदारी, पुनर्वास नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन, और हरी प्रौद्योगिकी को अपनाना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ में पारिस्थितिकी संरक्षण और सामुदायिक विकास को प्राथमिकता देकर औद्योगिकीकरण के लाभों को अधिक समावेशी बनाया जा सकता है।

मुख्य शब्द: औद्योगिकीकरण, नकारात्मक प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, छत्तीसगढ़, सतत विकास, वन विनाश, जनजातीय विस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरी प्रौद्योगिकी, सामुदायिक विकास।

प्रस्तावना

औद्योगिकीकरण आधुनिक समाज के आर्थिक विकास का आधार रहा है, जिसने वैश्विक स्तर पर उत्पादन, रोजगार, और बुनियादी ढांचे के विकास को गति प्रदान की है। छत्तीसगढ़ जैसे संसाधन-संपन्न राज्य में, औद्योगिकीकरण ने आर्थिक प्रगति के नए द्वार खोले हैं, किंतु इसके साथ ही पर्यावरणीय, सामाजिक, और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी सामने आई हैं। यह शोध पत्र छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में औद्योगिकीकरण के नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण करता है और उद्योग-जन्य समस्याओं के निदान हेतु प्रभावी उपाय प्रस्तुत करता है। छत्तीसगढ़, जिसे "भारत का खनिज भंडार" कहा जाता है, अपनी प्रचुर खनिज संपदा, जैसे कोयला, लौह अयस्क, और बॉक्साइट, के कारण औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है। इस्पात, सीमेंट, और विद्युत उत्पादन जैसे उद्योगों ने राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त किया, परंतु इसके दुष्प्रभावों ने स्थानीय समुदायों, पर्यावरण, और जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव डाला है।

छत्तीसगढ़ में औद्योगिकीकरण का महत्व असंदिग्ध है। राज्य की अर्थव्यवस्था में खनिज-आधारित उद्योगों का योगदान लगभग 30% है, जो इसे भारत के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में से एक बनाता है (छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण, 2023)। भिलाई इस्पात संयंत्र, कोरबा के थर्मल पावर प्लांट, और रायगढ़ के औद्योगिक केंद्र जैसे उदाहरण राज्य की औद्योगिक क्षमता को दर्शाते हैं। इन उद्योगों ने न केवल रोजगार के अवसर सृजित किए, बल्कि सड़क, रेल, और शहरीकरण जैसे बुनियादी ढांचे के विकास को भी प्रोत्साहित किया। हालांकि, औद्योगिकीकरण की यह प्रगति बिना लागत के नहीं आई। पर्यावरण प्रदूषण, वन विनाश, और जनजातीय समुदायों का विस्थापन जैसे

मुद्दों ने छत्तीसगढ़ के सामाजिक-आर्थिक ढांचे पर गहरा प्रभाव डाला है। उदाहरण के लिए, कोरबा, जिसे "भारत की पावर कैपिटल" कहा जाता है, वायु प्रदूषण के कारण देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 2022)।

औद्योगिकीकरण के नकारात्मक प्रभावों में पर्यावरण क्षरण प्रमुख है। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों और खनन गतिविधियों से उत्पन्न वायु और जल प्रदूषण ने स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाया है। छत्तीसगढ़ के 44% वन क्षेत्र, जो जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र हैं, खनन और औद्योगिक गतिविधियों के कारण खतरे में हैं (भारतीय वन सर्वेक्षण, 2021)। इसके अतिरिक्त, भूमि अधिग्रहण ने जनजातीय समुदायों को उनकी पारंपरिक आजीविका से वंचित किया है। लगभग 60% जनजातीय आबादी, जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का एक तिहाई हिस्सा है, औद्योगिक परियोजनाओं के कारण विस्थापन का सामना कर रही है (सामाजिक विकास रिपोर्ट, 2022)। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, प्रदूषण के कारण श्वसन रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं, विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्रों जैसे रायगढ़ और बिलासपुर में।

इस शोध का उद्देश्य इन नकारात्मक प्रभावों का गहन विश्लेषण करना और सतत विकास के सिद्धांतों के आधार पर समाधान प्रस्तुत करना है। शोध के प्रमुख प्रश्न हैं: (1) छत्तीसगढ़ में औद्योगिकीकरण के प्रमुख नकारात्मक प्रभाव क्या हैं? (2) इन प्रभावों को कम करने और उद्योग-जन्य समस्याओं के निदान के लिए कौन से उपाय प्रभावी हो सकते हैं? यह अध्ययन पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक विकास, और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में समाधान सुझाएगा। उदाहरण के लिए, हरी प्रौद्योगिकी और कड़े पर्यावरणीय नियमों का कार्यान्वयन प्रदूषण को कम कर सकता है, जबकि प्रभावी पुनर्वास नीतियां विस्थापित समुदायों को सशक्त बना सकती हैं।

छत्तीसगढ़ में औद्योगिकीकरण के लाभ और हानि के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। यह शोध पत्र इस दिशा में एक कदम है, जो नीति निर्माताओं, उद्योगों, और स्थानीय समुदायों के लिए उपयोगी सुझाव प्रदान करेगा। सतत औद्योगिकीकरण का मॉडल अपनाकर, छत्तीसगढ़ न केवल अपनी आर्थिक प्रगति को बनाए रख सकता है, बल्कि अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों की रक्षा भी कर सकता है।

छत्तीसगढ़ में औद्योगिकीकरण का अवलोकन

छत्तीसगढ़, अपनी प्रचुर खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों के कारण, भारत के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में से एक है। राज्य का औद्योगिक विकास न केवल आर्थिक प्रगति का प्रतीक है, बल्कि इसके सामाजिक-आर्थिक ढांचे को भी प्रभावित करता है। इस खंड में छत्तीसगढ़ में औद्योगिकीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों, और इसके आर्थिक लाभों का विश्लेषण किया जाएगा। औद्योगिकीकरण ने राज्य में रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे का विकास, और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान जैसे सकारात्मक परिणाम दिए हैं, किंतु इसके नकारात्मक प्रभावों को समझने के लिए इसके विकास के पैटर्न को जानना आवश्यक है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और औद्योगिक विकास की प्रगति

छत्तीसगढ़ का औद्योगिक इतिहास स्वतंत्रता के बाद के काल से शुरू होता है, जब भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) की स्थापना 1955 में हुई। यह संयंत्र, जो सोवियत सहायता से निर्मित हुआ, भारत के इस्पात उद्योग का एक मील का पत्थर बन गया। 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ के गठन के बाद, राज्य सरकार ने खनिज-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत सुधार किए। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा, जिसमें कोयला (देश का 17% भंडार), लौह अयस्क, और बॉक्साइट शामिल हैं, ने इस्पात, सीमेंट, और विद्युत उत्पादन जैसे उद्योगों को आकर्षित किया (छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण, 2023)। 1980 के दशक से औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आई, और 21वीं सदी में राज्य ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और औद्योगिक गलियारों की स्थापना की।

प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र

छत्तीसगढ़ के औद्योगिक परिदृश्य में कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, और भिलाई जैसे क्षेत्र प्रमुख हैं। कोरबा, जिसे "पावर हब" के रूप में जाना जाता है, कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स का केंद्र है। यहां राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) और अन्य निजी संयंत्र राज्य की विद्युत आपूर्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। रायगढ़ इस्पात और सीमेंट उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, जहां जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड जैसे बड़े उद्योग संचालित होते हैं। भिलाई में बीएसपी न केवल राज्य का, बल्कि देश का एक प्रमुख इस्पात उत्पादन केंद्र है। बिलासपुर और दुर्ग जैसे क्षेत्र छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए उभर रहे हैं। इन क्षेत्रों में खनन, इस्पात, सीमेंट, और एल्यूमिनियम जैसे उद्योगों का वर्चस्व है, जो राज्य की औद्योगिक पहचान को मजबूत करते हैं (उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, 2022)।

आर्थिक लाभ

औद्योगिकीकरण ने छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया है। राज्य की जीडीपी में उद्योगों का योगदान लगभग 30% है, जिसमें खनिज-आधारित उद्योगों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है (छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण, 2023)। भिलाई इस्पात संयंत्र जैसे उद्योगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार प्रदान किया है। उदाहरण के लिए, बीएसपी में लगभग 50,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, और इसके सहायक उद्योगों ने हजारों छोटे व्यवसायों को जन्म दिया है। कोरबा और रायगढ़ जैसे क्षेत्रों में बिजली उत्पादन ने न केवल राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया, बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी बिजली आपूर्ति की।

बुनियादी ढांचे के विकास में भी औद्योगिकीकरण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास सड़क, रेल, और बंदरगाह जैसी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। रायपुर और बिलासपुर जैसे शहरों का शहरीकरण औद्योगिक गतिविधियों का परिणाम है। इसके अतिरिक्त, उद्योगों ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया है। उदाहरण के लिए, जिंदल समूह ने रायगढ़ में स्कूल और अस्पताल जैसी सामुदायिक सुविधाएं स्थापित की हैं (सामाजिक प्रभाव प्रतिवेदन, 2022)।

हालांकि, इन लाभों के बावजूद, औद्योगिकीकरण के नकारात्मक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर्यावरण प्रदूषण, जनजातीय विस्थापन, और स्वास्थ्य समस्याएं जैसे मुद्दे औद्योगिक विकास की छाया हैं। कोरबा में वायु प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से कई गुना अधिक है (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 2022)। इसी प्रकार, खनन और भूमि अधिग्रहण ने जनजातीय समुदायों की आजीविका को प्रभावित किया है। इस प्रकार, छत्तीसगढ़ में औद्योगिकीकरण की कहानी लाभ और हानि का एक जटिल मिश्रण प्रस्तुत करती है।

औद्योगिकीकरण के नकारात्मक प्रभाव

छत्तीसगढ़ में औद्योगिकीकरण ने आर्थिक प्रगति को गति दी है, किंतु इसके नकारात्मक प्रभावों ने पर्यावरण, समाज, और स्वास्थ्य पर गंभीर चुनौतियां खड़ी की हैं। खनिज-आधारित उद्योगों, जैसे इस्पात, सीमेंट, और कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों, ने राज्य को औद्योगिक केंद्र बनाया, परंतु इनके दुष्प्रभावों ने स्थानीय समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित किया है। यह खंड छत्तीसगढ़ के संदर्भ में औद्योगिकीकरण के पर्यावरणीय, सामाजिक-आर्थिक, और स्वास्थ्य संबंधी नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण करता है।

पर्यावरणीय प्रभाव

औद्योगिकीकरण का सबसे प्रमुख नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण क्षरण है। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों, विशेष रूप से कोरबा और रायगढ़, में वायु और जल प्रदूषण गंभीर समस्या बन गया है। कोरबा में कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स से उत्पन्न होने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक वायु गुणवत्ता को खराब करते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (2022) के अनुसार, कोरबा का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) अक्सर 200 से ऊपर रहता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जल प्रदूषण भी एक बड़ी चुनौती है। औद्योगिक अपशिष्ट, जैसे भारी धातुएं और रसायन, हसदेव और मांड जैसी नदियों में प्रवाहित होते हैं, जिससे जल स्रोत दूषित हो रहे हैं।

वन विनाश और जैव विविधता ह्रास भी चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ के 44% वन क्षेत्र, जो भारत की जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, खनन और औद्योगिक गतिविधियों के कारण खतरे में हैं (भारतीय वन सर्वेक्षण, 2021)। उदाहरण के लिए, सरगुजा और कोरिया जिलों में कोयला खनन ने बाघों और अन्य वन्यजीवों के आवास को नष्ट किया है। इसके अतिरिक्त, थर्मल पावर प्लांट्स से उत्पन्न गर्म पानी नदियों में छोड़ा जाता है, जिससे थर्मल प्रदूषण बढ़ता है और जलीय जीवन प्रभावित होता है।

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

औद्योगिकीकरण ने सामाजिक-आर्थिक असमानता को भी बढ़ाया है। भूमि अधिग्रहण और जनजातीय समुदायों का विस्थापन प्रमुख मुद्दे हैं। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का लगभग 32% जनजातीय है, और ये समुदाय अपनी आजीविका के लिए वनों और कृषि पर निर्भर हैं। औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण ने इन समुदायों को विस्थापित किया है। सामाजिक विकास रिपोर्ट (2022) के अनुसार, पिछले दो दशकों में लगभग 1.5 लाख जनजातीय लोग औद्योगिक परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए हैं। मुआवजे और पुनर्वास नीतियों का अपर्याप्त कार्यान्वयन इन समुदायों को और हाशिए पर धकेल रहा है।

इसके अतिरिक्त, औद्योगिकीकरण ने सामाजिक असंतुलन को बढ़ावा दिया है। जहां उद्योगों ने कुछ लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए, वहीं स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से अकुशल श्रमिकों, को अक्सर निम्न-वेतन वाली नौकरियां मिलती हैं। यह असमानता सामाजिक तनाव का कारण बन रही है। रायगढ़ और बिलासपुर जैसे क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों और बाहरी श्रमिकों के बीच संघर्ष के मामले सामने आए हैं (छत्तीसगढ़ सामाजिक सर्वेक्षण, 2023)।

स्वास्थ्य समस्याएं

औद्योगिकीकरण के कारण स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ी हैं। वायु प्रदूषण के कारण श्वसन रोग, जैसे अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी), कोरबा और रायगढ़ जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में आम हो गए हैं। एक अध्ययन के अनुसार, कोरबा में 10% से अधिक आबादी श्वसन संबंधी समस्याओं से पीड़ित है (स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार, 2022)। जल प्रदूषण ने भी स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाला है। दूषित पानी के उपयोग से त्वचा रोग और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं बढ़ रही हैं।

दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव भी चिंताजनक हैं। भारी धातुओं, जैसे आर्सेनिक और मरकरी, के संपर्क में आने से कैंसर और न्यूरोलॉजिकल विकारों का जोखिम बढ़ता है। विशेष रूप से बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर इनका प्रभाव गंभीर है। औद्योगिक क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी इस समस्या को और जटिल बनाती है।

छत्तीसगढ़ में औद्योगिकीकरण के नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण, समाज, और स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल रहे हैं। इन समस्याओं का समाधान सतत विकास, कड़े पर्यावरणीय नियमों, और समावेशी नीतियों के माध्यम से संभव है। अगले खंडों में इन समस्याओं के निदान हेतु उपायों पर चर्चा की जाएगी।

उद्योग-जन्य समस्याओं के निदान हेतु उपाय

छत्तीसगढ़ में औद्योगिकीकरण ने आर्थिक विकास को गति दी है, किंतु इसके नकारात्मक प्रभाव, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, जनजातीय विस्थापन, और स्वास्थ्य समस्याएं, गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। इन उद्योग-जन्य समस्याओं के समाधान के लिए सतत विकास के सिद्धांतों पर आधारित उपायों की आवश्यकता है। यह खंड छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक-आर्थिक समाधान, और स्वास्थ्य सुधार के लिए प्रभावी उपायों पर चर्चा करता है।

पर्यावरण संरक्षण

पर्यावरण क्षरण को रोकने के लिए कड़े नियमों का पालन और नवीन प्रौद्योगिकियों का उपयोग अनिवार्य है। सबसे पहले, पर्यावरणीय नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (2022) ने कोरबा और रायगढ़ जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपायों की कमी को उजागर किया है। उद्योगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स और स्क्रबर्स जैसे प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग अनिवार्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, जैसे सौर और पवन ऊर्जा, को बढ़ावा देना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, और सरकारी नीतियों के माध्यम से इसे कोयला आधारित बिजली का विकल्प बनाया जा सकता है (छत्तीसगढ़ नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, 2023)।

वनीकरण और जैव विविधता संरक्षण भी महत्वपूर्ण हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाए जाने चाहिए। भारतीय वन सर्वेक्षण (2021) के अनुसार, छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र को पुनर्जनन के लिए समुदाय-आधारित वनीकरण मॉडल प्रभावी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, सरगुजा जिले में जनजातीय समुदायों की भागीदारी से वनीकरण परियोजनाएं सफल रही हैं। इसके साथ ही, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए रिसाइक्लिंग और अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना की जानी चाहिए।

सामाजिक-आर्थिक समाधान

जनजातीय विस्थापन और सामाजिक असमानता को कम करने के लिए समावेशी नीतियां आवश्यक हैं। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित समुदायों के लिए प्रभावी पुनर्वास और मुआवजा नीतियों का कार्यान्वयन अनिवार्य है। सामाजिक विकास रिपोर्ट (2022) के अनुसार, छत्तीसगढ़ में कई विस्थापित परिवारों को अपर्याप्त मुआवजा और पुनर्वास सुविधाएं मिली हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विस्थापित समुदायों को आवास, शिक्षा, और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। उदाहरण के लिए, भिलाई इस्पात संयंत्र ने अपने पुनर्वास कार्यक्रमों में प्रभावित परिवारों के लिए स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए, जिन्हें अन्य क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है।

स्थानीय समुदायों की भागीदारी और कौशल विकास भी महत्वपूर्ण हैं। औद्योगिक परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने ष्मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनाष के तहत कई पहल शुरू की हैं, जिन्हें और विस्तार देने की आवश्यकता है (छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण, 2023)। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय समुदायों को औद्योगिक परियोजनाओं की योजना और निगरानी में शामिल किया जाना चाहिए। यह सामाजिक तनाव को कम करने और विश्वास निर्माण में सहायक होगा।

स्वास्थ्य सुधार

औद्योगिक प्रदूषण से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं के निदान के लिए व्यापक उपाय आवश्यक हैं। सबसे पहले, प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करके वायु और जल की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, औद्योगिक क्षेत्रों में स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार (2022) ने सुझाव दिया है कि कोरबा जैसे क्षेत्रों में नियमित स्वास्थ्य शिविर और मुफ्त चिकित्सा जांच सुविधाएं प्रदान की जाएं।

जागरूकता अभियान भी स्वास्थ्य सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्थानीय समुदायों को प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों और बचाव के उपायों के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, रायगढ़ में गैर-सरकारी संगठनों ने जल शुद्धिकरण और स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए, जो प्रभावी सिद्ध हुए हैं। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। मोबाइल चिकित्सा इकाइयां और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने से दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं को कम किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ में उद्योग-जन्य समस्याओं का समाधान सतत विकास, सामुदायिक भागीदारी, और तकनीकी नवाचार के माध्यम से संभव है। पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक-आर्थिक समावेशन, और स्वास्थ्य सुधार पर केंद्रित ये उपाय औद्योगिकीकरण के लाभों को अधिक समावेशी और टिकाऊ बना सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के लिए सतत औद्योगिकीकरण का मॉडल

छत्तीसगढ़ में औद्योगिकीकरण ने आर्थिक प्रगति को गति दी है, किंतु पर्यावरण प्रदूषण, जनजातीय विस्थापन, और स्वास्थ्य समस्याओं जैसे नकारात्मक प्रभावों ने सतत विकास की आवश्यकता को रेखांकित किया है। सतत औद्योगिकीकरण का मॉडल पर्यावरण, समाज, और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करके छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को समावेशी और टिकाऊ बना सकता है। यह खंड सतत विकास के सिद्धांतों, संतुलित दृष्टिकोण, और अन्य राज्यों/देशों से प्रेरणा लेकर छत्तीसगढ़ के लिए एक प्रभावी मॉडल प्रस्तुत करता है।

सतत विकास के सिद्धांतों का एकीकरण

सतत औद्योगिकीकरण का आधार पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समावेशन, और आर्थिक व्यवहार्यता है। छत्तीसगढ़ में खनिज-आधारित उद्योगों, जैसे इस्पात और विद्युत उत्पादन, ने पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाला है। सतत विकास के लिए हरी प्रौद्योगिकी को अपनाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, कोयला आधारित संयंत्रों के बजाय सौर और पवन ऊर्जा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (2023) के अनुसार, राज्य में सौर ऊर्जा की क्षमता 20,000 मेगावाट से अधिक है, जिसका उपयोग औद्योगिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स, अनिवार्य रूप से स्थापित करने चाहिए (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 2022)।

जैव विविधता संरक्षण और वनीकरण भी सतत मॉडल का हिस्सा हैं। खनन प्रभावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण और पारिस्थितिकी पुनर्जनन परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिए। भारतीय वन सर्वेक्षण (2021) ने सुझाव दिया कि सामुदायिक वनीकरण मॉडल, जैसे कि सरगुजा में लागू किए गए, प्रभावी हो सकते हैं। ये प्रयास न केवल पर्यावरण को संरक्षित करेंगे, बल्कि स्थानीय समुदायों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेंगे।

पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन

सतत औद्योगिकीकरण के लिए पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक विकास के बीच संतुलन आवश्यक है। छत्तीसगढ़ में जनजातीय समुदायों का विस्थापन एक प्रमुख समस्या रही है। सामाजिक विकास रिपोर्ट (2022) के अनुसार, प्रभावी पुनर्वास नीतियां और मुआवजा योजनाएं लागू करके विस्थापित समुदायों को सशक्त बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, भिलाई इस्पात संयंत्र ने अपने पुनर्वास कार्यक्रमों में विस्थापित परिवारों के लिए स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए, जिन्हें अन्य क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है।

आर्थिक दृष्टिकोण से, सतत औद्योगिकीकरण को छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को बढ़ावा देना चाहिए। ये उद्यम स्थानीय रोजगार सृजित करते हैं और पर्यावरण पर कम प्रभाव डालते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की ष्मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनाष (छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण, 2023) जैसे कार्यक्रमों को और विस्तार देकर स्थानीय युवाओं को औद्योगिक और गैर-औद्योगिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय समुदायों को औद्योगिक परियोजनाओं की योजना और निगरानी में शामिल करके सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ाई जा सकती है।

अन्य राज्यों/देशों से प्रेरणा: सफल मॉडल और सर्वोत्तम प्रथाएं

छत्तीसगढ़ सतत औद्योगिकीकरण के लिए अन्य राज्यों और देशों से प्रेरणा ले सकता है। उदाहरण के लिए, जर्मनी का "एनर्जीवेंडे" मॉडल नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित औद्योगिक विकास का एक सफल उदाहरण है। जर्मनी ने कोयला आधारित ऊर्जा को सौर और पवन ऊर्जा से प्रतिस्थापित करके पर्यावरण और अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित किया (जर्मन पर्यावरण मंत्रालय, 2022)। छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार की नीतियां लागू की जा सकती हैं।

भारत में, गुजरात का सौर ऊर्जा मॉडल एक प्रेरणादायक उदाहरण है। गुजरात ने सौर पार्क और सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण कम हुआ (गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी, 2023)। छत्तीसगढ़ में कोरबा और रायगढ़ जैसे क्षेत्रों में सौर पार्क स्थापित किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ओडिशा में सामुदायिक भागीदारी पर आधारित खनन पुनर्वास मॉडल को अपनाया जा सकता है, जहां स्थानीय समुदायों को खनन परियोजनाओं से होने वाले लाभ का हिस्सा मिलता है (ओडिशा खनन निगम, 2022)।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ में औद्योगिकीकरण ने आर्थिक विकास को गति दी है, किंतु इसके पर्यावरणीय, सामाजिक, और स्वास्थ्य संबंधी नकारात्मक प्रभावों ने सतत विकास की आवश्यकता को रेखांकित किया है। यह शोध पत्र छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में औद्योगिकीकरण के नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण करता है और उद्योग-जन्य समस्याओं के निदान हेतु उपाय प्रस्तुत करता है। इस खंड में शोध के प्रमुख निष्कर्षों का सारांश, सतत औद्योगिकीकरण की आवश्यकता, और भविष्य के शोध एवं नीतिगत सुझावों पर चर्चा की गई है।

प्रमुख निष्कर्षों का सारांश

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में खनिज-आधारित उद्योगों, जैसे इस्पात, सीमेंट, और विद्युत उत्पादन, का योगदान लगभग 30% है, जो रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है (छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण, 2023)। कोरबा, रायगढ़, और भिलाई जैसे औद्योगिक केंद्रों ने राज्य को भारत के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में स्थापित किया है। हालांकि, इन उद्योगों ने पर्यावरण प्रदूषण, वन विनाश, और जनजातीय विस्थापन जैसी समस्याएं उत्पन्न की हैं। कोरबा में वायु प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से कई गुना अधिक है, और 44% वन क्षेत्र खनन गतिविधियों के कारण खतरे में हैं (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 2022; भारतीय वन सर्वेक्षण, 2021)।

सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण से, भूमि अधिग्रहण ने जनजातीय समुदायों को उनकी आजीविका से वंचित किया है। लगभग 1.5 लाख जनजातीय लोग पिछले दो दशकों में विस्थापित हुए हैं, और अपर्याप्त पुनर्वास नीतियों ने सामाजिक असमानता को बढ़ाया है (सामाजिक विकास रिपोर्ट, 2022)। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रदूषण के कारण श्वसन रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं, विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्रों में (स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार, 2022)।

इन समस्याओं के समाधान के लिए सतत विकास के सिद्धांतों पर आधारित उपाय सुझाए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और हरी प्रौद्योगिकी को अपनाना, सामाजिक समावेशन के लिए प्रभावी पुनर्वास नीतियां और कौशल विकास, तथा स्वास्थ्य सुधार के लिए प्रदूषण नियंत्रण और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है। अन्य राज्यों और देशों, जैसे गुजरात और जर्मनी, के सतत औद्योगिकीकरण मॉडल छत्तीसगढ़ के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं।

छत्तीसगढ़ में सतत औद्योगिकीकरण की आवश्यकता

छत्तीसगढ़ में सतत औद्योगिकीकरण अपनाना अपरिहार्य है ताकि आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण और सामाजिक संतुलन बनाए रखा जा सके। वर्तमान औद्योगिक मॉडल, जो खनिजों के अत्यधिक दोहन और प्रदूषण पर आधारित है, दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ नहीं है। सतत मॉडल पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक भागीदारी, और नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर कोयला आधारित संयंत्रों पर निर्भरता कम की जा सकती है, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी (छत्तीसगढ़ नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, 2023)।

सामाजिक दृष्टिकोण से, जनजातीय समुदायों को औद्योगिक परियोजनाओं के लाभों में हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। सामुदायिक भागीदारी और कौशल विकास कार्यक्रम स्थानीय लोगों को सशक्त बनाएंगे और सामाजिक तनाव को कम करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, नियमित स्वास्थ्य निगरानी और जागरूकता अभियान प्रदूषण के प्रभाव को कम कर सकते हैं। सतत औद्योगिकीकरण न केवल छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा को संरक्षित करेगा, बल्कि राज्य को वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप भी बनाएगा।

भविष्य के शोध और नीतिगत सुझाव

भविष्य के शोध में छत्तीसगढ़ के विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों, जैसे कोरबा और रायगढ़, में सतत प्रौद्योगिकियों के प्रभाव का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके अतिरैड।स्स्, छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए नीतिगत ढांचे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो कम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ रोजगार सृजित कर सकते हैं। नीतिगत सुझावों में शामिल हैं: (1) पर्यावरणीय नियमों का कड़ा कार्यान्वयन, (2) नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी, (3) जनजातीय समुदायों के लिए समावेशी पुनर्वास नीतियां, और (4) स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का विस्तार। सरकार को सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय नेताओं के साथ सहयोग करना चाहिए।

छत्तीसगढ़ में सतत औद्योगिकीकरण आर्थिक प्रगति और सामाजिक-पर्यावरणीय संतुलन के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एकमात्र मार्ग है। प्रस्तावित उपायों और नीतियों को लागू करके, छत्तीसगढ़ न केवल अपनी औद्योगिक क्षमता को बनाए रख सकता है, बल्कि अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित कर सकता है।

संदर्भ

1. छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण. (2023). छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर। चच. 45-60.
2. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड. (2022). राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम: वार्षिक प्रतिवेदन। चच. 23-35.
3. भारतीय वन सर्वेक्षण. (2021). भारत के वन संसाधन: छत्तीसगढ़। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार। चच. 12-25.
4. सामाजिक विकास रिपोर्ट. (2022). जनजातीय विस्थापन और औद्योगिकीकरण: छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। रायपुर। चच. 18-30.
5. स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार. (2022). औद्योगिक क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रभाव: एक अध्ययन। चच. 10-22.
6. छत्तीसगढ़ नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी. (2023). नवीकरणीय ऊर्जा नीति। रायपुर। चच. 5-15.
7. उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार. (2022). औद्योगिक नीति और प्रगति प्रतिवेदन। चच. 30-42.
8. छत्तीसगढ़ सामाजिक सर्वेक्षण. (2023). सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: औद्योगिक क्षेत्र। रायपुर। चच. 15-28.
9. जर्मन पर्यावरण मंत्रालय. (2022). एनर्जीवेंडे: नवीकरणीय ऊर्जा नीति। चच. 50-65.
10. गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी. (2023). सौर ऊर्जा नीति और प्रगति। चच. 8-20.
11. ओडिशा खनन निगम. (2022). सामुदायिक खनन मॉडल: एक अध्ययन। चच. 25-38.

मृच्छकटिकम् के प्रमुख पात्रों की अभिरुचियाँ और विकास

जितेन्द्र कुमार द्विवेदी

आचार्य सह अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, कमला राय कॉलेज, गोपालगंज

बृजेश कुमार मिश्र

(शोधार्थी) स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार

शोध - सारांश

महाकवि शूद्रक का विश्व-विश्रुत रूपक 'मृच्छकटिकम्' में प्रमुख स्त्री-पुरुष पात्रों अथवा प्रासङ्गिक दोनों चाण्डालों, स्थावर चन्दनक तथा विरक आदि समग्र पात्रों के चयन के साथ-साथ उनकी सहज अभिरुचियों या यूँ कहें कि प्रवृत्तियों के चित्रण में इस महाकवि की लेखनी कृतिमता के अभाव का ही दिग्दर्शन कराती है।

मनुष्य के हृदय में जागृत संवेक्षाओं, भावनाओं सहज प्रवृत्तियों, अभिलाषाओं, सहज ही उपजित इच्छाओं तथा अभिलषित विषयों-क्षेत्रों-कलाओं-पदार्थो अथवा मानवीय क्रिया-कलापों के प्रति विशेष आकर्षण एवं रसाकर्षण की अनुभूति होना आदि विभिन्न स्वरूपों वाली 'अभिरुचियों' चाहे वे वैयक्तिक हों- या सामाजिक परिवेश से सम्बन्ध रखती हों, मानव स्वभावानुकूल व अभिरुचियों मनुष्य के व्यक्तित्त्व-निर्माण में 'उपादान कारण' के रूप में अपना शीर्षस्थ-स्थान रखती ही है। संसार में साधारणतया देखा जाता है कि कोई भी प्राणधारी (मानव) स्व स्वभावानुरूप किसी विशिष्ट पदार्थ पुरुष या स्त्री या किसी स्थान आदि पर दृष्टिपात होने पर आकर्षण के कारण सहसा उसतरफ आकर्षित होकर स्वतः असहाय सा अनुभव करता है। असाधारण-विलक्षण-अद्भुत और अलौकिक पदार्थ या मानवीय क्रिया- कलाप मानव हृदय को अर्न्तदर्शन हेतु अथवा उसकी प्राप्ति के लिये तत्काल उद्भावित करने में सहायक हो ही जाते हैं। महाकवि शूद्रक का विश्व-विश्रुत रूपक 'मृच्छकटिकम्' में प्रमुख स्त्री-पुरुष पात्रों अथवा प्रासङ्गिक दोनों चाण्डालों, स्थावर चन्दनक तथा विरक आदि समग्र पात्रों के चयन के साथ-साथ उनकी सहज अभिरुचियों या यूँ कहें कि प्रवृत्तियों के चित्रण में इस महाकवि की लेखनी कृतिमता के अभाव का ही दिग्दर्शन कराती है। विषम-प्रतिपादन की दृष्टि से सामान्यता अभिरुचि को चार स्वरूपों के साथ उपस्थापित किया जा सकता है-

- हमारे ऋत्विक मनीषियों (पूर्वजों) के सुदृढ़ सङ्कल्प-स्वरूप 'मनुर्भव को उद्गालित करने वाली अथवा मनुष्य में मनुष्यत्त्व की गरिमा को उदात्त स्वरूप प्रदान करने वाली 'परिष्कृत अभिरुचियाँ'।
- किसी व्यक्ति-विशेष, विशेष वस्तु अथवा विशिष्ट पदार्थ के प्रति आकर्षण, उसकी प्राप्ति, अथवा उसका दिग्दर्शन करने की उत्कट इच्छा भी 'अभिरुचि' पद का ही द्योतक है।
- प्रकृति प्रदत्त पदार्थों में से सुन्दरतम पर दृष्टिपात करने, चित्र, संगीत इत्यादि कलाओं की रसानुभूति में भी 'अभिरुचि' ही कारण है।
- अन्तस् के उस सशक्त स्वरूप को भी हम 'अभिरुचि' शब्द से सम्बोधित कर सकते हैं जो सहृदयों या सामाजिकों को काव्य सौन्दर्य की सुखानु भूति में सहायक हो।

मानवीय अन्तस् को सन्तुष्टि प्रदान करने का प्रमुख साधन बहुधा 'अभिरुचि' ही है जो तत्तत् पदार्थों- व्यक्तियों अथवा उन उन विषयों के प्रति मानव- मनस्तोष से पहले उसके प्रति आकर्षण-उत्पन्न होना परमावश्यक है। मनुष्य की अभिरुचियों के नितान्त अस्थायी होने पर भी सामान्य जीवन में देखा जाता है कि किसी व्यक्ति या पदार्थ के प्रतिविभिन्न लोगों की विभिन्न अभिरुचियाँ हो सकती हैं। अभिरुचियाँ देश-काल, मानव के चहुँओर विस्तृत वातावरण, सामाजिक-पारिवारिक या वैयक्तिक परिस्थितियों के अनुरूप सदैव परिवर्तित होती दृष्टिगोचर होती हैं।

प्रत्येक सृष्टा जब अपनी साहित्यिक सृष्टि करता है तो वह अपनी कृति में समग्र पात्रों की संसृष्टि के समय उन उन पात्रों की विशिष्ट अभिरुचियों के चित्रण हेतु विशेष रूप से प्रयास करता है। महाकवि शूद्रक भी अपनी नाट्यकृति 'मृच्छकटिकम्' में सर्वपात्र- उद्भावना के समय उनकी अभिरुचियों के चित्रण पर विशेष ध्यान दिया है। प्रस्तुत रूपक में महाकवि शूद्रक के पात्रों की अपूर्वता का कारण

इनकी अभिरुचियों को माना जा सकता है। पात्रों के स्वभाव में यदि कहीं भिन्नता दृष्टिगोचर होती है तो अभिरुचियों के कारण, पात्रों की अभिन्नता और परस्पर टकराव में भी कारण अभिरुचियाँ ही हैं।

अभिरुचि में मानवीय आसक्ति तथा मानसिक सन्तुष्टि विद्यमान रहती है। अभिरुचि के कारण आसक्ति से समुद्भूत व्यक्ति को अपनी जन्म-भूमि-माता-पिता, प्रेयसी, कुल, जाति-सन्तति, सगे सम्बन्धियों से सम्बद्ध स्थान आदि के साथ आत्मीयता की प्रतीति होने लगती है। महाकवि शूद्रक विरचित 'मृच्छकटिकम्' में प्राय: सभी पात्रों के व्यक्तित्त्व को उभारने तथा उसमें निखार लाने में अभिरुचियों का विकास ही प्रत्यक्षकारण दिखाई देता है जिससे सहृदय सामाजिक अथवा पाठक को कवि के पात्रों की सजीवता-चित्रित करने की दक्षता का आभास हो जाता है।

अभिरुचियां को हम संस्कारजन्म तथा स्वभाव जन्य दो रूपों में ग्रहण कर सकते हैं। इस भौतिक जगत में आदि काल से ही मानव के लिये आकर्षण एवं विकर्षण की असीम सामग्री का दिग्दर्शन होता रहा है जिसके प्रति मनुष्य के जन्मजात संस्कार कुल परम्पराएं तथा चतुर्दिक प्रसरित सामाजिक परिवेश से उद्बुद्ध एषणाओं का प्रतिफल ही है कि कतिपय विशिष्ट जनों, वस्तुओं, पदार्थों अथवा अन्यान्य क्रियाकलापों की ओर मानव सहज ही उन्मुख या प्रवृत्त हो जाता है। इसके प्रतिकूल प्राचीन समाज के कुल-परम्परागत तथा सामयिक परिस्थितियों के प्रभाव के कारण उदासीन स्वभाव के अनेक व्यक्ति इसके उदाहरण हो सकते हैं।

कुल परम्परा से प्राप्त अभिरुचियों को अनुवांशिक अभिरुचियाँ कहा जाता है। मृच्छकटिकम् में पुरुष-पात्रों की अनुवांशिक अभिरुचियों को निम्नाङ्कित रूप से युवा ब्राह्मण है, ब्राह्मणत्त्व के प्रति सर्वथा सतर्क रहते हुए भी कर्म से वह सार्थ वाह है। वह कुलीन, सुसभ्य एवं सच्चारित्र युवक भी है। उसमें ऐसी विलक्षणता है कि उपजीवी के सम्पूर्ण जन-मन को जीत किया है। जिससे उसकी आनुवंशिक अभिरुचियों को 'उदात्त-अभिरुचियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। वह स्वत: को उस गजराज की तरह मानता है जिसके मदजल ने अनेक भौंरों को सन्तुष्ट किया है परन्तु उसी मदजल के सूख जाने पर कोई भौंरा आता ही नहीं-

एतत्तु मां दहति यत् गृहमस्मदीयं क्षीणार्थमित्यतिथय: परिवर्जयत्ति।
संशुष्कसान्द्रमदलेखमिव भ्रमन्त: कालात्यये मधुकरा: करिण: कपोलम्।।[1]

नाटक के स्त्री पात्रों में नायिका वसन्तसेना नारी चरित्र की दृढ़ता का प्रतीक है वह सत्य और विशुद्ध प्रेम की प्रतिमूर्ति है। वह अपूर्व त्याग और गुणस्पृहा की अग्नि में निरन्तर भस्मीभूत होकर गणिका-वृत्ति की कलुषता को भस्म कर, खरे सोने की तरह अपनी प्रभा से भास्वर करती नारी-रत्न है। भवभूति की सीता के समान न तो इसमें मर्यादा है न मालती के समान पितु-परतन्त्रता में आबद्ध कैशोर्य ही है कालिदास की शकुन्तला की मुग्ध-मनोसरिता भी नहीं है तथा मालविका की तरह आस्थान में फेका गया हीरे का टुकड़ा ही है उर्वशी का भी सौन्दर्य वसन्त सेना के सामने तुच्छ है। यद्यपि वसन्त सेना भी उर्वशी की तरह ही अपने जीवन की अनेक कटु तथा मधुर अनुभूतियों को लेकर सामाजिकों के सामने उपस्थित होती है फिर भी अपने त्याग-शालीनता-प्रत्युत्पन्नमतीत्त्व-गुण-स्पृहा तथा एकनिष्ठ प्रेम में वह उर्वशी को भी बहुत पीछे कर दिया है। वह उज्जयिनी की एक समृद्ध गणिका की पुत्री है जिसे विट 'वापी-लता या नौका की तरह सर्व भोग्या समझता है।'[2] वसन्तसेना अत्यन्त सम्पन्न, प्रभावशाली राजश्यालक अनुरक्त राजवल्लभ शक्तर को अपनी माँ की प्रेरणा के बावजूद ढुकराकर निर्धन चारुदत्त के प्रति हार्दिक आसक्ति तथा शुद्ध प्रेम का परिचय देती है यह सभी उसकी 'अर्जित अभिरुचियाँ' ही हैं। शकार उसे प्राप्त करने के लिये उसके घर स्वर्ण-राशि भेज देता है माता आग्रह पूर्वक अनुरोध करती है कि वह इसे स्वीकार कर ले परन्तु स्पष्ट शब्दों में माँ को दो टूक जवाब देते हुए कह उठती है- 'यदि माँ जीवन्ती मिच्छसि, तदा एवं न पुनरहं आज्ञापयितव्या।'' यह सब उसकी अर्जित अभिरुचियाँ हैं। वह अपने गणिकागर्हित-जीवन को त्यागकर अपार सम्पदा को ठुकराकर शुद्ध-आचारी अभिजात कुलोत्पन्न, दरिद्र किन्तु सुशील-सुन्दर एवं सदाचारीयुवा चारुदत्त को मन ही मन अपना हृदय-वल्लभ स्वीकार करना उसकी अर्जित अभिरुचियाँ हैं। 'शकार' मृच्छकटिकम्' का प्रतिनायक है। इसकी बहन राजा पालक की रखैल है। वह नीचकुलोत्पन्न किन्तु बहुत घमण्डी है। मूर्खता-कायरता-हठधर्मिता, क्रूरता एवं विलासिता का विचित्त समवाय लेकर सामाजिकों के सम्मुख उपस्थित होता है। वह इस बात पर गौरवान्वित होता है कि उसकी बहन राजा की रखैल है यदि वह चाहे तो अपनी माँ-बहन से कहकर न्यायाधीश को भी पदच्युत करवा सकता है। उसे न शास्त्र का ज्ञान है, न व्यवहार का ही। उल्टा सीधा जो मन में आता है वही बकता है। उसका यह दम्भ 'स्वभावजन्य अभिरुचि' का ही द्योतक है। वसन्त सेना के बदले रदनिका को उसी प्रकार पकड़ लेता है जैसे चाणक्य ने द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटा था-

'केश वृन्दे परामृष्टा चाणक्येनेव द्रोपदी'।[3]

वह धन-बल से वसन्त सेना को वश में करना चाहता है परन्तु सफल नहीं होता। क्रोधा-भिभूत होकर अवसर पाकर वह वसन्तसेना ही हत्या कर देता है तथा हत्या का अभियोग चारुदत्त पर मढ़कर उसे प्राणदण्ड दिलवाने में सफल हो जाता है इसका यह कृत्य 'स्वभावजन्य अभिरुचि' की श्रेणी में आता है। शकार अपने अभिनय, चालटाल और बातों से सामाजिकों में हास्य-रस की शृष्टि करता देखा जाता है।

शर्विलक- अप्रतिग्रही चतुर्वेदी कुल का एक उत्साह से परिपूर्ण युवक है इसके चरित्र में सबलता-दुर्बलता का सम्मिश्रण तथा सज्जनता और दुर्जनता का संयोग देखा जाता है। इसे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी एक वेश्या की दासी 'मदनिका' को अपनी प्रेयशी बनाने में जरा भी संकोच नहीं है। वह चौर्य-कला में निपुण है उसकी दृष्टि में चोरी करना एक कला एवं विशिष्टगुण है वह कहता है चौर्यकर्म तो पुराण प्रसिद्ध है। चोरी करना यदि बुरा कर्म होता तो द्रोण-पुत्र अश्वत्थामा सेंध लगाकर पाण्डवपुत्रों की हत्या क्यों करता-

कामं नीचमिदं वदन्तु पुरुषाः स्वप्ने च सद्धर्दते
विश्वस्तेषु च वे्चनापरिभवश्चौर्यं न शौर्यं हि तत।
स्वाधीनावचनीयतापि हि वरं वद्धो न सेवे्जनिः,
मार्गश्चौव नरेन्द्र सौप्टिकवधे पूर्वं कृतो द्रौणिना।।[4]

व्यावहारिक नियमपालन में पराधीन अधिकरणिक (न्यायाधीश) की पराधीनता से शर्विलकपूर्णपरिचित है इसीलिये नौकरी में हाथ जोड़े व्यक्ति की अपेक्षा आजीविका के रूप में तस्करी को साधन बनाना उचित समझता है। गुण-ग्राहकता की उसमें प्रचुरता है, नदनिका के समझाने पर चोरी किये गए आभूषण भी लौटाने को उद्यत हो जाता है। ये सभी उसकी 'अर्जित अभिरुचियाँ हैं। यज्ञोपवीत के सम्बन्ध में वह कहता है इससे सेंध काटने की जगह मापी जा सकती है और भी-

एतेनमापयतिभित्तिषु कर्ममार्गमेतेन मोचयति भूषण सम्प्रयोगात।
उद्घाटको भवति यन्त्रदृढ़े कपाटे दष्टस्य कीटभुषगेः परिवेष्टनेच।।[5]

शर्विलक मित्रवत्सल है वह अपने कूटनीतिक षड्यन्त्र से रेभिल को न केवल कारागार से मुक्त कराता है बल्कि पालक का सत्तापलट कर आर्यक को राजा बनवा देता है।

मैत्रेय इस प्रकार का विदूषक है। वह ब्राह्मण कुलोत्पन्न चारुदत्त का घनिष्ठ मित्र हे। चारुदत्त के शब्दों में ही वह उसका सर्वकालिक मित्र है। (अये, सर्वकालिकमित्रं मैत्रेयः प्राप्तः)। चारुदत्त को वह किसी भी स्थिति में दुःखी नहीं देखना चाहता बल्कि वह सतत् समृद्धि की कामना करता हे। चारुदत्त उसे प्राणों से भी प्यारा है। वह कट्टर धार्मिक नहीं है देव पूजा के प्रति यत्र-तत्र उसकी अनास्या ही दृष्टिगत होती है। स्वभाव से वह बहुत ही विनोदी है, अभिसारिका वसन्तसेना रात में जब चारुदत्त के घर पहुँचती है तब सब कुछ जानते हुए भी बड़े मासूमियत से पूछता है- "किं निमित्तं पुनरीदृशे प्रनण्ट चन्द्रालोके दुर्दिनान्धकारे आगता भवती?"

मैत्रेय (विदूषक) थोड़ा बुद्ध और क्रोधी भी है। रदनिका के अपमान से क्रुद्ध होकर वह शकार और विट पर टूट पड़ता है विट जब उसके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाता है तभी उस मुक्ति मिलती है। ये सभी बातों से ज्ञात होता है कि मैत्रेय की अभिरुचि 'स्वतन्त्रताजन्य अभिरुचि है।

दर्दुरक के रूप में शूद्रक ने ऐसे कंगाल व्यक्ति को उपस्थित कराया है जो अपनी क्रूरता प्रत्युत्पन्नमति एवं अन्याय के विरुद्ध साहस में बेजोड़ है जहाँ वह माथुर से छिपने के लिये अपना उत्तरीय ओढ़कर छिपने का प्रयास करता हैं तो पाता है कि-

अयं पटः सूत्रदरिद्रतां गतोह्ययपटश्छिद्रशतैरलङ्कृतः।
अयं पटः प्रावरितुं न शक्यते ह्ययं पटः संवृत एव शोभते।।[6]

वहीं पर संवाहक को माथुर से बचाने हेतु उसका यह कथन-

दुर्वर्णोऽसि विनष्टोऽसि दशस्वर्णस्य कारणात्।
पे्चेन्द्रिय समायुक्तो नरो व्यापाद्यते त्वया।।[7]

तुम कैसे नीच एवं पतित हो कि सोने की दशमोहर मात्र के लिये पे्चेन्द्रियों वाले मनुष्य को मारे डाल रहा है।

यह मानव गरिमा का उद्घोष है मानवता की अवमानना करने वाली मदावलिप्त शक्तियों का प्रत्याख्यान भी है।

इस प्रकार मृच्छकटिक में संवाहक, दर्दुरक, घूटकर, माथुर, शर्विलक विट, स्थावरक, चाण्डालद्वय, चन्दनक, वीरक इत्यादि कई पात्र है, जो मानव चरित्र के नानारूपां को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, साथ ही मध्य या निम्नवर्ग के चरित्रों को प्रस्तुत करने में भी नाट्यकर्ता ने मानवीय गरिमा का बोध कराया है।

सम्पूर्ण प्रकरण में शकार का चरित्र ऐसा है जो आद्यन्त कहीं भी हमारे मन में सहानुभूति जागृत नहीं करता परन्तु यह अत्यन्त क्रूर, धूर्त तथा मूर्ख होते हुए भी इसी धरती का ही एक मनुष्य है इसके जैसे व्यक्ति हमारे समाज में सदैव रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि मृच्छकटिकम् के सारे पात्र हमारे आस-पास के जगत के ही है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि महाकवि शूद्रक ने अपनी विश्वविख्यात् नाट्यकृति मृच्छकटिकम् में सभी-स्त्रीपुरुष पात्रों को सुनिश्चित परिधि में जकड़ने की अपेक्षा उन्हें सामान्य जगत में स्वच्छन्द विचरण कराने का स्तुत्य प्रयास किया है। नाटक के सभी पात्रों की वैयक्तिक अभिरुचियों में क्रमिकविकास की गुंजाइश बनी रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मृच्छकटिकम् 1/12
2. 'त्वं वाणीव लतेव नौरिव जनं वेश्यासि सर्वं भज' मृ0 क0 1/32.
3. मृच्छकटिकम् 3/39.
4. मृच्छकटिकम् 3/11
5. मृच्छकटिकम् 3/16
6. मृच्छकटिकम् 2/10
7. मृच्छकटिकम् 2/13

राहुल सांकृत्यायन की भाषा शैली और आज की हिन्दी

डॉ० तानाबाई पाटिल

शोलापुर, महाराष्ट्र

महापंडित राहुल सांकृत्यायन के साहित्य की गंभीरता और उसकी वैज्ञानिकता आश्चर्य में डाल देती है। यह इस बात का प्रमाण है कि उनकी रचना में कथ्य और शिल्प का अभूतपूर्व मिलन है, भाषा के साथ उनका संबंध काफी नैसर्गिक था, मार्क्सवाद में सभी भ्रांतियों का निराकरण करते हुए सर्वसाधारण की भाषा में रचना करने का अप्रतिम उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। "उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि हम इस शताब्दी के अंत तक भी अपने यहां की निरक्षरता को दूर नहीं कर सकते यदि प्रारंभिक और प्रौढ़ शिक्षा का माध्यम गढ़वाली, कौरवी, हरियानी, मारवाड़ी, मालवी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगही आदि मातृभाषाओं को नहीं बनाया जाता है।"[1] उन्होंने विदेशी शब्दों पर तीव्र प्रहार करते हुए उनका परिवर्तन तो किया लेकिन साथ ही उन शब्दों के अर्थगाम्भीर्य का विकास करते हुए उन्हें भारतीय भाषागत शैलियों में समाविष्ट करने का प्रयत्न किया। वह परंपरागत रूप के सख्त खिलाफ थे और इसलिए उन्होंने तत्सम शब्दों की व्युत्पतिगत परंपराओं की अवहेलना एवं प्रवृत्ति निमित्तात्मक तथ्यों को ही विशेष रूप से स्वीकार किया है।

वस्तुत: भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब हम मूल्यांकन करते हैं तो इनके साहित्य में मिश्रण और देशज शैली से दो कोटियां दृष्टिगोचर होती हैं। मिश्रण शैली का तात्पर्य यह है कि जहां कहीं इनके भाषागत प्रवाह अविच्छिन्न रूप में प्रवाहित हुए हैं; उनके साहित्य में देशज, विदेशी आदि शैलियां प्रस्तुत हुई हैं। वैसे आज के हिन्दी में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी आदि शब्द पाये जाते हैं। राहुल जी के साहित्य में इन चारों प्रकार के शब्दों का बाहुल्य प्राप्त होता है। उन्होंने अपने कथ्य को सजीव बनाने के लिए ही ऐसा किया जो कि रचना का उपजीव्य भी शैली के साथ-साथ गुम्फित होता रहे।

उदाहरण स्वरूप, ''उन्हें सिर्फ एक महीने किसी भूले-भटके मुंशी से क, ख, सीखने का मौका मिला था, किंतु न जाने कैसे उन्होंने रामायण ही नहीं भिन्न, गुणा-भाग सूद और पैमाईश के हिसाब को भी सीख डाला था। ब्राह्मणों के नियम के विरुद्ध वे अपने हरवाहे, निस्संतान चिनगी चमार के मरने पर गंगातीर जलाने के लिए ले गये। पुरानी प्रथा के विरुद्ध नये कुंए को बनवाने के लिए विचित्र लंबाई-चौड़ाई की ईंट उन्होंने खासतौर से तैयार करवायी और प्रचलित प्रथा के विरुद्ध कुंए को नीचे चौड़ा ऊपर संकीर्ण करते हुए बनवाया। साधु-संतों में श्रद्धा रखते हुए भी भंगेड़ियों में भी वे चीटश्रद्ध थे''।

इस उद्धरण में उर्दू, फारसी, संस्कृत तथा अन्य मुहावरेदार शब्दों से सम्पन्न चित्र हमें एक नयी शैली में दिखता है। उन्होंने संस्कृत के शुद्ध एवं साहित्यिक रूप को स्वीकार किया है। वह "पक्के आस्तिक होते हुए 'बाबा वाक्यं प्रमाणं' की अवहेलना करने में भी समर्थ थे।"[2] राहुल जी ने खड़ी बोली के शब्दों से भी मुहावरों का प्रयोग कर एक नया दृष्टांत सामने रखा और रचना-प्रवाह को बनाये रखा। भाषा-विज्ञान की ध्वनि प्रक्रिया एवं अर्थविज्ञान की प्रक्रियाओं पर जब हम दृष्टि रखते हैं, तो इस दृष्टि से भी राहुल सांकृत्यायन की परिवर्तित शैलियों में एक नूतन प्रयोग प्राप्त होता है। उन्होंने शब्द और अर्थ को पर्याप्त महत्व देते हुए अभिव्यंजना शिल्प का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। साहित्यिक जगत में अनुभूतियों का संबंध व्यक्तियों से होता है जिसकी आत्मा-प्रतिभा शैलियों में ही अभिव्यक्ति होती है।

राहुल जी की शैली उनकी अभिव्यक्ति के साथ यथार्थ पूर्ण प्रक्रियाओं के आधार पर प्रस्तुत हुई है। उनका जीवन साहित्यिक क्रांति के मध्य प्रखर गति से अग्रसर हुआ और देश देशांतरों की अनुभूतियां भावाभिव्यजनाओं के आधार पर मुखर हो उठी। अभिव्यक्ति के जिस माध्यम को इन्होंने ग्रहण किया, वह देशकाल की विभिन्न परिस्थितियों एवं परंपराओं का परिणाम है। इस कटु सत्य से उनकी शैली एक विशिष्ट शैली बन गई। उस युग में उनका जीवन भौतिकता विहीन जीवन था।

राहुल जी की विश्व भ्रमण की प्रवृत्ति थी। अत: भौतिकवादी परंपराओं से परिष्कृत होकर भी भौतिकवाद के पक्ष में नहीं था। प्रत्युत इनके विरोध में इनके साहित्य का सृजन हुआ। फलत: इनकी साहित्यिक अभिव्यक्तियां शुरू की दौड़ में भौतिक विरोधी तत्वों में अग्रसर हुई। इस विरोधी तत्व में राहुल जी की लेखनी में अभिव्यक्ति की जो शैलियां प्रस्फुटित कीं, वह एक क्रांतिकारी शैली थी जिसमें भाषा तत्व ने जिन साहित्यिक परंपराओं एवं मर्यादाओं का पालन करते हुए साहित्य का सृजन किया, वह दासता की जंजीरों में जकड़ा हुआ

भाव था। भौतिकवाद का वैभव उनके सम्मुख नृत्य कर रहा था। फलस्वरूप राजाश्रित कवियों के काव्यकारों की तरह इनकी रचनाएं बंधी हुई रचनाएं थीं।

राहुल जी की शैली का अध्ययन करते समय हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह एक कवि नहीं बल्कि गद्यलेखक थे, परंतु उनकी लेखनी में कविता की लयात्मकता रोचकता और गद्य का गाम्भीय बना रहता है। शब्दों का चयन भाषा को सुसज्जित एवं सुगठित करता है। यदि हम तटस्थ दृष्टि से विचार करें तो भाषा-सौंदर्य में शब्द की जिस दीप्ति तथा अर्थ गाम्भीर्य की आवश्यकता हम महसूस करते हैं वह राहुल जी में उपलब्ध है। राहुल जी ने कथा और कहानी में शब्दों एवं अर्थालंकार की जो पद्धति अपनायी है, वह शास्त्रीय पद्धति है, क्योंकि अलंकार, छंद, रस इत्यादि काव्य के लिए साहित्यिक तत्व माने जाते हैं। इनके समावेश के बिना स्वच्छन्द वृत्तियों का समावेश होना कठिन है। जहां कहीं अलंकृत वाक्य एवं अलंकार योजना इन्होंने प्रस्तुत की है, वहां शास्त्रीय पद्धति का अतिक्रमण नहीं किया है।

राहुल जी की शैली देशज और मिश्रण है, वह इन्हीं शैलियों में लिखना पसंद किया करते थे। उनमें विविध प्रकार की प्रादेशिक और विदेशी भाषाओं की वह नैसर्गिक छवि नहीं प्रत्युत भाव है, स्वाभाविक रूपों में साथ-साथ गढ़े हुए शब्द रूपों का समावेश भी पर्याप्त मात्रा में हुआ है। फलतः आज भी शब्द-विषयक समस्याओं के समाधान में उनका दृष्टिकोण उपयोगी है। अन्य क्षेत्र की भांति भाषा के क्षेत्र में राहुल जी मर्यादा और समन्वय के सिद्धांत को सुरक्षित रखने के पक्ष में रहे हैं और यही कारण है कि उन्होंने प्राचीन संस्कृत प्राकृत आदि भाषाओं के परंपरागत रूपों से लेकर ग्रामीण तथा विजातीय समुदाय में प्रचलित शब्द रूपों तक का प्रयोग किया है। गंभीर विषयों की चर्चा में प्रयुक्त होने वाली पारिभाषिक, शब्दावली के निर्णय में संस्कृत का तथा सामान्य लोक व्यवहार की बातों को प्रकट करने के लिए प्रचलित बोली का आधार ग्रहण करना राहुल जी की दृष्टि से सुविधाजनक एवं युक्ति संगत है।

भाषा के संदर्भ के साथ उनका अत्यंत नैसर्गिक संबंध था। मार्क्सवाद पर आस्था और द्वंद्ववाद पर विश्वास होने के कारण भाषा के बारे में मौजूद तमाम भ्रांतियों का उन्होंने निराकरण किया। उन्होंने अपने गद्य-साहित्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग अधिक किया है। क्रिया-विशेषण में काल वाचक और नीति वाचक का एवं समुच्चय बोधक अव्यव में संयोजक और वियोजक का प्रयोग अधिक हुआ है। शब्द-शैली विज्ञान में राहुल जी ने ग्रामीण शब्दों का प्रयोग अधिक किया है, जिसे मातृभाषा का प्रभाव माना जाता है। समास में कर्मधारय, संबंध तत्पुरूष द्वंद्व, अव्ययीभाव और बहुव्रीहि का प्रयोग अधिक है। अलंकार प्रधान वाक्यों में उपमा की बहुलता मिलती है। यदा-कदा मानवीकरण एवं विशेषण विपर्य अलंकार प्रधान वाक्य भी मिलते हैं। मुहावरे में विशेषकर देशज और मनुष्य की ज्ञान-वृत्तियों एवं स्वभाव तथा समास से संबंधित मुहावरों का प्रयोग अधिक मिलता है।

भाषा के रूप में उन्होंने जनप्रचलित शब्दों को ही रखने का सुझाव दिया क्योंकि ये शब्द जनसाधारण के प्रयोग के लिए ही होते हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृत से ही अप्रचलित शब्द लिए जायें क्योंकि संस्कृत वृहत्तर भारतीय भाषाओं की मूल भाषा है परंतु उच्चतर सौकार्य का ध्यान रखा जाये।

राहुल जी ने भारतीय आचार्यों की विभिन्न शैलियों के संबंध में न तो कोई अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की और न ही इस संबंध में कोई आलोचनापूर्ण मंतव्य ही प्रकट किया। भारतीय विद्वानों ने आलोचना के क्षेत्र में पाश्चात्य विद्वानों की शैलियों के तर्क को उपयुक्त माना। राहुल जी ने पाश्चात्य विद्वानों की आलोचना शैली से भिन्न शैली को अपनाकर अपनी अभिव्यक्तियां प्रस्तुत की। हिन्दी साहित्य के आचार्यों ने शैली के संबंध में जो दृष्टिकोण अपनाया उसका प्रभावोत्पादक एवं आकर्षक रूप पाश्चात्य साहित्य शैलियों में स्पष्टतया अभिव्यंजित हुआ है। किंतु राहुल जी की शैली पाश्चात्य एवं भारतीय अभिव्यक्तियों से बिल्कुल पृथक रही है। उनका दृष्टिकोण साहित्य में नूतन रहा है यह उनके साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता है।

संस्कृत की शास्त्रीय शैलियां और पाश्चात्य विद्वानों की इस्टाईल रूपी कपोल-कल्पित शैलियां राहुल जी की दृष्टि में खोखली शैलियां थी। उनका विचार था कि वहां बुद्धि का चमत्कार एवं शब्दों की भरमार और अभिव्यक्तियों की चटनी जैसी चुटीली अभिव्यजनाएं थी जिनमें भाषागत सौंदर्य के अतिरिक्त कुछ भी प्रतीत नहीं होता, न उसमें साहित्यिक मर्यादा है और न ही कोई नूतन कल्पना है, न ही कोई तर्क का साम्राज्य। वहां व्यक्तित्व का साम्राज्य है, अपना-अपना दृष्टिकोण है, इसलिए वहां शैली एवं व्यक्तित्व के आधार पर भावों एवं अभिव्यंजनाओं की भरमार है।

इन सभी तथ्यों का अवलोकन करने पर हम यह पाते हैं कि महापंडित राहुल जी ने इस शैलीगत विचारधारा को जड़ समेत उखाड़कर कोसों दूर फेंकने का प्रयास किया। पंडित राहुल सांकृत्यायन की भाषा-शैली सर्वथा नूतन है, जिसमें जनता की अभिव्यक्ति की सुवास है और महान पंडित जी की मौज भरी गंभीरता की मर्यादा।

संदर्भ

1. राहुल सांकृत्यायन मातृ भाषाओं का महत्व, आलोचना, जनवरी 1953 पूर्णांक - 6 पृष्ठ-116
2. राहुल सांकृ., मेरी जीवन यात्रा, भाग-1 पृष्ठ-31
3. राहुल सांकृत्यायन राहुल निबंधावली (हिंदी में पारिभाषिक शब्दों का निर्माण) पृ.-131

झारखंड के जनजातियों की भाषा एवं साहित्य

डॉ० गौतम रंजन दास

आलेख का का सार

झारखंड, भारत का एक आदिवासी बहुल राज्य है, जिसकी सांस्कृतिक पहचान इसकी विविध जनजातियों की भाषा, लोक साहित्य, और परंपराओं में निहित है। राज्य की लगभग 26% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है, जिनमें संथाल, मुंडा, हो, उरांव, खड़िया, बिरहोर, असुर, और मालतो जैसी प्रमुख जनजातियाँ शामिल हैं। इन जनजातियों की भाषाएँ और साहित्यिक अभिव्यक्तियाँ न केवल उनके सांस्कृतिक जीवन का दर्पण हैं, बल्कि भारतीय भाषिक एवं साहित्यिक परंपरा को भी समृद्ध करती हैं।

भूमिका

जनजातियों के झारखंड के प्राचीनतम निवासी होने तथा 1947 ई० तक इस क्षेत्र में इनके बहुसंख्यक होने के कारण यहाँ की प्रमुख भाषाएँ भी जनजातीय ही थीं। मुंडा- द्रविड़ भाषा-समूह की प्रायः दो दर्जन बोलियाँ यहाँ प्रचलित थीं। मुंडा-भाषा-श्रेणी की संथाली बोली बोलनेवालों की संख्या जनजातियों के बीच बिहार में तो सर्वाधिक थी, लेकिन छोटानागपुर में कम थी। संथाल परगना, मानभूम, हजारीबाग तथा सिंहभूम में संथालों की संख्या पर्याप्त होने के कारण यह बोली मुख्यतः ही बोली जाती थी। इस बोली के बारे में विशेष बात यह थी कि यह सब जगह प्रायः एक-सी बोली जाती थी। इस पर आर्य भाषाओं का प्रभाव भी कम पड़ा और जो कुछ पड़ा वह केवल शब्दों पर। इसकी शैली तथा सामान्य रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया। संथाली में न्यू टेस्टामेंट एवं ओल्ड टेस्टामेंट के कई अनुवाद हुए। रेवरेन्ड कैनोन कोल ने प्राथमिक कक्षाओं के लिए तीन रोडरें लिखीं- 'पहिल पुथी', 'दूसरी पुथी' और 'तीसर पुथी। 1914 ई० में इन्हें टेक्स्टबुक कमिटी द्वारा मंजूरी मिली और ये स्कूलों में पढ़ायी जाने लगीं। संथाल मिशन-प्रेस, पाकुर ने संथालों के ग्राम-जीवन से सम्बंधित कोर्ट स्टेयर लिखित उपन्यास प्रकाशित किया। संथाली भाषा के सम्बन्ध में अंग्रेजी में कई पुस्तकें प्रकाशित हुई, जैसे- जे० फिलिप्स की 'ऐन इन्ट्रोडक्शन टु द संथाल लँगुएज' (कलकत्ता 1852 ई०), ई० जी० मन्त्र की 'सींधालिया ऐंड द संघाल्स' (लंदन1867 ई०), रे० ई० एल० फासले की 'ए वोकेबुलरी आफ द संथाली लैंगुएज (लंदन, 1868 ई०), रे० एल० ओ० एक्रेफग्रड की 'ए ग्रामर आफ द संथाल लैंगुएज' (बनारस, 1873 ई०) बोकेबुलरी (बनारस, 1868 ई०) और ए० कैम्पबेल की 'ए संताली इंग्लिश डिक्शनरी' (पोखरिया, 1899 ई०)। 1947 ई० तक संथाली भाषा साहित्य का इतना ही विकास हो सका था।[1]

मुण्डारी झारखंड की एक प्रमुख जनजातीय भाषा है। राज्य में मुण्डारी भाषा बोलने वालों की संख्या 1947 ई० में प्रायः 5 लाख थी। मुण्डारी का ही एक अन्य नाम 'होड़ा-जगर' था। यह अपने आप में एक पूर्ण भाषा थी जिसमें बिना किसी अन्य भाषा का सहारा लिये विचारों की अभिव्यक्ति हो सकती थी। इस भाषा की 4 मुख्य बोलियाँ थीं- इसाद, नगुरी, तमाड़िया और केरः। मुण्डारी की मौलिकता सर्वाधिक हसाद में ही थी। नगुरी मुंडारी और सदानी की मिश्रण थी। तमाड़िया पर बंगला का प्रभाव था। केरः रः ध्वनि प्रधान थी। लिंग-वचन मौखिक परम्परा, की जटिलता से रहित मुंडारी भाषा सरल और अनुशासनबद्ध थी। भाषा की प्राचीनता तथा फैलने के बावजूद इसकी कोई लिपि नहीं थी। यह मुख्यतः लोकगीतों तथा 'गितिः ओरा' के क्रिया-कलापों पर आधारित थी। स्वाभाविक था कि मुण्डारी में सर्वप्रथम लोकगीतों का ही संकलन हुआ। 1942 ई० में डब्ल्यू० जी० आर्चर ने 1641 लोक गीतों का संग्रह मुण्डा दुरङ प्रकाशित किया। कुछ मुंडा गीत शरतचन्द्र राय ने भी अपनी पुस्तक में शामिल किया था। फादर हाफमैन ने मुण्डारी व्याकरण एवं मुंडा भाषा एवं संस्कृति का विश्वकोश 'इनसाइक्लोपीडिया मुण्डारिका' के नाम से तैयार किया। तमाड़ के बुदू बाबू ने 'प्रीति पाला' तो गीत रचकर मुण्डारिका गीतकारों को एक नयी दिशा दी। बाद में श्रीराम ने इस परम्परा को आगे बढ़ाया रेवरेन्ड नोतरोत ने मुण्डारी में बाईबिल का अनुवाद निकाला। किन्तु इन सबों से पहले जे० सी० हिटली ने 1873 ई० में एक मुंडारी प्राइमर लिखा था। उसके बाद 1891 ई० में एस० जे० डी० स्पेट में अंग्रेजी में मुण्डारी का एक व्याकरण लिखा। 'इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका' लिखने से पहले ही डाफमैन ने 1896 ई० में मुंडारी फहर्ट प्राइमर और 1903 ई० में मुडारी व्याकरण लिखा था। ये सभी पुस्तकें कलकत्ता से प्रकाशित हुई थीं।[2]

आस्ट्रिक भाषा-समूह के अन्तर्गत 'हो भाषा' हो जाति की थी। अतीत में यह अत्यन्त विकसित भाषा थी, किन्तु बाद में इसका ह्रास होता गया। झारखंड में यह प्रायः 4 लाख लोगों द्वारा प्रयोग में लायी जाती थी। इसके अनेक शब्द संस्कृत से मिलते-जुलते थे। इसका अपना सम्पन्न शब्द-भंडार था। धीरे-धीरे इसमें अंग्रेजी, हिन्दी तथा उड़िया के शब्द मिलते गये। मगर इसके शब्दकोश एवं व्याकरण पर एकाध पुस्तकें ही छपाइ हुई। हो साहित्य, कथा, कविता, गीत तथा अन्य रूपों में मौखिक साहित्य ही था। कथा-साहित्य में नाना तरह के सुख-दुःख, प्रेम और परिहास का समावेश था। 1886 ई० में भीमराम सुलंकी ने 'हो काजी' शीर्षक व्याकरण ग्रन्थ बनारस से छपाया। बाद में लायनेल बरोज ने हो व्याकरण लिखा। कानू राम देवगम ने 'हो दुरं' की रचना की। सतीश कुमार कोड़ की 'तसीश समुल', 'एदे उड़ू', 'चापाकाउ कहनी' तथा 'चासरेया ताक' शीर्षक रचनाएँ प्रकाशित हुई। कण्डुलना आदि द्वारा संकलित 'हो दुरं' भी छपी। मिकाइल तिग्गा का व्याकरण 'काथा आर काथा' भी उन्हीं दिनों प्रकाशित हुआ।[3]

आग्नेय कुल की मुंडा-समूह की भाषा खड़िया इसी नाम की जनजाति की भाषा थी जो उन दिनों झारखंड में प्रायः एक लाख लोगों द्वारा बोली जाती थी। इस भाषा पर आर्य भाषाओं का बहुत प्रभाव था। किन्तु इसके मूल रूप का धीरे-धीरे अन्त हो रहा था। अपनी लिपि न होने के कारण इसके लेखन में देवनागरी का ही प्रयोग होता रहा। कुछ पुस्तकें अंग्रेजी में भी लिखी गईं। गगनचन्द्र बनर्जी ने 1894 ई० में 'इन्ट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज' नामक पुस्तक लिखी। इसमें खड़िया भाषा का वैयाकरणिक विशेषताओं का अध्ययन तो था ही, खड़िया जाति के रीति-रिवाजों का भी उल्लेख था। फादर कार्डोन ने भी खड़िया जाति एवं भाषा का अध्ययन किया था, जो अब पुस्तक रूप में उपलब्ध नहीं है। शरतचन्द्र राय ने 'द खिड़याज' में इस जाति का जीवन वृत्त प्रस्तुत किया। इस ग्रन्थ के दूसरे खंड में खड़िया लोकगीत, लोककथाएँ, मंत्र और मनोरंजन के साधनों का उल्लेख है। खड़िया लोकगीतों और पहेलियों का एक संग्रह 'मनसोह टेटे' तथा जतरू खड़िया ने 'खड़िया आलोङ' के नाम से एक संग्रह तैयार किया। यह संग्रह वस्तुतः डब्ल्यू० जी० आर्चर के निर्देशन में हुआ था। इसमें मूल लोकगीतों के अलावा अनुप्रति गीत भी है। जी० ई० एल० मिशन ने ईसाई धर्मगीतों का संग्रह 'खड़िया आलोङ' और इसी मिशन के पादरी सेमुएल बागे ने 'कोनान कटेकिस्म' और 'सुयुखो कायोम' प्रकाशित किया। कैथोलिक मिशन ने प्रार्थनाओं का संग्रह 'सेनेल' प्रकाशित किया। शुद्ध खड़िया साहित्य की श्रेणी में प्यारे केरकेटा रचित प्राइमर तथा रीडर को रखा जा सकता है। केरकेटा की ही 'बेरथअ बिहा' को खड़िया कथा-साहित्य का उत्तम नमूना कहा जा सकता है। स्वतन्त्रता से पूर्व एच. फ्लोर तथा थेसेन्स ने 1934 में 'डिक्शनरी आफ खड़िया लैंग्वैज' प्रकाशित कर खड़िया के अध्ययन को सरल बनाया।[4]

मानभूम, सिंहभूम, रांची तथा हजारीबाग के कुर्मी महतो लोगों की भाषा कुरमाली निःसंदेह बंगला से अत्यधिक प्रभावित थी। 17वीं शती में रचित 'जगरामी रामायण' कुरमाली भाषा की सुन्दर कृति थी। पंचेत राजा के मध्यकालीन महल के प्रवेश द्वारों पर उत्कीर्ण अभिलेख भी कुरमाली में ही है। ईसाई मिशनरियों ने बाइबिल के कुछ अंशों का अनुवाद कुरमाली में किया था। 1913 ई० में सिंहभूम के बुधु महतो ने स्वरचित गीतों का संग्रह 'करम-गीत' तैयार किया। 1921 ई० में गीति-नाट्य के रूप में निरंजन महतो ने 'नेठपाला' नामक रचना प्रकाशित की। कुरमाली भाषा में शेष रचनायें 1947 ई० के बाद की हैं।

मुंडा भाषा-समूह में भूमिज, माहिली, कोरवा, कोड़ा, असुरी, तूरी, बिरजिया, बिरहोर तथा अगरिया आदि का भाषा-साहित्य प्रायः शून्य था। अधिक-से-अधिक इनकी गणना बोलियों के रूप में की जा सकती थी। इनके बोलनेवालों की संख्या भी अत्यन्त सीमित थी। झारखंड में द्राविड़ भाषा-समूह की प्रमुख भाषा ओरांव या कुड़ख थी जिसे उरांव जाति के लोग बोलते थे। उनकी संख्या उन दिनों झारखंड में प्रायः 4 लाख थी। पहले रेवरेंड ओ० फ्लेक्स ने अंग्रेजी में ओरांव पर एक किताब लिखी थी जो 1874 ई० में कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। उसके बाद रेवरेंड फर्ड हैन ने ओरांव पर कई किताबें लिखीं जैसे-1900 ई० में 'कुडुंख व्याकरण', 1903 ई० में कुडुंख-अंग्रेजी डिक्शनरी तथा 1905 ई० में उराँव रीति-रिवाजों का संग्रह तथा उनका अंग्रेजी अनुवाद। हैन ने कुडुख भाषा तथा देवनागरी लिपि में बाइबिल का अनुवाद किया तथा छोटी-छोटी और भी कई किताबें लिखीं। 1937 ई० में राँची-निवासी छोटानागपुरी ईसाई समुएल रंका ने कुडुख भाषा की वर्णमाला और लिपि का सृजन किया। यह प्रयास 20वीं शती के आरम्भ से ही किया जा रहा था। इसमें 32 व्यंजन, 10 स्वर, 5 अनुस्वार और संयुक्त आदि तथा 10 अंक के चिह्न थे। अक्षरों के नाम वस्तुओं के नाम पर रखे गये थे। आकार उन वस्तुओं के आकार के अनुसार ही बनाये गये थे। उदाहरण के लिए च अक्षर का नाम चन्दी रखा गया और उसका आकार अर्द्ध चन्द्र के समान बना लिया गया। ङ, ण, स, क्षत्र, ऋ, लु अक्षर नहीं रखे गये। स्वरों के चिह्न की तरह अक्षरों के चारों ओर लगाने का नियम न रखकर अंग्रेजी की तरह सिर्फ आगे लगाने का नियम रखा गया।[5] किन्तु इस लिपि का प्रयोग कुडुख साहित्य के सृजन में प्रायः नहीं के बराबर ही हुआ।

द्राविड़ भाषा-समूह की अन्य भाषाओं यथा, तमिल, तेलगू, कॉध या कुई मलयालम तथा कन्नड़ बोलनेवालों की संख्या उन दिनों भी झारखंड में अत्यन्त सीमित थी। अधिकतर ये कल-कारखानों, खानों अथवा दफ्तरों में काम करने आये थे।[6] भोजपुरी बोलनेवाले कुछ लोग भी झारखंड में थे, पर यहाँ की भोजपुरी का रूप बहुत अलग था। शुद्ध भोजपुरी केवल पलामू के कुछ भागों में बोली जाती थी। पलामू के खरवारों द्वारा बोली जानेवाली भोजपुरी खरवारी भी कही जाती थी। राँची की नागपुरिया भी भोजपुरी ही थी। यद्यपि इस पर मगही तथा छत्तीसगढ़ी का भी प्रभाव था। इसमें जनजातीय भाषाओं के भी शब्द थे। इसे सदरी या सदानी भी कहते थे। मुंडा इसे दिक्कू काजी कहते थे मतलब दिक्कुओं (गैर-आदिवासियों) की भाषा। वस्तुतः नागपुरी की उत्पत्ति बिहार की दूसरे भाषाओं की तरह मागधी अपभ्रंश से 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच हुई। पूर्ण विकसित भाषारूप में 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच यह स्थापित हुई। नागपुरी का अपना लोक-साहित्य शिष्ट साहित्य और व्यवस्थित व्याकरण था। इसकी अपनी विशिष्ट उच्चारण-पद्धति थी। साहित्यिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में यह पूर्णतः समर्थ थी। नागपुरी से सम्बद्ध पहली महत्त्वपूर्ण रचना ई० एच० ह्विटली की 'नोट्स आन द गँवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा, छोटानागपुर' थी। यह 1896 ई० की रचना थी। 1916 ई० में इसका संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण 'नोटस आन द नागपुरिया हिन्दी' के नाम से प्रकाशित हुआ। रेवरेण्ड फादर कोनराड बुकाउट ने 1906 ई० में ग्रामर आफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज की रचना की। इसी क्रम में रेवरेण्ड फादर हेनरिक फ्लोर का व्याकरण 1931 ई० में 'लैंग्वेज हैंडबुक आफ सदानी' प्रकाशित हुआ। नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि रघुनाथ नृपति थे। शाहजहाँ और औरंगजेब के समकालीन नाग राजा रघुनाथ शाह न केवल एक महान

भवन निर्माता थे, बल्कि कुशल कवि भी थे। परवर्तीकाल में रामगढ़ नरेश दलेल सिंह, प्रद्युम्न दास और रुद्र सिंह भी सशक्त रचनाकार थे। सिल्ली के राजा विनोद सिंह भी नागपुरी के विख्यात गीतकार थे। बेनीराम महथा की 'नागवंशावली' का अपना ऐतिहासिक महळ्व था। महाकवि घासीराम ने नागपुरी फाग शतक, ललना रंजन दुर्गाशप्तशती, नागवंशावली, झूमर, बारहमासा, जनानी झूमर, विवाह- परिछन तथा शिव स्तुति आदि लिखा घासीराम के पुत्र हुलास राम ने इनके 4 संकलन प्रवाशित करवाये। घासीराम के समकालीन अन्य कवि थे-कंचन, दृगपाल राम देवघरिया, द्विज भोला, बालमुकन्द नाथ शाहदेव, ठाकुर प्रसाद, खड्गधर सिंह, हरिनाथ शाहदेव तथा वैद्यनाथ आदि। इनमें कंचन 'सुदामा चरित्र', नल-चरित्र, कृष्ण-चरित, महाभारत, लंकाकांड, उषा-हरण तथा टाना परिचय के विख्यात लेखक थे। दृगपालराम देवघरिया आख्यान गीतों के लिए विशेष प्रसिद्ध हुए। उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं-नलचरित्र, श्रीवत्स चरित्र और कोरम्बे उपाख्यान। नागपुरी गद्य लेखन का आरम्भ 1900 ई० के आसपास ईसाई मिशनरियों ने किया। रेवरेण्ड पी० इड्नेस ने सर्वप्रथम सम्पूर्ण बाइबिल का नागपुरी में अनुवाद किया। धनीराम बक्शी ने जातिया कहानी, फोगलो बुढ़िया कर कहानी, श्री गणेश चौठ कहानी, करम महात्म्य, श्रीकृष्ण चरित्र एवं नारद मोह-लीला आदि महत्त्वपूर्ण रचनाएँ लिखीं।[7]

हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में भी झारखंड का योगदान महत्त्वपूर्ण था। इस दिशा में भी मिशनरी ही यहाँ अग्रणी थी जनता से सम्पर्क स्थापित करने के लिए यह उनके लिए आवश्यक भी था। इन्होंने मुख्यत: बाइबिल का ही हिन्दी में अनुवाद किया अथवा प्रार्थनाएँ तैयार कीं। प्रेमचन्द काल के प्रमुख छोटानागपुरी हिन्दी साहित्यकार राधाकृष्ण, जिनके घोष-बोस-बनर्जी-चटर्जी' नाम से सभी साहित्य प्रेमी परिचित थे। 'रामलीला' जैसी कहानियाँ हिन्दी में गिनी-चुनी ही लिखी गई। 'रूपान्तर' तथा 'फुटपाथ'-जैसे उपन्यास और 'बोगस' जैसे हास्य-व्यंग्य उनकी अमर कृतियाँ हैं। अनन्त सहाय अखौरी का 'ग्रह का फेर' प्रहसन 1913 ई० में ही प्रकाशित हो चुका था। वैद्यनाथ पोद्दार ने पुरानी शैली की कविताएँ लिखीं। 1942 ई० में डॉ० सत्यनारायण शर्मा का गद्य-काव्यात्मक उपन्यास आत्महन्ता निकला। टूटती हुई जंजीर तथा जीवन-यात्रा नामक प्रारंभिक रचनाएँ निकलीं।[8] 1947 ई० तक फादर कामिल बुल्के का 'रामकथा का विकास' शीर्षक शोध-ग्रन्थ काफी आगे बढ़ चुका था। 1947 ई० के अन्त तक द्वारका प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास' घेरे के बाहर' लिखा जा चुका था। गुलाब नारायण तिवारी की 'देश की पुकार' अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। आचार्य नलिनविचोलन शर्मा ने अपना लेखन कार्य 1945-46 ई० में राँची से ही शुरू कर दिया था। 1942 ई० में पंडित रामदहिन मिश्र राँची आ कर रहने लगे थे। 'छोटानागपुर पलिका' नामक साहित्यिक मासिक 1924 ई० से ही निकलने लगा था। उसके सम्पादक मामराज शर्मा ने 1914 ई० में बाल शिक्षा नामक पुस्तक लिखी थी। इससे पहले ही 1898 ई० में राँची का पहला साप्ताहिक पत्र आर्यावर्त प्रकाशित हो चुका था। 1905 ई० तक यह नियमित रूप से प्रकाशित होता रहा। 1947 ई० से पहले झारखंड के अन्य भागों में भी हिन्दी का समुचित विकास हुआ। 1910 ई० के बाद चक्रधरपुर के पं० राम चीज सिंह बल्लभ ने हिन्दी-संसार में प्रथम बार हिन्दी जेबी कोष, हिन्दी मुहावरे जेबी कोष और हिन्दी लोकोक्ति जेवी कोष को रचना की। कोष के अलावा वल्लभ जी ने तीन उपन्यास राजपूती शान, ललिता और उमाशंकर लिखे। खड़ी बोली में उनकी कविता पुस्तक का नाम था-भाग्य-चक्र। उनकी एक प्रहसन पुस्तक है बीसवीं सदी की शादी उर्फ हड़पफड़प। सुबोध वर्णमाला के नाम से बच्चों के लिए उन्होंने नर्सरी पुस्तकों की रचना की। 1947 ई० से पूर्व दीपनारायण गुप्त, अंशुमाली, रघुनाथ मिश्र तथा त्रिभुवन नाथ सिंहभूम के प्रमुख सामन्त प्रथम आदिवासी पत्रकार थे। आदिवासी कवयित्रियों में पहली सुशीला ने 1934 ई० में 'प्रलाप' प्रकाशित किया। जनवरी 1896 ई० में उत्पन्न घनी राम बक्शी हिन्दी के भी सशक्त कवि और गद्यकार थे।[9] वस्तुत: हिन्दी साहित्य को पलामू की देन पूर्णत: 20वीं सदी की है। हवलधारी राम गुप्त ने हलधर प्रेस से पलामू का इतिहास प्रकाशित किया। पं० रामावतार शर्मा प्रखर साहित्यकार एवं आलोचक थे। सर्वाधिक ख्याति आचार्य रामदीन पांडेय को मिली जिनकी 16 रचनायें 1947 ई० से पहले ही प्रकाशित हो चुकी थीं। इनमें प्रमुख थीं-ज्योत्स्ना, चलती पिटारी, जानकी हरण महाकाव्य तथा काव्य की उपेक्षिता इत्यादि। इनकी साहित्य-सेवा 1982 ई० में निधन तक चलती रही। पं० रामजयश्री पांडेय के दो उपन्यास कुमार सुन्दर और विजड़ाबाग भी 1947 ई० से पहले की ही कृतियाँ थीं।[10] पत्र-पत्रिकाओं से भी हिन्दी जगत समृद्ध होता रहा। गुमला (राँची) के झारखंड, राँची की ईसाई मिशनों द्वारा प्रकाशित एवेंजेलिकल पत्रिका, सत्संग निष्कलंक, घरबन्धु तथा घरवक का इस दिशा में महळवपूर्ण योगदान रहा।

निष्कर्ष

इस प्रकार झारखंड की जनजातीय भाषाएँ मुख्यत: ऑस्ट्रो-एशियाटिक, द्रविड़ और इंडो-आर्यन भाषिक परिवारों से संबंधित हैं। इन भाषाओं में मौखिक परंपराएँ अत्यंत समृद्ध हैं और लोककथाओं, गीतों, कहावतों तथा धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से ये पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित होती आई हैं। झारखंड के जनजातीय साहित्य का स्वरूप मुख्यत: मौखिक है। यह साहित्य लोकगीतों, लोककथाओं, नाट्य रूपों (जैसे 'जाड़ा', 'नटुआ', 'पैका'), त्योहारों और मिथकों में अभिव्यक्त होता है। 'सरहुल', 'मागे परब', 'करम', और 'सोहराय' जैसे पर्वों पर गाए जाने वाले गीत सामाजिक, धार्मिक और पर्यावरणीय भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं। लोककथाएँ जनजातीय जीवन, प्रकृति, पूर्वजों की वीरगाथाओं और सामूहिक चेतना का प्रतिबिंब हैं। नृत्य और नाटक में भी साहित्यिक अभिव्यक्तियाँ हैं, जो गान, संवाद और नृत्य के माध्यम से भावनाओं और मान्यताओं को अभिव्यक्त करते हैं। हाल के वर्षों में जनजातीय भाषाओं में लेखन की प्रवृत्ति बढ़ी है। 'संथाली' भाषा को 2003 में आठवीं अनुसूची में स्थान मिलने के बाद इसका साहित्यिक विकास तीव्र हुआ है। मुंडारी, कुरुख, और

हो भाषा में भी कई लेखक अब कथा, कविता और नाटक की रचनाएँ कर रहे हैं। 'ओल चिकी' लिपि के आविष्कार ने संथाली भाषा के विकास को एक नई दिशा दी है। यद्यपि वैश्वीकरण और मुख्यधारा की भाषाओं के बढ़ते प्रभाव से जनजातीय भाषाएँ लुप्त होने के कगार पर हैं। कई भाषाएँ 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' की श्रेणी में आती हैं। ऐसे में इन भाषाओं का दस्तावेजीकरण, शिक्षण में समावेश, और साहित्यिक प्रोत्साहन अति आवश्यक हो गया है। निष्कर्षतः झारखंड के जनजातीय भाषाएँ और साहित्य इस क्षेत्र की सांस्कृतिक आत्मा हैं। इनका संरक्षण केवल भाषायी दृष्टि से ही नहीं, अपितु सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक विविधता और मानवता की सामूहिक धरोहर के रूप में भी अनिवार्य है।

संदर्भ सूची -

1. जी. पी. अम्बष्ठः बिहार दर्पण, पृष्ठ 148-49.
2. वही, पृष्ठ 149-50.
3. वही.
4. डॉ. बुल्के स्मृति ग्रन्थ, पृष्ठ 284-93.
5. व्ही.
6. जी. पी. अम्बष्ठ, पूर्वोक्त, पृष्ठ 152-54.
7. बुल्के स्मृति-ग्रंथ, पृ० 263-69.
8. वही.
9. वही, पृष्ठ 253-59, 315-18.
10. वही

अवसाद नियंत्रण मे संगीत चिकित्सा की भूमिका

रूचिका श्रीवास्तव

शोध छात्रा - संगीत विभाग, श्री अग्रसेन महिला पी0जी0 कालेज, आजमगढ़

डॉ० निशा कुमारी

शोध निर्देशिका, प्रोफेसर- संगीत विभाग, श्री अग्रसेन महिला पी0जी0 कालेज, आजमगढ़

प्रस्तावना

मानसिक स्वास्थ्य एक संतुलित जीवन के लिए जरूरी है और कई बीमारियों का मुख्य कारण हो सकता है। संगीत तनाव को कम करता है और बीमारियों के इलाज में मददगार हो सकता है। इसे चिकित्सा में उपयोग किया जाता है और इसकी प्रभावशीलता पर शोध जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि संगीत का शरीर पर सकारात्मक प्रभाव होता है और यह मन के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।

चिंता एक सामान्य भावना है, लेकिन जब यह अधिक होती है, तो यह गंभीर शारीरिक और मानसिक समस्याएं पैदा कर सकती है। यह समस्या संतुलित व्यक्तियों को भी प्रभावित कर सकती है।[1]

अवसाद या डिप्रेशन एक मानसिक स्थिति है, जिसमें व्यक्ति निराश और लाचार महसूस करता है। यह मस्तिष्क में रसायनों के असंतुलन से उत्पन्न होता है, जैसे सेरोटोनिन और नौरएपिनोप्रिन। अवसाद के पीछे जैव रासायनिक कारण होते हैं, और मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति की मानसिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

डिप्रेशन के कारण में अनुवांशिक प्रभाव, व्यक्तित्व, और परिस्थितियों का भी योगदान होता है। यह स्थिति मस्तिष्क के फोरब्रेन और लिंबिक सिस्टम को अधिक प्रभावित करती है, जिससे शरीर में अन्य विकृतियां होती हैं। इसलिए, संगीत एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है, जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।[2]

शरीर में अवसाद

प्रमस्तिष्क का दाहिना भाग शरीर के बाएं हिस्से की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जबकि मध्यमस्तिष्क दृष्टि और श्रवण का प्रबंधन करता है। पश्च मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है और अनुमस्तिष्क शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखता है। मानव मस्तिष्क में 75 प्रतिशत पानी होता है और यह प्रतिदिन औसतन 60,000 विचार उत्पन्न करता है।

संगीत का मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव होता है, लेकिन नकारात्मक संगीत मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा सकता है। अवसाद तेजी से बढ़ रहा है, विशेषकर महिलाओं में, और यह आत्महत्या का कारण बन सकता है। इसके मुख्य कारण बायोकेमिकल, मानसिक, और शारीरिक होते हैं। बायोकेमिकल असंतुलन, नकारात्मक विचार, और हार्मोन्स का असंतुलन अवसाद को जन्म दे सकता है, जिससे निराशावादी विचार, भूख में कमी, और नींद की समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

अवसाद का रोग शरीर में तंत्रीकीय और अन्तःस्त्रावी विकृतियों के कारण होता है। कुछ तत्व, जैसे आनुवांशिक प्रभाव, व्यक्तित्व और परिस्थितियां, इन रसायनों के स्तर को बदल सकते हैं।

आनुवांशिक प्रभाव से पता चलता है कि अवसाद कभी-कभी पारिवारिक कारणों से होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर पीढ़ी में यह समस्या हो।

व्यक्तित्व की बात करें, तो कुछ लोग नकारात्मक सोच, दूसरों पर निर्भर रहने, आत्मसम्मान की कमी, और असुरक्षा जैसी विशेषताओं के कारण अवसाद का शिकार हो सकते हैं।

परिस्थितियों का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। जीवन में कभी खुशी और कभी दुःख होते हैं, और कठिनाइयाँ, हानि, या लंबे समय तक तनाव से अवसाद हो सकता है। इसके मुख्य कारण बायोकेमिकल, मानसिक, और शारीरिक होते हैं, जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स का असंतुलन प्रमुख है। अवसाद से व्यक्ति का सोचने का तरीका भी नकारात्मक हो जाता है।

डिप्रेशन के दो मुख्य प्रकार हैं: मेजर डिप्रेसिव डिसॉर्डर और बायोपोलर डिप्रेशन। मेजर डिप्रेसिव डिसॉर्डर व्यक्ति की सामान्य कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसमें कोई बाहरी कारण नहीं होता और यह आनुवांशिकता से जुड़ा हो सकता है। इसके लक्षणों

में चिड़चिड़ापन, उदासी, और दैनिक गतिविधियों में रुचि की कमी शामिल हैं। इसे तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है: कम, मध्यम, और तीव्र।[3]

बायोपोलर डिप्रेशन में व्यक्ति कभी बहुत खुश और कभी बहुत दुखी होता है। इसके अलावा, अन्य प्रकार के अवसाद भी हैं, जैसे सीजनल अफेक्टिव डिसॉर्डर, सायकोटिक डिप्रेशन, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन नई माताओं में जन्म के बाद के एक महीने में हो सकता है और लगभग 10 से 15 प्रतिशत महिलाएं इसे अनुभव करती हैं।

संगीत और मानसिक स्वास्थ्य

संगीत को एक दवा की तरह माना गया है, जो मनुष्य की भावनाओं और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। अध्ययन बताते हैं कि संगीत सुनने से हमारे मस्तिष्क के रसायनों में बदलाव आता है, जिससे सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं और हम बेहतर महसूस करते हैं। संगीत का प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, जिससे खुश रहने और रचनात्मकता में वृद्धि होती है।

संगीत हमेशा मानव संस्कृति का हिस्सा रहा है, और इसके दिमाग पर सकारात्मक प्रभावों पर शोध कर रहे नए क्षेत्र उभर रहे हैं। अनुसंधान से पता चला है कि संगीतज्ञों के दिमाग बड़े और बेहतर होते हैं, जिससे उनकी याददाश्त और श्रवण कौशल बेहतर होते हैं। विभिन्न प्रकार के संगीत, जैसे क्लासिकल और लोक संगीत, मस्तिष्क और भावनाओं पर अलग-अलग असर डालते हैं; लयबद्ध संगीत लक्ष्य निर्धारण में मदद करता है, जबकि तालबद्ध संगीत उत्साह बढ़ाता है।

संगीत एक कला है और चिकित्सा एक विज्ञान। इन दोनों का मिलन संगीत चिकित्सा के रूप में किया जाता है। इसका मतलब है कि किसी रोगी के रोग का उपचार संगीत के द्वारा किया जाता है। ठीक उसी तरह जैसे एक चिकित्सक रोग के लक्षण देखकर दवा की शक्ति का चुनाव करता है, संगीत चिकित्सा में भी रोगी की शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुसार संगीत का चयन किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि संगीत रोगी के मन और शरीर पर सकारात्मक असर डाले।

संगीत के अंतर्गत 'राग' का उपयोग भी होता है, जिससे व्यक्ति की भावनाओं को संतुलित किया जा सकता है। भारतीय संगीत की राग पद्धति इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है। संगीत चिकित्सक एक ऐसी गतिविधि करते हैं जिससे रोगी और चिकित्सक के बीच सामंजस्य स्थापित होता है। चिकित्सक अपनी समझ और ज्ञान के आधार पर सबसे अच्छे विकल्प का चुनाव करते हैं।

संगीत मानव शरीर पर प्रभाव डालता है, जिसे सभी स्वीकार करते हैं। व्यक्ति संगीत सुनते समय अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देते हैं, जैसे सिर हिलाना या पैर थपकना। यह दिखाता है कि संगीत का प्रभाव मांसपेशियों पर होता है और इसके द्वारा शारीरिक क्रियाएं होती हैं। कई वैज्ञानिक और चिकित्सक इस विषय पर अपने मत रखते हैं। डॉ. जॉर्ज स्टीवेंशन और डॉ. विंसेण्ट पॉल का कहना है कि संगीत मानसिक तनाव को दूर करने में प्रभावी है।

डॉ. बी.सी. देव भी इसे मानसिक रोगों का एक प्रभावी उपचार मानते हैं। इंग्लैंड के डॉ. एडविना मीड और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के ऐडवर्ड पॉडीलॉस्की का मानना है कि संगीत की तरंगें तंत्रिका तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। पं. विश्वमोहन भट्ट कहते हैं कि संगीत जीवन में ऊर्जा और उत्साह लाता है।

डॉ. जे.पी. बुरेट का कहना है कि वातावरण में संगीत के द्वारा उत्पन्न कंपन नसों पर प्रभाव डालते हैं। विशेषज्ञ पिकस मिरान्डेल का मानना है कि संगीत आत्मा और शरीर के बीच जोश उत्पन्न करता है, जिससे रोगों का उपचार संभव होता है।

डॉ. रमाकान्त द्विवेदी की पुस्तक 'संगीत स्वरित' में बताया गया है कि संगीत एक योग विद्या है, जो मानवता को आत्मोन्नति की दिशा में ले जाती है। संगीत का लक्ष्य भी परम सत्ता की प्राप्ति के साथ जुड़ा होता है। मस्तिष्क जो शरीर का नियंत्रण करता है, संगीत की तरंगों से सबसे अधिक प्रभावित होता है।[4]

संगीत तंत्रिकाओं को जीवन प्रदान करता है और नसों में दबे हुए जीवन शक्ति को पुनः स्थापित करता है। इसका श्रवण और उत्सर्जन पर गहरा प्रभाव होता है। संगीत व्यक्ति की सूक्ष्म भावनाओं को जाग्रत करता है, मन को प्रसन्न करता है, और चेतना को प्रकाशित करता है। इसके साथ ही, संगीत हमारे मनोभावों को भी प्रभावित करता है।

संगीत चिकित्सा मानसिक स्वास्थ्य का एक प्रभावी तरीका

संगीत चिकित्सा मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक प्रभावी तरीका है, जो चिंता और तनाव को नियंत्रित करने में मदद करती है। प्राचीन समय से, संगीत का उपयोग मानसिक आत्मिक शुद्धि के लिए किया जाता रहा है। मनोचिकित्सक ध्यान के साथ संगीत को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि यह मन और शरीर की क्रियाओं के बीच संबंध बनाता है। तनाव से शरीर में हानिकारक हार्मोन का निर्माण होता है, और संगीत इस स्थिति को सुधारने का एक शक्तिशाली माध्यम है।5

संगीत चिकित्सा में रोगियों को उनके स्वभाव के अनुसार मधुर संगीत सुनने के लिए कहा जाता है, जिससे उनका ध्यान नकारात्मक विचारों से हटता है। संगीत सुनने से व्यक्ति को शांति और आराम महसूस होता है। आजकल, जब लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, संगीत एक इलाज की तरह काम करता है। यह मानसिक तनाव को कम करता है और मानव मस्तिष्क को शुद्ध करता है।

जब कोई व्यक्ति संगीत सुनता है, तो कानों से प्राकृतिक झिल्ली कंपित होती है, जिससे मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी क्रम में, तनाव और मानसिक विकृतियों का शमन होता है। संगीत की धुनों से तनाव कम होता है, सांस की नियमितता बहाल होती है, और शरीर में बेचैनी भी खत्म होती है।[6]

तनाव का उपचार संगीत से संभव है, और यह नकारात्मक भावनाओं को समाप्त करने में सहायक होता है। मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में रोगियों का उपचार करते समय संगीत को मनोरंजन और सशक्तिकरण के लिए भी यूज किया जाता है। पं. विजय शंकर मिश्र के अनुसार, संगीत भावनाओं को जाग्रत करने के साथ-साथ उन्हें संतुलित भी करता है।[7] इस प्रकार, संगीत का उपयोग मानसिक समस्याओं जैसे चिंता और तनाव के समाधान में किया जाता है।[8]

निष्कर्ष

डिप्रेशन एक मानसिक स्थिति है, जो लोगों को उदास और असहाय महसूस कराती है। इससे उनकी भावनात्मक और शारीरिक गतिविधियों में कमी आती है, और वे वास्तविकता से दूर होने लगते हैं। मानसिक रोगियों में ऐसे लक्षण आम हैं। वे निराश, दु:खी और रोने की इच्छा रखते हैं। इलाज के एक तरीके के रूप में संगीत को मान्यता मिली है।

डिप्रेशन लाइलाज नहीं है; इसका इलाज संभव है। यदि व्यक्ति इसके कारणों और लक्षणों को समझ ले, तो समय पर इलाज करवा सकता है। मनोचिकित्सक सुझाव देते हैं कि लोग अपने पसंदीदा संगीत को सुनें। संगीत दिमाग पर गहरा असर डालता है और मूड बदलने में मदद कर सकता है। विशेष रूप से, जब लोग खुद गाते या वाद्य बजाते हैं, तो यह और भी प्रभावी होता है।

पं0 विजय शंकर मिश्र ने संगीत की प्रभावशीलता पर अपनी पुस्तक में लिखा है कि संगीत न केवल भावनाओं को जगाने का काम करता है, बल्कि उन्हें संतुलित और परिष्कृत भी कर सकता है। इसके माध्यम से तनाव को कम किया जा सकता है, और मानसिक रोगों के इलाज में संगीत का उपयोग बढ़ता जा रहा है। संगीत मानव जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने की पूरी क्षमता रखता है।

संगीत मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक मजबूत साधन है। भारतीय संगीत के रागों के माध्यम से आनंद और खूबसूरती को व्यक्त किया जाता है। संगीत चिकित्सा चिंता और तनावग्रस्त रोगियों के लिए एक विशेष औषधि के समान है।

संदर्भ

1. भाटिया, सिंह मनजीत, मनोरोग गलत धारणाएं और सही पहलू पृ०स० 63।
2. सिन्हा, डॉ0 ज्योति, राग रोग व रोगी - पृष्ठ सं0 377।
3. www.Onlymyhealth.com.
4. द्विवेदी, डॉ0 रमाकान्त, संगीत स्वरित - पृष्ठ सं0 10।
5. श्रीवासन डॉ. एस, संगीत चिकित्सा सेमिनार रिपोर्ट पृ०स० 172।
6. पं काव्यलय कुमार के साथ किए गए साक्षात्कार पर आधारित सूचना।
7. शंकर, मिश्र,पं. विजय,तबला पुराण, पृ०स० 108,199।
8. पोडोलस्की डॉ. एडवर्ड, म्युजिक फार हेल्थ पृ०स० 47।

भारत-चीन व्यापारिक संबंधों का तुलनात्मक विश्लेषणः मोदी युग में

संजू देवी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक

डॉ० ब्रह्म प्रकाश

प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक

शोध सार

21वीं सदी में भारत और चीन एशिया की दो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएँ हैं। दोनों देश दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। वर्तमान समय में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। इस शोध लेख में भारत-चीन के व्यापारिक संबंधों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था तेजी से विकास की ओर अग्रसर है जहाँ चीन की अर्थव्यवस्था दूसरे स्थान पर है, वहीं पर भारत की अर्थव्यवस्था पांचवा स्थान पर है। नरेन्द्र मोदी मई 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने चीन के साथ संबंधों को मजबूत करने के प्रयास किए। जिससे दोनों के आर्थिक संबंधों में अत्यधिक गतिशीलत आई है और 2023 में व्यापार 135 विलियन डॉलर पहूँच गया है।

भारत चीन से आयात ज्यादा और निर्यात कम करता है, जिस वजह से दोनों देशों के मध्य व्यापार असंतुलन बना हुआ है। भारत सरकार ने व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत योजना' को अधिक प्रोत्साहन देने का प्रयास किया है, ताकि चीन पर व्यापार निर्भरता को कम किया जा सके। इस शोध प्रपत्र में दोनों देशों के मध्य विद्यमान व्यापार में असंतुलन, चीन पर बढ़ती निर्भरता, आयात, निर्यात एवं दोनों देशों की बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन कर विश्लेषण करना है।

मुख्य शब्द - भारत, चीन, अर्थव्यवस्था, व्यापार, आर्थिक संबंध, आयात-निर्यात।

प्रस्तावना

भारत और चीन 40 प्रतिशत आबादी वाले देश हैं। वर्तमाान में दोनों देश दुनिया की सबसे तेज विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आज दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े बाजार बनने की ओर अग्रसर है। भारत सरकार ने चीन के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अत्यधिक प्रयास किए हैं। नरेन्द्र मोदी के प्रधानमन्त्री बनते ही चीन के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए जिससे दोनों देशों के आर्थिक एवं राजनीतिक संबंधों को मजबूती मिली। लेकिन इन सबके बावजूद व्यापार में बढ़ोतरी लगातार हुई लेकिन सीमा पर विवाद और तनाव बना रहता है। भारत का चीन के साथ व्यापार 2014 से लेकर 2023 तक अधिक तेजी से बढ़ा है। 2014 में चीन के साथ भारत का कुल व्यापार 71.66 बिलियन डॉलर था जो साल 2022-23 में 136.26 बिलियन डॉलर हो गया है। आंकड़ों के अनुसार भारत चीन पर अत्यधिक निर्भर होता जा रहा है।

नरेन्द्र मोदी की सरकार बनने के बाद भारतीय आयात में चीन की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। साल 2014-2015 में भारत ने चीन से 13.48 फीसदी हिस्सा आयात किया था जो साल 2020-21 में चीन की ओर से आयात अब तक के सबसे ऊँचे आंकड़े 16.92 फीसदी तक पहुँच गए हैं। जहाँ एक ओर आयात में बढ़ोतरी होती जा रही है। दूसरी ओर निर्यात बहुत कम मात्रा में होता है। साल 2022 में भारत ने चीन को 17.49 बिलियन डॉलर का निर्यात किया जो आयात के मुकाबले बहुत कम है, जिससे व्यापार घाटा 101.28 बिलियन डॉलर पर पहुँच गया है। इसी वजह से भारत की चीन पर व्यापारिक निर्भरता बढ़ती जा रही है।

तालिका 1.1 भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार

वर्श	भारत का चीन को निर्यात	भारत का चीन से आयात	कुल व्यापार	व्यापार घाटा
2015	13.4	58.26	71.66	44.86
2016	11.75	59.43	71.18	47.68
2017	16.34	68.1	84.44	51.76
2018	18.83	76.87	95.7	58.04
2019	17.97	74.92	92.9	56.95
2020	20.87	66.78	87.65	45.91
2021	28.03	97.59	125.62	69.56
2022	17.49	118.77	136.26	101.28

स्त्रोत: सामान्य सीमा शुल्क प्रशासन, चीन 2022 (आंकड़े बिलियन में)

भारत की अर्थव्यवस्था का विकास

2014 में मोदी सरकार के बनने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। कोविड संकटकाल के समय में जहाँ पर दुनिया के तमाम मजबूत देशों की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट देखने को मिली थी, वही दूसरी ओर भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत डगमगाई। वैश्विक स्तर पर दुनिया के बहुत से देश आर्थिक मंदी से उबर नहीं पा रहे हैं, वही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आर्थिक नीतियों ने मुश्किल के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। साल 2023-24 की दूसरी तियाही जुलाई से सितंबर में भारत की अर्थव्यवस्था ने शानदार विकास किया है। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6 फीसदी हो गया है। भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तीव्र आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने वाला देश बना हुआ है।

चीन की जीडीपी जुलाई-सितंबर 2023-24 में वृद्धि दर 4.9 प्रतिशत रहा है, जो भारत के मुकाबले कम है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की जीडीपी में पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले अधिक वृद्धि हुई है और देश की इकॉनमी पाँचवे नंबर पर पहुंच गई है। साल 2021 में भारत की जीडीपी 3.2 ट्रिलियन डॉलर थी। साल 2022 में यह बढ़कर 3.6 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। भारत-जापान की जीडीपी 4.4 ट्रिलियन डॉलर और जर्मनी की 4.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के मामले में इन देशों को पछाड़ कर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

भारत से आगे दुनिया की चार बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारत का स्थान पांचवे नंबर पर है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था का आकार 26.7 ट्रिलियन डॉलर है। दूसरे स्थान पर चीन की अर्थव्यवस्था का आकार 19.24 ट्रिलियन डॉलर का है। 4.39 ट्रिलियन डॉलर के साथ जापान की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर है। उसके बाद चौथे नंबर पर जर्मनी की अर्थव्यवस्था 4.28 ट्रिलियन डॉलर की है। पांचवा स्थान भारत का है जिसकी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन हो गई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रयासत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस तरह का अनुमार दिया है। भारत लगातार अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अत्यधिक प्रयास कर रहा है।

चीन की अर्थव्यवस्था का विकास

चीन का अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया की दुसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की तुलना में चीन की अर्थव्यवस्था का आकार तीन गुना से भी ज्यादा है। साल 2010 में चीन की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) 10 प्रतिशत से अधिक था।

साल 2019 में औसत वृद्धि 60 प्रतिशत की हुई और 2021 में यह 8 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। लेकिन कोविड महामारी के आने से 2020 में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आज चीन की अर्थव्यवस्था 19.37 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है।

चीन दुनिया की सबसे बड़ी विनिर्माण अर्थव्यवस्था है। यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था और वस्तुओं के आयात में दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और चीन दुनिया का सबसे बड़ा व्यावसायिक देश है। साल 2020 में चीन दुनिया में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्त्ता देश है।

साल 2023 की पहली तिमाही में चीन की जीडीपी की वृद्धि दी 4.5 प्रतिशत हो गई है और दूसरी तिमाही में इसकी वृद्धि दर 6. 3 प्रतिशत हो गई है।

साल 2008 में जब दुनिया में आर्थिक मेदी का दौर आया था, तो भारत और चीन इस संकट में भी तेजी से विकास कर रहे थे। 2010 में चीन 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनोमी बन गया था और 2010 में 10 ट्रिलियन डॉलर का मुकाम हासिल कर लिया था। उस समय भारत 2 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी था। भारत भी चीन की तरह ही तीव्र गति से विकास कर रहा है।

चीन के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रही है क्योंकि साल 2023 अप्रैल-जून तिमाही में चीन का जीडीपी 6.3 फीसदी रहा है, इसकी तुलना में भारत का जीडीपी 8 फीसदी रहने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन खत्म होने के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था धीमी होती जा रही है और भारत आर्थिक विकास की रफतार के मामले में चीन पर भारी पड़ रहा है।

हालांकि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिस्पर्धक एवं प्रतिद्वंदी देश है, दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के विकास गति का पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। चीन की चाईना प्लस वन पॉलिसी (CPOP) के तहत दुनिया की बड़ी दिग्ग्ज कंपनियां जो चीन में पहले से मौजूद है, अब ये कम्पनियाँ भारत में अपना निवेश बढ़ रही है। आज चीन के शेयर बाजारों के निवेशक वहां से निकलकर भारतीय शेयर बाजारों में निवेश कर रहे हैं। इसकी वजह से मार्च 2023 के बाद भारतीय शेयर बाजारों में अधिक तेजी आ गई है लेकिन वर्तमान समय में देखे तो चीन की आर्थिक विकास की रफतार कम हो गई है और अर्थव्यवस्था की गति सुस्त होती जा रही है।

इस सबके बावजूद भी चीन की अर्थव्यवस्था भारत से बहुत आगे है। भारत को चीन का मुकाबला करने के लिए सालों की मेहनत लग जाएगी। साल 1990 में चीनी अर्थव्यवस्था भारत की तुलना में अधिक बड़ी नही थी, लेकिन चीन ने आर्थिक विकास की गति को ऐसे बढ़ाया की आज चीन की जीडीपी भारत से पांच गुना ज्यादा है। भारत को चीन की अर्थव्यवस्था का मुकाबला करने के लिए 25 साल लग जाएगें।

शोध उद्देश्य

1. भारत-चीन आर्थिक संबंधों की तुलना करना।
2. दोनों देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना कर विश्लेषण करना।
3. भारत-चीन आर्थिक कारकों पर ध्यान केंद्रित कर व्यापार की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध-पत्र में भारत-चीन आर्थिक संबंधों का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही सरकारी रिपोर्ट, द्वितीयक स्त्रोत जैसे- पत्र-पत्रिकाएं, शोध-पत्र, समाचार पत्र एवं इन्टरनेट पर उपलब्ध साहित्य का अध्ययन किया गया है।

साहित्य सर्वेक्षण

द्विवेदी अशोक कुमार, 2012, "भारत-चीन सम्बन्धों की गतिः चुनौतियाँ एवं अवसर'', प्रस्तुत पुस्तक में भारत-चीन आर्थिक संबंधों के साथ-साथ सीमा विवाद, सामारिक एवं रणनीतिक संबंधों का विवरण किया गया है, इसमें वर्तमान में भारत-चीन पारस्परिक सहयोग से विश्व की अनेक समस्याओं जैसे- अजी, परमाणु, अप्रसार, पर्यावरण की सुरक्षा, वैश्विक स्वास्थ्य तथा आर्थिक व्यवस्था के विकास

संभव हो रहा है, दोनों देश आर्थिक रूप से अत्यधिक आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। इसमें दोनों देशों की अर्थव्यवस्था का वर्णन किया है कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ रही है। दोनों देश दुनिया के लिए सबसे बड़े बाजार एवं भविष्य की महाशक्ति बनने की और अग्रसर है। इसमें लेखक ने भारत-चीन व्यापारिक संबंधों के साथ-साथ दोनों देशों की प्रतिद्वंद्वीता का वर्णन भी किया है।

राम ईश्वर, 2015, "चीन और भारत के आर्थिक विकास के अध्ययन का एक तुलनात्मक विश्लेषण", प्रस्तुत शोध लेख में भारत-चीन की आर्थिक स्थिति, एफडीआई, आर्थिक विकास और आयात और निर्यात का विवरण किया है। लेखक का मानना है कि भारत और चीन की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है और दोनों देश एशियाई दिग्ग्ज एवं धीरे-धीरे विश्व अर्थव्यवस्था की प्रमुख महाशक्ति बनते जा रहे हैं। इसमें चीन की तुलना में भारत को अधिक मजबूत अर्थव्यवस्था और विकास की ओर अग्रसर बताया है कि भारत भी तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बनते जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों के पास कुल कार्य आयु की 40 से अधिक आबादी है।

वैदिक वेदप्रताप, 2016 "मोदी की विदेश नीति: वैदिक की नजर में, प्रस्तुत पुस्तक में मोदी काल में भारत-चीन व्यापारिक संबंधों का वर्णन किया है। इसमें वांग यी की भारत यात्रा का विवरण किया है और मोदी की मुख्यमंत्री पद पर होते हुए चीन की चार बार यात्रा का विवरण शामिल किया है। दोनों देशों के मध्य व्यापार को मोदी सरकार के द्वारा 70 बिलियन से 100 बिलियन तक पहुँचाने और भारत का चीन के साथ निर्यात कम तथा आयात ज्यादा होने से व्यापार घाटा के बढ़ने से भारत को हो रहा नुकसान का वर्णन किया है। इसमें लेखक ने कहा है कि 21वीं सदी एशिया की सदी बन सकती है, जब भारत और चीन आर्थिक सहयोगी बन जाए।

शर्मा भगवती प्रकाश, 2018 "चीन का आर्थिक व भू-राजनैतिक चुनौती प्रस्तुत पुस्तक में भारत-चीन के व्यापारिक संबंधों का विवरण किया गया है। इसमें चीनी वस्तुओं से बढ़ती उद्यमबंदी व बेरोजगारी से भारत को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। चीन के साथ बढ़ता आयात गंभीर व्यापारिक समस्या उत्पन्न कर रहा है। वर्तमान में चीन ने भारत को उद्योग विहीन करने के लिए एक नए प्रकार का व्यापारिक एवं आर्थिक युद्ध छेड़ रखा है। भारत के उद्योग व कारखाने चीन के सामान की प्रतिस्पर्धा न करने पर बंद होते जा रहे हैं। इसमें लेखक ने चीन पर भारत की निर्भरता के बारे में जानकारी दी है, कि भारत-चीन पर अत्यधिक मात्रा में आयात कर व्यापार घाटे को बढ़ावा दे रहा है। इसमें चीन के सामान का बहिष्कार कर विश्व संकट के रूप में उभर रहे चीन पर अंकुश लगाने का वर्णन किया गया है।

मल्होत्रा नीना, कुमारी दीपिका, 2018, "भारत और चीन में व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास", प्रस्तुत शोध लेख में भारत और चीन के मध्य व्यापार निवेश और आर्थिक विकास का वर्णन किया है। इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आकलन करने का प्रयास किया गया है। चीन और भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं है। दोनों देशों ने पिछले पांच दशकों से तीव्र आर्थिक विकास किया है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोरी विनिर्माण क्षेत्र का खराब प्रदर्शन को बताया है, क्योंकि भारत आईटी से संबंधित सेवाओं में अधिक अग्रणी है, जिससे व्यापारिक निर्यात कुछ क्षेणियों के पास केंद्रित है। जिसकी वजह से निर्यात कम और आयात ज्यादा होता है।

सुझाव

1. भारत को अन्य देशों से अपने आयात में विविधता लाकर चीनी आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने की आवश्यकता है।
2. भारत को मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहिए और इलेक्ट्रोनिक्स, फार्मास्यिूटिकल्स और रसायनों जैसे उच्च मूल्य उत्पादों के निर्यात पर अधिक ध्यान देना चाहिये।
3. भारत को आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू उद्योगों को अत्यधिक विकसित करने की आवश्यकता हैं।
4. भारतीय सरकार को आत्मनिर्भरता को अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।
5. भारत व्यापार क्षेत्र में निर्भरता में विविधता लाकर यूरोप, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ अधिक आयात-निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए।

निष्कर्ष

हालांकि भारत और चीन के विकास का तरीका अलग-अलग है। चीन की अर्थव्यवस्था भारत से अधिक आगे है, क्योंकि चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी निवेश किया हुआ है जिससे चीन दुनिया में व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक विकास कर पाया है।

भारत को विनिर्माण क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। भारत को अभी जीडीपी के मामले में चीन से प्रतिस्पर्धा करने में लंबा सफर तय करना होगा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलहाकार परिषद के चौयरमैन विवेक देबरॉय ने कहा था कि अगर भारत की वार्षिक

औसत वृद्धि दर 7.5 फीसदी रहती है तो साल 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 20 ट्रिलियन डॉलर हो सकती है। चीन की तुलना में भारत को व्यापार में अत्यधिक निवेश को बढ़ावा देने की जरूरत है तभी भारत-चीन से प्रतिस्पर्धा कर पाएगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. द्विवेदी अशोक कुमार, "भारत-चीन संबंधों की गतिः चुनौतियाँ एवं अवसर'', राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2012
2. मुखर्जी पारमिता देब, के० अर्णव, पांग मिआओ, "चीन और भारतः इतिहास, संस्कृति, सहयोग और प्रतिस्पर्धा'', सेज प्रकाशन, 2018
3. शर्मा भगवती प्रकाश, "चीन एक आर्थिक व भू-राजनैतिक चुनौती'', प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2018
4. वैदिक वेदप्रताप, "मोदी की विदेश नीतिः वैदिक की नजर में'', डायमंड बुक्स, 2016
5. अत्री अभिनव, "चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट के गंभीर संकेत, दुनिया भर के देशों के लिए बजी खतरे की घंटी'', 17 अगस्त 2023, https:è/zagran.com
6. बेलवाल ललित मोहन, "कभी बराबर थी भारत-चीन की अर्थव्यवस्था, फिर ऐसे आगे निकला बिजिंग, अब हमने फिर पकड़ी रॉकेट सी रफतार'', 24 अगस्त 2023, https:èèwww.zeenews.india.com
7. भारत-चीन व्यापार संबंध, दृष्टि द वीजन, 4 मई 2023
8. भारत की अर्थव्यवस्था को चीन का मुकाबला करने के लिए क्या करना चाहिए, एबीपी लाइव प्लस, 5 जुलाई 2023, https:èèwww.abplive.com
9. राम ईश्वर, "चीन और भारत के आर्थिक विकास के अध्ययन का एक तुलनात्मक विश्लेषण, आई जे ए आर आई (परंतप), जर्नल, 2015
10. कुमार अनूप, "जीडीपी में भारत की लंबी छलांग, मोदी सरकार की नीतियों का असर, अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ा भारत'', 1 दिसम्बर 2023, https:èèhindinews18.com
11. रामपाल निखिल, "कैसे कारोबारी पार्टनर के तौर पर भारत की चीन पर निर्भरता बढ़ती गई'', 19 जून 2020, https:èèwww.ajtak.in

भारत की स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की आदिवासी जनजातियों की भूमिका

अनुप कुमार यादव

शोधार्थी, इतिहास विभाग, रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय, विश्रामपुर, पलामु, झारखंड़

शोध सार

झारखंड की आदिवासी जनजातियों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन और सामंती व्यवस्था के खिलाफ संघर्षरत इन जनजातियों ने अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को बनाए रखाने के लिए लगातार विद्रोह किया। संथाल विद्रोह (1855 56), मुंडा विद्रोह (1899-1900), कोल विद्रोह (1831 32) और ताना भगत आदोलन (1914-1920) जैसे प्रमुख आदिवासी आंदोलनों ने न केवल ब्रिटिश शासन को चुनौती दी बल्कि सामती और जमींदारी वावस्था के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। इन विद्रोहों का उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था बल्कि आदिवासी भूमि संसाधनों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना भी था। बिरसा मुडा जैसे महान नेता ने अपने नेतृत्व में न केवल आदिवासी समाज को संगठित किया, बल्कि उन्हें सांस्कृतिक और धार्मिक पुनरुत्थान की दिशा में भी प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में मुंडा विद्रोह ब्रिटिश नीतियों और मिशनरी गतिविधियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संघर्ष बना। इसी तरह सिद्धू और कान्नू मुर्मू के नेतृत्व में संथालों ने ब्रिटिश अधिकारियों और जमीदारों के शोषण के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। इन विद्रोहों में शामिल जनजातीय नेताओं ने स्वतंत्रता आदोलन को एक नई दिशा दी और आदिवासी समाज में स्वतंत्रता और स्वायत्तता की भावना को प्रबल किया। इन आंदोलनों का प्रभाव स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पर भी पड़ा। झारखंड की जनजातियों के संघर्ष ने ब्रिटिश सरकार को भूमि अधिकार और आदिवासी सरक्षण।

मुल शब्दः- स्वतंत्रता संग्राम, जनजातीय, योगदान, झारखंड, आदिवासी विद्रोह

प्रस्तावनाः-

औपनिवेशिक भारत में झारखंड की जनजातियों का ऐतिहासिक संदर्भ झारखंड जो अपनी समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है. लंबे समय से संपात, मुंडा, उरांव और हो जैसी विभिन्न जनजातियों का घर रहा है। ये जनजातियां अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रथाओं में विशिष्ट थी और पूर्व औपनिवेशिक भारत की सरचना में एक अनूठी स्थिति रखती थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आगमन के साथ, झारखंड की जनजातीय समुदायों का शोषण आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से बढ़ता गया, क्योंकि औपनिवेशिक नीतियों का उद्देश्य क्षेत्र की प्राकृतिक संपत्तियों का दोहन और विदेशी शासन प्रणाली को लागू करना था। झारखंड की जनजातियां अपनी भूमि से गहरा संबंध रखती थी. जो उनके जीवनयापन, विश्वास और सामाजिक संरचना का आधार थी। जैसे-जैसे औपनिवेशिक शोषण बढ़ता गया, जनजातियां भूमि विस्थापन और सांस्कृतिक विघटन के दोहरे खतरे का सामना करने लगीं। नतीजतन, उनकी प्रतिरोध भारत की स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई. हातांकि इसे मुख्यधारा के ऐतिहासिक आख्यानों में अक्सर नजरअंदाज किया गया। जनजातीय योगदान को समझने के लिए औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ उनकी तढ़ाई को समझना आवश्यक है, जो केवत आर्थिक नहीं बल्कि गहरे सांस्कृतिक और वैचारिक थे। औपनिवेशिक शोषण और जनजातीय प्रतिरोध आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने झारखंड की जनजातियों को बुरी तरह प्रभावित करने वाली नीतियां लागू की। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमि अधिग्रहण कानून थे, जिसने जनजातियों को उनकी पुश्तैनी भूमि से वंचित कर दिया, और जमींदारी व्यवस्था की स्थापना, जित्तने उनकी हाशिए की स्थिति को और बढ़ा दिया। 1908 का छोटा नागपुर कास्तकारी अधिनियम (सीएनटी अधिनियम) जनजातीय भूमि की रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन यह भूमि विस्थापन को रोकने में अक्सर विफल रहा, क्योंकि इसमें कई खामियां थी और इसे प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया था। इस भूमि हड़पने और विस्थापन के दौर ने जनजातियों को विद्रोह के लिए मजबूर किया। झारखंड में ब्रिटिश शोषण के खिलाफ सबसे प्रारंभिक विद्रोहों में से एक 1855 का संथात विद्रोह था, जिसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने किया। यह विद्रोह जमींदारों और साहूकारों के शोषण से उपजे क्रोध से प्रेरित था, जिसने हजारों संथालों को संगठित किया। हालांकि अंततः इसे ब्रिटिशों द्वारा दवा दिया गया, लेकिन यह बाद के विद्रोहों के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती घटना थी। 1899 1900 का मुंडा विद्रोह, जो प्रसिद्ध जनजातीय नेता बिरसा मुडा के नेतृत्व में हुआ. ने सीधे तोर पर ब्रिटिश भूमि नीतियों और ईसाई मिशनरी गतिविधियों को चुनौती दी। बिरसा का आंदोलन, जो मुंडा भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की बहाली का तक्ष्य रखता था, जनजातीय प्रतिरोध के साथ आध्यात्मिक और सामाजिक राजनीतिक विचारधाराओं के मितन का उदाहरण था।

प्रमुख जनजातीय विद्रोह और आंदोलनः एक समपरेखा

झारखंड की जनजातियों ने कई विद्रोहों के माध्यम से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध किया, जो दशकों तक फैले रहे और क्षेत्र के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये विद्रोह भले ही भौगोलिक रूप से स्थानीय थे, लेकिन इनका प्रभाव जनजातीय समुदायों और व्यापक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन दोनों पर गहरा पड़ा। संथात विद्रोह (1855), मुंडा विद्रोह (1899-1900), और 19वीं शताब्दी के अंत में बिरसा आदोलन जैसे कई प्रमुख घटनाएँ जनजातीय प्रतिरोध की महत्वपूर्ण क्षण थे। ये विद्रोह मुख्य रूप से आर्थिक शोषण, भूमि विस्थापन और औपनिवेशिक अधिकारियों और स्थानीय जमीदारों द्वारा सास्कृतिक दमन के कारण उत्पन्न हुए थे।

संथाल विद्रोह (1855-1856): संथाल विद्रोह, जिसे संथाल हूल के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे शुरुआती और महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोहों में से एक था। सिद्धू और कान्ह मुर्मू के नेतृत्व में संपातों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीतियों और जमींदारों व महाजनों द्वारा ही रहे शोषण के खिलाफ लगभग 30.000 आदिवासी योद्धाओं को संगठित किया। यह विद्रोह संथाल समुदाय की सामाजिक आर्थिक और भूमि संबंधी समस्याओं के कारण हुआ था. जिन्हें उच्च कर, भूमि से बेदखती और शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा।

विद्रोह तेजी से झारखंड पश्चिम बंगाल और विहार के विभिन्न हिस्सों में फैल गया। सथातों का उद्देश्य एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था, जहां उनकी भूमि और सांस्कृतिक परपराओं को बाहरी हस्तक्षेप से बचाया जा सके। हालांकि प्रारंभिक सफलताओं के बावजूद ब्रिटिश सेना ने आधुनिक हथियारों और हिंसक रणनीतियों का इस्तेमाल करके विद्रोह को कुचल दिया। हजारों संथाल मारे गए और विद्रोही नेता सिद्धू और कान्ह को फांसी दी गई।

संथाल विद्रोह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था. जिसने आदिवासी समुदायों के औपनिवेशिक और सामंती उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई को सामने लापा और आने वाले समय में और विद्रोहों के लिए प्रेरणा दी।

मुडा विद्रोह (1899-1900) मुंडा विद्रोह, जिसे उलगुलान' (महान विद्रोह) के नाम से भी जाना जाता है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। बिरसा मुंडा झारखंड के सबसे प्रमुख आदिवासी नेताओं में से एक थे। 1875 में जन्मे बिरसा ने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों और ईसाई मिशनरियों के कार्यो के खिलाफ मुडा जनजाति को संगठित किया, जो उनके आदिवासी जीवन शैली के लिए खतरा माने जाते थे। यह विद्रोह सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयामों को मिलाकर एक अद्वितीय आंदोलन बन गया। बिरसा मुंडा ने खुद को एक मसीहा घोषित किया और मुंडाओं को उनकी सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक भूमि पर अधिकार की रक्षा के लिए प्रेरित किया। विद्रोह ब्रिटिश अधिकारियों, जमींदारों और मिशनरियों के खिलाफ तेजी से फैल गया।

हालांकि, यह विद्रोह 1900 में कुचल दिया गया और बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। फिर भी, इस आदोलन ने ब्रिटिश सरकार को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 जैसे सुधार लागू करने के लिए मजबूर किया, जिसने आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा की। बिरसा मुंडा आज भी आदिवासी आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा बने हुए हैं।

बिरसा आंदोलन 1890 के दशका मुंडा विद्रोह के विस्तार के रूप में बिरसा आंदोलन बिरसा मुंडा की उस विचारधारा पर आधारित था. जो एक स्वतंत्र आदिवासी राज्य की स्थापना पर केंद्रित थी। उनका मुख्य उद्देश्य आदिवासी भूमि और सांस्कृतिक स्वायत्तता की रक्षा करना था, जो ब्रिटिश शासन और बाहरी धार्मिक हस्तक्षेपों से खतरे में थी। हालांकि यह आदोलन सैन्य रूप से कुचता गया, लेकिन इसकी वैचारिक विरासत आने वाले समय के आदिवासी आंदोलनों को प्रेरित करती रही।

कोल विद्रोह (1831-1832) कोल विद्रोह संधात और मुंडा विद्रोहों से पहले का एक प्रमुख आदिवासी विद्रोह था। कोल समुदाय, जो ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियों और जमींदारों द्वारा हो रहे शोषण से पीड़ित थे ने विद्रोह किया। इस विद्रोह का नेतृत्व बुधु भगत, जोआ भगत जैसे आदिवासी नेताओं ने किया। हालांकि यह विद्रोह अंतत दबा दिया गया, लेकिन इसने भविष्य के आदिवासी आंदोलनों के लिए भूमि अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता को उजागर किया।

ताना भगत आंदोलन (1914-1920 के दशक): ताना भगत आंदोलन उरांव जनजाति के बीच एक सामाजिक धार्मिक विद्रोह था, जिसे 1914 में जातरा भगत ने शुरू किया। इस आंदोलन ने गांधीजी के असहयोग आंदोलन में भाग लेकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग और जमींदार प्रणाली के विरोध को प्रकट किया। ताना भगतों का आदोलन आदिवासी स्वायत्तता और धार्मिक पुनरुद्धार का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया।

हो विद्रोह (1820-1830 के दशक): हो विद्रोह झारखंड में प्रारंभिक दर्ज आदिवासी विद्रोहों में से एक था, जिसका नेतृत्व सिंहभूम क्षेत्र में हो जनजाति ने किया था। कोल जनजाति की तरह, हो समुदाय ने भी अपनी भूमि और सामाजिक संरचनाओं में ब्रिटिशा हस्तक्षेप के खिलाफ विद्रोह किया। यह विद्रोह ब्रिटिशों द्वारा भूमि राजस्व नीतियों को लागू करने और सिंहभूम क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ाने के प्रयासों से भड़क उठा था। हो विद्रोह अपनी क्रूरता और आदिवासी नेताओं के संगठित प्रयासों के लिए उल्लेखनीय था। सैन्य दृष्टि

से ब्रिटिश सेना से कमजोर होने के बावजूद हो समुदाय ने कई वर्षों तक ब्रिटिश सेना के खिलाफ डटकर मुकाबला किया, हालांकि अंततः इस विद्रोह को दया दिया गया। यह विद्रोह झारखंड में आदिवासी प्रतिरोध के प्रारंभिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था और आगे आने वाले विद्रोहों के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

औपनिवेशिक युग के दौरान झारखंड की जनजातियों द्वारा किए गए प्रतिरोध आंदोलन व्यापक और गहराई से भूमि, संस्कृति और स्वायत्तता की रक्षा में निहित थे। संथाल विद्रोह से लेकर मुंड़ा विद्रोह और कोल तथा हो विद्रोह जैसे छोटे बड़े संघर्ष, ये सभी घटनाएँ ब्रिटिश शोषण के खिलाफ एक सतत् संघर्ष का हिस्सा थीं। यद्यपि में विद्रोह अक्सर स्थानीय स्तर पर केंद्रित और हिंसक रूप से दबाए गए, लेकिन इन आंदोलनों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया और स्वतंत्रता के बाद के आदिवासी अधिकार आंदोलनों की नींव रखी। इन विद्रोहों को समझना ब्रिटिए। उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत में व्यापक प्रतिरोध की पूरी तस्वीर को पहचानने के लिए आतश्यक है।

झारखंड की आदिवासी जनजातियों द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष, चाहे वह संथाल विद्रोह हो. मुंडा विद्रोह पा कोल और हो विद्रोह, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान थे। ये आंदोलन स्थानीय स्तर पर भले ही असफल रहे हों, लेकिन उन्होंने आदिवासी समुदायों में जागरूकता और एकता की भावना को प्रबल किया, जो स्वतंत्रता संग्राम के बाद के आदिवासी अधिकार आंदोलनों के लिए आधार बने।

स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी नेताओं की भूमिका

इस काल में उभरे कई आदिवासी नेताओं में से बिरसा मुंडा अपनी करिश्माई नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 1875 में जन्मे बिरसा मुंडा को एक आदिवासी नायक के रूप में श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, जिन्होंने अपने समुदाय का नेतृत्व ब्रिटिश शासन और मिशनरियों की गतिविधियों के खिलाफ किया। उनका विद्रोह केवल आदिवासियों के भूमि अधिकारों की पुनर्स्थापना तक सीमित नहीं था. बल्कि यह एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान का भी प्रतीक था, जिसका उद्देश्य मुंडा समुदाय की जीवनशैली को बाहरी प्रभावों से बबाना था। इसी तरह, संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्ह मुर्मू का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने हजारों संथालों को संगठित किया और शोषणकारी जमींदारों और औपनिवेशिक अधिकारियों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। हालांकि उनका विद्रोह ब्रिटिश सेना द्वारा कुचल दिया गया, फिर भी यह झारखंड के आदिवासियों की अडिग और अदम्य भावना का प्रमाण था।

इन नेताओं ने आदिवासी प्रतिरोध को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक वैचारिक ढांचा प्रदान किया, जिसने स्थानीय मुद्दों को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के व्यापक उद्देश्य से जोड़ा। उनके नेतृत्व ने न केवल आदिवासियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी आदिवासी समुदायों के योगदान को मजबूती से स्थापित किया।

स्वतंत्रता संग्राम में जनजातियों का सांस्कृतिक और वैचारिक योगदान

झारखंड की जनजातियों के सांस्कृतिक मूल्य जैसे भूमि के साथ उनका गहरा संबंध और सामुदायिक जीवन, उनके प्रतिरोध आदोलनों का केंद्रीय हिस्सा थे। आदिवासी विद्रोह केवत राजनीतिक या आर्थिक नहीं थे, बल्कि उनकी जीवनशैली की रक्षा से भी गहराई से जुड़े जुड़े हुए थे। जनजातियाँ भूमि को सामुदायिक संपत्ति के रूप में देखती थीं जो उनकी सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा थी। इसलिए, उनके लिए उपनिवेशवाद का भूमि पर खतरा उनके अस्तित्व पर भी खतरा था।

आदिवासी आध्यात्मिकता, जो अक्सर प्रकृति के साथ एक सहजीवी सबंध पर जोर देती है, ने भी उनके ब्रिटिशों के खिलाफ वैचारिक दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए बिरसा मुंडा ने एक स्वतन्त्र मुंडा राज्य की कल्पना की थी. जहाँ स्वदेशी रीति-रिवाज और विश्वास बिना बाहरी हस्तक्षेप के पुनस्थापित किए जा सकें। जनजातीय आंदोलनों में निहित सास्कृतिक और वैचारिक पहलुओं ने उन्हें न केवल स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनाया, बल्कि उनकी विशिष्ट पहचान को भी संरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभार।

स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी भागीदारी की चुनौतियाँ और विरासत

झारखंड के आदिवासियों के भारत की स्वतंत्रता आदोलन में योगदान को अक्सर मुख्यधारा के ऐतिहासिक विवरणों में नजरअंदाज किया गया है। इस उपेक्षा का कारण यह है कि मुख्यधारा का ध्यान महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए अहिंसक आदोलनों जैसे प्रमुख व्यक्तित्वों और आंदोलनों पर केंद्रित था, जबकि आदिवासी विद्रोह अक्सर हिंसक होते थे और क्षेत्रीय सीमाओं तक सीमित रहते थे। हालांकि, इन आदिवासी विद्रोहों की विरासत आज भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। बिरसा मुंडा जैसे नेताओं द्वारा चलाए गए आदोलनों ने भूमि अधिकारों और स्वायत्तता को लेकर आदिवासी अधिकारों के लिए चल रहे आंदोलनों को प्रेरित किया है। औपनिवेशिक काल के दौरान झारखंड के आदिवासियों द्वारा शेती गई चुनौतियों ने स्वतंत्रता के बाद के आदिवासी आदोलनों की नींव रखी, जिन्होंने स्वदेशी अधिकारों और पहचान को फिर से हासिल करने की दिशा में प्रयास किया है।

निष्कर्ष:

भारत की स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के आदिवासियों की भूमिका को देश के ऐतिहासिक विवरण में अधिक मान्यता मिलनी चाहिए। उनका औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ प्रतिरोध सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष नहीं था बल्कि उनकी सास्कृतिक पहचान और जीवन शैली को बचाने की लड़ाई भी थी। विरसा मुंडा, सिद्धू, और कान्ह गुर्मू जैसे आदिवासी नेताओं के योगदान को मुख्यधारा के नेताओं के साथ सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासियों की भूमिका पर पुनर्विचार करना आवश्यक है ताकि उपनिवेशवाद के खिलाफ राष्ट्र के संघर्ष की पूरी जटिलता को समझा जा सके। आगे के शोध को आदिवासी इतिहास को राष्ट्रीय इतिहास में शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि झारखंड के स्वदेशी समुदायों के योगदान को भुलाया न जाए।

संदर्भ ग्रंथ

- Chakraborty. S (2014) Tribal movements in colonial India. The case of Jharkhand Journal of Indian History, 89(1), 23-45
- Chaudhury, A. (2017) Colonial land policies and tribal resistance in Jharkhand Studies in History, 34(2), 145 161
- Mukherjee. A (2020) Sidlu. Kanhu, and the Santhal Rebellion of 1855 Reassessing tribal resustance South Asia Journal of History, 76(3), 56-74
- Prasad, R. (2018) Birsa Munda and the tribal revolta of Jharkhand, Economic and Political Weekly, 53(4), 30 38
- Ray, D. (2019) Birsa Munda: A visionary leader of Jharkhand Tribal Studies Review, 62(1) 12-26
- Roy. D (2019) Birsa Munda. Prophet, freedom fighter, and cultural revivalist The Indian Historical Review, 46(2), 196-215
- Singh, P (2015) Reclaiming land and identity: The Munda Uigulan and its legacy Journal of Tribal Studies, 42(1), 112-129
- Singh, P (2015) The colonial encounter and tribal untest in Jharkhand Indian Historical Review, 42(1), 85-101
- कम ब्राउन, रेले छोटानागपुर मिशन इट्स हिस्ट्री एण्ड प्रेजेंट पोजिशन सिटी प्रेस 12 बेटिक स्ट्रीट कलकत्ता 1870
- पुर्ति पी. जी शहीद बिरसा मुडा टाटानगर 1952
- सिंह के एस. द डस्ट आर्म ऐंड हँगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एण्ड हिज मुवमेट इन छोटानागपुर फर्मा के एस एम कलकत्ता 1965
- मुद्धा मुधि राम तिरू श्री बिरसा भगवान बूटी 1943
- हलधर, हवालधारी राम गुप्त पलामू का ऐतिहासिक अध्ययन 1972
- हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र आलेख 1857 और आदिवासी पटना 2006, 9-9
- दत्त के के बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एण्ड अमर सिंह के पी जायसवाल रिसर्च इंस्टीच्यूट पटना, 1957, पृ-128
- राय चौधरी पी सी 1857 इन बिहार घोटानागपुर एण्ड संथाल परगनाज पटना 1957

भारतीय जनजाति महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति तथा मानवाधिकार

मीना कुमारी

शोध छात्रा, इतिहास विभाग, रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय, विश्रामपुर, पलामू (झारखंड़)

शोध सारः-

भारत में भिन्न-भिन्न जाति के लोग रहते है तथा उनमें जनजाति भी एक जाति है। इनकी एक सभ्यता तथा संस्कृति होती है तथा एक अलग पहचान। यह पर्वतों, जंगलों, पठारों तथा गिरी जंगलों में रहते हैं तथा यह विशिष्ट सामाजिक, धार्मिक जीवन व्यतीत करते है। जनजाति समाज की महिलाओं की रिथति गैर जनजातीय समाज की महिलाओं से थोड़ी भिन्न हैं जिस प्रकार जनजातीय समाज के जीवन में भिन्नता देखने को मिलती है, उसी प्रकार यहाँ की महिलाओं की स्थिति भी अलग-अलग होती है। आज आधुनिक युग में जनजातीय महिलाओं तथा गैर जनजातीय सभी महिलाओं का समाज में महत्वपूर्ण योगदान है। परन्तु जनजाति समाज की महिलाएँ गैर जनजाति महिलाओं की अपेक्षा अधिक परिश्रमी होती हैं। वह सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सभी क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परन्तु उनकी स्थिति कमजोर होने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वह है अशिक्षा। आदिवासी महिलाएँ पारिवारिक खचों की पूर्ति के लिए बराबर का सहयोग देती है। इसलिए परिवारिक आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए हम जनजातीय समाज में महिलाओं की भूमिका सहयोग तथा योगदान को नकार नहीं सकते हैं। जनजातीय समाज तथा जनजातीय महिलाओं की स्थिति पर अनेक विद्वानों ने अपने मत प्रकट किए है तथा अध्ययन किए हैं। तथा अध्ययन पश्चात् उनके सामने जो समस्याएँ और चुनौतियाँ सामने आई है उनका समाधान भी सुझाया है तथा सरकार भी जनजातीय समाज के उत्थान के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं।

मूल शब्दः- जनजाति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, महिलाओं, सशक्तिकरण।

प्रस्तावनाः-

जनजातीय समाज में जनजातीय महिलाओं की पृष्टीुमि अति महत्वपूर्ण है वस्तुतः महिला के बिना किसी भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः महिला का समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है तथा हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है तथा रहेगा। महिलाओं की भूमिका को समझते हुए कहा जाता है कि यदि आप घर के लड़के को पढ़ाते हैं तो केवल उस लड़के को ही पढ़ाते है परन्तु यदि आप एक लड़की को पढ़ाते है तो पूरे परिवार पूरे समाज को पढ़ाते है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी चाहे वह महिला जनजातीय समाज की हो या गैर जनजातीय समाज की। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् महिलाओं की स्थिति से सम्बन्धित बहुत अध्ययन किए गए तथा आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओ के सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस की गई तथा महिलाओं को सशक्त करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रयास किए गए महिला आरक्षण उस मार्ग में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्र संघ द्वारा सन् 1971 में महिलाओं की स्थिति पर किया गया अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि इसमें महिलाओं की स्थिति की प्रत्येक पक्ष का बहुत गहन अध्ययन किया गया था। इस प्रकार के किए गए अध्ययन पश्चात् यह समाने आया कि सामान्य भारतीय नारी की स्थिति बहुत दयनीय है तो जनजातीय समाज की नारी कि स्थिति तो और भी दयनीय होगी।

जनजातीय महिलाओं की सामाजिक स्थितिः-

किसी भी समाज की बिना महिलाओं के कोई अस्तित्व नहीं होता है प्रत्येक समाज में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है तथा किसी भी समाज की नींव बिना महिला सहयोग के सोची भी नही जा सकती है। अर्थात जिस समाज में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ होगी वह समाज उतना सुदृढ़ तथा सुन्दर होगा क्योकि महिलाएँ स्वयं को नहीं बल्कि पूरे समाज को एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ के रूप मे सजा तथा संजो कर रखती है। जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति में विभिन्नता के होते हुए भी उनका स्तर गैर जनजातीय समाजिक स्तर से ऊँचा है तथा इस तथ्य को नेहरू जी ने भी माना है। तथा जनजातीय समाज के बारे में उन्होने कहा है कि "हम

आदिवासी क्षेत्रों के मामले को दिशाहीन भटकाव की स्थिति में नहीं रहने दे सकते हैं आज की दुनिया में न यह सम्भव है न यह वांछनीय ही है परन्तु इसके साथ ही हमे इन क्षेत्रों को अति शासन के जोखिम से भी बचाना होगा हमे इन दो सीमान्तों के बीच एक मध्य मार्ग बनाकर काम करना होगा।"

जनजाति समाज मे धार्मिक स्तर पर महिलाओ की स्थिति पुरुषों से निम्न होती है पुरुष ही सभी धार्मिक कार्यों को पूरा करते हैं परन्तु महिलाएँ पूर्ण स्वतन्त्रता से नृत्य, संगीत, मनोरंजन उत्सव में भाग लेती हैं।

जनजातीय समाज में परम्परागत पंचायतों को बहुत महत्व दिया जाता है तथा इन पंचायतों में पूर्णता से केवल पुरुषों को भाग लेने का अधिकार होता है और महिलाओं को इन पंचायतों में भाग लेने या बैठकों में जाने की कोई स्वतन्त्रता नहीं होती है। परन्तु महिलाओं को पंचायतों की बैठकों के सामने अपनी समस्याओं तथा अपने तर्क देने का अधिकार है। तथा जो समाज पितृसत्तात्मक होता है उनमें पिता के गौत्र में ही विवाह करने पर निषेध है परन्तु माँ के गोत्र में कुछ पीढ़ी तक विवाह ना करने पर जोर दिया जाता है इस समाज में शाली विवाह, विधवा विवाह, देवर विवाह का प्रचलन आज भी देखा जा सकता है।

जनजातीय समाज मे महिलाएँ कई संस्कारों में भाग लेती हैं जैसे महिलाओं को शमशान में जाने तथा मृतक संस्कारों में सम्मिलित होने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। जबकि सामान्य समाज में महिलाओं को शमशान में जाने पर भी निषेध होता है। जनजातीय महिलाएँ बहुत मेहनती होती है वह केवल घर को ही नहीं सम्भालती है बल्कि खेतों का बोने से लेकर फसल काटने तक अपना पूर्ण सहयोग करती हैं तथा वह घर की आमदनी को बढ़ाने के लिए बाहर राज्यों में जा कर भट्टो, खदानो, गृह निर्माण कार्यों तथा रेजा आदि कार्य भी करती है परन्तु वह अशिक्षित होने के कारण कम वेतन पर अकुशल और दयनीय श्रमिक के तौर पर कार्य करती है। जनजातीय समाज में आज भी निर्धनता देखने को मिलती है जिसका मुख्य तथा कठोर कारण है इस समाज में शिक्षा की कमी इस समाज की महिलाएँ काफी मेहनती होती है। परन्तु सिर्फ अशिक्षा के कारण उनकी हालत बहुत कमजोर तथा दयनीय है।

जनजातीय समाज मे आज वर्तमान में भी धर्म का बहुत महत्व है। प्रत्येक समुदाय का अपना एक अलग विशिष्ट धर्म होता है। तथा उस धर्म पर उनका अटूट विश्वास होता है। आज भी वहाँ जादू टोना, बली जैसे अन्धविश्वासों में पूर्ण आस्था से विश्वास करते है और यह केवल और केवल शिक्षा की कमी के कारण ही है। प्रत्येक आदिवासी समुदाय का एक विशेष कुल देवता होता है जिसके प्रकोप से बचने के लिए यह बहुत से अंधविश्वासों को मानकर कई जादू टोना आदि का आज भी सहारा लेते हैं। परन्तु जैसे-जैसे समय तरक्की कर रहा है जनजातीय समाज में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है आज थोड़ा-थोड़ा ही सही परन्तु आदिवासी समाज धीरे-धीरे शिक्षा के महत्व को समझ रहे है। तथा अपने बच्चों को शिक्षा दिला रहे है। आज बहुत से जनजातीय समाज के लोग कई उच्च पदों पर हैं तथा उनमें महिलाओं की कमी है परन्तु महिला बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं है।

जनजातीय महिलाओं की आर्थिक स्थितिः-

जनजातीय महिलाओ की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि प्रत्येक समाज तथा प्रत्येक व्यक्ति हमेशा आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु जीवन भर प्रयत्न करता रहता है समाज में भौतिक तथा आर्थिक संगठनों के माध्यम से अपनी सामान्य आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो एक सफल अर्थव्यवस्था के सहारे ही व्यक्ति अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। मानव को जीवन जीने के लिए तथा सम्पति प्राप्त करने के लिए जो भी करना पड़ता है वह अर्थव्यवस्था अर्थात आर्थिक संगठन के अन्तर्गत ही आता है। यह कहना गलत नहीं होगा की आर्थिक कार्यों को मानव जीवन के किसी भी पक्ष से पृथक करके नहीं देखा जा सकता ना ही कल्पना की जा सकती है। जनजातीय लोगों के समुदाय के अधिकतर आर्थिक प्रयत्न केवल भोजन के लिए होते हैं इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था से भिन्न होती है इनकी अर्थव्यवस्था का भौगोलिक वातावरण तथा प्रकृति से संघर्ष करना पड़ती है। जनजातीय समाज में पुरुष का अवसरं दिया जाता है कुछ कार्य पुरुषों द्वारा किए जाते हैं तो कुछ कार्य महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। जनजाति समाज में पुरुष शिकार करते हैं तथा मछली पकड़ते हैं अर्थात अधिक परिश्रम के सभी कार्य पुरुष को दिए जाते हैं। तथा सरल और कम मेहनत के सभी कार्य महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। महिलाएँ घर के समस्त कार्य को करती हैं परन्तु इस समाज में जनजातीय महिलाओं को शिकार करना भी सिखाया जाता है जनजातीय महिलाएँ बहुत परिश्रमी होती है। इसलिए वह केवल घर के कार्यों को ही नहीं पूरा करती बल्कि स्वयं तरह-तरह की सामाग्री बनाकर हाट (बाजार) में उन्हें बेचने जाती हैं आज भी जनजातीय महिलाएँ कई कार्यों को पूरा करती हैं यहाँ तक की लड़कियाँ पढ़ने भी जाती है तथा बाद में पशुओं को चराने भी जाती हैं तथा माँ के कार्यों में भी सहायता करती हैं। वहाँ आज भी अधिकांशत: महिला द्वारा किए गए कार्यों को अनार्थिक माना जाता है। क्योंकि आधी आबादी कही जाने वाली महिलाएँ जिनके बिना परिवार अधूरा है समाज अधूरा है पूरा देश अधूरा है उन्हें आज भी अर्थशास्त्र की परिभाषा में बहुत कम जगह सम्मलित किया जाता है। परन्तु स्त्रियों इतना महान और परिश्रमी होती है कि बिना लाभ के भी वह अपने कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का पूरी मेहनत और ईमानदारी निभा रही हैं। बावजूद इससे उन्हें इस मार्ग पर चलते हुए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है परन्तु वह हार नहीं मानतीं और अपने दायित्व को निभा रही हैं। इसलिए कह सकते हैं कि महिलाओं का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है।

जनजातीय महिलाओं की राजनीतिक स्थितिः-

महिलाओं का प्रत्येक देश की राजनीति में एक अलग स्थान होता है महिलाएँ राजनीति में प्राचीन समय से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। इसलिए इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता कि प्राचीन समय में महिलाओं की राजनीति में जितनी भागीदारी थी उतनी कभी नहीं रही वेशक राजनीति मे चाणक्य, जैसे महान राजनीतिज्ञ जैसी कोई महिला सामने ना आई हो परन्तु बहुत सी महिलाओं ने राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बहुत से उदाहरण दिए है। वैदिक युग में भी मैत्री, अपाला घोषा आदि महिलाओं ने इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अपनी भूमिका का प्रदर्शन किया है। तथा आज भी कर रही है जनजातीय महिला में ऐसे नाम बहुत कम है परन्तु बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है। परन्तु एक सत्य यह भी है कि इतने उदाहरणों के होते हुए भी आज भी महिलाओं में राजनीतिक चेतना का अभाव है परन्तु जनजातीय समाज में जो समुदाय मातृसत्तात्मक है वहाँ महिलाओं की राजनीति में भागीदारी देखने को मिलती है। यदि देखा जाए तो सामान्य समाज में भी महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बहुत कम है तो जनजातीय महिलाओं की वया होगी। परन्तु राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार समय-समय पर उनके लिए योजनाएँ आरम्भ कर रही है। तथा यह एक सफल प्रयास है तथा इसमें महिलाओं का राजनीति में 33% का आरक्षण एक महत्वपूर्ण कदम है परन्तु सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएँ तथा आरक्षण के द्वारा ही महिलाओं की राजनीति में भागीदारी नहीं बढ़ेगी इसके लिए उन्हें स्वयं आगे आना पड़ेगा तथा अपने अधिकारों को समझना होगा शिक्षा प्राप्त करना होगा चाहे वह सामान्य महिला हो या जनजातीय महिला तभी राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी।

जनजातीय समाज में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता पहले ना के बराबर थी तथा कहीं-कहीं तो बिल्कुल नहीं थी परन्तु स्वतन्त्रता के बाद लोकतन्त्र आया तो जनजातीय महिलाओं में भी राजनीतिक चेतना आई तथा जिसके परिणामस्वरूप जनजातीय महिलाओं ने भी राजनीति में भाग लेना आरम्भ कर दिया पहले परम्परागत पंचायतों में महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं था तथा पुरुषों का ही पंचायतों में वर्चस्व होता था परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद लोकतन्त्र का विकास हुआ तो अब जनजातीय समाज में भी परिवर्तन हुआ है। तथा अब परम्परागत पंचायतें भी अपने पुराने रीति रिवाजों को त्याग के नए ढंग से पंचायतों में सदस्यों का चुनाव नए ढंग से करती है। जिनमें महिलाओं को भी राजनीति में प्रवेश करने का पूरा अवसर दिया जाता है। और आज जनजातीय समाज में भी महिलाएँ अपनी सक्रिय तथा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं परन्तु जनजातीय महिलाओं की राजनीति में बहुत कम गिनती है क्योंकि उनमें शिक्षा का अभाव है जो राजनीति में उनके पिछड़े होने का मुख्य कारण है। परन्तु वह अब धीरे-धीरे शिक्षा ग्रहण कर रही है तथा महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही है। जनजातीय महिला हो या सामान्य वर्ग की महिला अभी भी वह राजनीतिक रूप से पूर्ण सशक्त नहीं हुई है क्योंकि अभी महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए उन्हें बहुत प्रयास करने है तथा वह प्रयास भी कर रही है। तथा वह दिन दूर नहीं जिस दिन वह प्रत्येक क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में अपनी विजय का परचम लहरा देगी। जब आधी आबादी यानि महिलाओं को कमजोर नहीं बल्कि पुरुषों के समक्ष खड़े होने का पूर्ण अधिकार होगा तथा वह पूर्णरूप से सशक्त हो जाएगी।

जनजातीय महिलाएँ तथा मानवाधिकारः-

भारत में महिला स्थिति बहुत दयनीय है चाहे वह सामान्य वर्ग की महिला हो या जनजातीय महिला हो। तथा सरकार की हमेशा यह कोशिश रहती है कि कैसे उन्हें सशक्त बनाया जाए जिसके लिए सरकार ने बहुत से प्रयास किए हैं तथा कर रही है। यह मानव अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके द्वारा प्रत्येक मानव को उसके अधिकार मिलते हैं। मानव अधिकार में प्रत्येक व्यक्ति को समान समझा जाता है। उसके साथ लिंग, जाति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तथा मानव संरक्षण के लिए योजनाओं, कानूनों को लागू करने में सहायता करता है। अतः 10 दिसम्बर 1948 कों सयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अधिकार घोषणा पत्र मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है।

संविधान में स्त्री पुरुष सबको समान दर्जा दिया गया है। तथा संविधान के अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 16, 19, 164, 243, 244, 275, 330, 332, 334, 335, 338, 339, 340, तथा 342 में जनजातियों के संरक्षण के उपलब्ध में योजनाएँ तथा कानूनी संरक्षण के बारे में बताया गया है। तथा 73वें संविधानिक संशोधन तो महिलाओं चाहे वह सामान्य हो या जनजातीय सभी के लिए वरदान के रूप में सामने आया है। मानव अधिकारों के कारण आज प्रत्येक मनुष्य की संरक्षण हेतु नीति, कानून, योजनाएँ है परन्तु यह एक तथ्य है कि महिला वर्ग के उत्थान में मानव अधिकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। अब बस आवश्यकता है, कि महिलाएँ स्वयं आगे आकर खुद को सशक्त बनाए। अब जनजातीय समाज की महिलाएँ भी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं तथा अतएव उनकी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति में सुधार हो रहा है। तथा मानव अधिकारों के द्वारा प्रत्येक महिला को आगे आने के सुअवसर मिल रहे हैं और आज वह खुद को सुरक्षित कर रही है तथा शोषण के विरुद्ध आवाज उठा रही है।

संदर्भ सूची

- अंजु दुआ जैमिनी, हक गढ़ती औरत, कल्याणा शिक्षा परिषद, 2011
- ड़ा चन्द्रभान बोयर, निर्मिक, महात्मा फूले प्रतिभा संशोधन अनादमी, 2013
- आदिवासी महिलाओं का शैक्षणिक एवम् सामाजिक, आर्थिक अध्ययन, जलासिक पब्लिशिंग कम्पनी, 2007
- रेशमा खतखो, जनजातीय महिलाएँ सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक सांस्कृतिक पर्यावरण के सन्दर्भ में क्लासिकान पब्लिशिंग कम्पनी, 2008
- सुधारानी श्री वास्तव श्रीमती आशा श्रीवास्तव, महिला शोषण और मानवाधिकार, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, 2004
- योजना
- कुरुक्षेत्र
- पंचायत संदेश
- चाणाक्य
- हिन्दुस्तान, हिन्दू नव भारत टाइम,
- दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर

मौर्योत्तरयुगीन विदेश व्यापार: विशेषकर भारत-रोम के संदर्भ में

विकास कुमार

शोधार्थी, एम.ए., पीएचडी, (इतिहास) तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

मौयोत्तर युग की दो महत्त्वपूर्ण घटना शक-हून-कुषाणों का आक्रमण तथा भारत - रोम के बीच प्रगाढ़ व्यापारिक सम्बन्ध है। भारत - रोम के बीच विदेश व्यापार की जानकारी 'पेरिपल्स ऑफ दि एरिथ्रियन सी', टॉलमी का 'भूगोल प्लिनी का, नेचुरल हिस्टोरिका' तमिल साहित्य 'शिल्पादिकारम' बौद्ध ग्रंथ 'मणिमेखले' आदि से मिलता है। इन ग्रंथों में भारत-रोम के प्रमुख बन्दरगाहों भारत-रोम के बीच आयात-निर्यात की वस्तु व सामग्री आदि के विषय में रोचक जानकारी देता है। इन ग्रंथों में रोमन व्यापारियों द्वारा भारतीय सामुद्रिक सीमा में लंगर ड़ालने तथा सामुद्रिक बंदरगाहों पर दीपगृह (जहां रात में दीप या प्रकाश जलते रहता का उल्लेख मिलता है। परिप्लस में उल्लेख मिलता है कि भारतीय सामुद्रिक व्यापारी दिशा जानने के लिए नक्षत्रों और कुतुबनुमा का सहारा लेता था।[1] इसी समय 'हिप्पाकर्स' द्वारा मानसून की खोज से व्यापार आसान हो गया इस काल में विदेश व्यापार के विकास का सबसे प्रमुख कारण विशाल रोमन साम्राज्य का निर्माण होना था। रोमन साम्राज्य एशिया माइनर, शाम, मिस्त्र तक अधिकार में था।[2] दूसरी रोमन साम्राज्य में शांति कायम थी, दूसरी ओर भारत में भी कुषाण काल में शांति व्यवस्था स्थापित था। रोम में विलासिता की वस्तुओं की अधिक माँग के कारण भारत और रोम के बीच व्यापार बढ़ा था, तो दूसरी ओर रोमन व्यापारियों ने अपनी शक्ति और पैसे को व्यापार की उन्नति में लगाए, जिसके कारण भी भारत-रोम के बीच व्यापार बढ़ा था। इस काल श्रेणी व्यवस्था का भी विकास हुआ, जो व्यापार में मदद करती थी। मथुरा से प्राप्त दूसरी सदी के अभिलेख तथा नासिक से मिले (120 ई०) अभिलेख से संकेत मिलता है कि श्रेणी वाणिज्य-व्यापार में मदद करते थे।[3] जिसके कारण भी भारत-रोम के बीच व्यापार बढ़ा था।

भारत-रोम के बीच व्यापार का संतुलन भारत के के पक्ष में था। इस बात की जानकारी भारत में मिले रोमन सिक्के ढ़ेर से पता चलता है। अब तक खुदाई से भारत में रोमन सिक्के के करीब 68 ढ़ेर मिले है। इसके अलावे रोम से रोमन सिक्के के पलायन या भारत-रोम के बीच विदेश व्यापार भारतीय पक्ष में होने के कारण प्लिनी ने दु:खी होकर इसकी शिकायत रोमन सम्राट से किया और कहा कि इसी तरह रोमन सिक्के भारत की और पलायन करते रहेगी, तो शीघ्र ही रोमन में सिक्के का घोर अभाव हो जायेगा। उनके अनुसार प्रतिवर्ष 10 करोड़ सेस्टर्स भारत पहुँचता था। यानि भारत रोम व्यापार के परिणाम स्वरूप रोम से स्वर्ण सिक्कों और सोने का पर्याप्त अभाव हो गया था। यह मुद्रा भारत में भारत में पिघलाकर अपनी मुद्राऐं बनाने और आभूषण निर्माण में प्रयोग किया जाता था।[4]

आयात

अगर भारत-रोम के बीच रोमन वस्तुओं की सामग्री को देखे, तो कच्चा माल और तैयार माल दोनों होते थे। कच्चा माल में तांबा, टीन, शीशा, पुखराज, चकमक तथा मनका आदि थे। तैयार मालों में उच्च कोठी के शराब मनमोहक आभूषण, स्वर्ण और चाँदी के सिक्के तथा भिन्न-भिन्न किस्मों के श्रेष्ठ मिट्टी के बर्त्तन होते थे। उत्तर भारत में रोम से काँच के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आयात किया जाता था, क्योंकि काँच के उत्पादन में तकनीकी सुधार के लिए रोमन विख्यात थे। शीशे के बर्त्तन विदेशों से बाबरिकोन और भड़ोच के बन्दरगाहों पर आयात किए जाते थे। सुरमा का आयात भड़ोच, मुजिरिश और नेलसिंडी में किया जाता था। अपोलोगस से सोना का आयात भड़ोच के बंदरगाह पर किया जाता था। टीन और चाँदी धातु भी रोम से आयातित किया जाता था। भड़ोच के बन्दरगाह पर विदेशों से सुंदर कुमारियाँ (लड़कियाँ) आयातित की जाती थी, जिसकी माँग हमेशा राजा के रनिवास के लिए होती थी।[5]

ये सभी वस्तुऐं भारत के प्रसिद्ध नगर पुष्फलावती, तक्षशिला, शाकल, मथुरा, कौशाम्बी, कन्नौज, वाराणसी, पाटलिपुर, चंपा, वैशाली, पुण्ड्रनगर, दक्षिणापथ विदिशा तथा उज्जयिनी इत्यादी नगरों में विदेशों से अनेक वस्तुएँ पहुंचती थी, जिनको यहां के शासक वर्ग या घनी वर्ग लोग हीं खरीदते थे।

निर्यात

भारत से निर्यात की जाने वाले वस्तुओं में काली मिर्च का प्रमुख स्थान था। जो मुख्यत: मालाबार, मुजिरिश, नेलकिंडा और टिंडिस के बन्दरगाहों से जाता था।[6] चेरों के हाथ में काली मिर्च के व्यापार का एकाधिकार था। प्लिनी के अनुसार रोम में इसका उपयोग दवा के रूप में किया जाता था तथा इसे सोना देकर खरीदता था। बड़ी पीपल का निर्यात भड़ोच से होता था तथा रोम में इसकी कीमत 15 दीनार प्रति पौड़ थी। मिर्च सोठ और इलाइची भी रोम के लिए निर्यात होता था।[7] इलाइची की कीमत रोम में 60 दीनार प्रति पौंड थी।[8]

दालचीनी का प्रयोग रोमन मसाला और घूप इत्यादी में करते थे। तेजपात, जिसे यूनानी में 'मालाबाथ्रम' कहते थे। इसका निर्यात मुजिरिस और नेलकिंडा के बंदरगाहों से होता था।[9] भारत से रोम का निर्यात की जाने वाले वस्तुओं में नलद (जटामांसी) प्रमुख था। पेरिप्लस के अनुसार पुष्कलावती से भड़ोच जाने वाली जटामांसी तीन तरह की होती थी, जो अटक, हिंदुकुश और काबुल से आती थी। यूनानी व्यापारी 'लेमन ग्रास' और 'गिंगर ग्रास' का तेल भी जटामांसी के साथ ले जाते थे। बार्बरिकोन, तामलुक, मुजिरिस और नेलकिण्डा से जाने वाला तथाकथित जटामांसी का तेल इसी तरह का होता था। प्लिनी के अनुसार जयमांसी की कीमत रोम में 100 दीनार प्रति पौंड थी।

प्लीनी के अनुसार जाटामांसी की पत्तियों से भिंगोए हुए रंग-विरंगे रेशमी कपड़े की चिन्दियों से 'शेखरक' बनते थे। 'महावस्तु' ग्रंथ में शेखरक को 'गन्धमुकुट' कहा गया है।[10] भारत से उसकी निर्यात रोम को होती थी।

भारत से निर्यात की वस्तुओं में से लवंग (लौंग) भी था। प्लिनी के अनुसार ऊँट के चमड़े से बने थैले में लवंग भर कर भारत से रोम भेजा जाता था।[11] गुगुल का निर्यात बार्बरिकोन और भड़ोच से होता था। सबसे अच्छा गुगुल बलख से आता था।

भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती कपड़े महत्त्वपूर्ण थे। मोतीचन्द्र लिखते है कि मानसून हवा (मौसमी हवा) का पता चलने से भारतीय कपड़ों की मांग मौर्योत्तर काल में काफी बढ़ गई थी।[12] भारत निर्मित मलमल के कपड़े रोम में विख्यात थी। त्रिचनापल्ली की अरगरिटिक मलमल मशहूर थी। सिंहल और मुसलीपटनम् में भी अच्छी मलमलें बनती थी।[13] सबसे अच्छी मलमल बनारस अथवा ढ़ाका की होती थी। पश्चिम के देशों रोम आदि में इस मलमल के कपड़ों को 'वेंटस टेक्सटाइलिस' यानि हवा की तरह का वस्त्र अथवा 'नेबुला' कहते थे।[14] रोम के शहर में मफिस और पानोपोलिस के रंग-बिरंगे कपड़ो में भारतीय अलंकारो का स्पष्ट प्रभाव दीख पड़ता है।

मसालों की तरह भारत से अनेक जड़ी-बूटियों का निर्यात रोम में होता था। रोम को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में शक्कर (गुड़, मिठास) भी थी।[15] लेम्पोस्कस से मिले एक चाँदी की थाली में जो दूसरी या तीसरी शताब्दी की है, भारत माता के साथ ईख के दो टुकड़ों का चित्र उत्कीर्ण है। इससे साबित होता है कि भारत से रोम को निर्यात किया जाता था।[15]

भारत से निर्यात की जाने वाले वस्तुओं में इमारती लकड़ी, सागवान, काली लकड़ी और आबनूस संगुधित लकड़ी में चंदन कुरू औषधीय वनस्पतियाँ भी भेजी जाती थी।[16] प्लिनी ने भारत को 'रत्नघात्री' कहा है।[17] रोमनों को रत्नों की बड़ी चाह थी और भारत से रत्नों को आयात करते थे। हीरा भी भारत के मुजिरिस तथा नेलकुंडा से भेजे जाते थे।[18] रोम और यूनानी लोग हाथी दाँत का प्रयोग घर सजाने, मूर्त्तियों की पच्चीकारी करने, पोथी की पटरियों और गहने बनाने के काम में लाते थे। यह हाथी दाँत भड़ौच, मुजिरिश, नेलकुण्डा से पश्चिम के देशों में भेजा जाता था। प्लिनी और पेरिप्लस के अनुसार खाल (चमड़े), बकरों की खाल आदि बार्बरिकोन बन्दरगाह से बहार भेजे जाते थे।

निष्कर्ष

इस प्रकार मौर्योत्तरयुगीन काल की अर्थव्यवस्था का महत्त्वपूर्ण विशेषता भारत-रोम के बीच विदेश व्यापार था। व्यापार संतुलन निश्चित हीं भारत के पक्ष में था, क्योंकि एक रोमन विद्वान प्लिनी के द्वारा इस बात पर क्षोम व्यक्त किया गया है कि रोम का कीमती धातु, सोना, चाँदि आदि खिसक कर भारत में पहुँच रहा था। 2000 ई० पू० से 300 ई० के बीच रोम में निर्यात की जाने वाले वस्तुओं में सूती कपड़ा, रेशम कपड़ा, मलमल, मशाला, रत्न आदि प्रमुख वस्तुऐं थी। इस व्यापार के क्रम में भारतीय उपमहाद्वीप एक व्यापारिक नेटवर्क से जुड़ गया था, जो पश्चिम से रोम लेकर पूर्व में चीन तक फैला हुआ था। इस प्रकार मौर्योत्तर युगीन काल में भूमण्डलीकृत अर्थव्यवस्था का आरंभिक रूप कह सकते है। यहां सुखद आश्चर्य का विषय यह भी है कि इस आरंभिक भूमण्डलीकृत अर्थव्यवस्था का झुकाव भारत के पक्ष में था। आज भलें भूमण्डलीकृत अर्थव्यवस्था के केन्द्र पश्चिम के देश या अमेरिका है लेकिन विवेच्य काल में भूमण्डलीकृत अर्थव्यवसथा का केन्द्र भारत था।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मोतीचन्द्र, सार्थवाह, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, 1966, पृ० 115
2. पूर्वोक्त
3. ओम प्रकाश प्रसाद, प्राचीन भारतीय समाज एंव अर्थव्यवस्था, मोतीलाल बनारसी लाल, दिल्ली, पृ० - 111-12
4. ऋतेश कुमार, प्राचीन भारत में व्यापार-व्यवस्था, एक सर्वेक्षण, आदिकाल से 300 ई० तक, रिसर्च इंडिया प्रेस, दिल्ली, पृ० 81
5. पेरिप्लस ऑव द एरिथ्रियन सी (अनु०) डब्ल्यू. एच. शॉफ, पृ० 49
6. देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, सांइस एंड सोसाइटी, हिस्ट्री एंड सोसाइटी, कलकत्ता, 1976
7. डॉ. हिमांशु शेखर, आइडिया ऑफ भारत, रिसर्च इंडिया प्रेस, दिल्ली, 2025, पृ० 285

8. प्लिनी 12.29
9. बलराम श्रीवास्तव, ट्रेड एंड कामर्स इन इनशिऐट इंडिया, वाराणसी, 1968, पृ० 295
10. महावस्तु 2, पृ० 436, (अनु.) टोंस, लंदन, 1949
11. प्लिनी 12.15
12. मोतीचन्द्रा, पूर्वोक्त, पृ० 127
13. हिमांशु शेखर, प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बी.एफ.सी. पब्लिकेशन, लखनऊ, 2024, पृ० 184-85
14. ई. एच. वर्मिंगटन, दि कॉमर्स बिटपीन दि रोमन एम्पायर एंड इंडिया, कैम्ब्रिज, 1928, पृ० 6 - 7
15. मोतीचन्द्रा, पूर्वोक्त, पृ० - 126
16. पेरिण्लस, 12.10
17. कृष्ण दत्त वाजपेयी, भारतीय व्यापार का इतिहास, मथुरा 1951, पृ० 87
18. मोतीचन्द्रा, पृ० 127

हहरी गेलो ँ छै -संस्मरण

दिलीप कुमार

शोध-छात्र, अंगिका विभाग, तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

'हहरी गेलो ँ छै' बालसाहित्य के संस्मरण जेकरा विद्यावाचस्पति आमोद कुमार मिश्र अपनो ँ माय आरो बाबूजी के ममता के ऐहनो ँ संस्मरण छिकै, जै में रंजन के मित्रता के आरो सूइया पाखी के ममता के हाहाकार अभियो लेखक के मनो ँ के ममता सें दंग करी दै छै। हय संस्मरण सचकोड़िया छिकै।

तहिया हम्में धनबाद जिला के डायनकट्टा में रहै छेलियै। ललकी पोखर लगाँ एकटा धसनाहा बाँध भी छेलै। बड़का डंगाली में एकटा विशाल बरो ँ के गाछ छेलै। वै गाछी तर रटन्ती काली के पिंडा भी छेलै। वै पर माघी काली के प्रतिमा बरो ँ दा नाम के बूढ़ी बैठाबै छेलै। हमरो ँ पिताजी तहिया पी.एन.के. हाई स्कूल में हेड पंडित-पं. गिरिधर शास्त्री, साहित्य मनीषी रटन्ती काली के पूजा कराबै छेलथीं। वही ललकी पोखर के नजदीको ँ में (हांसा पाथर) उजरो ँ पत्थर आरो करिया पत्थर के गिट्टी तोड़ी-तोड़ी के रखलो ँ छेलै। हमरो ँ मित्र रंजन (जेकरो ँ पिताजी के नाम छेलै बिस्टो साधु) ओकरा लोगें रंजनिया कहै छेलै। वै गिट्टीसिनी के पलाश गाछी के ठौंगरी सें जैन्हे उलटियै वै सें बिच्छू निकलै। जेना अपनो ँ पूछड़ी को ँ ऊपर करलो ँ छोटो ँ-छोटो ँ तोप रंग लागै। कभी-कभी विषधर बिच्छू के भी संस्मरण होय जाय छै। हमरो ँ मित्र रंजन भी हमरे उमिरो ँ के होतै, बलुक एक-दू बरसो ँ के छोटे होतै। वहे ँ ललकी पोखर के पछियें बड़का पलाश वन छेलै। हमरासिनी दुनो मित्र जंगल में खेलते ँ आरो मार-धाड़ करते ँ रहियै। हौ पलाश वनो ँ में हमरा बड्डी मन लागै। रंजनियों कहलकै 'आइजे के आमरा सूया पाखीर बच्चा खुइजबो'। रंजन छेलै बंगला भाषाभाषी एकटा भगुआ पिन्हलो ँ। हमरो ँ घर आरो रंजन के घर एक दीवाल के अंतर में छेलै, समझी ले ँ कि एक्के घर। ओकरी माय सुशीला आरो ओकरी मौसी अतिका हमरा बड्डी दुलार करै छेलै। घरो ँ के केवाड़ी के आगू गेंदा फूल अर के गाछ लागलो ँ छेलै। ठाम्हैं एकटा कंतरी गाड़लो ँ छेलै, जेकरा में अतिका मौसी माड़ ढारी दियै आरो केनोन (कुतवा) आरो टॉमस (कुतवा) भरी पेट माँड़ पीबी लिये ँ। एकटा ऋषि महर्षि के कुटिया रंग हमरो ँ घर लागै। हौ जे रंजनिया बंगला भाषा में कहलकै, ओकरो ँ अर्थ होय छै-आज हमरासिनी सुइया चिड़ैया के बच्चासिनी खोजबै। हमरासिनी दुनो मित्र कुन्ति बुढ़िया के बड़का खेतो ँ लगाँ गेलियै। बड़का खेतो ँ के दक्खिन दिस में बड़का गो केंदो ँ के गाछ छेलै। ओकरो ँ मोटगरो ँ देह समझी ले ँ कि दखिनाहा अड्डा पर हय रंग मुड़लो ँ छेलै जेना एकटा सीढ़ी के काम करी रहलो ँ छै। 'एह आमार मनेर कथा बइल्ली रे। चल, देखी खुइजते पारी न नै? (एह हमरो ँ मनो ँ के बात कहल्हैं रे, चल देखियै खोजे ँ पारै छियै कि नै?) हौ इलाका में सुइया चिड़ैया बगरो सें थोड़ो ँ छोटो ँ नर कारो ँ पाँख, पाँखी के दोनों डैना में उजरो ँ चित्रकारी जेना कारो ँ संगमरमर के कोय चिकसो ँ के चौक पारी देले ँ रहे ँ आरो मादा चिड़ैया भूरा रंगो ँ के होय छै। खेत-बहियार के आरी में खोदकी बनायके ँ अंडा दै छै। ओकरो ँ बोली 'सूइऽय्य-सूइऽय्य' बड्डी मनभावन लागै छै। बैशाख जबे ँ जेठ के ँ बोलबै ले ँ जाय छै, तबे ँ सुइया चिरैया अंडा दै छै। एह् योजना ते ँ बनिये गेलै। खेते-खेत टौआय रहलो ँ छी, आरिये-आरिये खोजी रहलो ँ छियै सुइया चिरैया के सोइरी घर। बड्डी दूर वनो ँ में चल्लो ँ गेलियै। कुन्ती बुढ़िया के खेतो ँ पर एकठां बैठी के ँ अपनो ँ असफलता पर विचार करी रहलो ँ छियै कि एकटा नर चिरै सूइऽय्य-सूइऽय्य करलो ँ वही आरो ँ पर बैठी गेलै, जेना हमरासिनी के ँ गरियैते ँ-शरापते ँ रहे ँ। रंजनिया कहलकै-''एय जे दादा, पायें छी (हे भे ँ दादा, पैले ँ छी)। दोनो लपकी के ँ आरी लगाँ जायके ँ खोदकी खोजै छियै कि ठाम्हैं खोदकी सें फर्रसना मेदिनी चिरै उड़ी गेलै। हमरासिनी ते ँ सुइया चिरै के सोइरी घर पाबी गेलियै। मतरकि दोनो (मौगी मरद) चिड़ी आरो चिरै मिलीके ँ हैइयो-दइयो मचाय देलकै। सूइऽय्य-सूइऽय्य-सूइऽय्य! लागै जेना गरियाबै कि शरापै, मतुर आय बूझी रहलो ँ कि अपनो ँ अंडा-बच्चा के नष्ट हुऐ के आशंका सें दोनों प्राणी हकन्न करी उठलो ँ छेलै या भगवानो ँ सें रक्षा करै के गोहार करले ँ होतै। आदमी के माय-बाप के तुलना में कोय दृष्टिसें कनियो टा कम नै। ममता आरो करुणा के बेग सब्भे माय-बाप लेली होय छै। माय आरो बाप शब्द के परिभाषा छिकै। हमरो ँ अपनी माय के यादो नै छै। हमर्हौं ऐन्हे नि दुलार करते ँ होतै हमरी माय।''[1]

खोदकी में देखै छियै कि दूटा नील वरण के छोटो ँ-छोटो ँ अंडा, जेना घासो ँ के छोटो ँ टा के नेठुआ के बीचो ँ में दूटा नीलमणि धरलो ँ रहे ँ। एह् मन कुलांच भरे ँ लागलै। हम्में कहे ँ लागलियै 'आमरा के देख्ये सुइया पाइखगुलो ँ भय खाय छे रे। (चलें-चलें यहाँ सें हटी जो, हमरासिनी के ँ देखी के ँ चिरै दोनों डरी गेलो ँ छौ रे।) हमरासिनी खुशी-खुशी घरमुहो ँ होलाँ। योजना बने ँ लागलै। सुइया चिरै के बच्चा के स्वागत केना करलो ँ जाय? केना पोसलो ँ जाय। तय होलै कि अभी ते ँ अंडे नि छै। कम-सें-कम दस दिन ते ँ अंडा सें बच्चा बहराबै में लागतै आरो दस दिन बचवा के आँख आबै में। तावतें हमरासिनी पिंजड़ा बनाय लेबै। ठाम्हें बड़ो ँ बाँध डुबकी लगाय

नहायकेँ घर ऐलियै। पोखरिया के बड़का अड्डा पर पुरनका इमली ढेलियाय केँ दू-चार गो इमली तोड़लाँ आरो टक-टक जीह टकटलैले ँ इमली खैलैं घर पहुँचलाँ। गरमी छुट्टी के दिन छेलै। बाबूजी घर्है में छेलथीं। एत्तेँ देर करीकेँ आबै के चलतें बाबूजी हमरासिनी के ँ तितलोँ कपड़ा में देखीकेँ हय समझीकेँ कि हमरासिनी एत्तेँ देर कि पोखरिये में उपकतें होभैं, बस थोड़ेँटा धमकाय-समझायके ँ कपड़ा बदलैलेँ कहलथीं।

पिछली बेरिया सें पिंजड़ा बनै के तैयारी हुवेँ लागलै। रब्बी महतो के पहाड़ी बाँस बेड़ी सें एकटा डंगहिया बाँस आठ-दस हाथोँ के काटलोँ गेलोँ। एह् बाँसो काटै के अजुब्बे खिस्सा छै। कोय दिन सुनैभौं। आभी एतने जानी लेँ कि रब्बी बुढ़ा के डरोँ सें गामो ँ के बच्चा-बुतरू हड़कम्प रहै छेलै। कोय ओकरोँ गाछी के छाँही में जुड़ाबै तेँ पूछी केँ। साँझ ताँय नापी-जोखी केँ बाँसोँ के टुकड़ा-टुकड़ी करलोँ गेलै। फट्टी, कमानी आरन्हीं लेली अलग-अलग टुकड़ा करलोँ गेलै। साँझ भेलै। दोनों मित्र एक्के लालटेन, बोरिया पर बैठी केँ 'तेरकाँ तेरोँ, तेरेँ दुनी छब्बीस' आरो 'अमर सन्देशा बापूजी का बच्चों भूल न जाना' करी रहलोँ छी। मतुर ध्यान छै पिंजड़ै पर आरो सुइया चिरै के बच्चा पर। भोर होथैं दोनों सप्ता-विप्ता मैदान जायकेँ बहाना सें दौड़लोँ छी कुन्ती बुढ़िया के हौ बड़का खेतोँ दिस। नर सुइया चिरै हमरासिनी केँ देखथैं, फेरू अपनोँ शरीर के अनुपातोँ में जत्तेँ बल हुवेँ पारलै सबटा बल लगायके ँ गरजेँ-घोंकेँ लागलै। हमरासिनी हौ आरी के खोदकी लगाँ जेन्है जाय छियै, फुर्रसना उड़ी गेलै सोइरी चिरै। आरो हमरा दोनो के आश्चर्य के ठिकाना नै रहलै हय देखीकेँ कि काल्हकोँ देखलका नीलमणि अंडा आय घासोँ के गुड़ियैलोँ गद्दा पर नै छेलै, बलुक कुलबुल करतेँ होलोँ एकदम छोटोँ जीव। एह् फल्हौं सें कोमल लाल एकदम सें। कहीं हमरासिनी हाथ भिड़ला सें मरी नै जाय, यही डरो ँ सें दोनों मित्र में सें कोय नै छुलियै हौ नवजात मांस-अणु केँ। नै पाँख छेलै, नै आँख फुटलोँ छेलै। बड्डी मन लगायकेँ ध्यान सें सुनला पर चूँय-चूँय के एकदम धिम्मा स्वर सुनाय पड़ै। केनोँ गाछी के डारी पर फुदकी-फुदकी दोनों नरमादा चेचियाय रहलोँ छै। एह् करका तेँ लागै जेना लड़ै लेली फाँड़ा कसतेँ रहेँ। सूइऽय्य-सूइऽय्य करीकेँ एकदम आकाशोँ में उमकै जेना सौंसे धरती उलटाय-पलटाय देतै।''[2]

अबेँ तेँ पंखोँ निकली गेलै। आँखोँ सें हेरेँ भी लागलै। पुरनका छाता सें एकटा पुरानोँ कमाची निकाललोँ गेलै। अमारी चुनी केँ दोनों मित्र लानलाँ। कमाची सें हमरासिनी छेद भी करलाँ। कमाची सें छेद करला के बाद कमाचीसिनी वै छेदसिनी में घुसैलौं। कुदरुम के चोप सें पतरगरोँ रस्सी बनैलाँ आरो सब्भे कमाची केँ ऊपर करीकेँ बाँधलौं। पिंजड़ा बनीकेँ तैया। गेट-तेट सब बनी केँ तैयार। कमाची छिलै में ब्लेड सें छट्सना बतौनी अंगुरी में लगी गेलै, लहू बहराबेँ लागलै। रंजनिया तिनपतैया के रस अंगुरी में गारी देलकै। अंगुरी दाबी केँ रखलियै। लहू आना बंद होय गेलै। कोय टिटनेस नै, हरदम फिटनेस-फिटनेस। एह् आय हमरासिनी केँ खुशी के कोय ठिकाना नै। आँख खुलतै तेँ सुरूज गोसाँय केँ झकाझक सौंसे दुनिया निहारी रहलोँ छेलै। झट! पिंजड़वा उठैलियै आरो कुन्ती बुढ़िया के खेतोँ दिस दोनो मित्र गेलियै। हमरासिनी केँ देखथैं दोनोँ मौगी-मरद खोदकी सें निकललै कि पुरनका राग अलापेँ लागलै। सुइय्य-सुइय्य कलपी केँ कानै। हमरासिनी कुछु नै सोचलियै। दोनो बचवा केँ पिंजड़ा में धरी देलियै। हमरासिनी पिंजड़ा लैकेँ घर ऐलियै। एह् पिंजड़वा में चाउर छीटी रहलोँ छी, एकटा कटोरी में पानी भी देलेँ छी। मतुर साँझ होय गेलै। एकटा दाना नै टोंगलकै आरो नै पानी दिस देखलकै। खाली कखनू-कखनू चूँय-चूँय करै? मुरझाय गेलै, एक दोसरा सें सट्टीकेँ निरीह आरो लाचार ताकी रहलो ँ छै। खैतै-पीतै नै तबेँ तेँ मरिये जैतै, की करियै रे? हमरा बाबूजी के नेह अमिरत बरसाय रहलोँ छै। हम्में बाबू जी सें पूछी बैठलियै-''बाबूजी! चिड़ैया के बचवा दोनो कुछू खाय नै छै हो, कैहनेँ नै खाय छै?''

''हहरी गेलोँ छै बेटा, तों ओकरा माय-बाप सें छीनी केँ उठाय आनलेँ छैं। ओकरोँ माय-बाप कानतेँ होतै, अपनोँ सुन्नोँ घर देखीकेँ।'' एह् कि कहियौं भाय, हमरोँ बुक् हहरी उठलै। आँखी सें लोर उमड़ी पड़लै। माय के ममता जेना हूल मारेँ लागलै। लागलै जेना हम्हीं हौ पिंजड़ा में बंद छी। बुक् भाँसी पड़लै। हम्में कोनो रंग कहेँ पारलियै-''बाबूजी! अखनिये दोनों बचवा ओकरोँ माय-बाप लगाँ पहुँचौबै।'' भावुक कवि, हुनकोँ आँख लोराय गेलै। हुनी कहलथीं-चल उठाव पिंजड़ा। हौ अधरतिया बैशाखोँ के रात। लालटेन उठैलथीं, बौकड़ी लेलथीं। हम्में एकटा अपूर्व सुख साथें पिंजड़ा उठैलियै। साँप-बिच्छोँ के डर जेना छूमंतर होय गेलै। दोनों बाप बेटा बढ़ी गेलियै कुन्ती बुढ़िया के बड़का खेतोँ दिस। एह् लालटेन लेँकेँ आरी बला खोदकी लगाँ जेन्हैं गेलोँ छी, चिरै आरो चिरी सुइय्य-सुइय्य करी उठलै। हम्में पिंजड़ा के दुआर खोली देलियै। दोनों बचवा फुदकी केँ हौ खुदकी में ढुकी गेलै। एह् हमरा अपूर्व सुख, जेना हमर्है माय मिली गेलोँ रहेँ। आँखीं सें लोर ढर-ढर ढरकेँ लागलै। बाबूजी नेहोँ सें हमरा पीठी पर हाथ धरी देलथी। हम्में पूछलियै-''अबेँ तेँ नै नि हहरतै?'' हुनी कहलथीं-''अबेँ कथीलेँ हहरतै? अबेँ तेँ ओकरोँ माय-बाप मिलिये गेलै।'' हम्में दोनो बाप-बेटा घुरी ऐलियै घर। बाबूजी सें सटीकेँ सूती रहलियै निश्चिन्त। स्वप्नलोक में सुइया चिरै साथें खूब खेललियै-धूपलियै। मतरकि

माय के ममता के सुच्चा अनुभव हमरा ई घटना सें होलै। आय हमरो॑ मन बुतरू बनी गेलो॑ छै। मन हहरी उठलो॑ छै बाबूजी के याद करीके॑। लागै छै जेना आत्मदेही बाबूजी के आशिष भरलो॑ स्नेहिल हाथ पीठी पर छै आरो हुनी कही रहलो॑ छै 'हहरतै कथी ले॑।''[3]

संदर्भ सूचीः

1. 'याद आबै छै' संग्रह, लेखक विद्यावाचस्पति आमोद कुमार मिश्र, प्रकाशक मनोरमा निकुंज प्रकाशन, संतनगर, हनुमानघाट पथ, बरारी, भागलपुर-812003, पैहलो॑ संस्करण 2009 राही प्रेस, पृ. 111
2. 'याद आबै छै' संग्रह, लेखक विद्यावाचस्पति आमोद कुमार मिश्र, प्रकाशक मनोरमा निकुंज प्रकाशन, संतनगर, हनुमानघाट पथ, बरारी, भागलपुर-812003, पैहलो॑ संस्करण 2009 राही प्रेस, पृ. 112-113
3. याद आबै छै' संग्रह, लेखक विद्यावाचस्पति आमोद कुमार मिश्र, प्रकाशक मनोरमा निकुंज प्रकाशन, संतनगर, हनुमानघाट पथ, बरारी, भागलपुर-812003, पैहलो॑ संस्करण 2009 राही प्रेस, पृ. 115-116

राजस्थान के त्योहार-गीतों का विवेचनात्मक अध्ययन

डॉ० जितेन्द्र कुमार सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

लोकगीत लोक के गीत हैं। जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। सामान्यत: लोक में प्रचलित, लोक द्वारा रचित एवं लोक के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है। लोकगीतों का रचनाकार अपने व्यक्तित्व को लोक समर्पित कर देता है। ''शास्त्रीय नियमों की विशेष परवाह न करके सामान्य लोकव्यवहार के उपयोग में लाने के लिए मानव अपने आनन्द की तरंग में जो छन्दोबद्ध वाणी सहज उद्‌भूत करता है, वही लोकगीत है।''[1] राजस्थान त्योहार बहुला संस्कृति का प्रतीक है। राजस्थानवासी सदैव कुछ न कुछ त्योहार अथवा पर्व मनाने का आयोजन करते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी मानव उत्सव प्रिय रहा है। इस उत्सवप्रियता के मूल में आनन्दाभिव्यक्ति की भावना प्रमुख है। राजस्थान के पर्व-त्योहार सम्बन्धी गीत निम्नलिखित हैं-

होली-

वसन्त ऋतु के समस्त उत्सवों में होली को प्रमुख स्थान प्राप्त है। राजस्थान में इस त्योहार पर जनता रंगीन वस्त्र धारण करती है, जिन्हें फागणियों, पीलो, कैसरियो, बसन्तियों और तौरूँफूला आदि नामों से पुकारा जाता है। होली के कई दिन पहले से ही लोग रात्रि को शुभ मुहूर्त में नक्कारों का पूजन कराकर गैर, गींदड़ और घूमर नृत्यों का आयोजन प्रारम्भ कर देते हैं। गीत धमाल के साथ चंग (बढ़ाढक) का इस अवसर पर विशेष उपयोग किया जाता है। जब फाल्गुन आता है तो उन दिनों गांव की भोली-भाली लड़कियां गा उठती हैं-

पत्नी-''चाँदा तो थारे चानण रे रसिया।
पान्यो गई जी तलाब रसिया।।
फागण में तो फागण्यो रंगावो रसिया।
होली खेलो रसिया, फागण आयो।।
पति-राजी राजी बोल तनै फागण्यो रंगाई द्यूँ।
राखूं म्हांरी घणने जीव की जड़ी।।
गुलाब की छड़ी मिश्री की डली।
होली खेलो गोरी फागण आयो।।''[2]

होलिकोत्सव पर गाए जाने वाले लोकगीत घूमर की लय और राग भी अनेक प्रकार के होते हैं। इनमें अनोखी मिठास, मादकता एवं मधुरता होती है। राजस्थान का एक प्रसिद्ध गीत का उदाहरण द्रष्टव्य है-

''कुण मारी पिचकारी...
मोरी ए वदन में कुण मारी पिचकारी
चढ़ता जोबन में कुण मारी पिचकारी
माथा में मैंमद अधक वराजै
तो रखड़ी री छब न्यारी जी
बाई सा रा बीरा, सासू जी रा जाया
तो साजन मारी पिचकारी।।''[3]

अर्थात् पिचकारी किसने मारी? मेरे मुँह पर पिचकारी किसने मारी? मेरे इस चढ़ते हुए यौवन पे किसने पिचकारी मारी? आगे कहती है कि मेरे सिर पर मेमंद की अपूर्व छटा है और उस पर रखड़ी की छवि तो निराली थी। ऐसे में किसने पिचकारी मारी? भाव यह है कि उसके प्रियतम ने पिचकारी मारी है। किंतु भारतीय नारी संकोचशील होती है। देखिए कितने नाटकीय ढंग से वह इसी बात को कहती है-बाई सा (ननद) के वीरा और सासुजी के पुत्र ने पिचकारी मारी है। किंतु इस ढंग से कहने में गीत में एक विशिष्ट सौंदर्य का समावेश हुआ है।

इसी से मिलता जुलता गीत गुजराती में भी प्राप्त होता है-

''सौना ईढोणी, रूप बेडलू रे
छैल रमे गेडी दड़े
पांणी किया जाऊ रे तालाब
छैल रमें गेड़ दहै
कडला घडावो ओधार म्हारां अगना
छैला रमे गेडी दड़े।''[4]

फाल्गुन में स्त्रियों के अतिरिक्त बालिकाएँ भी गीत गाती हैं। भाई-बहिन का प्रेम लोकगीतों में स्थान-स्थान पर पाया जाता है। चाहे वे गीत होली के हों, दीवाली के हों, तीज के हों, घुड़ले के हों या अन्य किसी अवसर पर गाए जाते हों किन्तु भाई-बहिन के प्रेम का निरूपण सर्वत्र पाया जाता है-

''कांट्यो तो बाढयो डाडोकेर को जी।
कांट्यो छै होली ताँण थाम।।
ओक बरसे बरसोदण होली पावणी जी
काटण वाला म्हारो समरथ वीर।।''[5]

इस गीत में हमें बहिन का भाई के प्रति प्रेम भाव दृष्टिगोचर होता है। होली के लिए केर (वृक्ष) का स्तम्भ काटकर लाया गया है जो बहिन के समर्थ वीर द्वारा काटा गया है। राजस्थान में होली के अवसर पर स्त्रियों के साथ-साथ पुरूषों के गीतों की भी बहुतायत देखने को मिलती है। राजस्थान के पुरुष एक ओर तो प्रेम परक गीत गाते हैं तो दूसरी ओर वीरतापूर्ण गीत। प्रेम परक गीत का एक नमूना प्रस्तुत है-

''फागण की रूत आई रंगीली आई सखि होली रे
छेड़ मती बालम काची नीम निम्बोली रे
फागण रो दीवानों नाचे चंग की धमाल पै
गाती लार-चाली सखियां की टोली रे
भर पिचकारी मारे गोरे-गोरे गात पै
साड़ी की भीगी मारी-भीग गई चोली रे
अँगुली पकड़ म्हारी बहियाँ मरोड़ी
छेड़े मती बालम उमर म्हारी भोली रे
फागण की रूत आई रंगोली आई सखि होली रे।।''[6]

घुड़ला गीत-

होली के बाद और गणगौर के लगभग पन्द्रह दिनों पूर्व तक राजस्थानी बालिकाओं द्वारा घुड़ला घुमाया जाता है। यह विशेष रूप से बालिकाओं का ही त्योहार है। ये बालिकाएँ एक छोटी कच्ची मटकी को रात्रि के समय सिर पर रखकर उसमें दीप जलाकर गीत गाती हुई मोहल्ले अथवा गांव के प्रत्येक घर पर जाती हैं। गृहस्वामी अन्न आदि देकर उनका स्वागत करता है। यह छोटी मटकी ही घुड़ला कहलाती है। इससे सम्बंधित एक गीत दृष्टव्य है।

''घुड़लो एक सुपारियां छायो, ताराँ छाई रात।
भावज ओ, म्हारी पूताँ छाई, बडोडे वीरे घर नार।''[7]

आकाश में तारों से छाई हुई रात अत्यंत सुंदर है और धरती पर बालिकाओं के सिर पर रखा हुआ घुड़ला अत्यंत सुंदर है। पुत्रों से घिरी हुई भावज सुंदर है जो बड़े भाई की स्त्री है। यहाँ बड़े भाई की स्त्री का पुत्रों से घिरे हुए सुंदर लगना कितनी सुंदर उपमा है। जन-जीवन के ये उपमान, विकृत कल्पना के प्रतीक नहीं होकर यथार्थ सामाजिकता के परिचायक हैं।

यह घुड़ला लेकर जब बालिकाएँ गांव के घरों के द्वार पर जाती है तो गृहस्वामी से उसका स्वागत करने के लिए यह गीत भी गाती हैं-

''तेल बले घी लाव, मोत्यां रा आखा लाव।
जापा रा लाडू लाव, घुड़लो घूमै छै जी घूमै छै।।''[8]

अर्थात् घुड़ले में जो दीप जल रहा है उसमें तेल जल रहा है। इसके बदले में घी लाओ। साथ ही मोतियों के अक्षत तथा प्रसूति के लड्डू लाओ। घुड़ला घूम रहा है। इन मांगलिक वस्तुओं से घुड़ले का स्वागत करो।

गणगौर के गीत-

गणगौर त्योहार राजस्थान का अपना विशिष्ट त्योहार है। इसके बाद चार महीनों तक राजस्थान में कोई त्योहार नहीं आता। गणगौर में कन्या एवं विवाहित दोनों ही गौर की पूजा करती हैं। इसलिए यहाँ पर दोनों से ही संबंधित गीतों को गाया जाता है। कन्याएँ गौरी से सुयोग्य वर की कामना करती है और कहती हैं-

''मेड़ी बैठो मद पीवै ए, लीली केरो असवार
खांगी बांधे पागड़ी ए, मधरी चाले चाल।
कड़ मोड़ घोड़े चढै ए, चाल निरखतो जाय।
ओ पर देई माता गोरल ए, म्हे थाने पूजण आय।।''[9]

गणगौर के अत्यावश्यक प्रसाधन चूड़ा और चूनड़ी है। इन गीतों में राजस्थानी नारी की आभूषण प्रियता का सम्यक् परिचय मिलता है।

''नाकांनी नथड़ी लावजो, म्हॉरे नाकांनी नथड़ी लाव।
म्हारे बेसर फूल लगावो हो म्हॉनै खेलण द्यो गणगौर।
हिवड़ा ने हॉरूज लावजो म्हॉरे हिवड़ा ने हॉरूज लाव।
ओ म्हॉरे तमण्यो पाट पलावजो, हो भॅवर म्हॉने खेलण द्यो गणगौर।।

गणगौर के गीत मानवीय तत्वों से भरपूर है जिसके माध्यम से नारी चिरन्तन व्यथा भी दर्शायी गई है। वह स्त्री जो अपने पति को ही सर्वस्व समझती हो और उसका पति उसे यातना देता हो तो वह कहां जाएगी?

''मोड़ी लीनी कणिएर सोटी।
एक जो मारी, न दूसरी।
न हो राजा, तीसरी मा जोडया दुई हाथ।।
जो तुम धणियेर सोटी मारसो, हो राजा।
नहीं म्हॉरे मॉय न बाप।।''[10]

पतिव्रत धर्म को राजस्थान में आदर की दृष्टि से देखा जाता है। स्त्रियां प्राण देकर भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन निष्ठा से करती है। गणगौर का यह त्योहार सौभाग्यवत्यिों एवं कुमारिकाओं के लिए उनके जीवन का अंग है और उनको यह मनाना आवश्यक है। विधवाएँ यह त्योहार नहीं मनाती। ये गीत समृद्धि को व्यक्त करते हैं। गणगौर के गीतों में बहन भाई के प्रेम को भी अभिव्यक्ति मिलती है।

''ईसरदास धरा बधावण रे
गोरल जायो छै पूत।
अगड़ घड़ावो वीरो
भाबजो रे हमने नौसर हार।
बेल वधो मेरे बाप की रै,
ज्यूॅ माली ज्यू इव,
क्यू कीड़ी ज्यूं नाल।।''[11]

ईश्वरदास और गौरा के पुत्र उत्पन्न होने पर पुत्र जन्म की बधाई का एक प्रसिद्ध गीत भी गाया जाता है-

टीकी चौपे साजनियांरी धीय कै,
कान्हीराम थारी कलु बहु जे।
आवेगा कान्हीरामजी का पूत
जीवै थारी मन रसी जे।

इन गीतों में पति-पत्नी के निरन्तर एक साथ कर्मरत रहने का भी चित्रण मिलता है जो कि हिन्दू संस्कृति का एक विशिष्ट पक्ष है।

''गौरो ईसर दास बायां
ए बाई गोरस सींच लिया,

ईसरजी तो पेचौ बांधे
गोरा बाई पेच संवारै ओ राज
म्हे ईसर धारी साली छा।।''[12]

जो बोया गया था, वह बढ़ चुका है अर्थात् झुंवारा ईशर और गौरा ने मिल कर बोया था और अब वह बढ़ आए हैं। गौर ईशर की पंगड़ी बांधने में भी सहायता करती है।

अत: गणगौर के गीतों में पति-पत्नी के प्रेम को अभिव्यक्ति मिलती है। केवल कपड़े और गहनों से ही यह गीत संबंधित नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति के उज्ज्वलतम पक्ष को अपने में समाए रखने वाला त्योहार है गणगौर।

तीज-

राजस्थान में वैसे तो सभी त्योहार स्त्रियों से संबंधित हैं और उनके प्रिय हैं लेकिन तीज का त्योहार स्त्रियों को विशेष प्रिय है। यह त्योहार सावन-भादो में पड़ता है। मरूभूमि राजस्थान वर्षा में खिल जाता है और चारों और उल्लास दिखाई पड़ता है। नए जीवन के साथ ही नए गीत की स्वर लहरी गगन मण्डल में चारों ओर गूंज उठती है। गवरी की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा की जाती है। वृक्षों की शाखाओं पर झूले डाले जाते हैं। युवतियां अपनी सखी-सहेलियों के साथ तरह-तरह के आनन्द मनाती हैं। प्रवासी प्रिय जन भी तीज के त्योहार पर अवश्य घर पहुंच जाते हैं।

''सावण तो लहर्यो भादवो रे
बरसै च्यारूँ कूँट
म्हारा मोरला, सावण लहर्यो रे
सावण बाओ गवराँ सासरे
कन्हैया वीरो लेणिहार
म्हारा, मोरला, सावण लहरयो रे
सावणियों सुरंगलो रे लाल
आसी वीरो कन्हैयालाल पावणो
लासी बाओ गवरॉ ने बैलडली जुपाय
म्हारा मोरला सावण लहरयो रे।''[13]

अर्थात् सावन भादो लहरा रहा है। हे मेरे मोर, सावन लहरा रहा है। भाई कन्हैयालाल मेहमान बन कर आवेगा और गौरीबाई को बैलगाड़ी में बैठा कर मायके ले जावेगा।

लेकिन जब भाई लिवाने नहीं आता तो वह अधीर मन से गा उठती है-

''कहज्यो कहज्यो म्हारी माऊजी ने अे जाय
माऊजी ने अे जाय, वीरो भेजै ज्यूं लेण ने जे।''[14]

तीज के त्योहार पर स्त्री हृदय के सच्चे भाव प्रकट होते हैं-

''झुरै तो झुर अे काली बादली
झुरजे म्हारे बाबैजी रे देस
झूर निपजायी अे मोठ र बाजरी
जाणै कोडयाली जॅवार।''[15]

इस गीत में ससुराल में बैठी बेटी बादलों से कहती है कि तुम्हें बरसना है तो मेरे बापूजी के देश में बरसो। बरस कर मोठ बाजरी एवं कौडी जैसी ज्वार निपजाओ। इस गीत में राजस्थान के गांवों की झलक एवं स्त्री के हृदय में अपने गरीब पिता की अच्छी फसल होने की कामना भी अभिव्यक्त होती है। बेटी को विवाह पश्चात् भी अपने मायके की पूरी चिन्ता है। उसके पिता का सुख-दुख आज भी उसका सुख-दु:ख है। एक अन्य गीत में बहू तीज पर अपनी सखियों के साथ तीज खेलने के लिए अपनी सास से आज्ञा लेकर जाती है। घर पर देर से लौटने के कारण उसे अपने पति का कोप भाजन बनना पड़ता है। इससे रूष्ट होकर वह अपने पीहर जाने का फैसला करती है।

''लागी लागी मारूणी ने रीस,
महलॉ सूॅ नीची उतर्याजी म्हॉरा राज।

खोल्या खोल्या सौलाजी सिंणगार
कालो पैरयो पोमचो जी म्हॉरा राज।
दासी छोरी रथड़ो जोताव
पीहर चालॉ आपणै जी म्हारा राज।''[16]

इन गीतों में पति-पत्नी के रूठने मनाने का चित्र उपस्थित है। राजस्थान के इन तीज के गीतों में विरहणी पत्नी का भी चित्र खींचा गया है, जिसका पति परदेश में है। उसकी सभी सखियों के प्रियतम घर पर हैं इसलिए उनकी तीज सुरंगी होगी पर विरहणी का घर सूना ही रहेगा-

''आयी आयी तीज नुवेली, सब सखियां रंग राच्यो
औराँ रा पिवजी घरॉ अे वसत है, म्हारा वसै छै परवेस
औरॉ री तीज सुरंगी होसी, म्हारे घर रहसी रंग काचो।''[17]

पति की अनुपस्थिति में पत्नी को तीज खेलने में वह रस नहीं आता। सावन का महीना सब महीनों का सिरताज है। वन, बाग, तट, तड़ाग, दादुर, मोर सभी आनन्दातिरेक से झूम उठते हैं। चारो और हरियाली ही हरियाली नजर आती है। जग के सभी प्राणियों में नवयौवन का संचार हो जाता है। ऐसी सुरंगी ऋतु में प्रिया को अपने प्रिय का प्रवास असहनीय हो जाता है-

''थाँरो मारगियो लीलावो।
घरे पधारों ओ राज! म्हारा साथीड़ा रे।
पावस मास प्रगटियों रे, कॅई धरती उगल्यो भंडार।
विरह महारस उलटियों रे, अब म्हारी लेवे कुण संभाल।।''[18]

अर्थात् हे प्रवासी प्रिय तुम्हारे मार्ग को वर्षा ने हरा-भरा कर दिया है। अब आप भी घर पधारें। धरती अनाज, वृक्ष, पत्ते, फूल, पौधों से समृद्ध है। ऐसे में मैं ही अकेली हूँ मेरे सुधि कौन ले? इसी तरह का भाव जायसी अपने पद्मावत में नागमती वियोग खंड में प्रकट करते हैं-

''दादुर मोर कोकिला पीऊ। करहिं बेझ घट रहै न जीऊ।
पुख नक्षत्र सिर ऊपर आया। हौं बिनु नाँह मंदिर को छावा।।''[19]

चतड़ा चौथ-

यह त्योहार विशेष रूप से विद्यार्थियों अर्थात् कुमारों से सम्बन्धित होता है। इसका अन्य नाम गणेश चतुर्थी भी है। यह भादव माह की शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन बालकों के हाथों में मेंहदी लगाई जाती है और मिष्ठान खिलाए जाते हैं। पहले यह त्योहार गुरू की अध्यक्षता में पाठशाला में सामूहिक रूप से मनाया जाता था जिसमें गणेशजी का पूजन अर्चन और वन्दन किया जाता था। बालक सामूहिक रूप से गीत गाते और आनन्दित होते थे-

''चतड़ा चौथ भादूड़ो,
दे दे माई लाडूड़ो
लाडूड़ा में पान सुपारी,
चौथी राणी हुई विराणी।
सुण सुण ए रामां की माँ,
थारो बेटो पढ़बा जाय।
पढ़बा की पढ़ाई द
गुरॉ साब ने पाग बंधा।।
गुराणी ने वैस दिरा,
चतड़ा ने चार लाडूड़ा दिरा।।''[20]

इस गीत में बालकों की हार्दिक भावना अभिव्यक्त हुई है। साथ ही प्राचीन लोक परम्परा को भी अभिव्यक्ति मिली है। प्राचीन काल में विद्यार्थी एवं उनके माता पिता द्वारा गुरू और गुरू पत्नी को ज्ञान-दक्षिणा के स्वरूप भेद देने का प्रावधान था। इसी परम्परा का यहाँ निर्वाह हुआ है। वर्तमान में भी राजस्थान में यह त्योहार मनाया जाता है। परन्तु इसके स्वरूप में किंचित भेद हो गया है। अब घर पर ही माताएँ एवं बडेध्-बुजुर्ग बालकों को भेट देती हैं और गणेश पूजा करती है। राजस्थान के साथ ही अब अन्य प्रदेशो में भी यह त्योहार मनाया जाता है। वहां भी गणेश की मूर्तियों का पूजन होता है एवं एक भव्य जुलूस निकाला जाता है।

तुलसी पूजा-

राजस्थान में वैसे तो प्रत्येक महीने का अपना विशेष महत्व है। परन्तु कार्तिक महीने का महत्व किशोरियों की दृष्टि से विशिष्ट है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह त्योहार मनाया जाता है। बालिकाएँ इस दिन व्रत करती है और तुलसी पूजन करती हैं। व्रत की समाप्ति पर तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। भारतीय संस्कृति में तुलसी को बहुत ही पवित्र समझा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी तुलसी का अत्यन्त महत्व है। कन्याएँ तुलसी-पूजन केवल इस ध्येय को लेकर करती हैं कि जैसे तुलसी ने आराधना करके शालिग्राम जैसा पति प्राप्त किया, वैसा ही सुन्दर शील गुणों से युक्त पति उन्हें भी प्राप्त हो-

''सहेल्यां से बूझे ए म्हॉ री सहेली।
के गुण पायो भरतार।
च्यार बज्या मैं सोती उठती।
गीता रो करती पाठ जी सहेली।
थारे तो खातिर कातिक न्हाया,
इतना तो मैं जप तप करती।
जद पायो भारतार सहेली।।''[21]

तुलसी का आध्यात्मिक महत्व भी है। एक गीत में स्त्री तुलसी से प्रार्थना करती है कि तू इतनी दया हम पर करना कि अन्त समय हमारे मुंह में तुलसी दल पड़े, जिससे हमारी सद्गति हो जाए-

''तुलछाँ ए, थारो धरियो ध्यान।
अन्त समै में दे-दे पान।।''[22]

आध्यात्मिक रूप के साथ तुलसी का मानवीय चित्र भी कुछ गीतों में दिखाई देता है। तुलसी अपनी सहेलियों के साथ में यमुना में पानी भरने के लिए गई है। सखियों ने तुलसी को व्यंग्य में कहा कि तुम इतनी बड़ी होकर भी कुमारी ही हो। इससे वह रूष्ट होकर अपने पिता के पास चली जाती है। तब पिता उनसे मनपसंद वर के विषय में पूछते हैं जिससे वे उनका विवाह निश्चित कर सकें-

''के बाई, थॉ ने चॉदो वर हेराँ ।
के, सूरज वर हेरॉ, हो राम।।
भरण गई... जल जमणा को पाणी।''[23]

तब तुलसी उत्तर देती हैं-

''ना बाबाजी, ईसर वर हेरो।
ना कानू वर हेरो, हो राम।।
पण आप किसन वर हेराँ हो राम।
भरण गई जल जमना को पाणी।''[24]

इस गीत में प्राचीन प्रथा का चित्रण हुआ है। जिसमें पिता स्वयं कन्या से वर निश्चित करने में सलाह लेते थे। वर्तमान में भी यह प्रथा दिखाइ देती है। कुछ दशकों पूर्व यह प्रथा लुप्त हो गई थी। इस सम्बन्ध में माता-पिता का निश्चय ही सर्वोपरि माना जाता था। आज यह पुनः प्रचलन में है लेकिन इसका स्वरूप् भिन्न है। अब पिता नहीं अपितु माताएँ कन्या से उनकी पसंद के विषय में पूछती हैं।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि लोकगीत जिसे हम लिखित नहीं अपितु मौखिक साहित्य कहते हैं, सच्चे अर्थों में साहित्य है। देखा जाए तो साहित्य वह है जो हमारे अन्दर एकत्व अथवा सहयोग की भावना को जागृत करें। 'साहित्य' वह है जो होने या रहने का अर्थ देता है यही भाव निहित है। संस्कृत की उक्ति "सहितस्य भावः इति साहित्यम्" में। संस्कृत में 'साहित्य' षब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार भी मानी जाती है-"हितेन सह तस्य भावः साहित्यम" अर्थात् जो रचना अपने भीतर प्राणी मात्र के हित साधन का भाव लिए हो वही साहित्य है। यहाँ साहित्य से जिस हित साधना की अपेक्षा है। वह भाव संयत रहा करती है। इसमें जीवन के अन्तः बाह्य का सामंजस्य रहता है। लोकगीतों में सहयोग एवं एकत्व की यह भावना अपने दिव्य रूप में दिखाई पड़ती है। जिस समय लोकगीत में कोई नारी किसी पक्षी के द्वारा अपने प्रिय के पास सन्देश भेजती है, पशु-पक्षियों को भाई कहकर सम्बोधित करती है, तो उस समय हमारे हृदय का काठिन्य गलकर पानी-पानी हो जाता है और जिस समय ननद-भौजाई को, बहिन-भाई को, पत्नी-पति को भाव भरे हृदय से पुकारती है उस समय तो कहना ही क्या? मनुष्य की यह अहमन्यता और काठिन्य दूर हो जाने से वह अपने अंदर एक विचित्र तरलता और आर्द्रता का अनुभव करता है और सारा विष्व स्नेह से ही सिक्त मालूम पड़ता है। यो तो वही इतना बड़ा हो जाता है कि वह सारे विष्व को अपने अंदर समेट लेता है या विष्व ही दुबककर उसके व्यक्तित्व की सीमा में आ जाता है।

संदर्भ-

1. सम्मेलन पत्रिका, लोक संस्कृति अंक, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 2010, पृ. 250
2. गंगाप्रसाद कमठान, राजस्थानी लोकगीत, भाग-1, राजस्थान विश्वविद्यापीठ, उदयपुर प्र.सं. 1952 पृ.79
3. वही, पृ.82-83।
4. झवेरचंद मेघाणी, रूढियाली रात, भाग-1, राजस्थान विश्वविद्यापीठ, उदयपुर प्र.सं. 1956 पृ.136
5. डॉ. जगमल सिंह, राजस्थान के त्योहार-गीत, अंकुर प्रकाशन, दिल्ली, पहला संस्करण,1988 पृ.27
6. वही, पृ.114
7. वही, पृ.38
8. वही, पृ.38
9. झवेरचंद मेघाणी, रूढियाली रात, भाग-1, राजस्थान विश्वविद्यापीठ, उदयपुर प्र.सं. 1956 पृ.18
10. वही, पृ.49
11. वही, पृ.11
12. वही, पृ.12
13. रामसिंह, सूर्यकरण पारीक, नरोत्तमदास स्वामी. राजस्थान के लोकगीत, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, दूसरा सं. 2019, पृ.78
14. वही, पृ.79
15. वही, पृ.85
16. गंगाप्रसाद कमठान, राजस्थानी लोकगीत, भाग-1 पृ.27
17. रामसिंह, सूर्यकरण पारीक, नरोत्तमदास स्वामी. राजस्थान के लोकगीत, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, दूसरा सं. 2019, पृ.95
18. गंगाप्रसाद कमठान, राजस्थानी लोकगीत, भाग-1, प्र.सं. 1952, पृ.38
19. वासुदेवशरण अग्रवाल, पद्मावत-नागमती वियोग खण्ड, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, सं. 2018, पृ.344
20. वही, पृ.55
21. वही, पृ.70
22. डॉ. जगमल सिंह, राजस्थान के त्योहार-गीत, अंकुर प्रकाशन, दिल्ली, प्र.सं, 1988 पृ.89
23. वही, पृ.90
24. वही, पृ.91

'तितली' उपन्यास में नारी चेतना: एक अवलोकन

डॉ० चित्रा यादव

एसोसिएट प्रोफेसर (हिन्दी), के.के. कॉलेज इटावा, उ.प्र.

प्राचीन समय के भारतीय आदर्शों को भूलकर पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करने वालों को भारतीय संस्कृति की जीवन उपयोगिता दिखाने के लिए इस उपन्यास की रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी। 'तितली' ग्रामीण जीवन को आधार बनाकर लिखा गया एक आदर्शवादी उपन्यास है। 'तितली' उपन्यास के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने नारी चेतना के विभिन्न पक्षों को उभारा है। शैला तथा तितली दो नारी पात्रों के माध्यम से उन्होंने नई चिर परिचित समस्या उपस्थित की है और उनका समाधान प्रस्तुत किया है।

''नारी जीवन की सार्थकता स्वतंत्र अस्तित्व को बनाये रखकर पारिवारिक बंधनों को ठुकराते हुए, समाज सेवा व्रत धारण करने में है या गृहस्थी के भीतर रहकर प्रेम और श्रद्धा के केन्द्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व का सम्यक निर्वाह करते हुए समाज का रक्षण, निर्माण और विकास के योगदान देने में हैं।''[1]

उपन्यास के प्रारम्भ से ही सत्यवादी चित्रण का प्रारंभ होता है। ''चिथड़ों से लिपटा हुआ, लम्बा चौड़ा अस्थिपंजर झनझना उठा खांसकर उसने कहा-जिस भयानक अकाल का स्मरण करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिस पिशाच की अग्निक्रीड़ा में खेलते हुए तुझ को मैंने पाया था, वही संवत 55 का अकाल आज के सुकाल से भी सदय था।''[2]

उपन्यास का नायक मधुवन उच्चवर्गीय संपन्न कुल का वंशधर है और अपने पूर्वजो के वैभव कंकाल शेरकोट में एक सामान्य किसान के रूप में रहता है। वह उच्च संस्कार संपन्न, परिश्रमी किन्तु शीघ्र ही क्रुद्ध होकर संघर्ष में कूद पड़नेवाला साहसी युवक है। मधुवन की बहन राजकुमारी से रामनाथ जब तितली के लिए राजकुमारी से मधुवन का हाथ माँगता है तो वह पैसे की तंगी का रोना रोती है, तब रामनाथ राजकुमारी से कहता है कि- ''रुपयों से ब्याह नहीं होगा बेटी! ब्याह होगा मधुबन से तितली का तुम इसे स्वीकार कर लो; और जो कुछ होगा मैं देख लूंगा। मैं अब बूढ़ा हुआ, तितली को तुम लोगों की स्नेह-छाया में दिए बिना मैं कैसे सुख से मरूंगा? अच्छा, पर एक बात और भी आपने समझ ली है? क्या मधुबन, तितली के साथ गृहस्थी चलाने के लिए, दु:ख-सुख भोगने के लिए तैयार है? वह अपनी सुध-बुध तो रखता ही नहीं। भला उसके गले एक बछिया बांधकर क्या आप ठीक करेंगे? सुनो बेटी, दस बीघा तितली के, और तुम लोगों के जो खेत हैं-सब मिलाकर एक छोटी-सी गृहस्थी अच्छी तरह चल सकेगी। फिर तुमको तो यही सब देखना है, करना है, सब संभाल लोगी। मधुबन भी पढ़ा-लिखा परिश्रमी लड़का है। लाग-लपटकर अपना घर चला ही लेगा।''[3]

मधुवन की बहन राजकुमारी मधुबन का विवाह होने पर अपने बारे में सोचने लगती है - ''मधुबन जब ब्याह कर लेगा, तब यहाँ मेरा क्या अधिकार रह जाएगा? उसकी गृहस्थी चलाने के लिए तो तितली का आगमन हो ही जायेगा। अहा! तितली कितनी सुंदर है! मधुबन प्रसन्न होगा। और मैं...? अच्छा, तब तीर्थ करने चली जाऊंगी। उंह रुपया चाहिए उसके लिए-कहां से आवेगा? अरे जब घूमना ही है, तो क्या रुपए की कमी रह जाएगी? रुपया लेकर करूंगी ही क्या? भीख मांग कर या परदेश में मजूरी करके पेट पालूंगी।''यह है भारतीय नारी की नारी चेतना का अनुपम उदाहरण।[4]

मधुबन की बहन राजकुमारी जब अपने नारीत्व का निरीक्षण करती है तो पाती है कि- ''जिस प्रकार चिररोगी स्वास्थ्य की संभावना से प्रेरित होकर पलंग के नीचे पैर रखकर अपनी शक्ति की परीक्षा लेता है, ठीक उसी तरह तो राजकमारी के मन में कुतूहल हुआ था अपनी शक्ति को जांचने का वह किसी अंश तक सफल भी हुई, और उसी सफलता ने और भी चाट बढ़ा दी। राजकुमारी परखने लगी थी अपना-स्त्री का अवलम्ब, जिसके सबसे बड़े उपकरण हैं यौवन और सौंदर्य आत्मगौरव, चारि卐य और पवित्रता तक सबकी दृष्टि तो नहीं पहुंचती। अपनी सांसारिक विभूति और संपत्ति को संभालने की आवश्यकता रखने वाले किस प्राणी को चिंता नहीं होती?''[5]

विवाह के समय शैला मधुबन और तितली के मन का हाल जानने के लिए पूछती है कि क्या यह विवाह पारस्परिक सहमति से है या नहीं, इसलिए शैला मधुबन से ब्याह के प्रति उसकी सहमति जानना चाहता है साथ ही यह भी जानना चाहती है कि क्या वह किसी सामाजिक दवाब में तो शादी नहीं कर रहा है। प्राय: ऐसा देखा जाता है कि लड़का और लड़की एक दूसरे को न पसन्द करते हुए भी सामाजिक दवाब वश ब्याह के समय हाँ बोल देते है लेकिन बाद में उस विवाह को भार समझने लगते है तथा घर में आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाता है जिसकी परिणति विवाह विच्छेद पर जाकर होती है, इसलिए शादी के समय लड़का और लड़की की अपने ब्याह के प्रति आपसी सहमति होना अत्यन्त आवश्यक है। इसके बिना ब्याह अधिक दिनों तक नहीं चल सकता है, शैली के इस प्रश्न के उत्तर में मधुबन ने हा में अपनी सहमति दी, तब शैला से यही प्रश्न तितली से किया जिसके जवाब में तितली ने भी हाँ में अपनी सहमति दी। जिससे स्पष्ट होता है कि शैला नारीत्व एवं उसके भविष्य के प्रति कितना चिंतित है।

कुँवर इन्द्रदेव धामपुर के जमींदार के बेटे है, जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, अब वह लंदन से शिक्षा लेकर अपने देश भारत लौटे है, यहाँ पहुँचकर उनका मन देश और समाज के प्रति अत्यधिक उदार है। वे संयुक्त परिवार की गृहस्थी और सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक विडम्बनाओं के प्रति अपने को असहज पाते है लेकिन वे खुलकर इसका विरोध भी नहीं करते है।

लंदन में कुँवर इन्द्रदेव जो अवलोकन करता है उसमें उसे वहाँ के समाज का सच दिखलाई पड़ता है, उसे जहाँ एक ओर अत्यधिक अमीरी का वातावरण दिखाई देता है, जैसे सुगंध और जल के फव्वारों का उड़ना हो या बिजली की सहायता से गरम किये कमरों में जाते ही कपड़ों के उतार देने की आवश्यकता महसूस होती हो वहीं दूसरी ओर अत्यधिक बर्फीली ठंडक में दुकानों के चबूतरों पर अर्धनग्न गरीब लोगों का रात्रि का निवास हो या पुल के नीचे रात्रि निवास के दौरान आपस का लड़ाई-झगड़ा हो।[6]

लंदन की इन्हीं गरीबों की बस्ती में इन्द्रदेव को भीख माँगते हुए एक लड़की शैला मिलती है जिसे वह अपने साथ अपने देश भारत ले आता है, जो भारत के देहात में आकर देहात के किसानों के घर जाकर उनके साथ घर परिवार की बातें करती है और उनकी पुरानी खटिया पर भी बैठती है तथा भारतीय पहनावा साड़ी पहनने की कोशिश भी करती है जो कि उसके ऊपर अच्छी भी लगती है।[7]

एक अत्यधिक धार्मिक विधवा श्यामदुलारी इन्द्रदेव की माँ है। वह इतना धर्म-कर्म को मानती है कि जब उनके बेटे ने उनका पैर छुआ तो उनको पुनः स्नान करने की आवश्यकता महसूस हुई। धर्म के नाम पर हमारे देश और समाज में जो आम जनता का शोषण होता है उसके बार में इन्द्रदेव कहते है कि मैं भारतीय धर्म और संस्कृति के वर्तमान रूप से असहमत हूँ। हमारे यहाँ धर्म के नाम पर मनुष्य ढ़ोगी अधिक है। गरीब किसानों का ज्यादा से ज्यादा शोषण उच्च वर्ग करता है और कभी-कभार थोड़ा बहुत पैसा दान-धर्म करके इन गरीब एवं निरीह लोगों का विश्वासपात्र बन जाता है। भारत के लोग धर्म में प्राणिमात्र की समता खोजते है जबकि वास्तव में विषमता अधिक हैं, जहाँ देखों वहाँ अभाव ही अभाव नजर आता हैं। जिसको हम धर्म का अच्छा आचरण या सदाचरण कहते है वह भी जीवन में सुख शांति नहीं दे सकता है। जहाँ देखों वहाँ छल एवं प्रपंच दिखायी पड़ता है, इससे तो कही ज्यादा अच्छी है पश्चिम की आर्थिक और भौतिक समता, जिसमें ईश्वर की अनुपस्थिति में भी मनुष्य को सब तरह की सुविधाएँ मिलती है।[8]

इन्द्रदेव के क्षेत्र में धर्म के नाम पर बिहारीबाबू संत का शोषण भी काफी ज्यादा है। वह अपने मंदिर में चढ़ावा तो लेता ही है साथ में बनिया लोग जो दान देते है उन्हें वह ब्याज पर क्षेत्र के गरीब लोगों को देता है, उसे क्षेत्र के गरीबों पर किसी तरह की कोई दया की भावना नहीं आती। किसानों की फसल पर चाहे पाला पड़े या सब कुछ नष्ट हो जाये तो भी वह गरीब किसानों से पैसा वसूलने में किसी तरह की कोई रियायत नहीं करता है।

बिहारी जी का मंदिर क्षेत्र के बनियों की मदद एवं सेवा पूजा से चलता था। क्षेत्र के गरीब किसानों के खेत भी महंत के यहाँ रेहन पर रखे हुए थे। महंत जी मंदिर के साथ मिली हुई एक फुलवारी के सुन्दर बागान में रहते थे। मंदिर के दालान में ऊँचे मसनद के सहारे से बैठकर महंत जी भक्तों की भेंट और गरीब किसानों से सूद के पैसे प्रायः ग्रहण किया करते थे। अगर कोई किसान अपनी गरीबी का रोना रोकर सूद कम लेने की प्रार्थना करता तो महंत जी बड़ी गंभीरता से बोलते- ''भाई मेरा तो कुछ है नहीं, यह तो श्री बिहारी जी की विभूति है, उनका अंश लेने से क्या तुम्हारा भला होगा?''[9]

धर्म के नाम पर इसी प्रकार के ढोंग करते करते महंत ने अधिकांश छोटे-छोटे गरीब किसानों की खेती हड़प करके जमींदारी बना ली थी। हमारे देश में धर्मस्थान, मंदिर तथा पूजा करने वाले पुजारी हमारे समाज की कैसी पूजा करते है, जब क्षेत्र की राजकुमारी (राजो) महंत के पास ब्याज पर पैसे लेने जाती है तो महाराज जी बुरी दृष्टि के साथ उस विधवा राजकुमारी को कहते हैं तुम यहाँ रहो तो ''तुमको सबकुछ मिल सकता है, ठाकुरजी का प्रसाद खाओ, मौज से पड़ी रह सकती हो।''[10]

मंदिर का महंत पाशवी काम भाव के साथ राजों के साथ छेड़छाड़ करने लगता है तभी मधुवन को महंत का गला दबाना पड़ा। इसी कारण मधुवन को चौबेजी को भी मारना पड़ता है क्योंकि वह भी राजो पर बुरी नजर रखता था। जिसके बदले में महंत, चौबे, तहसीलदार की साजिश से झूठा मुकदमा बना और मधुवन को दस साल की सजा मिली।

सजा से बचने के लिए मधुवन हावड़ा की गंदी बस्ती में जाकर रिक्शा चलाता था। हावड़ा के पुल पर उसने एक नई दुनिया देखी। जनता का झुंड, नाचने गाने वाली टोली और साथ में पेशेवर जेबकतरे लड़कों का झुण्ड। पेशेवर जेबकरे लड़को के निवास में एक जलगगरी ओर एक बिछावन और फटे हुए गूदड़ के अतिरिक्त वहाँ कुछ भी न था। इन सबका नेता बीरूबाबू था जो इन जेबकतरे लड़कों से पैसे छीनकर अपनी रखेल को देता था। यह सब धर्मसेवा तथा 'परोपकार सेवा संघ' के नाम पर चल रहा था।

धामपुर का महंत सूदखोर जो कि गला दबाने के बाद भी बच गया था, चौबे तथा तहसीलदार वेश्या मैना के साथ मेले में हाथी के साथ आते हैं। ''धामपुर के महंत ने अभी हाल ही में तीन हाथी खरीदे हैं, यह बात जानकर राजा साहब को आश्चर्य हुआ। क्षेत्र के लोग कहते हैं महंत जी सिद्ध महात्मा हैं जिधर आँख उठायें उधर लक्ष्मी बरस पड़ती है, ''मैना के प्रेम में वे पूजा भी भूल गये हैं।''[11]

धर्म का पाखण्ड जमाने वालों के इस सत्य को लेखक जयशंकर प्रसाद ने न्याय का आदर्श भी दिखाया है- ''मेले में हाथी के पागल होने से भगदड़ मच जाती है जिसमें वेश्या तथा तहसीलदार कुचलकर मर जाते है और महंत के सिर में गंभीर चोट आती है जिसके कारण उनके बचने के लक्षण नहीं हैं।[12]

दूसरी ओर अनवरी की दुष्टता, माधुरी की व्यक्तिगत स्वार्थलिप्सा, श्यामलाल की काम भावना से ग्रसित वृत्ति, सुखदेव एवं महंत का गिरा हुआ चरित्र के कारण हमारे समाज में फैली नग्नता का चित्र उपस्थित होता है।

आरम्भ में हम देखते हैं कि बनजरियाँ और शेरकोट एक गरीब बस्ती का गाँव है। जो जमींदार, तहसीलदार द्वारा शोषित है। लंदन से वापस हुए इन्द्रदेव तथा शैला का जब इस गाँव में आना होता है, तब यहाँ के जीवन में दिलचस्पी लेना, गरीब किसानों की खटिया पर बैठकर बातें करना, ग्राम समाज के सभी लोगों को अच्छा लगता है। उपन्यास में नारी चेतना के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को जाग्रत करते हुए मिस शैला अनवरी से कहती है- मुझे इनके पास ग्राम जीवन का सच्चा स्वरूप मिलता है, जिसमें जीतोड़ मेहनत, अटूट विश्वास और संतोषभरी शांति दिखायी देती है। लंदन के भीड़ में मैं दबी हुई थी और सबसे बड़ी एवं मुख्य बात तो यह है कि मैं स्वयं दु:ख उठा चुकी हूँ, दु:खीजन के साथ दु:ख की सहानुभूति होना स्वभाविक है। ..... जब अस्पताल का काम छोड़कर अपनी डॉक्टरी का धंधा मैंने फैलाया, तो मुझे रुपयों की कमी न रही। पर मुझे तो यही समझ पड़ता है कि मेहनत-मजदूरी करते हुए अपने दिन बिता लेना, किसी के गले पड़ने से अच्छा है।''[13]

शैला जेन की पुत्री है उस कोठी के प्रति उनका विशेष लगाव है जिसके साथ उसकी माताजी की स्मृति लिपटी है। उदाहरण द्रष्टव्य है- ''नियति दुस्तर समुद्र को पार कराती है, चिरकाल के अतीत को वर्तमान के क्षण-भर में जोड़ देती है, और अपरिमित मानवता-सिंधु में से उसी एक से परिचय करा देती है जिससे जीवन की अग्रगामिनी धारा अपना पथ निर्दिष्ट करती है। कहां भारत, कहां मैं और कहां इन्द्रदेव! और फिर तितली!-जिसके कारण मुझे अपनी माता की उदारता के स्वर्गीय संगीत सुनने को मिले, यह पावन प्रदेश देखने को मिला! उसके मन में अनेक दुराशाएं जाग उठीं। आज तक वह संतुष्ट थी। अभावपूर्ण जीवन इन्द्रदेव की कृतज्ञता में आबद्ध और संतुष्ट था। किंतु इस दृश्य ने उसे कर्मक्षेत्र में उतरते हुए एक स्पर्द्धामय आमंत्रण दिया। उसका सरल जीवन जैसे चतुर और सजग होने के लिए व्यस्त हो उठा।''[14]

शैला चाहती है यह गरीब ग्राम एक अच्छा ग्राम बने, जहाँ किसानों के लिए बैंक हो, होमियोपेथी का नि:शुल्क अस्पताल हो तथा गाँव में एक अच्छा स्कूल हो और चकबन्दी के द्वारा जमीन के टुकड़ों को आपस में जोड़ा जाये। शैला का संस्कृत भाषा का पढ़ना, हिन्दू धर्म के रीति-रिवाजों को स्वीकार करना, ये सभी बातें भारत की संस्कृति के प्रति शैला का लगाव है। इन्द्रदेव से ब्याह के बाद भी शैला अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखती है। उदाहरण द्रष्टव्य है- ''तुम्हारे संसर्ग से जो मैंने सीखा है, उसका पहला पाठ यही है कि दूसरे मुझको क्या कहते हैं, इस पर इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। पहले मुझे ही अपने विषय में सच्ची जानकारी होनी चाहिए। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी जमींदारी के दातव्य विभाग से जो खर्च स्वीकृत हुआ है, उसी में मैं अपना और औषधालय का काम चलाऊं। बैंक में भी कुछ काम कर सकूं, तो उससे भी कुछ मिल जाया करेगा और मेरी स्वतंत्र स्थिति इन प्रवादों को स्वयं ही स्पष्ट कर देगी।''[15]

शैला इन्द्रदेव से अपने बारे में बताते हुए कहती है कि- 'हम लोगों के पश्चिमी जीवन का यह संस्कार है कि व्यक्ति को स्वावलंबी होना जरूरी है। जबकि भारतवासी लोगों के हृदय में परिवार के प्रति प्रेम और परस्पर सहानुभूति की सहायता की बड़ी आशाएं, परंपरागत संस्कृति के कारण, बलवती रहती हैं। किंतु मेरा जीवन कैसा रहा है, उसे तुमसे अधिक कौन जान सकता है! मुझसे काम लो और बदले में कुछ दो।''[16]

इन्द्रदेव का गाँव की जमींदारी से अपने को मुक्त करना तथा 'देवबाबू' के रूप में गरीबों के मुकदमें लड़ना उनके कद को समाज में उच्चतम स्तर पर ले जाता है। वह कहते हैं- ''बड़ी बड़ी आशा लेकर मैं इंग्लैंड से वापिस हुआ था। सोचा था ये सुधारुँगा वो सुधारूँगा, लेकिन मैं अपने सामाजिक परिवेश में कुछ कर नहीं पा रहा था इसलिए हमने अपने उस परिवेश का त्याग किया तभी मैं पीड़ितों के हृदय के रक्त की चमक बढ़ाने में सहायक हुआ।''[17]

इन्द्रदेव की विवाहित बहन माधुरी जिसका वैवाहिक जीवन दु:खी है जो कि अपने पैतृक सम्पत्ति में भी हिस्सा चाहती है, वह अपनी माँ के साथ रहती है, जिसमें नारी चेतना का जागरण होता है, उदाहरण द्रष्टव्य है- ''माधुरी के जीवन में प्रेम नहीं, सरलता नहीं, स्निग्धता भी उतनी न थी। स्त्री के लिए जिस कोमल स्पर्श की अत्यंत आवश्यकता होती है, वह श्यामलाल से कभी मिला नहीं। तो भी मन को किसी तरह संतोष चाहिए। पिता के घर का अधिकार ही उसके लिए मन बहलाने का खिलौना था। वह भी जानती थी कि यह वास्तविक नहीं, तो भी जब कुछ नहीं मिलता तो मानव हृदय कृत्रिम को ही वास्तविक बनाने की चेष्टा करता है। माधुरी भी अब तक यही कर रही थी।

समस्याएं तो जीवन में बहुत-सी रहती हैं, किन्तु वे दूसरों के स्वार्थों और रुचि तथा कुरुचि के द्वारा कभी-कभी जैसे सजीव होकर जीवन के साथ लड़ने के लिए कमर कसे हुए दिखाई पड़ती हैं। माधुरी को अपनी ओर देखते हुए श्यामदुलारी की आंखे छलछला उठीं।

उन्हें मालूम हुआ की माधुरी उस सम्पळि को इन्द्रदेव के नाम करने का घोर विरोध कर रही है। उसकी निस्सहाय अवस्था, उसके पति की हृदय-हीनता और कृष्णमोहन का भविष्य-सब उसकी ओर से श्यादुलारी की वृद्धि को सहायता देने लगे।''[18]

जब श्यामदुलारी अपनी मिस शैला को अपने बारे चिन्ताओं के बारे में बताते हुए बोलती है कि- ''स्त्रियों को जब हम उनकी आर्थिक पराधीनता के कारण प्रेम करने के लिए बाध्य करते हैं, तब उनके मन में विद्रोह का उत्पन्न होना स्वाभाविक है! आज प्रत्येक कुटुंब उनके इस स्नेह और विद्रोह के द्वंद्व से कमजोर हो चुके है। हमारा संयुक्त परिवार उनकी इस आर्थिक परवशता की अनिवार्य असफलता है। उन्हें चिरकाल से वंचित एक कुटुंब से आर्थिक संगठन को ध्वस्त करने के लिए दिन-रात चुनौती मिल रही है। जिस वंश से वे आती हैं, उस वंश से उनकी ममता नहीं हटती, यहाँ पर वे अपने को अधिकार मिलता न देखकर, वे सदैव घूमने वाली बिना घर के अपराधियों की भाँति प्रत्येक घर-परिवार के शासन को चौपट करने में लग जाती हैं। यह किसका अपराध है? प्राचीन काल में स्त्रीधन के बारे में सोचा गया था किंतु आज दिन प्रतिदिन उसकी दुर्दशा होती जा रही है।''[19]

श्यामदुलारी ने कहा-मिस शैला ''मैंने निश्चय कर लिया है कि अब किसी को मनाने न जाऊंगी। हां, मेरी बेटी का दु:ख से भरा भविष्य है और उसके लिए मुझे कोई उपाय करना ही होगा वह इस तरह न रह सकेगी। मैंने अपने नाम की जमींदारी माधुरी को देने का निश्चय कर लिया है। तुम क्या कहती हो? हम लोग तुम्हारी सम्मति चाहती हैं।

मां जी, आपने ठीक सोचा है। बीबी रानी को और दूसरा क्या सहारा है। मैं समझती हूं कि इसमें इंद्रदेव से पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई कमी नहीं। वह स्वयं भी कमा सकते हैं और सम्पत्ति भी है ही।''[20] शैला जब मधुबन और तितली की छोटी-सी एवं खुशहाल गृहस्थी देखती है तो बोलती है कि 'अभी छावनी की दशा देखकर आई थी। वहां सब कुछ था, पर सहयोग नहीं। यहां कुछ न था; परंतु पूरा सहयोग उस अभाव से मधुर युद्ध करने के लिए प्रस्तुत। शैला ने छोड़ने के लिए कहा-तितली! मुझे भूख लगी है। तुम अपने नये पकवान रहने दो; जो बना हो, मुझे लाकर उसको खिला दो।'[21]

नील की कोठी में हॉस्पिटल खुल गया, बैंक के लिए भी व्यवस्था हो गयी, गांव में स्कूल बन गया, चकबन्दी की तैयारी भी हो गयी।.....'मेरा मानना है कि पाश्चत्य जगत एक ढाँचा खड़ा कर रहा है किन्तु उसमें प्राण देने का कार्य पूर्व के आध्यात्मवादी ही करेंगे। यही पर पूर्व और पश्चिम के जगत का वास्तविक मिलन होगा, जिसके फलस्वरूप मानवता प्रफुल्लित होगी।' [22]

जो माँ श्यामदुलारी पहले शैला के दर्शन से अपने को दु:खी महसूस कर रही थी, वही माँ बेटे इन्द्रदेव के त्याग तथा शैला की सेवाभावना से प्रभावित है। वह शैला को अपनी बहू के रूप में स्वीकारते हुए कहती है- 'बहू मेरा बेटा बड़ा स्वाभिमानी है। किन्तु मैं तो तुमको कुछ देकर ही जाऊँगी। उसे तुमको लेना ही होगा, यही मेरा तुम्हारे प्रति आशीर्वाद है। माधुरी की तरफ देखकर कहा-''ये आभूषण अब इसे मेरे सामने पहना दे माधुरी। यह तेरी भाभी है। यह मोतियों का हार, हीरों का हार मेरी बहू शैला को पहना दो। श्यामदुलारी ने शैला की पीठ पर हाथ रखकर उसको आशीर्वाद भी दिया।'[23]

यहाँ पर हम यह देखते है कि माँ श्यामदुलारी और बहू शैला का मिलन माँ पर बहू का मिलन न होकर, पश्चिम पर पूरब का मिलन, धन पर सेवा एवं आदर्श का विजय का मिलन है। वही दूसरी ओर तितली अपने पति के जेल जाने पर भी अपने विचारों पर अड़िग रहती है एवं अपने बेटे मोहन को चौदह साल तक संघर्षमय जीवन के बीच कठिन श्रम करके बड़ा करती है, पति की गैरमौजूदगी में माँग में सिंदूर का भरना ये सब एक भारतीय पतिव्रता नारी के गुण है।

मधुवन हमेशा के लिए उसके दिल में है और उसका हितचिन्तन वह सदैव करती है। रात्रि की पाठशाला में वह समाज के बेसहारा बच्चों को पढ़ाने का कार्य करती है। कहानी के अंत में मधुवन और तितली का मिलन भी होता है। उधर शैला तथा इन्द्रदेव एवं उनकी माता तथा बहन सबका मिलन होता है, इधर तितली और मधुवन का मिलन तो दूसरी ओर दुष्ट तहसीलदार, चौबे तथा महंत की मृत्यु से ही कवि न्याय उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अच्छे का अंत अच्छा होता है तथा बुरे का अंत बुरा ही होता है।

धामपुर जो कि आरंभ में गरीबी, भ्रष्टाचार तथा भुखमरी के दलदल में फँसा था वह अब एक कृषि प्रधान छोटा-सा नगर बन गया है, जिसके सड़के साफ सुथरी, नालों पर पक्का पुल, फूलों के खेत तथा तरकारियों की क्यारियाँ, अच्छे फलों के बाग-बगीचे है, वह गाँव अब एक कृषि प्रदर्शनी बन रहा है। खेतों के सुन्दर-सुन्दर टुकड़े बड़े रमणीय लग रहे थे। गांव के सभी किसानों के पास पूरे एक हल की खेती की पर्याप्त भूमि थी। परिवर्तन में यह ध्यान रखा गया था कि कम से कम एक हल से जोतने बोने लायक हो।''[24] तितली की प्रेरणा से रात्रि पाठशालाएँ भी खुल गयी थीं। किसानों के लिए कथा-कहानियों के द्वारा शिक्षा की भी व्यवस्था हो चुकी थी। स्मिथ अब उस प्रांत में एक बूढ़ाबाबा के नाम से प्रसिद्ध था।

गाँव में अब अखाड़े और संगीत मंडलियों का भी खूब प्रचार हो रहा था। गाँव के युवकों में स्वयंसेवक का भाव बढ़ रहा, रोगियों की भी सेवा होने लगी थी। शैला अब नंदरानी की प्रेरणा से एक चतुर भारतीय गृहिणी बन गई थी। इन्द्रदेव भी स्वावलंबी बनकर अपना जीवन जी रहा था।

इस उपन्यास के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि जयशंकर प्रसाद पर भी गाँधीवाद का प्रभाव था। उनका युग ही गाँधीवाद के प्रभाव से प्रभावित था, ग्राम उत्थान, ग्राम स्वराज तथा शोषण से दूर समाज की नयी रचना यहाँ दिखायी पड़ रही है। इसके साथ ही जयशंकर

प्रसाद पर सत्यवाद एवं प्रगतिवाद का भी प्रभाव था। प्रसाद जी ऐसे कुशल चित्रकार हैं जो कल्पना या अतिवाद को न अपनाकर, समाज के गरीबों के दु:ख-दर्द, उनकी दयनीय हालत तथा गंदी बस्तियों आदि का भी अपने उपन्यास के माध्यम से सच्चा चित्र उपस्थित किया है।

नंददुलारे बाजपेयी के अनुसार- '' 'तितली' के नायक-नायिका यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टी लेखकों की इस श्रेणी के चरित्रों की भाँति कर्कश, संघर्षमय तथा घृणाभिभूत नहीं है फिर भी अपनी वर्गगत चेतना से रिक्त नहीं है और भारतीय श्रमिक की संस्कारी परंपराओं से युक्त हैं।"[25]

'तितली' का पति मधुवन भारतीय किसान की उस पीढ़ी का नेतृत्व करता है जो विचार करता है लेकिन सेवा परायण भी है, वह अपने और किसी अन्य अपरिचित पर अन्याय होते देखकर लाठी उठाने को तैयार हो जाता है। मधुवन और तितली स्वाभिमान और अपनी भूमि के लिए दृढ़ता से लड़ने वाले भारत देश के वीर किसान है। जयशंकर प्रसाद पर महात्मा गाँधी के आंदोलन का प्रभाव अवश्य पड़ा था। सन् 1930 तक गाँधी का नाम सारे संसार में छा गया था। 'तितली' सन् 1934 में प्रकाशित हुई जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध कृति है। वह युग जीवन की नवीन चेतना लेकर हमारे समाने आयी। रामनाथ का उपदेश हमें महात्मा गाँधी की याद सदैव दिलाता रहेगा।

'तितली' उपन्यास के माध्यम से 'प्रसाद' जी ने देश के प्रत्येक घर में नारी चेतना का जागरण जगाकर देश के जर्जर स्वरूप में कुछ सुधार लाने की चेष्टा की है। 'तितली' की सहयोग भरी गृहस्थी का चित्रण करके जिसमें बिना किसी रक्त संबंध के भी मलिवा रामदीन आदि जैसे सदस्य सुखपूर्वक रहते हैं। संयुक्त परिवार के प्रति उदासीन भाव रखने वाले इन्द्रदेव भी तितली के इस नये संयुक्त परिवार के संगठन को देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते हैं। जयशंकर प्रसाद का समन्वयवाद में विश्वास था, जयशंकर प्रसाद ने 'तितली' के माध्यम से श्रम की महत्ता का भी प्रतिपादन किया है। जिसके फलस्वरूप समाज की बदलती हुई स्थिति का पता चलता है। निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि 'तितली' उपन्यास में नारी चेतना के सर्वत्र दर्शन होते है।

संदर्भ सूची-

1. प्रसाद जी का गद्य साहित्य, श्री राजमणि शर्मा, पृ0 123
2. तितली, जयशंकर प्रसाद, पृ0 3
3. वही, पृ0 52
4. वही, पृ0 55-56
5. वही, पृ0 58-59
6. वही, पृ0 12
7. वही, पृ0 15
8. वही, पृ0 103
9. वही, पृ0 142
10. वही, पृ0 145
11. वही, पृ0 207
12. वही, पृ0 208
13. वही, पृ0 23
14. वही, पृ0 45
15. वही, पृ0 49
16. वही, पृ0 51
17 वही, पृ0 88
18. वही, पृ0 48
19. वही, पृ0 95
20. वही, पृ0 95-96
21. वही, पृ0-96
22. वही, पृ0 104
23. वही, पृ0 201-202
24. वही, पृ0 211
25. जयशंकर प्रसाद, नंददुलारे बाजपेयी, पृ0 181

मिडील स्कूल में कक्षा आठवी के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय के पाठ्यपुस्तक के संदर्भ में अध्ययन

श्रीमती दमयंती पटेल

शोधार्थी- आई एस बी एम विश्वविद्यालय नावापारा (कोसमी) छुरा गरियाबन्द (छ.ग.)

डॉ० सिद्धेश्वर मिश्रा

निर्देशक, (प्राध्यापक) आई एस बी एम विश्वविद्यालय नावापारा (कोसमी) छुरा गरियाबन्द (छ.ग.)

सारांश :-

कक्षा आठवी के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा तथा तर्कशक्ति का विकास करना है। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से जुड़े वैज्ञानिक तथ्यों को समझने और उनका व्यावहारिक उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है।इस कक्षा के पाठ्यक्रम में प्रमुख रूप से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों को शामिल किया गया है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत बल, दाब, ऊर्जा, ध्वनि आदि के सिद्धांतों का अध्ययन कराया जाता है। रसायन विज्ञान में पदार्थों के गुण, धातु-अधातु, रासायनिक अभिक्रियाएं आदि को सरल रूप में समझाया जाता है। जीव विज्ञान में पौधों और जीवों की संरचना, प्रजनन, सूक्ष्मजीव तथा स्वास्थ्य संबंधी विषयों को पढ़ाया जाता है।

प्रौद्योगिकी (Technology) के अंतर्गत विद्यार्थियों को आधुनिक उपकरणों, मशीनों तथा उनके उपयोग के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा के स्रोत, तथा विज्ञान के समाज पर प्रभाव को भी समझाया जाता है।यह पाठ्यक्रम केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रयोग, गतिविधियाँ और प्रोजेक्ट कार्य भी शामिल हैं, जिससे विद्यार्थियों का सीखना अधिक प्रभावी और रुचिकर बनता है। इससे उनकी समस्या समाधान क्षमता, रचनात्मकता तथा वैज्ञानिक सोच का विकास होता है।

प्रस्तावना : -

वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का युग है, जहाँ हर क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी विकास का विशेष महत्व है। शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना समय की प्रमुख आवश्यकता बन गई है। इसी उद्देश्य से मिडिल स्कूल स्तर पर कक्षा 8 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय का पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। कक्षा आठवी का यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को विज्ञान के मूल सिद्धांतों से परिचित कराने के साथ-साथ उन्हें दैनिक जीवन में उनके उपयोग को समझने में सहायता करता है। यह विद्यार्थियों की जिज्ञासा को बढ़ावा देता है और उन्हें पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा तकनीकी विकास के प्रति जागरूक बनाता है।

इस अध्ययन में कक्षा आठवी के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के स्वरूप, उद्देश्यों तथा उसकी उपयोगिता का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह समझा जा सके कि यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के समग्र विकास में किस प्रकार सहायक है। शिक्षा मानव के विकास की सर्वागीण आधार है जो मनुष्य को जन्म से लेकर जीवन पर्यन्त इच्छा शक्तियों पर सार्थक नियंत्रण ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि तथा समृद्धि शक्तियों के मार्ग दर्शन में व्यक्तित्व के व्यवहार व आचरण में मूल प्रवृत्यिों से प्रेरित होकर सभ्य संस्कारिता एवं उत्कृष्ट नागारिक बनाती है। शिक्षा मानव जीवन में उदारता, उच्चता, उत्कृष्ठता और पवित्रता लाती है जो बनाती है, वही सही कार्य में शिक्षा है। भारत में महिलाओं के सम्मान की गौरवशाली परंपरा रही है जहां एक आरे सीता, सावित्री, जैसी महिलाये पौराणिक काल में हुई समाज में आज भी स्त्रियां आज भी विभिन्न प्रकार की विपदाओं से घिरी हुई है इनमें मुक्ति पाये बिना वह समाज में सही अर्थो में स्वतंत्रता व समानता का अधिकार नही प्राप्त कर सकती है। स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिये कई प्रयास किये जा रहे है। जैसे महिला शिक्षा, बाल विवाह संबंधी बुराइयां, दहेज प्रथा आदि में कई र्प्रयास किये। शिक्षा का उद्देश्य बालक के कुशल नागरिक बनाना है कि जिसमें बालक में सामाजिक कुशलता का विकास किया जा सके, समाज की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके अत: शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है समाज अपनी संस्कृति एवं मूल्यों को शिक्षण द्वारा संचित करता है।जन्म के समय शिशु न सामाजिक होता है और न असामाजिक बल्कि व समाज के प्रति उदासीन होता है आयु बढ़ने के साथ-साथ वह सामाजिक

गुणों से सुशोभित होता जाता है और कुछ ही वर्षो के बाद वह सामाजिक प्राणी कहलाने लगता है बालक सामाजिक गुणों को सामाजिक विकास की अवस्थाओं के अनुसार ग्रहण करता है।

शिक्षापूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने एवं न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मुलभुत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को एक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना,वैष्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता वैज्ञानिक उन्नति राष्ट्रीय एकीकरण और सास्कृतिक सरंक्षण के संदर्भ में भारत की सतत् प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है।विद्यालय औपचारिक शिक्षा के सर्व सुलभ केंद्र है। बच्चे विद्यालय में अपने सीखने के अनुभवों के साथ प्रवेश करते है। विद्यालय बच्चे के मौजूदा अनुभवों के आधार पर सीखने की आगामी प्रक्रिया के गठन का दायित्व उठाता है। इस प्रकार हम किसी भी स्तर या कक्षा की शुरूआत बच्चे की अधिगम शून्यता से नही करते। छात्रों में आयुवार कक्षावार कौन -कौन सी दक्षताओं का विकास होना चाहिए? अधिगम का स्वरूप क्या हो? तथा अधिगम के विभिन्न तरीके एवं शैक्षिक प्रगति का आकलन कैसे किया जाए आदि शिक्षा जगत की ये मूलभूत प्रश्न है। विज्ञान की अच्छी शिक्षा वही है जो विद्यार्थी के प्रति,जीवन के प्रति ईमानदार हो। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक विषय के रूप में बच्चों का विज्ञान के साथ पहली बार परिचय होता है इसमें बच्चों को विज्ञान के सिध्दांतों को समझने के लिए ऐसी गतिविधियों में सलग्न किया जाना चाहिए जिससे उन्हे स्वयं बनाई गई सरल तकनिकी कार्यो तथा मॉडल बनाने के अवसर प्राप्त हो सके ।विज्ञान गत्यात्मक तथा लगातार विस्तारित होने वाला ज्ञान है जिससे अनुभव के नवीन क्षेत्र सम्मिलित होते रहते हैं। विश्व को समझने तथा मनुष्य का प्रयास अवलोकन के आधार पर अवधारणाओं के प्रतिमा स्थापित करने का है ताकि नियमों तथा सिद्धांतों तक पहुँचा

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) एवं MHRD के द्वारा विद्यालय से संबंधित सभी हितग्रहियों को शामिल करते हुए अधिगम प्रतिफल या सीखने की सम्प्राप्तियों (Learning Outcomes) को निर्धारित किया गया है। अधिगम प्रतिफल कक्षा 1 से 12 तक विषयवार, कक्षावार छात्र को निश्चित शैक्षणिक सत्र में पाठ्यक्रम विषय पूर्ण करने के पश्चात कौन - कौन सी दक्षताओं का विकास हो जाना चाहिए, उसका ज्ञान स्पष्ट रूप से लिखित रूप में कराती है। इसे छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षक हेतु पुस्तिका या दस्तावेज के रूप में विकसित की गई है और उपलब्ध कराई गई है।

यह अध्ययन अधिगम प्रतिफल के संदर्भ में विज्ञान पाठ्य पुस्तकों को समृध्द करने में गुणात्मक सुधार लाने में सहायक सिद्ध हो सकेगा। इसके अतिरिक्त कक्षा आठवी विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी पाठ्यपुस्तक की सामग्री की सार्थकता अधिगम प्रतिफल के निर्धारित गतिविधियों की उपयोगिता जानने हेतु विशेष महत्व रखता है।

अध्ययन के उद्देश्यः-

- मिडील स्कूल में कक्षा आठवी के विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी पाठ्यपुस्तक के विषय सामग्री व उनके विभाजन का अध्ययन।
- मिडील स्कूल में कक्षा आठवी के विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी विषय के शिक्षकों में अधिगम के प्रति जागरूकता स्तर का अध्ययन करना।

शोध प्रश्नः -

- मिडील स्कूल में कक्षा आठवी के विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी पाठ्यपुस्तक में कितने अध्याय है व उनका विभाजन किस प्रकार है।
- मिडील स्कूल में कक्षा आठवी के विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी विषय के विभिन्न अध्याय में कौन -कौन से अधिगम प्रतिफल हैं।

शोध विधिः -

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु पाठ्यवस्तु विश्लेषण विधि एवं सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया हैं। प्रस्तुत शोध की प्रति गुणात्मक है।

जनसंख्या एवं न्यादर्शः-

शोध समस्या गुणात्मक प्रति का है अतः जनसंख्या एवं न्यादर्श के स्थान पर छत्तीसगढ पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित एवं मे. राजधानी प्रिंटर्स रायपुर द्वारा मुद्रित प्रकाशन वर्ष 2023 के कक्षा आठवी के विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी विषय के पाठ्यपुस्तक को लिया गया है।

चूंकि अधिगम प्रतिफल के बारे में शिक्षकों के जागरूकता स्तर को जानने की आवश्यकता है, इसलिए महासमुंद जिले के बसना विकासखंड अंतर्गत समस्त पूर्व माध्यमिक शालाओं में विज्ञान विषय का अध्ययन करने वाले शिक्षकों को जनसंख्या के रूप में लिया गया। बसना विकासखण्ड अंतर्गत पूर्व माध्यमिक शालाओं में कक्षा सातवीं विज्ञान अध्यापन करने वाले 50 शिक्षकों को न्यादर्श के रूप में शामिल किया गया है।

ओकडों का संग्रहण एवं विश्लेषण -

शोध प्रश्न 1:-

मिडील स्कूल में कक्षा आठवी के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय के पाठ्यपुस्तक में कितने अध्याय हैं व उनका विभाजन किस प्रकार है?

तालिका विभिन्न घटकों में अध्ययों का विभाजन

स.क्र.	*घटक*	*अध्याय*	*अध्यायों की संख्य*	*प्रतिशत*
1	भौतिकी	5,12,15,21	4	19.05
2	रसायन	2,3,4,7,8,19	6	28.57
3	जीव विज्ञान	1,6,9,10,11,13,14,16,17,18,20	11	52.38

विश्लेषणः-

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ द्वारा प्रकाशित मिडील स्कूल में कक्षा आठवी के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय के पाठ्यपुस्तक में कुल 21 अध्याय हैं पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का विभाजन तीन भागों - भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में किया गया है। भौतिकी में कुल 4 अध्याय (5,12,15,21) जिनका प्रतिशत 19.05 है। रसायन में कुल 6 अध्याय (2,3,4,7,8,19) जिनका प्रतिशत 28.57 है। जीव विज्ञान में कुल 11 अध्याय (1,6,9,10,11,13,14,16,17,18,20) जिनका प्रतिशत 52.38 है।

निष्कर्षः-

मिडील स्कूल में कक्षा आठवी के विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी पाठ्यपुस्तक में भौतिकी,रसायन व जीव विज्ञान से संबंधित विषय हैं परंतु उन्हे पृथक -पृथक खंड में विभाजित नही किया गया हैं। पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का विभाजन भौतिकी,रसायन व जीव विज्ञान में बराबर -बराबर नही हुआ है। पाठ्य पुस्तक में जीव विज्ञान संबंधित विषय वस्तुएं अधिक 52.38 है जबकी रसायन 28.57 व भौतिकी 19.05 है छात्राओं के स्तर अनुरूप उचित है।

संदर्भ सूचीः-

चक्रवर्ती, उ.(2016 दिसम्बर) गणित पाठ्य पुस्तक और शिक्षक,वाइस ऑफ टीचर्स एंड टीचर एजुकेटर्स

अग्रहरी अनिल (2009-10) छत्तीसढ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित कक्षा दसवीं गणित विषय की पुस्तक का समीक्षात्मक अध्ययन ,शोध सारांश संकलन रायपुर छत्तीसगढ।

"संस्कृत साहित्य में प्रकृति-चित्रण की सौन्दर्यपरक एवं दार्शनिक व्याख्या : लघुत्रयी के विशेष संदर्भ में"

डॉ० राहुल कुमार

सहायक प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, मारवाड़ी महाविद्यालय, राँची

सारांश

संस्कृत साहित्य में प्रकृति-चित्रण अनूठे स्वरूप को धारण कर अग्रसर हुआ है। मात्र सौन्दर्य के आलंकारिक निरूपण से परे, वह भारतीय दार्शनिक चेतना का सजीव एवं संवेदनशील प्रतिरूप बनकर उभरा है। संस्कृत साहित्य में भी जब दृष्टि लघुत्रयी पर आ ठहरे तो प्रतीत होता है कि स्वर्ग में ही तो अवतरण नहीं हुआ है। 'मेघदूत', 'कुमारसंभव' एवं 'रघुवंश' में विशेष संदर्भों में प्रकृति-चित्रण की सौन्दर्यपरक एवं दार्शनिक अभिव्यंजनाओं का सम्यक् विवेचन प्राप्त होता है। लघुत्रयी के अन्तर्गत निहित काव्य-संसार में प्रकृति का स्वरूप केवल दृश्य-विलास न होकर जीवन, संवेदना और आध्यात्मिक अनुभूति का व्यापक आयाम बनकर सामने आता है।

लघुत्रयी के काव्य में प्रकृति केवल पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि मानवीय भावों की सहचरी, संवेदना की सशक्त अभिव्यक्ति तथा आध्यात्मिक अनुभूति की वाहक के रूप में प्रतिष्ठित होती है। 'मेघदूत' में प्रकृति विरही यक्ष की भावनाओं की दूत बनकर करुणा और अनुराग को विस्तार देती है; 'कुमारसंभव' में प्रकृति शिव-पार्वती के दिव्य प्रेम एवं तप की पृष्ठभूमि में दार्शनिक गाम्भीर्य के साथ सौन्दर्य का उत्कर्ष प्रस्तुत करती है; तथा 'रघुवंश' में प्रकृति राजधर्म, लोकमंगल और आदर्श जीवन-मूल्यों के साथ अभिन्न रूप से सम्बद्ध दिखाई देती है।

लघुत्रयी में प्रकृति-चित्रण वस्तुतः मानव और प्रकृति के मध्य अद्वैत संबंध की स्थापना करता है, जहाँ बाह्य और आन्तरिक जगत का अद्भुत समन्वय दृष्टिगोचर होता है। ऋतु-परिवर्तन, पर्वत, वन, नदियाँ एवं आकाशीय तत्त्व केवल दृश्य नहीं, बल्कि मानवीय चेतना के प्रतीक रूप में अभिव्यक्त होते हैं। अस्तु आपनी प्राकृतिक विशिष्टताओं से अनुस्यूत लघुत्रयी का काव्य-संसार प्रकृति के माध्यम से सौन्दर्य और दर्शन के अद्वितीय सामंजस्य को मूर्त रूप प्रदान करता है, जो आज भी अपनी शाश्वत प्रासंगिकता बनाए हुए है।

अंततः लघुत्रयी में निहित प्रकृति-चित्रण भारतीय काव्य परम्परा में सौन्दर्यबोध एवं दार्शनिक दृष्टि का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में भी अत्यन्त मूल्यवान है।

मुख्य शब्द -प्रकृति-चित्रण, लघुत्रयी, संस्कृत साहित्य, सौन्दर्यशास्त्र, दार्शनिक दृष्टि

प्रस्तावना :

संस्कृत साहित्य की समृद्ध परम्परा में प्रकृति-चित्रण एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं व्यापक विषय के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। वेदों से लेकर उत्तरवर्ती काव्यधारा तक प्रकृति को केवल दृश्य-सौन्दर्य के रूप में नहीं, बल्कि जीवन, चेतना और ब्रह्म के अभिन्न तत्त्व के रूप में देखा गया है। इसी परम्परा में लघुत्रयी-'मेघदूत', 'कुमारसंभव' एवं 'रघुवंश'-का विशेष स्थान है, जिनमें प्रकृति का चित्रण अद्वितीय सौन्दर्यबोध तथा गहन दार्शनिक संवेदना के साथ अभिव्यक्त हुआ है।

यद्यपि इन काव्यों के रचयिता के संबंध में ऐतिहासिक एवं जीवनीगत विविधताएँ विद्यमान रही हैं, तथापि लघुत्रयी के कृतित्व के आधार पर यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि लघुत्रयी में भारतीय संस्कृति, दर्शन एवं काव्यपरम्परा का उत्कृष्ट समन्वय परिलक्षित होता है। इन काव्यों में निहित प्रकृति-दृष्टि केवल बाह्य अवलोकन का परिणाम नहीं, बल्कि गहन आत्मानुभूति, सूक्ष्म संवेदनशीलता तथा व्यापक सांस्कृतिक चेतना का प्रतिफल है।

लघुत्रयी में निहित कवि स्वर कहीं वह विरह की करुणा को उद्दीप्त करते है, कहीं प्रेम और तप की दिव्यता को आलोकित करते है, तो कहीं आदर्श जीवन-मूल्यों और राजधर्म के साथ समन्वित होकर लोकमंगल की व्यापक भावना को पुष्ट करते है। इस प्रकार, इन काव्यों में प्रकृति केवल दृश्य-वर्णन का साधन न होकर मानवीय भाव-जगत की संवाहिका एवं दार्शनिक सत्य की अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है।

प्रस्तुत आलेखन लघुत्रयी में प्रकृति-चित्रण के सौन्दर्यपरक एवं दार्शनिक आयामों का विश्लेषण है। लघुत्रयी का प्रकृति-बोध भारतीय काव्य परम्परा में एक ऐसे आदर्श की स्थापना करता है, जहाँ सौन्दर्य और दर्शन का अद्‌भुत समन्वय दृष्टिगोचर होता है तथा प्रकृति मानव जीवन की सहचरी, संवेदना की अभिव्यक्ति और आध्यात्मिक अनुभूति की सशक्त वाहक बनकर उभरती है।

1. प्रकृति का अभिनव स्वरूप

संस्कृत काव्यधारा में प्रकृति का स्वरूप केवल बाह्य दृश्य-विन्यास तक सीमित न रहकर एक जीवंत, स्पंदित और अनुभवसिद्ध सत्ता के रूप में अभिव्यक्त होता है। लघुत्रयी के अंतर्गत आने वाले काव्यों में प्रकृति का यह अभिनव रूप अत्यन्त सघन संवेदनशीलता के साथ विकसित हुआ है, जहाँ वह जड़ तत्व न रहकर अनुभूति की धारा बन जाती है। यहाँ प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है-ऋतुओं के चक्र में, आकाशीय घटनाओं में, वन्य जीवन की गति में-और उसी के साथ मानव-हृदय भी धड़कता हुआ प्रतीत होता है। यह अभिनवता किसी बाह्य अलंकरण का परिणाम नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ आत्मीय तादात्म्य की देन है, जिसमें दृश्य और भाव एकाकार हो जाते हैं।

ऋतु-चक्र के माध्यम से प्रकृति की इसी जीवंतता का सशक्त चित्रण मिलता है-

"प्रचण्डसूर्यः स्पृहणीयचन्द्रमाः सदावगाहक्षतवारिसञ्चयः।
दिनान्त रम्योत्स्युपशान्तमन्मथो निदाघकालोऽयमुपागतः प्रिये।।" (1)।

अर्थात ग्रीष्म केवल ताप नहीं, बल्कि जीवन की गति में परिवर्तन का संकेत है। 'मेघदूत' में मेघ को तत्त्वों के समन्वित जीवंत रूप में चित्रित किया गया है-

"धूमज्योतिः सलिलमरुतां संनिपातः क्व मेघः" (2)।

इस प्रकार प्रकृति का अभिनव स्वरूप सम्पूर्ण साहित्य में सृजनात्मक चेतना का प्रतीक बनकर उभरता है।

2. लघुत्रयी में प्रकृति-चित्रण2

लघुत्रयी में प्रकृति सर्वत्र अहम रूप में व्याप्त है-कथानक के विस्तार में, पात्रों के मनोभावों में और काव्य की संरचना में। वास्तव में प्रकृति केवल दृश्य नहीं, बल्कि भावों का विस्तार है, जो कथा को गति देती है और अनुभूति को गहराई प्रदान करती है। वन, पर्वत, नदी, आकाश और ऋतुएँ-ये सभी काव्य के भीतर इस प्रकार गुंथे हुए हैं कि वे जीवन के अभिन्न अंग प्रतीत होते हैं।

'मेघदूत' में यक्ष की भाव-यात्रा के साथ-साथ प्रकृति का विस्तृत भूगोल उद्‌घाटित होता है-

"नीपं दृष्ट्वा हरितकपिशं केसरैरर्द्धरूढै
राविर्भूतप्रथममुकुलाः कन्दलीश्चानकच्छम् ।..." (मेघदूत'-1/22),

अर्थात प्रकृति का मनोरम दृश्य टुकड़ी के साथ जुड़ी पशु पक्षियों का विभिन्न गतिविधियों को धारण करना अनुपम सौंदर्य की अभिव्यक्ति के साथ साथ मनुष्य और प्रकृति के घनिष्ठ संबंध की अभिव्यंजना के रूप में अधिक प्रतीत होता है ऐसा लगता है जैसे प्रकृति मार्गदर्शक बन जाती है। 'कुमारसंभव' का आरम्भ ही प्रकृति के दिव्य वैभव से होता है-"अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः" (कुमारसंभव'-1/1), जो स्थायित्व और महत्ता का प्रतीक है। 'रघुवंश' में प्रकृति राजधर्म के साथ जुड़कर जीवन की मर्यादाओं को पुष्ट करती है। इस प्रकार लघुत्रयी में प्रकृति-चित्रण बहुआयामी और जीवन-सापेक्ष है।

3. चेतन एवं भावनायुक्त प्रकृति

लघुत्रयी में प्रकृति जड़ नहीं, बल्कि चेतना से अनुप्राणित दिखाई देती है। यहाँ प्रकृति के प्रत्येक तत्त्व में भाव-संवेदना का स्पर्श है, जिससे वह मानवीय गुणों से युक्त प्रतीत होती है। यह दृष्टि भारतीय दार्शनिक परम्परा से जुड़ी हुई है, जहाँ समस्त सृष्टि को चेतन तत्व का विस्तार माना गया है। इसीलिए वृक्ष, लताएँ, नदियाँ और मेघ सभी भावनाओं के वाहक बन जाते हैं।

'मेघदूत' में मेघ दूत बनकर विरही यक्ष की भावनाओं को वहन करता है-"मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथावृत्ति चेतः" (मेघदूत'-1/3)। निर्विच्या नदी को नायिका रूप में चित्रित करते हुए कहा गया है-"वीचिक्षोभस्तनितविहगश्रेणिकाञ्चीगुणायाः..." (मेघदूत'-1/29), जहाँ तरंगें मानो हाव-भाव व्यक्त कर रही हों। 'कुमारसंभव' में पार्वती का रूप लता के समान उकेरा गया है-"आवर्जिता किञ्चिदिव स्तनाभ्यां..." (कुमारसंभव'-3/54)। इस प्रकार प्रकृति में चेतना का संचार लघुत्रयी की प्रमुख विशेषता है।

4. सहचरी रूप में प्रकृति

लघुत्रयी में प्रकृति मानव जीवन की सहचरी के रूप में निरन्तर साथ चलती है। वह केवल परिवेश नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक अनुभव की सहभागी बन जाती है। मानव के सुख-दुःख, मिलन-वियोग और आशा-निराशा सभी अवस्थाओं में प्रकृति उसका साथ निभाती है और उसके भावों को विस्तार देती है।

'मेघदूत' में विरही यक्ष के साथ सम्पूर्ण प्रकृति उसकी संवेदना को साझा करती है। मार्ग में आने वाले स्थल केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि भावात्मक पड़ाव बन जाते हैं। 'रघुवंश' में वन्य जीव भी मानवीय घटनाओं के साक्षी बनते हैं-"...दक्षिणां दिशमन्वैक्षत मृगी... " (रघुवंश'-13/24-25)। इस प्रकार प्रकृति मानव जीवन की सहयात्री के रूप में प्रकट होती है।

5. भावाभिव्यक्ति का माध्यम

लघुत्रयी में प्रकृति भावों की अभिव्यक्ति का अत्यन्त प्रभावशाली माध्यम बनकर उभरती है। सूक्ष्मतम मानवीय अनुभूतियाँ प्रकृति के माध्यम से सजीव हो उठती हैं। ऋतु, आकाश, चन्द्रमा, मेघ और वनस्पतियाँ सभी भावों के प्रतीक बन जाते हैं और उनके माध्यम से हृदय की गहराइयाँ व्यक्त होती हैं।

विरही यक्ष की वेदना मेघ के माध्यम से व्यक्त होती है। 'रघुवंश' में रघु के मुख की तुलना चन्द्रमा से करते हुए कहा गया है-"प्रत्तादसुमुखे तस्मिन् चन्द्रे च विशदप्रभे..." (रघुवंश'-4/18)। इस प्रकार प्रकृति भावाभिव्यक्ति की सशक्त वाहिका है।

6. उपदेशिका रूप में प्रकृति

लघुत्रयी में प्रकृति जीवन के नैतिक एवं आध्यात्मिक सत्यों को उद्घाटित करने वाली उपदेशिका के रूप में भी उपस्थित होती है। उसके व्यवहार में निहित संकेत मानव को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और जीवन-मूल्यों को सुदृढ़ करते हैं।

'मेघदूत' में मेघ चातक को बिना प्रतिफल की अपेक्षा जल प्रदान करता है-"निःशब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितश्चातकेभ्यः" (मेघदूत'-2/57), जो निःस्वार्थ सेवा का आदर्श है। 'रघुवंश' में जल के स्वभाव से क्षमा का बोध कराया गया है-"उष्णत्वमग्न्यातपसम्प्रयोगात् शान्त्यं हि यत्सा प्रकृतिर्जलस्य" (रघुवंश'-5/54)। 'कुमारसंभव' में संध्या का वर्णन जीवन की मर्यादा और सौन्दर्य का बोध कराता है-"दीर्घया प्रतिमया सरोम्भयां तापनीयमिव सेतुबन्धनम्" (कुमारसंभव'-8/34)।

7. वेदना-चित्र और प्रकृति

लघुत्रयी में प्रकृति वेदना की अभिव्यक्ति का भी अत्यन्त मार्मिक माध्यम बनती है। वियोग, करुणा और आन्तरिक पीड़ा प्रकृति के रूपों में प्रतिबिम्बित होकर काव्य को गहन संवेदनात्मक आयाम प्रदान करती है।

'मेघदूत' में यक्ष का विरह सम्पूर्ण प्रकृति में व्याप्त हो जाता है, जहाँ प्रत्येक दृश्य उसकी पीड़ा को प्रतिध्वनित करता है। 'कुमारसंभव' में वर्षा और अन्धकार का चित्रण वेदना को तीव्र करता है और प्रकृति वेदना के सजीव चित्र का रूप ग्रहण कर लेती है।

8. लघुत्रयी में प्रकृति के बहुरूप

'मेघदूत', 'कुमारसम्भव' और 'रघुवंश' प्रकृति की मनोरम छटाओं से ओतप्रोत है। उनमें प्रकृति का स्वरूप एकरेखीय नहीं, अपितु बहुवर्णी, बहुआयामी और भाव-संवेदनाओं से परिपूर्ण है। यहाँ प्रकृति कभी आधार बनती है, कभी प्रेरणा; कभी संवेदना की वाहक, तो कभी मानवीय रूपाकार ग्रहण कर सहचरी बन जाती है। इस बहुरूपता के कारण प्रकृति केवल दृश्य-वर्णन तक सीमित न रहकर काव्य के केन्द्रीय तत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित होती है। लघुत्रयी में प्रकृति का यह विस्तार भारतीय काव्यपरम्परा के उस गूढ़ बोध को पुष्ट करता है, जिसमें जगत् की प्रत्येक सत्ता चेतना और अनुभूति से संयुक्त मानी जाती है।

'कुमारसम्भव' में हिमालय का विराट रूप, 'मेघदूत' में मेघ की गतिशीलता और 'रघुवंश' में वन-प्रदेशों की शान्त गरिमा-इन सभी में प्रकृति के भिन्न-भिन्न आयाम उभरते हैं। जो प्रकृति को बहुरूपी विस्तार प्रदान कर काव्य को दार्शनिक गाम्भीर्य प्रदान करता है।

प्रकृति का आलंबन रूप

प्रकृति का आलंबन रूप वह है, जहाँ प्रकृति स्वयं काव्य-वर्णन का आधार बनकर यथार्थ एवं स्वाभाविक स्वरूप में उपस्थित होती है। लघुत्रयी में यह रूप अत्यन्त व्यापक है, जहाँ कवि किसी कृत्रिम अलंकरण के बिना प्रकृति के सहज सौन्दर्य को उकेरता है। अस्तु प्रकृति न तो केवल सजावट है, न ही प्रतीक मात्र; वह स्वयं अनुभव का केन्द्र बन जाती है।

'ऋतुसंहार' में वर्षा का चित्र-"विपांडूरं कीटरजस्त्रिन्नावितमं भुजंग्याद्रकगतिप्रसपिर्तम..." प्रकृति के यथार्थ आलंबन का द्योतक है। इसी प्रकार 'कुमारसम्भव' के पार्वती वर्णन में उन्हें पुष्प-आपूरित लता के रूप में वर्णित किया गया है-"पर्याप्तपुष्पस्तवकावनम्रा सञ्चारिणी पल्लविनी लतेव ..."। 'मेघदूत' में मेघ का मार्ग-वर्णन भी प्रकृति के आलंबन रूप का उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ पर्वत, वन, नदियाँ सब अपनी वास्तविकता में उपस्थित हैं।

प्रकृति का उद्दीपन रूप

उद्दीपन रूप में प्रकृति मानवीय भावों को जाग्रत करने वाली शक्ति के रूप में प्रकट होती है। ऋतु-परिवर्तन, आकाशीय दृश्य, वन-उपवन-ये सभी प्रेम, विरह, उल्लास अथवा करुणा को उद्दीप्त करते हैं। लघुत्रयी में प्रकृति का यह रूप विशेष रूप से रसानुभूति को गहन बनाता है।

'मेघदूत' में मेघ का दर्शन विरही यक्ष के हृदय में तीव्र भाव-जागरण करता है-"मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथावृत्ति चेतः..."। इसी प्रकार 'ऋतुसंहार' में प्रत्येक ऋतु प्रेमियों के हृदय को उद्दीप्त करती है, जहाँ प्रकृति का परिवर्तन मनोभावों का परिवर्तन बन जाता है। 'कुमारसम्भव' में वसन्त का आगमन शिव की समाधि को भंग कर प्रेम-भाव को उद्दीप्त करता है-यह प्रकृति के उद्दीपन स्वरूप का अत्यन्त सशक्त उदाहरण है।

प्रकृति का संवेदित रूप

लघुत्रयी में प्रकृति केवल दृश्य नहीं, बल्कि संवेदनशील सत्ता है, जो मानव के साथ सुख-दुःख का अनुभव करती प्रतीत होती है। यह संवेदना काव्य को करुणा और आत्मीयता से परिपूर्ण करती है।

प्रकृति का मानवीकरण

मानवीकरण के माध्यम से प्रकृति को मानवीय रूप, भाव और क्रियाएँ प्रदान की जाती हैं। लघुत्रयी में यह प्रवृत्ति अत्यन्त सजीव और कलात्मक है, जहाँ जड़-तत्त्व भी चेतन बनकर संवाद करते हैं।

'मेघदूत' में मेघ स्वयं दूत बनकर प्रेम-संदेश वहन करता है-"धूमज्योतिः सलिलमरुतां संनिपातः क्व मेघः" में मेघ की संरचना का वर्णन करते हुए भी उसे जीवंत रूप प्रदान किया गया है।

प्रकृति के विभिन्न उपमान

कालिदास की उपमाएँ प्रकृति से ही प्रसूत हैं, जिनसे उनका काव्य अनुपम सौन्दर्य प्राप्त करता है। लघुत्रयी में उपमानों की यह परम्परा अत्यन्त समृद्ध है, जहाँ प्रकृति के सूक्ष्मतम तत्त्व भी सौन्दर्य के मानदण्ड बन जाते हैं।

'रघुवंश' में रघु के मुख की तुलना चन्द्रमा से-"प्रत्तादसुमुखे तस्मिन्..." (रघुवंश'-4/18)-प्रकृति-आधारित उपमा का श्रेष्ठ उदाहरण है।

प्रकृति का वात्सल्य

लघुत्रयी में प्रकृति का वात्सल्य रूप अत्यन्त कोमल और हृदयस्पर्शी है, जहाँ प्रकृति माता के समान अपने आश्रितों का पालन-पोषण करती है। यह वात्सल्य भाव भारतीय संस्कृति के उस दृष्टिकोण को प्रकट करता है, जिसमें प्रकृति को 'माता' के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है।

'रघुवंश' में नन्दिनी गाय का प्रसंग प्रकृति के वात्सल्य रूप को उजागर करता है, जहाँ वह राजा दिलीप की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र-प्राप्ति का वरदान देती है। 'कुमारसम्भव' में हिमालय अपनी पुत्री पार्वती के प्रति वात्सल्य से पूर्ण दिखाई देता है। 'मेघदूत' में भी प्रकृति का कोमल स्पर्श यक्ष के मन को सांत्वना प्रदान करता है, मानो वह उसे धैर्य और आश्वासन दे रही हो।

निष्कर्ष

अन्ततः कह सकते हैं कि, प्रकृति कालिदासीय काव्य-दृष्टि का केन्द्रीय और प्राणतत्त्व है। प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, संवेदना, मानवीकरण, उपमान और वात्सल्य-इन सभी रूपों में एक ही सत्य प्रतिध्वनित होता है कि मानव और प्रकृति के मध्य कोई विभाजन-रेखा नहीं, बल्कि गहन आत्मीयता का सेतु विद्यमान है।

"इन्द्रचापपरिवेषशून्यता निर्झरास्तव पितुर्व्रजन्त्यमी" (कुमारसम्भव 8.46) जैसे वर्णनों में प्रकृति का सौन्दर्य दार्शनिक गूढ़ता से संयुक्त हो उठता है, जहाँ दृश्य और अनुभूति एकाकार हो जाते हैं। समग्र दृष्टि में प्रकृति काव्य विषयवस्तु की ही नहीं वरन् जीवन-दर्शन की संवाहिका भी है। अतः लघुत्रयी में प्रकृति-चित्रण भारतीय काव्यपरम्परा के उस उच्च शिखर का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ सौन्दर्य और सत्य का अद्वैत समन्वय साकार होता है।

संदर्भ सूची (References)

- बलदेव उपाध्याय। संस्कृत साहित्य का इतिहास। वाराणसीः शारदा निकेतन, 2012।
- कपिलदेव द्विवेदी। संस्कृत साहित्य का समालोचनात्मक इतिहास। वाराणसीः विश्वविद्यालय प्रकाशन, 2010।
- ए. बी. कीथ। संस्कृत साहित्य का इतिहास। दिल्लीः मोतीलाल बनारसीदास, 1993 (पुनर्मुद्रण)।
- मोरित्स विन्टरनिट्स। भारतीय साहित्य का इतिहास। दिल्लीः मोतीलाल बनारसीदास, 1981 (पुनर्मुद्रण)।
- रामजी उपाध्याय। वैदिक साहित्य का इतिहास। वाराणसीः चौखम्बा प्रकाशन, 2008।

- बलदेव उपाध्याय। वैदिक साहित्य और संस्कृति। वाराणसी: चौखम्बा विद्याभवन, 2009।
- सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारतीय दर्शन। दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2008 (पुनर्मुद्रण)।
- सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त। भारतीय दर्शन का इतिहास। दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास, 1997 (पुनर्मुद्रण)।
- वासुदेव विष्णु मिराशी। कालिदास। दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास, 2002।
- भगवतशरण उपाध्याय। कालिदास का साहित्य और कला। दिल्ली: राजकमल प्रकाशन, 2011।
- सत्यदेव चौधरी। कालिदास का काव्य-सौन्दर्य। वाराणसी: चौखम्बा प्रकाशन, 2005।
- कालिदास। मेघदूतम्। वाराणसी: चौखम्बा संस्कृत संस्थान, 2018।
- कालिदास। कुमारसम्भवम्। वाराणसी: चौखम्बा संस्कृत संस्थान, 2016।
- कालिदास। रघुवंशम्। वाराणसी: चौखम्बा संस्कृत संस्थान, 2017।
- कालिदास। ऋतुसंहारम्। वाराणसी: चौखम्बा विद्याभवन, 2015।